वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT | 2015 - 16

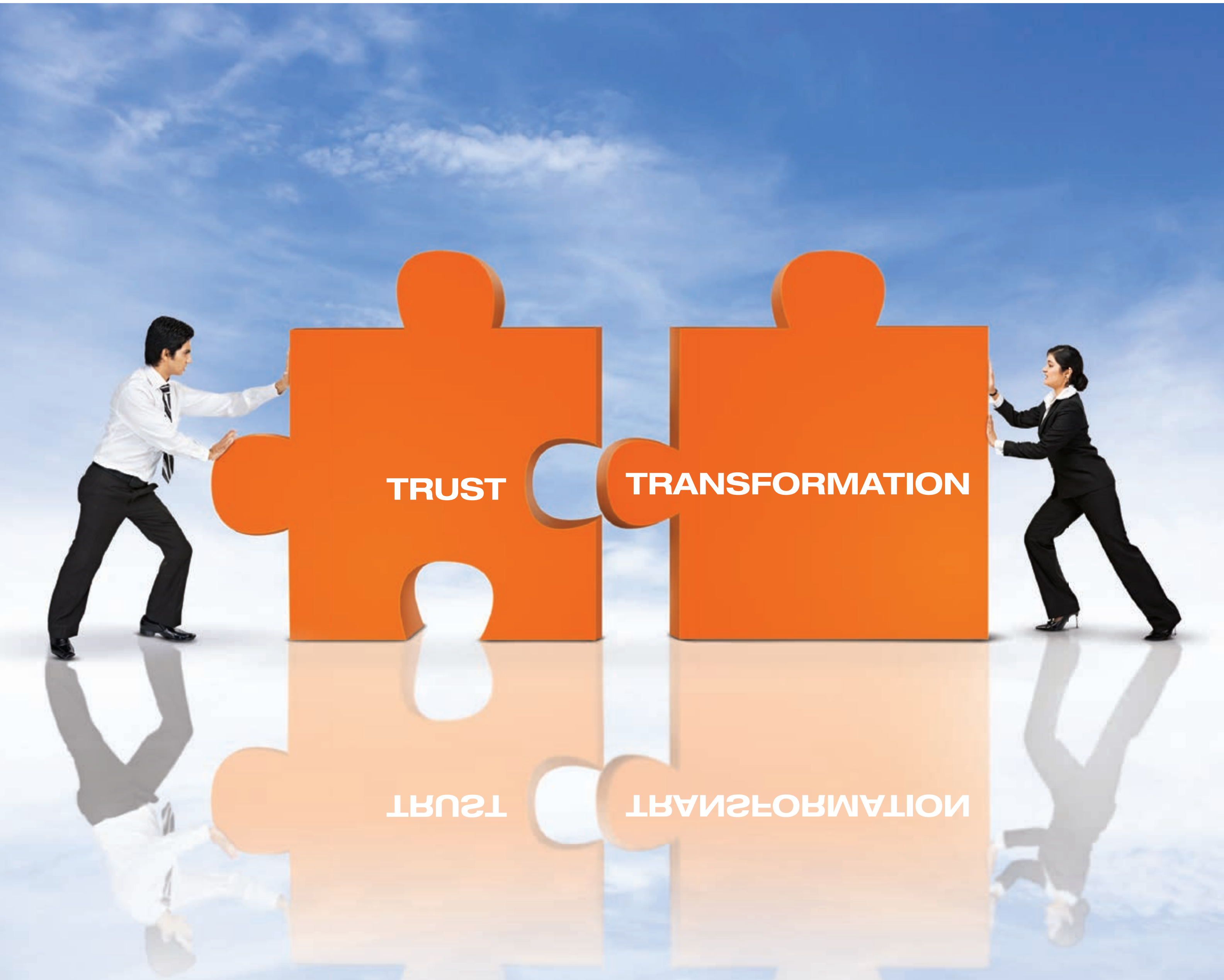

समृद्धि की राह...

The Path to Prosperity...

Call toll free no. | 1800 22 33 44
6 am - 10 pm | 1800 102 44 55
Web Chat-24X7
www.bankofbaroda.co.in
Follow us on

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank

बैंक रहित क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा

बैंक ऑफ़ बड़ौदा बैंक रहित क्षेत्र के नागरिकों को औपचारिक बैंकिंग के दायरे में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है. बैंक ने वित्तीय समावेशन संबंधी विविध पहलें की हैं जो बैंकिंग को आसान बनाएगी.

किसान सशक्तिकरण

बैंक कृषि क्षेत्र को ऋण देने में सदैव अग्रणी रहा है. यह अपनी 1,964 ग्रामीण और 1,425 अर्द्ध शहरी शाखाओं के विशाल नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण बाजार की संभावनाओं का सदुपयोग कर रहा है.

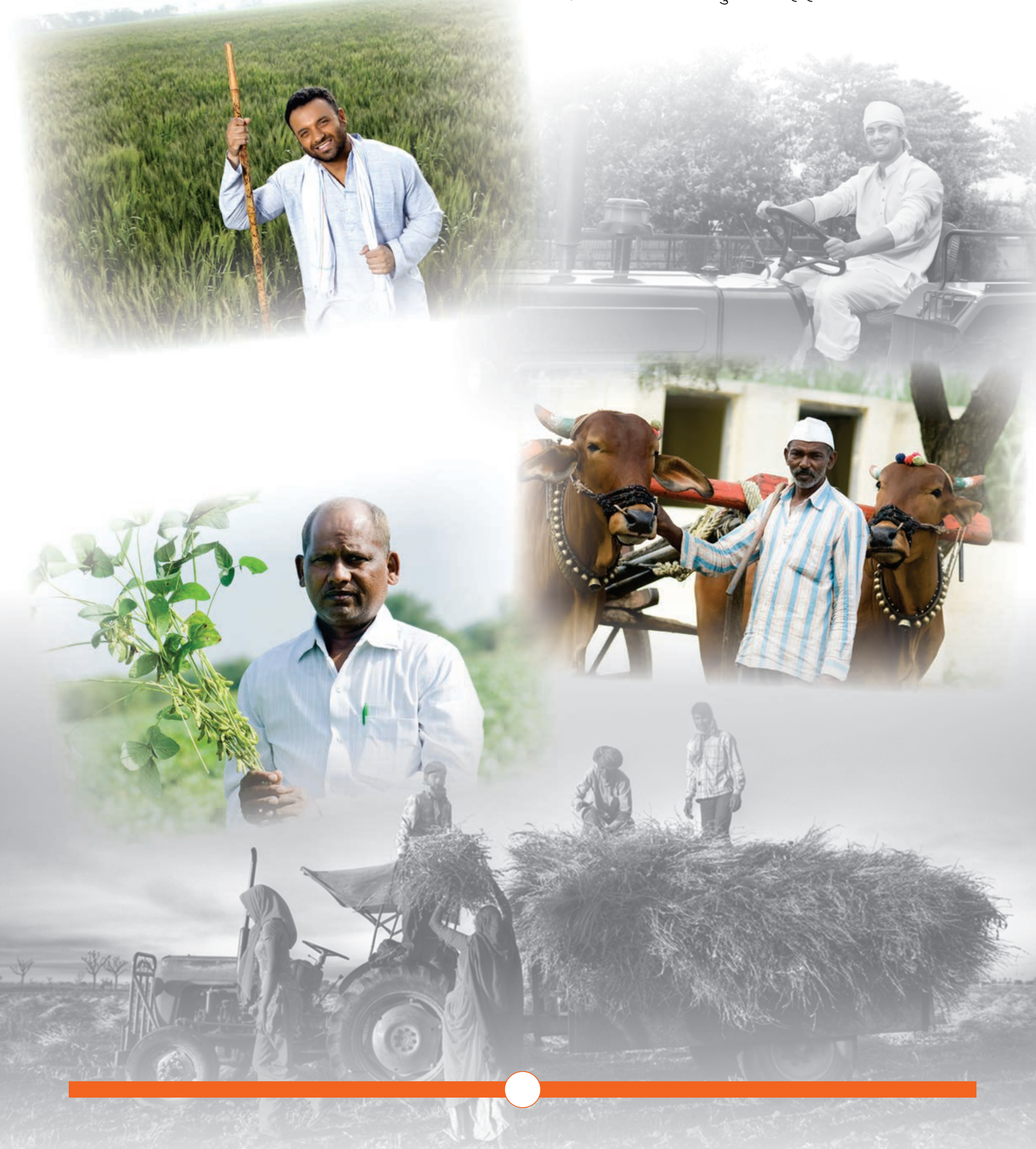

The New Engagement Platform

In order to reinforce the brand, the Bank moved to a higher ladder of social interaction by launching its presence on Social Media Platforms like Facebook, Twitter and YouTube. The digital access to customers has increased through the expansion in touch points like 24 x 7 Non-Stop Lobbies.

Trust of Customers
spread across
various categories

Since inception, Bank of Baroda, has been a precursor of new experiments in the banking landscape. Whether it was the Bank's foray in foreign exchange, as early as 1920, or providing banking solution to the Indian diaspora, the Bank has always looked forward to discovering different avenues of banking. Driven by a strong vision and passion, the Bank has won the trust of more than 60 million customers in India and abroad.

निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS

श्री रवि वेंकटेसन
अध्यक्ष
Shri Ravi Venkatesan
Chairman

श्री पी. एस. जयकुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Shri P. S. Jayakumar
Managing Director & CEO

श्री भुवनचन्द्र बी. जोशी
कार्यपालक निदेशक
Shri Bhuwanchandra B. Joshi
Executive Director

श्री मयंक के. मेहता
कार्यपालक निदेशक
Shri Mayank K. Mehta
Executive Director

श्री मोहम्मद मुस्तफा
निदेशक
Shri Mohammad Mustafa
Director

सुश्री सुरेखा मरांडी
निदेशक
Ms. Surekha Marandi
Director

श्री प्रेम कुमार मक्कड़
निदेशक
Shri Prem Kumar Makkar
Director

प्रो. बिजू वक्की
निदेशक
Prof. Biju Varkkey
Director

डॉ. आर. नारायणस्वामी
निदेशक
Dr. R. Narayanaswamy
Director

श्री भरतकुमार डी. डांगर
निदेशक
Shri Bharatkumar D. Dangar
Director

सुश्री उषा ए. नारायणन
निदेशक
Ms. Usha A. Narayanan
Director

मुख्य महाप्रबंधक	Chief General Manger
मानवी के. एन	MANVI K N
महाप्रबंधक	**General Managers**
अस्थाना ललित मोहन	ASTHANA LALIT MOHAN
सिंघवी उत्तमचंद	SINGHVI UTTAMCHAND
त्रिवेदी धिमंत प्रद्युम्न	TRIVEDI DHIMANT PRADUYMNA
अरोरा रवि कुमार	ARORA RAVI KUMAR
घाग सुरेश शंकर	GHAG SURESH SHANKAR
सुश्री रमेश विंध्या विठ्ठल	Ms. RAMESH VINDHYA VITTAL
अशोक कुमार गर्ग	ASHOK KUMAR GARG
अग्रवाल प्रभात	AGARWAL PRABHAT
महाजन विपन	MAHAJAN VIPAN
अग्रवाल संजय	AGARWAL SANJAYA
एस ज्ञानवेल	S GNANAVEL
देशपांडे मल्लारी विरुपेक्स	DESHPANDE MALLARI VIRUPAX
नारंग विद्यासागर	NARANG VIDYASAGAR
गुत्तीकर राजेंद्र लक्ष्मण	GUTTIKAR RAJENDRA LAXMAN
कक्केरा वेंकटेश्वरलू	KAKKERA VENKATESWARLU
गुप्ता राम कुमार	GUPTA RAM KUMAR
दामोदरन नीलम	DAMODARAN NEELAM
श्रीवास्तव नागेश कुमार	SRIVASTAVA NAGESH KUMAR
शर्मा मुरारी लाल	SHARMA MURARI LAL
भुयां गगन बिहारी	BHUYAN GAGAN BIHARI
सोनी राधा किशन	SONI RADHA KISHAN
उपरेती नवीन चंद्र	UPRETI NAVIN CHANDRA
अरोरा सतीश कुमार	ARORA SATISH KUMAR
टक्कर एरिक फ्रांसिस	TUCKER ERIC FRANCIS
सिंग्ला आदेश कुमार	SINGLA ADESH KUMAR
गुप्ता सुरेश कुमार	GUPTA SURESH KUMAR
माथुर राधाकांत	MATHUR RADHAKANT
अनेजा अशोक	ANEJA ASHOK
झुरमरवाला दिपेश नरेंद्रकुमार	JHURMARVALA DIPESH NARENDRAKUMAR
परांजपे सुहास भार्गव	PARANJAPE SUHAS BHARGAV
शर्मा राम निवास	SHARMA RAM NIWAS
पोतलापल्ली नरसिम्हा राव	POTALAPALLY NARSIMHA RAO
पटेल महेश सोमाभाई	PATEL MAHESH SOMABHAI
रविंद्र कुमार	RAVINDRA KUMAR
गुप्ता कुल भुषण	GUPTA KUL BHUSHAN
कुमार बिरेंद्र	KUMAR BIRENDRA
सामंत सदानंद राजाराम	SAMANT SADANAND RAJARAM
नरिंद्र कुमार पवार	NARINDER KUMAR PAWAR
कौल कृष्ण ओपिंदर	KAUL KRISHEN OPINDER
पांडा गोलक बिहारी	PANDA GOLAK BIHARI
कुमार राजेंद्र	KUMAR RAJENDRA
डुडेजा विनीत कुमार	DUDEJA VINEET KUMAR
राजू गुप्ता - मुख्य सतर्कता अधिकारी	RAJU GUPTA - CHIEF VIGILANCE OFFICER

लेखा परीक्षक / Auditors

कृते खंडेलवाल जैन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

For Khandelwal Jain & Co
Chartered Accountants

कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार

For Wahi & Gupta
Chartered Accountants

कृते एस आर गोयल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

For S R Goyal & Co.
Chartered Accountants

कृते रोडी दाबीर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

For Rodi Dabir & Co.
Chartered Accountant

प्रधान कार्यालय

बड़ौदा हाऊस, माण्डवी, वड़ोदरा 390 006.

बड़ौदा कार्पोरेट सेन्टर

सी-26, जी-ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स, बान्द्रा (पू.),
मुंबई 400 051.

निवेशक सेवाएं विभाग

तृतीय तल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26, जी-ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई 400 051.

रजिस्ट्रार एवं अन्तरण एजेंट

मै. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लि.
यूनिट - बैंक ऑफ़ बड़ौदा
कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लाट क्र. 31 व 32,
गोचीबॉवली, फाइनांसियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रामगुडा,
सैरीलिंगम्पल्ली मंडल, हैदराबाद - 500 032.

हमारे बैंक के डिबेंचर न्यासी

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि.
एशियन बिल्डिंग, भू-तल,
17, आर कमानी मार्ग, बेलार्ड एस्टेट
मुंबई - 400 001

Head Office

Baroda House, Mandvi, Vadodara 390 006.

Baroda Corporate Centre

C-26, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai 400 051.

Investor Services Department

3rd Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051.

Registrars & Transfer Agent

M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd.
Unit - Bank of Baroda
Karvy Selenium Tower B, Plot No.-31&32,
Gochibowli, Financial District, Nanakramguda,
Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500 032

Debenture Trustees of our Bank

IDBI Trusteeship Services Ltd.
Asian Building, Ground Floor,
17,R Kamani Marg, Ballard Estate
Mumbai - 400 001

विषय सूची / Contents

	पृष्ठ		Page
अध्यक्ष का संदेश	04	Chairman's Statement	05
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश	06	MD & CEO's Statement	09
निदेशकों की रिपोर्ट	13	Directors' Report	41
कार्पोरेट गवर्नेन्स पर लेखा परिक्षकों का प्रमाण-पत्र	68	Auditor's Certificate on Corporate Governance	68
कार्पोरेट गवर्नेन्स रिपोर्ट	69	Corporate Governance Report	69
सीईओ द्वारा घोषणा	112	Declaration by MD & CEO	112
महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक	113	Key Financial Indicators	113
तुलन पत्र	116	Balance Sheet	116
लाभ व हानि खाता	117	Profit & Loss Account	117
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	129	Significant Accounting Policies	129
नकदी-प्रवाह विवरणी	173	Cash Flow Statement	173
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	175	Auditors' Report	175
बासेल III पिलर III प्रकटीकरण	179	Basel III Pillar III Disclosures	179
समेकित वित्तीय विवरणियां	182	Consolidated Financial Statements	182
सी ई ओ / सी एफ ओ प्रमाणीकरण	222	CEO / CFO Certification	223
नोटीस	224	Notice	224
हरित पहल -शेयर धारकों से अपील	231	Green Initiative-Appeal to Shareholders	231
प्रॉक्सी फॉर्म / उपस्थिति पर्ची / इलेक्ट्रॉनिक मैन्डेट फॉर्म		Proxy Form / Attendance Slip / Electronic Mandate Form	

नोट:

शेयरधारक "व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट" तथा "बासेल-III प्रकटीकरण" को बैंक की वेबसाईट www.bankofbaroda.co.in पर देख सकते हैं / डाउनलोड कर सकते हैं.

Note:

The Shareholders can view/download "Business Responsibility Report" and "Basel-III Disclosures" from Bank's Website www.bankofbaroda.co.in

अध्यक्ष का संदेश

प्रिय हितधारक,

भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पूर्णतया संकटों के बीच घिरे हुए हैं और वह भी एक नहीं बल्कि तीन-तीन संकटों के बीच. पहला संकट है अशोध्य ऋणों और दबावग्रस्त आस्तियों का. इसके प्रभाव ने अधिकांश बैंकों के प्रबंधन का ध्यान पूर्णतया अपनी ओर आकर्षित कर रखा है. दूसरी चुनौती है निजी क्षेत्र के प्रतियोगी बैंकों के सापेक्ष इन बैंकों की क्षयग्रस्त प्रतियोगात्मक क्षमता. भारत के निजी क्षेत्र के बैंकों के पास ऋणों का लगभग 25% हिस्सा है, परंतु समग्र लाभ का 50% से अधिक हिस्सा और तुलना में अशोध्य ऋणों एवं धोखाधड़ियों का बिलकुल कम प्रतिशत उनके पास है. हाल ही के महीनों में निजी क्षेत्र की उधारियां अस्थायी रूप से बढ़ कर लगभग आधे हिस्से तक पहुँच गई. इसका यही अर्थ है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक व्यवस्थित रूप से अपना हिस्सा खोते जा रहे हैं और वह भी अधिक लाभप्रद और कम जोखिम वाले ग्राहकों के रूप में. बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त कई नए प्लेयर्स के आगमन के साथ प्रतियोगात्मक चुनौतियों में प्रभावी रूप से वृद्धि हुई है. अंतिम चुनौती है प्रौद्योगिकी संबंधी. वैश्विक रूप से उद्यम-पूंजी समर्थित स्टार्टअप, वे सेवाएँ प्रदान करने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं, जिन्हें पूर्व में बैंकों ने छोड़ रखा है और प्रायः वे ये सेवाएँ पुराने बड़े बैंकों से बेहतर ढंग से, शीघ्रता से एवं किफ़ायती मूल्य पर उपलब्ध करा रहे हैं. भुगतान, खुदरा ऋण, परामर्श सेवाएँ सभी 'फिन-टेक' द्वारा छिन्नभिन्न हो रहे हैं और यदि बैंक अपनी गति नहीं बढ़ाएँगे तो उनके सामने जोखिम यह है कि वे अपने उत्तम ग्राहकों एवं अधिक लाभप्रद व्यवसाय को खो देंगे एवं उनके पास बच जाएंगे, शाखाओं एवं एटीएम नेटवर्क जैसे उच्च लागत वाले आधारभूत संसाधन एवं नगण्य लाभदायक ग्राहक.

बैंक ऑफ बड़ौदा में, हम इन संकटों से प्रतिरक्षा की स्थिति में नहीं हैं, तथापि इन चुनौतियों से बचाव के संदर्भ में हम अन्य कई बैंकों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं. प्रबंधन ने दबावग्रस्त और अनर्जक आस्तियों के निर्धारण हेतु निर्णायक कदम उठाए हैं और उनके संबंध में आक्रामक कार्रवाई की है. इसके पीछे मुख्य प्रेरणा थी इन संकटों को पीछे छोड़ कर आगे बढ़ना, जिससे कि हम मजबूत स्थिति में ऊपर उठ सकें एवं अतीत के बजाय भविष्य पर ध्यान केन्द्रित कर सकें. यह नितांत महत्वपूर्ण है, जिससे कि प्रबंधन चुनौतियों का सामना कर सके और आगे उपलब्ध कई अवसरों का लाभ उठा सके. मुझे एवं निदेशक मण्डल को विश्वास है कि जो संकट थे वे पीछे छूट गए हैं.

बैंक ने व्यवसाय के सभी हिस्सों की व्यापक समीक्षा की है और भविष्य के लिए बैंक को आधारभूत रूप से पुनःप्रतिष्ठित करने की कई योजनाएँ तैयार की हैं. इन योजनाओं का उद्देश्य बेहतर नियंत्रण एवं अनुपालनायुक्त एक कुशल और सक्षम संगठन के निर्माण का है. पूंजी बढ़ाने के लिए गैर-प्रमुख आस्तियों की क्रमशः बिक्री की जाएगी. प्रबंधन ने हमारे व्यवसाय पोर्टफोलियो की गहन समीक्षा की है और गैर-लाभदायक व्यवसायों और क्षेत्रों से उत्तरोत्तर निकल जाने का विचार किया है, जिससे मार्जिन और फ्री-अप पूंजी में वृद्धि होगी जिन्हें ऐसे बेहतर गुणवत्ता वाले ग्राहकों और कई अच्छे अवसरों को प्राप्त करने के लिए नियोजित किया जा सकता है, जो चले गए हैं. हम अपेक्षा कर सकते हैं कि बैंक शीघ्र ही लाभप्रदता के ऐतिहासिक स्तर पर पुनः वापसी करेगा.

प्रौद्योगिकी हमारे बैंक के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. सूचना किसी भी बैंक के लिए जीवन प्रवाह है और बैंक निरन्तर परिष्कृत सूचना प्रक्रिया इकाइयों की ओर बढ़ रहा है. हमारे बैंक के पास अच्छे आधारभूत संसाधनों, कोर बैंकिंग प्रणाली एवं सम्प्रेषण और सहयोग हेतु अच्छे सॉफ्टवेयर सहित मजबूत प्रौद्योगिकी की बुनियाद है. उल्लेखनीय है कि बैंक ने साइबर सुरक्षा एवं गोपनीयता सुनिश्चित करने हेतु दृढ़तापूर्वक ध्यान दिया है. अगली कुछ तिमाहियों में चार क्षेत्रों में क्षमताओं का उल्लेखनीय उन्नयन होगा. प्रथम है, गति, दक्षता एवं नियंत्रण हेतु कोर व्यवसाय प्रक्रियाओं की रिइंजीनियरिंग एवं ऑटोमेशन, दूसरा, इन्टरनेट एवं मोबाइल बैंकिंग के अंतर को कम करना, तीसरा, सूचना एवं विश्लेषण के महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमारी क्षमताओं को बढ़ाना और अंत में, एक अधिक डिजिटल सेवी बैंक में रूपान्तरण करना जहां हम विचार करने के बाद डिजिटल न बनें बल्कि स्वतः (बाय डिफोल्ट) डिजिटल होते चलें.

रवि वेंकटेसन
अध्यक्ष

निर्विवाद रूप से, हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूपान्तरण है, हमारे लोगों एवं संगठनात्मक क्षमताओं का रूपान्तरण. यह अन्य सभी सफलताओं का केंद्र बिन्दु है. इस वर्ष हमने पहली बार कर्मचारियों की सहबद्धता का सर्वेक्षण आयोजित किया. इसका प्रतिभाव उत्साहवर्धक रहा और कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार रेखांकित किए गए. आगामी तीन वर्ष कर्मचारियों की शिक्षा, भविष्य के नेतृत्व की पहचान और उनके निर्माण तथा प्रमुख क्षेत्रों में संगठनात्मक क्षमता के निर्माण के साक्षी बनेंगे.

अंततः इस वर्ष हमने अपने निदेशक मण्डल एवं निदेशक मण्डल के गवर्नेंस को सुव्यवस्थित रूप से मजबूत बनाने की प्रक्रिया शुरू की है. हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास कई नए निदेशक हैं, जो मानव संसाधन, लेखा परीक्षा एवं अनुपालन जैसे क्षेत्रों में आवश्यक दक्षता लाएँगे. हम मानव संसाधन, आईटी, जोखिम प्रबंधन एवं वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों में निदेशक मण्डल के परामर्शदाता के रूप में वैश्विक रूप से प्रतिष्ठाप्राप्त विशेषज्ञों की सहायता ले रहे हैं. हमने अपना ध्यान संव्यवहारगत मामलों से कार्यनीति, जोखिम एवं नीतिगत मामलों पर अंतरित किया है. मुझे आशा है कि ये परिवर्तन बैंक के कार्यनिष्पादन में क्रमशः सुधार लायेंगे.

गत वर्ष हमारे बैंक के लिए नाटकीय परिवर्तनों का वर्ष रहा. इस वर्ष निजी क्षेत्र के कार्यपालकों का बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में प्रवेश हुआ. हमारे हितधारक केवल परिणामों में सुधार की अपेक्षा नहीं करते बल्कि इस 108 वर्ष पुरानी गौरवपूर्ण संस्था को ऐसे समसामयिक बैंक में रूपांतरित देखना चाहते हैं जिसमें विशिष्ट रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों वाले भरोसे के साथ-साथ निजी क्षेत्र के बैंकों की नवोन्मेषिता और कार्यनीति दोनों का सम्मिश्रण हो. यही हमारा मिशन है जिसे हमने प्रारम्भ किया है और जिस पर हम ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं.

रवि वेंकटेसन

CHAIRMAN'S STATEMENT

Ravi Venkatesan
Chairman

Dear Stakeholder,

India's public sector banks are in the midst of a perfect storm- at the center of not one but three storm fronts. The first one is the legacy of bad loans and stressed assets. The magnitude of this has completely consumed the attention of the management of most banks. The second challenge is the eroding competitiveness of our public sector banks relative to private sector competitors. India's private sector banks account for about 25% of lending but over 50% of all profits and a disproportionately smaller percentage of bad loans and frauds. In recent months, the share of private sector lending has temporarily risen to nearly half. What this means is that public sector banks are systematically losing share and that too of our most profitable and least risky customers. With the entry of many new players who have gained banking licenses, the competitive challenge is set to increase dramatically. The final challenge is that of technology. Globally, venture capital backed startups are using technology to provide the services that were historically the remit of banks and are often providing these services better, faster and cheaper than large legacy banks. Payments, retail lending, advisory services, are all being disrupted by "fin tech". The risk for banks is that unless they move quickly, their best customers and most profitable businesses will be skimmed off leaving them stranded with high cost infrastructure like branches and ATM networks and the least profitable customers.

At the Bank of Baroda, we are not immune to these storms but we are better positioned to weather these challenges than many other banks. Management has taken decisive steps to recognize stressed and non-performing assets and aggressively deal with these. The main motivation is to put this crisis behind us so that we can emerge stronger and be able to focus on future rather than past. This is absolutely critical so that management can deal with the challenges and the many opportunities that lie ahead. The Board and I are confident that the worst is behind us.

The Bank has also undertaken a comprehensive review of all parts of the business and has evolved a detailed set of plans to fundamentally reposition the Bank for the future. These plans are intended to create a more agile and capable organization with better controls and compliance. Non-core assets will gradually be sold to raise capital. Management has conducted a detailed review of our business portfolio and intends to gradually exit unprofitable businesses and segments; this will improve margins and free up capital that can be deployed in pursuit of better quality customers and many good business opportunities that exist. We can expect to see the Bank rapidly return to historical levels of profitability.

Technology will play a critical role in revitalizing our Bank. Information is the lifeblood of a bank and banks are increasingly very sophisticated information processing units. Our Bank has a solid technology foundation with good infrastructure, core banking system and good software for communication and collaboration. Importantly, the Bank has also devoted significant attention to ensuring cybersecurity and privacy. Over the next few quarters, there will be a significant upgradation of capabilities in four areas. First, in reengineering and automating core business processes to enable speed, efficiency and control. Second, in closing the gap in internet and mobile banking. Third, in improving our capability in the vital area of big data and analytics. And finally, in transforming into a more digitally savvy Bank where increasingly we are digital by default rather than digital by after-thought.

Unquestionably, the most important transformation that we will need to make is the transformation of our people and organizational capability. This is central to the success of everything else. This year, the Bank undertook an employee engagement survey for the first time. The response has been overwhelming and highlighted a number of critical areas for improvement. The next three years will see a massive investment in employee learning, in identifying and accelerating the development of future leaders and in building organizational capability in key areas.

Finally, this year we began the process of systematically strengthening our Board and board governance. We are fortunate to have a number of new Directors who bring much needed skills in areas such as HR, IT, audit and compliance. We are also augmenting expertise through the appointment of globally respected experts as advisors to the Board in areas such as IT, HR, Risk, and financial inclusion. We have radically shifted our focus from transactional matters towards strategy, risk and policy issues. I am optimistic that these changes will gradually bring about a sustainable improvement in the performance of the Bank.

The past year has been a year of dramatic change at our Bank. It is a year which has witnessed the induction of private sector executives into the roles of MD and Chairman. Our stakeholders expect not just an improvement in results but a metamorphosis of this proud 108 year old institution into a contemporary Bank that uniquely combines the trust of public sector banks with the innovation and performance of the leading private sector banks. This is the mission that we have undertaken and are focused on.

Ravi Venkatesan

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश

पी.एस. जयकुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रिय शेयरधारक,

मैं प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में बैंक ऑफ़ बड़ौदा को नेतृत्व प्रदान करने का अवसर प्राप्त करके गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में मुझे इस प्रतिष्ठित बैंक का नेतृत्व सौंपने के लिए भारत सरकार के प्रति आभार प्रकट करता हूं. मैं इस -108- वर्ष की संस्था को आगे बढ़ाने एवं नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने तथा बैंक को अपने सभी हितधारकों के लिए मूल्यवर्धन के प्रति समर्पित एक आधुनिक एवं समसामयिक बैंक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं.

मेरे लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा की 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट एवं वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना हर्ष का विषय है.

आर्थिक विहंगावलोकन

वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़े परिवर्तन हुए जिनका विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्था के विकास की संभावनाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ा. बेहतर विकास संकेतकों के कारण अमरीकी फेडरल ने अपनी बेंचमार्क पॉलिसी दर में बढ़ोत्तरी की. अन्य विकसित देशों जैसे जापान एवं यूरोपीय संघ ने विकास की दुर्बल संभावनाओं के कारण समायोजन की स्थिति को बनाए रखा है. यूआन के अवमूल्यन के कारण चीन में मंदी और आर्थिक गतिविधियों के पुनर्सन्तुलन का वैश्विक व्यापार, वित्तीय बाज़ार तथा मुद्रा संचलन पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा. इन सब के बीच, पण्य बाजार विशेषतया तेल की कीमतें पूरे वर्ष के दौरान नियंत्रित रहीं. समग्रतः वैश्विक विकास परिदृश्य बढ़े हुए नकारात्मक जोखिम की ओर अग्रसर है.

इस पृष्ठभूमि में, अपनी अन्तर्निहित शक्तियों, जैसे मजबूत घरेलू खपत, मजबूत व्यष्टिगत आर्थिक सिद्धांतों तथा सुधारोन्मुख सरकार के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में सबसे तेज आगे बढ़ी है. महत्वपूर्ण मानदण्डों, जैसे चालू खाता घाटा, राजकोषीय घाटा, मुद्रास्फीति स्तर, विदेशी मुद्रा भंडार तथा मजबूत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सुधार हुआ है.

तथापि, औद्योगिक, व्यापार और कृषि क्षेत्र पर दबाव के कारण घरेलू परिचालनगत परिवेश चिन्ता का कारण बना रहा. कुछ क्षेत्रों में, विशेष कर इंफ्रा, ऊर्जा एवं इस्पात में कार्पोरेट जगत के तुलन पत्र का अत्यधिक विस्तार हुआ एवं उपभोग क्षमता मंद रही, जिसने उनके अर्जन और लाभप्रदता को कमजोर कर दिया. निजी निवेश के माहौल में मंदी जारी रही क्योंकि काफी कम संख्या में नई परियोजनाएं आरंभ हो रही हैं तथा बाधित परियोजनाओं को पूरा करने की गति काफी धीमी रही है.

चुनौतीपूर्ण परिचालनगत माहौल के कारण, भारतीय बैंकिंग उद्योग ने जमा तथा उधार में अपेक्षाकृत मंद वृद्धि, दबावग्रस्त आस्ति गुणवत्ता, घटती लाभप्रदता, खराब पूंजीगत स्थिति का सामना किया. बैंकों की सकल गैर निष्पादक आस्तियों (जीएनपीए) में पिछले कुछ वर्षों के दौरान काफी वृद्धि हुई है जो उद्योग के सामने आई चुनौतियों में प्रतिबिम्बित हो रही है. यद्यपि यह दबाव विभिन्न क्षेत्रों पर विस्तारित है किन्तु प्रमुख रूप से लौह एवं इस्पात, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, खनन एवं कपड़ा क्षेत्र में देखा जा सकता है.

सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक दोनों बैंकिंग क्षेत्र की परेशानियों के कारणों को दूर करने हेतु सकारात्मक कदम उठा रहे हैं. सरकार द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख कदमों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वर्ष 2015 से 19 की 4 वर्षों की अवधि के दौरान ₹ 70,000 करोड़ का पूंजी आबंटन, अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पदों का विभाजन, बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना, अशोध्य ऋणों की समस्या का समाधान एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंधन को सशक्त बनाना आदि शामिल हैं. साथ ही, सरकार ने दिवालियापन कानून पारित किया है, जो मेरी राय में दीर्घकालीन दृष्टि से एक महत्वपूर्ण निर्णय सिद्ध होगा.

उसी प्रकार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समस्याओं से निपटने के लिए प्रणाली की क्षमता को बेहतर बनाने के कई उपाय किए. इनमें संयुक्त ऋणदाता मंच (जेएलएफ) द्वारा दबावग्रस्त आस्तियों हेतु आवधिक पुनर्वित्त तथा लचीली संरचना के एक भाग के रूप में दीर्घावधि परियोजनाओं के लिए एक दीर्घकालीन चुकौती तालिका का निर्धारण, ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित करने के लिए प्रावधानयुक्त पुनर्गठन, इरादतन चूककर्ता एवं असहयोगी ऋणकर्ताओं के वर्गीकरण के विषय में दिशानिर्देश जारी करना आदि शामिल हैं. इसके अतिरिक्त भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग उद्योग की विशेष आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) की. परिणामस्वरूप बैंकों के सकल एनपीए एवं प्रावधान संबंधी आवश्यकताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जिसने उनकी लाभप्रदता को प्रभावित किया. भारतीय रिज़र्व बैंक ने अचल आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि, विदेशी मुद्रा रुपांतरण प्रारक्षित निधियों में शेष राशि तथा सीईटी-1 के भाग के रूप में समय के अंतरों से उत्पन्न अस्थगित कर आस्तियां आदि रूप में नियामक पूंजी पर्याप्तता प्रदान की जिसने बैंकों की पूंजीगत स्थिति को समर्थन दिया.

वित्तीय कार्यनिष्पादन

मैं वर्ष के कार्यनिष्पादन संबंधी कुछ प्रमुख मुद्दों के बारे में बताना चाहूंगा. जहां तुलन पत्र के अंतिम आंकड़े तिमाही/वर्ष की अंतिम तारीख की स्थिति प्रस्तुत करते हैं, वहीं किसी बैंक के औसत व्यावसायिक आंकड़े उसके वास्तविक कार्यनिष्पादन को दर्शाते हैं. वर्ष 2015-16 से आपके बैंक ने अपने व्यवसाय लक्ष्यों के आबंटन एवं सभी परिचालनगत इकाइयों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा औसत व्यवसाय आंकड़ों (दैनिक औसतों पर आधारित) के आधार पर क़रने संबंधी दृष्टिकोण अपनाने का नीतिगत परिवर्तन किया.

जमाराशियां

वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान, आपके बैंक ने अपने परिचालनों को समेकित किया और अपने पोर्टफोलियो को पुनः संतुलित करते हुए अपनी देयताओं की लागत को घटाने एवं आस्तियों में अर्जन को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाते हुए निरंतर कार्यनिष्पादन पर ध्यान केन्द्रित किया. इस प्रकार बैंक की कुल जमाराशियां गत वर्ष के ₹ 6,17,560 करोड़ की तुलना में दिनांक 31.03.2016 को ₹ 5,74,038 करोड़ रहीं. आपके बैंक ने अधिमानित दर की मीयादी बल्क जमाओं की अपेक्षा खुदरा मीयादी जमाओं के पक्ष में अपना रुख जारी रखा. कुल खुदरा जमाओं से खुदरा मीयादी जमा (घरेलू) अनुपात गत वर्ष के 62.79% से बढ़कर 31.03.2016 को 73.96% रहा. घरेलू कासा अनुपात गत वर्ष के 33.01% की तुलना में 33.48% पर स्थिर रहा. घरेलू बचत जमाओं में 6.11% की वृद्धि के साथ यह ₹ 1,13,253 करोड़ रही. बैंक की औसत जमाराशियां दैनिक औसत आधार पर 8.20% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2015 के ₹ 5,34,470 करोड़ से बढ़कर 31.03.2016 को ₹ 5,78,317 करोड़ हो गई. बचत जमाराशियां औसत आधार पर 12.71% की वृद्धि दर्शाते हुए गत वर्ष के ₹ 94,705 करोड़ के स्तर से ₹ 1,06,739 करोड़ हो गई.

अग्रिम

आपके बैंक के अग्रिम गत वर्ष के ₹ 4,28,065 करोड़ की तुलना में 31.03.2016 को ₹ 3,83,770 करोड़ रहे. पोर्टफोलियो के समेकन एवं पुन:संतुलन के दृष्टिकोण से आपका बैंक बड़े कार्पोरेट एवं एसएमई क्षेत्र को ऋण देने में सर्तक रहा. औसत आधार पर (दैनिक औसतों पर) बैंक के कुल अग्रिम दिनांक 31.03.2015 के ₹ 3,83,313 करोड़ की तुलना में 5.69% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2016 को ₹ 4,05,126 करोड़ रहे. आपके बैंक का खुदरा ऋण पोर्टफोलियो वर्ष 2015-16 में ₹ 50,868 करोड़ रहा.

अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय

आपके बैंक के अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय ने कुल व्यवसाय को महत्वपूर्ण समर्थन देना जारी रखा. 31.03.2016 को इसने वैश्विक व्यवसाय में 31.3% का योगदान किया. कुल अंतर्राष्ट्रीय ऋण-बही में 47.92% हिस्सा क्रेता-क्रेडिट/बीपी बीडी पोर्टफोलियो का रहा, जहाँ एक्सपोजर बैंक पर है. भारत संबंधित कार्पोरेट एवं गैर-भारतीय इकाइयों को संघीय ऋणों/ईएसबी के रुप में एक्सपोजर क्रमशः 22.03% तथा 4.03% रहा. शेष 25.75% एक्सपोजर स्थानीय ऋणों के रुप में था.

दबावग्रस्त आस्तियां

विगत कुछ वर्षों में बैंकों, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में दबावग्रस्त आस्तियों की समस्याओं में विभिन्न कारणों, जैसे कि खराब व्यष्टिगत आर्थिक स्थिति, बाधित परियोजनाएं, कार्पोरेट कंपनियों के तुलन-पत्र में अत्यधिक विस्तार होना, क्षमता का उचित उपयोग न होना तथा दबावग्रस्त नकदी प्रवाह आदि के परिणामस्वरूप उललेखनीय वृद्धि हुई है. इसके कारण बैंक की सकल गैर निष्पादित आस्तियां (जीएनपीए) 31.03.2015 के ₹ 16,261 करोड़ की तुलना में 31.03.2016 को ₹ 40,521 करोड़ हो गयी. वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा की गई ऋण बहियों की गहन समीक्षा के अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आस्ति गुणवत्ता की समीक्षा के दौरान कुछ आस्तियों को एनपीए के रूप में चिह्नित किया. पूरे वर्ष के लिए, वित्तीय वर्ष 2016 में सकल एनपीए तथा शुद्ध एनपीए क्रमशः 9.99 % तथा 5.06% रहे. बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) वित्तीय वर्ष 16 की तीसरी तिमाही के 52.70% की तुलना में वित्तीय वर्ष 16 में 60.09% रहा. बैंक ने प्रावधान कवरेज अनुपात को इस स्तर तक मजबूत बनाने हेतु नियामक आवश्यकताओं से अधिक ₹ 2,954 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया.

बैंक के मानक पुनर्संरचित अग्रिम मार्च 2015 के ₹ 25,905 करोड़ से घटकर मार्च 2016 में ₹ 13,735 करोड़ रहे.

लाभ

आपके बैंक ने बढ़ते एनपीए तथा उसके कारण ₹ 12,740 करोड़ (गत वर्ष ₹ 13,127 करोड़) की कम निवल ब्याज आय के फलस्वरूप ₹ 8,816 करोड़ (गत वर्ष ₹ 9,915 करोड़) का कम परिचालनगत लाभ अर्जित किया, तथापि कुल राजस्व, अन्य आय में 13.56% की वृद्धि सहित बढ़कर ₹ 17,739 करोड़ हुआ (गत वर्ष ₹ 17,589 करोड़). वर्ष के दौरान, बैंक ने एनपीए के लिए ₹ 13,766 करोड़ का प्रावधान किया है (गत वर्ष ₹ 3,998 करोड़). जैसा कि ऊपर बताया गया है, ये प्रावधान विनियामक आवश्यकता से ₹ 2,954 करोड़ अधिक रहे, ताकि दबावग्रस्त आस्तियों के प्रावधान कवरेज में सुधार लाया जा सके और साथ ही साथ तुलन पत्र को मजबूती प्रदान की जा सके. इसके अलावा, वर्ष के दौरान आपके बैंक ने एलआईसीआई 1994-96 की पुरानी मृत्युदर गणना चार्ट की जगह आईएएलएम 2006-08 की गणना के अनुसार पेंशन देयता के लिए ₹ 1,564 करोड़ का प्रावधान किया. आपके बैंक ने आज तक की सभी ज्ञात देयताओं के लिए प्रावधान कर दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अब से सारा ध्यान अर्जन बढ़ाने एवं हितधारकों को बेहतर प्रतिफल उपलब्ध करवाने पर केन्द्रित किया जा रहा है. इन सभी कारकों के कारण, बैंक ने ₹ 5396 करोड़ की हानि दर्ज की (पिछले वर्ष के शुद्ध लाभ ₹ 3398 करोड़).

पूंजी

एक मजबूत फ्रेंचाइज के आधार पर आपके बैंक की अर्जन शक्तियां निरंतर सुदृढ रही हैं, जिसका लाभ बैंक को एवं उसके ग्राहकों और हितधारकों को मिलता रहा है. इस वर्ष वित्तीय स्थिति कमजोर होने के बावजूद भी, मार्च 2016 की समाप्ति पर बेसल III के अनुरूप 10.79% के टियर 1 पूंजी अनुपात के साथ आपके बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 13.17% पर स्वस्थ बना रहा है. बेसल III मानदंडों के अनुरूप सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी-1), 10.29% रहा. मार्च 2016 के अंत में समेकित ग्रुप पूंजी पर्याप्तता अनुपात 13.63% रहा. आपके बैंक को विश्वास है कि वह 2016-17 में अपने प्रमुख प्रवर्तक अर्थात् भारत सरकार से किसी भी प्रकार की पूंजी सहायता लिए बिना अपने ग्राहकों की ऋण विकास आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होगा. हमने तदनुसार सरकार को सूचित कर दिया है अतः इस कारण से इस वित्तीय वर्ष में हमारे हितधारकों को इक्विटी विलयन का कोई खतरा नहीं है.

संक्षेप में, आपके बैंक ने कठिन समय को सुरक्षित पार कर लिया है और इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी आंतरिक शक्तियों को सुदृढ़ करने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है.

की गई नई पहलें:

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने प्रमुख रूपांतरण पहल की शुरुआत की है जिसमें उत्पादों, प्रक्रियाओं एवं व्यवसाय योजना में परिवर्तन का समावेश होगा. इस रूपांतरण में, लक्ष्य बाजार का निर्धारण, बैंक के ग्राहक फ्रेंचाइज को सुधारने के लिए व्यवसाय का पुनः बदलना एवं पुनः संतुलित करना, बैंकिंग परिचालन को उपयुक्त बनाने के लिए तकनीक पर जोर, प्रक्रियाओं का डिजिटाइजेशन जिससे कि ग्राहकों को दी जानेवाली सेवाओं में सुधार हो, शुल्क आधारित आय में सुधार, आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करना एवं बैंक में अनुपालन वातावरण में सुधार लाना सम्मिलित हैं. इन रूपांतरण पहलों का उद्देश्य बैंक को अपने सभी हितधारकों के मूल्य-संवर्धन के प्रति समर्पित एक आधुनिक एवं समसामयिक बैंक बनाना है. कुछ नई एवं महत्वपूर्ण व्यवसाय पहल निम्नानुसार हैं:

समग्र व्यावसायिक कार्यनीतिः आपके बैंक ने ग्राहक फ्रेंचाइज को बढाने के लिए लक्ष्य बाजार के निर्धारण पर सक्रिय रूप से ध्यान केंद्रित करने एवं बाजार आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादों की पुनः संरचना सहित घरेलू एवं साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र हेतु व्यवसाय योजना की व्यापक समीक्षा की है. योजना में वसूली एवं संग्रहण प्रणाली को मजबूत करना, ऋण गुणवत्ता को बढ़ाना एवं कोर लाभप्रदता में सुधार करने का भी समावेश किया गया है. बैंक ने अपने ऋण पोर्टफोलियो की समीक्षा भी की है एवं वर्तमान

क्षेत्रों, जो फ्रेंचाइज में मूल्य नहीं जोड़ रहे हैं, के साथ अधिक राजस्व अर्जन करनेवाले क्षेत्रों की ओर पोर्टफोलियो को पुनः संतुलित करने के लिए कदम भी उठाए हैं.

जोखिम आधारित मूल्य निर्धारणः प्रभावी पूंजी नियोजन एवं अधिकतम उपयोग के उद्देश्य से, आपके बैंक ने कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो के तहत ऋण जोखिम हेतु पूंजी पर जोखिम समायोजित प्रतिफल (आरएआरओसी) के अनुपालन हेतु कदम उठाए हैं जिसे अन्य ऋण क्षेत्रों को भी उपलब्ध कराया जाएगा. विविध खंडों में विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए, आपके बैंक ने विषय विशेषज्ञों के एक समूह का गठन किया है. अपनी आंतरिक ऋण रेटिंग की समीक्षा एवं विस्तार करने के उद्देश्य से बैंक एक प्रतिष्ठित ऋण रेटिंग एजेंसी के साथ कार्यरत है.

वसूली एवं संग्रहण : बैंक में वसूली एवं संग्रहण प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए एक प्रतिबद्ध दल बनाया गया है. इसी क्रम में, सभी खातों के लिए संग्रहण की जिम्मेदारी रिलेशनशिप प्रबंधक को आबंटित की गई है. बैंक एक सुव्यवस्थित वसूली इंजन लागू करने की प्रक्रिया में है. वसूली एवं संग्रहण प्रक्रिया मजबूत बनाने के लिए आपके बैंक ने प्रतिष्ठित, उच्च गुणवत्ता वाली कानूनी फर्मों एवं मूल्यांकनकर्ताओं को नियुक्त किया है.

उत्पाद एवं चैनल्स : आपके बैंक ने उद्योग जगत में सर्वश्रेष्ठ उत्पादों को उपलब्ध करवाने एवं उत्पादों को सुधारने के लिए मौजूदा अंतर को निर्धारण करने हेतु एक विस्तृत प्रक्रिया पूरी की है. बंधक व्यवसाय में, बैंक ने मुंबई में प्रथम स्पेश्यलाइज्ड मॉर्गेज स्टोर (एसएमएस) का शुभारंभ किया. मुंबई में ही अब तक चार और स्टोर का शुभारंभ किया गया है. आपके बैंक ने एक शाखा की पुनर्संरचना प्रक्रिया का प्रारंभ किया है जिसे मुंबई में प्रायोगिक आधार पर पूरा किया गया.

प्रक्रियाओं का समेकन : आपके बैंक ने शाखा स्तर पर केवल आवश्यक गतिविधियां रखने एवं कर्मचारियों का बिक्री हेतु अधिक समय उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ शाखाओं के स्तर के कार्यों एवं गतिविधियों की संपूर्ण समीक्षा की है.

यह परिचालन एवं विविध प्रक्रियाओं को दो शेयर्ड सर्विस सेंटर के तहत समेकित करने की दिशा में किया जा रहा है. इसके अतिरिक्त, संगठन की संरचना की समीक्षा की जा रही है जिससे कि बैंक के परिचालनों की उत्पादकता एवं संस्था की प्रभावशीलता में वृद्धि हो.

डिजिटल पहलें : अब तक बैंक एटीएम, कैश रिसाइक्लर्स, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, 24x7 नॉन-स्टॉप लॉबीज, कान्टेक्टर सेंटरों आदि जैसे वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों की ओर ध्यान केंद्रित कर रहा था. अब बैंक ने सुविधाजनक बैंकिंग की दृष्टि से मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु कई पहलें शुरु की हैं. टचप्वाइंट के विस्तार के माध्यम से ग्राहकों की डिजिटल पहुंच बढ़ी हैं. उत्पादकता बढ़ाने के लिए डिजिटाइजेशन हेतु प्रमुख प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं. वर्कफ्लो आधारित सॉल्यूशन की जांच प्रगति पर है. जब ये परिवर्तन पूरे हो जाएंगे, तब ग्राहकों तथा कर्मचारियों के लिए संव्यवहार एवम् प्रक्रिया अधिक सरल हो जाएंगी.

सोशल मीडियाः ब्रांड को मजबूत बनाने के उद्देश्य से, आपके बैंक ने दिनांक 01.01.2016 को फेसबुक एवं ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति की शुरुआत कर सोशल चर्चा की एक और सीढ़ी पार की है. इसके माध्यम से आपका बैंक जनसांख्यिक एवं भौगोलिक रूप से वैयक्तिक ग्राहकों के साथ जुड़ा है. सोशल मीडिया उत्पाद प्रचार एवं ग्राहक शिक्षण तथा गहरे संबंध बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनेगा. आपके बैंक ने फेसबुक एवं ट्विटर पर OneInALeap सोशल मीडिया प्रतियोगिता की शुरुआत की जिससे डिजिटल स्पेस में बैंक की ब्रांड दृश्यता बढ़े एवं अपेक्षित लक्ष्य खंडों में जागरूकता का निर्माण हो सके. नए शुरू किए गए वन स्टॉप स्टोर हेतु ब्रांड एवं उत्पादक जागरूकता के दो उद्देश्यों के साथ बड़ौदा स्पेश्यलाइज्ड मॉर्गेज स्टोर (एसएमएस) अभियान की शुरुआत की गई. कर्मचारियों में अभिमतों एवं जानकारियों के आदान-प्रदान हेतु फेसबुक पर एक अलग ग्रुप के रुप में एक समर्पित प्लेटफॉर्म सृजित किया गया है.

वित्तीय समावेशन : आपका बैंक, बैंक रहित नागरिकों को औपचारिक बैंकिंग के तहत लाने के लिए प्रतिबद्ध है. आपके बैंक ने वित्तीय समावेशन संबंधी कई पहलें की हैं जिससे ग्राहकों को बैंकिंग में आसानी होगी, जैसे बीसी प्वाइंट पर तुरंत खाता खोलना. शाखा और बीसी प्वाइंट पर ई-केवाइसी क्रियान्वित किया गया है. आपके बैंक ने खाता खोलने को सरल बनाने के लिए कई परिवर्तन किए हैं, जैसे केवायसी दिशानिर्देशों का सरल अनुपालन एवं बहुविध माध्यमों से आधार सीडिंग. मोबाइल बैंकिंग सुविधा जैसे बैलेंस पूछताछ, धन अंतरण करना, लघु विवरणी आदि मूलभूत मोबाइल हैंडसेट पर उपलब्ध करवाई गई है जहां रोजमर्रा की जानकारी आसानी से उपलब्ध करवाई जा सकती है.

प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण : आंतरिक कौशल के विकास हेतु आपके बैंक ने अपनी प्रशिक्षण एवं लर्निंग प्रणाली को श्रेष्ठ बनाने हेतु उसे बेहतर बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है. इस ने प्रतिष्ठित क्रेडिट रेटिंग एजेसियों एवं व्यवसाय स्कूलों से करार किया है जिससे बैंक स्टाफ को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जा सके, साथ ही, बाह्य तथा आंतरिक विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जाते हैं जो बैंक में सभी संवर्ग में दक्षता के उन्नयन में सहायक बनेंगे. विशेषीकृत क्षेत्रों एवं कार्यों में दक्षता बढ़ाने हेतु आपके बैंक ने बाह्य प्रतिभाओं की भी सेवाएं ली हैं. साथ ही, आपके बैंक ने कर्मचारियों की सहबद्धता का सर्वेक्षण किया जिसमें 85% सहभागिता रही और इसके परिणामों का विश्लेषण किया जा रहा है.

कर्मचारी हितैषी संगठनः आपके बैंक ने क्षमता निर्माण एवं प्रतिभा को रोके रखने की दिशा में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि मानव शक्ति पूर्णतः सुविधा संपन्न हो, अभिप्रेरित हो तथा बैंक में जारी व्यापक रूपान्तरण में सक्रिय रूप से सहभागी बने. कर्मचारियों को दक्ष बनाने के साथ ही, आपका बैंक अपने कर्मचारियों को शारीरिक रूप से फिट रखने एवं स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने का भी ध्यान रखता है. आपके बैंक ने मैराथॅन क्लब एवं योग की कक्षाएं आयोजित करने जैसे कर्मचारियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता लाने की कई पहल की हैं. आपके बैंक ने महिला स्टाफ सदस्यों के योगदान के सम्मान एवं सराहना हेतु महिला दिवस भी आयोजित किया. साथ ही प्रबंधन एवं कर्मचारियों के बीच संवाद बढ़ाने हेतु दो तरफा वेबकास्ट के आंतरिक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए.

संभावनाएंः

अब हम रूपांतरण के नए पथ की ओर अग्रसर हैं व भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर होने जा रही है और इस स्थिति में हमें पूरा विश्वास है कि हम उच्च आरओई एवं आरओए हासिल करेंगे. हमारा ध्यान गुणवत्तायुक्त अर्जन के साथ बैंक के निरंतर विकास पर केन्द्रित रहेगा. हमें विश्वास है कि व्यक्तियों, प्रक्रियाओं, उत्पादों और प्रौद्योगिकी पर नीतिगत ध्यान केन्द्रित करने से हम उभरते व्यावसायिक परिदृश्य में अग्रणी स्थिति बनाए रख सकेंगे.

हमारा विश्वास है कि हमारी कार्यनीति आने वाले वर्षों में हमारे विकास की एक मजबूत नींव सिद्ध होगी. हमें आशा है कि हमारे सभी शेयरधारकों से हमें निरंतर समर्थन और शुभेच्छा प्राप्त होती रहेंगी.

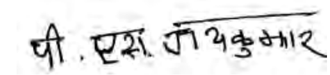

पी.एस. जयकुमार

MD & CEO's STATEMENT

P S Jayakumar
Managing Director and CEO

Dear Stakeholder,

I am humbled to have the opportunity to lead Bank of Baroda as MD & CEO and thank the Government of India for entrusting me the responsibility to lead this esteemed Bank in such challenging times. I am committed to lead this 108-year-old institution and take it to greater heights and make the Bank a modern and contemporary Bank committed to increase the value for all its stakeholders.

It is my pleasure to present the Annual Report and Financial Statement of Bank of Baroda for the year ended March 31, 2016.

Economic Overview

The financial year 2016 saw major realignments in the global economy having a far reaching impact on the growth prospects of advanced and emerging economies. The US Fed increased its benchmark policy rate due to improved growth indicators. Other advanced countries such as Japan and the European Union continued their accommodative stance due to weak growth prospects. The slowdown and rebalancing of the economic activity in China with the devaluation of Yuan had significant spill over across the global trade, financial markets and currency movements. Amidst these, the commodity markets, in particular, the oil prices remained subdued throughout the year. Overall, the global growth prospects are inclined towards increased downside risks.

Against this backdrop, India has emerged as the fastest growing economy among large economies of the world due to its intrinsic strengths such as strong domestic consumption, greater macroeconomic fundamentals and a reform oriented government. Crucial parameters such as current account deficit, fiscal deficit, inflation level, foreign exchange reserves and foreign direct investments have improved.

However, the domestic operating environment remained a cause for concern with the industrial, trade and agriculture sector reeling under pressure. In some sectors especially infra, power and steel, the corporate balance sheets are over leveraged and had low capacity utilization which weakened their earnings and profitability. Private investment climate continued to be weak with lower new projects being commissioned and slower completion of stalled projects.

Due to the challenging operating environment, the Indian banking industry faced relatively subdued deposit and credit growth, stressed asset quality, weakening profitability and deteriorating capital positions. The gross non-performing assets (GNPAs) of the banks have increased substantially in the last couple of years reflecting the challenges faced by industries. Though the stress is spread across diverse sectors, it can be predominantly seen in iron & steel, infrastructure, power, mining and textile.

The Government and RBI are taking proactive steps to address concerns confronting the banking sector. Some of the key actions of Government include capital allocation of ₹ 70,000 crore for PSBs during 4 years period FY'16 to FY'19, segregation of the position of Chairman and MD & CEO, formation of Bank Board Bureau, steps to resolve bad debt issues and the empowerment of management of PSBs etc. Further, the government passed the Bankruptcy Law, which I believe, would turn out to be a landmark decision in the long-term.

Similarly, RBI undertook a number of measures to improve the system's ability to deal with the financial distress. These included the preparation of a corrective action plan by the Joint Lenders' Forum (JLF) for distressed assets, periodic refinancing and fixing of a longer repayment schedule for long-term projects as part of the flexible structuring, strategic restructuring of debt involving the provision to convert debt into equity, issuance of guidelines about classification of willful defaulters and non-cooperative borrowers, among others. In addition, the RBI undertook special asset quality review (AQR) across the banking industry. As a result, the gross NPA of banks and provisioning requirements increased significantly affecting their profitability. RBI expanded the regulatory capital dispensation by including the revaluation

reserves arising out of revaluation of fixed assets, balances held in Foreign Currency Translation Reserves and Deferred Tax Assets arising out of timing differences as part of CET-1 that supported the banks' capital position.

Financial Performance

I would like to share with you some of the key performance highlights for the year. While terminal figures of the Balance Sheet give a picture on the end date of a quarter/year, the real performance of any bank is reflected in its average business figures. From FY 2015 -16, your Bank made strategic shift in its approach on allocation of business targets and review of performance of all operating units on the basis of average business figures (based on daily averages).

Deposits

During FY16, your Bank consolidated its operations and focused on sustainable performance by taking steps to re-balance its portfolio towards reducing cost of its liabilities and improving yield on assets. Thus total deposits of the Bank were at ₹ 5,74,038 crores as on 31.03.2016 as compared to ₹ 6,17,560 crores last year. Your Bank continues to shed bulk preferential rate term deposits in favour of retail term deposits. Retail term deposit ratio (domestic) to total retail deposits improved to 73.96% as on 31.03.2016 from 62.79% last year. Domestic CASA ratio remained steady at 33.48% compared to 33.01% last year. Domestic Saving Bank deposits grew by 6.11% to ₹ 1,13,253 crores. Average deposits of the Bank (based on daily averages) increased from ₹ 5,34,470 crores as on 31.03.2015 to ₹ 5,78,317 crores as on 31.03.2016 registering a growth of 8.20%. Average Savings Bank deposits grew by 12.71% to ₹ 1,06,739 crores from level of ₹ 94,705 crores last year.

Advances

Advances of your Bank were at ₹ 3,83,770 crores as on 31.03.2016 as compared to ₹ 4,28,065 crores last year, in line with approach to consolidate and re-balance the portfolio. Bank remained cautious in lending to large corporate and SME segment. On average basis (based on daily averages) gross advances of the Bank increased from ₹ 3,83,313 crores as on 31.03.2015 to ₹ 4,05,126 crores as on 31.03.2016 registering a growth of 5.69%. Retail loan portfolio of your Bank was at ₹ 50,868 crores as on 31.03.2016.

International business

International business of your Bank continued to support significantly to the total business. As on 31.03.2016, it contributed 31.3% of global business. Of the total International loan-book, 47.92% comprised of Buyer's Credit/BP/BD portfolio where the exposure is on the banks. Exposure to India related corporates and non-Indian entities by way of syndicated loans/ECBs was at 22.03% and 4.30% respectively. Remaining 25.75% exposure was by way of local credit

Stressed Assets

The magnitude of problem of stressed assets in banks particularly in public sector banks has increased significantly in recent past on account of multiple reasons like weak macro-economic conditions, stalled projects, over-leveraged balance sheets of corporates, lower utilization of capacity and stressed cash flows etc. Accordingly Gross Non-Performing Assets (GNPA) of the Bank increased from ₹ 16,261 crores as on 31.03.2015 to ₹ 40,521 crores as on 31.03.2016. During the year, asset quality review by RBI identified certain assets which were classified as NPAs besides a comprehensive review of the loan book carried out by the Bank. As on 31.03.2016, the Gross NPA and Net NPA ratios were at 9.99% and 5.06% respectively. The Bank's Provision Coverage Ratio (PCR) was at 60.09% in FY16 as against 52.70% in Q3FY16. Your Bank made extra provisions of ₹ 2,954 crores; higher than the regulatory requirements to strengthen the provision coverage ratio to this level.

The Standard Restructured Advances of the Bank reduced to ₹ 13,735 crores as on March 16 from a level of ₹ 25,905 crores in March 15.

Profit

Your Bank posted lower Operating Profit of ₹ 8,816 crores (last year ₹ 9,915 crores) on account of increased slippages leading to lower Net Interest Income of ₹ 12,740 crores (last year ₹ 13,187 crores). However total revenue increased to ₹ 17,739 crores (last year ₹ 17,589 crores) led by 13.56% increase in other income. During the year, Bank provided ₹13,766 crores towards NPAs (last year ₹ 3,998 crores). As stated above, these provisions were higher than the regulatory requirements by ₹ 2,954 crores to improve the provision coverage ratio and to strengthen the balance sheet. Further, during the year, your Bank provided ₹ 1,564 crores on account of pension liability arising due to moving to mortality table from LICI 1994-96 to IALM of 2006-08. Your Bank has provided for all known liabilities to ensure that entire focus from now onwards is increasing the earnings to provide returns to our shareholders. On account of all these factors, Bank posted net loss of ₹ 5,396 crores (last year net profit ₹ 3,398 crores).

Capital

The earning power of your Bank continues to be strong on the back of strong franchise which your Bank enjoys with its customers and stakeholders. Despite weak financials, Capital Adequacy Ratio of your Bank as per Basel III continues to be healthy at 13.17% as of March, 2016, with Tier 1 capital ratio at 10.79% and Common Equity Tier 1 (CET-1) at 10.29%

Consolidated group capital adequacy ratio stood at 13.63% at end March 2016. Your Bank is confident that it would be able to meet credit growth requirements of its customers without needing any capital infusion in 2016-17 from its majority promoter i.e. Government of India. We have advised GOI about this and thus our share holders do not carry risk of equity dilution on account of this.

In nutshell, your Bank has weathered the difficult times and has utilized this opportunity to focus on building its internal strength.

New initiatives undertaken

During the year, your Bank has started a major transformation initiative that would encompass changes in its products, processes and business strategy. This transformation includes identification of target markets, re-alignment and re-balancing of business to further improve Bank's customer franchise, leverage technology to optimize the banking operations, digitization of the processes to improve value of its services to customers, improve fee based income, strengthen internal controls and improve the compliance culture in your Bank. The underlying goal of these transformation initiatives is to make the Bank a modern and contemporary Bank committed to add value for all its stakeholders.

Some of the important new business initiatives are as below:

Overall Business Strategy: Your Bank has undertaken a comprehensive review of the business strategy for domestic as well as international segments, including the identification of target markets with a proactive focus on enhancing customer franchise and an alignment of its products offering to market needs. The strategy also involves the strengthening of recovery and collection mechanism, enhancing credit quality and improving core profitability. The Bank has carried out a review of its credit portfolio and is taking steps to rebalance the portfolio towards more revenue earning segments besides exiting segments which do not add value to the franchise.

Risk Based Pricing: With the aim of effective capital deployment and optimization, your Bank has taken steps to implement the Risk Adjusted Return on Capital (RAROC) framework for credit exposures under the corporate portfolio which will be extended to other segments of credit. To enhance the expertise in different sectors, your Bank has initiated process of building a team of sector specialists. The Bank is also working with a leading credit rating agency to review and enhance the its internal credit rating systems.

Recovery and Collections: A dedicated team has been put in place to strengthen recoveries and collections in the Bank. Further, the collection responsibility for all accounts has been allocated to Relationship Managers. Bank is also in process to put in place an organized collection engine. To strengthen the recovery and collections process, your Bank has engaged reputed, high quality legal firms and appraisers.

Products & Channels: Your Bank has carried out a detailed exercise on benchmarking its products to the best in class in the industry and identified gaps to improve its offerings. In mortgage business, the Bank opened its first Specialized Mortgage Store (SMS) in Mumbai. Four more stores have since been rolled out in Mumbai alone. Your Bank has also under taken branch remodification exercise which has been completed on a pilot basis in Mumbai.

Consolidation of processing: Your Bank has undertaken full review of work and processes undertaken at branches with the aim of keeping only the essential activities at branch level and release of more sales time for the employees. It is moving towards the consolidation of operations and various processes to two shared services centers. In addition, the organization structure of the Bank is being reviewed to increase productivity and effectiveness of the operations of Bank.

Digital Initiatives: Hitherto your Bank had been focusing on building alternate delivery channels like ATMs, cash recyclers, internet-banking, mobile banking, 24x7 non-stop lobbies, contact centre etc. Bank has now undertaken a host of initiatives to improve quality of mobile banking, internet banking, debit and credit cards services to increase the ease of banking. The digital access to customers has increased through the expansion in touch-points. To enhance the productivity, key processes have been identified for digitization. The testing of a work-flow based solution is underway. These changes when completed would enhance ease of carrying the transactions and processes by the customers as well as employees.

Social Media: In order to reinforce the brand, your Bank moved to a higher ladder of social interaction by launching its presence on the social media viz. Facebook and Twitter on 01.01.2016. Through this, your Bank is connected with individual customers across demographics and geographies. The social media would be a platform for product promotion and customer education as well as deeper relationship. Your Bank organized OneInALeap, a social media contest on the Facebook and Twitter, to enhance the brand visibility in the digital space and increase awareness among the desired target segments. Baroda Specialized Mortgage Store (SMS) Campaign was executed with the dual objective of Brand & Product awareness for newly launched One Stop Store. A dedicated platform for exchange of views and information amongst employees has been created by a separate group on Facebook. It is being actively used for sharing of views and knowledge by the employees.

Financial Inclusion: Your Bank is committed to bring financially excluded citizens under the gamut of formal banking. Bank has undertaken a number of FI initiatives that would ease the convenience of banking such as instant account opening at BC point. E-KYC has been implemented at branches and BC points. Your Bank has made a number of changes which have facilitated easy opening of accounts, easier compliance of KYC guidelines, Aadhar seeding through multi channels. Mobile banking facility such as balance enquiry, money transfer, mini statements etc has been made available on basic mobile handsets wherein the routine information is readily made available.

Training & Capability building: To develop in-house skills, your Bank has undertaken process of revamping its training and learning systems to make them best in class. It has tied up with leading Credit Rating Agencies and Business Schools to provide training to the Bank staff. Further, various training programs by experts internally or externally are undertaken which help in upgrading the skill set across the cadre in the Bank. To supplement the skills in specialized areas and functions, your Bank has also undertaken external talent hiring. Further your Bank has undertaken enterprise wide employee engagement survey with 85% completion rate and results are being analyzed.

Employee friendly organization: Your Bank has taken measures towards capacity building and retaining of the talent to ensure that its human power is well-equipped, motivated and actively participates in the massive transformation that is underway in the Bank. Apart from up skills building amongst employees, your Bank also ensures that its employees are physically fit and health conscious. Your Bank has undertaken a number of initiatives to inculcate health awareness among employees by forming Marathon Club and Yoga classes. Your Bank celebrates Women's Day to recognize and appreciate the contribution of women staff members. Further, to increase the interaction between management and employees, a two-way webcast of internal events has been started.

Looking Forward

As we embark on new transformation phase with the Indian economy on the cycle of recovery, we are confident of generating higher RoE and RoA. Our focus is to make the Bank ready for sustainable growth with improved quality of earnings. We are confident that our strategic focus on people, processes, products and technology will help us retain the leadership position in the emerging business environment.

We believe that our strategy will provide a strong foundation for our growth in years to come. We look forward to continued support and goodwill of all our shareholders.

P. S. Jayakumar

P S Jayakumar

निदेशकों की रिपोर्ट
Directors' Report

आपके निदेशकगण बैंक की 108 वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष (वित्तीय वर्ष-16) के लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और व्यवसाय तथा परिचालन सम्बंधी रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं.

कार्यनिष्पादन - विशेषतायें

- कुल कारोबार (जमा + अग्रिम) ₹ **9,57,808 करोड़** रहा.
- सकल लाभ एवं शुद्ध लाभ क्रमशः ₹ **8,816 करोड़ व ₹ (5,396) करोड़** रहे.
- **पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) बासेल III** के अनुसार **13.17 %** रहा.
- **खुदरा ऋण** वित्तीय वर्ष 2016 में ₹ 50,850 करोड़ रहा और यह आपके बैंक के सकल घरेलू ऋणों के 18 % रहा.
- **एमएसएमई ऋण** ₹ 54,990 करोड़ रहे और ये वित्तीय वर्ष 2016 में बैंक के सकल घरेलू ऋणों के 20 % रहे.
- **शुद्ध ब्याज अंतर (एनआईएम)** वित्तीय वर्ष 2016 में वैश्विक परिचालनों में 2.05 % रहा और घरेलू परिचालनों में 2.60 % रहा.
- **सकल अग्रिम में सकल एनपीए 9.99 %** रहे वहीं शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए 5.06 % रहे.
- 31.03.2016 को **शुद्ध मालियत ₹ 30,586 करोड़ रही.**
- **बही मूल्य** प्रति शेयर 31.03.2016 को ₹ 132.74 रहा.
- प्रति कर्मचारी कारोबार ₹ **1,680 लाख रहा.**

पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) :

आपके बैंक का **पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर)** 31 मार्च, 2016 बासेल III के अंतर्गत सुविधाजनक स्तर 13.17 % पर रहा. **बासेल III** फ्रेमवर्क के अंतर्गत टियर 1 अनुपात 10.79% तथा सामान्य इक्विटी टियर I (सीईटी-1) 10.29% रहा.

31 मार्च, 2016 को आपके बैंक की शुद्ध मालियत ₹ **30,586 करोड़** रही. इसमें चुकता इक्विटी पूंजी ₹ **462 करोड़** और प्रारक्षित निधि (पुनर्मूल्यांकन निधि तथा एफसीटीआर एवं निवल अमूर्त आस्तियों को छोड़कर) ₹ **30,123 करोड़** शामिल है.

सेवानिवृत्ति तथा अन्य लाभों के लिए प्रावधान :

वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान आपके बैंक ने उपदान में अंशदान के रूप में (₹ 20.56 करोड़), पेंशन निधि के रूप में (₹ 3025.08 करोड़) जिसमें मृत्युदर टेबल एलआईसीआई 1994-96 से आईएएलएम 2006-08 अपनाए जाने के कारण ₹ 1,563.70 का प्रावधान शामिल किया गया. अवकाश नकदीकरण के रूप में (₹ 259.37 करोड़) तथा अतिरिक्त सेवानिवृत लाभ के रूप में (₹ 87.23 करोड़) की राशि का बीमांकिक आधार पर प्रत्यावर्तन पर प्रावधान किया है. इन चारों श्रेणियों में प्रावधान की कुल राशि वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान ₹ 3,392.24 करोड़ रही. मार्च 2016 के अंत में बैंक के पास इन शीर्षों के तहत उपलब्ध कुल आधारभूत निधि इस प्रकार थी: ₹ 1,346.55 करोड़ (उपदान), ₹ 11,947.17करोड़ (पेंशन निधि), ₹ 881.23 करोड़ (अवकाश नकदीकरण) तथा ₹ 375.96 करोड़ (अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ).

प्रमुख वित्तीय अनुपात

विवरण	वित्तीय वर्ष 2016	वित्तीय वर्ष 2015
औसत आस्तियों पर आय (आरओएए) (%)	(0.78)	0.49
निधियों की औसत लागत	5.08	5.23
औसत आय (%)	7.09	7.53
औसत ब्याज अर्जक आस्तियां (₹ करोड़ में)	6,21,234.89	5,70,592.45
औसत ब्याज वहन करने वाली देयताएं (₹ करोड़ में)	6,16,002.63	5,69,190.46
शुद्ध ब्याज मार्जिन (%)	2.05	2.31
लागत आय अनुपात (%)	50.30	43.63
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	132.74*	166.83*
ईपीएस (₹)	(23.89)*	15.83*

*विभाजन के बाद शेयर का अंकित मूल्य ₹ 2/-

लाभांश

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा न करने के कारण वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए लाभांश का भुगतान करने हेतु पात्र नहीं है.

प्रबन्धन विचार-विमर्श और विश्लेषण

भारतीय अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त विवरण तथा वित्तीय वर्ष 17 की सम्भावनाएं

भारत की मेक्रो इकोनॉमिक स्थिरता में राजकोषीय दूरदर्शिता, निम्न मुद्रास्फीति, चालू खाते में निम्न गिरावट और विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों में बढ़ोत्तरी के कारण निरंतर सुधार हुआ है, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा जारी अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2015-16 में सकल घरेलू उत्पाद (2011-12 मूल्य) 7.6% रहा एवं सकल मूल्य (जीवीए) भी मूलभूत स्थिर मूल्यों (2011-12) के साथ 7.3% रहा. वैश्विक मांग में मंदी एवं कृषि

क्षेत्र को प्रभावित करने वाले लगातार दो सामान्य से कम मानसूनों के बाद भी यह वृद्धि प्राप्त हुई है.

सेवा क्षेत्र में सामान्य वृद्धि लगभग 9.2% रही जबकि कृषि क्षेत्र में वर्ष 2015-16 के दौरान 1.1% की वृद्धि की आशा की जाती है, औद्योगिक क्षेत्र में वर्ष 2015-16 के दौरान 7.3% की वृद्धि का अनुमान है. अप्रैल-जनवरी 2015-16 में औद्योगिक उत्पाद इंडेक्स (आईआईपी) 2.4% रहा.

वर्ष 2015-16 में मुख्य उपलब्धि मुद्रास्फीति में तेज गिरावट रही, जिसके प्रमुख कारण जैसे कच्चे तेल की कीमतों में कमी, भारतीय रिज़र्व बैंक का मुद्रास्फीति के प्रति औपचारिक लक्ष्य, उचित खाद्य आबंटन प्रबंधन, चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट एवं न्यूनतम समर्थन मूल्यों में बढ़ोत्तरी रहे. वर्ष के दौरान सीपीआई (CPI) 5-6% के बीच रही और डब्ल्यूपीआई (WPI) (-) 0.91% रही. समग्र रूप से मुद्रास्फीति भारतीय रिज़र्व बैंक के लक्ष्यानुसार ही रही. निर्यात में विगत 15 माह से निरंतर कार्य जारी है और आयात में घरेलू अर्थव्यवस्था में धीमी वृद्धि तथा कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण मंदी रही. चालू खाते में कमी वर्ष 2015 की तीसरी तिमाही के 1.5% की तुलना में वर्ष 2016 की तीसरी तिमाही में 1.3% रही. अत्यधिक आवक धनप्रेषण, तेल की कम कीमतें, उल्लेखनीय एफडीआई जिसके कारण विदेशी मुद्रा भंडार में 40% तक वृद्धि हुई हुई और यह ₹ 350 बिलियन से ऊपर पहुंच गया. 2015-16 में राजकीय घाटा (संशोधित अनुमान) 3.9% रहा तथा 2016-17 के लिए 3.5% (बजट अनुमान) है.

यह वर्ष सुधारात्मक उपायों की निरंतरता का साक्षी रहा है. अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने हेतु, संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना, मेक-इन-इंडिया मुहिम के तहत उद्योग तथा इंटरप्राइज को प्रोत्साहित करना, व्यवसाय करने हेतु सहज माहौल बनाना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सेवाओं की डिलिवरी में सुधार करना और बैंकिंग सेवाओं को विस्तार देना तथा विभिन्न क्षेत्रों में सीधे विदेशी निवेश की नीति के प्रति उदार बनाना आदि सुधारपक्षी गतिविधियों को इस वर्ष आगे बढ़ाया गया. मंद पड़ी विद्युत वितरक कंपनियों में वित्तीय टर्नओवर करने के उद्देश्य से नई पहल जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का रैवम्प योजना (इंद्रधनुष), उदय (उज्ज्वल डिसकॉम बीमा योजना), उद्यम संभाव्यता का लाभ उठाने के लिए स्टार्ट-अप इंडिया की मुहिम, फसल बीमा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसी तरह के और भी सुधारात्मक उपाय किए गए. डीबीटी के माध्यम से एलपीजी सब्सिडी का अंतरण करने हेतु पहल योजना शुरू की गई. संघ बजट में की गई घोषणा के अनुसार, दिवालिया कानून संसद में पारित किया जा चुका है. इसके साथ ही साथ स्मार्ट सिटी, 2022 तक सब के लिए मकान, की घोषणा की गई तथा मेक इन इंडिया एवं स्टैंड अप / स्टार्ट अप की मुहिम बैंकिंग परिप्रेक्ष्य हेतु सकारात्मक है. व्यवसाय हेतु सकारात्मक माहौल बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि ला सकते हैं. भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है तथापि धीमी वैश्विक वृद्धि , चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट, वित्तीय बाजार में अस्थिरता बढ़ना तथा यूनाइटेड स्टेट्स की मौद्रिक नीति में ठहराव आदि को वृद्धि के वाह्य जोखिमों के रूप में देखा जा रहा है.

भारतीय बैंकिंग में नवीनतम बदलाव तथा वित्तीय वर्ष 17 के लिए संभावना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने रेपो रेट में 25 बेसिक प्वाइंट की कटौती करके 7.75 प्रतिशत रखकर जनवरी, 2015 में मौद्रिक नीति में बदलाव किया तथा इसी अनुसरण में 125 बीपीएस की कटौती करके रेपो रेट 6.50 प्रतिशत तक रखा है. परिणामस्वरूप बैंकों ने अपने बेस रेट में कटौती की. तथापि बेस रेट में कटौती की गति पॉलिसी बेंचमार्क रेट से कम ही रही. मौद्रिक नीति का सीमित प्रसार भारतीय रिज़र्व बैंक की चिंता का कारण रहा. पॉलिसी रेट के सीमित प्रसार को देखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने निधियों की सीमांत लागत आधारित उदार दर लागू की. इस बदलाव के साथ, नीतिगत दर के प्रसार से बैंकों के अग्रिम हेतु निर्धारित दर में सुधार किया गया.

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान जमा तथा अग्रिम वृद्धि धीमी होने तथा आस्तियों की गुणवत्ता की चिंता के कारण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का कार्य-निष्पादन मंद रहा. जमा वृद्धि दर 9.7% तथा ऋण वृद्धि 10.71% रही.

ज्ञानसंगम-1 में की गई सिफारिशों की प्रगति की समीक्षा करने हेतु मार्च, 2016 के प्रथम सप्ताह में गुड़गांव में ज्ञानसंगम 2.0 का आयोजन किया गया. सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के उच्च प्रबंधन के साथ नवीनीकरण / विलयन तथा अर्जन, एनपीए प्रबंधन व वसूली, प्रौद्योगिकी, डिजिटल व वित्तीय समावेशन, अग्रिम विकास तथा जोखिम प्रबंधन पर विचार-विमर्श का आयोजन किया गया. इंद्रधनुष परियोजना के अंतर्गत, पीएसबी के कार्य-निष्पादन को सुधारने हेतु अनेक उपायों की घोषणा की गई, जिनमें 2019 तक पीएसबी को ? 70,000 करोड़ का पूंजीकरण करना भी शामिल है. 01 अप्रैल 2016 से बैंक का बोर्ड ब्यूरो कार्यरत है जिसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का संचालन सुधारना तथा उनके विकास के लिए उचित कार्यनीति बनाना है. ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के प्रमुखों के चयन में अपनी संस्तुति देगा तथा पूंजी बढ़ाने की योजना में बैंकों की मदद करेगा.

व्यवसाय कार्य-निष्पादन

संसाधन संग्रहण एवं ऋण विस्तार

वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने अपने दृष्टिकोण में औसत व्यापार की अवधारणा की दिशा में कार्यनीतिगत बदलाव किए हैं. व्यापार के लक्ष्यों का आबंटन साथ ही, सभी परिचालन इकाइयों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा औसत कारोबार आंकड़े (दैनिक औसत के आधार पर) के आधार पर किए जाते हैं. वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान व्यवसाय विकास के क्षेत्र में आपके बैंक की मुख्य उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया गया है.

निधियों की संरचना- वैश्विक

विवरण (₹ करोड़ में)	मार्च, 2015 की समाप्ति पर	मार्च, 2015 की समाप्ति पर औसत आंकडे	मार्च 2016 की समाप्ति पर	मार्च 2016 की समाप्ति पर औसत आंकडे	औसत आंकडों में वृद्धि (%)
जमाएं	6,17,560	5,34,470	5,74,038	5,78,317	8.20
- घरेलू	4,14,278	3,61,917	3,94,844	4,03,503	11.49
- विदेशी	2,03,282	1,72,553	1,79,194	1,74,814	1.31
उधार राशियाँ	35,264	-	33,471	-	-
वैश्विक अग्रिम *					
अग्रिम	4,28,065	3,83,313	3,83,770	4,05,126	5.69
- घरेलू	2,91,870	2,53,788	2,63,268	2,70,108	6.43
- विदेशी	1,36,195	1,29,525	1,20,502	1,35,018	4.24

* वर्ष की समाप्ति पर के आंकड़े शुद्ध अग्रिमों के हैं, औसत आंकडे सकल अग्रिमों से संबंधित हैं.

आपके बैंक की कुल औसत जमा राशियाँ ₹ 5,34,470 करोड़ से बढ़कर ₹ 5,78,317 करोड़ हो गई जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.20 % अधिक है. इसमें से, औसत बचत बैंक जमाराशियां 12.71% की वृद्धि के साथ ₹ 94,705 करोड़ से ₹ 1,06,739 करोड़ हो गई. मार्च 15 को कुल जमाराशियों (घरेलू+विदेशी) में कम लागत की जमाराशियां (चालू+बचत) अथवा कासा जमाएं मार्च 16 में 26.36% तथा घरेलू जमाराशियां 33.75% रही जो गत वर्ष क्रमशः 26.39% एवं 33.01% था. आपके बैंक में कुल औसत जमाओं में औसत कासा (घरेलू) की भागीदारी मार्च 15 के 29.31% से बढ़कर मार्च 16 को 29.43% हो गया. आपके बैंक ने थोक प्रिफरेंशियल दर की मीयादी जमाओं की तुलना में खुदरा जमाओं को प्राथमिकता देना जारी रखा. घरेलू खुदरा जमा अनुपात पिछले वर्ष 62.79% से सुधरकर 31.03.2016 को 73.96% हो गया.

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्त वर्ष 2015-16 की चौथी तिमाही के परिणामों की घोषणा के अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए, श्री पी. एस. जयाकुमार, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी.

वित्तीय वर्ष, 2016 के दौरान आपके बैंक के कुल औसत अग्रिमों में 5.69% की वृद्धि हुई. घरेलू अग्रिमों में यह वृद्धि 6.43 % तथा विदेशी अग्रिमों में 4.24% रही. बैंक आस्तियों में वृद्धि के लिए एक असंशोधित बदलाव के साथ पोर्टफोलियो की गहन समीक्षा के बाद अपनी ऋण बुक को पुनः संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित किया है. जहां यह ग्राहकों के साथ अपनी आय और समग्र व्यवसाय की हिस्सेदारी में सुधार कर सकते हैं.

परिचालन कार्यनिष्पादनः

(₹ करोड़ में)

विवरण	मार्च 2015 को समाप्त	मार्च 2016 को समाप्त	वृद्धि (%)
निवल ब्याज आय	13,187	12,740	-3.39%
अन्य आय	4,402	4,999	13.56%
कुल राजस्व	17,589	17,739	0.85%
परिचालनगत व्यय	7,674	8,923	16.28%
परिचालनगत लाभ	9,915	8,816	-11.08%
एनपीए के लिए प्रावधान	3,998	13,766	244.32%
अन्य प्रावधान	497	1,748	251.71%
कर हेतु प्रावधान	2,022	(1,303)	-
कुल प्रावधान	6,517	14,211	118.06%
निवल लाभ	3,398	(5,396)	-

गैर निष्पादक आस्तियों में अत्यधिक वृद्धि के कारण आपके बैंक की निवल ब्याज आय में 3.39% की गिरावट हुई जिसके फलस्वरूप ब्याज को रिवर्सल करना पड़ा तथा ऐसी आस्तियों पर ब्याज का अर्जन बन्द हो गया. तथापि अन्य आय में 13.56% की वृद्धि के कारण कुल राजस्व में 0.85% की वृद्धि हुई. कर्मचारियों की लागत सहित परिचालनगत खर्चों में 16.28% की वृद्धि हुई. बैंक का परिचालनगत लाभ ? 8,816 करोड़ रहा जिसमें 11.08% की गिरावट हुई.

वर्ष के दौरान, बैंक ने वित्त वर्ष-15 में ₹ 6,517 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष-16 में ₹ 14,211 करोड़ का प्रावधान किया है. इन प्रावधानों में एनपीए प्रावधानों के लिए ₹ 13,766 करोड़ और अन्य प्रावधानों के लिए ₹ 1,748 करोड़ की राशि शामिल है. एनपीए पर प्रावधान विनियामक आवश्यकताओं की तुलना में ₹ 2,954 करोड़ अधिक थे जो तुलन पत्र को मजबूत करने एवं तनावग्रस्त आस्तियों के सापेक्ष प्रावधान कवरेज अनुपात में सुधार लाकर इसे 60.09%

तक करने हेतु किया गया. अन्य प्रावधानों में पेंशन देयता सम्बंधी ₹ 1,564 करोड़ शामिल हैं जिसका प्रावधान, मृत्युदर चार्ट में एलआईसीआई 1994-96 से परिवर्तित होकर आईएएलएम 2006-08 होने के कारण किया गया है. आपके बैंक ने सभी ज्ञात देयताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराया है ताकि भविष्य में पूरा ध्यान आय को बढ़ाने पर दिया जा सके. इन सभी तथ्यों को ध्यान मे रखते हुए बैंक ने गत वर्ष के ₹ 3,398 करोड़ के लाभ की तुलना में ₹ 5,396 करोड़ की हानि दर्ज की.

लार्ज एवं मिड कार्पोरेट बैंकिंग

बैंक कॉर्पोरेट ऋण की आवश्यकताओं को मुख्यतः 10 कॉर्पोरेट वित्तीय सेवा शाखाओं एवं 17 मिड कॉर्पोरेट शाखाओं के माध्यम से पूरा कर रहा है. वर्ष के दौरान 82 नये कॉर्पोरेट संबंध स्थापित किए गए. बाजार में प्रचलित चुनौतियों को देखते हुए, आपके बैंक ने नए एक्सपोजर लेते समय समुचित सावधानियों के साथ सतर्कतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है.

बैंक ने लार्ज एवं मिड कार्पोरेट क्रेडिट में गुणवत्ता के साथ समानुपातिक संवृद्धि सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए :

- पूंजी संरक्षण के अनुकूलतम स्तर को प्राप्त करने के लिए अनाहरित एक्सपोजर की निगरानी,
- आस्ति की जोखिम समायोजित वापसी की जाँच हेतु आरएआरओसी दृष्टिकोण की शुरुआत,
- क्षेत्रगत विशेषज्ञता टीम के निर्माण की पहल की प्रक्रिया,
- सीआरई प्रस्तावों पर विशेष रूप से कार्रवाई हेतु ''रियल इस्टेट डेस्क'' की स्थापना,
- रेड फ्लैग खातों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए बाजार आसूचना कक्ष का गठन,

घरेलू विदेशी कारोबार (डीएफबी) प्रभाग कार्पोरेट बैंकिंग व्यवसाय वर्टिकल के अंतर्गत कार्यरत है जो प्राधिकृत वितरक (एडी) शाखाओं को विदेशी व्यवसाय में सहायता प्रदान करता है.

एमएसएमई ऋण

एमएसएमई देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और बैंक 54 एसएमई लोन फैक्ट्रियों तथा शाखाओं के व्यापक नेटवर्क के जरिये इस क्षेत्र को सहयोग प्रदान करता है.

आपके बैंक का मार्च 2016 के अंत में एमएसएमई अग्रिम ₹ 54,990 करोड़ रहा. वर्ष 2016 में कुल एमएसएमई अग्रिम ₹ 55,535 करोड़ थे जिसमें माइक्रो एंटरप्राइजेज़ में अग्रिम ₹ 29,861 करोड़ रहे जो पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2016 में 53.70% रहे.

- 31 मार्च 2016 तक, बैंक के सकल घरेलू अग्रिमों में एमएसएमई अग्रिमों का योगदान 19.58% रहा. माइक्रो एवं लघु उद्यमों में अग्रिमों का स्तर ₹ 49,571 करोड़ था.
- भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की घोषणा दि. 08.04.2015 को की गई एवं आपके बैंक ने इसमें सक्रिय भाग लिया. बैंक ने माइक्रो एन्टरप्राइजेज़ श्रेणी में खातों की संख्या में पिछले वर्ष के 10% की तुलना में 24% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज की.

आपके बैंक ने माइक्रो इंटरप्राइज को सेवा देने के लिए बीएमई (बड़ौदा माइक्रो इंटरप्राइज) कक्ष स्थापित किए हैं जिसके अंतर्गत माइक्रो एंटरप्राइज को सेवाएं दी जाती हैं, बैंक ने भारत में ऐसे 90 कक्ष स्थापित किए हैं.

खुदरा ऋण

आपके बैंक में रिटेल ऋण का वितरण 66 रिटेल लोन फैक्ट्रियों (आरएलएफ) और शाखाओं के विशाल नेटवर्क के माध्यम से किया जाता हैं. वर्ष के दौरान आरएलएफ को रीडिजाईन कर उन्हें स्पेशलाईज्ड मोर्गेज स्टोर (एसएमएस) के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया आरम्भ की गई है, ताकि मोर्गेज ऋण की बिक्री एवं मार्केटिंग गतिविधियां तथा रिटेल ऋणों की केंद्रीकृत प्रोसेसिंग का कार्य केंद्रीकृत प्रोसेसिंग केंद्रों के जरिये किया जाए. बैंक ने रिटेल ऋण के आवेदनों को सरल बनाया, ऑनलाईन आवास ऋण आवेदन पत्र की पद्धति को पुनर्व्यवस्थित किया, जिसके अंतर्गत तुरंत ही 'सैद्धांतिक स्वीकृति' प्रदान की जाती है तथा प्रत्यक्ष बिक्री एजेंटों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया भी आरम्भ की है.

अंचल कार्यालय, बड़ौदा द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मेगा कैंप के अवसर पर संबोधित करते हुए श्री बी.बी. जोशी, कार्यपालक निदेशक.

आपके बैंक के रिटेल ऋण संविभाग में पांच प्रमुख उत्पाद यथा आवास ऋण, ऑटो ऋण, शिक्षा ऋण, ट्रेडर्स ऋण तथा मॉर्गेज ऋण शामिल हैं, जिनकी मार्च, 2016 के अंत में कुल रिटेल ऋणों में 83.12 % हिस्सेदारी थी.

गृह ऋणों में ₹ 2,427 करोड़ (10.77%) की बढ़त हुई जो मार्च 2016 तक ₹ 24,968 करोड़ के स्तर तक पहुंचे. पिछले वर्ष के ₹ 6,335 करोड़ के भुगतान की तुलना में 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष में कुल भुगतान ₹ 6,632 करोड़ किया गया. ऑटो ऋण में ₹ 268 करोड़ (6.45%) की वृद्धि हुई तथा मार्च16 तक ₹ 4,428 के स्तर तक पहुंच गए. 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान पिछ्ले वर्ष इसी अवधि के दौरान ₹ 1,773 करोड़ के नवीनतम ऑटो ऋण संवितरित किये गये. बड़ौदा ट्रेडर्स ऋण, बड़ौदा मोर्गेज ऋण, शिक्षा ऋण के स्तर पर क्रमशः ₹ 8,836 करोड़, ₹ 1,914 करोड़ और ₹ 2,123 करोड़ रहे. अन्य रिटेल ऋण उत्पादों में बडौदा वैयक्तिक ऋण और अन्य विविध उत्पाद जैसे डॉक्टर ऋण, सरकारी प्रतिभूति के पेटे ऋण शामिल हैं. 31 मार्च 2016 को कुल रिटेल ऋण ₹ 50,850 करोड़ रहे जो बैंक के घरेलू अग्रिमों का 18.82% है.

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने क्रेडिट ब्यूरो से सम्बद्ध ऋणों के मूल्यों पर आधारित विभिन्न खुदरा ऋण उत्पादों एवं जोखिम की समीक्षा एवं पुनर्संरचना की.

ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र के ऋण :

आपका बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवं कृषि ऋण के क्षेत्र में सदैव अग्रणी रहा है. 1,965 ग्रामीण शाखाओं एवं 1,424 अर्धशहरीय शाखाओं के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण बाजार की क्षमता का दोहन किया गया. वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान, बैंक द्वारा ग्रामीण एवं उप-नगरीय क्षेत्रों में 95 नई शाखाएं खोली गई.

आपका बैंक उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) का संयोजक हैं. आपका बैंक 48 जिलों में अग्रणी बैंक है जिनमें गुजरात (14), राजस्थान (12), उत्तर प्रदेश (15), उत्तराखंड (2), मध्य प्रदेश (2), बिहार (2) एवं दिल्ली (1) प्रमुख हैं.

बैंक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों में मार्च 2015 के ₹ 1,03,342.67 करोड़ की तुलना में मार्च 2016 में ₹ 1,13,121.13 करोड़ रहा और गठित एडजेस्टेड नेट बैंक क्रेडिट (एएनबीसी) जो कि 37.05% रहा. वित्तीय वर्ष के दौरान आपके बैंक के प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों में ₹ 1,483.20 करोड़ (5.57%) की वृद्धि के साथ बढ़कर ₹ 28,094.12 करोड़ हो गए. बैंक के कुल कृषि अग्रिम (आरआईडीएफ को छोड़कर) ₹ 4,085.67 करोड़ बढ़ा एवं मार्च 16 के अंत तक ₹ 36,822.21 करोड़ पर पहुंचे. कुल कृषि अग्रिम एएनबीसी का 14.76% रहा.

कृषि ऋण उत्पाद 'बड़ौदा किसान क्रेडिट कार्डट के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2016 में देशभर में किसानों को ऋण सुविधा मुहैया कराने हेतु लगभग 2.29 लाख क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए. लगभग 9.32 लाख किसानों की सुविधा हेतु बड़ौदा किसान रुपे क्रेडिट कार्ड, ए.टी.एम. संचालित स्मार्ट कार्ड वितरित किए गए. वित्तीय वर्ष 2016 में आपके बैंक ने लगभग 3,03,436 नए किसानों को ₹ 5,302 करोड़ के ऋण मंजूर किए. माइक्रोफाईनेंस पहल के तहत, वित्तीय वर्ष 16 के दौरान ₹ 163.27 करोड़ के ऋण उपलब्ध करवा कर 15,170 स्वयं सहायता समूहों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई.

महत्वपूर्ण पहल :

ग्रामीण एवं उपनगरीय क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों के उचित दोहन हेतु बैंक ने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय किए है जिनमें कुछ निम्नलिखित हैं -

1. नए किसानों को जोडने के उद्देश्य से, आपके बैंक ने रबी एवं खरीफ की फसल के दौरान दो नए अभियान जैसे कि 'जोड़े किसान' आयोजित किए, जिसके अंतर्गत 1.17 लाख नए किसान जोड़े गए जिन्हें ₹ 2,640 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया गया.
2. देशभर में कृषि ऋणों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आपके बैंक ने 482 शाखाओं को निर्धारित किया है. 31 मार्च 16 तक इन शाखाओं ने कुल कृषि बकाया में 33.01 % का योगदान दिया.
3. आपके बैंक ने क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखते हुए भी अनेक योजनायें तैयार की हैं. जो ब्याज दर एवं विभिन्न प्रभारों में छूट के साथ स्थानीय किसान समुदाय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई हैं. ऐसी 13 विभिन्न योजनाओं को वर्ष के दौरान मंजूर किया गया एवं लागू किया गया.
4. आपके बैंक में 49 बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान (बीएसवीएस), [बड़ौदा आर-सेटी] हैं जो पूरे देश में युवाओं को प्रशिक्षित कर, उन्हें स्वरोजगार उद्यम शुरुकरने के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल प्रदान कर रहे हैं. वित्तीय वर्ष 15-16 में 38,678 युवा लाभार्थियों को इन केंद्रों पर प्रशिक्षित किया गया.

बड़ौदा स्वरोजगार विकाश संस्थान (बीएसवीएस) बड़ौदा आर-सेटी केन्द्रों द्वारा युवाओं को सशक्त करने हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

5. आपके बैंक ने जरूरतमंदो को वित्तीय साक्षरता एवं परामर्श सेवा देने हेतु पूरे देश में 51 वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) स्थापित किए हैं, जिसे बैंकिंग प्रणाली से उन्हें वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद मिले. साथ ही, जो वित्तीय परेशानी में हैं उन्हें परामर्श दिया जा सके.

वित्तीय वर्ष 16 के दौरान अ.जा/अ.ज.जा को अग्रिम

आपके बैंक द्वारा अ.जा/अ.ज.जा समुदाय को दिया गया बकाया अग्रिम साल-दर-साल बढ़ रहा है. इन लाभार्थियों को मार्च, 2015 के अंत तक दिया गया ₹ 4,997 करोड़ का बकाया अग्रिम मार्च, 2016 के अंत तक ₹ 5,298 करोड़ हो गया. वास्तव में समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक द्वारा प्रदत्त कुल अग्रिमों का 21.95% हिस्सा कमजोर तबके को प्रदान किया गया. इसके अलावा आपके बैंक ने सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं जैसे- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) आदि के अंतर्गत अ.जा/अ.ज.जा को वित्तपोषित करने के लिए एक विशेष ट्रस्ट भी बनाया है.

बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान, प्रशिक्षणार्थियों के चयन में अ.जा/अ.ज.जा के अभ्यर्थियों को वरीयता देता है. ऐसे केंद्र, अभी तक अ.जा/अ.ज.जा श्रेणी के 14,304 युवाओं को प्रशिक्षित कर चुके हैं.

आपके बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्यनिष्पादन

आपके बैंक ने तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित किए हैं बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय, रायबरेली; बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय, अजमेर एवं बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय,भरूच हैं. इन तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल व्यवसाय मार्च, 2015 के अंत में ₹ 37,440.67 करोड़ से बढ़कर मार्च, 2016 के अंत में ₹ 42,640.52 करोड़ हो गया. इस प्रकार इसमें 13.89% की वृद्धि दर्ज हुई. तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वित्तीय वर्ष 15-16 के दौरान ₹ 185.41 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया जब कि वित्तीय वर्ष 14-15 के दौरान शुद्ध लाभ ₹ 327.20 करोड़ था. लाभ में गिरावट 10 वें द्विपक्षीय समझौता से संबंधित बकाये के भुगतान के कारण हुई. इन सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समग्र शुद्ध मालियत 31.03.2015 को ₹ 1,851.02 करोड़ से सुधर कर 31.03.2016 को ₹ 2,036.43 करोड़ हो गई तथा ''प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष'' ₹ 1,394.12 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,579.53 करोड़ हो गए.

वित्तीय समावेशन (एफआई)

वित्तीय समावेशन योजना का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता को वहन करने योग्य लागत पर समाज के उन सभी वर्गों तक सहज सुलभ पहुंचाना है, जो कि अब तक इससे वंचित थे, ताकि उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके. आपके बैंक द्वारा अपनी स्थापना से ही सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के माध्यम से निर्धनतम व्यक्तियों को ऋण प्रदान कर, अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं प्रदान कर, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध करा कर, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण आदि के रूप में क्रियान्वयन किया जा रहा है. बैंक ने सभी 21,526 सेवा क्षेत्र गांवों के लिए भिन्न भिन्न वित्तीय समावेशन योजना अनुमोदित की है.

वित्तीय समावेशन(एफआई) के लिए आपके बैंक द्वारा अपनाए गए मॉडलः

वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु आपके बैंक ने जो मॉडल अपनाए हैं, ये इस प्रकार हैं : - सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित बीसी मॉडल जैसे पीओएस आधारित बीसी मॉडल, कियोस्क बीसी मॉडल और ब्रिक एवं मोर्टार शाखा.

शहरी वित्तीय समावेशन :

ग्रामीण व्यक्ति हमारे वित्तीय समावेशन प्रयासों का मुख्य केंद्र रहे हैं क्योंकि गांवों का एक बड़ा भाग अभी भी बैंकिंग रहित है. गांव तथा दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे व्यक्ति के अलावा, शहरी गरीब व्यक्ति जो अधिकांश रूप से गावों से शहरी क्षेत्र में आकर बस गए हैं, अभी भी सामान्य वित्तीय उत्पादों तथा सेवाओं जैसे बचत, ऋण, रेमिटेंस तथा बीमा आदि की पहुँच से बाहर हैं तथा अपने निजी स्वास्थ्य तथा आजीविका संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे अनौपचारिक साधन अपनाने को मजबूर हैं. उनमें से बहुत से प्रवासी मजदूर, खोमचेवाले तथा झोपड़पट्टी वाले मजदूर होते हैं, जो जीविका की तलाश में अपना गांव छोड़ देते हैं. इन्हें वित्तीय समावेशन अंतर्गत लाने हेतु, भारत सरकार ने सभी राज्यों में जन-धन योजना अभियान के प्रथम चरण को पूरा कर लिया है, ताकि इन असुरक्षित समूहों को वित्तीय पद्धति की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके. हमारे बैंक ने पूरे देश भर में विभिन्न केंद्रों पर 4,530 शहरी बीसी तैनात किए हैं.

हमारे बीसी केंद्रों पर जो उत्पाद/सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं, वे हैं; ओडी सुविधा सहित बेसिक बचत जमा खाता, तत्काल खाता खोलना, ई-केवाईसी खाता खोलना, नकद आहरण, नकद जमा व निधि अंतरण, चालू खाते में जमा, कैश क्रेडिट खाता, ओडी खाता एवं ऋण खाता, सावधि जमा व आवर्ती जमा खाता, माइक्रो बीमा हेतु नामांकन - पीएमजेजेबीवाई तथा पीएमएसबीवाई, आधार सीडिंग इत्यादि.

वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु वित्तीय समावेशन के अंतर्गत कार्यनिषादन की विशेषताएंः-

- विकेंद्रित वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी)-2016 के सभी लक्ष्यों को दिसंबर 2014 में ही पूरा कर लिया गया था.
- बैंक ने वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु वार्षिक बेसिक बचत जमा खाता खोलने एवं जमा राशि के लक्ष्य को पार कर लिया है, उपलब्धि क्रमशः 220.18% एवं 196.23% थी.
- वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु बैंक के ''बेसिक बचत जमा खाता'' में शेष राशि ₹ 2,510 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष ₹ 4,925 करोड़ है.
- वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु शहरी वार्ड कवर करने के लक्ष्य को पार कर लिया गया है, उपलब्धि 596.05% रही.
- वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु 5,503 बीसी की नियुक्ति के लक्ष्य के सापेक्ष 11,131 बीसी की नियुक्ति कर बीसी की नियुक्ति के वार्षिक लक्ष्य को पार कर लिया गया है. (उपलब्धि 202.27%)
- वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु बीसी द्वारा खोले गए वित्तीय समावेशन खातों में संव्यवहार की संख्या एवं संव्यवहार की राशि के वार्षिक लक्ष्य को पार कर लिया है. (उपलब्धि क्रमशः 403.02% एवं 1,145.41%)
- वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 105.55% की उपलब्धि प्राप्त करते हुए बैंक रहित गावों में शाखाएँ खोलने के लक्ष्य को पार कर लिया गया है.
- वित्तीय वर्ष 2015-16 में बेसिक बचत जमा खातों (बीएसबीडीए) में ओडी राशि संवितरण के वार्षिक लक्ष्य को 848.83% से पार कर लिया है .

वित्तीय साक्षरता प्रोत्साहन

वित्तीय समावेशन का वांछित उद्देश्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब जनसंख्या के लक्षित समूह से बैंकिंग सेवाओं की पर्याप्त माँग हों. ग्रामीणों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने हेतु हमें उन्हें विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं और इनके लाभ, विशेष रूप से बचत से लाभ, आधार सीडिंग, खाते में न्यूनतम शेष बनाए रखना, ओवरड्राफ्ट हेतु पात्रता, रूपे कार्ड और उसके पिन का प्रयोग एवं उसे सुरक्षित रखना, यूएसएसडी सुविधा, दुर्घटना एवं जीवन बीमा प्राप्त करने की पात्रता, बीमा अंतर्गत दावा, माइक्रो बीमा उत्पाद, पेंशन, केसीसी, जीसीसी के लाभ, शीघ्र पुनर्भुगतान, उनके लिए उपलब्ध अन्य खुदरा एवं एसएमई ऋण आदि के लिए वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता है. आपके बैंक की लिंक शाखाएं एवं बीसी अपने सेवा क्षेत्र के गावों एवं विद्यालयों में बैठकें आयोजित कर नियमित रूप से वित्तीय साक्षरता अभियान का आयोजन कर रहे हैं.

बैंक एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा फैजाबाद क्षेत्र में ग्राहक शिक्षण एवं जागरूकता कैंप का आयोजन

बैंक ने देश के ग्रामीण हिस्से में वित्तीय साक्षरता की दिशा में निम्नलिखित मुख्य पहलें की हैं :

1. बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान (बड़ौदा आरसेटी) 2003 में बैंक द्वारा बनाया गया एक ट्रस्ट है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने तथा उन्हें उनके उद्यम स्थापित करने में सहयोग प्रदान करने का कार्य कर रहा है. बैंक ने पूरे देश में 49 ऐसे केंद्र स्थापित किए हैं, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 1,401 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 38,274 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया. जिनमें से 20,679 अभ्यर्थियों ने सफलतापूर्वक अपने व्यवसायिक उद्यम स्थापित कर लिए हैं.

2. पूरे देश में 51 वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्र (एफएलसीसी) 'सारथीट कार्यरत हैं.

3. एसएचजी- बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत एसएचजी को उनके दरवाजे पर ऋण एवं बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने, अधिकतम चार दिन में परेशानी मुक्त और शीघ्र ऋण डिलीवरी सुनिश्चित करने एवं एसएचजी को आसानी से ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से मोबाइल माइक्रो फाइनेंस लोन फैक्ट्री स्थापित की गई है.

4. ऋण, व्यवसाय सलाहकार, गैर लाभान्वित सक्रिय युवा माइक्रो - उद्यमियों को ''बीएसवायटी - बॉब उद्यमी विकास कार्यक्रम (बीवायएसटी), प्रशिक्षण तथा नेटवर्किंग एवं मार्केटिंग के रुप में प्रारंभ से अंत तक सहायता उपलब्ध कराता है.

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई)

प्रधानमंत्री जन-धन योजना एक विस्तृत वित्तीय समावेशन योजना है जिसका दायरा बढ़ाकर इसे और अधिक उपयोगी बनाया गया है. प्रधानमंत्री जन-धन योजना वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन है. प्रत्येक परिवार जिसका बैंक खाता हो वह बैंकिंग एवं ऋण सुविधाओं का लाभ उठा सकेगा. यह उन्हें उनकी बचत को बेहतर ढंग से सुरक्षित रखने एवं अनौपचारिक स्रोतों से धन जुटाने की आदत से बाहर आने में सक्षम बनाएगा. प्रथम चरण के रूप में, प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत खाता खुलवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रूपे डेबिट कार्ड मिलेगा तथा वह ₹ 1 लाख की दुर्घटना बीमा कवर हेतु पात्र होगा. खाते का 6 महीनों तक संतोषजनक संचालन के पश्चात उसे ₹ 5,000/- के ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी. इसी क्रम में, जिन खाताधारकों ने 15.08.2014 से 31.01.2015 के बीच खाते खुलवाए हैं, उन्हें भारतीय जीवन बीमा की ओर से ₹ 30,000/- का अतिरिक्त मीयादी बीमा कवर प्राप्त होगा. वित्तीय साक्षरता पीएमजेडीवाई का अन्य महत्वपूर्ण पहलू है.

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा 09 मई, 2015 को जन सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया गया जिसके अंतर्गत कम किश्तों वाले बीमा उत्पाद जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं पेंशन उत्पाद जैसे अटल पेंशन योजना आदि शुरू किए गए.

पीएमजेडीवाई अंतर्गत पहलें:

- हमारे बैंक को राज्य स्तरीय बैंकर समितियों द्वारा पूरे देश में 6,829 एसएसए आवंटित किए गए थे जिसके अंतर्गत 22,055 गावों तथा 3,023 वार्डों का समावेश था. हमने सभी आवंटित एसएसए तथा वार्डों का सर्वे पूरा कर लिया है. तदनुसार हमारे सेवा क्षेत्र में कुल 88,91,696 घर हैं. हमारा यह प्रयास रहा है कि अपने सेवा क्षेत्र के अंतर्गत हर घर तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाएं. प्रति परिवार कम से कम एक खाता खोलते हुए बैंक ने सेवा क्षेत्र के सभी गावों को पूरी तरह कवर कर लिया है.
- बैंक ने ₹ 2,500 करोड़ की जमाराशियों के साथ 1.25 करोड़ खाते खोले हैं तथा 1.18 करोड़ रूपे डेबिट कार्ड जारी किए हैं.
- हमारी शाखाएँ खाते खोलने, वित्तीय साक्षरता सत्र आयोजित करने, वित्तीय साक्षरता सामग्री वितरित करने, पासबुक एवं रूपे कार्ड वितरण आदि के लिए समय-समय पर शिविरों का आयोजन कर रही हैं.
- सेवानिवृत्त बैंक अधिकारियों, आशा (एएसएचए) कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, उचित मूल्य वाली दुकान के मालिकों को बीसी के रूप में नियुक्त करने हेतु एक योजना की शुरुआत की गई है. शाखाओं को सूचित किया गया है कि वे निष्पादन करने वाले स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की पहचान एवं अनुशंसा करते हुए नियुक्ति हेतु कार्पोरेट बीसी से संपर्क करें.
- बीसी वाली जगहों पर नये उत्पाद जैसे तत्काल खाता खोलना, आधार सीडिंग, अंतः प्रचालनीय रूपे कार्ड आधारित संव्यवहार, चालू खातों में जमा, सीसी खाते, ऋण खाते, आवर्ती जमा एवं सावधि जमा आदि उत्पादों की शुरुआत की गई है.
- पीएमजेडीवाई के ग्राहकों को एटीएम एवं एसएमएस के माध्यम से ओवरड्राफ्ट सुविधा स्वचालन का क्रियान्वयन किया गया. पीएमजेडीवाई ग्राहक बिना शाखा गए ही ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं.
- आधार सीडिंग हेतु वैकल्पिक वितरण प्रणाली जैसे एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, एसएमएस एवं बीसी केंद्रों को सक्षम कर दिया गया है. बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग व एसएमएस द्वारा तथा बीसी केंद्रों पर माइक्रो बीमा योजना जैसे पीएमएसबीवाई एवं पीएमजेजेबीवाई अंतर्गत नामांकन चालू कर दिया है.
- आधार कार्ड आधारित खाते खोलने के लिए सभी शाखाओं तथा बीसी केन्द्रों पर ई-केवाईसी की शुरुआत की गई है.
- बैंक ने बीसी स्थल पर आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) की सुविधा की शुरुआत की है.
- बैंक ने बीसी स्थल पर अंतःप्रचालनीय रूपे कार्ड आधारित संव्यवहार की सुविधा की शुरुआत की है.
- बैंक ने साधारण मोबाइलों पर मोबाइल बैंकिंग संव्यवहार करने हेतु अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा (यूएसएसडी) को शुरुकिया है. यूएसएसडी के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएँ बैलेंस पूछताछ, धन-अंतरण, लघु-विवरण, आधार लिंक बैंक खाते की जानकारी आदि हैं.
- स्कूली बच्चों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करने हेतु पूरे भारतवर्ष में 3,266 स्कूलों को अंगीकृत किया गया है. शाखाओं द्वारा बीसी के साथ नियमित रूप से विद्यालयों एवं गावों में वित्तीय साक्षरता सत्रों/शिविरों/चौपालों का आयोजन किया जाता है. वित्तीय साक्षरता बढ़ाने हेतु मानकीकृत वित्तीय साक्षरता सामग्री जैसे कॉमिक पुस्तिका, स्थानीय भाषाओं में श्रव्य-दृश्य सामग्री उपलब्ध कराई गई है.
- सभी ग्रामीण एवं अर्ध शहरी शाखाओं द्वारा 100% आधार सीडिंग, 100% मोबाइल सीडिंग, पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेबीवाई एवं एपीवाई अंतर्गत 100% कवरेज, शून्य शेष खातों की फंडिंग, पात्र ग्राहकों को 100% ओवरड्राफ्ट, 100% क्रेडिट लिंकेज, 100 एनपीए मुक्त एवं ग्रामीणों को कौशल बनाने के उद्देश्य के साथ बैंक ने आदर्श ग्राम की परिकल्पना का क्रियान्वयन किया है.
- जमा संग्रहण, अनुवर्ती कार्रवाई एवं छोटे ऋण खातों में वसूली जिसमें एनपीए एवं पीडब्ल्यूओ खाते भी शामिल हैं, के लिए बीसी हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है.
- वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए सभी अंचलों, क्षेत्रों एवं शाखाओं को मानकीकृत वित्तीय साक्षरता सामग्री जैसे कॉमिक पुस्तिका, श्रव्य दृश्य सामग्री आदि प्रेषित की गई है.
- बीसी के लिए आंतरिक प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम.
- समन्वय को सुदृढ़ बनाने एवं फील्ड स्तर के मामलों को निपटाने के लिए शाखा प्रमुखों एवं बीसी की संयुक्त कार्यशालाएं.

प्रधान मंत्री जन सुरक्षा योजना

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

- यह योजना एक वर्ष की अवधि की जीवन बीमा होगी, जिसका नवीकरण प्रत्येक वर्ष किया जा सकता है, तथा यह किसी प्रकार से मृत्यु की स्थिति में जीवन बीमा कवर की सुविधा प्रदान करता है.
- सहभागी बैंकों के 18 से 70 वर्ष की आयु वाले समस्त बचत बैंक खाताधारी इस योजना में शामिल होने के हकदार होंगे.
- धारक की मृत्यु पर धारक के परिवार को ₹ 2 लाख की राशि देय होगी, चाहे मृत्यु किसी भी कारण से हुई हो. प्रति वर्ष प्रति धारक ₹ 330/- का प्रीमियम जमा करना होता है.
- प्रारंभ में, 01 जून, 2015 से 31 मई, 2016 तक की कवर अवधि के लिए धारकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे 31 मई 2015 तक, जिसकी अवधि 31 अगस्त, 2015 तक बढ़ाई जा सकती है, योजना में नामांकन कराएं तथा ऑटो डेबिट विकल्प की सहमति दें. इस तिथि के पश्चात पूर्ण वार्षिक प्रीमियम के भुगतान एवं अच्छे स्वास्थ का स्व-प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर संभावित रूप से नामांकन संभव होगा.
- आपके बैंक इस योजना हेतु इंडिया फ़र्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ टाई-अप व्यवस्था की है.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

- दुर्घटना के कारण धारक की मृत्यु अथवा विकलांगता की स्थिति में ₹ 2 लाख की राशि देय है. प्रति वर्ष प्रति धारक ₹ 12/- का प्रीमियम जमा करना होता है.
- सहभागी बैंकों के 18 से 70 वर्ष की आयु वाले समस्त बचत बैंक खाताधारी इस योजना में शामिल होने के हकदार होंगे. किसी व्यक्ति के पास एक या विभिन्न बैंकों में, कई बचत खाते होने की स्थिति में, वह व्यक्ति सिर्फ एक ही बचत खाते के माध्यम से इस योजना से जुड़ने के लिए पात्र हो सकेगा.
- प्रारंभ में, 01 जून, 2015 से 31 मई, 2016 तक की कवर अवधि के लिए धारकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे 31 मई, 2015 तक, जिसकी अवधि 31 अगस्त, 2015 तक बढ़ाई जा सकती है, योजना में नामांकन कराएं तथा स्वतः डेबिट विकल्प की सहमति दें. इस तिथि के पश्चात, कुछ शर्तों के तहत, पूर्ण वार्षिक प्रीमियम के भुगतान करने पर संभावित रूप से नामांकन संभव होगा.
- हमने इस योजना हेतु नेशनल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई-अप व्यवस्था की है.

31.03.2016 तक पीएमजेजेबीवाई एवं पीएमएसबीवाई अंतर्गत हमारे बैंक का निष्पादन इस प्रकार हैं -

- पीएमजेजेबीवाई अंतर्गत नामांकित पॉलिसियों की संख्या - 14.42 लाख
- पीएमएसबीवाई अंतर्गत नामांकित पॉलिसियों की संख्या - 40.24 लाख
- कुल नामांकित बीमा पॉलिसियाँ - 54.66 लाख

अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

आपका बैंक अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग परिदृश्य में बदलते रुख पर निरंतर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है तथा इसने अपने आप को परिवर्तित हो रहे वातावरण के अनुकूल बनाया है. बैंक ने विदेशी केन्द्रों की आस्तियों की समीक्षा की एवं मार्जिन को सुधारने के लिए पोर्टफोलियो को पुनः संतुलित करने की ओर आगे बढ़ रहा है. इसके कारण व्यवसाय स्तर में अपवृद्धि हुई है.

बैंक ऑफ बड़ौदा (युगांडा) लिमिटेड ने अपना 63वां स्थापना दिवस 18 दिसंबर, 2015 को मनाया. इस अवसर पर युगांडा में भारत के राजदूत डॉ. ए.वी.एस. रमेश चन्द्र, मुख्य अतिथि थे.

अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति

बैंक की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति -24- देशों में अपनी 106 शाखाओं/कार्यालयों के साथ इस प्रकार है:

बैंक की ओवरसीज शाखाएं/कार्यालय	60
बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय	1
बैंक की विदेशी अनुक्षंगियों की शाखाएं	45
कुल	106

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने केन्या में अपनी अनुषंगी की दो नई शाखाएं खोलकर अफ्रीका में अपनी उपस्थित का विस्तार किया है.

बैंक के निम्नलिखित संयुक्त उद्यम / सहयोगी भी है:

1. इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड, जाम्बिया जिसकी 27 शाखाएं
2. इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी, मलेशिया की 1 शाखा

आपके बैंक के कुल व्यवसाय में अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का उल्लेखनीय योगदान बना रहा. 31.03.2016 को वैश्विक व्यवसाय में अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय ने 31.3% का योगदान किया. कुल अंतर्राष्ट्रीय बही में जहां बैंक के एक्सपोजर में बायर्स क्रेडिट /बीपी/बीडी पोर्टफोलियों की 47.92% की हिस्सेदारी रही, 22.03% का एक्सपोजर ईसीबी/सिंडिकेट ऋण के जरिए भारतीय कार्पोरेट का रहा, गैर भारतीय प्रतिष्ठानों को सिंडिकेट ऋणों के माध्यम से दिया गया एक्सपोजर 4.30% है तथा शेष 25.75% का एक्स्पोजर स्थानीय ऋण के जरिए है.

यू.के. की अनुषंगियाँ

आपका बैंक यू.के. में खुदरा व्यवसाय के लिए 100% स्वामित्व वाली अनुषंगी के रूप में अपनी जगह बनाने की योजना बना रहा है, जो बैंक के खुदरा व्यवसाय को बढ़ावा देने के साथ ही साथ स्थानीय नियामक के दिशा-निर्देशों का अनुपालन भी करेगी.

ट्रेजरी परिचालन

आपके बैंक में ट्रेजरी परिचालन कार्पोरेट कार्यालय, मुंबई स्थित अति आधुनिक डीलिंग रूम से किया जाता है. ट्रेजरी, घरेलू परिचालन का कार्य संचालित करता है तथा विभिन्न मार्केट कार्यकलापों जैसे विदेशी मुद्रा, ब्याज दरें, नियत

आय, मनी मार्केट, डेरीवेटिव, इक्विटी, करेंसी, ब्याज दर वायदा (फ्यूचर) और अन्य वैकल्पिक आस्ति श्रेणियों का कार्य देखता है. बैंक पूरे भारतवर्ष में विदेशी विनिमय हेतु अधिकृत शाखाओं के माध्यम से कई सेवाएं जैसे ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप, मुद्रा विकल्प, एडवांस डीलिंग सिस्टम द्वारा फॉरवर्ड कांट्रैक्ट आदि प्रदान करता है.

आपके बैंक के वर्ष के प्रथम छः महीने में उच्चतर प्रतिफल के द्वारा उपलब्ध कराए गए अवसर का लाभ उठाया है और पोर्टफोलियो में बॉण्ड को शामिल किया है. बैंक के अति सक्षम तरीके से पोर्टफोलियो का संभाला है तथा 31.03.2016 को 8.15% का एसएलआर निवेश पर औसत प्रतिफल को कायम रखा है. वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान आपके बैंक ने निवेशों के विक्रय करने तथा विदेशी विनियम से हुए लाभ क्रमशः ₹ 1,162 करोड़ तथा ₹ 612 करोड़ तथा ब्याज / डिस्काउंट के रूप में ₹ 12,144 अर्जित किए हैं.

आपके बैंक का मीड - ऑफिस बाजार ऋण जोखिम तथा बोर्ड के निदेशकों के द्वारा तय की गई ऋण सीमा का वास्तविक समय आधार पर निगरानी करता है. जोखिम प्रबंधन पैरामीटर, जिसमें वेल्यू - एट रिस्क (वीएआर) भी शामिल है, का उपयोग सभी पोर्टफोलियो पर बाजार के जोखिम का निर्धारण करने के लिए किया जाता है. मॉडल की क्षमता के मूल्यांकन के लिए वीएआर नंबरों का नियमित रूप से पुनः परीक्षण किया जाता है. विभिन्न निवेशों एवं मुद्रा स्थिति पर दवाब की जांच की जाती है.

सरकारी कारोबार :-

सरकारी कारोबार आपके बैंक की व्यवसाय योजना का एक महत्वपूर्ण भाग है. यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमएचएफडब्लू) तथा नव गठित आयुष मंत्रालय का मान्यता प्राप्त बैंकर है. आपके बैंक को ईपीएफओ (कर्मचारी बीमा निधि संगठन) की ओर से अंशदान तथा प्रशासनिक प्रभार संग्रहित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है. बैंक को डेबिट कार्ड समेकन करने हेतु आईआरसीटीसी (इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कोरपोरेशन लिमिडेट) से अनुमोदन प्राप्त हुआ है, जिसका कार्यान्वयन प्रगति पर है. आपके बैंक ने पीपीएफ खाते संग्रहण के लिए वित्तीय वर्ष 16 के दौरान विशेष अभियान चलाया तथा 91,370 नए पीपीएफ खाते खोले, जो कि सभी सरकारी बैंकों में सबसे अधिक है. वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान 1,55,589 अटल पेंशन योजना के खाते खोलने के कारण आपके बैंक को पीएफआरडीए के द्वारा सभी सरकारी बैंकों में उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन (दूसरा स्थान) करने वाला बैंक घोषित किया गया. आपकी सभी शाखाओं के द्वारा लगातार प्रयास किए जाने के कारण ही यह संभव हो पाया है. वर्ष के दौरान आपके बैंक ने 15 स्थानों पर सरकारी तथा पीएसयू व्यवसाय पर कार्यशालाओं का आयोजन किया, जिनमें 850 स्टाफ सदस्य तथा 150 व्यवसाय प्रतिनिधियों/व्यवसाय सहायकों/वीएलईएस को शामिल किया गया.

भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मुहिम में आपके बैंक ने भी हिस्सा लिया. आपका बैंक उन पांच बैंकों में से एक है जो भारत सरकार के प्रतिष्ठित ई - बिज पोर्टल से जुड़ा है, जो कि प्रमुख राज्य सेवाओं के साथ साथ लगभग 50 सेवाओं का प्रारंभ करेगा. डिजिटल लाईफ सर्टिफिकेट की सफलतापूर्वक शुरूआत की गई. लाईफ सर्टिफिकेट को प्रेषित करने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर देने का लाभ सभी पेंशनर्स को मिलेगा. आपका बैंक उत्पाद एवं सेवा कर (जीएसटी) को संग्रहित करने हेतु प्राधिकृत बैंक है, जो शीघ्र लागू किया जाने वाला है. पेंशन की प्रक्रिया तथा भुगतान को शीघ्र करने हेतु पेंशन भुगतान आदेश के डिजिटलकरण (ई-पीपीओ) करने का कार्य प्रगति पर है. आपके बैंक को पीएफएमएस (सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) के साथ एमएचएफडब्लू (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) तथा डीबीटी (सीधे लाभार्थी अंतरण) का ऑनलाइन भुगतान हेतु समेकित किया गया है. आपके बैंक को भारतकोष पोर्टल के साथ (गैर कर राजस्व रसीद) एमएचएफडब्लू (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) की ऑनलाइन प्राप्तियों हेतु इंटिग्रेट किया गया है.

आपके बैंक ने प्रारंभिक चरण में पंजाब राज्य की -03- शाखाओं में ई-स्टैम्पिंग की सुविधा की शुरूआत की है. आपके बैंक ने मध्य प्रदेश राज्य की -3- शाखाओं में आरंभिक परियोजना ई-पंजीयन (पंजीकरण एवं स्टम्प विभाग, मध्य प्रदेश के द्वारा दस्तावेजों के स्टैंपिंग और पंजीकरण हेतु बनाए गए वेब समर्थित एकल प्रणाली) की शुरूआत की है.

आपके बैंक ने भारत सरकार द्वारा दि. 27.05.2015 से शुरू की गई प्रभावी कन्या शिशु हेतु छोटी बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना को लागू किया है. देश की स्वर्ण की आयात को घटाने तथा घरों एवं देश की संस्थाओं में पड़े निष्क्रिय स्वर्ण का लाभकारी उपयोग करने के उद्देश्य से दि. 05.11.2015 को सोर्वेन गोल्ड बॉण्ड, 2015 तथा गोल्ड मोनेटाईजेशन योजना, 2015 प्रारंभ की गई. अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त करने हेतु आपके बैंक ने अखिल भारतीय स्तर पर उक्त योजनाओं को परिचालित किया है.

धन संपदा प्रबंधन सेवाएं

आपके बैंक ने म्युचुअल फंड तथा बीमा के जरिये उच्चतर प्रतिफल की प्राप्ति तथा सुरक्षा के सम्बंध में ग्राहकों की बढ़ती उम्मीदों को समझ लिया है. बैंक वर्ष 2004 से ही धनसम्पदा प्रबंधन सेवाएं उपलब्ध करा रहा है तथा ग्राहकों को म्युचुअल फंड, जीवन बीमा, गैर जीवन बीमा सम्बंधी उत्पाद वितरित किए जा रहे हैं. आपके बैंक नें वित्त वर्ष-16 में 1,10,000 नए एसआईपी का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है. जिसके फलस्वरूप पहली बार ग्राहकों की सहभागिता में वृद्धि हुई है. आपके बैंक ने पीएमजेजेबीवाई योजना के अतिरिक्त 1.71 लाख लोगों को भी बीमा में कवर किया है. वित्त वर्ष 16 के दौरान अपनाई गई पहलें/ कार्ययोजनाएं :

1) बैंक ने धन संपदा प्रबंधन सेवाओं के लिए एक अलग वर्टिकल बनाया है और धन संपदा प्रबंधन सेवाओं के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसे मार्केटिंग के साथ जोड़ा गया है.
2) कार्पोरेट स्तर पर धन संपदा प्रबंधन सेवाओं के विशेषज्ञों को नियुक्त करके टीम को और मजबूत बनाया गया है और नीतिपरक और निगरानी भूमिका के लिए उत्पाद प्रबंधकों का निर्धारण किया गया है.
3) बैंक ने व्यवसाय को बढ़ाने और जीवन बीमा के लिए विशिष्ट अभियान की शुरूआत की है.

बड़ौदा पायनियर म्यूचुअल फ़ंड के कार्यक्रम में श्री. प्रभात अग्रवाल, अंचल प्रमुख, पू.उ.प्र. अंचल को सम्मानित करते हुए श्री मयंक के. मेहता, कार्यपालक निदेशक.

4) बैंक ने 55 शाखाओं में पायलट परियोजना चलाई है तथा म्यूचुअल फंड और बीमा व्यवसाय करने के लिए 'प्रमाणित अधिकारियों' के मौजूदा परिदृश्य में विजन को ब्यापक बनाने के लिए प्रशिक्षण/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चलाया गया है. आपका बैंक इस लाभ को बढ़ाने हेतु अतिरिक्त फोकस द्वारा इसे ग्राहकों से संबंध और शुल्क बढ़ाने के लिए मॉडल के रूप में प्रयोग कर रहा है.

5) बैंक नें धन संपदा प्रबंधन सेवा डेस्क को स्थापित करने के लिए 1,350 महत्वपूर्ण शाखाओं का निर्धारण किया है और इन शाखाओं में म्यूचुअल फंड और बीमा के वितरण के लिए 'प्रमाणित व्यक्तियों व अधिकारियों' को सम्मिलित किया गया है.

6) आर्किटेक्चर क्लॉज खुलने के बाद 2 स्टैंड अलोन स्वास्थ्य बीमा और 2 सामान्य बीमा कॉस को स्थापित करने के लिए प्रक्रिया शुरूकी गई है.

7) बैंक सभी म्यूचुअल फंड और बीमा संबंधित सूचनाओं को एक प्लेटफार्म पर लाने के लिए समेकित धन संपदा प्रबंधन सॉल्यूशन के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में भी है.

एनपीए प्रबंधन

विभिन्न माइक्रो इकोनॉमिक एवं अन्य कारकों के कारण, आस्तियों की गुणवत्ता को बनाए रखने की दृष्टि से बैंकिंग उद्योग के लिए वित्तीय वर्ष 2016 एक चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा. आपके बैंक की नयी गिरावट आरंभिक मानक अग्रिमों का 6.38% रही. अत्यधिक गिरावट की स्थिति में 31 मार्च, 2016 को सकल अग्रिम से सकल एनपीए का अनुपात 9.99% रहा तथा शुद्ध अग्रिम से शुद्ध एनपीए का अनुपात में 5.06% था. वर्ष के दौरान बैंक ने एनपीए प्रावधानों के रूप में ₹ 13,766 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3,998 करोड़) उपलब्ध करवाए. यह प्रावधान नियामक आवश्यकताओं से ₹ 2,954 करोड अधिक थे जिससे कि भारित आस्तियों के पेटे प्रावधान कवरेज को सुधारा जाए और तुलन पत्र को मजबूत किया जा सके. मार्च-16 के दौरान विवेकसम्मत/तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए अग्रिमों को शामिल करते हुए प्रावधान कवरेज अनुपात 60.09% रहा.

आपके बैंक ने वसूली एवं अग्रिम निगरानी कार्यों हेतु विभिन्न स्तरों पर एक व्यापक संरचना विकसित की है. इसके अतिरिक्त, प्रत्येक डीआरटी केंद्र पर नोडल अधिकारी को विधिक मामलों की दैनिक आधार पर अनुवर्ती कार्रवाई हेतु भूमिका दी गई, जिससे कि डिक्री प्राप्त करने एवं उसके क्रियान्वयन में विलंब को कम किया जा सके तथा वसूली में वृद्धि हो सके. डीआरटी में मुकदमा दायर सभी एनपीए खातों में वसूली हेतु, बैंक को प्रभारित आस्तियों की ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री की गई, जिससे समुचित बाजार मूल्य प्राप्त किया जा सके. इसके अलावा, आस्तियों को स्वामित्व में लेने एवं अन्य बिक्री पूर्व/पश्चात कार्यों में सहयोग हेतु वसूली एजेंट्स लगाए गए तथा शासकीय परिसमापकों द्वारा की गई वसूली को प्राप्त करने के उद्देश्य से शासकीय परिसमापकों (ओएल) के साथ समन्वय हेतु परामर्शदाता नियुक्त किए गए हैं. मुकदमा दायर किए गए एवं मुकदमा दायर नहीं किए गए एनपीए खातों में वसूली को तेज करने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालतों में अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित की गई. वसूली व लंबे समय से अनिर्णित मामलों को कम, करने तथा छोटे खातों में वसूली तेज करने के लिए आपके बैंक की शाखाओं द्वारा नियमित रूप से वसूली शिविर आयोजित किए गए.

आपके बैंक ने एनपीए खातों में वसूली के लिए अनुवर्ती कार्रवाई प्रक्रिया पर बल देना जारी रखा. कार्पोरेट कार्यालय द्वारा क्षेत्रों एवं अंचलों के साथ सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1 करोड़ एवं उससे अधिक राशि के बड़े खातों की निगरानी प्रक्रिया अपना कर, शाखाओं, अधिवक्ताओं, वसूली एजेन्टों आदि के माध्यम से सक्रिय कार्रवाई सुनिश्चित की गई. आपके बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा अनेक स्तरों पर सरफेसी अधिनियम अंतर्गत कार्रवाई की निगरानी भी की गई.

आपके बैंक ने एनपीए वसूली के लिए क्षेत्रवार निम्नानुसार अनुवर्ती कार्रवाई तंत्र पर बल देना लगातार जारी रखा.

लार्ज एवं मिड कार्पोरेट खाते

1. बड़े एवं धोखाधड़ी मामलों हेतु प्रतिष्ठित वरिष्ठ अधिवक्ताओं/विधि कंपनियों को रोकना,
2. शीघ्र समाधान हेतु बड़े एनपीए व पीएनपीए खाते उच्च प्रबंधन को दिए गए,
3. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकों के नेतृत्व में उच्च प्रबन्धक टीम द्वारा बड़े खातों की निगरानी,
4. एक-एक एनपीए एवं बट्टे खाते डाले गए खातों में वसूली तथा निगरानी के लिए कार्पोरेट कार्यालय के 03 महाप्रबंधकों को अंचल आवंटित किए गए है,

एमएसएमई बैंकिंग

1. 0 से 90 दिनों में चूक का पता लगाने हेतु डेटा माइनिंग को समृद्ध बनाना,
2. समस्याग्रस्त खातों का शीघ्र पता लगाना, निरपेक्ष रूप से स्वामित्व की पुनः जांच की शुरुआत, सम्पत्तियों का नवीन मूल्यांकन एवं एसएमए-2 खातों में अप्रभारित आस्तियों का पता लगाना,
3. वसूली में लगे अधिकारियों द्वारा पूरे देश में लघु खातों में प्रभावशाली निगरानी तथा अनुवर्ती कार्रवाई,
4. वसूली एवं निगरानी की नियमित प्रगति की जांच हेतु अंचल कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा स्तर पर समर्पित टीम,

रिटेल लेंडिंग

1. संग्रह एवं वसूली हेतु 150 टेलीकॉलर्स की सेवाओं के साथ प्रौद्योगिकी का प्रयोग
2. गाड़ियों को जब्त करना.
3. समझौता हेतु शाखाओं के प्राधिकारों में वृद्धि.
4. वसूली एजेन्टों के लिए निजी संधि, शीघ्र समाधान प्रोत्साहन.
5. सॉफ्ट अनुस्मारक जारी करना
6. एसएमएस अलटर्स में वृद्धि
7. एफओएस के माध्यम से मुश्किल कलेक्शन का आउटसोर्सिंग
8. 100 बड़े केन्द्रों पर एफओएस हेतु वसूली केंद्र की स्थापना प्रगति पर है.

ग्रामीण कृषि

1. एनपीए खातों में वसूली हेतु बीसी का अधिकतम प्रयोग

2. लघु एनपीए खातों में वसूली हेतु प्रोत्साहन योजना (संकल्प 9)

बैंक को आईबीए द्वारा बड़े बैंको की श्रेणी में ''बेस्ट फ़ाईनेंशियल इंक्लूजन इनिसिएटिव'' के लिए फ़र्स्ट रनर अप अवार्ड मुंबई मे बैंकिंग टेक्नोलोजी अवार्ड 2016 मे प्रदान किया गया.

चूक से पूर्व निगरानी

- एसएमई एवं खुदरा ऋण से संबन्धित ₹ 5 लाख से ऊपर एवं ₹ 1 करोड़ तक के खातों में संग्रहण/ वसूली हेतु बीसीसी स्तर पर वॉर रूम की स्थापना.
- चूक नियंत्रण हेतु सभी खुदरा एवं एसएमई ऋण खातों में समय से वसूली की अनुवर्ती कार्रवाई हेतु हर क्षेत्र में 10-12 अधिकारियों की टीम (कुल 800 अधिकारियों) समर्पित रूप से कार्य कर रही है.

मुकदमा दायर खाते

- डीआरटी हेतु नोडल अधिकारी प्रत्येक मामले की सघन निगरानी एवं कम से कम समय में वसूली प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करते हैं. आरसी क्रियान्वयन में, नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि जैसे ही डीआरटी द्वारा आरसी निर्गत की जाती है, आरसी की क्रियान्वयन प्रक्रिया शुरू हो जाए. नोडल अधिकारी, आधार शाखाओं एवं संबंधित अधिवक्ताओं द्वारा डीआरटी में उठाए गए मुद्दों पर समय से अनुपालन की निगरानी करते हैं.

वित्तीय वर्ष 16 के दौरान एनपीए खातों में नकदी वसूली ₹ 1,481 करोड़ एवं उन्नयन ₹ 533.87 करोड़ रहा.

आस्तियों का वर्गीकरण के अनुरूप आपके बैंक के अग्रिम पोर्टफोलियो का अलग-अलग विवरण निम्नलिखित है - (₹ करोड़ में)

आस्तियों की श्रेणी (सकल)	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2015
मानक	3,64,996	4,21,019
सकल एनपीए	40,521	16,261
कुल	4,05,517	4,37,280
सकल एनपीए		
समावेशितः		
अवमानक	11,569	4,369
संदिग्ध	25,765	10,383
हानि	3,186	1,510
कुल सकल एनपीए	40,521	16,261

ऋण निगरानी

ऋण निगरानी, आस्तियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सबसे महत्वपूर्ण हथियार है. आपके बैंक के पास गिरावट को रोकने तथा आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए समय से सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु विभिन्न स्तरों (शाखा/क्षेत्र/अंचल एवं कार्पोरेट) पर अग्रिम खातों की निगरानी प्रक्रिया है. महाप्रबंधक प्रमुख के साथ कार्पोरेट स्तर पर ऋण निगरानी प्रकार्यों हेतु सितंबर, 2008 से एक अलग विभाग स्थापित है तथा एक-एक क्षेत्रीय एवं अंचल स्तर पर विभाग के रूप में कार्य कर रहे हैं. बैंक की घरेलू नीति के अनुरूप सभी अंचल एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में 'गिरावट रोको कार्यदल' (एसपीटीएफ) का गठन किया गया, जिसे समयबद्ध रूप से प्रारम्भिक स्टेज में ही गिरावट पर रोक लगाने तथा आवश्यक सुधारात्मक कारवाई योजना की भी शुरुआत के लिए सक्रिय किया गया.

कार्पोरेट स्तर पर ऋण निगरानी विभाग का मुख्य उद्देश्य एवं प्रकार्य निम्नलिखित हैं:

- शुरू में ही अग्रिम खातों में कमियाँ /संभावित चूक/आरम्भिक समस्या को पहचानना एवं अग्रिम खातों में हानिकरण/ऋण खातों की ऋण गुणवत्ता में गिरावट को रोकने हेतु समुचित तथा समय से सुधारात्मक कार्रवाई की पहल करना.
- आरबीआइ के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, संकटग्रस्त आस्तियों के पुनरुद्धार हेतु, आरंभिक दबाव वाले खातों को विशेष उल्लिखित खातों की (एसएमए) श्रेणी के अंतर्गत एसएमए 0, एसएमए 1 एवं एसएमए 2 नाम दिए गए हैं. संयुक्त उधारकर्ता फोरम के गठन हेतु सभी एसएमए 2 खातों की अनुवर्ती कार्रवाई की जाती हैं तथा सुधार, पुनर्रचना एवं वसूली के माध्यम से सुधारात्मक कार्रवाई योजना के अंतर्गत दबाव का समाधान करने हेतु विकल्पों पर विचार किया जाता है.
- प्रभावशाली अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से आस्ति वर्गीकरण में गिरावट पर रोक लगाना एवं उधार खातों की क्रेडिट रेटिंग का अपकर्ष.
- पुनर्रचना/अनुकूल कर्ज पुनर्रचना हेतु उपयुक्त मामलों की पहचान, साथ ही साथ उधारकर्ता द्वारा समरूप योगदान की स्थिति में योग्य एवं प्रामाणिक मामलों में वित्तपोषण.
- खातों की समीक्षा तथा शर्तों के अनुपालन हेतु आवश्यक कदम उठाना/नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई और इस प्रकार क्रेडिट पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में सुधार करना.
- औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के अंतर्गत खातों की निगरानी.
- आपके बैंक के पास ऋण धोखाघड़ी का सामना करने एवं सीआरआईएलसी प्लेटफॉर्म को खातों की रिपोर्टिंग की रूपरेखा पर आरबीआइ के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आरम्भिक चेतावनी संकेतों (ईडब्ल्यूएस) के आधार पर रेड फ्लैग खाते(आरएफए) की पहचान करने के लिए अपना तंत्र है.

अग्रिम खातों की मासिक निगरानी

बैंक द्वारा ₹ 10 करोड़ एवं उससे ऊपर के निधि एवं गैर-निधि आधारित(एफबी+एनएफबी) अग्रिम खातों से संबंधित मासिक निगरानी रिपोर्ट (एमएमआर) हेतु एक वेब आधारित ऑन-लाइन सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिसकी शुरुआत जनवरी 2013 में की गई एवं समय समय पर इसे अद्यतन किया जाता है. आपके बैंक के क्रेडिट पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में सुधार के लिए एमएमआर के आधार पर खातों की शीघ्र समीक्षा, अनियमितताओं में सुधार, बड़े अग्रिम खातों में शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है.

अग्रिम खातों का पुनर्गठन

आपका बैंक अस्ति गुणवत्ता में सुधार हेतु उद्योगवार साथ ही साथ उधारकर्तानुसार दबावपूर्ण अग्रिम पोर्टफोलियो की निरंतर जांच करता रहता है, ताकि परियोजना/कार्य की व्यवहार्यता के आधार पर पुनर्रचना के द्वारा समुचित कार्रवाई की जा सके. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न अग्रिम खातों का पुनर्गठन निम्नलिखित टेबल के अनुरूप किया.

अग्रिम खातों की पुनर्रचना (वैश्विक) - 2015-16

(₹ करोड़ में)

विवरण		सीडीआर की व्यवस्था	एसएमई	अन्य	कुल
पुनर्गठित मानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या		19	564	583
	बकाया संख्या	227	108	975	1,310
पुनर्गठित अवमान अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	1	58	332	391
	बकाया संख्या	72	16	57	146
पुनर्गठित संदिग्ध अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	1	41	200	242
	बकाया संख्या	1,031	60	404	1,495
कुल	उधारकर्ताओं की संख्या	2	118	1,096	1,216
	बकाया संख्या	1,331	185	1,436	2,953

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)

आपके बैंक ने अपने घरेलू, विदेशी तथा अनुषंगी परिचालनों को कवर करते हुए एक सम्पूर्ण व्यवसाय एवं आईटी कार्यनीति परियोजना प्रारंभ की है.

- आपके बैंक ने अपटाईम इन्सिटयूट टीयर 3 मानक से सुसंगत एक आधुनिक डेटा सेंटर तथा ग्राहकों को अनवरत बैंकिंग सेवाओं की सुपुर्दगी के लिए विभिन्न सिस्मिक जोन में प्रत्येक असफलता के क्षण में आपदा पुनः स्थापन साईट का का क्रियान्वयन करते हुए उत्कृष्ट तकनीकी ढ़ांचा बनाया है.
- आपदा पुनः स्थापन केंद्र के अतिरिक्त आपके बैंक ने अपने व्यवसाय निरंतरता आयोजन एवं आपदा पुनर्स्थापन कार्यनीति एक भाग के रूप में शून्य डाटा हानि सुनिश्चित करने हेतु आपदा पुनर्स्थापन केंद्र का अनुपालन भी किया है
- आपके बैंक ने लगातार तकनीकी क्षेत्र में नई पहलों जैसे विंडो सर्वर वर्च्यूलाइजेशन और हरित पहल के रूप में वेकअप कोंसोलीडेशन को जारी रखा है तथा डाटा सेंटर के परिचालानात्मक दक्षता में भी सुधार किया है. एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन, स्वतः संग्रहण प्रणाली (एएसएम) और रियल एप्लीकेशन कलस्टर (आरएसी) लागू करना, बैंडविथ अपग्रेडेशन, बैकअप लिंक का प्रावधान, गुणवत्ता को सुधारने हेतु एमपीएलएस (मल्टी प्रोटोकोल लेवल स्वीचिंग) पर नई तकनीकी सेवाओं का उपयोग करना तथा डिमांड अपग्रेड आदि कुछ प्रमुख पहल हैं.
- आपका बैंक सेवाएं देने वाले विविध चैनलों के माध्यमों में व्यवसाय विकास की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए नियमित दक्षता आयोजना को अपग्रेड तथा रिफ्रेश करता रहा है.
- आपके बैंक ने इंटरप्राईज प्रबंधन प्रणाली को अपनाया है तथा बैंक की विकसित आईटी संरचना का प्रभावशाली ढ़ंग से प्रबंध किया है तथा उसकी निगरानी की है.
- आपके बैंक ने कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) अपनाने तथा अपनी सभी घरेलू शाखाओं तथा 23 विदेशी टेरिटरी में अन्य एप्लीकेशन प्लेटफार्म उपलब्ध कराने, प्रबंधन की सहजता एवं निगरानी तथा संसाधनों का पूरा उपयोग करने के लिए केंद्रीकृत आईटी संरचना को विकसित किया है. आपके बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) के पास सीबीएस प्लेटफ़ार्म के साथ - साथ डिलवरी चैनल भी है.
- आपके बैंक ने कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) में फिनेकल 10.x तथा ई बैंकिंग में 11.x अपग्रेडेशन की पहल की है.

डिजीटल बैंकिंग पहलें :

इंटरनेट बैंकिंग - बड़ौदा कनेक्ट

आपका बैंक अपने इंटरनेट बैंकिंग चैनलों (बड़ौदा कनेक्ट) में लगातार और अधिक सुविधाएं जोड़ रहा है. वित्तीय वर्ष16 के दौरान ग्राहकों को बेहतर सुविधा तथा नियंत्रण प्रदान करने के लिए बड़ौदा कनेक्ट में कई नई विशेषताएं जोड़ी गई हैं. बड़ौदा कनेक्ट में नई विशेषताएं जोड़ने के संदर्भ में उठाए गए कदम निम्नानुसार है :-

- रिटेल ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड का उपयोग करके बड़ौदा कनेक्ट में स्वतः पंजीकरण करने की सुविधा का आरंभ किया गया. इस विशेषता का उपयोग करके, सभी रिटेल ग्राहक जो बड़ौदा कनेक्ट में पंजीकृत नहीं हैं, वे शाखा में जाकर मैन्यूअल आवेदन किए बिना स्वतः बड़ौदा कनेक्ट में पंजीकृत हो सकते हैं.
- बड़ौदा कनेक्ट के रिटेल ग्राहकों के लिए संव्यवहार पासवर्ड को रिसेट करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है जिसके माध्यम से पासवार्ड भूल जाने / पासवर्ड की अवधि समाप्त हो जाने / गलत पासवर्ड डालने के कारण पासवर्ड निष्क्रिय हो जाने की दशा में रिटेल ग्राहक डेबिट कार्ड का उपयोग करके संव्यवहार पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं.

- शाखा में जाए बिना या टॉल फ्री नंबर में कॉल किए बिना ग्राहक के द्वारा पंजीकृत ई मेल आई डी से यूजर आई डी पुनः प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है.

- ग्राहक अब अपने बड़ौदा कनेक्ट पोर्टल पर पीपीएफ खाते को लिंक कर सकते हैं. ग्राहक खाते की विवरणी देख सकते हैं तथा खाते में राशि जमा कर सकते हैं.
- बड़ौदा कनेक्ट का उपयोग करके अब ग्राहक प्रधानमंत्री बीमा योजना हेतु पंजीकृत हो सकते हैं.
- ग्राहकों को भुगतान करते समय जिस खाते का वह चुनाव करना चाहते हैं उसको लिंक करने/डीलिंक करने की सुविधा का विकल्प प्रदान किया गया है जिसे ग्राहक चुन सकते हैं.
- ग्राहक अब अपने बैंक खाते को आधार से जोड़ने का अनुरोध कर सकते हैं.
- मासिक आय योजना, नियमित आय योजना, बड़ौदा महा उत्सव जमा, बड़ौदा डबल धमाका जमा योजना, बडौदा कर बचत - आरआईआरडी, बड़ौदा कर बचत- एमआईपी, बड़ौदा कर बचत- क्यूआईपी और लघु जमा ओआरडी में निवेश की सुविधा उपलब्ध है.

मोबाइल बैंकिंग - बड़ौदा एम कनेक्ट तथा आईएमपीएस

मोबाइल बैंकिंग को आपके बैंक में नई पीढ़ी तथा प्रौद्योगिकी से भली-भांति परिचित ग्राहकों को आकर्षित करने एवं उनकी जरूरतों के अनुकूल बनाते हुए, इसकी पहचान और अनुभव को और बेहतर बनाते हुए तथा उपयोग में इसे अत्यंत सरल बनाते हुए इस सुविधा का कायाकल्प किया गया है. वैकल्पिक डिलीवरी चैनल के रूप में मोबाइल बैंकिंग प्लेटफार्म ग्राहकों को अनेक सुविधाएं यथा आइकॉन आधारित यूजर इंटरफेस, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, निधि-अंतरण, भुगतान रोकना, चेक स्टेटस अन्य सेवाएं प्रदान कर रहा है. मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन सुविधा सभी आईफोन, ब्लेकबैरी, एंडरॉइड विंडो डिवाइस पर उपलब्ध कराई गई है. पर्सन टू एकाउंट (पी2ए), मर्चेंट भुगतान (पी2 एम), आधार कार्ड आधारित धन प्रेषण (पी2यू) को कवर करने के लिए तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) का क्रियान्वित किया गया है. मोबाईल बैंकिंग प्लेटफार्म पर अन्य प्रमुख सुविधाएं , जैसे सीबीएस तथा नेट बैंकिंग के माध्यम से मोबाईल बैंकिंग पंजीकरण, शाखाओं के माध्यम से आईएमपीएस, एएक्सआईओएम एसएमएस एग्रीगेटर को क्रियांवित किया गया है. एनआरआई ग्राहकों के लिए एम-पासबुक की डीटीएच रिचार्ज की सुविधा आदि शुरू की गई है.

बड़ौदा नॉन स्टाप लॉबीज (ई-लॉबीज)

24 x 7 रुटीन बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बड़ौदा नॉन स्टाप लॉबीज़ जिनमें पांच स्वयं सेवा मशीनें यथा कैश रिसाईकलर, एटीएम, मल्टी फंक्शन कियोस्क, पासबुक प्रिंटर तथा डिजिटल साइनेज सिस्टम सेवाएं उपलब्ध हैं, स्थापित की गई हैं. इन लॉबीज से बैंक की बेहतर उपस्थिति दर्ज हो रही है तथा इन्हें ग्राहकों तथा स्टाफ सदस्यों से अच्छी प्रतिक्रिया भी मिल रही है. मार्च 2015 में बड़ौदा ई - लॉबी की संख्या -151- थी, जो मार्च 2016 में बढ़कर -252- हो गई.

बड़ौदा एक्सप्रेस - 24 x 7 लॉबी :-

'बड़ौदा एक्सप्रेस - 24x7 लॉबी' बड़ौदा नॉन स्टाप लॉबी का ही छोटा संस्करण है , जिसमें वर्तमान एटीएम केबिन की आंतरिक संरचना में ही थोड़ा बदलाव करके एटीएम केबिन में ही एटीएम के साथ - साथ कैश रिसाईकलर तथा पासबुक प्रिंटर लगाकर अतिरिक्त सेवाएं प्रदान की जाती है. बड़ौदा एक्सप्रेस ई-लॉबी की शुरूआत सितंबर 2015 से हुई है. मार्च 2016 तक बैंक के पास कुल-451- बड़ौदा एक्सप्रेस -24x7 लॉबी हैं.

श्री बी. बी. जोशी, कार्यपालक निदेशक सयाजीगंज शाखा, बड़ौदा में ई-लॉबी का शुभारंभ करते हुए, साथ में है श्री भरतकुमार डी. डांगर, निदेशक.

कॉन्टेक्ट सेंटर

कॉन्टेक्ट सेंटर अधिकतर बैंकिंग सेवाओं को टेलीफोन के माध्यम से प्रदान करता है. सभी ग्राहक या आम आदमी देश में कहीं से भी टोल फ्री नंबर 1800 22 33 44 तथा 1800 102 44 55 पर फोन करके कॉन्टेक्ट सेंटर से संपर्क कर सकते हैं.

प्रधानमंत्री जन-धन योजना तथा अन्य वित्तीय समावेशन वाले ग्राहकों के लिए समर्पित नंबर टोल फ्री नं. 1800 102 77 88 उपलब्ध कराया गया है. बिना किसी अवकाश के पूरे सालभर कॉन्टेक्ट सेंटर के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध है.

कॉन्टेक्ट सेंटर वर्तमान में निम्नानुसार सेवाएं प्रदान करते हैं :-

- खाते से संबंधित जानकारी - बैलेंस पूछताछ , संव्यवहार विवरणी आदि.
- चेक सेवाएं :- भुगतान रोकना , चेक बुक हेतु आवेदन , पूछताछ आदि.
- डेबिट कार्ड से संबंधित सेवाएं :- हेल्पडेस्क , हॉट - लिस्टिंग, पिन का पंजीकरण , कार्ड पुनः जारी करना, असफल संव्यवहार की शिकायत दर्ज करना आदि.

- इंटरनेट बैंकिंग :- हेल्पडेस्क, हेंडहोल्डिंग, पासवर्ड को सक्रिय करना, पासवर्ड को पुनः जनरेट करना, असफल संव्यवहार की शिकायत दर्ज करना आदि.
- मोबाइल बैंकिंग :- हेल्पडेस्क, हैंडहोल्डिंग आदि.
- सामान्य पूछताछ :- उत्पाद एवं सेवाओं से संबंधित, शाखा / एटीएम की लोकेशन, ब्याज दर की सूचना, पूछताछ की गई उत्पाद का लीड जनरेट करना आदि.
- इनमें से अधिकतर सेवाएं इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) के माध्यम से 24x7 उपलब्ध हैं. ये सेवाएं (डेबिट कार्ड हॉट - लिस्टिंग वेबचैट तथा एनआरआई हेल्प डेस्क जो कि 24x7 उपलब्ध है, को छोड़कर) एजेंटों के माध्यम से प्रातः 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक उपलब्ध है

एसएमएस बैंकिंग :-

उन ग्राहकों के लिए जो केवल सूचना आधारित बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करना चाहते हैं, आपके बैंक ने पंजीकृत मोबाईल नंबर से बैलेंस इंक्वायरी, लघु विवरणी, चेक की स्थिति जानने के लिए एसएमएस बैंकिंग प्रारंभ की है. इस उत्पाद का प्रयोग करना बहुत ही आसान और इतना सरल है कि कोई भी ग्राहक किसी पंजीकरण प्रक्रिया के बिना भी इसका उपयोग करना प्रारंभ कर सकता है.

बड़ौदा ई गेट वे - इंटरनेट पेमेंट गेटवे

अपने व्यापारी ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड एवं नेट बैंकिंग के माध्यम से संग्रहित भुगतान द्वारा इलेक्ट्रानिक पेमेंट प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के लिए आपके बैंक के पास स्वयं की पूरी संरचना उपलब्ध है. अपने ग्राहकों को अतिरिक्त भुगतान माध्यम उपलब्ध कराने हेतु प्रमुख बैंकों की नेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भुगतान संग्रहकों, जैसे बिल डेस्क, सिट्रस पेमेंट सोल्यूशन प्रा.लि. तथा पे-टीएम के साथ बैंक का टाइअप है. बैंक से जुड़े व्यापारियों को सुखद अनुभव प्रदान करने तथा उन्हें दी जाने वाली सेवाओं को बढ़ाने हेतु आपका बैंक आईपीजी संरचना को अद्यतन करने की प्रक्रिया में है.

सेल्फ सर्विस पासबुक प्रिंटर्स (एसएसपीबीपी)

सेल्फ सर्विस पासबुक प्रिंटर्स एक स्वचालित कियोस्क है , जिसके माध्यम से ग्राहक स्वयं अपनी पासबुक को प्रिंट कर सकता है. एसएसपीबीपी कियोस्क पासबुक पर लगी मैग्नेटिक पट्टी से खाते से संबंधित विवरण प्राप्त कर लेते हैं तथा इसी विवरण के माध्यम से कियोस्क खाते के लेन-देन का ब्यौरा प्राप्त करते हैं एवं इसे पासबुक पर प्रिंट करते हैं. ग्राहक ई लॉबी / एटीएम में लगी एसएसपीबीपी मशीन से इस सुविधा का उपयोग 24 x 7 कर सकते हैं.

एटीएम

ग्राहकों को अनवरत रूप से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वर्ष के दौरान आपके बैंक ने सम्पूर्ण भारत वर्ष में सुविधाजनक स्थानों पर 945 अतिरिक्त एटीएम लगाए तथा 07 वर्षों से पुराने हो चुके 206 एटीएम को बदला गया. ग्राहकों के लिए 50 से अधिक एटीएम को सुविधाजनक स्थानों पर स्थानांतरित किया गया. दिनांक 31.03.2016 को बैंक के पास 8,975 एटीएम का नेटवर्क है.

वर्ष के दौरान, एटीएम के माध्यम से एनएफएस नेटवर्क पर मोबाईल बैंकिंग पंजीकरण क्रियांवित किया गया. एटीएम के माध्यम से गुजरात ऊर्जा बिल भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. प्रधानमंत्री जन-धन योजना वाले ग्राहकों के लिए एटीएम के माध्यम से ओवरड्राफ्ट हेतु आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. हमारे बैंक के साथ - साथ हमारे आरआरबी के ग्राहकों तथा अन्य बैंक के ग्राहकों हेतु माइक्रो एटीएम के माध्यम से नकदी आहरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. हमारे सभी आरआरबी के लिए रूपे ईएमवी लागू किया गया, एटीएम के माध्यम से प्राप्त लीड, कार्ड व पिन का प्रयोग करके एमएफके के माध्यम से बिल का भुगतान, एटीएम तथा कैश रिसाईकलर से बहुभाषी रसीद की प्रिंटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई. ग्राहकों के लिए कैश रिसाईकलर में कार्ड रहित नकदी जमा सुविधा, पीओएस पर रूपे कैश, ग्राहकों के लिए मुद्रा कार्ड शुरू की गई. ऑनलाइन बड़ौदा कनेक्ट यूजर के निर्माण तथा डेबिट कार्ड व पिन के माध्यम से पासवर्ड को रिसेट करने, रूपे के पंजीकरण हेतु ओटीपी की सुविधा दी गई, वीजा, मास्टर, ई-ट्रांजेक्शन, भारतवर्ष तथा न्यूजीलैंड में बड़ौदा कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड प्रारंभ किया गया. सभी डेबिट कार्ड उत्पादों को ईएमबी कार्ड में बदला गया, एटीएम कम से कम समय के लिए बंद रहे ताकि ग्राहकों को बेहतर ग्राहक सेवा प्राप्त हो सके,इसके लिए ईएसक्यू मॉनीटरिंग सोल्यूशन को सक्रिय किया गया. पीओएस पर उपयोग हेतु सक्रिय रूपे कार्ड के प्रथम उपयोग के लिए सक्रिय किया गया, अन्तर्राष्ट्रीय लेन - देन के लिए पीओएस पर पिन दर्ज करने को अनिवार्य बनाया गया, एसएमएस तथा शाखा के माध्यम से डेबिट कार्ड को ब्लॉक करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई, ओमान टेरीटरीज के लिए ईएमवी को लागू किया गया.

कैश रिसाइकलर :-

बैंक ने 20 जुलाई 2014 को प्रथम कैश रिसाईकलर स्थापित किया था. आपके बैंक ने दिनांक 31.03.2016 तक 1,135 कैश रिसाईकलर/बीएनए स्थापित कर दिए हैं. कैश रिसाईकलर बैलेंस पूछताछ , लघु विवरणी तथा पिन बदलने की सुविधा के अलावा नकदी जमा करने तथा नकदी आहरण करने की सुविधा प्रदान करता है. कैश रिसाईकलर 24x7 परिचालन हेतु उपलब्ध रहता है, अतः यह रिटेल तथा साथ ही साथ कार्पोरेट ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय है. सभी प्रकार के सफल संव्यवहार शीघ्र खाते में क्रेडिट या खाते से डेबिट हो जाते हैं तथा ग्राहकों को संव्यवहार के सफलता की पुष्टि प्राप्त हो जाती है. प्रतिदिन कैश रिसाईकलर से लगभग 1.6 लाख संव्यवहार किए जा रहे हैं.

भुगतान पद्धति

- आपके बैंक की सभी शाखाओं में आरटीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से अंतर बैंक धनप्रेषण की सुविधा उपलब्ध है. आपके बैंक के इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल में भी आरटीजीएस तथा एनईएफटी सुविधा शुरूकर दी गई है. बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दोनों में एनईएफटी तथा आरटीजीएस की सरल प्रक्रिया कार्यान्वित कर दी गई है. आरटीजीएस तथा एनईएफटी सुविधा को यूगांडा टेरीटरी में भी कार्यान्वित कर दिया गया है. वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान आपके बैंक ने 782 लाख एनईएफटी ट्रांजेक्शन तथा 74.07 लाख आरटीजीएस ट्रांजेक्शन को सफलतापूर्वक संसाधित किया है.

- भारत में सभी विदेशी विनिमय प्राधिकृत शाखाओं तथा 22 विदेशी केन्द्रों में स्विफ्ट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. भारत में सभी फॉरेक्स शाखाओं तथा 22 विदेशी केन्द्रों में धन - शोधन निवारक जांच के साथ स्विफ्ट संदेशों के संप्रेषण हेतु करने हेतु एक्सएमएमट नामक एक इंटरफेस उपलब्ध है. 22 विदेशी केन्द्रों तथा भारत में सभी प्राधिकृत शाखाओं में भुगतान मेसेसिंग सोल्यूशन (पीएमए) लागू किया गया है. पीमाए के माध्यम से सीबीएस द्वारा स्विफ्ट संदेशों की वैधता एवं फार्मेटिंग की सुविधा प्राप्त होती है और यह एएमएल जांच से भी गुजरता है.
- वित्तीय वर्ष16 के दौरान चेक ट्रांकेशन सिस्टम (सीटीस) के अंतर्गत आपके बैंक ने अतिरिक्त एमआईसीआर केन्द्रों को पश्चिमी ग्रिड (मुंबई), उत्तरी ग्रिड (दिल्ली) तथा दक्षिणी ग्रिड (चेन्नै) के सम्बद्ध सीटीस केन्दों में माइग्रेट कर दिया है.
- जमा व नामे दोनों प्रकार के संव्यवहारों के लिए राष्ट्रीय स्वचालित जमाशोधन गृह (एनएसीएच) लागू किया गया है.

अन्य ग्राहक केन्द्रित पहलें

आपके बैंक ने घरेलू परिचालनों के लिए वीसा / मास्टर कान्टेक्टलैस कार्ड जारी किया है, ओएनयूएस तथा एनपीसीआई नेटवर्क के लिए कार्ड से कार्ड अंतरण की सुविधा शुरू की है, एफआई स्वीच तथा एटीएम स्वीच का एकीकरण किया है. आपके बैंक ने न्यूजीलैंड, ओमान तथा मॉरीशस में ईएमबी कार्यान्वयन को लागू किया है. आपका बैंक इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल के माध्यम से आयकर विभाग के ई - फाईलिंग एकाउंट में प्रवेश करने की सुविधा देता है. आपका बैंक ई बैंकिंग में 6 महीने से अधिक की विवरणी लेने की सुविधा प्रदान करता है तथा ई-बैंकिंग में यूजर की सीमा निर्धारित करने की सुविधा उपलब्ध कराता है. आपका बैंक मल्टी फंक्शन कियोस्क पर मूल्य आधारित सेवाएं उपलब्ध कराती है तथा डेबिट कार्ड व पिन के माध्यम से ऑनलाइन पासवर्ड रिसेट करने की सुविधा उपलब्ध कराता है. हमारा बैंक एनआरई घरेलू ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने तथा एनआरई ग्राहकों को ऑनलाइन धन-प्रेषण की सुविधा देती है.

सूचना सुरक्षा

प्रौद्योगिकी से संबंधित खतरों के मद्देनजर वित्तीय वर्ष के दौरान एक सुदृढ़ सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वित की गई है. बैंक ने अपने कोर बैंकिंग सोल्यूशन तथा अन्य सभी एप्लीकेशन, साथ ही साथ डेटा सेंटर / डिजास्टर रिकवरी सेंटर इंफनस्ट्रक्चर का बाहरी एजेंसियों से ऑडिट कराया है. शाखाओं में सीबीएस लॉग - इन के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन शुरू किया गया है.

आपके बैंक ने उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओएस) स्थापित किया है. आपके बैंक का डाटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी सेंटर आईएसओ 27001:2013 द्वारा प्रमाणित है. इंटरनेट बैंकिंग एटीएम तथा पीओएस के लिए आपके बैंक ने फ्राड मैनेजमेंट सोल्यूशन कार्यान्वित किया है. इंटरनेट बैंकिंग में सुरक्षा और विश्वास को बढ़ाने के लिए आपके बैंक ने दोहरे प्रमाणीकरण सहित फ्राड मैनेजमेंट सोल्यूशन भारत में तथा 13 विदेशी केन्द्रों पर आरंभ किया है और इसे मोबाईल एप (एआरसीओटी), ओटीपी, पीयूएलएल ओटीपी तथा एसएमएस ओटीपी द्वारा इनेबल किया है. आपके बैंक ने एक्स्टर्नल फेसिंग एप्लीकेशन, ई - बैंकिंग, मेल मेसेजिंग, सीएमएस, आईजीपी इत्यादि की नियमित वीएपीटी (संवेदनशीलता मूल्यांकन एवं पेनिट्रेशन टेस्टिंग) कराई है.

आपके बैंक ने ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए शाखाओं में हो रहे संदिग्ध संव्यवहारों की दिन-प्रतिदिन निगरानी के लिए फ्राड जोखिम प्रबंधन प्रणाली क्रियान्वित की है. जब साइबर अटैक ज्यादा अप्रत्याशित हो गए हैं तथा इलेक्ट्रोनिक भुगतान पद्धति को प्रभावित करके नए तरीके से दुरूपयोग किया जा रहा हो , बैंकों के लिए यह जरूरी है कि वे कतिपय न्यूनतम जांच शुरूकरें ताकि ऐसे आक्रमणों का प्रभाव न्यूनतम किया जा सके तथा कम से कम हानि/ नुकसान हो सके. इसके लिए, आपके बैंक ने नुकसान को न्यूनतम करने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त सुरक्षा उपाय कार्यान्वित किए हैं:-

- आपके बैंक ने कार्ड से किए जाने वाले संव्यवहारों को कम करने के उपाय के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित किया है.
- सभी नए डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड घरेलू उपयोग के लिए जारी किए जाएंगे , जब तक कि ग्राहक द्वारा विशेष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए माँगे नहीं जाएं.
- आपका बैंक पिन समर्थित पीओएस आरंभ करेगा.
- आपके बैंक ने कार्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग में लॉग-इन तथा संव्यवहार हेतु डिजिटल सिग्नेचर सक्रिय किया है , ताकि कार्पोरेट ग्राहकों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जा सके.

बैक ऑफिस परिचालन

क्षेत्रीय बैक ऑफिस एवं सिटी बैक ऑफिस

वर्तमान में आपके बैंक में 13 क्षेत्रीय बैक ऑफिस(आरबीओ) हैं. आपके बैंक में कासा खाता खोलने के फार्मो को प्रोसेस करने और व्यक्तिगत चेक बुक जारी करने के लिए प्रत्येक अंचल में एक क्षेत्रीय बैक ऑफिस है. आपके बैंक में 31.03.2016 तक 5218 से अधिक शाखाओं को क्षेत्रीय बैक ऑफिस के माध्यम से केंद्रीकृत खाता खोलने और व्यक्तिगत चेक बुक जारी करने हेतु जोड़ दिया गया है. आपके बैंक में पहले की सभी 22 सेवा प्रदाता शाखाएं सिटी बैक ऑफिस के रूप में कार्य कर रही हैं और 62 मुख्य शाखाएं क्लीयरिंग गतिविधियों और वर्तमान में ईसीएस 3030 शाखाओं को कवर करते हुए क्लीयरिंग के माध्यम से आवक एवं जावक चेकों की प्रोसेसिंग करने के लिए कार्यरत हैं. संमीक्षाधीन अवधि के दौरान दक्षिणी ग्रिड में सीटीएस(चेक ट्रांकेशन सिस्टम) 100% क्लीयरिंग हेतु माइग्रेशन का कार्य तथा पश्चिमी ग्रिड के माइकर (मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकोग्निशन) का कार्य 20 केंद्रों पर पूरा हो गया है. सीटीएस क्लीयरिंग उत्तरी ग्रिड के 21 माइकर केंद्रों पर भी कार्यान्वित किया गया है. सीटीएस क्लीयरिंग सभी तीनो ग्रिडों अर्थात दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी ग्रिड में सुचार रूप से कार्य कर रहा है.

नकदी प्रबंधन और करेंसी चेस्ट

आपके बैंक ने अखिल भारतीय स्तर पर बैंक के ग्राहकों को घर-घर जाकर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए पहल का शुभारंभ किया है. इससे बैंक

के चालू जमा पोर्टफोलियो की बढ़ोत्तरी होगी. बैंक ने सभी शाखाओं को एनएसएम उपलब्ध कराया है और चेस्ट में आरबीआई की स्वच्छ नोट नीति का अनुपालन किया जा रहा है. वित्तीय वर्ष के दौरान 4 नए करेंसी चेस्ट (दम दम, करनाल, पाटन और निपानिया) खोले गए हैं. अब आपके बैंक के पास -91- करेंसी चेस्ट हैं.

विपणन

आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान अपनी विभिन्न मार्केटिंग पहलों द्वारा अपने ब्रांड तथा विभिन्न उत्पादों व सेवाओं का लगातार संवर्द्धन किया है. क्षेत्रीय एवं अंचल स्तर पर विभिन्न गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न मीडिया माध्यमों जैसे कि प्रिंट, इलेक्ट्रानिक (टीवी/रेडियो) डिजिटल एवं आउट ऑफ होम (ओओएच) के लिए अंचल/क्षेत्रीय स्तर पर चालू किए गए एबव-द-लाइन (एटीएल) के साथ-साथ बिलो-द-लाइन (बीटीएल) के सहयोग का प्रभावी उपयोग विपणन पहलों में शामिल है.

आपके बैंक ने 1 जनवरी, 2016 से सोशल मीडिया में फेसबुक और ट्विटर पर उपस्थिति दर्ज की है. आपका बैंक जनसांख्यिकी और भौगोलिक स्तर पर व्यक्तिगत ग्राहकों से जुड़ने के लिए प्लेटफार्म के रूप में सोशल मीडिया के महत्व की सराहना करता है और इस माध्यम का उपयोग संप्रेषण के प्रभावी साधन के रूप में करेगा. बैंक ने भिन्न-भिन्न उत्पादों को न्यायसंगत रूप में बढ़ावा देने तथा ग्राहक शिक्षा अभियानों को संचालित करने के लिए भी सोशल मीडिया के उपयोग की योजना बनाई है ताकि ग्राहकों के साथ लाभप्रद रूप में जुड़ सकें तथा संबंध विकसित कर सकें. बैंक को अपने वांछित समूहों से जुड़कर इसका सकारात्मक प्रतिसाद मिला है.

श्री पी. एस. जयकुमार, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सोशल मीडिया मे बैंक की उपस्थिति का शुभारंभ करते हुए, साथ में श्री बी. बी. जोशी, कार्यपालक निदेशक तथा अन्य उच्च कार्यपालक.

बैंक ने फरवरी/मार्च में तीन अभियान चलाएं हैं जिसका विवरण नीचे दिया गया है. प्रत्येक अभियान विभिन्न उद्देश्यों, जैसे ऑनलाइन ब्राण्ड बिल्डिंग, परिभाषित लक्ष्य खंडो में जागरूकता, व्यवसाय अधिग्रहण, बैंकिंग ट्रांजेक्शन की लागत को कम करने के लिए वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों को बढ़ावा देना, की पूर्ति के लिए डिजाइन किया गया है. कुछ उदाहरण दिए गए हैं.

ए. वनइनएलीप

वनइनएलीप एक सोशल मीडिया प्रतियोगिता थी जिसे 29 फरवरी 2016 को फेसबुक और ट्विटर पर आयोजित किया गया था. इसका उद्देश्य वर्ष के लीप दिन का लाभ उठाना था और डिजिटल क्षेत्र में ब्रांड विजिबिलिटी को बढ़ाना था और एकमात्र दिन के कार्यक्रम से लक्ष्य समूह को जोड़ना था. वनइनएलीप ने वांछित लक्ष्य समूहों के बीच जानकारी बढ़ाने में सफलता प्राप्त की. इस अभियान में लगभग प्रतिदिन पोस्ट की मात्रा सोशल मीडिया पर हमारी उपस्थिति केवल एक ही दिन में उच्चतम रिकार्ड दर्ज है.

बी. बड़ौदा एसएमएस (मॉर्टगेज लिंक्ड)

बड़ौदा विशेषीकृत मॉर्टगेज स्टोर (एसएमएस) अभियान का शुभारंभ दो विशेष उद्देश्यों-ब्रांड तथा नए शुरू किए गए वन स्टॉप स्टोर - बडौदा विशेषीकृत मॉर्टगेज स्टोर (एसएमएस) शाखा और उत्पाद के प्रति जागरूकता के हेतु निष्पादित किया गया था जो शाखा के लिए लीड जनरेशन द्वारा केवल मुंबई पर केंद्रित लक्ष्य के माध्यम से व्यवसाय अधिग्रहण करें. 15 दिन की अल्प अवधि में, प्रोसेसिंग, स्वीकृति और संवितरण के लिए 300 से ज्यादा लीड जनरेट की गई.

आपके बैंक ने विभिन्न स्थानों पर प्रचार के माध्यम से लक्ष्य समूह के बीच विविध प्रचार अभियान शुरू किए. विविध उत्पादों एवं सेवाओं पर जानकारी उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा, वैकल्पिक डिलिवरी चैनलों का जोर-शोर से प्रचार किया गया. इसी क्रम में, अखिल भारतीय आधार पर विविध मीडिया चैनलों का प्रयोग करते हुए विशेष ग्राहक खंड पर भी ध्यान केंद्रित किया गया जैसे एमएसएमई, ग्रामीण एवं कृषि खंड, एनआरआई आदि हेतु विशेष प्रस्ताव.

अपने विविध हितधारकों के साथ ब्रांड संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से आपके बैंक ने वार्षिक बैंकिंग सम्मेलन विभिन्न आयोजनों में भाग लिया है जैसे फिक्की-आईबीए बैंकिंग कांफ्रेंस 2015, एमआईएमटी एनुअल बैंकिंग कॉनक्लेव 2016, डन एंड ब्रॉडस्ट्रीट- टॉप बीएफएसआई कंपनीज 2016, स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन 2016, भारत-दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट ऋंखला 2015 इसके अतिरिक्त विजिविलिटी और ब्रांड रिकॉल वैल्यू बढ़ाने के लिए कई आयोजनों में भाग लिया है.

बैंक की शाखा नेटवर्क

31.03.2016 तक बैंक का शाखा नेटवर्क इस प्रकार है:

घरेलू: क्षेत्र वर्गीकरण (भारत)	शाखाओं की संख्या	कुल संख्या का %
महानगरीय	1008	18.91
शहरी	933	17.50
अर्ध-शहरी	1425	26.74
ग्रामीण	1964	36.85
कुल	5330	100
विदेशी: (एक प्रतिनिधि कार्यालय तथा अनुक्षंगियों की शाखाएं को शामिल करके)	106	--

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

विभिन्न विकास संबंधी गतिविधियों के माध्यम से समाज के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में सक्रिय योगदान देने की बैंक ऑफ़ बड़ौदा की पुरानी परम्परा रही है. शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव कल्याण और अन्य सामाजिक गतिविधियां बैंक

के प्रमुख केन्द्रित क्षेत्र हैं. समाज के विभिन्न वर्गों के लिए अपने प्रयासों को जारी रखते हुए हमारे बैंक ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान अपने प्रयासों को और तेज किया. बैंक ने कमजोर वर्ग, ग्रामीण जनसमुदाय तथा अन्यों के लाभ के लिए सामाजिक-आर्थिक कल्याण गतिविधियों तथा विभिन्न समुदाय विकास कार्यों में लगे अलग-अलग संगठनों के लिए ₹ 1,940.21 लाख की राशि स्वीकृत की है.

दया रीहेबिलिटेशन ट्रस्ट. वडागरा, कोझिकोड केरल को एम्बुलेन्स खरीदने के लिए दान देते हुए.

आपके बैंक द्वारा सीएसआर के क्षेत्र में जो कदम उठाए गए, वे निम्नलिखित हैं:

बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान (बड़ौदा आर-सेटी)

कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी युवाओं के लिए स्वयं रोजगार स्थापित करने हेतु हमारे बैंक ने देश के छह राज्यों में 49 बीएसवीएस (बड़ौदा आर-सेटी) स्थापित किए हैं, जिनमें से 45 हमारे अग्रणी जिलों में हैं तथा 4 गैर-अग्रणी जिलों में हैं. यह स्वयं रोजगार के माध्यम से गरीबी मिटाने की दिशा में हमारे बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. अभी तक हमारे बड़ौदा स्वरोजगार संस्थानों ने 9,188 प्रोग्राम आयोजित किए हैं तथा 2,63,782 युवकों को प्रशिक्षण दिया है, जिनमें से 1,58,759 ने या तो रोजगार प्राप्त कर लिया है या उन्होंने अपने उद्यम स्थापित कर लिए हैं. निपटान अनुपात 60.19% है.

वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्र (एफएलसीसी)

सामान्य वित्तीय क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न वित्तीय उत्पादों के बारे में ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्र के लोगों को शिक्षित करने तथा वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए हमारे बैंक ने देश के आठ राज्यों में 51 एफएलसीसी भी स्थापित किए हैं. इन केन्द्रों पर वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग सेवाओं के बारे में जागरूकता, वित्तीय योजना तथा किसी व्यक्ति की कर्ज संबंधी परेशानी में सुधार संबंधी क्रिया-कलाप भी किए जाते हैं.

जोखिम प्रबंधन

स्थायी विकास सुनिश्चित करने के लिए आपके बैंक ने एक व्यवस्थित जोखिम प्रणाली विकसित की है ताकि बैंक द्वारा अनुमानित जोखिमों का लगातार और व्यवस्थित आकलन व मॉनीटरिंग की जा सके. यह आपके बैंक के निदेशक मंडल द्वारा एक सुदृढ़ उद्यमव्यापी जोखिम प्रबंधन स्वरूप निर्धारित किया गया जिससे जोखिम, बैंक के निदेशक मंडल द्वारा परिभाषित जोखिम प्रवृत्तियों के अनुरूप रहे. विभिन्न जोखिमों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के लिए बोर्ड की एक विशिष्ट समिति का गठन किया गया है. बोर्ड ने अपनी एक जोखिम प्रबंधन समिति भी गठित की है जो विभिन्न प्रकार के जोखिमों के बीच इंटरलीकेज को देखती है. प्रत्येक प्रकार के जोखिम के लिए नियंत्रक रूपरेखा बनाने के प्रयोजन से निदेशक मंडल अथवा बोर्ड समिति द्वारा समय-समय पर नीतियां अनुमोदित की जाती है. इन नीतियों के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जाती हैं. विभिन्न जोखिमों के निर्धारण, मूल्यांकन तथा प्रबंधन की प्रक्रिया संक्षेप में निम्नानुसार है.

आस्ति देयता प्रबन्धन

आपके बैंक के आस्ति देयता प्रबन्धन (एएलएम) का लक्ष्य नीतिपरक योजना, कार्यान्वयन तथा नियंत्रण प्रक्रिया पर केन्द्रित है, जो बैंक की आस्तियों एवं देयताओं की मात्रा, मिश्रण, परिपक्वता, दर की संवेदनशीलता, गुणवत्ता तथा तरलता को प्रभावित करते हैं. आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ), जिसमें महाप्रबन्धक तथा कार्यपालक निदेशक शामिल हैं तथा इसका नेतृत्व प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा किया जाता है, जो यह सुनिश्चित करती है कि बैंक का जोखिम प्रोफाइल तरलता एवं ब्याज दर जोखिम की दृष्टि से बोर्ड द्वारा तय की गई जोखिम की सहनशीलता सीमा के अन्दर हैं.

तरलता जोखिम, अपेक्षित तथा अनपेक्षित नकदी तथा संपार्श्विक दायित्व को उचित लागत पर पूरा करने में एक असमर्थता है. आपके बैंक में, तरलता जोखिम का प्रवाह दृष्टिकोण तथा स्टॉक दृष्टिकोण और भारतीय रिज़र्व बैंक के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य विवेकपूर्ण निर्धारणों से मापा तथा मॉनीटर किया जाता है. आपके बैंक ने तरलता मानकों पर बासेल III फ्रेमवर्क को तरलता कवरेज अनुपात, तरलता जोखिम मॉनीटरिंग टूल्स और एलसीआर घोषणा मानकों को कार्यान्वित कर दिया है. एलसीआर मानकों का ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि बैंक पर्याप्त भार रहित उच्च कोटि की आस्तियां रखे जिन्हें नकदी में बदला जा सके जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण गंभीर दबाव परिवेश 30 कैलेंडर दिनों की आवश्यकता को पूरा कर सकें. आपका बैंक सोलो आधार पर तथा साथ ही साथ समेकित आधार पर एलसीआर के निर्धारित स्तर से हमेशा ऊपर रहा है.

ब्याज दर जोखिम, संवेदनशील दर वाली आस्तियों और देयताओं के बीच असंतुलन के कारण पैदा होता है, जो बाजार में ब्याज दर में परिवर्तन से बैंक के लाभ को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है. ब्याज दर जोखिम का आकलन तथा मॉनीटरिंग पारम्परिक अंतराल एप्रोच तथा आवधिक अंतराल एप्रोच दोनों माध्यम से किया जाता है. एनआईएम ब्याज दर की गतिविधियों के लघु अवधि प्रभाव का निर्धारण 'जोखिम पर आय' एप्रोच के माध्यम से किया

जाता है, इसमें आय वक्र जोखिम, आधार जोखिम तथा अंतःस्थापित विकल्प जोखिम भी शामिल हैं. इक्विटी के बाजार मूल्य पर ब्याज दर गतिविधियों के दीर्घ कालिक प्रभाव का निर्धारण भी आवधिक अंतराल एप्रोच के माध्यम से किया जाता है. आधुनिक तकनीक जैसे अनुकरण, संवेदनशीलता तथा परिदृश्य विश्लेषण के रूप में तरलता जोखिम के तनाव की जांच का प्रयोग निरंतर अंतराल पर किया गया और आकस्मिकता निधिय योजना के तहत जांचा गया.

आपके बैंक की व्यापक आकस्मिकता निधिय योजना अस्थायी तथा दीर्घावधि दोनों तरलता जोखिमों के लिए तरलता संकट का पूर्वानुमान लगाने तथा उसे कम करने के लिए बनायी गई है. विश्लेषणात्मक तथा रिपोर्टिंग टूल के एक शक्तिशाली समूह के साथ, प्रभावशाली तरलता तथा ब्याज दर प्रबन्धन को सुगम बनाया गया है, जिससे यह सम्भावित विचलन के विरूद्ध अलर्ट जनरेट करने तथा रणनीतिक निर्णय लेने में सहायक बन सकें.

ऋण जोखिम

ऋण जोखिम ऋणकर्ताओं या प्रतिपक्षियों की ऋण गुणवत्ता में कमी से जुड़ी हानियों की संभावनाओं के रूप में परिभाषित है. एक बैंक के पोर्टफोलियो में हानियां ऋण देने, व्यापार करने, निपटान करने तथा अन्य वित्तीय लेनदेनों के संबंध में वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए किसी ग्राहक या प्रतिपक्षी की असमर्थता या अनिच्छा के कारण हुई चूक से होती है. वैकल्पिक रूप से ऋण गुणवत्ता में वास्तविक या कथित कमी से पोर्टफोलियों की वैल्यू में हुई कटौती से हानि होती है.

आपके बैंक में ऋण जोखिम का प्रबंधन एक सुस्थापित निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित फ्रेमवर्क के माध्यम से किया जाता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों के अनुरुप नीतियों का निर्धारण, प्रक्रिया और रिपोर्टिंग शामिल है. नीति बनाने वालों की एवं जोखिम उठाने वालों की गतिविधियों को अलग करने पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है. आपके बैंक में सुनियोजित ऋण अनुमोदन प्रक्रिया है, जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण नीति के अधीन कार्य करती है.

आपके बैंक में ऋण जोखिम रेटिंग में ऋण प्रस्तावों को उनकी गुणवत्ता और निहित विशेषताओं के अनुसार व्यवस्थित वर्गीकरण की प्रणाली शामिल है. रेटिंग बैंक के लिए तथा अन्य हितधारकों (जैसे नियामकों, विश्लेषकों, लेखा परीक्षकों आदि) के लिए भी ऋण गुणवत्ता का एकल बिन्दु संकेतक है. आपके बैंक ने सुदृढ़ वेब आधारित दो आयामी क्रेडिट रेटिंग प्रणाली अपनायी है जिसमें ऋणकर्ता की रेटिंग एवं ऋण सुविधा की रेटिंग भी शामिल है जिसका नाम बैंक ऑफ़ बड़ौदा जोखिम मूल्यांकन मॉड्यूल (बॉबरेम) है. इस बॉबरेम पद्धति, जो 2007 से लागू है, में किसी ऋणकर्ता की विशेषताओं से संबंधित चार प्रकार के जोखिमों (उद्योग जोखिम, व्यवसाय जोखिम, वित्तीय जोखिम तथा प्रबंधन गुणवत्ता जोखिम) का मूल्यांकन किया जाता है. पहले पैमाने पर ऋणकर्ता की रेटिंग चूक की संभावना को बतलाती है, दूसरे पैमाने की सुविधा रेटिंग, यदि ऋणकर्ता चूक करता है तो संभावित हानि को दर्शाती है तथा हानि के कारक (एलजीडी) के रूप में अभिव्यक्त की गई है. सुविधा रेटिंग दी गई संपार्श्विक तथा उसके कवरेज के प्रकार पर निर्भर है. ऋणकर्ता की संयुक्त रेटिंग संभावित हानि को दर्शाने वाले इन दो पैमानों के संयोजन से निकाली जाती है.

पिछले वर्षों के दौरान आपके बैंक ने आंतरिक रेटिंग में अच्छा अनुभव प्राप्त किया है और इस प्रकार क्रेडिट रेटिंग माइग्रेशन में डाटा तैयार किया है. इस मजबूत प्लेटफॉर्म ने आपके बैंक को 31 मार्च 2013 से बासल II नियमों के तहत ऋण जोखिम की फाउन्डेशन आंतरिक रेटिंग आधारित व्यवस्था को समान्तर चलाने के लिए नियामक का अनुमोदन प्राप्त करने में सक्षम बनाया है. आईआरबी प्रणाली के तहत बैंकों को अपनी स्वयं के अनुभव आधारित मॉडल विकसित करने की अनुमति है, जिसके आधार पर वे स्वयं ऋण जोखिम के लिए वांछित पूंजी की मात्रा की गणना कर सके. आईआरबी के कार्यान्वयन से आपका बैंक और अधिक जोखिम संवेदी हो जाएगा और उन्नत जोखिम प्रबंधन प्रणाली और मजबूत जोखिम आकलन प्रक्रिया से बैंक को लाभ होगा एवं संभावित ऋण जोखिम पूंजी की आवश्यकताओं को कम करेगा.

आपके बैंक का कार्पोरेट रिसर्च कक्ष जिन उद्योगों में बैंक की निधियां पर्याप्त मात्रा में लगी हुई है उनकी तथा नए विकासशील उद्योगों की पहचान करने के लिए उनमें वर्तमान समय में प्रचलित जोखिमों का उद्योग विशेषज्ञों के माध्यम से अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करता है. अविवेकी जमाव का प्रबंधन करने हेतु आपके बैंक ने उद्योगों, सेक्टरों और ऋणकर्ताओं के लिए विवेकशील उच्च सीमाएं तय कर रखी हैं. पोर्टफोलियो समीक्षा कक्ष सेक्टरवार एक्सपोज़र, ऋण संकेन्द्रण, रेटिंग विभाजन तथा माइग्रेशन पर विस्तृत अध्ययन करता है और इन अध्ययनों के आधार पर बैंक की ऋण कार्यनीति तैयार करता है.

आपके बैंक ने सभी ऋण एक्सपोज़रों के लिए पूंजी पर जोखिम समायोजित रिटर्न (आरएआरओसी) फ्रेमवर्क भी क्रियान्वित किया है. आरएआरओसी पूंजी नियोजन के लिए जोखिम समायोजित रिटर्न के अनुपात के रूप में परिभाषित है. आरएआरओसी के क्रियान्वयन से हमें इसकी गणना करने में सुविधा मिलेगी कि क्या ऋण जोखिम आस्तियां पर्याप्त लाभ उत्पन्न कर रही हैं, जिससे शेयरधारकों की निधियों के आर्थिक मूल्य में वृद्धि हो.

मार्केट जोखिम:

मार्केट जोखिम का तात्पर्य बाजार दरों अथवा मूल्यों में प्रतिकूल परिवर्तन के कारण आर्थिक मूल्य अथवा अर्जन की हानियों से है. विभिन्न बाजार उत्पादों के आर्थिक मूल्यों में परिवर्तन मुख्यतः ब्याज दरों, विनिमय दरों, आर्थिक प्रगति, व्यावसायिक विश्वास आदि में परिवर्तन का कार्य है. आपके बैंक ने अपनी ट्रेजरी गतिविधियों को मॉनीटर एवं नियंत्रण करने की स्पष्ट नीतियां बनायी हैं. इन नीतियों में प्रबंधन व्यवहार, प्रक्रियाएं, विवेकशील जोखिम सीमाएं, समीक्षा प्रणाली और रिपोर्टिंग प्रणाली शामिल हैं. इन नीतियों की वित्तीय एवं बाजार परिस्थितियों में परिवर्तनों के अनुरूप समीक्षा की जाती है. आपके बैंक में ब्याज दर जोखिम को ब्याज दर संवेदनशील गैप रिपोर्ट और जोखिम पर आय के माध्यम से नापा जाता है. इसी क्रम में आपका बैंक दैनिक आधार पर अपने निवेश पोर्टफोलियो की, जिनमें निश्चित आय प्रतिभूतियां शामिल है, उसकी अवधि, संशोधित अवधि, पीवी 01 और जोखिम पर मूल्य की गणना करता है. यह अल्पावधि ब्याज दर जोखिम की एनआईआई (शुद्ध ब्याज आय) के लिहाज से मॉनीटर करता है. इसके अलावा आपके बैंक में निश्चित ब्याज निवेश पोर्टफोलियो की संवेदनशीलता विश्लेषण और इक्विटीज के परिदृश्य विश्लेषण के माध्यम से दबाव विश्लेषण नियमित रूप से किया जाता है. विदेशी मुद्रा जोखिम और इक्विटी मूल जोखिम की भी दैनिक निगरानी की जाती है और मार्किंग टू मार्केट, स्टॉप लॉस सीमा, वीएआर सीमा, पोर्टफोलियो आकार सीमा, आईजीएल, एजीएल आदि के माध्यम से मापा जाता है. ट्रेजरी पोजिशनस की जोखिम पर मूल्य की गणना 10 दिनों

की धारण अवधि के लिए ऐतिहासिक अनुकूलन प्रणाली के माध्यम से 99.0% विश्वास स्तर पर की जाती है.

परिचालन जोखिम

परिचालन जोखिम अपर्याप्त अथवा असफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों तथा प्रणालियों अथवा बाहरी घटकों से हानि के कारण होने वाला जोखिम के रूप में परिभाषित (बीसीबीएस तथा आरबीआई के अनुसार) है. इसमें विधिक जोखिम भी शामिल है, लेकिन कार्यनीति तथा प्रतिष्ठा सम्बंधी जोखिम इसमें शामिल नहीं हैं. परिचालन जोखिम बैंक की सभी गतिविधियों तथा व्यवसाय का महत्वपूर्ण हिस्सा है. अतः इसका प्रबंधन पूरी सक्रियता से किया जाना चाहिए.

आपके बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) की जिम्मेदारी परिचालन जोखिम हानियों को नियंत्रण में रखने की है ताकि वे बैंक की कार्यप्रणाली पर ज्यादा प्रभाव न डाल सके. नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता परिचालन जोखिम के सुदृढ़ प्रबंधन को दर्शाती है. बैंक ने प्रक्रियाओं में संशोधन तथा नियंत्रण प्रणाली को सुधारने हेतु नई प्रणाली स्थापित करने के लिए उपाय किए हैं. महत्वपूर्ण जोखिम सूचक प्रोग्राम, जोखिम नियंत्रण एवं स्वयं मूल्यांकन प्रोग्राम तथा चालू वर्ष के दौरान मूल कारण विश्लेषण की शुरुआत की गई है, जो नियंत्रण प्रकिया को और मजबूत करेंगे.

आपका बैंक कॉर्डेक्स इंडिया प्रा. लिमिटेड के प्रारंभिक पूंजी अभिदानकर्ताओं एवं प्रवर्तकों में से एक है, जोकि बैंकिंग उद्योग के लिए परिचालनगत जोखिम हानि डाटा का एक संघ होगा.

बेसल III कार्यान्वयन

भारतीय बैंकों द्वारा 1 अप्रैल, 2013 से बेसल III पूंजी विनियमों का कार्यान्वयन किया गया है. कार्यान्वयन के लिए एक ओर पूंजी की परिवर्धित गुणवत्ता एवं मात्रा की वहीं दूसरी ओर अधिक प्रकटीकरण की आवश्यकता है. बैंक की कोर पूंजी में सुधार करने तथा वृद्धि करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मार्च 2016 में एफसीटीआर, डीटीए तथा पुनर्मूल्यन आरक्षित को शामिल करने के लिए नए उपाय किए गए हैं. मार्च 2016 के बाद से बैंक चरणबद्ध तरीके से सीसीबी का रखरखाव करना भी शुरुकरेगा तथा नियामक के अनुसार 2.5% पर पहुंचेगा. बैंक लघुतम नियामकीय पूंजी आवश्यकताओं को पर्याप्त गुंजाइश के साथ नियामकीय मानदंडों को पूरा करने के लिए पूरी तरह सुसज्जित है.

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस)

भारतीय रिज़र्व बैंक में कार्यरत बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस) ने वाणिज्यिक बैंकों की पर्यवेक्षण प्रोसेस की समीक्षा के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षण प्रणाली (आरबीएस) अपनायी है. आरबीएस फ्रेमवर्क को जोखिम तथा पूंजीं के मूल्यांकन के लिए पर्यवेक्षण प्रोग्राम (एसपीएआरसी) का नाम दिया गया है तथा प्रोसेस में प्रयुक्त एकीकृत जोखिम तथा प्रभाव स्कोरिंग (आईआरआईएस)ड मॉडल इसके महत्वपूर्ण घटकों/ टूलों में से एक है. जोखिम आधारित पर्यवेक्षण ऑफसाइट के साथ-साथ ऑनसाइट पर्यवेक्षण से संचालित होता है जिसके लिए बैंक को डाटा संग्रहण और समेकन प्रक्रिया और रिपोर्टिंग के लिए मजबूत प्रणाली लागू करने की आवश्यकता होती है. हमारे बैंक में आरबीएस का पर्यवेक्षण चक्र 2012-13 में प्रारंभ किया गया. एसपीएआरसी जोखिम केन्द्रित है तथा इसका उद्देश्य निरीक्षणात्मक प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशील बनाना है. जोखिम व पूंजी आंकलन एसपीएआरसी परियोजना के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं. बैंक में जोखिम के आंकलन के अंतर्गत आतंरिक जोखिम, आतंरिक जोखिम के नियंत्रण में हुई चूक के कारण हुआ जोखिम, विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन, निर्धारित प्रक्रिया के संचालन व निगरानी में हुई चूक के कारण हुए जोखिम को शामिल किया गया है. ये सभी आंकलन मिलकर बैंक का कुल जोखिम तय करती हैं. कुल जोखिम तथा उपलब्ध पूंजी मिलकर बैंक के जोखिम की असफलता का स्कोर (आरओएफएस) तय करते हैं.

आपके बैंक ने एसपीएआरसी के तहत सफलतापूर्वक आरबीएस परियोजना का तीसरा चक्र पूरा कर लिया है तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में चौथे निरीक्षणात्मक चक्र की अच्छी शुरूआत की है.

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति बैंक के आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की देखरेख करती है. यह समिति प्रभावी आंतरिक जोखिम आधारित लेखा परीक्षा, संगामी लेखा परीक्षा, आई.एस.लेखा परीक्षा तथा अन्य निरीक्षण व लेखा परीक्षा कार्यों के प्रभावी विकास के लिए मार्गदर्शन देती है. यह समिति कार्यपालकों की लेखा परीक्षा समिति / बैंक की निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा समिति द्वारा किए गए कार्यों की मॉनीटरिंग करती है. आपके बैंक में एक सुव्यवस्थित केन्द्रीय आतंरिक लेखा परीक्षा विभाग (सीआईएडी) है जो बैंक की प्रणालियों, नीतियों एवं पद्धतियों की अनुपालना का परीक्षण करता है. भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार, बैंक का निदेशक मंडल और निदेशक मंडल लेखा परीक्षा समिति तथा कार्यपालकों की लेखा परीक्षा समिति से आंतरिक नियंत्रण संबंधी विभिन्न मुद्दों पर प्राप्त मार्गनिर्देश बेहतर जोखिम प्रबंधन के दृष्टि से आर्थिक नियंत्रण तंत्र का भाग बन गए हैं. बैंक के हित को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिवर्ष बढ़ते हुए कारोबार को ध्यान में रखकर केन्द्रीय आतंरिक लेखा विभाग जोखिमों पर प्रभावी नियंत्रण प्रणाली के द्वारा सतत नियंत्रण रखने का प्रयास करती है . बैंक के निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित आवधिकता के अनुसार 13 अंचल निरीक्षण केन्द्रों द्वारा शाखाओं/कार्यालयों के निरीक्षण के माध्यम से सीएआईडी अपना संचालन करता है और आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली और जोखिम प्रबंधन का परीक्षण करता है.आपके बैंक की सभी शाखाएं जोखिम आधारित लेखा परीक्षा (आर बी आई ए) से कवर हैं. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कुल 4,455 शाखाओं का निरीक्षण किया गया जिनमें से 3,671 शाखाएं (82.40%) कम जोखिम में, 694 शाखाएं (15.58%) मध्यम जोखिम में तथा 90 शाखाएं (2.02%) उच्च जोखिम श्रेणी में थीं.

बैंक ने प्रौद्यगिकी, प्रभावशाली उपायों तथा डिजिटलाइजेशन के माध्यम से लेखापरीक्षा संबंधी कार्यों को केंद्रीकृत करने की पद्धति व प्रक्रिया का शुभारंभ कर दिया है. प्रौद्यगिकी का समुचित प्रयोग करके, विश्लेषणात्मक, सरलीकृत तथा उन्नत लेखापरीक्षा कार्य-प्रणाली के माध्यम से समूची लेखा-प्रणाली में बदलाव किया जाएगा. सक्षम लेखापरीक्षा मशीनरी को स्थापित करने तथा लागू करने हेतु बैंक ने अपने प्रमुख ऑडिट फर्म से अलग नॉलेज पार्टनर की सेवाएं लेने का प्रस्ताव रखा है.

परिचालन एवं सेवाएं

ग्राहक केन्द्रित पहलें

आपका बैंक ग्राहकों की आवश्यकताओं और संतुष्टि के प्रति सदैव तत्पर रहा है और उसका यह विश्वास रहा है कि प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाएं उत्पाद एवं इसके लोगों का हर प्रकार का कौशल अपने ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग अनुभव

प्रदान करने के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए. ग्राहक सेवा में और सुधार करने तथा शिकायतों के निवारण के लिए वर्ष के दौरान 'ग्राहक सेवा विभाग' को सुदृढ़ किया गया है. आपके बैंक ने शिकायतों के शीघ्र निपटान करने हेतु शाखाओं में ग्राहक सेवा को सुधारने के लिए तथा साथ ही साथ ग्राहक शिकायतों की मशीनरी को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं.

वर्ष के दौरान, ग्राहकों को भेजे गए ई मेल के माध्यम से ग्राहकों की प्रतिक्रिया को जानकर सुधारात्मक कार्रवाई करने के उद्देश्य से दिनांक 08.06.2015 से 30.09.2015 तक ऑनलाइन ग्राहक संतुष्टि सर्वे किया गया. उक्त सर्वे से प्राप्त सूचनाओं तथा पाई गई कमियों को दूर करने हेतु सुझाए गए उपायों पर विचार-विमर्श किया गया तथा आवश्यक कार्रवाई की गई.

शाखाओं में ग्राहक सेवा में सुधार के प्रयास

आपके बैंक में शाखाओं में प्रत्येक माह आयोजित होने वाली शाखा स्तरीय ग्राहक सेवा समिति की बैठक, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों एवं पेंशनरों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के ग्राहकों को आमंत्रित किया जाता है, में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता के विषय में फीडबैक प्राप्त किया जाता है. बैठकों में प्राप्त विचारों/सुझावों का आकलन कर सेवा गुणवत्ता में सुधार हेतु उनकी संभाव्यता के परीक्षण के लिए समुचित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है.

सभी प्रकार के ग्राहकों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर आपके बैंक का ध्यान सभी डिलीवरी चैनलों के माध्यम से उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने पर केन्द्रित है और ग्राहक संतुष्टि के स्तर में बढ़ोत्तरी करने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए ई-उत्पाद तथा वैकल्पिक वितरण प्रणालियां जैसे - एटीएम/डेबिट कार्ड, पीओएस (पाईंट ऑफ सेल मशीन), इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग आदि जैसे उत्पाद उपलब्ध कराने के प्रयास कर रहा है.

निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति

आपके बैंक में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्यों की निदेशक मंडल ग्राहक सेवा की उपसमिति गठित की गई है, जिसमें दि. 31 मार्च, 2016 को निम्नलिखित सदस्य थे :-

1.	श्री पी.एस.जयकुमार प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
2.	श्री बी.बी. जोशी कार्यपालक निदेशक
3.	श्री एम.के.मेहता कार्यपालक निदेशक
4.	श्री प्रेम कुमार मक्कड़ निदेशक
5.	श्री भरत कुमार डी. डांगर निदेशक

यह उप समिति, नीति निर्धारण तथा उनके अनुपालन से संबंधित मुद्दों को देखती है जिससे ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार होता है. यह मृतक जमाकर्ताओं की जमाराशि /लॉकर किराएदारों/सेफ कस्टडी में रखे सामान के जमाकर्ताओं के संबंध में प्राप्त दावों के निपटान हेतु 15 दिनों से अधिक समय से लम्बित दावों की स्थिति की मॉनीटरिंग करती है तथा बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अवार्डस के कार्यान्वयनों की समीक्षा भी करती है.

ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति

आपके बैंक ने ग्राहक सेवा पर पद्धति एवं कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा सम्बंधी स्थायी समिति का गठन किया है जिसमें बैंक के सभी कार्यपालक निदेशक और चार महाप्रबंधकों के अलावा तीन प्रतिष्ठित जन प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं. यह समिति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ग्राहक सेवा पर दिए गए निर्देशों का समय पर तथा प्रभावशाली अनुपालन का कार्य देखती है तथा आपके बैंक में वर्तमान ग्राहक सेवा की कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया का भी मूल्यांकन करती है एवं ग्राहक सेवा के स्तर को सुधारने हेतु नियमित रूप से सुधारात्मक कार्रवाई करती है.

बैंक के प्रधान कार्यालय द्वारा तिमाही आधार पर शाखा स्तरीय ग्राहक सेवा समिति की बैठकों से सुझाव प्राप्त किए जाते हैं और उन्हें ग्राहक सेवाओं संबंधी प्रणालियों एवं पद्धतियों की लेखा परीक्षा की स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है. इसके पश्चात समिति की बैठक का फीडबैक निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है.

ग्राहकोन्मुखी पहलें एवं शिकायतों का निवारण

आपके बैंक में ग्राहकों की शिकायतों के निवारण हेतु निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति है और इसे ही बैंक की वेबसाइट पर रखा गया है. आपके बैंक में ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक सुगठित ग्राहक शिकायत निवारण व्यवस्था है जिसके कारण बकाया शिकायतों की संख्या में उल्लेखनीय कमी हुई है. आपके बैंक से संबंधित ग्राहक शिकायतों के संबंध में परिचालन एवं सेवाएं के महाप्रबंधक को प्रधान नोडल अधिकारी बनाया गया है. अंचल तथा क्षेत्रीय स्तरों पर संबंधित क्षेत्रीय व अंचल प्रमुख नोडल अधिकारी बनाए गए हैं. इसके अलावा, सभी नोडल अधिकारियों के नाम उनके सम्पर्क नम्बर के साथ आपके बैंक की सभी शाखाओं में प्रदर्शित किए गए हैं. प्रत्येक तिमाही में आपके बैंक द्वारा ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों की स्थिति के बारे में निदेशक मंडल के समक्ष ग्राहक शिकायतों व समस्याओं के निवारण के बारे में एक तिमाही समीक्षा नोट प्रस्तुत किया जाता है.

आपका बैंक शिकायत का मूल कारण का पता लगाने पर बल देता है तथा शिकायतों के उचित निपटान हेतु सुधारात्मक उपाय, जिनमें प्रणाली एवं प्रक्रिया को अपडेट करना तथा ग्राहक सेवा को सुधारने के प्रति स्टाफ सदस्यों को जागरूक करना आदि शामिल हैं. आपके बैंक में मानकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरअस) के नाम से एक वेब आधारित ऑन लाइन शिकायत पंजीकरण एवं निवारण प्रणाली है. आपके बैंक की वेबसाइट के होम पेज पर एक आइकन दिया गया है जिसके माध्यम से आपके बैंक का ग्राहक तथा नॉन कास्टमर ऑन लाइन अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है. भविष्य में शिकायत के संदर्भ और ट्रैकिंग के लिए सिस्टम से ट्रैकर आई.डी प्राप्त होती है. यह ग्राहकों को 500 केबी तक की पीडीएफ तथा वर्ड फाईल को अपलोड करने की सुविधा भी प्रदान करता है. साथ ही साथ यदि शिकायतकर्ता शिकायत के समाधान से संतुष्ट नहीं होता है तो 15 दिनों के भीतर उक्त शिकायत को री-ओपन करके अगले उच्च प्राधिकारी / कार्य-संबंधी प्रमुख के पास उनके स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु भेजा सकता है. एसपीजीआरएस में सुझाव / फीडबैक स्वीकार करने की भी सुविधा उपलब्ध है.

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आपके बैंक ने दि. 29.01.2016 से मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी (आतंरिक लोकपाल - सीसीएसओ) की नियुक्ति की है. भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार आपके बैंक ने जिन शिकायतों को अस्वीकार करने या शिकायतकर्ता को आंशिक सूचना उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, उन शिकायतों से संबंधित मामलों को मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी (सीसीएसओ) को भेजा जाएगा.

भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) का अनुपालन

आपका बैंक भारतीय बैंकिंग कोर्ड एवं मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) का सदस्य है और बैंक ने बीसीएसबीआई द्वारा निर्धारित ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता कोड तथा माइक्रो एवं लघु उद्यमियों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता कोड को अपनाया है. इन्हें बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है और ग्राहकों हेतु बैंक शाखाओं में भी उपलब्ध कराया गया है.

केवाईसी/ एएमएल अनुपालन

आपके बैंक के पास सुपरिभाषित केवाईसी - एएमएल - सीएफटी नीति है , यह वह आधारशीला है जिस पर केवाईसी मानदंडों का अनुपालन, ए.एम.एल. मानदंडों, सीएफटी उपायों तथा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंक के दायित्वों का कार्यान्वयन टिका हुआ है.

आपके बैंक में के वाई सी - ए एम एल -सी एफ टी कार्यान्वयन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है :

- बैंक वित्तीय अनुसंधान इकाई भारत (एफआई यू - आईएनडी) को प्रस्तुत करता है एवं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नकद लेन देन रिपोर्टो (सीटीआर) को जनरेट करता है.
- सिस्टम आधारित एलटर्स जनरेट करने के लिए 'एएमएल सोल्यूशन' लागू किया गया है. आईबीए के कार्य दल की संस्तुति के आधार पर इसमें और अधिक एलर्ट निर्धारित करके इसको आगे और अधिक व्यापक बनाने की गुंजाइश है. आपके बैंक में केवाईसी -एएमएल-सीएफटी दिशानिर्देशों के समस्त अनुपालन हेतु नामित निदेशक हैं.
- केन्द्रीय लेन-देन निगरानी इकाई (सीटीएमयू) ने बैंक के प्रधान कार्यालय में दि. 18.02.2016 से संव्यवहारों/ एएमएल सोल्यूशन में जनरेट अलर्टस की पूरी तरह से निगरानी करने तथा यदि संव्यवहार संदेहास्पद पाया जाए तो एसटीआर फाइल करने हेतु कार्य आरंभ कर दिया है.
- संदेहास्पद संव्यवहार रिपोर्ट (एसटीआर) की जांच करने तथा वित्तीय अनुसंधान इकाई भारत (एफआई यू - आई एनडी) को प्रेषित करने हेतु जांच दल का गठन किया गया है.
- बैंक के ग्राहकों के खातों का प्रत्येक छमाही (जुलाई एवं जनवरी) में सिस्टम आधारित जोखिम वर्गीकरण (ए एम एल उपायों से) किया गया है.
- बैंक, एफआईयू - आईएनडी, नई दिल्ली को प्रत्येक माह जाली करेंसी नोटों की रिपोर्ट (सीसीआर) और गैर लाभकारी संगठनों के लेनदेन के बारे में रिपोर्ट (एनटीआर) प्रस्तुत करता है. आपका बैंक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से क्रॉस बॉडर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट हर माह तैयार करता है और एफआईयू- आइएनडी, नई दिल्ली को प्रस्तुत करता है.
- बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अपने समस्त वर्तमान ग्राहकों को विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआइसी) आबंटित करने के लिए प्रक्रियाधीन है.
- धन शोधन को नियंत्रित करने के लिए एक बड़े कदम के रूप में एनएसडीएल से पैन कार्ड (PAN) का ऑनलाइन सत्यापन करने के कार्य को परिचालित किया गया है.
- सीबीएस सिस्टम में भी इस प्रकार उपयुक्त रूप से सुधार किया गया है जिससे वह पेन (PAN) फार्म 60/61 की अनुपस्थिति में ₹ 50000/- तथा इससे अधिक की नकदी को स्वीकार न करे.
- बैंक ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के सहयोग से आधार आधारित ई-केवायसी को लागू कर दिया है. सीएफटी के रूप में सभी शाखाओं में तत्काल जांच पड़ताल हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा विनियमावली (UNSCR) से प्राप्त नामों की सूची उपलब्ध है.
- पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर खाता खोलते समय और एएमएल अलर्ट जनरेट करते समय अल कायदा / तालिबान या भारत सरकार द्वारा ब्लैक लिस्ट में घोषित व्यक्तिगत नामों / संस्थाओं के नामों के साथ ग्राहक के नाम की ऑनलाइन जांच की जाती है.
- केन्द्रीय केवाईसी पंजीकरण की परियोजना में आपके बैंक ने सफलतापूर्वक हिस्सेदारी की है तथा खाता खोलने के फ़ार्म में सीकेवाईसी को अनिवार्य फील्ड के रूप में शामिल करने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है तथा सीबीएस सिस्टम में सीकेवाईसी का स्थान निर्धारित कर दिया है.

केवाईसी अनुपालना को पूरी तरह से लागू करने हेतु , बैंक ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :-

- ग्राहकों की सुविधा के लिए बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.com पर केवायसी दस्तावेजों की विस्तृत सूची दी गई है.
- ग्राहकों के खातों में केवायसी डाटा अद्यतन करने के लिए मोबाइल आधारित एसएमएस भेजे गए हैं तथा स्थानीय राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्रों में नोटिस दिए गए हैं.
- बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों में केवायसी - एएमएल - सीएफटी दिशानिर्देशों पर नियमित प्रशिक्षण सत्र चलाए जाते है.
- बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों/कार्यपालकों के लिए बैंक के भीतर एवं बाहर स्थापित विभिन्न संस्थानों/ प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है.
- विसंगतियों का पता लगाने, यदि कोई हो तथा इनके तत्काल निवारण के लिए नियमित रुप से ऑनसाइट एवं ऑफ़साइट जांच पड़ताल की जाती है.

अनुपालन कार्य

आपके बैंक ने अनुपालन नीति तैयार की है, जिसमें बैंक का अनुपालन दर्शन परिलक्षित होता है. बैंक में अनुपालन कार्य, आतंरिक नियंत्रण व अनुपालन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया सहित गवर्नेंस का एक अभिन्न हिस्सा है , जो कि बैंक में स्वस्थ अनुपालन की प्रक्रिया को समर्थ बनाता है.

- बैंक की जिन विदेशी केन्द्रों में कार्यालय / शाखाएं हैं , वहाँ अनुपालन कार्य विभिन्न विधाओं यथा बैंकिंग विनियमावली अधिनियम, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम के धनशोधन निवारण अधिनियम में उल्लिखित विनियमन सांविधिक प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करता है. यह भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई), भारतीय बैंक संघ (आईबीए), भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) तथा भारतीय नियत मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा निर्धारित मानकों तथा कोड आदि का पालन भी सुनिश्चित करता है.

- बैंक में अनुपालना कार्य-कलापों को और अधिक सशक्त करने हेतु वेब आधारित अनुपालन प्रबंधन प्रणाली की शुरूआत की गई है.

स्टाफ सदस्यों को अनुपालना के प्रति जागरूक रखने हेतु बैंकिंग विधि, नियम तथा मानकों में निरंतर हो रहे विकास पर नियमित आधार पर कार्यशालाओं का नियमित रूप से आयोजन किया जा रहा है. इस उद्देश्य से बैंक की वेबासाईट पर नॉलेज मैनेजमेंट टूल्स को अपलोड किया गया है. चयनित शाखाओं के शाखा प्रबंधकों / क्षेत्र/ अंचल के अनुपालना अधिकारियों हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है जिनमें शाखा / क्षेत्र / अंचल तथा कार्पोरेट स्तर पर केवाईसी / एएमएल मानदंडों के अनुपालना से संबंधित विविध मुद्दों पर बल चर्चा की जाती है ताकि अनुपालना के बारे में जागरूकता का निर्माण हो.

सतर्कता

बैंक में सतर्कता मशीनरी सभी श्रेणियों के स्टाफ सदस्यों को विभिन्न निवारक उपायों के बारे में जागरुक करने के साथ-साथ, कंप्यूटरीकृत/ई-बैंकिंग वातावरण में उभरते नए जोखिम पूर्ण क्षेत्रों में अपनी प्रभावी सक्रिय भूमिका निभा रही है. आपके बैंक में टेंडर की प्रक्रिया और खरीद के मामलों में अधिक पारदर्शिता लाने हेतु, टेंडर आमंत्रित करने के नोटिस/बैंक द्वारा अवार्ड किए गए टेंडरों का ब्यौरा और टेंडरों को सार संक्षेप/निष्कर्ष पर पहुंचे करारों को अधिकतम प्रचार हेतु बैंक की वेबसाइट पर डाला जाता है. वित्त मंत्रालय की सूचना के अनुरुप सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों में एक समान कार्यान्वयन हेतु मानकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस) दिनांक 11.01.2013 से लागू कर दी गई है.

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर श्री पी एस जयकुमार, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री बी बी जोशी, कार्यपालक निदेशक, श्री ए एम प्रसाद, आईपीएस, संयुक्त निदेशक- सीबीआई, आर्थिक अपराध जोन- II, मुंबई एवं श्री राजू गुप्ता, सीवीओ.

आपका बैंक जन हित में प्रकटीकरण एवं सूचनादाताओं के हितों का संरक्षण (पीआईडीपीआई) संकल्प के अंतर्गत व्हिसल ब्लॉअर शिकायतों पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों का अनुसरण करता है. वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक के सभी स्टाफ सदस्यों हेतु व्हिसल ब्लॉअर शिकायतों पर दो-तरफा वैश्विक वेब का सीधा प्रसारण किया गया. व्हिसल ब्लॉअर शिकायत नीति के अंतर्गत बैंक ने कर्मचारियों के द्वारा शिकायत दर्ज करने हेतु भी सॉफ्टवेयर बनाया है.

मानव संसाधन - व्यवसाय उत्कृष्टता की कुंजी

वर्तमान गतिशील एवं प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में मानव संसाधन के महत्व को महसूस करते हुए आपका बैंक बहुआयामी चुनौतियों अर्थात बड़ी संख्या में अधिवार्षिता, प्रतिभाओं की व्यापक भर्ती, बड़ी मात्रा में प्रशिक्षण की आवश्यकताओं, लगातार नयी योजनाएं एवं उच्च उत्पादकता के लिए तल्लीनता सहित, बहुपहलों के माध्यम से मानव संसाधन प्रक्रिया को एक नया स्वरूप प्रदान कर रहा है.

वित्तीय वर्ष - 16 की कुछ मुख्य उपलब्धियां निम्नलिखित हैः

नीतिपरक मानव शक्ति आयोजन एवं भर्ती अभियानः

आगे के वर्षों के लिए स्तर, कौशल आधारित तथा नीतिपरक श्रमशक्ति की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने हेतु वैज्ञानिक श्रमशक्ति आयोजन मॉडल तैयार किया गया है जो कि अन्य कई मानव संसाधन कार्यों जैसे भर्ती अभियान, कैरियर प्रगति, रिक्तियाँ तथा पोस्टिंग/पदस्थापन में अगले कुछ वर्षों तक सहायक होगा.

बैंक की वेबसाइट पर एक विशेष रूप से तैयार 'कैरियर पोर्टल' शुरू किया गया है, जो इसके महत्व को स्पष्ट करता है कि भावी आवेदक को बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्य के चयन को वरीयता क्यों देनी चाहिए.

बड़ौदा परिवार में नयी नियुक्तियों के सरल एवं प्रभावी एकीकरण के लिए आपके बैंक ने एक सुनियोजित, व्यवस्थित एवं केंद्रीभूत 'ऑन बोर्डिंग कार्यक्रम' शुरू किया है. इसके अतिरिक्त आपके बैंक ने नवनियुक्तों के लिए 'बड़ौदा सारथी' मेंटरिंग कार्यक्रम की भी शुरुआत की है जिसमें वरिष्ठ स्टाफ- मेंटर के रूप में नये स्टाफ सदस्य को कार्पोरेट जगत में सामंजस्य बनाने में सहायता करते है.

बड़ौदा मणिपाल स्कूल ऑफ बैंकिंग

बड़ौदा मणीपाल स्कूल ऑफ बैंकिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा और मणीपाल ग्लोबल एजूकेशन का का अनूठा संयुक्त प्रयास है, जिसमें विद्यार्थी बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में भर्ती किए जाने से पहले एक वर्षीय केंद्रीभूत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं जो कि विशिष्ट रूप से बैंक की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जाता है. यह कार्यक्रम 'भर्ती, प्रशिक्षण एवं तैनाती' की जगह 'प्रशिक्षण, भर्ती तथा तैनाती' के इनवर्टेड मॉडल पर कार्य करता है. इस नवोन्मेषी संसाधन चैनल की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2012 में हुई तथा अब तक - 3586 - विद्यार्थी इस कोर्स को पूरा कर चुके हैं / रहे हैं जिनमें से - 3120 - विद्यार्थियों ने परिवीक्षाधीन अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण किया है.

वित्तीय वर्ष 16 के दौरान भर्ती अभियान

व्यवसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपके बैंक ने विभिन्न श्रेणियों/वेतनमानों में 1,896 अधिकारियों (सामान्य और विशेषज्ञ दोनों), 2,562 लिपिकों तथा 749 अधीनस्थ संवर्ग के स्टाफ सदस्यों की भर्ती की. इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2015-2016 की अवधि के दौरान कुल 5,207 नये कर्मचारियों की भर्ती की गई. भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2016-17 के दौरान भी जारी रहेगी जिसके अंतर्गत अधिकारियों के लगभग 3,283 पदों और लिपिकों के 1,000 पदों को भरने हेतु भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी. आपके बैंक में 51,000 से अधिक कर्मचारियों से बनी हुई मानव संसाधन की एक बड़ी पूंजी हैं.

विभिन्न महत्वपूर्ण पदों हेतु मार्केट के विशेषज्ञों की अनुबंध के आधार पर नियुक्ति

आपके बैंक ने मार्केट/उद्योग में वर्तमान, सर्वोत्तम तकनीक/कार्यों/नीतियों/ उत्पादों/प्रक्रियाओं को ग्रहण करने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण पदों अर्थात सलाहकार (क्रेडिट व जोखिम), सलाहकार (व्यवसाय विकास), ट्रेड उत्पादों इत्यादि हेतु जिनके पास विशेष कौशल, ज्ञान एवं क्षमता है ऐसे व्यावसायिक व्यक्तियों/विशेषज्ञों की भर्ती अनुबंध के आधार पर की है/कर रहा है.

विभिन्न प्रमुख पदों एवं परामर्शदाता स्कीम हेतु उत्तराधिकार योजना

आपका बैंक अति व्यवस्थित प्रतिभा प्रबंधन कार्यक्रम के माध्यम से उतराधिकार योजना पर कार्य रहा है. इस पहल के द्वारा, बैंक विशेष मानकों पर संभावित अग्रणी युवाओं, जो कि बैंक के विभिन्न प्रमुख/महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर सकते हैं, का चयन करता है एवं तदनुरूप प्रत्येक चयनित भावी अग्रणी प्रतिभाओं हेतु विकास योजना तैयार की जाती है. यह एक वार्षिक कार्यक्रम है तथा वित्तीय वर्ष-16 में आपके बैंक ने अधिकारियों के विशिष्ट वेतनमानों अर्थात वेतनमान II, III, IV एवं V में भावी अग्रणी प्रतिभाओं के रूप में लगभग 15-20% लोगों का चयन करने में सफल रहा.

कैरियर की प्रगति

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, सभी संवर्गों में प्रदोन्नति प्रक्रिया पूरी की गई तथा कुल 3972 कर्मचारी, जैसा कि नीचे के टेबल में प्रदर्शित है, उच्च श्रेणियों/स्केलों में पदोन्नत किए गए.

अधीनस्थ स्टाफ से लिपिक	206
लिपिक से अधिकारी	802
जेएम-I से एमएम-II (अधिकारी से प्रबंधक)	1451
एमएम-II से एमएम-III (प्रबन्धक से वरिष्ठ प्रबंधक)	847
एमएम-III से एसएम-IV (वरिष्ठ प्रबंधक से मुख्य प्रबंधक)	486
एसएम-IV से एसएम-V (मुख्य प्रबंधक से सहायक महाप्रबंधक)	114
एसएम-V से टीईजी-VI (सहायक महाप्रबंधक से उप महाप्रबंधक)	48
टीईजी-VI से टीईजी-VII (उप महाप्रबंधक से महाप्रबंधक)	17

मानव संसाधन स्वचालन

आपके बैंक ने मानव संसाधन प्रबंधन, प्रशिक्षण, पे-रोल व छुट्‌टी के मॉड्‌यूल जैसी कर्मचारी सेवाओं के लिए एक विशिष्ट एचआर तकनीक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसे कर्मचारी सेवाओं के लिए मानव संसाधन नेटवर्क (एचआरएनईएस) नाम दिया गया है. इस तकनीकी प्लेटफॉर्म ने विभिन्न एचआर कार्यों एवं प्रक्रियाओं को स्वचालित कर दिया है. एचआर स्वचालन, विभिन्न एचआर पहलों को बनाए रखने तथा उनको क्रियान्वित करने में अत्यंत कारगर है तथा कुछ प्रक्रियाओं को पूरी तरह स्वचालित कर दिया गया है जिससे मानव संसाधन कार्यों में कम समय लगता है.

कर्मचारी जुड़ाव सर्वेक्षण 2016

आपके बैंक ने कर्मचारियों के जुड़ाव स्तर, विशेष रूप से उनके अनुभव, विश्वास, दृष्टिकोण आदि को समझने के लिए फरवरी, 2016 में कर्मचारी जुड़ाव सर्वेक्षण किया, ताकि आगे कर्मचारियों के जुड़ाव स्तर के अंतर एवं सुधार को देखते हुए कई मानव संसाधन गतिविधियों/पहलों की समुचित रूप से शुरुआत की जा सके. सर्वेक्षण 22.02.2016 को शुरुकिया गया एवं 20.03.2016 को पूरा हो गया. इस सर्वेक्षण में 85% से अधिक स्टाफ सदस्यों (अधिकारियों एवं लिपिकों) ने भाग लिया.

कर्मचारियों के लिए कार्यनिष्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ:

आपके बैंक द्वारा सभी कर्मचारियों एवं इकाइयों को समावेशित करते हुए व्यापक कार्यनिष्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना बनाई गई है. इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2014-15 के लिए कुल 12,846 कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई जिसमें 1218 शाखाएं, 15 क्षेत्रीय कार्यालय, 4 अंचल एवं 39 परिचालित इकाइयां शामिल हैं तथा कुल ₹ 28.72 करोड़ की राशि संवितरित की गई.

श्री पी एस जयकुमार, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बैंक के मैराथन क्लब के सदस्यों के साथ.

सेवारत एवं सेवानिवृत कर्मचारियों हेतु व्यथा निवारण प्रणाली

आपके बैंक ने किसी भी सेवारत, साथ ही साथ सेवानिवृत कर्मचारियों की व्यथाओं को प्रभावी एवं समय से समाधान हेतु वर्ष 2015-16 में एक स्पष्ट व्यथा निवारण प्रणाली विकसित की है. आपका बैंक स्टाफ सदस्यों की सभी व्यथाओं के शीघ्र समाधान हेतु प्रयासरत है.

अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के विकास पर विशेष बल

बैंक भारतीय समाज के अजा / अजजा एवं अन्य पिछड़े वर्गों से जुड़े लोगों के विकास एवं कल्याण संबंधी संवैधानिक उपबंधों एवं सामाजिक उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध है. हमारा बैंक पूरे बैंकिंग उद्योग में उन कुछ में से एक है जिसके पास अजा / अजजा संवर्ग से जुड़े अधिकतम कर्मचारी हैं, जिससे बैंक की इस वर्ग के विकास एवं उत्थान के प्रति प्रतिबद्धता का पता चलता है.

नौकरियों में आरक्षण

बैंक अपनी अखिल भारतीय एवं स्थानीय भर्ती योजनाओं में भारत सरकार द्वारा नौकरियों में आरक्षण के संबंध में निर्धारित सभी दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है. अखिल भारतीय नियुक्तियों में तथा बैंक द्वारा शुरू किए जा रहे भर्ती के एक नये चैनल बड़ौदा मणिपाल स्कूल ऑफ बैंकिंग के लिए चयन में कुल पदों में से 15% पद अनुसूचित जातियों के लिए तथा 7.5% पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है.

31 मार्च, 2016 को स्टाफ की संख्या एवं अनुसूचित जाति तथा जनजाति का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार रहा:

	कुल	अजा	अजा %	अजजा	अजजा%
अधिकारी	23489	4121	17.54	1875	7.98
लिपिक	19542	3140	16.07	1712	8.76
सब-स्टाफ	8206	2630	32.05	843	10.27

	कुल	अजा	अजा %	अजजा	अजजा%
कुल	51237	9891	19.30	4430	8.65
स्थानीय विदेशी स्टाफ	-	-	-	-	-
कुल योग	51237	9891	-	4430	-

आरक्षण कक्ष :

बैंक में आरक्षण तथा अजा / अजजा कर्मचारियों के लिए अन्य सम्बद्ध प्रावधानों की निगरानी के लिए एक विशेष आरक्षण कक्ष कार्यरत है. महाप्रबन्धक स्तर के एक कार्यपालक, अजा / अजजा/पीड्ब्ल्यूडी एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए मुख्य सम्पर्क अधिकारी है जो अजा / अजजा/पीड्ब्ल्यूडी एवं भूतपूर्व सैनिकों से सम्बन्धित विभिन्न दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं.

भारत रत्न डॉ. बाबा साहब आम्बेडकर मेमोरियल ट्रस्ट :

बैंक ने 1991 में भारत रत्न डॉ. बाबा साहब आम्बेडकर ट्रस्ट की स्थापना की, जिससे कि अजा / अजजा कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों के लाभ हेतु कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके.

प्रशिक्षण एवं विकास :

बड़ौदा अकादमी ने ऐसी कई पहल की हैं, जिनमें नए भर्ती स्टाफ सदस्यों हेतु कार्यक्रमों से लेकर नेतृत्व विकास कार्यक्रमों में मूलभूत परिवर्तन शामिल हैं. ई-लर्निंग के अलावा आपके बैंक ने प्रत्येक कर्मचारी को सुलभ हो ऐसे कई नवोन्मेषी डिजिटल चैनल्स प्रस्तुत किए हैं.

बड़ौदा नेट अकादमी :

बड़ौदा नेट अकादमी में विभिन्न बैंकिंग विषयों जैसे खुदरा आस्ति एवं देयताएँ, ग्रामीण एवं कृषि बैंकिंग, एसएमई उत्पाद, परिचालन एवं सेवाएँ, अनुपालन एवं व्यवसायिक कौशल विकास सम्बन्धी अनेक प्रायोगिक एवं ज्ञानवर्धक ई-लर्निंग पाठ्यक्रम हैं.

अभी तक कर्मचारियों ने बड़ौदा नेट अकादमी में 35,000 घंटों से अधिक का प्रशिक्षण प्राप्त किया है जो कि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की लागत बचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है.

मोबाईल स्निपेट्स :

आपके बैंक ने कर्मचारियों के लाभ हेतु एक विशेष प्रकार की मोबाईल एप तैयार की है. इस एप का प्रभावी उपयोग कर दैनिक न्यूज फ्लैश के माध्यम से कर्मचारी बैंकिंग क्षेत्र से स्वयं को अपडेट रख सकते हैं. विभिन्न विभागों द्वारा जारी महत्वपूर्ण परिपत्रों एवं अन्य घटनाक्रमों के अलर्ट्स उपलब्ध कराये जाते हैं. कर्मचारी इस पर आयोजित प्रतियोगिताओं में भी भाग लेते हैं.

क्षमता निर्माण के क्षेत्र में बैंक ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए बंगलुरु में क्षेत्रीय अकादमी की आधारशिला रखी है. वर्ष के दौरान क्रमशः मुजफ्फरपुर, कोयम्बतूर, विशाखापट्टन्नम एवं गुवाहाटी में चार नई सैटेलाईट इकाईयां शुरु की गई.

प्रशिक्षण एजेंसियों के विस्तृत संघ का पैनल :

आपके बैंक ने प्रशिक्षण की प्रभावोत्पादकता जैसे अमूल्य विषय के मूल्यांकन हेतु एक अनूठे टेम्पलेट सहित जैसी सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों को नियुक्त किया है. सम्पूर्ण प्रक्रिया सहयोगी एजेंसियों के साथ कार्यक्रमों को भूमिका-उन्मुख एवं व्यवहार केन्द्रित बनाने पर केन्द्रित थी. कुल मिलाकर 21 बड़ी एजेंसियों ने भाग लिया जिनमें आई.आई.एम - अहमदाबाद, आई.एस.बी - हैदराबाद, एम.डी.आई. गुड़गांव आदि प्रमुख थीं.

आई.आई.एम. अहमदाबाद के साथ समझौता :

आपके बैंक ने आई.आई.एम. अहमदाबाद के साथ वर्ष के दौरान बी.एफ.एस.आई. डॉमेन के लिए केस स्टडी तैयार करने का समझौता किया है. ये केस स्टडी बैंक के आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध रहेगी.

वर्ष के दौरान नए प्रशिक्षण कार्यक्रम :

कॉर्पोरेट संस्थाओं के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने के अलावा आपके बैंक ने वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की. बैंक ने शाखा स्तर पर 'क्रॉस सेलिंग' की आदत डालने के लिए 'Ask for Business' नामक कार्यक्रम की शुरूआत की. शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए बड़ौदा अकादमी में विभिन्न कार्यक्रमों की शुरूआत की है. ज्ञान वृद्धि के माध्यम से बेहतर तरीके से व्यापार संवर्धन और बेहतर ग्राहक सेवा को केन्द्र में रखकर रिटेल कासा (चालू खाता-बचत खाता) के लिए ''कासा'' (क्रिएट स्माइल ऑलवेज) विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया. आपके बैंक ने सफाई कर्मचारियों, चपरासियों के लिए भी 'बड़ौदा गौरव' कार्यक्रम तैयार किया गया जिसमें उनके आत्मसम्मान, ग्राहक सेवा, व्यवसायिक व्यवहार, ड्रेसकोड और शाखा स्तर पर साफ-सफाई मुख्य बिन्दु थे. बैंक ने, अपनी अंतरराष्ट्रीय बैंक की छवि बेहतर बनाने हेतु फोरेक्स में काम करने वाले अधिकारियों के लिए भी विशेष कार्यक्रम तैयार किया. आपके बैंक ने अंतरराष्ट्रीय केन्द्रों में स्थित स्थानीय कर्मचारियों के लिए पहली बार विडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरूआत की जो दोनों के बीच कार्य एवं संस्कृति के अंतर को कम करने में सहायक है. सतर्कता के बेहतर मूल्यांकन के लिए बड़ौदा एपेक्स अकादमी में दो दिवसीय कार्यक्रम 'सतर्कता प्रशासन के लिए सकरात्मक दृष्टिकोणट की शुरूआत की गई. इसे परिचालन सम्बन्धी जोखिमों से निपटने के लिए एक स्त्रोत के रूप में प्रस्तुत किया गया. इस प्रकार, संगठन स्तर पर सतर्कता के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला. इस कार्यक्रम का विस्तार बैंक के अन्य कर्मचारियों के लिए भी किया गया.

नैतिकता का पोषण :

बैंक ने ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आचार संहिता मॉड्यूल की शुरूआत की जिसकी 31 मार्च 2016 तक की समय सीमा में सभी अधिकारियों को परीक्षा देनी आवश्यक थी. बैंक ने सोशल मीडिया पर नैतिक नियमों के पालन हेतु अपनी सोशल मीडिया पॉलिसी की भी घोषणा की है.

माइंड जिम सीरीज :

आपके बैंक द्वारा माइंड जिम सीरीज नाम के एक कार्यक्रम की शुरूआत की गई है जिसके अंतर्गत अभिप्रेरणा, वक्तव्य, विडियो शो एवं समूह गतिविधियों का आयोजन कर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों से हटकर अधिक व्यापक आधार पर शिक्षण की व्यवस्था की है. इस कार्यक्रम के अंतर्गत बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर में वक्तव्य का आयोजन किया जाता है. स्वस्थ शरीर, आत्मा एवं मन युक्त टीम निर्माण हेतु ''ऑफिस चेअर योगा'' सत्रों का आयोजन कॉर्पोरेट ऑफिस में किया गया.

बाह्य प्रशिक्षण :

वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान 3340 स्टाफ सदस्यों को विभिन्न बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामांकित किया गया. आपका बैंक बाह्य प्रशिक्षण को क्षमता निर्माण का अभिन्न भाग मानता है, इन कार्यक्रमों में बैंकिंग उद्योग में विद्यमान उत्कृष्ट कार्यप्रणाली को सीखने तथा उसे अपनाने के लिए सभी स्तर के कर्मचारी भाग लेते हैं.

घरेलू अनुषंगियां एवं सहयोगी :

वर्ष 2016 के दौरान आपके बैंक की अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों का प्रदर्शन संतोषजनक रहा.

बॉबकार्ड्स लिमिटेड पूर्णतया बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है जिसकी स्थापना 1994 में हुई. इसका कार्य क्रेडिट कार्ड जारी करने, मर्चेंट एक्वायरिंग (एम.ई. व्यवसाय) के साथ डेबिट कार्ड परिचालन हेतु बैंक को सहयोग प्रदान करना है. देशभर में कम्पनी के 38 क्षेत्र कार्यालय हैं. ऐसी कम्पनी जो कि बृहद एन.पी.ए. खातों के कारण लगातार घाटे में चल रही थी उसे वित्तीय वर्ष 2011 में लाभ प्राप्त हुआ और तब से यह कंपनी निरंतर लाभ अर्जित कर रही है. कम्पनी ने व्यवसाय वृद्धि के सभी गुणात्मक पहलुओं पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है, परिणामस्वरूप लाभप्रदता, गुणवत्तापरक कार्ड आधार एवं एम ई आधार में सुधार दर्ज हुआ है. कम्पनी ने अपनी प्रक्रिया में बदलाव किया है जिससे उचित जांच बिंदु एवं नियंत्रण के साथ, क्रेडिट कार्ड / पीओएस मशीन जारी करने की अवधि में कमी आई है. मास्टर कार्ड एवं वीजा कार्ड के सहयोग से कम्पनी विभिन्न तरह के ऑफर उपलब्ध करवा रही है. वर्ष के दौरान, कम्पनी ने मास्टरकार्ड के साथ मिलकर मास्टर कार्ड अपनाने वाले नए ग्राहकों के लिए रिवार्ड प्रोग्राम (डिस्काउंट कूपन ₹ 2,500/-) की शुरूआत की है. अन्य कई ग्राहक केन्द्री महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं जैसे कि क्रेडिट कार्ड / पीओएस मशीन के आवेदन की ट्रैकिंग के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मॉड्यूल एवं एसएमएस और ई-मेल द्वारा चरण वार ऑटोमेटेड स्थिति सूचित करना. विस्तार की योजना के भाग रूप, मर्चेंट आधार को बढ़ाने के उद्देश्य से, कम्पनी ने राजस्थान सरकार, डी-मार्ट के साथ टाइ अप किया है तथा अन्य महत्वपूर्ण टाइ अप भी प्रक्रियाधीन हैं. आगामी वर्ष में, अपने कार्ड/एम ई आधार में अनुवर्ती विकास के लिए को ब्रांडेड उत्पादों की शुरुआत सहित अपनी व्यवस्था, प्रक्रियाओं, ग्राहक सुविधाओं में सुधार की ओर कम्पनी का विशेष ध्यान है. हाल ही में, कम्पनी ने अपने अंतर्नियमों एवं बहिर्नियमों में संशोधन किया है और यह एन.बी.एफ.सी. की परिधि में रहकर वर्तमान कार्ड व्यवसाय के साथ साथ व्यवसाय की नई संभावनाओं की व्यवहार्यता का अध्ययन कर रही है.

बॉब कैपिटल मार्केट लिमिटेड बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है, जिसकी स्थापना वर्ष 1996 में कैपिटल मार्केट सम्बन्धी व्यवसाय के लिए की गई. इसके पास मर्चेंट बैंकिंग, संस्थागत ब्रोकिंग, रिटेल ब्रोकिंग, निवेश बैंकिंग एवं वित्तीय उत्पादों के वितरण के लाइसेंस हैं. प्रोफेशनल टीम की नियुक्ति के पश्चात कम्पनी के प्रदर्शन में निरंतर सुधार हो रहा है. इसका प्रमुख केन्द्र निवेश परामर्श सेवाओं, डेब्ट एवं इक्विटी सिंडिकेशन, कैपिटल मार्केट गतिविधियां हैं. हाल ही में कम्पनी ने ऑनलाइन ट्रेडिंग को बढ़ावा देने हेतु सॉफ्टवेयर बनाया है और इसकी रिटेल ट्रेडिंग व्यवसाय का विकास करने की बड़ी योजनाएं हैं. बॉबकैप्स का ध्यान संस्थागत ब्रोकिंग एवं वित्तीय उत्पादों के संवितरण पर केन्द्रित है. 45 बड़ी प्रतिष्ठित संस्थाएं प्रतिभूति बाजार में निवेश के लिए कम्पनी के साथ सूचीबद्ध हैं और संस्थागत लेनदेन के लिए सॉफ्टवेयर की स्थापना भी प्रक्रियाधीन है. हाल ही में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सेवाओं के लिए सेबी से पीएमएस लाइसेंस प्राप्त किया है. वित्तीय वर्ष 2016 में, बॉबकैप्स ने 72 करोड़ ₹ के अपने पहले आईपीओ भारत वायर रोप्स को सफलतापूर्वक संपन्न किया है.

नैनीताल बैंक लिमिटेड को स्वर्गीय भारत रत्न पं गोविन्द वल्लभ पंत और अन्यों द्वारा प्रवर्तित किया गया था जो कि वर्ष 1973 में बैंक ऑफ बड़ौदा का सहयोगी बैंक बना. आज, नैनीताल बैंक में बैंक की शेयरधारिता 98.57% है और वह बैंक की अनुषंगी है. उत्तराखंड राज्य ने दिनांक 3 अगस्त, 2012 की सरकारी सूचना द्वारा अधिसूचित किया है कि नैनिताल बैंक लिमिटेड को भी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के समतुल्य समझा जाए. बैंक ने अपने ग्राहकों को डेबिट कार्ड जारी करने की योजना बनाई है. टीसीपीएसएल के सहयोग से बैंक अपने ग्राहकों को व्हाइट लेबल एटीएम सेवा प्रदान करने की भी योजना बना रहा है.

इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, लीगल एवं जनरल ग्रुप के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसने अपना व्यवसाय परिचालन 16 नवम्बर 2009 को शुरू किया एवं पूरे देश में अपने उत्पादों के लिए अच्छा प्रतिसाद प्राप्त कर रही है. इंडिया फर्स्ट सबसे तेज प्रगति करने वाली जीवन बीमा कंपनी है जिसने अपने 5 वें वर्ष के परिचालन में अच्छी प्रगति की है एवं मार्च 2016 में 4% के बाजार शेयर एवं ₹ 9,061/- के एयूएम (एसेट अंडर मैनेजमेंट) के साथ निजी प्रतिस्पर्धियों में 9वां स्थान प्राप्त किया है. कंपनी ने क्लाउड पर डिजास्टर रिकवरी कार्यान्वित करने हेतु आईटी मैनेजमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस वर्ग में ''सिलेंट मॉडल इन्श्योरर एशिया अवार्ड'' प्राप्त किया है.

इंडिया इंफ्राडेब्ट लि. आईसीआईसीआई बैंक लि., आईसीआईसीआई होम फाईनेंस कंपनी लि. सिटीकॉर्प फाईनेंस (इंडिया) लि. तथा भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी है. कंपनी का गठन 31 अक्तूबर 2012 को मुंबई में किया गया. यह कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड- नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (IDF-NBFC) के रुप में कार्य कर रही है. कंपनी की प्रमुख गतिविधि परियोजना कंपनियों की ऋण देयताओं का आंशिक पुनर्वित्त उपलब्ध कराना है. कंपनी द्वारा पुनर्वित्त/टेक आउट फायनांसिंग किए गए ग्राहकों में एल एंड टी के तहत आने वाली -4- टॉल वे कंपनियों के अलावा जड़चेरला एकस्प्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड, नवयुग देवनहाल्ली टॉलवेस प्राइवेट लिमिटेड, ओरिएंटल (पाथवेस) इंदौर प्राइवेट लिमिटेड, रिन्यू वाइंड एनर्जी (जाथ) लिमिटेड का समावेश होता है.

बड़ौदा पायोनियर एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेडः पायोनियर ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट स्पा के साथ एक संयुक्त उद्यम है और यह परिचालन के

6वें वर्ष में है. वर्ष के दौरान कंपनी अपने औसत एयूएम में वृद्धि कर ₹ 9,656 करोड़ पहुंचाने में सफल रही. अपने कर्ज और पूंजी मार्केट उत्पादों में वृद्धि करने के लिए संस्थागत सेगमेंट पर सुदृढ़ ध्यान केन्द्रित करने के साथ रिटेल निवेशकों हेतु सुव्यवस्थित निवेश योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के परिणामस्वरूप कंपनी के एयूएम में संतोषजनक वृद्धि हुई. यह कंपनी विशेष रूप से उच्च मूल्य की एसआईपी तथा एकमुश्त निवेश में अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए B-15 (भारत के 15 प्रमुख शहरों से आगे निकलते हुए) पर निरंतर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है तथा फलस्वरूप B-15 शहरों में इसका व्यवसाय मजबूती से आगे बढ़ रहा है. यह कंपनी निवेशकों को शिक्षित करने संबंधी प्रयासों में सक्रिय है.

(₹ लाख में)

इकाई (पंजीकरण की तारीख के साथ)	देश	सवाधिकृत निधियां	कुल आस्तियां	शुद्ध लाभ	कार्यालय	स्टाफ
बॉबकार्ड्स लि. (29.09.1994)	भारत	22281	26385	2397	39	161
बॉब कैपिटल मार्केट लि. (11.03.1996)	भारत	16053	16182	1023	1	53
दि नैनीताल बैंक लि. (31.07.1922)	भारत	51760	608439	4697	126	798
इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. (05.11.2009)	भारत	51532	923634	773	12	1150
इंडिया इन्फ्राडेट लि. (31.10.2012)	भारत	37374	262247	2924	1	13
बड़ौदा पायोनियर एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि. (05.11.1992)	भारत	4675	6025	(-)493	3	80
बड़ौदा पायोनियर ट्रस्टी कंपनी लि. (23.12.2011)	भारत	7	10	1	0	0

पुरस्कार एवं सराहना

वित्तीय वर्ष 16 के दौरान बैंक को व्यवसाय तथा वित्तीय दोनों मानदण्डों के लिए कई पुरस्कार तथा सराहनाएं मिली.

दिनांक	अवार्ड
22.04.2015	बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र की श्रेणी में शिक्षण एवं विकास के माध्यम से व्यवसायिक उत्कृष्टता - 2015 के लिए बी.एम. मुंजाल अवार्ड नई दिल्ली में 22.04.2015 को आयोजित कार्यक्रम में दिया गया.
19.06.2015	बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता 2013-14 के अंतर्गत पांच पुरस्कार प्राप्त हुए -
	1. भाषिक क्षेत्र 'ख' में प्रथम पुरस्कार
	2. भाषिक क्षेत्र 'क' एवं 'ग' में द्वितीय पुरस्कार इसके अलावा, बैंक को द्विभाषी गृहपत्रिका एवं हिन्दी गृहपत्रिका की श्रेणी में भी पुरस्कार प्राप्त हुए.
16.07.2015	बिजनेस वर्ल्ड द्वारा ''सेवानिवृत्त कर्मचारियों से जुड़ने के लिए श्रेष्ठ पहल'' के तहत 'एच.आर. एक्सीलेंस अवार्ड'
28.08.2015	बैंक को डन एंड ब्राडस्ट्रीट बैंकिंग अवार्ड 2015 के तहत ''वैश्विक व्यवसाय'' के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के श्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार
14.09.2015	राष्ट्रीयकृत बैंकों की श्रेणी में 'ख' भाषिक क्षेत्र में राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार की योजना अखिल भारतीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के तहत वर्ष 2014-15 में प्रथम पुरस्कार
09.02.2016	9 फरवरी 2015 को गोवा में आयोजित मध्य एवं पश्चिम क्षेत्र के राजभाषा सम्मेलन में बैंक के दक्षिण गुजरात अंचल को बैंक की श्रेणी में राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पश्चिमी क्षेत्र की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया.
16.02.2016	बैंक को बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2016 में भारतीय बैंक संघ द्वारा बड़े बैंकों की श्रेणी में 'बेस्ट फाइनेंसियल इंक्लूजन इनिसिएटिव' के लिए प्रथम रनर-अप पुरस्कार प्राप्त हुआ.
20.02.2016	बैंक को वित्त, बैंकिंग, बीमा तथा वित्तीय सेवाओं में उत्कृष्टता के लिए मुंबई में आयोजित छठे माई एफएम स्टार्स ऑफ द इंडस्ट्री अवार्ड में 'एक्सीलेंस इन एजूकेशन लोन' पुरस्कार प्राप्त हुआ.
18.03.2014	बैंक को, 55 वीं एसोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्यूनिकेटर्स ऑफ़ इंडिया (एबीसीआई) पुरस्कार 2016 द्वारा तीन पुरस्कार दिये गये. दीवार कैलेंडर 2015 : रजत हेडलाइन्स : ताम्र - वैश्विक भारतीयों के लिए 'विशिष्ट बैंकिंग समाधान' विज्ञापन हेतु ई-जोन : रजत - बॉबमारकॉम

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन:

समीक्षाधीन अवधि के दौरान आपके बैंक ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट प्रगति की. संघ सरकार की राजभाषा नीति के अंतर्गत विभिन्न सांविधिक आवश्यकताओं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अलावा, आपके बैंक ने व्यवसाय विकास के टूल के रुप में हिंदी के उपयोग के लिए पहल की.

वर्ष 2015-16 के लिए भारत सरकार के वार्षिक कार्यान्वयन कार्यक्रम के तहत निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों तथा हमारी बैंक की विभिन्न शाखाओं/कार्यालयों के निरीक्षण दौरों के समय संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासनों को पूरा करने के लिए सुव्यवस्थित वार्षिक कार्ययोजना तैयार की गयी है. उल्लेखनीय है कि विभिन्न स्तरों पर सतत निगरानी एवं नियमित प्रयासों से आपके बैंक ने उक्त कार्यक्रम के अधिकांश लक्ष्यों को हासिल किया है तथा संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासनों को पूरा किया है.

बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी/कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक नियमित रुप से तिमाही आधार पर आयोजित की गई. समिति द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार वर्ष 2016 के दौरान कई नए कदम उठाए गए. आपके बैंक ने अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं तथा मोबाइल पासबुक हिंदी में उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण पहल की. सभी वैकल्पिक डिलिवरी चैनलों को जैसे- सेल्फ पासबुक प्रिंटिंग मशीन, चेक जमा मशीने, कैश डिपॉजिट मशीनें, मल्टी फंक्शन कियोस्क, आदि को ग्राहकों की सुविधा हेतु हिंदी यूजर इंटरफेस से लैस किया. सभी एटीएम मशीनों को ट्रांजेक्शन स्लिप और मिनी स्टेटमेंट को ऐसे ग्राहकों की सुविधा के लिए जो अपनी सुविधा के लिए मशीन से हिंदी अथवा प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में इन्ट्रैक्ट करते हैं उनके लिए हिंदी अथवा उस भाषा में प्रिंट करने हेतु सक्षम बनाया गया.

आपके बैंक ने तिमाही हिंदी प्रगति रिपोर्ट की प्रस्तुतीकरण की प्रणाली के ऑटोमेशन के कार्य में उल्लेखनीय प्रगति की है. बैंक की सभी शाखाओं/कार्यालयों द्वारा प्रगति ऑनलाइन पैकेज के माध्यम से तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है जिसे पिछले वित्त वर्ष में लागू किया गया था. संसदीय राजभाषा समिति द्वारा दिए गए सुझावों के अनुरूप आपके बैंक ने 'क' भाषिक क्षेत्र के ग्राहकों को पासबुक तथा अन्य खाता विवरणियों को हिन्दी में उपलब्ध कराने के क्षेत्र में अच्छा प्रयास किया है.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, एक पहल के रुप में आपके बैंक ने **'ग्रामीण विपणन एवं बैंकिंग व्यवसाय के नए आयाम'** विषय पर बेंगलुरू में सेमीनार का आयोजन किया जिसमें विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों/वक्ताओं/प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. कार्पोरेट कार्यालय, मुंबई में **'भाषा तकनीक एवं बैंकिंग उत्पादों की मार्केटिंग'** विषय पर एक अंतर बैंक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें मुंबई स्थित सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थानों के राजभाषा, आईटी तथा मार्केटिंग विभाग के प्रमुखों/प्रतिनिधियों ने सहभागिता की. इस पहल को भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार/संसदीय राजभाषा समिति से प्रशंसा प्राप्त हुई. आपके बैंक ने जनवरी 2016 में बैंक की सभी ओवरसीज़ टेरीटरीज में 'विश्व हिंदी दिवस' का आयोजन किया. इस अवसर पर संक्षिप्त कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. इसमें हिंदी साहित्य और उसके प्रचार-प्रसार से जुड़े विद्वानों, महत्वपूर्ण ग्राहकों एवं भारतीय दूतावासों के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया था.

भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गयी प्रधानमंत्री जन-धन योजना एवं वित्तीय समावेशन अभियान में योगदान देने हेतु आपके बैंक ने हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में कार्टून पुस्तिकाएं एवं एनीमेशन फिल्में बनाकर प्रचार-प्रसार की प्रक्रिया को जारी रखा. ये पुस्तिकाएं एवं एनीमेशन फिल्में बचत, किसान क्रेडिट कार्ड और समय पर ऋणों के भुगतान करने के प्रति जागरुकता लाने के लिए तैयार की गयी. इन कार्टून पुस्तिकाओं और एनीमेशन फिल्मों को हिंदी में 'छोटी बचत बड़ी खुशहाली', 'आम के आम गुठलियों के दाम', 'समय पर कर्ज का भुगतान जिंदगी बने आसान', 'रिटेल लोन से खुशहाली' नाम दिया गया. इन पुस्तिकाओं एवं एनीमेशन फिल्मों को क्षेत्रीय/अंचल कार्यालयों को प्रभावी उपयोग के लिए भेजा गया है. उल्लेखनीय है कि राजभाषा कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का उपयोग प्रधानमंत्री जन-धन योजना तथा सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य योजनाओं की विशिष्टताओं को प्रचारित करने के लिए किया गया.

राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में सदैव अग्रणी बने रहने के अपने प्रयासों के अंतर्गत, आपके बैंक ने अपने संस्थापक महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड़-III की स्मृति में 'महाराजा सयाजीराव भाषा सम्मान' की शुरूआत की है, जिन्होंने आम जन के बीच हिन्दी के प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में सामाजिक चेतना जागृत की. इस सम्मान के अंतर्गत एक प्रशस्ति पत्र/स्मृति चिह्न तथा एक लाख एक हजार रूपए की नकद राशि शामिल है. समीक्षा वर्ष के दौरान यह सम्मान प्रख्यात गीतकार, विज्ञापन गुरू तथा कवि श्री प्रसून जोशी को प्रदान किया गया. एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में आपके बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए क्षेत्रीय भाषा प्रशिक्षण योजना की शुरूआत की ताकि वे संबंधित क्षेत्रीय भाषा की बुनियादी बातों को सीख सकें जिससे स्थानीय ग्राहकों के साथ संवाद करते समय उन्हें सुविधा हो सके.

समीक्षा वर्ष के दौरान संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति ने आपके बैंक की मनाली शाखा, वाराणसी तथा बड़ौदा कार्यालयों का दौरा किया. समिति ने आपके बैंक में हिंदी भाषा के प्रयोग में प्रगति के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की. समिति को दिए गए समस्त आश्वासनों को निर्धारित समयावधि में पूरा कर लिया गया है.

आपके बैंक के प्रयासों को भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भी सराहा गया. भारत सरकार द्वारा आपके बैंक को 'ख' क्षेत्र में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया. यह पुरस्कार बैंक के तत्कालीन प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री रंजन धवन ने हिंदी दिवस 2015 के अवसर पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में भारत के माननीय राष्ट्रपति के कर-कमलों से प्राप्त किया. इसके अलावा आपके बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रिज़र्व बैंक राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता के तहत 'ख' क्षेत्र में प्रथम तथा 'क' और 'ग' दोनों में द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया. आपके बैंक के तत्कालीन प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री रंजन धवन ने ये पुरस्कार भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम जी. राजन से प्राप्त किए. आपके बैंक की द्विभाषिक गृह पत्रिका 'बॉबमैत्री' तथा हिन्दी गृह पत्रिका 'अक्षय्यम्' को भी भारतीय रिज़र्व बैंक से पुरस्कार प्राप्त हुए. आपके बैंक के जयपुर, बड़ौदा, जोधपुर, अहमदाबाद तथा लखनऊ कार्यालयों को भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के माध्यम से उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु पुरस्कार प्राप्त हुए. आपके बैंक को पब्लिक रिलेशन्स सोसायटी ऑफ इंडिया, आशीर्वाद तथा अन्य कई संस्थानों से भी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं.

आपके बैंक ने छात्र समुदाय के बीच हिंदी को लोकप्रिय बनाने हेतु अपनी विशिष्ट योजना 'मेधावी विद्यार्थी सम्मान योजना' को जारी रखा. इस योजना के तहत नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र उन दो विद्यार्थियों को प्रदान किए जाते हैं, जिन्होंने एम.ए (हिंदी) में सर्वाधिक अंक अर्जित कर प्रथम एवं द्वितीय

स्थान प्राप्त किए हों. यह योजना वर्तमान में देश के 64 विश्वविद्यालयों में लागू है.

आपके बैंक ने हिंदी में गुणवत्तापूर्ण/सूचनाप्रद पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु वर्ष के दौरान हिंदी में 'खुदरा ऋण', 'बैंकिंग के विविध आयाम', 'एनपीए-बैंकिंग क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती' तथा 'बदलते परिवेश में बैंकिंग' नामक पुस्तकों का प्रकाशन किया.

निदेशक मंडल (वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति/विराम)

नियुक्तियां :

श्री रवि वेंकटेसन की नियुक्ति गैर कार्यकारी निदेशक एवं गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 (3) (एच) के अंतर्गत की गई है जो कि 14.08.2015 से 3 वर्ष अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक प्रभावी होगी.

श्री पी. एस. जयकुमार की नियुक्ति प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 (3) (ए) के अंतर्गत की गई है जो कि 13.10.2015 से 3 वर्ष अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक प्रभावी होगी.

श्रीमती उषा नारायणन, नामांकनों की समीक्षा एवं 'सही एवं उपयुक्त' पाये जाने पर, दिनांक 12.12.2015 से निदेशक मंडल में शेयरधारक निदेशक के रूप में चयनित की गई.

श्री मयंक मेहता की नियुक्ति कार्यपालक निदेशक के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 (3) (ए) के अंतर्गत की गई है जो कि 22.01.2016 से 30.09.2018, अर्थात उनकी सेवानिवृत्ति तक अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक प्रभावी होगी.

कार्यकाल समाप्ति :

श्री रंजन धवन, कार्यपालक निदेशक, 1 अक्टूबर 2015 से अधिवर्षिता पर बैंक सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके है.

श्री के. वी. रामामूर्ति, कार्यपालक निदेशक, दिनांक 29 अगस्त 2015 को उनकी यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति के पश्चात बैंक के कार्यपालक निदेशक के पद से कार्यमुक्त हुए.

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर लेखा परीक्षकों का अनुपालन प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अनिवार्यता) विनियम 2015 की अनुसूची V के भाग 'ई' के अनुसरण में इस रिपोर्ट के साथ वर्ष 2015-16 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में लेखा परीक्षकों का अनुपालन प्रमाण पत्र संलग्न है.

व्यवसाय दायित्व संबंधी रिपोर्ट

सेबी के दिशा-निर्देशानुसार, व्यवसायिक दायित्व रिपोर्ट संबंधी सामग्री बैंक की वेबसाईट www.bankofbaroda.com पर उपलब्ध हैं. यदि कोई सदस्य उसकी भौतिक प्रति चाहते हैं तो वे बैंक के कम्पनी सचिव को लिख सकते हैं.

निदेशकों का दायित्व संबंधी अभिकथन

निदेशकगण, इस आशय की पुष्टि करते हैं कि 31.03.2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष में वार्षिक लेखों को तैयार करते समय :

ए) महत्वपूर्ण विसंगतियों, यदि कोई हो, के समुचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखा मानकों का पूर्णतः पालन किया गया है.

बी) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार तैयार की गई लेखा नीतियों का निरंतर पालन किया गया तथा निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया और उन्हें विवेकपूर्ण, तर्कसंगत एवं न्यायोचित्त बनाया गया ताकि समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उस अवधि हेतु बैंक के लाभ और हानि की वास्तविक एवं सुस्पष्ट स्थिति प्रस्तुत हो सके.

सी) निदेशकों ने, बैंक की आस्तियों की सुरक्षा एवं विभिन्न प्रकार की जालसाजी तथा अन्य अनियमितताओं से बचने एवं पता लगाने हेतु बैंक के लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुसार लेखा-अभिलेखों के रखरखाव में समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती.

डी) निदेशकों ने, लेखों को उत्तरोत्तर प्रगति के आधार पर तैयार किया है ; और

ई) निदेशकों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया गया कि बैंक द्वारा अपनाई जा रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अनुसरण इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया एवं इस प्रकार का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त एवं प्रभावी ढ़ंग से परिचालित हो रहा है.

एफ) निदेशकों द्वारा, वैधानिक रूप से लागू सभी पर्याप्त एवं प्रभावी प्रावधानों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली अपनाने का सुझाव दिया गया है.

आभार

निदेशकगण, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, अन्य विनियामक प्राधिकारियों, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं, बैंकों तथा विदेशों एवं भारत स्थित प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं.

निदेशकगण, आपके बैंक के देश-विदेश स्थित समस्त हितधारकों यथा ग्राहकों, शेयरधारकों एवं शुभचिंतकों के द्वारा प्रदत्त सहायता एवं सहयोग की सराहना करते हैं.

निदेशकगण, विभिन्न स्तरों पर कार्यरत स्टाफ सदस्यों की प्रतिबद्धता एवं कड़ी मेहनत की सराहना करते हैं जिसके कारण बैंक को आर्थिक चुनौतियों के बावजूद वर्ष दर वर्ष उच्च गुणवत्तापूर्ण व्यवसाय अर्जित करने में सफलता हासिल हुई और बैंक ने देश के अग्रणी बैंक के रुप में अपनी स्थिति को मजबूत किया.

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से,

पी. एस. जयकुमार
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

निदेशक की रिपोर्ट
Directors' Report

Your Directors have pleasure in presenting the One Hundred and Eighth Annual Report of your Bank with the audited Balance Sheet, Profit & Loss Account and the Report on Business and Operations for the year ended March 31, 2016 (FY16).

Performance Highlights

- **Total Business** (Deposit+Advances) stood at **₹9,57,808 crore.**
- **Gross Profit** and **Net Profit** were ₹ **8816 crore** and ₹ **(5396) crore** respectively.
- **Capital Adequacy Ratio (CAR)** as per Basel III stood at **13.17%.**
- **Retail Credit** stood at ₹ **50,850 crore** constituting **18%** of your Bank's Gross Domestic Credit in FY16.
- **MSME Credit** stood at ₹ **54,990 crore** constituting **20%** of your Bank's Gross Domestic Credit in FY16.
- **Net Interest Margin (NIM)** in global operations was **2.05%** and in domestic operations at **2.60%** during FY16.
- **While Gross NPAs to Gross Advances** stood at **9.99%, Net NPAs to Net Advances** were at **5.06%.**
- **Net Worth** as on 31.03.2016 was at ₹ **30,586 crore.**
- **Book Value per share at** ₹ **132.74** as on 31.03.2016.
- **Business per Employee** was ₹ **1680 lac.**

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Your Bank's **Capital Adequacy Ratio (CAR) under Basel III** was comfortable at **13.17%** as on 31st March 2016. Tier 1 ratio was at **10.79%** and Common Equity Tier 1 (CET-1) was at **10.29%** under Basel III framework.

Your Bank's Net Worth as on 31st March 2016 was ₹ **30,586 crore** comprising paid-up equity capital of ₹ **462 crore** and reserves (excluding revaluation reserves, FCTR & Net of Intangible assets) of ₹ **30,123 crore.**

Provisions towards Retirement and Other Benefits

During the year FY16, your Bank made provision towards contribution to gratuity (₹.20.56 crore), pension funds (₹.3025.08 crore) which included provision of ₹ 1563.70 crore on account of shifting of mortality table from LICI 1994-96 to IALM 2006-08, leave encashment (₹ 259.37 crore) and additional retirement benefits (₹ 87.23 crore). Total provisions under these four categories amounted to ₹ 3392.24 crore during the year FY16. Total corpus available with your Bank at the end of March 2016 under these heads was: ₹ 1346.55 crore (gratuity), ₹ 11947.17 crore (pension funds), ₹ 881.23 crore (leave encashment) and ₹ 375.96 crore (additional retirement benefit).

Dividend

Bank is not eligible to pay dividend for the financial year 2015-16 on account of not meeting the eligibility criteria stipulated by Reserve Bank of India for this purpose.

Management Discussion and Analysis

Indian Economic Overview and Outlook for FY17

India's macroeconomic stability has improved substantially due to fiscal prudence, lower inflation, lower current account deficit, and robust foreign exchange reserves. As per the advanced estimates of CSO, the real GDP (2011-12 prices) for 2015-16 stood at 7.6% and the Gross Value Added (GVA) at basic constant prices (2011-12) stood at 7.3% in 2015-16. This growth was achieved despite subdued global demand and two consecutive below-normal monsoons that impacted farm output.

While the agriculture sector is expected to grow at 1.1% in 2015-16, the growth in services sector has moderated slightly to 9.2%. The industrial sector is estimated to grow by 7.3% in 2015-16. The index of industrial production (IIP) for April-March 2015-16 was at 2.4%.

Key Financial Ratios

Particulars	FY 16	FY 15
Return on Average Assets (ROAA) (%)	(0.78)	0.49
Average Cost of Funds	5.08	5.23
Average Yield (%)	7.09	7.53
Average Interest Earning Assets (₹ crore)	6,21,234.89	5,70,592.45
Average Interest Bearing Liabilities (₹ crore)	6,16,002.63	5,69,190.46
Net Interest Margin (%)	2.05	2.31
Cost-Income Ratio (%)	50.30	43.63
Book Value per Share (₹)	132.74*	166.83*
EPS (₹)	(23.89)*	15.83*

**post split of face value of the share to ₹ 2/-*

The major achievement in 2015-16 has been sharp decline in inflation driven by a number of factors such as sharp decline in crude oil prices, RBI formally targeting inflation, astute food supply management and minimal increase in minimum support prices and slowdown in China. The CPI has ranged between 5-6% during the year and WPI stood at (-) 0.91%. The overall inflation remained within the targets set by the RBI. The exports continued to contract for 15 consecutive months and imports also remained subdued due to slow economic recovery in the domestic economy and decline in oil prices. The current account deficit remained at 1.3% in Q3, FY16 as against 1.5% in Q 3, FY15. The buoyant inward remittances, lower oil prices and significant FDIs which jumped around 40% resulted in higher foreign exchange reserves above US $ 350 billion. Fiscal deficit retained at 3.9% (Revised Estimates) for 2015-16 and 3.5% (Budget Estimates) for 2016-17.

The year witnessed the continuation of the reform measures. The reforms aimed at debottlenecking the economy, removing structural constraints, promoting industry and enterprise via Make-in-India initiative and the attendant measures to improve the ease of doing business, improving delivery through direct benefit transfer and deepening of banking services and liberalising foreign direct investment policy in various sectors were taken forward this year. The new initiatives like Public Sector Banks' Revamp Plan (Indradhanush), UDAY (Ujwal DISCOM Assurance Yojana) for ensuring financial turnaround of the ailing power distribution companies, Start-up India for tapping budding entrepreneurial potential, the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana for crop insurance, add to the ongoing reform measures. The PAHAL scheme of transferring LPG subsidies via DBT reduced leakages by 24 per cent. As announced in the Union Budget, the bankruptcy law was passed in the Parliament. Also, the announcement of Smart Cities, Housing for all by 2022, Make in India and stand up/start-up initiatives are positive developments from banking perspective. The efforts of the government to improve the ease of doing business would facilitate the growth imperatives. Though Indian economy has emerged as one of the fastest growing large economies in the world, the external risks to growth such as subdued global growth; slowdown and rebalancing in China's economy; increased volatility in financial markets; and, gradual tightening in the monetary policy in the United States remain.

Recent Developments in Indian Banking and Outlook for FY17

The RBI effected a shift in its monetary policy stance on January 15, 2015 with a reduction in repo rate by 25 basis points (bps) to 7.75 per cent and followed it up with a cumulative reduction of 125 bps to 6.50 per cent till recently. Correspondingly, the banks effected a cut in their Base rates, though, the pace of decline in Base Rate was lower than that of the policy benchmark rate. The limited transmission of monetary policy became a cause of concern for the RBI. Given the limited transmission of policy rates, the RBI introduced Marginal Cost of Funds based Lending Rate. With this change, the transmission of policy rates into the lending rates of banks would improve.

The performance of the scheduled commercial banks (SCBs) during 2015-16 remained subdued due to sluggish deposit & credit growth and asset quality concerns. The deposit growth was 9.7% and the credit growth remained at 10.7%.

Gyan Sangam 2.0 was held at Gurgaon in the first week of March 2016 to review the progress made on the recommendations of Gyan Sangam-I. Deliberations were held with top management of Public Sector Banks on Restructuring/ Mergers and acquisitions, NPA management and recovery, technology, digital and financial inclusion, credit growth and risk management. Under Project Indradhanush, a range of measures were announced for improving the performance of PSBs including the capitalisation of PSBs to the extent of ₹ 70, 000 crore till 2019. The Bank Board Bureau has started functioning wef 1st April, 2016, which aims at improving the governance of Public Sector Banks (PSBs) and formulate appropriate strategies for their growth. The Bureau will also recommend for selection of heads of Public Sector Banks and Financial Institutions and help Banks in capital raising plans.

Business Performance

Resource Mobilization and Credit Expansion

During the year, your Bank made strategic shift in its approach towards business by moving to average business concept. The allocation of business targets as well as review of performance of all operating units is done on the basis of average business figures (based on daily average). Given below are the details of your Bank's major achievements on business front during FY16.

Composition of Funds – Global

Particulars (₹ crore)	End March 2015	Average Figures March 2015	End March 2016	Average Figures March 2016	Growth on Average Figures (%)
Deposits	6,17,560	5,34,470	5,74,038	5,78,317	8.20
- Domestic	4,14,278	3,61,917	3,94,844	4,03,503	11.49
- Overseas	2,03,282	1,72,553	1,79,194	1,74,814	1.31
Borrowings	35,264	-	33,471	-	-

Global Advances*

Particulars (₹ crore)	End March 2015	Average Figures March 2015	End March 2016	Average Figures March 2016	Growth on Average Figures (%)
Advances	4,28,065	3,83,313	3,83,770	4,05,126	5.69
-Domestic	2,91,870	2,53,788	2,63,268	2,70,108	6.43
-Overseas	1,36,195	1,29,525	1,20,502	1,35,018	4.24

*While end of year numbers are Net Advances, average figures are of Gross Advances

Total Average Deposits of your Bank rose from ₹ 5,34,470 crore to ₹ 5,78,317 crore, posting a growth of 8.20% over the previous year. Of this, Average Savings Bank Deposits grew by 12.71 % from ₹ 94,705 crore to ₹ 1,06,739 crore. The share of low cost deposits (Current + Savings) or CASA deposits in Total (Domestic + Overseas) Deposits as on Mar'16 was at 26.36 % and in Domestic Deposits at 33.57% as against 26.39% and 33.01% respectively last year. Share of average CASA (domestic) to total average deposits of your Bank, increased from 29.31% as on March 2015 to 29.43% as on March 2016. Your Bank continues to shed bulk preferential rate term deposits in favour of retail term deposits. Domestic retail term deposits ratio improved to 73.96% as on 31.03.2016 from 62.79% last year.

Shri P. S. Jayakumar, MD & CEO, addressing the media on eve of annoucement of Financial Results for FY 2015 -16 and Q4: FY 2015 – 16, for the year ended 31st March 2016.

Your Bank's Total Average Advances expanded by 5.69% during FY16 led by 6.43% expansion in Domestic Advances and 4.24% expansion in Overseas Advances. Bank has focused on re-balancing of its loan book after thorough review of the portfolio with a calibrated shift to assets growth where it can improve its earnings and share of overall business with customers.

Operating Performance

(₹ crore)

Particulars	End March 2015	End March 2016	Growth (%)
Net Interest Income	13,187	12,740	-3.39%
Other Income	4,402	4,999	13.56%
Total Revenue	17,589	17,739	0.85%
Operating Expenses	7,674	8,923	16.28%
Operating Profit	9,915	8,816	-11.08%
Provisions NPAs	3,998	13,766	244.32%
Other Provisions	497	1,748	251.71%
Provisions for Tax	2,022	(1,303)	-
Total Provisions	6,517	14,211	118.06%
Net Profit	3,398	(5,396)	-

Net Interest Income of your Bank decreased by 3.39% on account of significant increase in non-performing assets which led to interest reversals and cessation of interest income of such assets. However Total Revenue increased by 0.85% led by 13.56% increase in other income. Operating expenses, including employee cost increased by 16.28%. Operating Profit of the Bank at ₹ 8,816 crore was lower by 11.08%.

During the year, the Bank made Provisions of ₹ 14,211 crore against ₹ 6,517 crore in FY 15. These provisions included ₹ 13,766 crore towards NPAs and other provisions of ₹ 1748

crore. Provisions on NPAs were higher than the regulatory requirements by ₹ 2,954 crore to improve the provision coverage ratio to 60.09% against stressed assets and to strengthen the balance sheet. Other provisions included ₹ 1,564 crore provided on account of pension liability arising on account of moving to mortality table from LICI 1994-96 to IALM of 2006-08. Your Bank has provided for all known liabilities to ensure that all focus would be to improve earnings going forward. On account of all these factors, Bank posted net loss of ₹ 5,396 crore against net profit of ₹ 3,398 crore last year.

Large & Mid Corporate Credit

Bank caters to the needs of corporate credit mainly through 10 Corporate Financial Service branches and 17 Mid Corporate branches. -82- new corporate relationships were established during the year. In view of challenging market conditions prevailing, your Bank adopted cautious approach coupled with proper due diligence towards taking fresh exposures. Bank initiated following measures to ensure consistent growth of large and mid-corporate credit with quality:

- Monitoring of undrawn exposure to achieve optimum level of capital conservation;
- Introduction of RAROC approach to examine the risk adjusted return of an asset;
- Initiated process of building a team of sectoral expertise;
- Established "Real Estate Desk" to exclusively deal with CRE proposals;
- Setting up market intelligence cell in view of increasing number of Red Flagged Accounts;

Domestic Foreign Business (DFB) division under Corporate Banking Business vertical supports Authorised Dealer (AD) branches to deal with Forex Business.

MSME Credit

MSME is a vital sector to the nation's economy and Bank supports credit to this sector through 54 SME Loan factories and wide network of branches. MSME advances of of your Bank were ₹ 54,990 crore as on March 2016. The advances of ₹ 29,861 crore to Micro Enterprises for FY16 to total MSE credit of ₹ 55,535 crore as of preceding year stood at 53.70% in FY16. The MSME advances as on 31st March, 2016 contributed 19.58 % to the gross domestic advances of your Bank. The advances to Micro & Small enterprises were at the level of ₹ 49,571 crore.

Prime Minister Mudra Yojana (PMMY) was launched by Govt of India on 08.04.2015 and your Bank is participating actively in the said scheme. Bank has achieved 24% YOY growth in number of accounts under Micro Enterprises category as against 10% achievement during the same period previous year.

Your Bank has set up Baroda Micro Enterprise (BME) Cells, concept under which these exclusive cells cater to Micro Enterprises. Bank has 90 such cells established across the country.

Retail Credit

Retail credit of your Bank is dispensed through 66 Retail Loan Factories (RLFs) and wide network of branches. During the year, Bank initiated the process of re-designing RLFs into Specialized Mortgage Stores (SMS) to undertake Sales and Marketing activities of mortgage loans and centralization of processing of retail loans through Centralized Processing Centres. Bank also undertook simplification of application forms for retail loans, revamped online home loan application system with instant 'In principle sanction' and initiated empanelment of direct selling agents.

Shri B. B. Joshi, Executive Director, addressing at Prime Minister Mudra Scheme mega camp organized by Zonal office, Baroda.

Your Bank's Retail Loan Book consists of five key products viz. Home Loan, Auto Loan, Education Loan, Traders Loan and Mortgage Loan, which constituted 83.12% of total Retail Loans as on March 2016. Home Loans grew by ₹ 2427 crore (10.77%) reaching a level of ₹ 24968 crore as of March,16. Total disbursements of ₹ 6632 crore were made during the financial year ended 31st March 2016 as against ₹ 6335 crore during the same period last year. Auto Loans grew by ₹ 268 crore (6.45%) reaching a level of ₹ 4428 crore as of March, 16. Fresh disbursement of auto loans were ₹ 1773 crore during the financial year ended 31st March 2016. Baroda Traders loans, Baroda Mortgage Loans and Education Loans were at a level of ₹ 8836 crore, ₹ 1914 crore and ₹ 2123 crore respectively. The other retail loan products included Baroda Personal Loan and other miscellaneous products viz. Doctors Loan, Loan against Government securities etc. Total Retail Loans stood at ₹ 50,850 crore as on 31st March, 2016 and constituted 18.82% of the Bank's domestic advances.

During the year, your Bank undertook review and redesigning of various retail loan products and risk based pricing of loans linked to credit bureau score.

Rural and Agricultural Lending

The Bank has always been a frontrunner in the area of Priority Sector and Agriculture lending. It has been harnessing the potential of the rural market through its wide network of 1,964 rural branches and 1,425 semi-urban branches. During FY16, your Bank has opened 95 new branches in rural and semi-urban areas.

Your Bank is the Convener of State Level Banker's Committee (SLBC) in the states of Uttar Pradesh and Rajasthan. Your Bank shoulders the Lead Bank Responsibility in 48 districts of India comprising of 14 in Gujarat, 12 in Rajasthan, 15 in Uttar Pradesh, 2 each in Uttarakhand, Madhya Pradesh and Bihar and 1 in Delhi.

Priority Sector Advances of your Bank increased from ₹1,03,342.67 crore as on March 2015 to ₹1,13,121.13 crore as on March 2016 and formed 37.05% of the Adjusted Net Bank Credit (ANBC). The Direct Agriculture advances of your Bank increased to ₹ 28,094.12 crore with an absolute growth of ₹1483.20 crore (5.57%) during the year. The total agriculture advances (excl.RIDF) of your Bank has grown by ₹ 4085.67 crore and reached ₹ 36822.21 crore as at end-March 2016. The Total Agricultural Advances were at 14.76% of ANBC.

Under its flagship agriculture loan product "Baroda Kisan Credit Card", your Bank issued as many as 2.29 lac Credit Cards during the financial year. Baroda Kisan RuPay Card, an ATM enabled smart card, has been issued to 9.32 lac farmers for their convenience. Your Bank financed as many as 303436 new farmers during FY16 granting them loans worth ₹ 5302 crore. As a part of its microfinance initiatives, your Bank credit linked 15170 Self Help Groups by granting loans amounting to ₹ 163.27 crore during FY16.

Key Initiatives

Your Bank introduced various initiatives/strategies to harness the emerging opportunities in rural and agriculture lending. Some of the key initiatives are mentioned below:

1. To add new farmers to our fold, your Bank conducted two special campaigns viz. 'JODEN KISAN' during the Kharif and Rabi seasons under which 1.17 lacs new farmers were added and were granted loans of ₹ 2,640 crores.

2. Your Bank has identified 482 thrust Branches across India to boost Agriculture lending. These branches contributed 33.01% of the total Agriculture outstanding of the Bank as at 31st March 2016.

3. Your Bank formulated various tailor made area-specific schemes to the needs of the local farming community, with concessions in rate of interest & charges etc. Thirteen such schemes were approved and implemented during the year.

4. Your Bank has 49 Baroda Swarojgar Vikas Sansthan (BSVS),[Baroda R-SETI Centers], across India training the youth and imparting them knowledge and skills required for taking up self-employment ventures. During FY16, 38274 youth beneficiaries were trained at these centres.

Youth being trainned and empowered by Baroda Swarojgar Vikas Sansthan (BSVS),[Baroda R-SETI Centers].

5. Your Bank has established 51 Financial Literacy Centres (FLCs) across India, christened as "SARATHEE" to impart financial literacy and credit counselling services to the needy to help them avail financial services from the Banking system and also to provide counselling services to those under financial distress.

Advances to SC/ST Communities during FY16

The outstanding advances granted by your Bank to SC/ST communities have been growing year after year. The outstanding advances granted to these beneficiaries went up from ₹ 4997 crore as on March, 2015 to ₹ 5,298 crore as at end-March, 2016. SC/ST communities accounted for a share of 21.95% in the total advances granted to weaker sections by the Bank. Furthermore, a special thrust is laid by your Bank in financing SC/ST under various government sponsored schemes namely National Rural Livelihood Mission (NRLM) etc.

Baroda Swarojgar Vikas Sansthans (BSVS) give preference to SC/ST candidates while selecting the trainees. So far, these centres have trained 14,304 youths under the SC/ST category.

Performance of RRBs Sponsored by your Bank

Your Bank has sponsored three Regional Rural Banks (RRBs) in three states viz. Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank, Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank, and Baroda Gujarat Gramin Bank. The aggregate business of these three RRBs rose to ₹ 42,640.52 crore as of March, 2016 from ₹ 37,440.67 crore as on March, 2015,registering a growth of 13.89%. The three RRBs together posted a Net Profit of ₹ 185.41 crore during FY16 as against ₹ 327.20 crore earned during FY15. The decline in profit is due to the payment of arrears on account of 10th Bipartite settlement. The "Net Worth" of these RRBs put together improved from ₹ 1851.02

crore as on 31.03.2015 to ₹ 2036.43 crore on 31.03.2016 and "Reserves and Surplus" from ₹ 1394.12 crore to ₹ 1579.53 crore.

Financial Inclusion (FI)

Financial Inclusion aims to provide easy access to financial services to all sections of the society who are deprived of it so far at affordable cost thereby bringing them into the mainstream of society. Financial Inclusion activities are being implemented by the Bank since inception through various Governments sponsored programs, lending to the poorest of the poor, lending to the minority communities, lending to SC/ST, lending to priority sectors, etc. Bank has approved disaggregated Financial Inclusion Plan for all 21526 service area villages of our Bank.

Models used by your Bank for FI

Your Bank has adopted following models for providing banking services under financial inclusion viz. Information and Communication Technology (ICT) based Business Correspondents models like POS based BC Model; KIOSK BC Model and Brick and Mortar branch.

Urban Financial Inclusion

The rural inhabitants have largely remained the focus of our financial inclusion efforts since a large proportion of our villages are still unbanked. Besides, people living in rural and far flung areas, urban poor who are largely migrants from villages to urban area still have no access to formal financial products and services like savings, credit, remittance and insurance, forcing them to depend on unscrupulous informal sources to meet their personal, health, and livelihood-related needs. Many of those are normally migrant labors, hawkers, slum dwellers from rural areas that generally leave their villages for livelihood. In order to cover them under financial inclusion, the Government of India has completed first phase of Jan Dhan Yojana campaign in all states to bring these vulnerable groups under mainstream financial system. Your Bank has deployed 4530 urban BCs at various locations across the country.

Product/Services offered at our BC Points are Basic Savings Bank Deposit Account with in-built OD facility, Instant Account Opening, E-KYC Account Opening,Cash Withdrawal, Cash Deposit & Fund transfer, deposit in Current a/c, Cash Credit a/c, OD a/c and Loan a/c, Term Deposit & Recurring Deposit Account, Enrollment for Micro Insurance – PMJJBY and PMSBY, Aadhaar Seeding and Mobile seeding.

Highlights of Performance under Financial Inclusion for the year 2015-16

- All targets of Disaggregated FIP – 2016 were surpassed in December 2014 itself.
- Bank surpassed annual Basic Saving Bank Deposit Account opening and Amount target for financial year 2015-16, achievement was 220.18 % & 196.23% respectively.
- The balance outstanding in the "Basic Savings Bank Deposit Account" of the Bank is around ₹ 4925 crore as against a target of ₹ 2510 crore for FY16.
- Surpassed urban ward coverage targets for financial year 2015-16 (achievement 596.05%).
- Surpassed annual target for BC appointment for FY 2015-16 by appointing 11,131 BCs against target of 5503 (achievement 202.27%).
- Surpassed annual target for number of transactions and amount of transactions in FI accounts opened through BC for FY16 (achievement 403.02% & 1145.41% respectively)
- Surpassed annual target for OD amount disbursed in BSBDA account for financial year 2015-16 by 848.83%.

Promoting Financial Literacy

The desired objective of Financial Inclusion can be achieved only when enough demand for banking services is generated from the targeted group of population. In order to invoke responses amongst villagers, it requires financial literacy on various banking facilities and its benefits particularly the benefits of savings habit, Aadhaar seeding, maintaining minimum balance, eligibility for availing Overdraft, use and safekeeping of RuPay cards and its pin, USSD facility, eligibility of availing accidental & life insurance, lodgment of claim under insurance, micro insurance products, pensions, benefits of KCC, GCC, prompt repayment, availability of other retail and SME loans to them. Financial literacy would be the key to success of financial inclusion initiatives of the Bank. Your Bank's link branches and BCs are organizing Financial Literacy campaign regularly by conducting meetings in their service area villages and schools.

Customer education and awareness camp by Bank & Reserve Bank of India at Faizabad Region

The Bank has also taken the following major initiatives towards financial literacy in rural part of the country.

1. Baroda Swarojgar Vikas Sansthan (Baroda RSETI) is a trust formed by the Bank way back in 2003 for undertaking skill building activities for unemployed rural youth and providing hand holding support to

them till their settlement in their venture. Bank has established 49 such centers all over the country. They have conducted 1401 training programmes during the FY16 in which 38,274 candidates were trained. Out of these, 20,679 candidates established their business ventures successfully.

2. Fifty one Financial Literacy & Credit Counselling Centres (FLCCs) "SAARTHEE" are operational across the country.

3. Mobile Micro Finance Loan Factory has been established with a vision to provide credit and banking facilities to SHGs at their doorstep under the SHG – Bank linkage program, ensuring hassle free and prompt credit delivery within maximum of 4 days & hassle free credit to the SHGs.

4. "BYST-BoB Entrepreneurship Development Programme" (BYST) provides end-to-end support to disadvantaged young dynamic micro-entrepreneurs in the form of Loans, Business Mentors, Training, Networking & Marketing.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)

PMJDY is a comprehensive financial inclusion plan wherein the ambit of financial inclusion is enlarged to make it more meaningful. PMJDY is a National Mission for Financial Inclusion. Every household having bank account would gain access to banking and credit facilities. This will enable them to secure their savings in a better manner and also to come out from the habit of raising funds from informal sources. As a first step, every person who opens the account under PMJDY will get a RuPay debit card and would be eligible for ₹ 1,00,000/- accident insurance cover. After six months of satisfactory conduct of account, they would be able to get an overdraft facility up to ₹ 5000/-. Further, the account holders who opened account between 15.08.2014 to 31.01.2015 will get additional term insurance of ₹ 30,000/- from LIC. Financial Literacy is another important aspect of PMJDY.

Further Government of India launched Jan Suraksha Yojana on 9th May 2015 whereby low premium insurance products like Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana and pension product like Atal Pension Yojana were introduced.

Initiatives under PMJDY:

- Your Bank has been allotted 6829 SSAs by SLBCs covering 22,055 villages and 3023 wards across the country. Survey has been completed in all allocated SSAs and wards. Accordingly there are total 88,91,696 households in Bank's service area. It has been Bank's endeavor to provide banking services to each and every household in the service area. Bank has since saturated all households in service area by opening atleast one account per household.

  Bank has opened 1.25 crore accounts with a deposit of ₹ 2500 crore and issued 1.18 crore RuPay debit cards.

- Your Bank is organizing camps periodically for opening of accounts, conducting financial literacy sessions, distribution of financial literacy materials, distribution of pass books and RuPay Debit cards, etc.

- Launched a scheme for engaging Retired Bank Officers, ASHA workers, Anganwadi workers, fair price shop owners etc as Bank's Direct BCs. Branches have been advised to identify and recommend performing SHGs and refer to Corporate BCs for appointment.

- Launched new products at our BC points like Instant account opening, Aadhaar Seeding, interoperable RuPay Card Based transactions, deposit in Current Account, CC accounts, loan accounts, Recurring Deposit and Fixed Deposit.

- Implemented automation of Overdraft Facility through ATM and SMS to PMJDY customers. The PMJDY customers can avail overdraft without even visiting the branch.

- Enabled Alternate Delivery Channels like ATM, Internet Banking, SMS and BC points for Aadhaar Seeding. Bank has also enabled enrollment of Micro insurance schemes such as PMSBY & PMJJBY through internet banking, SMS and at BC points.

- e-KYC has been implemented at the branches as well as BC points for opening of Aadhaar based accounts.

- Bank has rolled out Aadhaar Enabled Payment System (AEPS) facility at BC Points.

- Bank has rolled out Interoperable RuPay card based transaction facility at BC Points

- Bank has implemented Unstructured Supplementary Service Data (USSD) for carrying out mobile banking transactions on ordinary mobiles. Facilities available under USSD are balance enquiry, money transfer, mini statement, knowing Aadhaar link bank a/c.

- Adopted 3266 schools across India for imparting Financial Literacy to School Children. Regular Financial Literacy Sessions/Camps/chaupals are conducted by branches in schools, villages along with BC. Standardized Financial Literacy materials such as comic booklet, audio visual in vernacular language for spreading financial literacy have been launched.

- Bank has implemented Model Village concept by all Rural and Semi Urban branches with the sole objective

of achieving 100% Aadhaar Seeding 100% mobile seeding, 100% coverage under PMSBY, PMJJBY & APY, 100% funding of zero balance accounts, 100% overdraft to eligible customers, 100% credit linkage, 100% NPA free and skilling of villagers.

- Introduced special incentive scheme for BCs for mobilizing deposits and follow up & recovery in small loan a/cs including NPA & PWO accounts.
- Standardized Financial Literacy material such as comic booklet, audio visual has been supplied to all operating units for spreading financial literacy.

  In-house training and certification program for BCs.
- Joint workshops of branch heads and BCs to increase coordination and resolve field level issues.

Pradhan Mantri Jan Suraksha Yojana

1. Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana
   - The scheme will be a one year cover Term Life Insurance Scheme, renewable from year to year, offering life insurance cover for death due to any reason.
   - All savings Bank account holders in the age 18 to 50 years in participating banks will be entitled to join.
   - ₹ 2 lakhs is payable on a subscriber's death due to any reason. The premium payable is ₹ 330/- per annum per subscriber.
   - Your Bank has tie-up arrangement with IndiaFirst Life Insurance Company Ltd for this scheme.
2. Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana
   - ₹ 2 lakhs is payable on a subscriber's death or disability due to accident. The premium payable is ₹ 12/-per annum per subscriber.
   - All savings Bank account holders in the age 18 to 70 years in participating Banks will be entitled to join. In case of multiple saving Bank accounts held by an individual in one or different Banks, the person would be eligible to join the scheme through one savings bank account only.
   - Your Bank has tie-up arrangement with National Insurance Company Ltd for this scheme.

Performance of your Bank under PMJJBY and PMSBY as on 31.03.2016 is as under:

- No of Policies enrolled under PMJJBY– 14.42 lacs
- No of Policies enrolled under PMSBY – 40.24 lacs
- Total Insurance Policies enrolled – 54.66 lacs

International Operations

Your Bank has been keeping continuous watch on the emerging trends in the International banking scenario and adapted itself to the changing environment. Bank had taken review of assets at overseas centres and moving towards calibrated re-balancing of portfolio to improve margins. This has led to conscious degrowth in the business levels.

Bank of Baroda (Uganda) Ltd. Celebrated 63rd Foundation Day on 18th December, 2015. Dr. A.V. S. Ramesh Chandra, High Commissioner of India to Uganda was the Chief Guest.

International Presence

Bank's international presence covers -24- countries through its -106- branches/offices as under:

Bank's Overseas Branches/ Offices	60
Bank's Representative Office	1
Branches of Bank's Overseas Subsidiaries	45
TOTAL	106

During the year, your Bank has further spread its presence in Africa by opening two new branches of its subsidiary in Kenya.

The Bank also has following Joint Ventures/ Associates:

1. Indo Zambia Bank Ltd., Zambia having -27- branches
2. India International Bank (Malaysia) Bhd., Malaysia -1- branch

The international business of your Bank continued to support significantly to the total business of the Bank. As on 31.03.2016, the International business contributed 31.3% of Global Business. Of the total International loan-book, 47.92% comprised of Buyer's Credit/BP/BD portfolio where the exposure is on the Banks. 22.03% of the exposure is to India related corporates by way of ECB/ Syndicated Loans. Exposure to non-Indian entities by way of syndicated loans is at 4.30% and remaining 25.75% exposure is by way of local credit.

UK Subsidiary

Your Bank is planning to carve out Retail business in UK in the form of a 100 % owned subsidiary, which will give boost to the retail business of the Bank as well as comply with the local regulatory guidelines.

Treasury Operations

Your Bank operates its Treasury operations from State of Art Dealing Room at its corporate Office in Mumbai. Treasury handles domestic treasury operations and is a prominent player in various markets e.g. Foreign Exchange, Interest rates, Fixed Income, Money Market, Derivative, Equity, Currency and Interest Rate Futures and other alternate asset classes. Bank is offering various services like interest rate swaps, currency swaps, and currency options, forward contracts through advanced dealing systems and through Authorized branches dealing in Foreign exchange across India.

Your Bank has been able to capitalize on the opportunity offered by higher yields in the first half of the year and has added bonds to the portfolio. Bank managed its portfolio efficiently and maintained average yield on SLR investment as on 31.03.2016 at 8.01%. During FY 2016, your Bank's realized profit on Sale of Investment and Foreign exchange earnings are ₹ 1,162 crore and ₹ 612 crore respectively and earned ₹ 12,144 crore as Interest/ Discount.

Bank's Treasury mid-office monitors market exposures and limits fixed by the Bank on real time basis. The Risk management parameters, including Value-at Risk (VAR) are used to measure market risk on all portfolios. The VAR numbers are regularly back tested for evaluating the strength of the model. Stress testing is done on various investments and currency positions.

Government Business

Government Business forms an important part of business strategy of your Bank. It is the Accredited Banker to Ministry of Health & Family Welfare (MHFW) and newly formed Ministry of Ayush. Your Bank has been authorised to collect contribution and administrative charges on behalf of EPFO (Employees' Provident Fund Organization). Bank has received approval from IRCTC (Indian Railway Catering & Tourism Corporation) for Debit Card integration, implementation of which is under progress. Your Bank undertook special efforts for mobilization of PPF accounts during FY16 and opened 91,370 new PPF accounts. Your Bank has been adjudged as the Best Performing Bank among Public Sector Banks (2nd Rank) by PFRDA by opening 155589 Atal Pension Yojana(APY) accounts during FY16. This has been possible due to concerted efforts put in by all branches of the Bank. During the year, your Bank conducted workshops on Government & PSU Business, covering 850 staff members and 150 BCs/ BFs/VLEs at 15 locations.

Your Bank participated in Digital India initiative of Government of India. Your Bank is one of the five Banks associated with Government of India's prestigious e-Biz portal, which would launch about 50 services along with major state services. Digital Life Certificate (DLC) is successfully automated. Digitizing the whole process of securing life certificates will be beneficial to all pensioners. Your Bank is one of the Authorized Bank to undertake Goods & Service Tax (GST) collection which is likely to be implemented shortly. Work on Digitalization of Pension Payment Order (e-PPO) is under progress for speedier pension processing and disbursement. Your Bank is being integrated for online payment of MHFW (Ministry of Health & Family Welfare) and DBT (Direct Benefit Transfer) with PFMS (Public Financial Management System). Your Bank is integrated for online receipt of MHFW with Bharat Kosh portal (Non tax revenue receipts).

Your Bank started providing e-stamping facility in the State of Punjab in -03- branches in the initial phase. Your Bank started the pilot project of E-panjiyan (a web enabled standalone system used for stamping and registration of documents developed by Department of Registration & Stamps, Madhya Pradesh) in -03- branches in the State of Madhya Pradesh.

Your Bank has implemented Sukanya Samriddhi Yojana, a small deposit scheme for girl child, launched by Govt. of India w.e.f. 27.05.2015. Sovereign Gold Bond, 2015 and Gold Monetization Scheme, 2015 were launched on 05.11.2015 with a view to reduce country's gold import as well as mobilizing idle gold held by households and institutions in the country for putting the gold into productive use. Your Bank operationalised Sovereign Gold Bond scheme in all the branches in India to canvass maximum applications.

Wealth Management Services

Your Bank has realised growing aspiration of customers for earning higher returns and security through mutual fund and insurance respectively. Bank is in Wealth Management Services since 2004 and Mutual fund, Life Insurance, Non Life Insurance products are being distributed to the customers. Your Bank crossed the mark of 1,10,000 new SIPs in FY16, first time ever resulting in increased customer participation. Your Bank has also covered 1.71 Lacs lives in addition to coverage under PMJJBY policies. Initiatives/ Strategies adopted during FY 16 are:

1. Bank created a separate vertical for Wealth Management Services and clubbed it with Marketing to put focus on the importance of Wealth Management Services.
2. Team at Corporate Level is strengthened by placing Wealth Management specialists and product managers have been identified for strategic and monitoring role.
3. Bank initiated special focused campaign for Mutual Funds and Life Insurance for canvassing business.

Shri Mayank K Mehta, Executive Director, felicitates Shri Prabhat Agarwal, Zonal Head, EUP Zone, at Baroda Pioneer Mutual Fund event organised at Lucknow.

4. Bank has run pilot at 55 branches and conducted training/ refresher courses for broadening the vision in prevalent scenario of "Certified Officers" to source Mutual Fund and Insurance business. Your Bank looked it as a model for enhancement in customer bonding and fee generation by putting extra focus to draw the mileage.

5. Bank identified 1350 thrust branches for establishing Wealth Management Service desk and "Certified Persons/Officers "for distribution of Mutual Fund and Insurances have been attached at these branches.

6. Process initiated for inducting 2 Standalone Health Insurer and 2 General Insurance Cos after open architecture clause.

7. Bank is also in process of implementing integrated Wealth Management Solution to put all Mutual Fund and Insurance related information at one platform.

NPA Management

FY16 was a challenging year for the banking industry in terms of stress in asset quality on account of various macro-economic and other factors. Fresh slippages were at 6.38% of the opening Standard Advances of your Bank. In view of high slippages, the ratio of Gross NPA to Gross Advances was at 9.99% as on 31st March 2016 and the ratio of Net NPA to Net Advances was 5.06%. During the year, Bank provided ₹13,766 crore towards NPA provisions (last year ₹ 3,998 crore). These provisions were higher than the regulatory requirements by ₹ 2,954 crore to improve the provision coverage against stressed assets and strengthen the balance sheet. The Provision Coverage Ratio was at 60.09% during March 16 including Prudential/Technically Written Off advances.

Your Bank has developed a comprehensive structure for recovery and credit monitoring across different levels. The Nodal Officer at each DRT centre has been assigned the role of follow-up of legal cases on daily basis so as to minimize the delay in obtaining decrees and execution and maximize recoveries. For recoveries in all DRT Suit filed NPA accounts, the assets charged to the Bank are now sold through e-auction to get fair market value. In addition, Recovery Agents for assisting in taking possession of assets & other pre/post sale activities and Consultants have been appointed to liaise with Official Liquidators (OL) to get the recoveries realized by OLs. The maximum participation in National Lok Adalats is ensured to expedite recovery in suit filed & non suit filed NPA a/cs. Recovery Camps were regularly conducted by your Bank's branches to recover & reduce long pending cases and expedite recoveries in small accounts.

Your Bank continued emphasis on follow-up mechanism to effect recovery in NPA accounts. The system of monitoring of large value NPA accounts of ₹ 1 crore and above directly from corporate office by way of video conferencing with the Region and Zone have ensured proactive action by branches, advocates, recovery agents etc. The action under SARFAESI Act at various levels are also monitored by Bank's Corporate Office.

Your Bank continued its emphasis on sectorwise follow-up mechanism to recover NPAs as under:

Large and Mid Corporate accounts

1. Engaging reputed senior Advocates/Law firms for high value cases and Fraud matters;

2. Distribution of High value NPA & PNPA accounts amongst Top Management for early resolution;

3. Monitoring of high value accounts by Top Management team headed by MD & CEO and EDs;

4. 3 General Managers from Corporate Office have been allocated Zones to monitor NPA and Written off accounts on one to one basis.

MSME Banking

1. Enriching data mining to identify delinquency in the bucket of 0-90 days;

2. Early detection of problem accounts, initiation of independent title re-verification, fresh valuation of properties and tracing uncharged assets in SMA-2 accounts;

3. Vigorous monitoring & follow up in small bucket accounts Pan India by the officers engaged in recovery;

4. Engaging dedicated team at ZO/RO/Branch level for Recovery and Monitoring the run rate on daily basis.

Retail Lending

1. Leveraging Technology for Collection and Recovery, engaging 150 telecallers;

2. Seizing of vehicles;

3. Enhanced power to branches for compromise;

4. Private treaty, early resolution incentive for Recovery Agents;

5. Issuance of soft reminders;
6. Increase in SMS alerts;
7. Out sourcing Hard Buckets collection through FOS;
8. Establishment of Collection centre for FOS at major 100 centers is under process.

Rural Agriculture

1. Optimum utilizations of BCs for recovery in NPA accounts;
2. Incentive scheme (SANKALP 9) for recovery of small NPA accounts.

Bank was awarded as First Runner up for "Best Financial Inclusion Initiative" in the category of Large Banks by IBA during Banking Technology Awards 2016 at Mumbai.

Pre delinquency Monitoring

- War room is established at Corporate level for collection/monitoring of accounts above ₹ 5.00 lacs to ₹ 1.00 Crs in SME and Retail loan Accounts;
- Team of 10-12 officers in each Region (Total 800 Officers)is working dedicatedly for followup for timely collection in all Retail and SME loan accounts to control delinquency.

Suit filed Accounts

- Nodal Officers for DRTs closely monitor each case and ensure to get the Recovery Certificate in shortest period. In RC execution, the Nodal Officer to ensure that RC execution process is started, as soon as the RC is issued by DRT. The Nodal Officer monitors timely compliance of the issues raised in DRT by base branches and concerned Advocates.

  Cash recovery in NPA accounts during FY16 stood at ₹ 1481 crore and the up gradation stood at ₹ 533.87 crore.

  The asset classification wise breakup of advances portfolio of your Bank is as under-

(₹ in crore)

Asset Category(Gross)	31st March 2016	31st March 2015
Standard	3,64,996	4,21,019
Gross NPA	40,521	16,261
Total	4,05,517	4,37,280
Gross NPA comprising of:		
Sub-Standard	11,569	4,368
Doubtful	25,766	10,383
Loss	3,186	1,510
Total Gross NPA	40,521	16,261

Credit Monitoring

Credit monitoring is one of the most important tools for ensuring asset quality. Your Bank has the system of monitoring of advance accounts at various levels (Branch/ Region/Zone and Corporate) to prevent slippages and to take timely corrective actions to improve asset quality. A separate department for Credit Monitoring functions at the Corporate level, headed by a General Manager, and one at the Regional and Zonal level, started functioning since September 2008. The Slippage Prevention Task Force (SPTF) formed at all Zonal and Regional Offices in terms of the Bank's Domestic Loan Policy was activated for the purpose of arresting slippages and also for initiating necessary corrective action plan at an early stage in a time bound manner.

The primary objectives and functions of the Credit Monitoring Department at the Corporate level are as under:

- Identification of weakness/Potential default/incipient sickness in the advance accounts at an early stage and initiating suitable and timely corrective actions for preventing impairment in advance accounts / deterioration in credit quality of the borrowal accounts;
- Based on the RBI guidelines for Revitalizing Distressed Assets, accounts with incipient stress are identified under Special Mention Accounts (SMA) categories of SMA0, SMA1 and SMA2. All SMA2 accounts are followed up for the formation of the Joint Lenders Forum and options to resolve stress under Corrective Action Plan are explored by way of Rectification, Restructuring and Recovery;
- Prevention of slippages in the Asset Classification and relegation in Credit Ratings through vigorous follow up;
- Identification of suitable cases for restructuring/ Strategic Debt Restructuring as well as further financing in deserving and genuine cases with matching contribution from the borrower;
- Taking necessary steps / regular follow up, for review of accounts and compliance of terms and conditions, thereby improving the quality of credit portfolio;
- Monitoring progress of accounts under Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR);
- Your Bank has a mechanism of identifying the Red Flagged Accounts (RFA) based on Early Warning Signals (EWS) as per the RBI guidelines on framework for dealing with loan frauds and reporting the accounts

on CRILC platform. Further investigation into such RFA are made to classify the account as fraud or otherwise.

Monthly Monitoring of Advances accounts

On-line web-based software has been developed by the Bank for Monthly Monitoring Reports (MMR) in respect of advance accounts with Fund and Non-Fund Based (FB+NFB) exposure of ₹ 10 crore and above was launched in January 2013 and is being upgraded from time to time. Based on the MMRs, the follow up actions are taken for ensuring expeditious review of accounts, rectification of irregularities, compliance of terms and conditions in high value advance accounts for improving the quality of your Bank's credit portfolio.

Restructuring of Advances Accounts

In order to improve asset quality, your Bank scans the stressed advance portfolio on a continuous basis, industry-wise as well as borrower-wise so as to initiate suitable action by way of restructuring based on the viability of the project/ activity. During the financial year 2015-16, the Bank undertook restructuring of various advances accounts as per the table given below.

Restructuring of Advance Accounts (Global) – 2015-16

(₹ crore)

Particulars		CDR Mechanism	SME	Others	Total
Standard Advances	No. of Borrowers		19	564	583
Restructured	Amount Outstanding	227	108	975	1,310
Sub-standard Advances	No. of Borrowers	1	58	332	391
Restructured	Amount Outstanding	72	16	57	146
Doubtful	No. of Borrowers	1	41	200	242
Advances Restructured	Amount Outstanding	1,031	60	404	1,495
Total	No. of Borrowers	2	118	1,096	1,216
	Amount Outstanding	1,331	185	1,436	2,953

Information Technology (IT)

Your Bank has undertaken a total end-to-end business and IT strategy project covering your Bank's domestic, overseas and subsidiary operations.

- Your Bank has built the best of technology infrastructure by implementing a state-of-the-art Data Centre conforming to Uptime Institute Tier-3 standard and also a Disaster Recovery Site in different seismic zone with redundancy built in every single point of failure to ensure uninterrupted banking service delivery to customers;
- In addition to the Disaster Recovery Centre, your Bank has also implemented the Near Disaster Recovery Centre to ensure Near Zero Data Loss as part of its Business Continuity Planning and Disaster Recovery strategy;
- Your Bank continued to optimise its technology initiatives like Windows Server virtualization, and backup consolidation as green initiatives and also to improve Data Centre operational efficiency. Application virtualization, Automatic Storage Management (ASM) & Real Application Clusters (RAC) Implementation, Bandwidth up-gradation, provision of backup link, use of new technology based on MPLS (Multi Protocol Label Switching) for improving uptime and on demand upgrade are some of the major initiatives;
- Your Bank has been undertaking regular capacity planning, upgrade and refresh to support growing demand of business at various service delivery channels;
- Your Bank has implemented Enterprise Management System and modules have been deployed to effectively manage and monitor Bank's growing IT infrastructure;
- Your Bank has deployed centralized IT architecture to provide the Core Banking Solution (CBS) and other application platform to all its domestic branches and 23 overseas territories, providing ease of management & monitoring and optimization of resources. Your Bank's Regional Rural Banks (RRBs) are also on the CBS Platform with delivery channels;
- You Bank has initiated the upgradation of Core Banking Solution (CBS) to Finacle 10.x and e-banking upgradation to 11.x.

Digital Banking Initiatives

Internet Banking - BARODA CONNECT

Your Bank continued to add more facilities under its Internet Banking (Baroda Connect) channels. During FY16, Baroda Connect has been enriched with multiple features to provide ease of use and better control for the customers. Steps taken in this regard are:

- Introduction of facility for Self Registration for Baroda Connect using Debit card for Retail customers. Using this new feature, all retail customers, who have not registered for Baroda Connect, can do so without visiting the branch;
- A facility for Self Regeneration of Transaction password for Baroda Connect has been introduced for Retail Customers by which the retail customer can reset their transaction password by using debit card in case they have forgotten the password/ expiry of password/

password getting disabled due to wrong attempts;

- Facility for self retrieval of User ID wherein the customer can himself get the User ID on registered email id without visiting the branch or contacting the Toll Free number;

- Customers can now link their PPF account to their Baroda Connect portal. The customers can view the account statement and make credits to this account.
- Customers can now register for Pradhan Mantri Bima Yojana using Baroda Connect;
- Customers have also been provided option for linking/ delinking account facility using which customer can choose account, he wants to get displayed while making payments;
- Customers can now give request for Adhaar Seeding in their bank accounts;
- Facility is provided for investing in Monthly Income Plan, Regular Income Plan, Baroda MahaUtsav Deposit, Baroda Double Dhamaka Deposit Scheme, Baroda Tax Saving- RIRD, Baroda Tax Saving- MIP, Baroda Tax Saving –QIP and Short Deposit ORD.

Mobile Banking – BARODA M-CONNECT & IMPS

Mobile Banking application has been completely revamped in your Bank to attract the new generation and techsavvy customers by enhancing its look and feel, user-friendliness and experience. The Mobile Banking platform as an alternate delivery channel offers many features and facilities to customers, viz. icon based user interface, balance enquiry, mini statement, fund transfer, stop payment, cheque status, etc. Mobile banking application is made available in all i-Phones, Blackberry, Android, Windows devices. Immediate Payment Services (IMPS) are implemented covering Person to Account (P2A), Merchant Payments (P2M) and Aadhaar based remittance (P2U). On the Mobile platform, other key facilities like Mobile banking registration through CBS and net banking, IMPS through branches, M-passbook for NRE customers, DTH recharge functionality etc. are added to mobile banking.

Baroda Non-Stop Lobby

Baroda Non-Stop Lobby comprises of five self service machines viz. Cash Recycler, ATM, Multi Function Kiosk, Passbook Printer and Digital Signage System for providing 24x7 banking services. The lobbies have increased visibility and are receiving encouraging response from customers as well as staff members. The number of Baroda Non-Stop lobbies increased from -151- as of March 2015 to -252- as of March 2016.

Baroda Express - 24X7 Lobby

"Baroda Express – 24X7" lobby is a lean version of Baroda Non-Stop lobby for smaller centres by expanding existing ATM cabins with minor changes in the interior and providing additional services by installing Cash Recycler and Passbook Printer in addition to ATM. Baroda Express Lobby started functioning from September 2015. Bank has -451- Baroda Express-24x7 lobbies as of March 2016.

Shri B. B. Joshi, Executive Director, Inaugurating the E-Lobby in Sayajigunj Branch, Baroda. Shri Bharatkumar D. Dangar Director, is also seen.

Contact Centre

Contact Centre is providing most of the banking services through telephone channel. All customers or members of general public/customer can connect with Contact Centre by dialing the Toll Free Number 1800 22 33 44 or 1800 102 44 55 from anywhere in the country.

A dedicated Toll free no. 1800 102 77 88 is provided for Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) and other Financial Inclusion customers. Services through Contact Centres are available throughout the year without any holiday.

Contact Centres are currently providing following services:

- Account Enquiry – Balance enquiry, transactions details etc;
- Cheque Services – Stop payment, Cheque book request, enquiry etc;
- Debit Card Services – Helpdesk, Hot-listing, Regeneration of PIN, Reissuance of Card, Complaint of failed transactions etc;
- Internet Banking – Helpdesk, Handholding, Activation of password, Regeneration of password, complaint on failed transactions etc;
- Mobile Banking – Helpdesk, handholding etc;
- General Enquiry – Products and services, Branch/ATM location, interest rates information, lead creation for product queries etc;
- Most of these services are also available through

Interactive Voice Response (IVR) 24X7. Services through agents are available during 6 AM to 10 PM (except Debit Card Hotlisting, Webchat & NRI helpdesk which are available 24X7).

SMS Banking

For customers who desire to avail only information based banking services, your Bank has introduced SMS banking for balance enquiry, mini statement, Cheque status from the registered mobile number. This is a very simple and easy to use product that a customer can start using without any registration process.

Baroda E Gateway – Internet Payment Gateway

Bank owns entire set up to provide electronic payment platform of its merchant's business by enabling payment collection using credit card / debit card & Net banking. Bank is having tie-up with payment aggregators viz. BillDesk, Citrus Payment Solutions Pvt. Ltd. and PayTm to offer Net Banking of major Banks as additional payment option to customers. Your Bank is also in the process of upgrading IPG infrastructure with more robust and feature so as to offer rich experience to our merchants.

Self Service Pass Book Printer (SSPBP)

Self Service Pass Book Printer is an automated kiosk where customer can print Pass Book on their own. SSPBP kiosk recognizes the account details from the magnetic strip placed on the Pass Book, through these details kiosk fetches the account transaction and prints it on Pass Book. Customer can use this facility 24x7 from the SSPBP machine installed in Elobby/ATM.

ATM

During the year, your Bank installed 945 additional ATMs to provide uninterrupted basic banking facility to the customers at convenient places across India and replaced 206 ATMs which were older than 7 years. More than 50 ATMs have been redeployed at more convenient locations for the customers. As on 31.03.2016, Bank has ATM network of 8975 ATMs.

During the year, mobile banking registration through ATM on NFS network has been implemented. Gujarat Urja Bill payment facility is provided through ATM. Over Draft request facility through ATM for PMJDY customers have been provided. Cash withdrawal through Micro ATM for Bank's customers including our RRB customers and other Bank customers is implemented. Rupay EMV implementation for all our RRBs, Lead capture through ATM, Bill payment through MFK using card and PIN, Multi language receipt printing in ATM and Cash Recycler was enabled. Cardless deposit facility in Cash Recycler, Rupay cash at POS, Mudra cards was launched for the customers. Online Baroda Connect user creation and password reset using debit card and PIN, OTP for registration of Rupay, Visa, Master e-com transaction,Visa Contact less debit card launched for Domestic and New Zealand territory. All debit card products are migrated to EMV cards,ESQ ATM monitoring solution to enable the Bank to minimize the ATM down time and serve the customer better. First use on POS enabled for Rupay cards,PIN at POS made mandatory for international transactions,Debit card blocking through SMS and branch,Visa EMV for OMAN territory implemented.

Cash Recyclers:-

Your Bank launched its first Cash Recycler on 20th July, 2014. Bank has deployed 1135 Cash Recyclers/BNAs as on 31.03.2016. Cash Recycler is enabled to accept cash as well as dispense cash apart from balance enquiry, mini statement and PIN change facilities. Cash recyclers are very popular with retail as well as business customers given the ease of operation and 24x7 availability. All successful transactions are immediately credited or debited in real time and customers are issued an acknowledgment slip confirming the transaction. Nearly 1.6 lacs transactions are taking place every day in Cash Recyclers.

Payment Systems

- All branches of your Bank are enabled for interbank remittances through RTGS and NEFT. The RTGS and NEFT have also been interfaced with your Bank's internet banking portal. The Straight through Processing (STP) of RTGS and NEFT have been implemented for the Bank as well as RRBs. RTGS & NEFT have also been implemented in Uganda territory. Your Bank has successfully processed 782 lacs NEFT transactions and 74.07 lacs RTGS transactions during FY16.
- The SWIFT facility is provided at Foreign Exchange Authorized Branches in India as also in 22 overseas territories. A new interface 'XMM' is made available to all FOREX branches in India and also in 22 overseas territories for transmission of swift messages with Anti-money Laundering check. The Payment Messaging Solution (PMS) is implemented in 22 overseas territories & all authorized branches in India. PMS facilitates validation and formatting of SWIFT messages generated from CBS as per SWIFT standards, and also goes through AML check.
- During FY16, under Cheque Truncation System (CTS), your Bank has migrated additional MICR centers to respective CTS grid centers of Western Grid (Mumbai), Northern Grid (Delhi) and Southern Grid (Chennai).
- National Automated Clearing House (NACH) is implemented for both debit and credit transactions.

Other Customer Centric initiatives

Your Bank has implemented Contactless VISA/Master Cards for Domestic Operations Customers, Card to Card Transfer for ONUS and NPCI network, FI switch and ATM switch integration. Your Bank has implemented EMV implementation at New Zealand, Oman and Mauritius. Your Bank has implemented facility to access e-filling account of the Income Tax Department through Internet Banking portal. Your Bank has implemented Statement of more than 6 months in e-Banking and User induced limit set in E-Banking. Your Bank has provided Value Added services on Multi function Kiosk and implemented online transaction password reset with Debit Card and pin. Your Bank has implemented online account opening for NRE domestic customers and online remittance to NRE customers.

Information Security

A robust Information Security Management System has been implemented to protect the existing technology setup against security threat. A Comprehensive Audit by External Agencies is being successfully carried out by your Bank for its Data Centre/Disaster Recovery centre Infrastructure. Biometric Authentication is introduced for CBS Login at Branches.

Your Bank has a Security Operation Centre (SOC) for enhanced IT security. Your Bank's Data Centre as well as Disaster Recovery Centre are recertified and upgraded to ISO/IEC 27001:2013 certification. Your Bank has Implemented Fraud Management Solution for Internet Banking, ATM & POS. In order to enhance security and confidence in Internet Banking, your Bank introduced Fraud Management Solution, including two factor authentications in India and thirteen Overseas territories by enabling Mobile App (ARCOT) OTP, PULL OTP and SMS OTP. Your Bank is regularly conducting VAPT (Vulnerability assessment & Penetration Testing) of external facing applications viz. E banking, mail messaging, CMS, IPG etc.

Your Bank has enabled a Fraud Risk Management system for day-to-day monitoring of suspicious transactions at branches for protecting the interests of customers. While cyber-attacks have become more unpredictable and electronic payment systems vulnerable to new types of misuse, it is imperative that Banks introduce certain minimum checks and balances to minimise the impact of such attacks to arrest/minimise the damage. For this, your Bank has implemented following additional security measures:

- Your Bank has implemented the RBI mandates as part of Risk Mitigation measures for card present transactions.
- All new debit and credit cards are issued for domestic usage only unless international usage is specifically sought by the customer.
- Your Bank has enabled PIN at POS.
- Your Bank has enabled Digital signatures in Corporate Internet Banking for login and transactions providing additional security to corporate customers.

Back Office Operations

Regional Back Offices and City Back Offices

Your Bank is having 13 Regional Back Offices (RBOs) at present. Your Bank has one RBO in each zone for processing of CASA account opening forms and issue of Personalized cheque books. More than 5,281 branches of your Bank as on 31.03.2016 are linked for centralized account opening process through RBOs and issuance of Personalized cheque books. Your Bank is having all 22 erstwhile Service Branches functioning as City Back Office and 62 Main branches doing clearing activity and ECS covering 3030 branches at present for processing of inward and outward cheques through clearing. During the year under review, 100% migration to CTS (Cheque Truncation System) clearing has taken place in Southern Grid and also at all the 20 MICR (Magnetic Ink Character Recognition) locations of the Western Grid. Also, CTS clearing has been implemented in Northern Grid consisting of 21 MICR centers. CTS clearing is functioning in all the 3 Grids viz., Southern, Western and Northern Grids smoothly.

Cash Management & Currency Chest

Your Bank has initiated steps to launch the Door Step Banking Services from and at the door step of customers of the Bank on Pan India basis. This will give a boost to Bank's Current Deposit Portfolio. Bank has provided NSMs in all the branches and Chests to comply with the clean note policy of RBI. 4 new currency chests (Dum Dum, Karnal, Patan & Nipaniya) have been opened during the financial year. Now your Bank has -91- Currency Chests.

Marketing

During FY16, your Bank focused on promotion of Brand as well as various products and services through a variety of marketing initiatives. Marketing initiatives involved effective utilization of different media vehicles such as Print, Electronic (TV / Radio), Digital and Out of Home (OOH) for Above-The-Line (ATL) activities as well as to support the Below-The-Line (BTL) activities undertaken at the Zonal / Regional level.

Your Bank launched its presence on Social Media viz; Facebook & Twitter on 1st January of this calendar year. Your Bank appreciates the importance of social media as a platform to connect with individual customer across demographics and geographies. Your Bank also has plans to use social media for conducting a judicious mix of product promotion and customer education campaigns to gainfully engage with customers and evolve the relationships. Bank received positive response post the launch by engaging with desired target audiences.

Shri P. S. Jayakumar, MD & CEO launching Bank's presence in Social Media. Shri B. B. Joshi, Executive Director and other top executives are also seen.

Bank undertook different campaigns in February and March with each campaign being designed to serve different objective e.g. online brand building, awareness with defined target segments, business acquisition, promote Alternate Delivery Channels to reduce cost of banking transaction etc. Couple of campaigns are elaborated below:

#OneInALeap

#OneInALeap was a social media contest that was conducted on Facebook and Twitter on 29th Feb 2016. The objective was to capitalize on the Leap Day of the Year and enhance the brand visibility in the digital space and engage the target group on a single day event. #OneInALeap successfully increased awareness among desired target segments. The daily post volumes around this campaign are the record highest for a single day since our social media presence.

Baroda SMS (Mortgage linked)

Baroda Specialised Mortgage Store (SMS) Campaign was executed with the dual objective of Brand & Product awareness for newly launched One Stop Store - Baroda Specialised Mortgage Store (SMS) Branch and business acquisition via lead generation for the branch through targeted mediums focusing only Mumbai. In a short duration of 15 days, more than 300 leads were generated for processing, sanction and disbursements.

Your Bank also undertook various product promotion campaigns amongst target audience through advertising across different geographies. Besides focusing on providing information on various products and services, Alternate Delivery Channels (ADCs) were aggressively promoted. Further special customer segments were also targeted such as special offerings for MSMEs, Rural &Agri segment, NRIs etc. through judicious use of various media channels on pan India basis.

In order to augment the Brand connect with its diverse stakeholders, your Bank also participated in various events such as FICCI-IBA Banking Conference 2015, MINT Annual Banking Conclave 2016, Dun & Bradstreet – Top BFSI Companies 2016, Standard Chartered Mumbai Marathon 2016, India – South Africa Cricket Series 2015 among many others thereby increasing visibility and Brand recall value.

Branch Network of the Bank

As on 31.03.2016, branch net work of the Bank was as under:

	Number of Branches	% Share in Total
Domestic: Area Classification		
Metro	1008	18.91
Urban	933	17.50
Semi-urban	1425	26.74
Rural	1964	36.85
Total	5330	100.00
Overseas (Including Branches of subsidiaries and one Representative office)	106	-

Corporate Social Responsibility (CSR)

Bank of Baroda, has a long legacy and tradition of contributing actively to the social and economic development of the communities through various developmental activities. Education, health, human welfare and other social activities are Bank's main focus areas. In its continued efforts to make a difference to the society at large, Your Bank intensified its efforts further in this direction during FY 2015-16. Bank has sanctioned a sum of ₹ 1940.21 lacs to different organizations engaged in various community development and socio-economic welfare activities for the benefit of weaker section, rural mass and others.

Donation to Daya Rehabilitation Trust, Vadagara, Kozhikode Kerala purchase of Ambulance

Some of the initiatives in the domain of CSR undertaken by Your Bank are as follows:

Baroda Swarojgar Vikas Sansthan (Baroda R-SETI)

Your Bank has established 49 BSVS (Baroda R-SETI) in six states of the country, out of which 45 are in our lead districts and 4 are in non- lead districts for generating self employment of Rural and Semi Urban youth through skill development training. It reflects your Bank's commitment towards the cause of poverty alleviation through self employment. Till now, our BSVSs have conducted 9188 programmes and trained 2,63,378 youth, out of which 1,59,731 have already secured either employment or setup their own venture. The settlement ratio is at 60.19%.

Financial Literacy & Credit Counselling Centres (FLCC)

Your Bank has also established 51 FLCCs in eight states of the country for providing financial counseling services and to educate the people in rural and urban area to various financial products and services available from the formal financial sector. These centers also take up activities that promote financial literacy, awareness about banking services, financial planning and amelioration of debt-related distress of an individual.

Risk Management

To ensure sustainable growth, your Bank has developed a sound risk management framework so that the risks assumed by the Bank are properly assessed and monitored. Your Bank's Board has put in place a robust Enterprise-wide Risk Management architecture so that the risks remain within the risk appetite defined by the Board. Specific committees of the Board have been constituted to facilitate focused oversight on various risks. The Board has also constituted a Risk Management Committee of Board which oversees the inter linkages between different type of risks. Policies approved from time to time by the Board of Directors or committees of the Board form the governing framework for each type of risk. The business activities are undertaken within these policy frameworks. A brief outline of the mechanism for identifying, evaluating and managing various risks within Bank is as follows:-

Asset Liability Management

Your Bank's Asset Liability Management (ALM) is aimed at strategic planning, implementation, and control processes that affect the volume, mix, maturity, rate sensitivity, quality and liquidity of the Bank's assets and liabilities. Asset Liability Management Committee (ALCO), which comprises of General Managers and Executive Directors and is headed by the Managing Director & CEO, ensures that the risk profile of the Bank in terms of Liquidity and Interest Rate risk is within the risk tolerance limits set by the Board.

Liquidity Risk is the inability to meet expected and unexpected cash and collateral obligation at reasonable cost. In your Bank, the liquidity risk is measured and monitored through Flow approach and Stock approach and other prudential stipulations as per the latest guidelines of the Reserve Bank of India. Your Bank has implemented Basel III Framework on Liquidity Standards – Liquidity Coverage Ratio (LCR), Liquidity Risk Monitoring Tools and LCR Disclosure Standards. The LCR standard aims to ensure that Banks maintain an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets that can be converted into cash to meet liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario specified by the RBI. Your Bank has always been well above the stipulated level of LCR on solo basis as well as on consolidated basis.

Interest Rate risk arises due to mismatch between rate sensitive assets and liabilities which adversely impacts the earnings of the Bank with the change in rate of interest in the market. For measurement and monitoring of Interest rate risk, both Traditional Gap and Duration Gap approaches are followed. The short-term impact of interest rate movements on NIM is worked out through "Earnings at Risk" approach taking into consideration Yield curve risk, Basis risk and Embedded Options Risk. The long-term impact of interest rate movements on Market Value of Equity is also worked out through Duration Gap approach. Advanced techniques such as stress testing of liquidity risk by way of simulation, sensitivity and scenario analysis are used at regular intervals and tested against the contingency funding plan.

Your Bank's comprehensive contingency funding plan has been formalized to foresee and mitigate liquidity crisis both for temporary and long-range liquidity disruptions. With a powerful suite of analytical and reporting tools, an efficient liquidity and interest rate risk management has been facilitated, enabling strategic decision-making and generating alerts against potential deviations.

Credit Risk

Credit risk is defined as the possibility of losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counterparties. In a Bank's portfolio, losses stem from outright default due to inability or unwillingness of a customer or counterparty to meet commitments in relation to lending, trading, settlement and other financial transactions. Alternatively, losses result from reduction in portfolio value arising from actual or perceived deterioration in credit quality.

Credit risk is managed in your Bank through a well established Board approved framework that sets out policies, procedures and reporting which are in line with international best practices. Adequate attention is given to segregate the activities of policy framers with risk takers. Your Bank has a well structured credit approval process, which functions within the defined Board approved credit policy.

Credit Risk Rating in your Bank involves a method of systematically classifying credit proposals according to their quality and inherent risk characteristics. Rating is an important single point indicator of credit quality to the Bank as also to other stakeholders (viz. regulators, analysts, auditors etc.). Your Bank has adopted a robust web based two dimensional credit rating system which consists of borrower rating as well as facility rating and is named as Bank of Baroda Risk Assessment Module (BOBRAM). This BOBRAM system which is in place since 2007, assesses four types of risks (viz. Industry Risk, Business Risk, Financial Risk and Management Quality Risk) pertaining to the characteristics of a borrower. While the first dimension, the borrower rating signifies the likelihood of default, the second dimension facility rating indicates the likely loss, in case the borrower defaults, and is expressed in terms of Loss Given Default (LGD). Facility rating depends on type of collateral offered and its coverage. The combined rating of the borrower is arrived at by the combination of these two dimensions depicting expected loss.

Over the years, your Bank has gained good experience in internal rating and has thus built up data on credit rating migration. This robust platform has enabled your Bank to get an approval of regulator for a parallel run under Foundation Internal Rating Based (FIRB) approach of Credit Risk under Basel II rules from 31st March, 2013. Under the IRB approach the banks are allowed to develop their own empirical model to quantify required capital for credit risk. IRB implementation will make your Bank more risk sensitive and would benefit the Bank with improved risk management systems and strong risk assessment processes, and possibly reduced credit risk capital requirements.

Your Bank's Corporate Research Cell prepares industry report studies through industry experts to assess the risk prevalent in industries where the Bank has sizable exposure and also for the identification of sunrise industries. To manage imprudent concentration, your Bank has also put in place prudential caps across industries, sectors and borrowers. The Portfolio Review Cell carries out detailed studies on sectoral exposure, credit concentration, ratings distribution and migration, and charts out credit strategy of the Bank based on these studies.

Your Bank has also implemented the Risk Adjusted Return on Capital (RAROC) Framework for all credit exposures. RAROC is defined as the ratio of risk adjusted return to capital employed. Implementation of RAROC will facilitate us to evaluate whether the credit risk asset generates adequate profit to add economic value to shareholders' funds.

Market Risk

Market Risk implies the risk of loss of earnings or economic value due to adverse changes in market rates or prices. The change in economic value of different market products is largely a function of change in interest rates, exchange rates, economic growth, business confidence etc. Your Bank has clearly articulated policies to control and monitor its treasury functions. These policies comprise management practices, procedures, prudential risk limits, review mechanisms and reporting systems. These policies are reviewed regularly in line with changes in financial and market conditions. The Interest rate risk in your Bank is measured through Interest Rate Sensitivity Gap Reports and Earning at Risk. Furthermore, your Bank calculates duration, modified duration, PV01, Value at Risk for its investment portfolio consisting of fixed income securities on daily basis. It monitors the short-term Interest rate risk from the NII (Net Interest Income) perspective and long-term interest rate risk from the EVE (Economic Value of Equity) perspective. Moreover, the stress testing of fixed interest investment portfolio through sensitivity analysis and equities through scenario analysis is regularly conducted in your Bank. The foreign exchange risk and equity price risk is monitored too and measured through daily marking to market, stop loss limits, VaR limits, portfolio size limits, IGL, AGL etc. The Value at Risk for the treasury positions is calculated through historical simulation method for a ten days holding period, at 99.0% confidence level.

Operational Risk

Operational Risk is defined (as per BCBS and RBI) as the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. This includes legal risk but excludes strategic and reputational risks. Operational Risk is integral part of Bank's all activities and business. Hence, it is required to be managed with active engagement.

Operational Risk Management Committee (ORMC) of your Bank has the responsibility of controlling the operational risk losses so that they do not cause material impact to the Bank's functioning. The robust management of operational risk is reflected from the effectiveness of the control environment. The Bank has initiated measures to modify the processes and install new systems to improve the control environment. Roll out of key Risk Indicators programme, Risk Control and Self Assessment Programme and Root cause analysis during the current year will further strengthen the control environment.

Your Bank is one of the promoters and initial equity capital subscribers to Cordex India Private Limited, which will be a consortium of Operational Risk loss data in India for the banking industry.

Basel III Implementation

The Basel III capital regulations have been implemented by Indian Banks with effect from April 1, 2013. This implementation requires enhanced quality and quantity of capital on one side and more elaborate disclosure on the other. For augmenting and improving Core Capital of Bank, new measures for the inclusion of FCTR, DTA and Revaluation Reserves have been introduced by RBI in March 2016. Also from March 2016 onwards Bank will start maintaining CCB in phased manner and will reach 2.5% as per the regulator. The Bank is fully equipped to comply with all regulatory norms with reasonable cushion over the minimum regulatory capital requirements.

Risk Based supervision (RBS)

The Department of Banking Supervision (DBS) at RBI has adopted a Risk Based Supervisory (RBS) approach for Review of Supervisory Processes of Commercial Banks. The RBS framework has been named as "Supervisory Program for Assessment of Risk and Capital (SPARC)" and one of its important components/ tools employed in the process is the "Integrated Risk and Impact Scoring (IRISc)" Model. RBS is driven by Offsite as well as Onsite supervision which requires a Bank to put in place robust systems for data collection and compilation process and reporting. RBS was rolled out in your Bank in 2012-13 supervisory cycle. SPARC is risk focused and intended to increase the effectiveness of the supervisory process. The two major areas of assessment under SPARC are Risk and Capital Assessment. The risk assessment for a Bank covers the inherent risks, risks due to gaps in controls for the inherent risks, risks due to gaps in the Governance & Oversight as also the culture and degree of compliance to regulatory requirements. These assessments together determine the Aggregate Risk for a Bank. The Aggregate Risk and Capital Available together determine the Risk of Failure Score (RoFS) for a Bank.

Your Bank has successfully completed the third cycle under SPARC and is now well positioned to embark on the fourth supervisory cycle of 2015-16.

Internal Control Systems

Audit Committee of the Board oversees overall Internal Audit function of the Bank. The committee guides in developing effective internal audit, concurrent audit, IS Audit and all other inspection & audit functions of the Bank. The committee monitors the functioning of the Audit Committee of Executives and inspection / audit department in the Bank. Your Bank has a Central Internal Audit Division (CIAD) that examines the adherence to systems, policies and procedures of the Bank. The guidelines received on various issues of internal control from Reserve Bank of India, Government of India,

Board and Audit Committee of the Board have become part of the Internal Control System for better risk management. With rising business levels year after year, Central Internal Audit Division is constantly aiming to curb the inherent risks through effective control mechanism so as to safeguard Bank's interest. CIAD operates through thirteen Zonal Internal Audit Divisions to carry out audit of branches/offices as per the periodicity decided by the Audit Committee of the Board. All the branches of the Bank are covered under Risk Based Internal Audit (RBIA). Out of 4455 branches inspected during 2015-16, 3671 branches (82.40%) were in Low Risk, 694 branches (15.58%) were in Medium Risk and 90 branches (2.02%) were in High Risk category.

Bank is undertaking an exercise for revamping of system and processes focusing on centralization of activities by use of technology, imaging solutions and digitization. The whole gamut of audit approach will undergo a change with extensive use of technology, analytics, sampling and advanced audit methodology. Bank proposes to engage a Knowledge Partner out of leading Audit firms to assist in putting in place an efficient audit mechanism and its implementation.

Operations and Services

Customer-Centric initiatives

Your Bank is highly responsive to the customer needs and believes that technology, products, processes and human resources must be leveraged for delivering superior banking experience to its customers. To further enhance customer service delivery and customer redressal, 'Customer Service Department' during the year was strengthened. Your Bank has taken several measures to improve the customer service at its branches and at the same time, strengthen the customer complaint redressal machinery for fast disposal of complaints.

During the year, an online Customer Satisfaction Survey 2015–2016 was launched from 08.06.2015 to 30.09.2015 by sending emails to customers to know about their feedback so as to take remedial measures. The findings of the survey and suggested action points to address the deficiencies were considered and necessary actions taken.

Efforts to improve Customer Service at Branches

In your Bank, the feedback on quality of customer service at branches is obtained through the Branch Level Customer Service Committee meetings that are held every month in which customers from various cross sections of the society including senior citizens and pensioners are invited. The suggestions/views generated during the meetings are collated so as to examine the feasibility to implement the suggestions for improving service quality.

Your Bank is focused towards providing excellent customer service through all delivery channels and has been making continuous efforts for enhancing the level of customer satisfaction by leveraging technology to provide e-products and alternative delivery channels e.g. ATM/Debit cards, POS, Internet Banking, Mobile Banking, etc., best suited to the diverse needs of various customer segments.

Customer Service Committee of the Board

Your Bank has a Sub-Committee of Board for Customer Service which is headed by your Banks' Managing Director & CEO with the following members as on 31st March 2016 :

1. Shri P.S.Jayakumar, Managing Director & CEO
2. Shri B B Joshi, Executive Director
3. Shri M.K.Mehta, Executive Director
4. Shri Prem Kumar Makkar, Director
5. Shri Bharat Kumar D. Dangar, Director

This Sub-Committee addresses the issues relating to the formulation of policies and assessment of their compliance which brings about consistent improvement in the quality of customer service. It also monitors the status of the number of deceased claims pending for settlement beyond 15 days pertaining to depositors/locker hirers/depositors of safe custody articles, and reviews the status of implementation of awards passed by the Banking Ombudsman

Standing Committee on Customer Service

Your Bank has also set up a Standing Committee on Procedures and Performance Audit on Customer Services, comprising of three eminent public personalities as members along with all the Executive Directors and four General Managers of your Bank. This Committee oversees timely and effective compliance of the RBI instructions on Customer Service and also reviews the practices and procedures prevalent in your Bank and takes necessary corrective steps on an ongoing basis.

The suggestions emanating from the Branch Level Customer Service Committee meetings are obtained by your Bank's Head Office on quarterly basis and placed before the Standing Committee on Procedure and Performance Audit on Customer Services. The feedback of the committee meetings is then put up to the Customer Service Committee of the Board of Directors.

Customer-Centric initiatives and Redressal of Complaints

Your Bank has a Board approved Policy on Customer Grievance Redressal and the same is placed on the Bank's website. Your Bank is also having a well structured Customer Grievance Redressal Mechanism, due to which the outstanding complaints have also come down significantly. The General Manager, Operations & Services, is designated as Principal Nodal Officer for customer complaints in your Bank. Moreover, all Zonal Heads and Regional Heads are designated as Nodal Officers for their respective Zones and Regions. Further, the names of all Nodal Officers along with their contact numbers are displayed in all the branches of your Bank. A quarterly review note on customer service and grievances is placed before the Board of Directors comprising breakup and position of the customers' grievances received by your Bank.

Your Bank is also focused on Root Cause Analysis of the complaints and suitable remedial measures including updation of the systems, procedures & sensitization of employees for enhanced customer service. Your Bank is having a web based online complaint registration and redressal portal named as Standardized Public Grievance Redress System (SPGRS). An icon is placed on the home page of your Bank's website, through which your Bank's

customers as well as non customers can lodge their complaint online. The system generates tracker id for tracking the status of the grievances in future. It also facilitates the complainant for uploading complaint in pdf or txt format upto a document size of 500 kb. Moreover, the complainants can re-open their complaints within 15 days of its redressal, if not satisfied with the resolution and the same complaint is escalated to the next higher authority/functional head for necessary action at their end. SPGRS also has a facility to capture suggestions/ feedbacks.

In terms of RBI directives, your Bank has appointed a Chief Customer Service Officer (Internal Ombudsman - CCSO) w.e.f. 29.01.2016. As directed by RBI, your Bank escalates those complaint cases to CCSO where Bank decides to reject a complaint and / or decides to provide only partial relief to the complainant.

Compliance of Banking codes and Standard Board of India(BCSBI)

Your Bank is a member of the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) and has adopted the "Code of Commitment to the Customers" and the "Code of Bank's Commitment to MICRO and Small Enterprises" prescribed by the BCSBI . These have been placed on your Bank's website and also made available to customers at the branches.

KYC/AMLCompliance

Your Bank has well defined KYC-AML-CFT Policy, which is the foundation on which the Bank's "implementation of KYC norms, AML standards, CFT measures and obligation of the Bank under Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002" is based.

The major highlights of KYC-AML-CFT implementation across your Bank are as under:

- The Bank electronically generates Cash Transaction Reports (CTRs) for submission to Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND)
- The "AML Solution" for generating system-based alerts on the basis of transactions in the accounts of the customers is in place. The scope has been further widened with addition of more alert definitions as per recommendations of IBA working group. Your Bank has a designated Director for overall compliance of KYC-AML-CFT guidelines.
- Central Transaction Monitoring Unit (CTMU) has started functioning from 18.02.2016 at your Bank's Head Office for exclusively monitoring of the transactions/ alerts generated in AML Solution and filing of STRs, if found suspicious.
- There is a scrutiny team for detection and submission of Suspicious Transaction Reports (STRs) to the Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND).
- System-based Risk Categorization (from AML angle) of Bank's customers' accounts has been done half yearly i.e. in July and January.
- The Bank files Counterfeit Currency Reports (CCRs) and Non Profit Organizations Transaction Reports (NTRs) to FIU-IND, New Delhi every month. Your Bank generates Cross Border Wire Transfer Reports every month through electronic mode for submission to FIU-IND, New Delhi
- The Bank is in the process of allotting Unique Customer Identification Code (UCIC) to all its existing customers as per the RBI guidelines.
- Online verification of PAN from NSDL has been operationalised as a major step to tackle money laundering activities.
- CBS system has been modified suitably so as not to accept cash deposits of ₹ 50,000/- and above in absence of PAN / Form No. 60/61.
- Your Bank has implemented Aadhaar based e-KYC in collaboration with UIDAI. Real-time checking of names from UNSCR list is available in all the branches as a step towards CFT.
- Online scanning of the customer's name with the names of the individuals/ entities included in the updated AL Qaida/ Taliban Sanctions list or any other Blacklist issued by Govt. Authorities, while opening of accounts and generates the AML Alerts on predefined criteria.
- Your Bank has successfully participated in Pilot Run of Central KYC Registry and completed the process of inclusion of the CKYC mandatory fields in the Account Opening Form and mapped the CKYC codes with the codes in our CBS system.

For achieving full KYC compliance, following measures are taken by the Bank:

- A comprehensive list of KYC documents is uploaded on your Bank's website (www.bankofbaroda.com) for the benefit of customers.
- Mobile based SMS are being sent and notices have been published in local and national dailies for updation of KYC data in accounts of the customers.
- Regular training sessions are conducted on the KYC-AML-CFT guidelines at the Bank's training establishments.
- Training is being arranged for the Bank's senior officials/ executives at various institutes/establishments within the Bank and outside.
- Regular On-site and Off-site test checking is carried out to identify irregularities, if any and prompt rectification of the same.

Compliance Function

Your Bank has in place Compliance Policy outlining the compliance philosophy of the Bank. Compliance Function in the Bank is an integral part of governance along with internal control and compliance risk management process supported by a healthy compliance culture in the Bank

Compliance Function ensures observance of Regulatory / Statutory provisions contained in various legislations

viz. Banking Regulation Act, RBI Act, Foreign Exchange Management Act, Securities and Exchange Board of India Act and Prevention of Money Laundering Act and also the regulations of the various Regulators where the Bank is having its Offices / Branches in overseas centres. It also ensures Standards and Codes prescribed by BCSBI (Banking Codes and Standard Board of India, IBA (Indian Banks Association), FEDAI (Foreign Exchange Dealers Association of India), FIMMDA (Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India).

A robust web based Compliance Management System is being put in place to further strengthen compliance function in the Bank.

In order to keep the compliance staff up-to-date with developments in the areas of banking laws, rules and standards, workshops on Compliance are conducted regularly. Knowledge Management Tools for the purpose have also been uploaded on the Bank's site. Workshops on compliance are also arranged for Branch Managers of selected Branches and Regional / Zonal Compliance Officers wherein various compliance issues with focus on KYC/AML norms at Branch / Regional / Zonal and Corporate levels are discussed so as to create awareness about Compliance.

Vigilance

Vigilance machinery in the Bank is effectively performing its proactive role in traditional and emerging risk prone areas in computerised/e-banking environment, in addition to sensitising all categories of staff members with the various preventive measures. To bring about greater transparency in procurement and tendering processes in our Bank, Notice inviting tenders / details of tenders awarded by the Bank and summary of tenders/ contracts concluded are put on the Bank's website for widest possible publicity. Also, Standardized Public Grievance Redress System (SPGRS) as advised by MOF for uniform implementation in PSBs is made active with effect from 11.01.2013.

Shri P. S. Jayakumar, MD & CEO, Shri B. B. Joshi, Executive Director, Shri A. M. Prasad, IPS, Joint Director-CBI, Economic Offence Zone-II, Mumbai and Shri Raju Gupta, CVO, at Vigilance Awareness Week.

Your Bank follows Central Vigilance Commission Guidelines on Whistle Blower Complaints under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) resolution. A two way live global web telecast with all employees of the Bank on whistle blower policy was organized during the year. Bank has also designed software for lodgments of online complaints under whistle blower policy by employees.

Human Resources – Key to Business Excellence

Realizing the importance of human resources in the present dynamic and competitive environment with multi-pronged challenges viz. large number of superannuations, massive intake of talent, huge training requirements, succession planning and engagement for higher productivity, your Bank is remodeling its HR processes through a number of initiatives.

Some of the key accomplishments in FY16 are as under:

Strategic workforce planning and Recruitment drive:

A scientific manpower planning model has been put in place for estimating manpower needs by level, skills and also for strategic workforce planning for the next few years to feed into various other HR interventions of recruitment planning, career progression, vacancies and postings / deployment.

A specially designed 'Career portal' has been launched on the Bank's website which defines this value proposition further with clearly laid out sections related to why your Bank should be the preferred choice for any prospective applicant.

For a smooth and effective integration of the new hires into Baroda family, your Bank has also put in place a very well structured and focused "On-boarding Programme". Your Bank has also launched a focused Mentoring programme "Baroda Sarthee" for the new hires wherein a senior employee - mentor handholds the new entrant to enable his smooth transition into the corporate world.

Baroda Manipal School of Banking"

The Baroda Manipal School of Banking is a unique association of your Bank and Manipal Global Education in which students undergo a focused 1 year programme customized to the Bank's requirements, before they are absorbed in your Bank as Probationary Officers. The programme works on an inverted model of "Train, Hire and Deploy" instead of "Hire-Train and Deploy". This innovative resourcing channel was initiated during the year FY12 and so far –3586- students have undergone/undergoing this course, of which –3120- students have joined the Bank as Probationary Officers.

Recruitment Drive during FY16:

To fulfil the business needs, your Bank recruited 1,896 officers in various Grades / Scales (both Generalists & Specialists), 2,562 Clerks and 749 Subordinate staff, thereby inducting a total of 5,207 new employees in the Bank during the year 2015-2016. The recruitment process will continue in the year 2016-17 also with various recruitment projects undertaken for filling up almost 3,283 posts of officers and 1,000 posts of clerks. Your Bank has a rich reservoir of Human Resources comprising of over 51,000 employees.

Engagement of Experts from Market for various Key positions on Contract Basis.

Your Bank has recruited/recruiting professionals/experts having specialized skill sets, knowledge & competencies for various critical positions in the Bank viz. Advisor (Credit & Risk), Advisor (Business Development) Trade Products, etc., on contract basis, for adopting the best technology/practices/policies/products/processes existing in the Market/Industry.

Succession Planning for Various Critical Positions & Mentorship Scheme

Your Bank is addressing the issue of Succession Planning through a very structured Talent Management Programme. By this initiative, the Bank identifies young potential leaders on specified criteria who can take up various key/critical positions of the Bank and accordingly, the developmental plans are prepared for each of the identified future leaders.

This is an annual exercise and in FY16, your Bank was able to clearly identify around 15-20% people in specific scales of Officers viz. in Scales II, III, IV, V and VI as the future leaders.

Career Progression

During FY 2015-16, promotion exercise in all cadres were conducted and a total of 3971 employees as shown in the table below were promoted to higher grade/scale.

Sub-Staff to Clerk	206
Clerk to Officer	802
JM-I to MM-II (Officer to Manager)	1451
MM-II to MM-III (Manager to Sr Manager)	847
MM-III to SM-IV (Sr. Manager to Chief Manager)	486
SM-IV to SM-V (Chief Manager to Asstt. Gen. Manager)	114
SM-V to TEG-VI (Asstt. Gen. Manager to Dy. Gen. Manager)	48
TEG-VI to TEG-VII (Dy. Gen. Manager to General Manager)	17

HR Automation

Your Bank has put in place a very comprehensive HR technology platform covering HRM, Training, and Payroll & Leave modules christened as the "Human Resources Network for Employee Services (HRNes)". This technology platform has enabled automation of various HR functionalities and processes. The HR Automation is a key enabler in the implementation and sustenance of various HR initiatives. Certain processes have been automated thereby completely reducing the turnaround time.

Employee Engagement Survey 2016

Your Bank conducted an Employee Engagement Survey in February, 2016 to understand the engagement levels of employees particularly their perceptions, beliefs, views etc so that it can tailor various HR activities/initiatives suitably in order to address the gaps and to improve the engagement levels of employees further. The survey was launched on 22.02.2016 and completed on 20.03.2016. More than 85% of staff members (Officers & Clerks) have participated in the Survey.

Performance linked Incentive Scheme for employees:

A Comprehensive Performance linked incentive Scheme for the Bank encompassing all employees and all units under its ambit is in place in your Bank. A total of 12,846 employees received performance incentives covering 1218 Branches, 15 Regional offices, 4 Zones and 39 operating units and a total amount of ₹ 28.72 crore was disbursed as incentives for the year 2014-15.

Shri P. S. Jayakumar, MD & CEO, seen along with the members of Marathon Club of the Bank.

Grievance Redressal Mechanism for Existing & Retired Employees

Your Bank has formulated a well defined Grievance Redressal Mechanism in FY 2015-16 for effective and timely resolution of grievances of any existing employee as well as those of retired staff. Your Bank endeavors to resolve all grievances of the staff members at the earliest.

Special Thrust on Development of SC/ST/Other Backward Communities

Your Bank is committed to the constitutional safeguards and social objectives for development and welfare of persons belonging to SCs, STs and Other Backward Classes in society. Your Bank is one of those banks that has the highest number of employees belonging to SCs and STs, which itself shows the commitment of the Bank towards their development and upliftment.

Reservation in Employment

Your Bank observes all guidelines stipulated by the Government of India for reservation of posts in employment in All India and local recruitment. 15 % posts are reserved for SCs and 7.5% posts are reserved for STs in all India recruitments as also for selection to Baroda Manipal School of Banking, another channel of resourcing started by the Bank.

The staff strength and representation of SCs and STs as on 31st March 2016 is as under

Cadre	Total	SC	SC %	ST	ST%
Officers	23489	4121	17.54	1875	7.98
Clerks	19542	3140	16.07	1712	8.76
Sub-staff	8206	2630	32.05	843	10.27
Total	**51237**	**9891**	**19.30**	**4430**	**8.65**
Local overseas Staff		-	-	-	-
Grand Total	**51237**	**9891**	**-**	**4430**	**-**

Reservation Cell

An exclusive Reservation Cell in your Bank has been set up to monitor the reservation and other enabling provisions for SC/ST employees. An executive in the rank of General Manager is appointed as Chief Liaison Officer for SC/ST/PWD &EX-Serviceman employees who ensures compliance of various guidelines pertaining to the SC/ST/PWD &EX-Serviceman employees.

Bharat Ratna Dr. BabasahebAmbedkar Memorial Trust

Your Bank has established the "Bharat Ratna Dr. BabasahebAmbedkar Memorial Trust" in 1991 for promoting welfare activities for the benefit of SC/ST employees and their family members.

Learning and Development

Baroda Academy has taken a large number of initiatives that include fundamental changes in Onboarding programmes to Leadership Development Programmes. Apart from e-learning, your Bank has deployed several innovative digital channels for reaching out to each employee.

Baroda Net Academy:

Baroda Net Academy has practical and knowledge enhancing e-learning courses on varied banking subjects in the areas of Retail Assets and Liabilities, Rural & Agri banking, SME Products, Operations and Services,Compliance and Professional Skill Development.

Employees have so far undergone more than 35,000 man hours of training on Baroda Net Academy. This has resulted in substantial savings on training costs.

Mobile Snippets:

Your Bank launched first of a kind Mobile App for the benefit of employees. The app is being effectively used to keep the employees updated on areas related to Banking through Daily News Flash. Your Bank's employees are provided real time alerts on issuance of important circulars and other developments. Employees participate in the quizzes which are held on Mobile Snippets.

Your Bank has further moved ahead on capacity building initiatives with the foundation stone laid for setting up a Regional Academy at Bangalore. Four new satellite units have been operationalised at Muzaffarpur, Coimbatore, Visakhapatnam and Guwahati during the year.

Large pool of empanelment of Training Agencies:

Your Bank has engaged reputed institutes for services like training with a unique template to evaluate intangible like training effectiveness. The entire process was carried out to focus on role oriented & behavioural programmes with the support of partnering agencies. A total of 21 Agencies were taken on board from a large pool of applicants that included IIM Ahmedabad, ISB Hyderabad, MDI Gurgaon etc.

MOU with IIM, Ahmedabad :

Your Bank signed MOU with IIM Ahmedabad during the year for developing case studies for BFSI domain. These case studies shall be made available for the Bank's internal training system.

New Training programmes during the year:

Apart from aligning training to corporate concerns, your Bank has introduced new programs during the year. Your Bank introduced a new program on "Ask for Business" for inculcating habits of cross selling at branch level. Dedicated programmes for physically challenged employees were conducted at Baroda Academy to equip with various tools to uplift their morale and to integrate them with the mainstream. A special programme on Retail "CASA" (Create A Smile Always) for CASA (Current Account and Saving Account) was conducted, focusing on customer service and business development in effective manner through knowledge upgradation. Your Bank designed a special programme christened as "Baroda Gaurav" to cover the entire sweeper cum peons in your Bank focusing on self esteem, customer service, business etiquettes, dress code and importance of cleanliness and hygiene at branch level. Your Bank conducted a special training programme for officers handling Forex Portfolio making Forex business a thrust area, true to its image as India's International Bank. Your Bank has for the first time arranged training to local staff of overseas centers through video conference which turned out to be very resourceful in bridging functional and cultural gaps. A two day programme 'Positive Approach to Vigilance Administration' was conducted for Executives at Apex Academy for better appreciation of Vigilance. It was presented as a tool for risk mitigation and address operational risks. Thus, a positive attitude to vigilance is being fostered at the organization level. This has also been extended to other officers of the Bank.

Nurturing Ethics

Bank launched Code of Conduct Module on E-Learning platform with tests that required to be taken by all officers with a deadline of March 31st 2016. Bank also launched Social Media Policy with emphasis on ethical conduct on Social Media.

Mind Gym Series

To broad base learning, your Bank has reached beyond the usual formal training programmes by way of organizing events such as motivational speeches, video shows and group activities etc under the name Mind Gym Series. Lectures

under this series are held at Baroda Corporate Centre. For building a team of employees with a healthy body, mind and soul, 'Office Chair Yoga' sessions were organized in the corporate office.

External Training

During FY16, 3340 staff members were nominated to various external training programmes. Your Bank considers External Training as an integral part of capacity building wherein employees at all levels are exposed to such programmes to learn and adopt the best practices existing in the industry.

Domestic Subsidiaries and Associates

The performance of your Bank's subsidiaries, Joint Ventures and Associates was satisfactory during FY16.

BOBCARDS Limited is a wholly owned subsidiary of Bank established in 1994 for issuance of Credit Card and Merchant Acquiring (ME Business) and also providing support services to the Bank for Debit Card Operations. The Company is having 38 Area Offices across the country. The Company which was incurring losses continuously on account of huge NPAs turned around during FY11 and has been earning profit since then. The Company has focused on all qualitative aspects of business development, which has resulted in better profitability, quality card base and ME base.. The Company re-engineered the process flow resulting in reduction of TAT for issuance of credit card/POS with proper checks and control. The Company is providing range of offers in association with MasterCard and VISA. During the year, the Company in association with MasterCard has also initiated reward programmes (Discount Coupon worth ₹ 2,500/-) for onboarding customers opting for MasterCard affiliation. Various other customer centric initiatives have also been introduced viz. online application module for tracking credit card/POS applications and stage wise automated status via SMS/E-mail etc. As a part of expansion plan, the Company has entered into strategic business tie-ups with the Government of Rajasthan, D-mart and some other important tie-ups are in process to enlarge Merchant Base. The Company is in the process of augmenting its system, processes and customer value proposition including introduction of co-branded products for achieving substantial growth in its card / ME base in the next year. Recently, the company has amended its Memorandum & Article of Association and the Company is exploring the feasibility to enter into new lines of business within the purview of NBFC along with its existing card business.

BOB Capital Markets Limited is a wholly owned subsidiary established by Bank in 1996 for doing Capital Market related business. It has licenses for Merchant Banking, Institutional Broking, Retail broking, Investment Banking and distribution of financial products. The Company has been showing improved performance post hiring of professional team. The focus is on investment advisory services, Debt & Equity Syndication and Capital market activities. The Company has recently acquired software for promoting online trading platform and has big plans to develop Retail trading business. BOBCAPS's focus remains with institutional broking and distribution of financial products. It has 45 well known institutions empanelled with the Company and is in process of setting up software for institutional dealing. It has recently acquired PMS license from SEBI for doing Portfolio Management Services. In FY 2016, BOBCAPS successfully did its first IPO in recent times of Bharat Wire ropes amounting to Rs 72 Crores.

The Nainital Bank Limited was promoted by Late Bharat Ratna Pandit Govind Ballabh Pant and others and became Associate Bank of Bank of Baroda in the year 1973. Today, the shareholding of Bank of Baroda in Nainital Bank Ltd. is 98.57% and is a subsidiary of the Bank. The State of Uttarakhand, vide its communiqué dated August 3, 2012, has notified that The Nainital Bank Limited be treated at par with other PSU Banks. Bank has planned to issue debit cards to its customers. Bank is also planning to provide white label ATM service to its customers in collaboration with TCPSL.

IndiaFirst Life Insurance Company Ltd., a joint venture company with Legal & General group, commenced its business operations on 16th November 2009 and has received an overwhelming response for its products across the country. IndiaFirst is amongst the fastest Life Insurance Company to break even in the 5th year of operation and its industry ranking is 9th among the private players with market share of 4% and AUM (Asset under Management)at 9061/- crores in March 2016. The Company bagged award "Celent Model Insurer Asia Award" in the IT Management Best Practices Category for implementing Disaster Recovery on Cloud.

India Infradebt Limited is a joint venture company with ICICI Bank Limited, ICICI Home Finance Company Limited, Citicorp Finance (India) Limited and Life Insurance Corporation of India. The Company was incorporated on October 31, 2012 in Mumbai. The Company is in operation as an Infrastructure Debt Fund – Non Banking Financial Company (IDF-NBFC). The Company's principal activity is to re-finance part of the debt liabilities of the Project Companies. The list of clientele includes Jadcherla Expressway Private Limited, Navayuga Devanhalli Tollways Private Limited, Oriental (Pathways) Indore private Limited , Renew Wind Energy (Jath) Limited apart from -4- toll way companies under umbrella of L & T etc for refinancing / take out financing.

Baroda Pioneer Asset Management Company Ltd., a joint venture with Pioneer Global Asset Management SpA, is in its sixth year of operation. During the year, the Company was able to increase its average AUM to ₹ 9656 Crores. The strong focus on the institutional segment to grow its debts & money market products coupled with focus on Systematic Investment Plans for retail investors has resulted into satisfactory growth in AUM. The Company continues to focus on B15 (Beyond the top 15 cities of India) to develop and promote its business especially on higher value SIPs and lump sum investments and consequently, the share of B15 towns has been growing steadily. The Company is active in investor education initiatives.

(₹ in lacs)

Entity (with date of registration)	Country	Owned Funds	Total Assets	Net Profit	Offices	Staff
BOBCARDS Ltd. (29.09.1994)	India	22,281	26,385	2,397	39	161
BOB Capital Markets Ltd. (11.03.1996)	India	16,053	16,182	1,023	1	53
The Nainital Bank Ltd. (31.07.1922)	India	51,760	6,08,439	4,697	126	798
IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd. (05.11.2009)	India	51,532	9,23,634	773	12	1,150
India Infradebt Ltd. (31.10.2012)	India	37,374	2,62,247	2,924	1	13
Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. (05.11.1992)	India	4,675	6,025	(-)493	3	80
Baroda Pioneer Trustee Co Pvt Ltd. (23.12.2011)	India	7	10	1	0	0

Awards and Accolades

During FY16, Bank won several awards and accolades on both business and financial parameters.

Date	Awards
22.04.2015	Bank of Baroda was conferred BML Munjal award in Public Sector Category for "Business Excellence Through Learning & Development – 2015" at an award function held in New Delhi on 22.04.2015
19.06.2015	Bank won five prizes under Reserve Bank Rajbhasha Shield Competition 2013-14: First Prize in Linguistic Region 'B' Second Prize in Linguistic Region 'A' & 'C' In addition to this, the Bank has also received awards under Bilingual House Journal and Hindi House Journal categories.
16.07.2015	Bank was awarded HR Excellence Award by Businessworld for "Best initiative for Engaging Superannuated Employees".
28.08.2015	Bank was conferred the Best Public Sector Bank under the category "Global Business" at the Dun & Bradstreet Banking Awards 2015.
14.09.2015	Bank of Baroda won First Prize under All India Rajbhasha Kriti Purashkar Scheme of Govt. of India for Bank's outstanding performance in Official Language Implementation under the category of nationalized banks in linguistic region "B", for the year 2014-15.
09.02.2016	Bank of Baroda, South Gujarat Zone has been awarded the First Prize in Western Region in Bank's category, by Government of India, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs for commendable performance in implementing the Official Language Policy during the year 2014-15 on 9th Feb, 2016 in Official Language Conference for Central and Western Regions held in NIO, Goa.
16.02.2016	Bank of Baroda was awarded as First Runner up for "Best Financial Inclusion Initiative" in the category of Large Banks by IBA during Banking Technology Awards 2016 at Mumbai.
20.02.2016	Bank of Baroda was awarded for "Excellence in Education Loan" at 6th My FM Stars of the Industry awards for Excellence in Finance, Banking, Insurance and Financial Services held in Mumbai
18.03.2016	Bank of Baroda won -3- Awards at the 55th Association of Business Communicators of India (ABCI) Awards 2016. Wall Calendar 2015 - Silver Headlines – Bronze –For NRI Ad – "Exclusive Banking Solutions for the Global Indians" E-Zine – Silver -BOBMAR-COM

Implementation of Official Language (OL) Policy

During the period under review, your Bank made outstanding progress in implementing the Official Language Policy of Government of India. Besides compliance of various statutory requirements under Official Language Policy of the Union Government and directives issued by Reserve Bank of India, your Bank moved forward to promote Hindi as a tool for business development.

Your Bank adopted a well-structured Annual Action Plan for Official Language in order to achieve various targets set by

the Government of India under its Annual Implementation Programme 2015-16 and the assurances given to the Committee of Parliament on Official Language during its visits to various offices/branches of the Bank. Your Bank could achieve major targets of the Programme and fulfilled all the assurances given to the Committee of Parliament on Official Language.

The Meetings of Central Official Language Implementation Committee, presided over by MD & CEO/ Executive Director of the Bank, were organized regularly on quarterly basis. Under the guidance from the Committee, several new initiatives were taken during the year FY16. Your Bank took initiative of providing Internet Banking services, Mobile Pass book services to its customers in Hindi. All the alternate delivery channels viz. self service Pass Book printiers, cheque deposit machines, cash deposit machines, Multi function Kiosks etc. were equipped with Hindi user interface for the convenience of customers. All the ATMs of the Bank were enabled for printing of transaction slips and mini statements in Hindi and major regional languages for the convenience of customers.

Your Bank made significant progress in respect to automation of Quarterly Hindi Progress report submission system in the Bank. All the branches/offices are now submitting their QPRs through Pragati Online Package which was implemented during the last fiscal. Your Bank has made remarkable progress to provide pass books and other statement of accounts in Hindi to all the customers of linguistic region "A", as suggested by the Parliamentary Committee on Official Language.

Your Bank organized an All India Seminar on "Rural Marketing and New Dimensions of Banking Business" in Bengaluru during the year wherein representatives from different banks took part. An Inter Bank Seminar was organized at Corporate Office, Mumbai on "Language Technology and Marketing of Banking Products", which was attended by representatives of various PSBs/FIs in Mumbai. Your Bank celebrated World Hindi Day in January, 2016 at its all overseas territories, which was attended by eminent personalities related to Hindi Literature and valued customers and officials of Indian Embassies at respective overseas territories.

To contribute towards financial inclusion drive and the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, your Bank continued to prepare and propagate through cartoon booklets, animation films in Hindi and also in regional languages for inculcating the habit of saving, escalating the features of Kisan Credit Card and emphasizing the benefits of timely repayment of loans. These cartoon booklets and animation films in Hindi were christened as "Chhoti Bachat badi Khushhali", " Aam ke aam guthliyon ke daam" and "Samay Par Karj Ka Bhugtan, Jindagi Bane Aasaan", "Retail Loan se Khushali". Further, your Bank also used the platform of Rajbhasha Karyakrams/ workshops for disseminating the features of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana and other Govt. sponsored schemes.

In its pursuit to be on the forefront in terms of OL implementation, your Bank instituted an award namely "Maharaja Sayajirao Bhasha Samman" in memory of its founder Maharaja Sir Sayaji Rao Gaekwad-III. The award consists of a Citation/ Memento and cash award of ₹ 1.01 lac. During the year under review, your Bank honoured Shri Prasoon Joshi, the eminent lyricist, advertisement maestro and poet with this award. Your Bank started regional language training to its employees so that they learn the basics of the concerned regional languages which would help them in discharging their duties well while dealing with local customers.

The Third Sub-Committee of parliament on official language visited your Bank's branches/offices at Manali, Varanasi and Baroda during the period under review. The Committee appreciated the efforts put in by your Bank for progressive use of Hindi. All the assurances given to the Committee have been fulfilled within the prescribed time frame.

Your Bank's efforts earned accolades from Government of India and Reserve Bank of India. The Government of India awarded your Bank with the 1st Prize in the Rajbhasha Gaurav Shield Competition in Region 'B'. Further, your Bank was awarded first prize for ' B' Region and second prizes for Region 'A' and 'C' by Reserve Bank of India (RBI) under the RBI Rajbhasha Shield Competition. Besides, your Bank's bilingual house journal "Bobmaitri" and Hindi house journal "Akshayyam" also received awards from RBI. Jaipur, Baroda, Jodhpur, Ahmedabad and Lucknow offices of your Bank also received awards from Govt. of India for their outstanding implementation of Rajbhasa. Your Bank also received awards from Public Relations Society of India, Ashirvad and many other organizations.

Your Bank continued with its unique scheme "Medhavi Vidyarthi Samman Yojana" for popularising Hindi amongst the students' community. Under this scheme, cash prizes and commendation certificates are given to two students securing First and Second positions in M.A.(Hindi) examinations. This scheme, at present, is applicable in 64 universities of the country.

Your Bank published books in Hindi viz."Khudara Rin", "Banking Ke Vividh Aayam", "NPA-Banking Kshetra Ki Sabse Badi Chunauti" and "Badalte Parivesh Me Banking" during the year for providing informative reading material in Hindi language.

Board of Directors (Appointment /Cessation of Directors during the year)

Appointments

Shri Ravi Venkatesan was appointed as a part time non-official director as well as non-executive Chairman by the Central Government u/s 9(3)(h) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, wef 14.08.2015 for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier.

Shri P. S. Jayakumar was appointed as Managing Director & CEO by the Central Government u/s 9(3)(a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, w.e.f 13.10.2015 for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier.

Smt. Usha A. Narayanan, after scrutiny of nominations and determination of 'Fit and Proper' status, was declared elected as Shareholder Director on the Board of the Bank w.e.f. 12.12.2015.

Shri Mayank K. Mehta was appointed as Executive Director by the Central Government u/s 9(3)(a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, w.e.f 22.01.2016 up to 30.09.2018 i.e. the date of his attaining the age of superannuation or until further orders, whichever is earlier.

Cessations

Shri Ranjan Dhawan, Executive Director, ceased to be Executive Director w.e.f 1st October, 2015 on his attaining the age of superannuation from the Bank's service.

Shri K.V. Rama Moorthy, Executive Director, ceased to be Executive Director w.e.f. 29th August, 2015 on his appointment as Executive Director of United Bank of India.

Auditors' Compliance Certificate on Corporate Governance:

The Auditors Compliance Certificate regarding the compliance of the conditions of Corporate Governance for the year 2015-16 is annexed with this report pursuant to "Part "E" of Schedule V of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Business Responsibility Report

Business Responsibility Report as required by SEBI has been hosted on the website of the Bank (www.bankofbaroda.co.in). Any member interested in obtaining a physical copy of the same may write to the Company Secretary of the Bank.

Directors' Responsibility Statement

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the Financial Year ended 31.03.2016:

a) the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;

b) the accounting policies framed in accordance with the guidelines of Reserve Bank of India were followed and the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the Bank for that period;

c) the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws to the Bank for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

d) the directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and

e) the directors had ensured that internal financial controls followed by the Bank are in accordance with guidelines issued by Reserve Bank of India in this regard and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.

f) the directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

Acknowledgement

The Directors express their sincere thanks to the Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India, other regulatory authorities, various financial institutions, banks and correspondents in India and abroad for their valuable guidance and support.

The Directors acknowledge with appreciation the assistance and cooperation extended by all stakeholders of your Bank like Customers, Shareholders and well Wishers in India and abroad.

The Directors place on record deep appreciation for the hard work and dedication of the members of your Bank's Staff at different levels, which enabled your Bank to record consistent growth with quality year after year despite economic challenges and consolidate its position as one of the premier banks in the country.

For and on behalf of the Board of Directors,

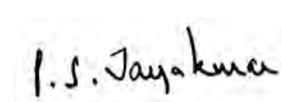

P. S. Jayakumar

Managing Director & CEO

कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट की शर्तों के अनुपालन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र - 2015-16:

प्रति

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सदस्यगण,

हमने सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के अंतर्गत बैंक द्वारा 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस संबंधी अनुपालन स्थिति की जांच की है.

कार्पोरेट गवर्नेंस संबंधी शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है. हमारी जांच, कार्पोरेट गवर्नेंस संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनायी गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक ही सीमित थी. यह न तो कोई लेखा-परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणियों के बारे में हमारा अभिमत है.

हम अपनी राय तथा सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर प्रमाणित करते हैं कि बैंक के उपरोक्त सूचीयन दायित्व में विनिर्दिष्ट कार्पोरेट गवर्नेंस संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन किया है.

हमारा यह भी अभिकथन है कि उक्त अनुपालन का अभिप्राय बैंक की भविष्य की सक्षमता के प्रति यह कोई आश्वासन नहीं है और न ही यह बैंक के कार्यपालकों के संचालन में प्रबंधन की कुशलता एवं प्रभावपूर्णता के बारे में आश्वासन है.

Auditors' Certificate on Compliance of Conditions of Corporate Governance - 2015-16:

To:

The Members of Bank of Baroda,

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Bank of Baroda, for the year ended 31st March 2016, as stipulated in SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Regulations.

We state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

कृते **खंडेलवाल जैन एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 105049 डब्ल्यू
चिराग दोशी
भागीदार
एम. नं.: 119079

कृते **एस आर गोयल एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 001537 सी
अनुराग गोयल
भागीदार
एम. नं.: 412538

दिनांक : 13 मई, 2016
स्थान: मुंबई

For **Khandelwal Jain & Co**
Chartered Accountants
FRN : 105049W
Chirag Doshi
Partner
M.No: 119079

For **S R Goyal & Co**
Chartered Accountants
FRN: 001537C
Anurag Goyal
Partner
M.No: 412538

Date: 13th May 2016
Place: Mumbai

कृते **वाही एण्ड गुप्ता**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002263 एन
वाय. के. गुप्ता
भागीदार
एम. नं.: 016020

कृते **रोडी दबीर एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 108846 डब्ल्यू
दिलीप जी. रोडी
भागीदार
एम. नं.: 035810

For **Wahi & Gupta**
Chartered Accountants
FRN: 002263N
Y. K. Gupta
Partner
M.No: 016020

For **Rodi Dabir & Co**
Chartered Accountants
FRN: 108846W
Dilip G. Rodi
Partner
M.No: 035810

कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट 2015-16
Corporate Governance Report 2015-16

1. गवर्नेंस संहिता के बारे में बैंक का दर्शन

बैंक, उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने तथा सभी स्तरों पर कार्यनिषादन सुनिश्चित करते हुए, शेयरधारकों के हितों की रक्षा करते हुए तथा उनके मूल्यों में अभिवृद्धि के लिए अपने सतत प्रयास जारी रखेगा. बैंक न केवल सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा बल्कि स्वेच्छापूर्वक कड़ी कार्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियों को निष्पादित करते हुए उनका पालन भी करेगा. बैंक प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए नैतिक मूल्यों के उच्च मानकों, पारदर्शिता तथा अनुशासित दृष्टिकोण अपनाने में विश्वास रखता है. बैंक उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुपालन के प्रति भी प्रतिबद्ध है. बैंक अपने सभी हितधारकों, जिसमें शेयरधारक, ग्राहक, सरकार, कर्मचारी, लेनदार और व्यापक तौर पर जनता भी शामिल हैं, को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए सघन प्रयास करता रहेगा.

बैंक एक सूचीबद्ध निकाय है, जो एक कम्पनी नहीं है, अपितु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के तहत निकाय कार्पोरेट है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित होता है. अतः बैंक सेबी (सूचीयन करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के प्रावधानों का उस सीमा तक पालन करेगा, जहां तक बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं होता है.

2. निदेशक मंडल

(ए) निदेशक मंडल का स्वरूप

निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 यथा संशोधित तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथा संशोधित) के प्रावधानों द्वारा शासित होता है.

31 मार्च 2016 को निदेशक मण्डल का स्वरुप निम्नानुसार है:

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE

The Bank shall continue its endeavour to enhance its shareholders' value by protecting their interest by ensuring performance at all levels and maximizing returns with optimal use of resources in pursuit of excellence. The Bank shall comply with not only the statutory requirements but also voluntarily formulate and adhere to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank believes in setting high standards of ethical values, transparency and disciplined approach to achieve excellence in all its sphere of activities. The Bank is also committed to follow the best international practices. The Bank shall strive hard to serve the interests of its stakeholders comprising shareholders, customers, Government, employees, creditors and society at large.

The Bank is a listed entity, which is not a company but body corporate under The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is regulated by Reserve Bank of India. Therefore, the Bank shall comply with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent it does not violate the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Guidelines issued by Reserve Bank of India in this regard.

2. BOARD OF DIRECTORS

(a) Composition of the Board

The composition of Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of The Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, as amended and The Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended.

The composition of Board of Directors of the Bank as on 31st March, 2016 is as under:

1.	श्री रवि वेंकटेसन	- गैर- कार्यपालक अध्यक्ष	Shri Ravi Venkatesan	- Non-Executive Chairman
2.	श्री पी.एस. जयकुमार	- प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ.	Shri P. S. Jayakumar	- Managing Director & CEO
3.	श्री बी.बी. जोशी	- कार्यपालक निदेशक	Shri B. B. Joshi	- Executive Director
4.	श्री मयंक के. मेहता	- कार्यपालक निदेशक	Shri Mayank K. Mehta	- Executive Director
5.	श्री मोहम्मद मुस्तफा	- निदेशक (गैर कार्यपालक - भारत सरकार के प्रतिनिधि)	Shri Mohammad Mustafa	- Director (Non-Executive - GOI Representative)

6.	श्रीमती सुरेखा मराण्डी	- निदेशक (गैर कार्यपालक - आरबीआई की प्रतिनिधि)	Smt. Surekha Marandi	- Director (Non-Executive - Representing RBI)
7.	श्री प्रेम कुमार मक्कड़	- निदेशक (स्वतंत्र - गैर - कामगार प्रतिनिधि)	Shri Prem Kumar Makkar	- Director (Independent - Representing Non-workmen)
8.	डॉ. आर. नारायणस्वामी	- निदेशक (स्वतंत्र - शेयरधारकों के प्रतिनिधि)	Dr. R. Narayanaswamy	- Director (Independent - Representing Shareholders)
9.	श्री भरतकुमार डी. डांगर	- निदेशक (स्वतंत्र - शेयरधारकों के प्रतिनिधि)	Shri Bharatkumar D. Dangar	- Director (Independent - Representing Shareholders)
10.	श्रीमती उषा ए. नारायणन	- निदेशक (स्वतंत्र - शेयरधारकों की प्रतिनिधि)	Smt. Usha A. Narayanan	- Director (Independent - Representing Shareholders)

क्र. सं Sr. No.	नाम Name	श्रेणी / पदनाम Position Held	31.03.2016 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के धारित शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.3.2016	बैंक की उप समितियों / की सदस्यता की संख्या No. of membership in Sub -Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कम्पनियों / संस्थाओं की संख्या जिनमें निदेशक के रूप में हैं No. of Directorship held in other Companies / entities i.e. Other than the Bank	अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप- समितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता की संख्या No. of Membership / Chairmanship held in Sub - Committees of the Board in other Companies	टिप्पणियां (बैंक / अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप) (31.03.2016 को) Remarks (Nature of appointment in the Bank / other Entities) (As on 31.03.2016)
1	श्री रवि वेंकटेसन Shri Ravi Venkatesan	अध्यक्ष (गैर-कार्यपालक) Chairman (Non-Executive)	शून्य NIL	5	6	7	बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3) (एच) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 14.08.2015 से 3 वर्ष के लिए या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, अंशकालिक अशासकीय निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त. वे निम्नलिखित निदेशक मंडलों में भी हैं- 1. इंफोसिस लि. 2. स्ट्रैंड लाइफ साइंसेज प्रा. लि. 3. स्मार्ट पॉवर फोर रूरल डेवेलपमेंट इंडिया फाउंडेशन 4. यूएसएफ एडवाइजर एलएलपी 5. रॉकफेलर फाउंडेशन 6. एसवीपी फिलांथ्रोपी इंडिया फाउंडेशन - संस्थापक अध्यक्ष

क्र. सं Sr. No.	नाम Name	श्रेणी / पदनाम Position Held	31.03.2016 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के धारित शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.3.2016	बैंक की उप समितियों / की सदस्यता की संख्या No. of membership in Sub -Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कम्पनियों / संस्थाओं की संख्या जिनमें निदेशक के रूप में हैं No. of Directorship held in other Companies / entities i.e. Other than the Bank	अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप- समितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता की संख्या No. of Membership / Chairmanship held in Sub - Committees of the Board in other Companies	टिप्पणियां (बैंक / अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप) (31.03.2016 को) Remarks (Nature of appointment in the Bank / other Entities) (As on 31.03.2016)
							Appointed as a Part Time Non-official director as well as Non-Executive Chairman by the Central Government u/s 9(3)(h) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, wef 14.08.2015 for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier. He is also on the Board of: 1. Infosys Ltd. 2. Strand Life Sciences P.Ltd. 3. Smart Power for Rural Development India Foundation 4. USF Advisors LLP 5. Rockefeller Foundation 6. SVP Philanthropy India Foundation – Founder Chairman
2	श्री पी एस जयकुमार Shri P S Jayakumar	प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ. (कार्यपालक) Managing Director & CEO (Executive)	14500	10	3	10	बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3) (ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 13.10.2015 से 3 वर्ष के लिए या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, पूर्णकालिक निदेशक, प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ. के रूप में नियुक्त. वे निम्नलिखित निदेशक मण्डलों में भी निदेशक हैं- 1 बॉब कैपिटल मार्केट्स लि. 2. इण्डिया फर्स्ट लाइफ इंश्यूरेंश कं. लि. 3. बॉबकाड्‌र्स लि. Appointed as Whole Time Director designated as Managing Director & CEO by the Central Government u/s 9(3)(a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, w.e.f 13.10.2015 for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier. He is also a Director on the Board of: 1. BOB Capital Markets Ltd. 2. India First Life Insurance Co. Ltd. 3. BOBCARDs Ltd.

क्र. सं Sr. No.	नाम Name	श्रेणी / पदनाम Position Held	31.03.2016 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के धारित शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.3.2016	बैंक की उप समितियों / की सदस्यता की संख्या No. of membership in Sub -Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कम्पनियों / संस्थाओं की संख्या जिनमें निदेशक के रूप में हैं No. of Directorship held in other Companies / entities i.e. Other than the Bank	अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप- समितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता की संख्या No. of Membership / Chairmanship held in Sub - Committees of the Board in other Companies	टिप्पणियां (बैंक / अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप) (31.03.2016 को) Remarks (Nature of appointment in the Bank / other Entities) (As on 31.03.2016)
3	श्री बी बी जोशी Shri B B Joshi	कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक) Executive Director (Executive)	शून्य NIL	10	4	शून्य Nil	बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 05.08.2013 से पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के रूप में नामित) के रूप में नियुक्त. वे 31.12.2016 तक अर्थात अपनी अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक अपने पद पर रहेंगे. वे निम्नलिखित निदेशक मण्डलों में भी निदेशक हैं- 1. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (घाना) लि. 2. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्सवाना) लि. 3. इण्डो जाम्बिया बैंक लि. 4. इण्डिया फर्स्ट लाइफ इंश्यूरेंश कंपनी लि. Appointed as a Whole Time Director (designated as Executive Director) w.e.f. 05.08.2013 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold office up to 31.12.2016 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier. He is also a Director on the Board of: 1. Bank of Baroda (Ghana) Ltd. 2. Bank of Baroda (Botswana) Ltd. 3. Indo Zambia Bank Ltd. 4. IndiaFirst Life Insurance Company Ltd.
4	श्री मयंक के मेहता Shri Mayank K. Mehta	कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक) Executive Director (Executive)	शून्य NIL	10	शून्य NIL	शून्य NIL	बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 22.01.2016 से पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के रूप में नामित) के रूप में नियुक्त. वे 30.09.2018 तक अर्थात अपनी अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक अपने पद पर रहेंगे. Appointed as a Whole Time Director (designated as Executive Director) w.e.f. 22.01.2016 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold office up to 30.09.2018 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

क्र. सं Sr. No.	नाम Name	श्रेणी / पदनाम Position Held	31.03.2016 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के धारित शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.3.2016	बैंक की उप समितियों / की सदस्यता की संख्या No. of membership in Sub -Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कम्पनियों / संस्थाओं की संख्या जिनमें निदेशक के रूप में हैं No. of Directorship held in other Companies / entities i.e. Other than the Bank	अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप- समितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता की संख्या No. of Membership / Chairmanship held in Sub - Committees of the Board in other Companies	टिप्पणियां (बैंक / अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप) (31.03.2016 को) Remarks (Nature of appointment in the Bank / other Entities) (As on 31.03.2016)
5	श्री मोहम्मद मुस्तफा Shri Mohammad Mustafa	निदेशक (गैर कार्यपालक) केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि Director (Non Executive) Representing Central Government	शून्य Nil	7	3	शून्य NIL	बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (बी) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 25.11.2014 से निदेशक के रूप में नामित. वे आगामी आदेशों तक अपने पद पर रहेंगे. वे निम्नलिखित निदेशक मण्डलों में भी निदेशक हैं- 1. सीईआरएसएआई (भारतीय प्रतिभूतिकरण, आस्ति पुननिर्माण और प्रतिभूति स्वत्त्व की केंद्रीय रजिस्ट्री) 2. आईडब्ल्यूआरएफसी (सिंचाई एवं जल संसाधन वित्तीय निगम लि. 3. द न्यू इंडिया एश्यूरेंस कं. लि. Nominated as a Director w.e.f. 25.11.2014 by The Central Government u/s 9 (3) (b) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold the post until further orders. He is also a Director on the Board of: 1. CERSAI (Central Registry of Securitisation of Asset Reconstruction and Security Interest of India) 2. IWRFC (Irrigation and Water Resource Finance Corporation Ltd.) 3. The New India Assurance Co. Ltd.
6	श्रीमती सुरेखा मरांडी Smt. Surekha Marandi	निदेशक (गैर कार्यपालक) भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रतिनिधि के रूप में Director (Non Executive) Representing Reserve Bank of India (RBI)	शून्य NIL	6	शून्य NIL	शून्य NIL	बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (सी) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 10.06.2014 से निदेशक के रूप में नामित. वे आगामी आदेशों तक अपने पद पर रहेंगी. Nominated as a Director w.e.f. 10.06.2014 by the Central Government u/s 9 (3) (c) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold the post until further orders.

क्र. सं Sr. No.	नाम Name	श्रेणी / पदनाम Position Held	31.03.2016 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के धारित शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.3.2016	बैंक की उप समितियों / की सदस्यता की संख्या No. of membership in Sub -Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कम्पनियों / संस्थाओं की संख्या जिनमें निदेशक के रूप में हैं No. of Directorship held in other Companies / entities i.e. Other than the Bank	अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप- समितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता की संख्या No. of Membership / Chairmanship held in Sub - Committees of the Board in other Companies	टिप्पणियां (बैंक / अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप) (31.03.2016 को) Remarks (Nature of appointment in the Bank / other Entities) (As on 31.03.2016)
7	श्री प्रेम कुमार मक्कड़ Shri Prem Kumar Makkar	निदेशक (गैर कार्यपालक) गैर वर्कमैन कर्मचारियों के प्रतिनिधि Director (Non Executive) Representing Non-Workmen employees	25	7	शून्य NIL	शून्य NIL	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (एफ) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 19.09.2014 से अधिकारी कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त. वे तीन वर्ष की अवधि के लिए या बैंक के अधिकारी रहने या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपने पद पर रहेंगे. Appointed as Officer Employee Director w.e.f. 19.09.2014 by the Central Government u/s 9 (3) (f) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of three years or till he ceases to be an Officer of the Bank or until further orders, whichever is earlier.
8	डॉ. आर. नारायणस्वामी Dr. R. Narayanaswamy	निदेशक (गैर कार्यपालक) केन्द्र सरकार से भिन्न शेयर धारकों में से निर्वाचित Director (Non Executive) Elected from amongst Shareholders, other than Central Government	500	8	शून्य NIL	शून्य NIL	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3) (आई) के तहत शेयरधारक निदेशक के रूप में 24.12.2014 से 23.12.2017 तक 3 वर्ष के लिए निर्वाचित. Declared elected as Shareholder Director under section 9 (3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, for a period of 3 years from 24.12.2014 to 23.12.2017.
9	श्री भरतकुमार डी. डांगर Shri Bharatkumar D. Dangar	निदेशक (गैर कार्यपालक) केन्द्र सरकार से भिन्न शेयर धारकों में से निर्वाचित Director (Non Executive) Elected from amongst Shareholders, other than Central Government	500	8	1	शून्य NIL	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3) (आई) के तहत शेयरधारक निदेशक के रूप में 24.12.2014 से 23.12.2017 तक 3 वर्ष के लिए निर्वाचित. वह निम्नलिखित निदेशक मंडलों में भी हैं: 1. इन्टरनेशनल एन्ड डोमेस्टिक आरबीट्रेशन सेन्टर इंडिया Declared elected as Shareholder Director under section 9 (3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, for a period of 3 years from 24.12.2014 to 23.12.2017. He is also a Director on the Board of: 1. International & Domestic Arbitration Centre India

क्र. सं Sr. No.	नाम Name	श्रेणी / पदनाम Position Held	31.03.2016 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के धारित शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.3.2016	बैंक की उप समितियों / की सदस्यता की संख्या No. of membership in Sub -Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कम्पनियों / संस्थाओं की संख्या जिनमें निदेशक के रूप में हैं No. of Directorship held in other Companies / entities i.e. Other than the Bank	अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप- समितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता की संख्या No. of Membership / Chairmanship held in Sub - Committees of the Board in other Companies	टिप्पणियां (बैंक / अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप) (31.03.2016 को) Remarks (Nature of appointment in the Bank / other Entities) (As on 31.03.2016)
10	श्रीमती उषा ए. नारायणन Smt. Usha A. Narayanan	निदेशक (गैर कार्यपालक) केन्द्र सरकार से भिन्न शेयर धारकों में से निर्वाचित Director (Non Executive) Elected from amongst Shareholders, other than Central Government	500	3	1	शून्य NIL	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3) (आई) के तहत शेयरधारक निदेशक के रूप में 12.12.2015 से 23.12.2018 तक 3 वर्ष के लिए निर्वाचित. वह निम्नलिखित बोर्ड में भी हैं: 1. सोशल वेंचर एसवीपी फिलांथ्रोपी फाउंडेशन Declared elected as Shareholder Director under section 9 (3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, for a period of 3 years from 12.12.2015 to 23.12.2018. She is also on the Board of: 1. Social Ventures SVP Philanthropy Foundation.

(बी) वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति / कार्यसमाप्ति

नियुक्तियां :

श्री रवि वेंकटेसन बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3) (एच) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 14.08.2015 से 3 वर्ष के लिए या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक अंशकालिक अशासकीय निदेशक के साथ साथ गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है.

श्री पी. एस. जयकुमार बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3) (ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 13.10.2015 से 3 वर्ष के लिए या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ. के रूप में नियुक्त किया गया है.

श्रीमती उषा ए. नारायणन: नामांकनों की जांच तथा 'उपयुक्त एवं समुचित' स्थिति सुनिश्चित करने के बाद बैंक के बोर्ड में केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों के प्रतिनिधि निदेशक के रूप में 12.12.2015 से निर्वाचित.

श्री मयंक के. मेहता: बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3) (ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 22.01.2016 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, वे 30.09.2018 तक अर्थात अपनी अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, अपने पद पर रहेंगे.

(b) Appointments / Cessation of Directors during the Year:

Appointments:

Shri Ravi Venkatesan has been appointed as a Part Time Non-official Director as well as Non-Executive Chairman by the Central Government u/s 9(3)(h) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, wef 14.08.2015 for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier.

Shri P. S. Jayakumar has been appointed as Managing Director & CEO by the Central Government u/s 9(3)(a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, w.e.f 13.10.2015 for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier.

Smt. Usha A. Narayanan, after scrutiny of nominations and determination of 'Fit and Proper' status, declared elected as Shareholder Director on the Board of the Bank w.e.f. 12.12.2015.

Shri Mayank K. Mehta has been appointed as Executive Director by the Central Government u/s 9(3)(a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, w.e.f 22.01.2016 upto 30.09.2018 i.e. the date of his attaining the age of superannuation or until further orders, whichever is earlier.

कार्यसमाप्ति:

श्री रंजन धवन, कार्यपालक निदेशक, बैंक की सेवा से अधिवार्षिता की उम्र प्राप्त करने पर 1 अक्तूबर, 2015 से कार्यपालक निदेशक के रूप में नहीं रहे.

श्री के.वी. रामा मूर्ती, कार्यपालक निदेशक, यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति होने के कारण 29 अगस्त, 2015 से कार्यपालक निदेशक नहीं रहे.

(सी) 19वीं वार्षिक सामान्य बैठक

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए बैंक के शेयरधारकों की 19वीं वार्षिक सामान्य बैठक बुधवार, 24 जून, 2015 को वड़ोदरा में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित निदेशक मौजूद थे.

Cessations:

Shri Ranjan Dhawan, Executive Director, ceased to be Executive Director w.e.f. 1st October, 2015 on his attaining the age of superannuation from the Bank's service.

Shri K.V. Rama Moorthy, Executive Director, ceased to be Executive Director w.e.f. 29th August, 2015 on his appointment as Executive Director of United Bank of India.

(c) 19th ANNUAL GENERAL MEETING

The 19th Annual General Meeting of the shareholders of the Bank for FY 2014-15 was held on Wednesday, 24th June, 2015 at Vadodara, where the following Directors were present.

1	श्री रंजन धवन	कार्यपालक निदेशक- बैठक की अध्यक्षता की.	Shri Ranjan Dhawan	Executive Director – Chaired the Meeting
2	श्री बी.बी. जोशी	कार्यपालक निदेशक	Shri B. B. Joshi	Executive Director
3	श्री के.वी. रामा मूर्ती	कार्यपालक निदेशक	Shri K.V. Rama Moorthy	Executive Director
4	श्री प्रेम कुमार मक्कड़	निदेशक (गैर-वर्कमैन)	Shri Prem Kumar Makkar	Director (Non-workmen)
5	डॉ. आर. नारायणस्वामी	निदेशक (शेयरधारक) - एसीबी के अध्यक्ष	Dr. R. Narayanaswamy	Director (Shareholder)- Chairman ACB
6	श्री भरतकुमार डी. डांगर	निदेशक (शेयरधारक)	Shri Bharatkumar D. Dangar	Director (Shareholder)

(डी) निदेशक मंडल की बैठकें :

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान निदेशक मंडल की -13- बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गई, जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खण्ड 12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम -6- बैठकें आयोजित करना अनिवार्य है.

(d) Board Meetings

During the Financial Year 2015-16, total -13 - Board Meetings were held on the following dates as against minimum of -6- meetings prescribed under Clause 12 of The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

10.05.2015	11.05.2015	07.06.2015 & 08.06.2015	24.06.2015	20.07.2015
29.07.2015	30.07.2015	22.08.2015	05.11.2015	06.11.2015
12.02.2016	13.02.2016	18.03.2016		

निदेशक मण्डल की उपयुक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है, जो उनके कार्यकाल से संबद्ध है:

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Board Meetings held during their respective tenure are as under:

निदेशक का नाम	Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings Held During Their Tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings Attended
श्री रवि वेंकटेसन	Shri Ravi Venkatesan	14.08.2015 to 31.03.2016	6	6
श्री पी. एस. जयकुमार	Shri P. S. Jayakumar	13.10.2015 to 31.03.2016	5	5
श्री रंजन धवन*	Shri Ranjan Dhawan*	01.04.2015 to 30.09.2015	8	8

श्री बी. बी. जोशी	Shri B. B. Joshi	01.04.2015 to 31.03.2016	13	11
श्री के. वी. रामा मूर्ती*	Shri K. V. Rama Moorthy*	01.04.2015 to 29.08.2015	8	8
श्री मोहम्मद मुस्तफा	Shri Mohammad Mustafa	01.04.2015 to 31.03.2016	12	5
श्रीमती सुरेखा मरांडी	Smt. Surekha Marandi	01.04.2015 to 31.03.2016	13	13
श्री प्रेम कुमार मक्कड़	Shri Prem Kumar Makkar	01.04.2015 to 31.03.2016	13	13
डॉ. आर. नारायणस्वामी	Shri R Narayanaswamy	01.04.2015 to 31.03.2016	13	12
श्री भरतकुमार डी. डांगर	Dr. Bharatkumar D. Dangar	01.04.2015 to 31.03.2016	13	12
श्रीमती उषा ए. नारायणन	Smt. Usha Narayanan	12.12.2015 to 31.03.2016	3	3
श्री मयंक के. मेहता	Shri Mayank K. Mehta	22.01.2016 to 31.03.2016	3	3

*वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे.

(ई) आचार संहिता :

निदेशक मण्डल तथा वरिष्ठ प्रबन्धन कार्मिक अर्थात कोर प्रबन्धन टीम, जिसमें सभी महाप्रबन्धक तथा विभाग प्रमुख शामिल हैं, के लिए सेबी (सूचीयन करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के अनुपालन में, आचार संहिता निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित कर दी गई है. उक्त आचार संहिता बैंक की बेबसाइट www.bankofbaroda.co.in पर भी देखी जा सकती है. निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबन्धन कार्मिकों ने वर्ष 2015-16 के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि कर दी है और उसका सतत अनुपालन करने के लिए वचनबद्ध हैं.

3. निदेशकों / कार्यपालकों की समिति/ उपसमिति

बैंक के निदेशक मण्डल ने कार्पोरेट गवर्नेंस तथा जोखिम प्रबन्धन प्रणाली पर भारतीय रिज़र्व बैंक / सेबी / भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार कार्यनीति के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर निगरानी रखने हेतु निदेशकों और/ या कार्यपालकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है. निदेशक मण्डल द्वारा गठित महत्त्वपूर्ण समितियां निम्नानुसार हैं:

3.1 निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

3.2 पारिश्रमिक समिति

3.3 नामांकन समिति

3.4 हितधारक संबंधपरक समिति

3.5 निदेशक मण्डल की प्रबन्धन समिति (एमसीबी)

3.6 निदेशक मण्डल की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी)

3.7 शेयर/ बांड अंतरण समिति

3.8 निदेशक मण्डल की जोखिम प्रबंधन समिति

3.9 ग्राहक सेवा समिति

3.10 निदेशकों की समिति

3.11 बड़ी राशि की धोखाधड़ी सम्बन्धी समिति

3.12 निदेशक मण्डल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति संबंधी समिति

3.13 वसूली निगरानी समिति

*Ceased to be member during the year.

(e) Code of Conduct

The Code of Conduct for Board of Directors and Senior Management Personnel i.e. Core Management Team comprising all General Managers and Departmental Heads, has been approved by the Board of Directors in compliance of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The said Code of Conduct is posted on Bank's website i.e. www.bankofbaroda.co.in. All the Board Members and Senior Management Personnel have since affirmed the compliance of the Code for the year 2015-16 and undertaken continued compliance of the same.

3. COMMITTEE / SUB-COMMITTEE OF DIRECTORS / EXECUTIVES

The Board of Directors of the Bank has constituted various Committees of Directors and / or Executives to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India / SEBI / Government of India guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The important Committees are as under:

3.1 Audit Committee of the Board (ACB)

3.2 Remuneration Committee

3.3 Nomination Committee

3.4 Stakeholders Relationship Committee

3.5 Management Committee of the Board (MCB)

3.6 Credit Approval Committee of the Board (CACB)

3.7 Shares/Bonds Transfer Committee:

3.8 Risk Management Committee of the Board

3.9 Customer Service Committees

3.10 Committee of Directors

3.11 Committee on High Value Frauds

3.12 IT Strategy Committee of the Bank

3.13 Committee for Monitoring of Recovery

3.14 निदेशक मण्डल की मानव संसाधन पर नीतिपरक सलाहकार समिति

3.15 बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं में शेयरधारक निदेशकों के चुनाव के लिए उम्मीदवारों को समर्थन देने संबंधी समिति

3.1 निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

बैंक ने कार्पोरेट गवर्नेंस के मूल सिद्धांतों के अनुरूप और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसरण में, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति गठित की है जिसमें 5 निदेशक हैं. एक गैर कार्यपालक निदेशक, जो सनदी लेखाकार हैं, समिति के अध्यक्ष हैं.

31 मार्च 2016 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

(i) डॉ. आर. नारायणस्वामी - समिति के अध्यक्ष
(ii) श्री मयंक के. मेहता - सदस्य
(iii) श्री मोहम्मद मुस्तफा - सदस्य
(iv) श्रीमती सुरेखा मरांडी - सदस्य
(v) श्रीमती उषा ए. नारायणन - सदस्य

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) की -12- बैठकें निम्नलिखित तारीखों पर आयोजित की गई:

3.14 Strategic Advisory Committee of the Board on HR

3.15 Committee to support candidates for election of Shareholder Directors for Banks & FIs

3.1 Audit Committee of the Board (ACB)

The Bank, in consonance with the fundamentals of Corporate Governance and in pursuance of directives of the Reserve Bank of India, has constituted an Audit Committee of the Board comprising of Five Directors. A Non-Executive Director, who is a Chartered Accountant, is the Chairman of the Committee.

The composition of the Committee as on 31st March, 2016 is as under:

(i) Dr. R. Narayanaswamy - Chairman of the Committee
(ii) Shri Mayank K. Mehta - Member
(iii) Shri Mohammad Mustafa - Member
(iv) Smt. Surekha Marandi - Member
(v) Smt.Usha Narayanan - Member

During the Financial Year 2015-16, the Audit Committee of the Board (ACB) met on -12- occasions on the dates given below:

10.05.2015	15.06.2015	29.07.2015	22.08.2015	15.09.2015	19.10.2015
05.11.2015	22.12.2015	01.02.2016	12.02.2016	10.03.2016	17.03.2016

निदेशकों की उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित समिति की उक्त बैठकों में उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

निदेशक का नाम	Name Of The Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings Held During Their Tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings Attended
डॉ. आर. नारायणस्वामी	Dr. R. Narayanaswamy	01.04.2015 to 31.03.2016	12	12
श्री बी. बी. जोशी*	Shri B.B. Joshi*	01.04.2015 to 12.02.2016	10	10
श्री के. वी. रामा मूर्ती*	Shri K.V. Rama Moorthy*	01.04.2015 to 29.08 2015	4	3
श्री मयंक के. मेहता	Shri Mayank K. Mehta	22.01.2016 to 31.03.2016	4	3
श्रीमती सुरेखा मरांडी	Smt. Surekha Marandi	01.04.2015 to 31.03.2016	12	11
श्री मोहम्मद मुस्तफा	Shri Mohammad Mustafa	01.04.2015 to 31.03.2016	12	1
श्री भरतकुमार डी. डांगर*	Shri Bharatkumar D. Dangar*	01.04.2015 to 29.02.2016	10	10
श्रीमती उषा ए. नारायणनन	Smt. Usha A. Narayanan	01.03.2016 to 31.03.2016	2	2

*वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे.

लेखा परीक्षा समिति का अन्य बातों के साथ साथ, प्रमुख कार्य बैंक की वित्तीय सूचना प्रणाली की समीक्षा और आकलन करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरणियां सही, उपयुक्त और विश्वसनीय हैं. यह समिति बोर्ड को

*Ceased to be member during the year.

The main functions of Audit Committee, *inter-alia*, include assessing and reviewing the financial reporting system of the Bank to ensure that the financial statements are correct,

प्रस्तुत करने से पहले तिमाही / वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्रों की समीक्षा और प्रबन्धन को तत्सम्बन्धी संस्तुति करती है.

यह लेखा परीक्षा समिति दिशा निर्देश देती है तथा बैंक के समग्र लेखा परीक्षा कार्यों की समीक्षा करती है, जिसमें संगठन, आंतरिक लेखा परीक्षा का परिचालन और उसका गुणवत्ता नियंत्रण, आंतरिक कमियों का नियंत्रण और बैंक की आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था, बैंक की सांविधिक / बाह्य लेखा परीक्षा सम्बन्धी अनुवर्ती कार्यवाही तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण शामिल हैं.

समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना, इसकी स्टाफ संरचना की समीक्षा भी करती है और किसी महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष के सम्बन्ध में आंतरिक लेखा परीक्षकों / निरीक्षकों के साथ विचार विमर्श तथा उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करती है. यह बैंक की वित्तीय व जोखिम प्रबन्धन नीतियों की समीक्षा भी करती है.

सांविधिक लेखा परीक्षा के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा समिति, वार्षिक / तिमाही वित्तीय खातों एवं रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पूर्व केन्द्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ विचार विमर्श करती है. यह समिति लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एलएफएआर) की विभिन्न मदों पर अनुवर्ती कार्यवाही भी करती है.

3.2 पारिश्रमिक समिति

भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना सं. एफ नं. 20/1/2005-बीओआई दिनांक 9 मार्च, 2007 के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कार्यनिष्पादन सह प्रोत्साहन की घोषणा की. यह प्रोत्साहन विगत वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न अनुपालन रिपोर्टों पर आधारित लक्ष्यों एवं बैंचमार्क के अनुरूप कार्यनिष्पादन मूल्यांकन, जिसमें गुणवत्ता व मात्रा दोनों का समावेश है, पर आधारित है. उक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन में वर्ष के दौरान कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन तथा देय / अवार्ड की जाने वाली प्रोत्साहन राशि हेतु निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया.

31 मार्च, 2016 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

(i) श्री रवि वेंकटेसन - अध्यक्ष

(ii) श्री मोहम्मद मुस्तफा

(iii) श्रीमती सुरेखा मरांड़ी

(iv) डॉ. आर. नारायणस्वामी

(v) श्री प्रेम कुमार मक्कड़

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, 21.05.2015 और 31.10.2015 को समिति की दो बार बैठक हुई. समिति ने निर्णय लिया कि बैंक के कार्यनिष्पादन को देखते हुए, वर्ष के दौरान कोई भी प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया जाए.

निदेशकों की उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:

sufficient and credible. It reviews and recommends to the Management the quarterly / annual financial statements before their submission to the Board for approval.

The Audit Committee provides directions and oversees the operations of total audit functions of the Bank including the organization, operation and quality control of internal audit, internal control weaknesses and inspection within the Bank and follow-up of the suggestions of Statutory/External Auditors of the Bank and RBI inspections.

The Committee also reviews the adequacy of internal control systems, structure of internal audit department, its staffing pattern and hold discussions with the internal auditors / inspectors on any significant finding and follow-up action thereon. It further reviews the financial and risk management policies of the Bank.

As for Statutory Audit, the Audit Committee interacts with the Statutory Central Auditors before finalization of Quarterly / Year to date / Annual Financial Results and Reports. It also maintains follow up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).

3.2 Remuneration Committee

Government of India announced Performance Linked Incentives for Whole Time Directors of Public Sector Banks vide Notification No.F No.20/1/2005-BO.I dated 9th March, 2007. The incentive is based on certain qualitative as well as quantitative parameters fixed for Performance Evaluation Matrix on the basis of the Statement of Intent (SOI) on goals and benchmarks based on various compliance reports during the previous financial year. In compliance of the said directives, a Remuneration Committee of the Board was constituted for evaluation of the performance and incentive amount to be awarded/ paid during the year.

The composition of the Committee as on 31st March, 2016 is as under:

i) Shri Ravi Venkatesan - Chairman

ii) Shri Mohammad Mustafa

(i) Shri Surekha Marandi

(ii) Dr. R. Narayanaswamy

(iii) Shri Prem Kumar Makkar

During the Financial Year 2015-16, the Committee met twice on 21.05.2015 and 31.10.2015. The Committee decided that considering the performance of the bank, no incentive to be paid during the year.

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

निदेशक का नाम	Name Of The Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings Held During Their Tenure	बैठक में उपस्थिति Meetings Attended
श्री रवि वेंकटेसन - अध्यक्ष	Shri Ravi Venkatesan - Chairman	14.08.2015-31.03.2016	2	2
श्री मोहम्मद मुस्तफा	Shri Mohammad Mustafa	01.04.2015-31.03.2016	2	2
श्रीमती सुरेखा मरांडी	Smt. Surekha Marandi	01.04.2015-31.03.2016	2	1
डॉ. आर. नारायणस्वामी	Dr. R. Narayanaswamy	01.04.2015-31.03.2016	2	2
श्री प्रेम कुमार मक्कड़	Shri Prem Kumar Makkar	01.04.2015-31.03.2016	2	2

3.3 नामांकन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/80 की धारा 9(3)(आई) के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में चयन हेतु यथोचित ''फिट एण्ड प्रॉपर'' मानदंड निर्धारित किए हैं. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों अधिसूचना सं. डीबीओडी सं. बीसी सं. 46 और 47/29.03.001/2007-08 दिनांक 1 नवंबर, 2007 के साथ पठित सं. डीबीओडी. बीसी. सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 के तहत नामांकन समिति गठित करना अपेक्षित है जिसमें निदेशक मंडल में से कम से कम तीन निदेशक (सभी स्वतंत्र / गैर कार्यपालक निदेशक) शामिल हों. उक्त दिशानिर्देशों की अनुपालना स्वरूप एक ''नामांकन समिति'' का गठन किया गया है.

31 मार्च, 2016 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

(i) श्री रवि वेंकटेसन - अध्यक्ष

(ii) श्री मोहम्मद मुस्तफा

(iii) श्रीमती सुरेखा मरांडी

(iv) श्री प्रेम कुमार मक्कड़

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 11.05.2015, 15.06.2015 तथा 11.12.2015 को समिति की तीन बैठकें हुई, समिति ने 11.05.2015 को आयोजित बैठक में मौजूदा शेयरधारक निदेशकों अर्थात डॉ. आर. नारायणस्वामी और श्री भरतकुमार डी. डांगर के ''फिट एण्ड प्रॉपर'' स्टेटस की पुष्टि की. समिति ने 15.06.2015 को आयोजित बैठक में मौजूदा नए खाली पद के लिए, शेयरधारक निदेशक के रूप में चयनित नए उम्मीदवार के ''फिट एण्ड प्रॉपर'' स्टेटस की संवीक्षा की. हालांकि इसमें कोई भी योग्य नहीं पाया गया. समिति ने नए उम्मीदवार के ''फिट एण्ड प्रॉपर'' स्टेटस की संवीक्षा करने के लिए 11.12.2015 को पुन: बैठक आयोजित की और केवल एक उम्मीदवार अर्थात श्रीमती उषा ए नारायणन को फिट और प्रॉपर पाया और वह निर्वाचित घोषित की गईं.

निदेशकों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:

3.3 Nomination Committee

Reserve Bank of India has laid down 'Fit and Proper' criteria to be fulfilled by persons to be elected as directors on the Boards of the Nationalized Banks under the provisions of Section 9(3)(i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/80. In terms of the guidelines issued by Reserve Bank of India, Notification No. DBOD No. BC No. 46 and 47/29.03.001/2007-08 dated November 1, 2007 read with No. DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 a Nomination Committee is required to be constituted consisting of a minimum of three directors (all independent/non executive directors) from amongst the Board of Directors. In compliance of the said directives, a "Nomination Committee" has been constituted.

The composition of the Committee as on 31st March, 2016 is as under:

(i) Shri Ravi Venkatesan - Chairman

(ii) Shri Mohammad Mustafa

(iii) Smt. Surekha Marandi

(iv) Shri Prem Kumar Makkar

During the Financial Year 2015-16, the Committee met thrice on 11.05.2015, 15.06.2015 & 11.12.2015. The Committee at its meeting held on 11.05.2015 confirmed the 'Fit and Proper' status of the existing shareholder directors i.e. Dr. R Narayanaswamy and Shri Bharatkumar D. Dangar. The Committee at its meeting held on 15.06.2015 ascertained the Fit and Proper status of new candidate to be elected as shareholder director, for the one vacancy existed. However, no one was found fit. The Committee again met on 11.12.2015 for ascertaining the Fit and Proper status of new candidates and found only one candidate viz.Smt. Usha A Narayanan fit and proper and she was declared elected.

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

निदेशक का नाम	Name Of The Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक Meetings Held During Their Tenure	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया Meetings Attended
श्री रवि वेंकटेसन - अध्यक्ष	Shri Ravi Venkatesan - Chairman	14.08.2015-31.03.2016	1	1
श्री मोहम्मद मुस्तफा	Shri Mohammad Mustafa	01.04.2015-31.03.2016	3	3
श्रीमती सुरेखा मरांडी	Smt. Surekha Marandi	01.04.2015-31.03.2016	3	3
श्री प्रेम कुमार मक्कड़	Shri Prem Kumar Makkar	01.04.2015-31.03.2016	3	3

3.4 हितधारक संबंधपरक समिति

बैंक द्वारा शेयरधारकों तथा निवेशकों की शिकायतों, यदि कोई हों, के निवारण हेतु हितधारक संबंधपरक समिति का गठन सूचीयन करार और नए सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन के लिए किया गया है.

इस समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

(i) कार्यपालक निदेशक (गण) एवं

(ii) दो गैर कार्यपालक निदेशक इसके सदस्य तथा एक गैर कार्यपालक निदेशक इसके अध्यक्ष हैं.

31 मार्च, 2016 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

(i) श्री भरतकुमार डी. डांगर - समिति के अध्यक्ष

(ii) श्री बी. बी. जोशी - सदस्य

(iii) श्री मयंक के. मेहता - सदस्य

(iv) श्री प्रेम कुमार मक्कड़ - सदस्य

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर -04- बैठकें आयोजित की गईं:

3.4 Stakeholders Relationship Committee

Pursuant to the provisions of ears while Listing Agreement and new SEBI (LODR) Regulations, 2015 a Stakeholders Relationship Committee has been constituted by the Bank to redress shareholders and investors complaints, if any.

The Committee includes following members :

(i) Executive Director (s) and

(ii) Two Non-Executive Directors as its members with a Non-Executive Director as its Chairman.

The composition of the Committee as on 31st March, 2016 is as under :

(i) Shri Bharatkumar D. Dangar - Chairman of the Committee

(ii) Shri B.B. Joshi - Member

(iii) Shri Maynak K. Mehta - Member

(iv) Shri Prem Kumar Makkar - Member

The Committee met – 4 - times during the Financial Year 2015-16 on the following dates.

03.06.2015	25.08.2015	30.10.2015	22.01.2016

निदेशकों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

निदेशक का नाम	Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings Held During Their Tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings Attended
श्री भरत कुमार डी. डांगर	Shri Bharatkumar D. Dangar	01.04.2015 to 31.03.2016	4	4
श्री बी. बी. जोशी	Shri B. B. Joshi	01.04.2015 to 31.03.2016	4	4
श्री मयंक के. मेहता	Shri Mayank K. Mehta	22.01.2016 to 31.03.2016	-	-
श्री प्रेम कुमार मक्कड़	Shri Prem Kumar Makkar	01.04.2015 to 31.03.2016	4	4
श्री रंजन धवन *	Shri Ranjan Dhawan*	01.04.2015 to 30.09.2015	2	1
श्री के. वी. रामा मूर्ती *	Shri K.V. Rama Moorthy*	01.04.2015 to 29.08.2015	2	2

*वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे.

* Ceased to be member during the year.

समिति इस आशय की मॉनिटरिंग करती है कि अंतरण, उपविभाजन, समेकन, नवीकरण, विनिमय अथवा मांग/आवंटन राशि के परांकन की प्रस्तुति तारीख से -15- दिनों के भीतर सभी प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएं. समिति निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए समयबद्ध रूप से निगरानी भी करती है.

वर्ष के दौरान प्राप्त एवं निवारण की गई शिकायतों / निवेदनों की संख्या का सारांश नीचे दिया गया है:

The Committee monitors the issuance of share certificates within a period of -15- days of the date of lodgment for transfer, sub-division, consolidation, renewal, exchange or endorsement of calls / allotment money. The Committee further monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner.

The summary of number of requests/complaints received and resolved during the year are as under:

01.04.2015 को बकाया Pending as on 01.04.2015	वर्ष के दौरान प्राप्त Received during the year	वर्ष के दौरान निवारण Resolved during the year	31.03.2016 को बकाया Pending as on 31.03.2016
12	7506	7516	2*

* वर्ष के दौरान बकाया आवेदन डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करने से सम्बन्धित अनुरोध पत्र नियमित प्रकृति के थे तथा इसके संबंध में आवश्यक औपचारिकताएं प्रक्रिया अधीन हैं.

श्री एम. एल. जैन, उप महाप्रबन्धक एवं कम्पनी सचिव को सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के नियम 6 के तहत बैंक के ''अनुपालन अधिकारी'' के रूप में नियुक्त किया गया है.

*The pending cases as at the end of the year were routine in nature pertaining to the request for issue of duplicate share certificates, in respect of which the necessary formalities were in process. As on date the same stands attended.

Shri M. L. Jain, Deputy General Manager - Company Secretary has been designated as the "Compliance Officer" of the Bank under Regulation 6 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015

3.5 निदेशक मण्डल की प्रबन्धन समिति (एमसीबी)

बोर्ड की प्रबन्धन समिति का गठन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथा संशोधित) के खण्ड 13 के अनुसरण में किया गया है जो अत्यधिक महत्त्वपूर्ण कारोबारी मामले तथा अधिक राशि के ऋण प्रस्ताव मंजूर करने, समझौता/बट्टा खाता प्रस्ताव, पूंजीगत एवं राजस्व व्यय की स्वीकृति, परिसर, निवेश, दान आदि पर विचार करती है.

समिति में प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक (गण) और धारा 9(3) (सी) के तहत भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) की उपधारा (ई) (एफ) (एच) व (आई) के तहत नियुक्त निदेशकों में से तीन निदेशकों का समावेश है.

31 मार्च 2016 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

(i) श्री पी. एस. जयकुमार -प्रबन्ध निदेशक एवं मु.का.अ.

(ii) श्री बी. बी. जोशी -कार्यपालक निदेशक

(iii) श्री मयंक के. मेहता -कार्यपालक निदेशक

(iv) श्रीमती सुरेखा मरांडी -निदेशक

(v) श्री प्रेम कुमार मक्कड़ -निदेशक

(vi) श्रीमती उषा ए. नारायणन -निदेशक

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बोर्ड की प्रबन्धन समिति (एमबीबी) की निम्नांकित तारीखों को -21- बैठकें आयोजित हुईं :

3.5 Management Committee of the Board (MCB)

In pursuance of Clause 13 of The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended) read with the amendments made by the Ministry of Finance, Government of India, a Management Committee of the Board has been constituted to consider various business matters of material significance like sanction of high value credit proposals, compromise / write-off proposals, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc.

The Committee consists of Managing Director & CEO, Executive Director (s) and Directors nominated by Government of India under Section 9 (3) (c) and three Directors from amongst those appointed under sub section (e) (f) (h) and (i) of section 9(3) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

The composition of the Committee as on 31st March, 2016 is as under:

(i) Shri P. S. Jayakumar - Managing Director & CEO

(ii) Shri B. B. Joshi - Executive Director

(iii) Shri Mayank K. Mehta - Executive Director

(iv) Smt. Surekha Marandi - Director

(v) Shri Prem Kumar Makkar - Director

(vi) Smt. Usha A. Narayanan - Director

During the Financial Year 2015-16, the Management Committee of the Board (MCB) met on -21- occasions on the following dates :

25.04.2015	10.05.2015	03.06.2015	15.06.2015	27.06.2015
20.07.2015	12.08.2015	25.08.2015	15.09.2015	29.09.2015
16.10.2015	30.10.2015	01.12.2015	19.12.2015	29.12.2015
13.01.2016	28.01.2016	08.02.2016	25.02.2016	17.03.2016
28.03.2016				

निदेशकों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्न प्रकार है:

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

निदेशक का नाम	Name Of The Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings Held During Their Tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings Attended
श्री पी. एस. जयकुमार	Shri P. S. Jayakumar	13.10.2015 to 31.03.2016	11	11
श्री रंजन धवन*	Shri Ranjan Dhawan*	01.04.2015 to 30.09.2015	10	10
श्री बी.बी. जोशी	Shri B. B. Joshi	01.04.2015 to 31.03.2016	21	20
श्री के. वी. रामा मूर्ती*	Shri K.V. Rama Moorthy*	01.04.2015 to 29.08.2015	8	7
श्रीमती सुरेखा मरांडी	Smt. Surekha Marandi	01.04.2015 to 31.03.2016	21	18
श्री प्रेम कुमार मक्कड़	Shri Prem Kumar Makkar	11.05.2015 to 10.11.2015 15.01.2016 to 31.03.2016	15	13
डॉ. आर. नारायणस्वामी	Dr. R. Narayanaswamy	01.04.2015 to 23.06.2015	4	4
श्री भरतकुमार डी. डांगर	Shri Bharatkumar D. Dangar	01.04.2015 to 23.06.2015 01.08.2015 to 31.01.2016	15	15
श्रीमती उषा ए. नारायणन	Smt. Usha A. Narayanan	15.01.2016 to 31.03.2016	5	5
श्री मयंक के. मेहता	Shri Mayank K. Mehta	22.01.2016 to 31.03.2016	5	4

*वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे.

3.6 बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी)

भारत सरकार की गजट अधिसूचना क्रमांक 13/1/2006 दिनांक 5 दिसम्बर, 2011 की शर्तों के अनुरूप बैंक ने 27 फरवरी 2012 को बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी) का गठन किया है. यह समिति ₹ 400.00 करोड़ तक की राशि के ऋण प्रस्तावों के अनुमोदन के सम्बन्ध में बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करेगी. प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रदत्त अधिकारों से अधिक राशि के ऋण प्रस्तावों, जिन पर अब तक बोर्ड की प्रबन्धन समिति द्वारा विचार किया जाता है, के सम्बन्ध में अब बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी) द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी. 31 मार्च 2016 को इस समिति की संरचना इस प्रकार है:

(i) श्री पी. एस. जयकुमार - प्रबन्ध निदेशक एवं मु.का.अ.
(ii) श्री बी. बी. जोशी - कार्यपालक निदेशक
(iii) श्री मयंक के. मेहता - कार्यपालक निदेशक
(iv) श्री यू. सी. सिंघवी - महाप्रबन्धक (कार्पो.खाते एवं कराधान तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी)

*Ceased to be member during the year.

3.6 Credit Approval Committee of The Board (CACB)

In terms of Government of India Gazette Notification No.13/1/2006 dated 5th December, 2011, the Bank has constituted a Credit Approval Committee of the Board (CACB) on 27th February, 2012. The Committee shall exercise the powers of the Board with regard to credit proposals upto ₹ 400.00 crores. The credit proposals which exceed the powers delegated to Managing Director & CEO and which were hitherto considered by the Management Committee of the Board, will now be sanctioned by the CACB. The composition of the Committee as on 31st March, 2016 is as under:

(i) Shri P. S. Jayakumar - Managing Director & CEO
(ii) Shri B. B. Joshi - Executive Director
(iii) Shri Mayank K. Mehta - Executive Director
(iv) Shri U.C. Singhvi - General Manager (Corp. A/cs & Taxation and CFO)

(v) महाप्रबन्धक गण - ऋण / ट्रेजरी कार्यों से सम्बद्ध

(vi) महाप्रबन्धक - जोखिम प्रबंधन (31.03.2016 को रिक्त)

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी) की निम्नलिखित तारीखों पर -20- बैठकें हुईं:

(v) General Manager/s - Dealing with respective credit / treasury functions

(vi) General Manager - Risk Management (vacant as on 31.3.2016.)

During the Financial Year 2015-16, the Credit Approval Committee of the Board (CACB) met -20- times on the following dates:

17.04.2015	30.04.2015	08.05.2015	16.05.2015	15.06.2015
27.06.2015	23.07.2015	12.08.2015	25.08.2015	29.08.2015
05.09.2015	27.10.2015	14.12.2015	31.12.2015	01.02.2016
25.02.2016	02.03.2016	10.03.2016	23.03.2016	30.03.2016

निदेशकों/ कार्यपालकों की उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित समिति की उक्त बैठकों में उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:

The details of attendance of the Directors / Executives at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

नाम	निदेशक / कार्यपालक	Name	Director / Executive	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings Held During Their Tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings Attended
श्री पी. एस. जयकुमार	प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ.	Shri P. S. Jayakumar	Managing Director & CEO	9	9
श्री रंजन धवन*	कार्यपालक निदेशक	Shri Ranjan Dhawan*	Executive Director	11	11
श्री बी. बी. जोशी	कार्यपालक निदेशक	Shri B. B. Joshi	Executive Director	20	19
श्री के. वी. रामा मूर्ती*	कार्यपालक निदेशक	Shri K. V. Rama Moorthy*	Executive Director	10	7
श्री मयंक के. मेहता	कार्यपालक निदेशक	Shri Mayank K. Mehta	Executive Director	6	5
श्री यू. सी. सिंघवी	महाप्रबंधक	Shri U.C. Singhvi	General Manager	20	17
श्री एच एस शर्मा*	महाप्रबंधक	Shri H.S. Sharma*	General Manager	14	11

* वर्ष के दौरान समिति के सदस्य नहीं रहे.

*Ceased to be member during the year.

3.7 बोर्ड की जोखिम प्रबन्धन समिति :

बैंक ने एक निदेशक मंडल स्तरीय जोखिम प्रबन्धन समिति का गठन किया है जो बैंक द्वारा पूर्वानुमानित सम्पूर्ण जोखिम की समीक्षा एवं मूल्यांकन करती है.

समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष करते हैं तथा 31 मार्च 2016 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

(i) श्री रवि वेंकटेसन - अध्यक्ष
(ii) श्री पी. एस. जयकुमार - सदस्य
(iii) श्री बी. बी. जोशी - सदस्य
(iv) श्री मयंक के मेहता - सदस्य
(v) श्री भरतकुमार डी. डांगर - सदस्य

वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर -05- बैठकें आयोजित की गईं:

3.7 Risk Management Committee of the Board :

The Bank has constituted a Board level Risk Management Committee to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank.

The Committee is headed by Chairman and its composition as on 31st March, 2016 is as under :

(i) Shri Ravi Venkatesan - Chairman
(ii) Shri P. S. Jayakumar - Member
(ii) Shri B. B. Joshi - Member
(iii) Shri Mayank K. Mehta - Member
(iv) Shri Bharatkumar D. Dangar - Member

The Committee met – 5 - times during the Financial Year on the following dates:

25.04.2015	15.10.2015	24.11.2015	01.02.2016	18.03.2016

निदेशकों की उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित समिति की उक्त बैठकों में उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:

The details of attendance of the directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

निदेशक का नाम	Name Of The Director	समिति की सदस्यता की अवधि Period of membership of the committee	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings Held During Their Tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings Attended
श्री रवि वेंकटेसन	Shri Ravi Venkatesan	30.10.2015 to 31.03.2016	3	3
श्री पी. एस. जयकुमार	Shri P. S. Jayakumar	13.10.2015 to 31.03.2016	4	4
श्री बी. बी. जोशी	Shri B. B. Joshi	01.04.2015 to 31.03.2016	5	3
श्री मयंक के मेहता	Shri Mayank K. Mehta	22.01.2016 to 31.03.2016	2	2
श्री भरतकुमार डी. डांगर	Shri Bharatkumar D. Dangar	01.04.2015 to 31.03.2016	5	5
श्री रंजन धवन *	Shri Ranjan Dhawan *	01.04.2015 to 30.09.2015	1	1
श्री के. वी. रामा मूर्ती *	Shri K.V. Rama Moorthy*	01.04.2015 to 29.08.2015	1	1

* वर्ष के दौरान समिति के सदस्य नहीं रहे.

*Ceased to be member during the year.

बैंक ने विभिन्न जोखिमों यथा क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालनगत जोखिम का पता लगाने, प्रबन्धन, अनुप्रवर्तन तथा नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए बैंक में समुचित जोखिम प्रबन्धन ढ़ाँचा तैयार किया है जिसमें जोखिम संरचनात्मक ढ़ाँचा, जोखिम सिद्धांत, जोखिम प्रक्रिया, जोखिम नियंत्रण तथा जोखिम लेखा परीक्षा शामिल है. इसका मुख्य उद्देश्य बैंक के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों को निरंतर बेहतर एवं कार्यकुशल बनाना है.

The Bank has set up an appropriate risk management architecture comprising Risk Management Organizational Structure, Risk Principles, Risk Processes, Risk Control and Risk Audit, all with a view to identify, manage, monitor and control various categories of risks, viz. Credit Risk, Market Risk and Operational Risk. The underlying objective is to ensure continued stability and efficiency in the operations of the Bank, nationally and internationally.

3.8 ग्राहक सेवा समितियां

(ए) निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति

बैंक ने निदेशक मंडल की एक उपसमिति का गठन किया है जो 'ग्राहक सेवा समिति' के नाम से जानी जाती है. 31 मार्च 2016 को समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं:

(i) श्री पी. एस. जयकुमार - प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(ii) श्री बी. बी. जोशी - कार्यपालक निदेशक

(iii) श्री मयंक के. मेहता - कार्यपालक निदेशक

(iv) श्री प्रेम कुमार मक्कड़ - निदेशक

(v) श्री भरतकुमार डी. डांगर - निदेशक

समिति के कार्यों में ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सुझाव तथा नवोन्मेषी उपायों के लिए प्लेटफॉर्म का सृजन करना तथा सभी संवर्ग के ग्राहकों के लिए संतुष्टि के स्तर में सुधार करना शामिल है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित का समावेश है:

3.8 Customer Service Committees

(a) Customer Service Committee of the Board

The Bank has constituted a sub-committee of Board known as 'Customer Service Committee'. The Committee has the following members as on 31st March, 2016:

(i) Shri P S Jayakumar - Managing Director & CEO

(ii) Shri B. B. Joshi - Executive Director

(iii) Shri Mayank K Mehta - Executive Director

(iv) Shri Prem Kumar Makkar - Director

(v) Shri Bharatkumar D. Dangar - Director

The functions of the Committee include creating a platform for making suggestions and innovative measures for enhancing the quality of customer services and improving the level of satisfaction for all categories of clientele at all times, which inter-alia comprises the following:

(i) सार्वजनिक सेवाओं की प्रक्रिया एवं कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा सम्बन्धी स्थायी समिति के कार्यों की देखरेख करना तथा ग्राहक सेवाओं की स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुपालन को सुनिश्चित करना.

(ii) अधिनिर्णय की तारीख से तीन महीने से अधिक समय बीत जाने पर भी लागू न किए गए बकाया अधिनिर्णयों तथा बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में पाई गई कमियों की स्थिति की समीक्षा करना.

(iii) मृत जमाकर्ताओं / लॉकर किराएदारों / सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं के जमाकर्ताओं से सम्बन्धित निपटान हेतु 15 दिनों की अवधि से अधिक समय से बकाया दावों की संख्या की स्थिति सम्बन्धी समीक्षा करना.

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर -04- बैठकें आयोजित की गईं:

i. Oversee the functioning of the Standing Committee on Procedure and Performance Audit on Public Services and also compliance with the recommendation of the Standing Committee on Customer Services.

ii. Review the status of the Awards remaining unimplemented for more than 3 months from the date of Awards and also deficiencies in providing Banking services as observed by the Banking Ombudsman.

iii. Review the status of the number of deceased claims remaining pending / outstanding for settlement beyond 15 days pertaining to deceased depositors / locker hirers / depositor of safe custody articles.

During the Financial Year 2015-16, the Committee met -4- times on the following dates:

03.06.2015	30.09.2015	19.12.2015	28.01.2016

निदेशकों की उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:

The details of attendance of the Directors are as under:

निदेशक का नाम	Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings Held During Their Tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings Attended
श्री पी. एस. जयकुमार	Shri P S Jayakumar	13.10.2015 to 31.03.2016	2	2
श्री रंजन धवन *	Shri Ranjan Dhawan *	01.04.2015 to 30.09.2015	2	2
श्री बी. बी. जोशी	Shri B. B. Joshi	01.04.2015 to 31.03.2016	4	4
श्री के. वी. रामा मूर्ती *	Shri K. V. Rama Moorthy*	01.04.2015 to 29.08.2015	1	1
श्री प्रेम कुमार मक्कड़	Shri Prem Kumar Makkar	01.04.2015 to 31.03.2016	4	2
श्री भरतकुमार डी. डांगर	Shri Bharatkumar D. Dangar	01.04.2015 to 31.03.2016	4	4

* वर्ष के दौरान से समिति के सदस्य नहीं रहे.

(बी) ग्राहक सेवा सम्बन्धी स्थायी समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के निदेशकों की गठित उपसमिति के अतिरिक्त बैंक ने ग्राहक सेवाओं पर प्रक्रियाओं तथा कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा पर एक स्थायी समिति का भी गठन किया है जिसमें बैंक के सभी कार्यपालक निदेशक, -4- महाप्रबन्धक तथा -3- अन्य प्रतिष्ठित सार्वजनिक व्यक्ति सदस्य के रूप में शामिल हैं.

इस समिति का गठन विशेष रूप से जन समान्य को उपलब्ध बैंकिंग सुविधाओं पर ध्यान केन्द्रित करने तथा (i) सेवा के मौजूदा स्तर के बैंचमार्क (ii) आवधिक प्रगति की समीक्षा (iii) समयबद्धता एवं गुणवत्ता को बढ़ाने (iv) प्रौद्योगिकी उन्नयन के मद्देनजर प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने (v) क्रमिक आधार पर परिवर्तन को सुचारूबनाने के लिए समुचित सुझाव देने हेतु किया गया है.

*Ceased to be member during the year.

(b) Standing Committee on Customer Service

Besides, the Sub-Committee of the Board as aforesaid, the Bank has also set up a Standing Committee on Procedures and Performance Audit on Customer Services having three other eminent public personalities as members along with all the Executive Directors and four General Managers of the Bank, as per the guidelines of Reserve Bank of India.

This Committee has been set up to focus on the banking services available to the public at large and focusing on the need to (i) benchmark the current level of service, (ii) review the progress periodically, (iii) enhance the timeliness and quality, (iv) rationalize the processes taking into account technological developments, and (v) suggest appropriate initiatives to facilitate change on an ongoing basis.

3.9 निदेशकों की समिति

प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक निदेशक तथा भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशकों की एक समिति का गठन वरिष्ठ स्तर की पदोन्नति सम्बन्धी कार्यों के उद्देश्य से किया गया है. यह समिति सतर्कता सम्बन्धी अनुशासनिक मामलों और विभागीय जांचों की समीक्षा का कार्य भी करती है.

31 मार्च, 2016 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

(i) श्री पी एस जयकुमार - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(ii) श्री मोहम्मद मुस्तफा - सदस्य

(iii) श्रीमती सुरेखा मरांडी - सदस्य

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर -04- बैठकें आयोजित की गई:

3.9 Committee of Directors

A Committee of Directors consisting of Managing Director & CEO and the nominee Directors of Government of India and Reserve Bank of India has been formed for dealing with the promotions at senior level. This Committee also deals with review of vigilance / non-vigilance disciplinary cases and departmental enquiries.

The composition of the Committee as on 31st March, 2016 is as under:

(i) Shri P S Jayakumar - MD & CEO

(ii) Shri Mohammad Mustafa - Member

(iii) Smt. Surekha Marandi - Member

The Committee met -4- times during the Financial Year 2015-16 on the following dates:

28.4.2015 & 29.4.2015	21.08.2015	22.12.2015	18.03.2016

निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

The details of attendance of directors are as under :

निदेशक का नाम	Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings Held During Their Tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings Attended
श्री रंजन धवन *	Shri Ranjan Dhawan*	01.04.2015 to 30.09.2015	2	2
श्री मोहम्मद मुस्तफा	Shri Mohammad Mustafa	01.04.2015 to 31.03.2016	4	2
श्रीमती सुरेखा मरांडी	Smt. Surekha Marandi	01.04.2015 to 31.03.2016	4	4
श्री बी. बी. जोशी	Shri B.B. Joshi	01.04.2015 to 31.03.2016	1	1
श्री पी एस जयकुमार	Shri P S Jayakumar	13.10.2015 to 31.03.2016	2	2

* वर्ष के दौरान से समिति के सदस्य नहीं रहे.

3.10 बड़ी राशि की धोखाधड़ी संबंधी समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रांक आरबीआई/2004.15/डीबीएस.एफजीवी(एफ)नं.1004/23.04.01ए/ 2003-04 दिनांक 14 जनवरी, 2004 के निर्देशानुसार हमारे बैंक में ₹ 1.00 करोड़ और उससे अधिक की राशि के धोखाधड़ी सम्बन्धी मामलों की मॉनिटरिंग के लिए निदेशक मंडल की विशेष समिति का गठन किया गया है.

समिति के मुख्य कार्यों में अन्य बातों के साथ साथ ₹ 1.00 करोड़ और उससे ऊपर की राशि की धोखाधड़ी की निगरानी तथा समीक्षा शामिल है ताकि (क) धोखाधड़ी के आपराधिक कृत्य में प्रणालीगत खामियों का पता लगाने और उन पर नियंत्रण करने के लिए उपाय किए जा सकें (ख) धोखाधड़ी का पता लगाने में विलम्ब के कारणों की पहचान तथा बैंक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के उच्च प्रबन्धकों को उसकी रिपोर्टिंग (ग) सीबीआई / पुलिस जांच पड़ताल

*Ceased to be member during the year.

3.10 Committee on High Value Frauds

As per RBI circular no. RBI/2004.15/.DBS.FGV(F) No.1004/23.04.01A/2003-04 dated 14th January, 2004 a Special Committee of the Board for monitoring high value frauds of ₹ 1.00 crore and above has been formed in our Bank.

The major functions of the Committee, inter-alia, include monitoring and review of all the frauds of ₹ 1.00 crore and above so as to: (a) identify the systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same (b) identify the reasons for delay in detection, if any, reporting to top management of the Bank and RBI (c) monitor progress of CBI/Police investigation and recovery position (d) ensure that staff accountability is examined at

की प्रगति तथा वसूली की स्थिति (घ) यह सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ उत्तरदायित्व का परीक्षण हो और स्टाफ पर कार्रवाई, यदि अपेक्षित हो, अविलम्ब हो (च) धोखाधड़ी की पुनरावृति के निवारण के लिए की गई सुधारात्मक कार्रवाई की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा यथा आंतरिक नियंत्रण को सशक्त करना और (छ) धोखाधड़ी के खिलाफ निवारक उपायों को सुदृढ़ करने के लिए यथावश्यक अन्य उपाय करना.

निदेशक मंडल के -5- सदस्यों की गठित विशेष समिति में (क) प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ख) एसीबी के दो सदस्य (ग) भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित के अलावा निदेशक मंडल के दो अन्य सदस्यों का समावेश है.

31 मार्च 2016 को समिति की संरचना निम्नानुसार है:

(i) श्री रवि वेंकटेसन - अध्यक्ष
(ii) श्री पी एस जयकुमार - प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ.
(iii) श्री मोहम्मद मुस्तफा - सदस्य
(iv) डॉ. आर. नारायणस्वामी - सदस्य
(v) श्री प्रेम कुमार मक्कड़ - सदस्य

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर -05- बैठकें आयोजित की गईं:

all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time (e) review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls and (f) put in place other measures as may be considered relevant to strengthen preventive measures against frauds.

The Committee consists of -5- members of the Board of Directors: (a) Managing Director & CEO (b) Two members from ACB and (c) Two other members from the Board, excluding RBI Nominee.

The composition of the Committee as on 31st March, 2016 is as under:

(i) Shri Ravi Venkatesan - Chairman
(ii) Shri P S Jaya Kumar - MD & CEO
(iii) Shri Mohammad Mustafa - Member
(iv) Dr. R. Narayanaswamy - Member
(v) Shri Prem Kumar Makkar - Member

The Committee met -5 - times during the Financial Year 2015-16 as per the details below:

29.07.2015	05.11.2015	22.12.2015	01.02.2016	18.03.2016

निदेशकों की उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:

The details of attendance of directors are as under:

निदेशक का नाम	Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings Held During Their Tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings Attended
श्री रंजन धवन *	Shri Ranjan Dhawan *	01.04.2015-30.09.2015	1	1
श्री मोहम्मद मुस्तफा	Shri Mohammad Mustafa	01.04.2015-31.03.2016	5	0
डॉ. आर. नारायणस्वामी	Dr. R. Narayanaswamy	01.04.2015-31.03.2016	5	5
श्री प्रेम कुमार मक्कड़	Shri Prem Kumar Makkar	01.04.2015-31.03.2016	5	4
श्री रवि वेंकटेसन	Shri Ravi Venkatesan	14.08.2015-31.03.2016	3	3
श्री पी एस जयकुमार	Shri P S Jaya Kumar	13.10.2015-31.03.2016	4	4

* वर्ष के दौरान से समिति के सदस्य नहीं रहे.

3.11 बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी नीति समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक की सूचना सुरक्षा / इलैक्ट्रोनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबन्धन तथा साईबर फ्रॉड पर वर्किंग ग्रुप की सिफारिशों के अनुरूप बैंक ने 27 फरवरी, 2012 को आयोजित बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी नीति समिति का गठन किया गया जिसमें निम्न लिखित सदस्य शामिल हैं:

31 मार्च 2016 को समिति की संरचना निम्नानुसार है:

*Ceased to be member during the year.

3.11 IT Strategy Committee of the Bank

In accordance with the recommendations of Reserve Bank of India Working Group on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management & Cyber Frauds, the Bank at its Board meeting held on 27th February, 2012, constituted an IT Strategy Committee.

The composition of the committee as on 31.03.2016 is as under:-

Sr. No.	नाम	पदनाम	Name	Designation
1	श्री भरतकुमार डी. डांगर	समिति के अध्यक्ष	Shri Bharatkumar D. Dangar	Chairman of the Committee
2	श्री बी. बी. जोशी	कार्यपालक निदेशक	Shri B. B. Joshi	Executive Director
3	श्री मयंक के. मेहता (22.01.2016 से)	कार्यपालक निदेशक	Shri Mayank K. Mehta (w.e.f. 22.01.16)	Executive Director
4	श्री प्रेम कुमार मक्कड़	निदेशक (गैर-कार्यपालक)	Shri Prem Kumar Makkar	Director (Non-Executive)
5	डॉ. दीपक बी. फाटक	बाह्य सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ	Dr. Deepak B. Phatak	External IT Expert
6	श्री एस. एस. घाग	महाप्रबन्धक (सू.प्रौ. एवं डीडब्ल्यूएच) - बैठक के संयोजक	Shri S. S. Ghag	General Manager (IT & DWH) – Convenor of the meeting

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर तीन बैठकें आयोजित की गईं:

The Committee met three times during the Financial Year 2015-16 as per the details below:

10.07.2015	22.01.2016	19.03.2016

निदेशकों तथा बाह्य सू.प्रौ. विशेषज्ञ का उक्त बैठकों में उपस्थिति संबंधी विवरण निम्नानुसार है.

The details of attendance of Directors and External IT Expert are as under:

निदेशक का नाम	Name	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings Attended
श्री भरतकुमार डी. डांगर	Shri Bharatkumar D. Dangar	3	3
श्री बी. बी. जोशी	Shri B. B. Joshi	3	2
श्री के. वी. रामा मूर्ती*	Shri K V Rama Moorthy*	1	1
श्री मयंक के. मेहता	Shri Mayank K. Mehta	1	1
श्री प्रेम कुमार मक्कड़	Shri Prem Kumar Makkar	3	3
डॉ. दीपक बी. फाटक	Dr. Deepak B. Phatak	3	1

* वर्ष के दौरान समिति के सदस्य नहीं रहे.

*Ceased to be member during the year.

इस समिति के संख्यात्मक स्वरूप (कोरम) में -3- सदस्य होंगे, जिनमें समिति अध्यक्ष, एक कार्यपालक निदेशक और महाप्रबंधक (सू.प्रौ.) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यदल की सिफारिशों के अनुसार इन सदस्यों में से एक सदस्य सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, जोखिम प्रबंधन व सायबर धोखाधड़ी संबंधी व्यापक आईटी विशेषज्ञता वाला होना चाहिए.

The quorum of the Committee is three members comprising Chairman of the Committee, one Executive Director and General Manager(IT) and out of three members, one member should have substantial IT expertise as per the recommendation of the RBI (Reserve Bank of India) Working Group on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management & Cyber Frauds.

सूचना प्रौद्योगिकी नीति समिति के सदस्य श्री के. वी. रामा मूर्ती का बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यकाल पूरा हो गया और तदनुसार सूचना प्रौद्योगिकी नीति समिति का पुनर्गठन किया गया. श्री मयंक के. मेहता को नए कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया तथा उन्हें समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया.

Shri K Venkata Rama Moorthy, member of IT Strategy Committee has completed his tenure as Executive Directors on Bank's Board and accordingly IT Strategy Committee was reconstituted. Shri Mayank K. Mehta was appointed as new Executive director and was added as the member of the Committee.

3.12 वसूली की मॉनीटरिंग के लिए समिति

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक एफ.नं.7/2/2015-वसूली दिनांक 1 जनवरी, 2016 के माध्यम से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार वसूली के लिए सुदृढ़ निगरानी व्यवस्था रखने के उद्देश्य से बोर्ड ने निदेशक मंडल की समिति पुनर्गठित की है जिसमें प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक तथा सरकार

3.12 Committee for Monitoring of Recovery

In terms of the guidelines received from Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, vide its letter no. F.No.7/2/2015-Recovery dated 1st January, 2016 and in order to have a robust monitoring mechanism for recovery, the Board reconstituted a committee of the Board, consisting of the Managing Director & CEO, Executive Directors and Government Nominee Director, Chief General

द्वारा नामित निदेशक, मुख्य महाप्रबंधक (लार्ज कार्पोरेट बैंकिंग), महाप्रबंधक (ऋण निगरानी विभाग) तथा महाप्रबंधक (एनपीए वसूली, एस्क्रॉम एवं विधि) (संयोजक) होंगे जो वसूली की प्रगति पर नियमित रूप से निगरानी रखेंगे.

तदनुसार 13 फरवरी, 2016 को आयोजित बोर्ड की बैठक में समिति का पुनर्गठन किया गया.

31.03.2016 को उक्त समिति की संरचना निम्नानुसार है:

Manager (Large Corporate Banking), General Manager (Credit Monitoring department) and General Manager (NPA Recovery, ASCROM & Legal) (Convener) to monitor the progress in recovery on regular intervals.

Accordingly the Committee was reconstituted at the Board Meeting held on 13th February, 2016

The composition of the committee as on 31st March, 2016 is as under:

1.	श्री पी. एस. जयकुमार (13.10.2015 से)	प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	Shri P. S. Jayakumar (w.e.f. 13.10.2015)	Managing Director & CEO
2.	श्री बी. बी. जोशी	कार्यपालक निदेशक	Shri B.B.Joshi	Executive Director
3.	श्री मयंक के. मेहता (22.01.2016 से)	कार्यपालक निदेशक	Shri Mayank K. Mehta (w.e.f. 22.01.2016)	Executive Director
4.	श्री मोहम्मद मुस्तफा	भारत सरकार के नामिति निदेशक	Shri Mohammad Mustafa	Nominee Director of Government of India
5.	श्री के. एन. मानवी	मुख्य महाप्रबंधक (लार्ज कार्पोरेट बैंकिंग)	Shri. K N Manavi	Chief General Manager (Large Corporate Banking)
6.	श्री एम. वी. देशपांडे	महाप्रबंधक (ऋण निगरानी विभाग)	Shri. M V Deshpande	General Manager (Credit Monitoring Department)
7.	श्री आर. एल. गुत्तीकर	महाप्रबंधक (एनपीए वसूली, एस्क्रॉम एवं विधि)	Shri R L Guttikar (Convener)	General Manager (NPA Recovery, ASCROM & Legal)

समिति की बैठक 21.08.2015 तथा 17.03.2016 को आयोजित की गई.

01.04.2015 से 31.03.2016 की अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:

This committee met on 21.08.2015 and 17.03.2016.

The details of attendance of directors during the period 01.04.2015 to 31.03.2016 are as under:

नाम	Name	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings Attended
श्री रंजन धवन *	Shri Ranjan Dhawan*	01.04.2015-30.09.2015	1	1
श्री बी. बी. जोशी	Shri B. B. Joshi	01.04.2015-31.03.2015	2	2
श्री पी. एस. जयकुमार	Shri P. S.Jayakumar	13.10.2015-31.03.2016	1	1
श्री मयंक के. मेहता	Shri Mayanka K. Mehta	22.01.2016-31.03.2016	1	1
श्री मोहम्मद मुस्तफा	Shri Mohammad Mustafa	01.04.2015-31.03.2015	2	1

* वर्ष के दौरान समिति के सदस्य नहीं रहे.

3.13 शेयर / बांड अंतरण समिति:

हितधारकों की संबंधपरक समिति के अतिरिक्त, बैंक ने सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 20 के अनुसार कार्यपालकों की एक शेयर/बांड अंतरण समिति गठित की है. प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकगण, दो महाप्रबन्धक तथा उप महाप्रबन्धक / सहायक महाप्रबन्धक (विधि) इसके सदस्य हैं. 15 दिन में समिति की कम से कम एक बैठक आयोजित होती है जिसमें शेयरों/ बांडों के अंतरण/ हस्तांतरण का अनुमोदन तथा अन्य मामलों जैसे डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करना, नाम हटाना, स्टेटस बदलना आदि को स्वीकृत किया जाता है.

*Ceased to be member during the year.

3.13 Shares/Bonds Transfer Committee:

Besides the Stakeholders' Relationship Committee, the Bank has pursuant to Regulations 20 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 constituted a Shares/Bonds Transfer Committee comprising of Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors, two General Managers and Deputy/ Assistant General Manager (Legal) as members. The Committee meets at least once in 15 days to consider and approve transfer / transmission of Shares / Bonds and other issues like issue of duplicate share certificate, deletion of name, change of status, etc. The Committee met on fifty three

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान समिति की -53- बैठकें हुई जिनका विवरण निम्नानुसार है:

times during the Financial Year 2015-16, on the following dates:

07.04.2015	15.04.2015	22.04.2015	29.04.2015	11.05.2015	14.05.2015
16.05.2015	22.05.2015	30.05.2015	10.06.2015	16.06.2015	20.06.2015
22.06.2015	01.07.2015	09.07.2015	17.07.2015	24.07.2015	31.07.2015
08.08.2015	13.08.2015	22.08.2015	29.08.2015	07.09.2015	16.09.2015
21.09.2015	24.09.2015	05.10.2015	14.10.2015	20.10.2015	29.10.2015
02.11.2015	09.11.2015	17.11.2015	21.11.2015	03.12.2015	10.12.2015
15.12.2015	19.12.2015	29.12.2015	02.01.2016	11.01.2016	18.01.2016
22.01.2016	01.02.2016	05.02.2016	12.02.2016	23.02.2016	03.03.2016
09.03.2016	11.03.2016	19.03.2016	23.03.2016	31.03.2016	

3.14 मानव संसाधन पर बोर्ड की नीतिपरक सलाहकार समिति

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मानव संसाधन संबंधी मामलों पर खंडेलवाल समिति की सिफारिशों के अनुरूप बैंक के बोर्ड ने मानव संसाधन से संबंधित विभिन्न मामलों/मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वर्ष 2012 में 'मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति' का गठन किया था.

हाल ही में हुए विभिन्न परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए निदेशक मंडल ने अपनी 13 फरवरी, 2016 को आयोजित बैठक में संचालन समिति का नाम बदल कर ''मानव संसाधन पर बोर्ड की नीतिपरक सलाहकार समिति'' किया है तथा उसे निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करते हुए पुनर्गठित किया है.

1. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी - श्री पी. एस. जयकुमार
2. कार्यपालक निदेशक प्रभारी मा.सं.प्र - श्री बी. बी. जोशी
3. गैर कार्यपालक निदेशक श्री प्रेम कुमार मक्कड़
4. -2- बाह्य पेशेवर

वर्ष 2015-16 के दौरान समिति की कोई भी बैठक आयोजित नहीं की गई.

3.14 Strategic Advisory Committee of the Board on HR

In terms of recommendations of Khandelwal Committee on HR Issues of PSBs, Bank's Board in the year 2012 approved constitution of a "Steering Committee of the Board on HR" to discuss various matters/issues related to Human Resources.

Keeping in view the various changes in recent past, the Board of Directors at its meeting held on 13th February 2016 renamed the Steering Committee as "Strategic Advisory Committee of the Board on HR" and reconstituted the same with following members :

1.	Managing Director & CEO	-	Shri P. S. Jayakumar
2.	Executive Director in-charge of HRM	-	Shri B. B. Joshi
3.	Non-Executive Director	-	Shri Prem Kumar Makkar
4.	-2- Outside Professionals		

No meeting of the Committee was held during the year 2015-16.

3.15 बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं में शेयर धारक निदेशकों के चुनाव के लिए प्रत्याशियों के समर्थन संबंधी समिति

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक एफ.नं.16/112/2012-बीओ-आई दिनांक 03 अप्रैल, 2012 के माध्यम से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय संस्थाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कम्पनियों जिनमें हमारा बैंक समान शेयर धारक है, में शेयर धारकों निदेशकों के चुनाव के लिए प्रत्याशियों को सहयोग देने के प्रयोजन से निम्न सदस्यों के साथ बोर्ड की समिति का गठन किया गया:

31 मार्च, 2016 को उक्त समिति की संरचना निम्नानुसार है:

(i)	श्री पी. एस. जयकुमार	-	प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(ii)	श्री बी. बी. जोशी	-	कार्यपालक निदेशक
(iii)	श्री मयंक के. मेहता	-	कार्यपालक निदेशक
(iv)	डॉ. आर. नारायणस्वामी	-	निदेशक
(v)	श्री भरतकुमार डी. डांगर		निदेशक

समिति को वर्ष के दौरान कोई भी मामला नहीं भेजा गया.

3.15 Committee to support candidates for election of Shareholder Directors for Banks & FIs

In terms of the guidelines received from Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, New Delhi, vide letter No.16/11/2012-BO-I dated 3rd April, 2012, a committee of the Board, for supporting candidates for election of Share Holder Directors in Financial Institutions and Public sector Insurance Companies in which our Bank has equity shareholding was constituted.

The composition of the Committee as on 31st March, 2016 is as under:

(i)	Shri P. S. Jayakumar	- Managing Director & CEO
(ii)	Shri B. B. Joshi	- Executive Director
(iii)	Shri Mayank K Mehta	Executive Director
(iv)	Dr. R. Narayanaswamy	- Director
(v)	Shri Bharatkumar D. Dangar	- Director

No case was referred to the Committee during the year.

4. निदेशकों का पारिश्रमिक

गैर कार्यपालक निदेशकों की यात्रा तथा ठहरने पर होने वाले व्यय सहित पारिश्रमिक का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 17 में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप समय - समय पर केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से यथा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जा रहा है.

प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक) को पारिश्रमिक का भुगतान वेतन के रूप में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप किया जाता है. इस समय बैंक में कोई स्टॉक ऑप्शन योजना नहीं है. प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशक/कों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का ब्यौरा निम्नानुसार है:

ए. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान वेतन का भुगतान

4 REMUNERATION OF DIRECTORS

The remuneration including travelling and halting expenses to Non-Executive Directors are being paid as stipulated by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India from time to time in terms of Clause 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended).

The Managing Director & CEO and Executive Directors (whole time directors) are being paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. At present the Bank has no Stock Option Scheme. The details of remuneration paid to the Managing Director & CEO and Executive Director/s is detailed below:

A. Salary paid during the Financial Year 2015-16:

Sr. No.	नाम	पदनाम	Name	Designation	राशि (₹) Amount (₹)
1	श्री पी. एस. जयकुमार	प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (13.10.2015 से)	Shri P.S. Jayakumar	Managing Director & CEO (w.e.f. 13.10.2015)	11,11,975/-
2	श्री बी. बी. जोशी	कार्यपालक निदेशक	Shri B.B. Joshi	Executive Director	20,70,397/-
3	श्री मयंक के. मेहता	कार्यपालक निदेशक (22.01.2016 से)	Shri Mayank K. Mehta	Executive Director (w.e.f. 22.01.2016)	3,35,420/-
4	श्री. के. वी. रामा मूर्ती	निदेशक (28.08.2015 तक)	Shri K V. Rama Moorthy	Executive Director (up to 28.08.2015)	7,68,620/-
5	श्री रंजन धवन	कार्यपालक निदेशक (30.09.2015 तक)	Shri Ranjan Dhawan	Executive Director (Up to 30.09.2015)	17,41,686/-

बी. वर्ष 2015-16 के दौरान कार्यनिष्पादन सहबद्ध प्रोत्साहन का भुगतान: (वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए प्रदत्त): शून्य

सी. गैर-कार्यपालक निदेशकों को बैठक सहभागिता शुल्क का भुगतान:

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (सरकारी दिशानिर्देशों के साथ पठित) के प्रावधानों के अनुसार गैर कार्यपालक निदेशकों को बैठक सहभागिता शुल्क दिया गया. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान दिए गए बैठक सहभागिता शुल्क का विवरण निम्नानुसार है: (पूर्णकालिक निदेशकों तथा भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक को किसी प्रकार का बैठक सहभागिता शुल्क देय नहीं है)

B. Performance Linked Incentives paid during 2015-16: (for FY 2014-15): Nil

C. Sitting Fee paid to Non-executive Directors:

The Sitting Fee paid to the Non-Executive Directors as per the provisions of Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, read with government guidelines. Details of sitting fee paid during the Year 2015-16 are as under (No sitting fee is payable to Whole Time Directors and Directors representing Government of India & RBI):

Sr. No.	निदेशक का नाम	Name of the Director	भुगतान की गई राशि (₹) Amount (₹)
1	श्री प्रेम कुमार मक्कड़	Shri Prem Kumar Makkar	4,70,000/-
2	श्री भरतकुमार डी. डांगर	Shri Bharatkumar D. Dangar	6,10,000/-
3	डॉ. आर. नारायणस्वामी	Dr. R. Narayanaswamy	4,30,000/-
4	श्रीमती उषा ए. नारायणन	Smt. Usha A. Narayanan	1,40,000/-

5. सामान्य सभा की बैठकें

सामान्य सभा की गत तीन वर्षों के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

5. GENERAL BODY MEETINGS

The details of General Body Meetings held during the last three years are given below:

बैठक का स्वरूप Nature of Meeting	दिनांक एवं समय Date & Time	स्थान Venue	प्रयोजन Purpose
17 वीं वार्षिक सामान्य बैठक 17th Annual General Meeting	26 जून, 2013 प्रातः 10.30 बजे 26th June, 2013 at 10.30 a.m.	सर सयाजीराव नगर गृह, वड़ोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ़ बड़ौदा टी.पी.-1 एफ.पी.549/1 जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड़, अकोटा, वड़ोदरा - 390 020 Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda T.P.-1, F.P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020	बैंक के 31 मार्च, 2013 को समाप्त अवधि के तुलन पत्र, 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि खाते, बैंक कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, इसका अनुमोदन एवं स्वीकार करना तथा वर्ष 2012-13 के लिए लाभांश घोषित करना. इसमें विशेष संकल्प पारित करने के लिए कोई एजेंडा नहीं था. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2013, Profit and Loss Account for the year ended 31st March 2013 the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts and to declare dividend for the year 2012-13. There was no agenda requiring Special Resolution.
असाधारण सामान्य बैठक Extra Ordinary General Meeting	15 जनवरी, 2014 प्रातः 10.00 बजे 15th January, 2014 at 10.00 a.m.	सर सयाजीराव नगर गृह, वड़ोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ़ बड़ौदा टी.पी.-1 एफ.पी.549/1 जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड़, अकोटा, वड़ोदरा- 390 020 Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda T.P.-1, F.P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020	सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2009 के अनुसार अधिमानी आधार पर भारत सरकार को 81,58,784 इक्विटी शेयर सृजित, ऑफर, जारी करने और आवंटित करने के लिए विशेष संकल्प द्वारा शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना. To seek approval of the Shareholders by Special Resolution to create, offer, issue and allot upto 81,58,784 equity shares to Government of India on preferential basis in terms of SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009.

18 वीं वार्षिक सामान्य बैठक 18th Annual General Meeting	25 जून, 2014 प्रातः 10.30 बजे 25th June, 2014 at10.30 a.m	सर सयाजीराव नगर गृह, वड़ोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ़ बड़ौदा टी.पी.-1 एफ.पी.549/1 जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड़, अकोटा, वड़ोदरा-390 020 Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda T.P.-1, F.P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020	बैंक के 31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि के तुलन पत्र, 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि खाते, बैंक कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, इसका अनुमोदन एवं स्वीकार करना तथा वर्ष 2013-14 के लिए लाभांश घोषित करना. इसमें विशेष संकल्प पारित करने के लिए कोई एजेंडा नहीं था. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2014, Profit and Loss Account for the year ended 31st March 2014 the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts and to declare dividend for the year 2013-14. There was no agenda requiring Special Resolution.
असाधारण सामान्य बैठक Extra Ordinary General Meeting	26 मार्च, 2015 प्रातः 10.00 बजे 26th March, 2015 at 10.00 a.m.	सर सयाजीराव नगर गृह, वड़ोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ़ बड़ौदा टी.पी.-1 एफ.पी.549/1 जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड़, अकोटा, वड़ोदरा - 390 020 Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda T.P.-1, F.P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020	सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2009 के अनुसार अधिमानी आधार पर भारत सरकार को 6,44,20,471 इक्विटी शेयर सृजित, ऑफर, जारी करने और आवंटित करने के लिए विशेष संकल्प द्वारा शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना. To seek approval of the Shareholders by Special Resolution to create, offer, issue and allot upto 6,44,20,471 equity shares to Government of India on preferential basis in terms of SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009.

19 वीं वार्षिक सामान्य बैठक 19th Annual General Meeting	24 जून, 2015 प्रातः 10.30 बजे 24th June, 2015 at 10.30 a.m	सर सयाजीराव नगर गृह, वड़ोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ़ बड़ौदा टी.पी.-1 एफ.पी.549/1 जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड़, अकोटा, वड़ोदरा - 390 020 Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda T.P.-1, F.P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020	बैंक के 31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि के तुलन पत्र आदि तथा इससे संबंधित मामलों पर चर्चा, उनका अनुमोदन एवं स्वीकार करना तथा वर्ष 2014-15 के लिए लाभांश घोषित करना. इसमें विशेष संकल्प पारित करने के लिए कोई एजेंडा नहीं था. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as on 31st March 2015 etc., and matters related thereto and to declare dividend for the year 2014-15. There was no agenda requiring Special Resolution.
असाधारण सामान्य बैठक Extra Ordinary General Meeting	28 सितम्बर, 2015 प्रातः 10.30 बजे 28th September 2015 at 10.30 a.m.	सर सयाजीराव नगर गृह, वड़ोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ़ बड़ौदा टी.पी.-1 एफ.पी. 549/1 जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड़, अकोटा, वड़ोदरा - 390 020 Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda T.P.-1, F.P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020	सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2009 के अनुसार अधिमानी आधार पर भारत सरकार को 9,26,63,692 इक्विटी शेयर सृजित, ऑफर, जारी करने और आवंटित करने के लिए विशेष संकल्प द्वारा शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना. To seek approval of the Shareholders by Special Resolution to create, offer, issue and allot upto 9,26,63,692 equity shares to Government of India on preferential basis in terms of SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009.

6. संप्रेषण के साधन

बैंक मौजूदा विकसित सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों और हितधारकों को उनके हितों से सम्बद्ध जानकारियों के बारे में सूचित करने की आवश्यक समझता है.

बैंक के वित्तीय परिणामों को निदेशक मण्डल की बैठक में उनके अनुमोदन के पश्चात बैठक की समाप्ति पर तत्काल उन स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया जाता है जहां पर बैंक की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं. ये परिणाम कम से कम एक अंग्रेजी भाषा के राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र, जिसका प्रसार पूरे भारत में हो और दूसरा समाचार पत्र उस राज्य की भाषा में हो, जहां बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है अर्थात् गुजरात (गुजराती में) में प्रकाशित करवाए जाते हैं. बैंक छमाही आधार पर अपने शेयरधारकों को परिणामों की प्रति प्रेषित करता है. बैंक अपने वित्तीय परिणामों तथा भावी योजनाओं की घोषणा करने के लिए एनेलिस्ट बैठकें, प्रेस कॉंफ्रेस इत्यादि भी आयोजित करता है.

बैंक के तिमाही / इयर टू डेट/ वार्षिक वित्तीय परिणामों के साथ-साथ एनेलिस्ट को दी गई प्रेजेंटेशन की प्रति तथा अन्य आधिकारिक समाचार

6. MEANS OF COMMUNICATION

The Bank recognizes the need for keeping its members and stakeholders informed of the events of their interests through present means of communication.

The financial results of the Bank are submitted to the stock exchanges, where the securities of the Bank are listed, immediately after the conclusion of the Board Meeting approving the same. The results are also published in at least one English language national daily newspaper circulating in the whole or substantially the whole of India and in one daily newspaper published in the language of the region, where the registered office of the Bank is situated i.e. Gujarat (in Gujarati). The Bank furnishes results to the Shareholders on Half Yearly basis. The Bank also organizes analysts'-meets, press conferences etc. for announcing Bank's financial results and its future plans.

The Quarterly / Year to Date / Annual Financial Results of the Bank as well as the copy of presentation made to Analysts and other official news are posted on the Bank's Website

बैंक की वेबसाइट http://www.bankofbaroda.co.in पर उपलब्ध रहते हैं. एनेलिस्ट बैठक में की गई प्रस्तुति के वेबकास्ट का सीधा प्रसारण देखने हेतु वेबसाइट में लिंक उपलब्ध कराया जाता है और संगृहित वेबकास्ट भी 30 दिनों तक वेबसाइट में उपलब्ध रहती है.

– http://www.bankofbaroda.co.in. The live web cast of presentation made to Analysts' Meet is made accessible from links uploaded in the website and the archived webcast is also available in the website for 30 days.

7. वित्तीय कैलेण्डर

7. FINANCIAL CALENDAR

वित्तीय वर्ष Financial Year	1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 1st April, 2015 to 31st March, 2016
खातों (एकल एवं समेकित) पर विचार विमर्श करने हेतु निदेशक मंडल की बैठक Board Meeting for considering of Accounts (Standalone & Consolidated)	13 मई, 2016 13th May 2016
20 वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख, समय एवं स्थान Date, Time & Venue of the 20th AGM	24 जून, 2016 दोपहर 12.00 बजे 24th June 2016 At 12.00 Noon. सर सयाजीराव नगर गृह, वड़ोदरा महानगर सेवा सदन, टी.पी.-1 एफ. पी.549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड़, अकोटा, वड़ोदरा - 390 020 Sir Sayaji Rao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, T. P. – 1, F. P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020
बहियां बन्द करने की तारीख Book Closure Dates	18 जून, 2016 से 24 जून, 2016 (दोनो दिन शामिल हैं) 18th June 2016 to 24th June 2016 (Both days inclusive)
प्रॉक्सी फार्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख Last Date for receipt of Proxy Forms	18 जून, 2016 (शाम 5.00 बजे तक) 18th June 2016 (Till 5.00 p.m.)
लाभांश भुगतान की तारीख Dividend Payment Date	शून्य NIL

8. शेयरधारकों से संबद्ध सूचना

बैंक के शेयर भारत में निम्नलिखित प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड,
फिरोज जीजीभाई टॉवर्स, 25 वां तल,
दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई 400 001
बीएसई कोड : 532134

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.
''एक्सचेंज प्लाझा'' बान्द्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स,
बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051
एनएसई कोड : BANKBARODA

एक्सचेंजों में सूचीबद्ध सभी प्रतिभूतियों के सम्बद्ध में 31.03.2017 तक के वार्षिक सूचीयन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है.

8. SHAREHOLDERS' INFORMATION

The Bank's shares are listed on the following major Stock Exchanges in India:

B S E Ltd.,
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 25th Floor,
Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001
BSE CODE : 532134

National Stock Exchange of India Ltd.,
"Exchange Plaza", Bandra Kurla Complex,
Bandra,(East), Mumbai - 400 051
NSE CODE : BANKBARODA

The annual listing fees in respect of all the securities listed with the exchange(s) have been paid till 31.03.2017.

9. स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों के सौदों की मात्रा तथा शेयर मूल्य और इंडेक्स डाटा

ए. स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों के सौदों की मात्रा तथा शेयर मूल्य (01.04.2015 से 31.03.2016 तक) (प्रत्येक रू 2/- के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर)

9. SHARE PRICE, VOLUME OF SHARES TRADED IN STOCK EXCHANGES AND INDEX DATA

a. Share Price, Volume of Shares Traded in Stock Exchanges (From 01.04.2015 to 31.03.2016) (Equity Share of the Face Value of ₹ 2/- each)

		नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) National Stock Exchange of India Limited (NSE)			बीएसई लि. (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) BSE LTD. (Bombay Stock Exchange)		
		उच्चतम (₹) Highest (₹)	न्यूनतम (₹) Lowest (₹)	सौदों की मात्रा (संख्या) Volume Traded Traded (Nos.)	उच्चतम (रू.) Highest (₹)	न्यूनतम (रू.) Lowest (₹)	सौदों की मात्रा (संख्या) Volume (Nos.)
अप्रैल 2015	APR 2015	182.90	162.05	79087771	182.80	162.20	11800276
मई 2015	MAY 2015	172.65	142.70	165880042	172.75	142.80	24260902
जून 2015	JUN 2015	165.50	137.15	115130630	165.65	137.50	14573225
जुलाई 2015	JUL 2015	179.40	144.05	124446581	179.80	144.20	11361609
अगस्त 2015	AUG 2015	216.30	172.45	277057062	216.25	172.50	23458039
सितंबर 2015	SEP 2015	196.25	164.85	170845640	196.15	165.00	17747711
अक्टूबर 2015	OCT 2015	191.00	159.55	121334266	190.90	159.70	13744633
नवंबर 2015	NOV 2015	182.50	140.10	129689928	182.45	143.55	13920089
दिसंबर 2015	DEC 2015	180.80	150.45	95712687	180.80	150.80	7120362
जनवरी 2016	JAN 2016	159.90	118.05	138124125	160.00	118.20	19848469
फरवरी 2016	FEB 2016	146.25	109.35	314894335	146.10	109.45	42071357
मार्च 2016	MAR 2016	152.10	133.00	220520529	152.05	133.00	21867165

बी. अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक इंडेक्स डेटा सूची (मासिक अंतिम मूल्य)

b. Index Data from April 2015 to March 2016 (Monthly Closing Values)

दिनांक Date	एस एंड पी सीएनएक्स निफ्टी S&P CNX NIFTY	बैंक निफ्टी BANK NIFTY	बीओबी एनएसई (प्रत्येक 2 रूपए के एफवी की इक्विटी शेयर BOB NSE (Equity Share of FV of ₹ 2/- each)	बीएसई सेन्सेक्स BSE SENSEX	बैंकईएक्स BANKEX	बीओबी बीएसई (प्रत्येक 2 रूपए के एफवी की इक्विटी शेयर BOB BSE (Equity Share of FV of ₹ 2/- each)
30.04.2015	8181.50	18338.10	169.00	27011.31	21030.88	168.95
29.05.2015	8433.65	18721.35	162.60	27828.44	21511.65	162.55
30.06.2015	8368.50	18296.10	144.15	27780.83	20982.18	144.20
31.07.2015	8532.85	18729.85	177.50	28114.56	21499.24	177.40
31.08.2015	7971.30	17146.55	184.75	26283.09	19637.15	184.65
30.09.2015	7948.90	17216.30	183.20	26154.83	19681.55	183.30
30.10.2015	8065.80	17354.50	160.20	26656.83	19773.88	160.30
30.11.2015	7935.25	17430.40	179.90	26145.67	19916.30	179.85
31.12.2015	7946.35	16922.20	156.65	26117.54	19328.74	158.45
29.01.2016	7563.55	15522.40	125.40	24870.69	17603.89	125.80
29.02.2016	6987.05	13946.40	131.90	23002.00	15814.82	132.00
31.03.2016	7738.40	16141.65	147.00	25341.86	18391.96	147.10

10. रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट, शेयर ट्रांसफर पद्धति तथा निवेशकों की शिकायतों का निपटान

बैंक ने कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा.लि. को अपने रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट (आरटीए) के रूप में नियुक्त किया है जिसका कार्य शेयर /बॉण्ड अंतरण, लाभांश / ब्याज भुगतान को प्रोसेस करना, शेयरधारकों के अनुरोध दर्ज करना, निवेशकों की शिकायतों का समाधान तथा शेयर / बॉण्ड जारी करने संबंधी अन्य गतिविधियों / कार्यों को सुनिश्चित करना है. निवेशक अपने अंतरण विलेख / अनुरोध / शिकायतें निम्न पते पर आरटीए को भेज सकते हैं :-

कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा.लि.
यूनिटःबैंक ऑफ़ बड़ौदा)
कार्वी सेलेनियम टॉवर बी,प्लॉट नं. 31 एवं 32
गचिबोवली, फायनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा,
सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद - 500032
फोनः- (040) 6712222
फैक्स :- (040) 23420814
ई मेल :- einward.ris@karvy.com

निजी रूप से रखे गए बॉण्डों के लिए बैंक ने डिबेंचर न्यासी की भी नियुक्ति की है, जिसका पता नीचे दिया गया है :-

आईडीबीआई ट्रस्टशीप सर्विसेस लि.
एशियन बिल्डिंग, भू-तल,
17, आर कमानी मार्ग, बेलार्ड एस्टेट
मुंबई - 400 001
टेलीफोन :- (022) 40807000
फैक्स :- (022) 66311776 / 40807080
ई मेल :- itsl@idbitrustee.com

बैंक ने निवेशक सेवाएं विभाग की भी स्थापना कार्पोरेट कार्यालय, मुंबई में की है, जिसके प्रभारी उप महाप्रबंधक रेंक के कंपनी सचिव हैं, जहां शेयाधारक अपने अनुरोधों / शिकायतों को समाधान हेतु निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं. वे अपनी शिकायतें / अनुरोध प्रधान कार्यालय, बड़ौदा को निम्नलिखित पते पर भी भेज सकते हैं.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा निवेशक सेवा प्रभाग तीसरी मंजिल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुला कॉम्पलेक्स बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 दूरभाष : (022) 6698 5812/5846 फैक्स : (022) 2652 6660 ई-मेल : investerservices@bankofbaroda.com (उपरोक्त ई-मेल विशेष रूप से सेबी सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) के नियम 6(2)(डी), विनियम 2015 के आधार पर स्थापित की गई है. जो शेयरधारक निदेशक मंडल से किसी प्रकार का प्रश्न पूछना चाहते हैं. वे अपने प्रश्न निम्नलिखित मेल आईडी पर मेल कर सकते है - shareholderdirectors@bankofbaroda.com	बैंक ऑफ़ बड़ौदा मुख्य प्रबंधक, ग्राहक सेवा आठवीं मंजिल, सूरज प्लाजा - 1, सयाजीगंज वड़ोदरा 390 005 टेलीफोन : (0265) 2361724 फैक्स : (0265) 2361824 ई-मेल : customerservice@bankofbaroda.com

बैंक सुनिश्चित करता है कि सभी शेयरों के अंतरण, जारी किये जाने के 15 दिन की अवधि के भीतर प्रभावी होते हैं. बोर्ड नें साधारण शेयरधारकों एवं निवेशको की समास्याओं की निगरानी एवं त्वरित समाधान की प्रगति की समीक्षा हेतु हितधारक सम्पर्क समिति का गठन किया है और शेयर /

10. REGISTRAR & SHARE TRANSFER AGENT, SHARE TRANSFER SYSTEM AND REDRESSAL OF INVESTORS' GRIEVANCES

The Bank has appointed Karvy Computershare Private Limited as its Registrars and Share Transfer Agent (RTA) with a mandate to process transfer of Shares / Bonds, dividend / interest payments, recording of Shareholders' requests, solution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of Shares / Bonds. The Investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the RTA at following address:

Karvy Computershare Private Limited
(Unit: Bank of Baroda)
Karvy Selenium Tower B, Plot No.31 & 32
Gachibowli, Financial District
Nanakramguda, Serilingampally,
Hyderabad - 500 032
Phone: (040) 67162222; Fax: (040) 23420814
E Mail: einward.ris@karvy.com

For privately placed Bonds, the Bank has also appointed Debenture Trustee as follows:

IDBI Trusteeship Services Ltd.
Asian Building, Ground Floor,
17, R Kamani Marg, Ballard Estate
Mumbai – 400 001
Tel: (022) 40807000; Fax: (022) 66311776 / 40807080
Email: itsl@idbitrustee.com

The Bank has also established Investors' Services Department, headed by the Company Secretary in the rank of Dy. General Manager at Corporate Office, Mumbai wherein Shareholders can mail their requests / complaints for resolution at the address given below. They can also send their complaints/requests at the address given below at Head Office, Vadodara:

Bank of Baroda Investors' Services Department 3rd Floor, Baroda Corporate Centre C-26, G-Block, Bandra-Kurla Complex Bandra (East), Mumbai – 400 051 Telephone : (022) 6698 5812/5846 Fax : (022) 2652 6660 E – mail : investorservices@bankofbaroda.com (The aforesaid e-mail ID is exclusively designated for investors' complaints pursuant to Regulation 6(2)(d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. Further, Shareholders who wish to ask questions to the Board of Directors of the Bank can mail their questions at – shareholedrdirectors@bankofbaroda.com	Bank of Baroda Chief Manager, Customer Service, 8th Floor, Suraj Plaza – I, Sayajiganj, Vadodara 390 005 Telephone : (0265) 2361724 Fax No. : (0265) 2361824 E–mail: customerservice@bankofbaroda.com

The Bank ensures that all transfers of Shares are duly affected within a period of -15- days from the date of their lodgment. The Board has constituted Stakeholders' Relationship Committee to monitor and review the progress in redressal of general shareholders' and investors' grievances and Shares/Bonds

बॉन्ड स्थानांतरण एवं अन्य विषयों के लिए शेयर / बॉन्ड स्थानांतरण समिति का गठन किया गया हैं. समितियों की बैठकें नियमित रूप से होती हैं और निवेशकों की समस्याओं के समाधान की समीक्षा की जाती हैं.

Transfer Committee to consider transfer of Shares and Bonds and other related matters. The Committees meet at regular intervals and review the status of Investors' Grievances.

11. शेयरधारिता का वितरण

11. DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING

ए) 31 मार्च 2016 के आधार पर शेयरधारिता का पैटर्न :

a. Shareholding Pattern as on 31st March 2016

क्रमांक Sr. No.	विवरण	Description	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयर Shares	इक्विटी का प्रतिशत % to Equity
1	भारत सरकार	GOVERNMENT OF INDIA	1	1,36,49,40,578	59.24%
2	बीमा कम्पनियां	INSURANCE COMPANIES	49	29,03,38,853	12.60%
3	म्यूचूअल फंड / यूटीआई	MUTUAL FUND & UTI	210	22,24,04,562	9.65%
4	एफ.आई.आई. / एफ.पी.आई.	FII & FPI	269	26,37,71,697	11.45%
5	निवासी वैयक्तिक	RESIDENT INDIVIDUALS	287009	11,06,95,768	4.81%
6	कॉर्पोरेट निकाय	BODIES CORPORATES	1973	2,97,58,118	1.29%
7	अनिवासी भारतीय	NON RESIDENT INDIANS	4073	95,62,911	0.42%
8	न्यास	TRUSTS	39	65,17,450	0.28%
9	बैंक, एन.बी.एफ.सी तथा भारतीय वित्तीय संस्थायें	BANKS, NBFC & INDIAN FINANCIAL INSTI.	30	21,71,925	0.09%
10	समाशोधन सदस्य	CLEARING MEMBERS	410	38,82,736	0.17%
11	विदेशी संस्थागत निकाय	OVERSEAS CORPORATE BODIES	3	1,10,000	0.00%
12	विदेशी नागरिक	FOREIGN NATIONALS	1	5,000	0.00%
	कुल	TOTAL	294067	2,30,41,59,598	100.00%

बी) शेयरधारकों का वितरण - श्रेणीवार 31 मार्च 2016

b. Distribution Of Shareholders – Category Wise as on 31st March 2016

क्रम संख्या Sr. No.	श्रेणी Category	मामलों की संख्या No. of Cases	मामलों का प्रतिशत % of Cases	राशि Amount	राशि का प्रतिशत % Amount
1	upto 1 - 5,000	289585	98.48	19,15,64,424	4.16
2	5,001 - 10,000	2571	0.87	1,98,32,972	0.43
3	10,001 - 20,000	848	0.29	1,28,59,356	0.28
4	20,001 - 30,000	247	0.08	63,19,970	0.14
5	30,001 - 40,000	112	0.04	40,48,196	0.09
6	40,001 - 50,000	81	0.03	37,86,298	0.08
7	50,001 - 1,00,000	152	0.05	1,13,40,846	0.25
8	1,00,001 एवं उससे अधिक/ & ABOVE	471	0.16	4,35,85,67,134	94.57
	कुल / Total:	294067	100	4,60,83,19,196	100

सी) 31 मार्च को शेयरधारकों का भौगोलिक (राज्यवार) दृष्टि से आवंटन सम्बंधी विवरण

c. Geographical (State Wise) Distribution Of Shareholders as on 31st March 2016

क्रम संख्या Sr. No.	राज्य	STATE	मामले CASES	शेयर SHARES
1	आंध्र प्रदेश	Andhra Pradesh	4657	1983972
2	अरुणाचल प्रदेश	Arunachal Pradesh	17	6149
3	आसाम	Assam	1174	342524
4	बिहार	Bihar	3464	1061377
5	चंडीगढ	Chandigarh	1010	378804
6	छत्तीसगढ	Chattisgarh	1800	883839
7	दिल्ली	Delhi	13845	1372950400
8	गोआ	Goa	2024	1507165
9	गुजरात	Gujarat	64043	27183750
10	हरियाणा	Haryana	4456	1611762
11	हिमाचल प्रदेश	Himachal Pradesh	553	142059
12	जम्मू एवं कश्मीर	Jammu and Kashmir	459	134547
13	झारखण्ड	Jharkhand	2961	710232
14	कर्नाटक	Karnataka	14383	4697088
15	केरल	Kerala	6060	2450005
16	मध्य प्रदेश	Madhya Pradesh	6943	2754496
17	महाराष्ट्र	Maharashtra	78159	835054170
18	मेघालय	Meghalaya	129	65956
19	मिजोरम	Mizoram	3	345
20	नागालैण्ड	Nagaland	123	116679
21	ओडिशा	Orissa	2492	682181
22	अन्य	Others	4264	7546155
23	पंजाब	Punjab	3083	1258143
24	राजस्थान	Rajasthan	14673	6273217
25	तमिलनाडु	Tamil Nadu	19461	14447741
26	तेलंगाना	Telangana	6947	3656595
27	त्रिपुरा	Tripura	206	89458
28	उत्तर प्रदेश	Uttar Pradesh	17517	6849644
29	उत्तराखण्ड	Uttarakhand	2680	1088549
30	पश्चिम बंगाल	West Bengal	16481	8232596
	कुल	Total	294067	2304159598

डी) प्रतिभूतियों का अभौतिकीकरण

बैंक के शेयर अनिवार्य रूप से सेबी की डीमेट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं एवं बैंक ने नेशनल सिक्यूरिटी डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल) एवं सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्यूरिटी लि.(सीडीएसएल) के साथ बैंक के शेयरों के अभौतिकीकरण के लिए समझौता किया है. शेयरधारक अपने अभौतिकीकृत शेयर एन.एस.डी.एल अथवा सी.डी.एस.एल. से प्राप्त कर सकते हैं.

31 मार्च 2016 तक बैंक के पास निम्नलिखित संख्या के शेयर भौतिक एवं अभौतिक रूप से हैं -

d. Dematerialization of Securities:

The shares of the Bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank has entered in to Agreements with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL.

As on March 31, 2016 the Bank has following number of Equity Shares in physical and dematerialized form, as per the detail given below:

क्रम संख्या Sr. No.	धारिता का प्रकार	Nature of holding	मामलों की संख्या No. of Cases	शेयरों की संख्या No. of Shares	प्रतिशत Percentage %
1	भौतिक	Physical	44,920	3,47,12,717	1.51
2	एन.एस.डी.एल.	NSDL	1,64,398	87,27,16,223	37.87
3	सी.डी.एस.एल.	CDSL	84,749	139,67,30,658	60.62
	कुल	Total:	2,94,067	230,41,59,598	100.00

बैंक ने वर्ष 2003 में 1,36,91,500 इक्विटी शेयर जब्त किए (27,38,300 शेयर उप-विभाजन से पूर्व) जिनमें से 24000 इक्विटी शेयर (4800 शेयर उप-विभाजन से पूर्व) 31 मार्च 2015 तक रद्द कर दिये गए.

The Bank had forfeited 1,36,91,500 equity shares (27,38,300 shares before sub-division) in the year 2003 and out of the same 24000 equity shares (4800 shares before sub-division) were annulled up to 31st March 2015.

12. 31 मार्च, 2016 को एस्क्रो / उचंत खातें में उपलब्ध शेयरों की स्थिति:

12. STATUS OF SHARES LYING IN ESCROW/SUSPENSE ACCOUNT AS ON 31st MARCH, 2016

ए) उचंत खाते में उपलब्ध शेयरों की स्थिति (भौतिक शेयर - बिना सुपुर्दगी के वापस किए गए)

a. Status of shares lying in Suspense A/c (Physical Shares – returned undelivered)

प्रारम्भिक शेष 01.04.2015 को Opening Balance as on 01.04.2015		वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त अनुरोधों की संख्या No. of requests received during the Financial Year 2015-16	वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान नामे किए गए शेयर Shares debited during the Financial Year 2015-16		31 मार्च 2016 को उपलब्ध अंतिम शेष Closing Balance as on 31st March 2016	
शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares
73	87,500	3	3	1,500	70	86,000

बी) एस्क्रो / उचंत खातें में उपलब्ध शेयरों की स्थिति (डीमेट शेयर - बिना सुपुर्दगी के वापस किए गए)

b. Status of shares lying in Escrow / Suspense A/c (Demat Shares – returned undelivered)

दि. 01.04.2015 को प्रारम्भिक शेष Opening Balance as on 01.04.2015		वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त अनुरोधों की संख्या No. of requests received during the Financial Year 2015-16	वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान नामे किए गए शेयर Shares debited during the Financial Year 2015-16		31 मार्च, 2016 को उपलब्ध अंतिम शेष Closing Balance as on 31st March 2016	
शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares
162	95,680	3	3	1,580	159	94,100

हम पुष्टि करते हैं कि जब तक उक्त शेयरों के वास्तविक दावेदार इनके लिए दावा नहीं करते तब तक अंतिम कॉलम (ए) तथा (बी) के शेयरों के लिए मताधिकार पर रोक जारी रहेगी.

We confirm that the voting rights on the shares stated at the last column of table (a) and (b) above shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.

13. लाभांश / ब्याज का इलेक्ट्रोनिक मोड के माध्यम से भुगतान:

13. DIVIDEND / INTEREST PAYMENT THROUGH ELECTRONIC MODES

बैंक निवेशकों को, जहॉं निवेशकों द्वारा मेंडेट दिए गए हैं, शेयरों पर लाभांश / बॉंडों पर ब्याज का भुगतान विभिन्न इलेक्ट्रोनिक माध्यमों से कर रहा है, इस उद्देश्य के लिए बैंक नेशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाऊस (एनएसीएच),

The Bank is paying Dividend on Shares / Interest on Bonds to the Investors through various electronic modes, wherever mandate is given by the investors. For the purpose, the Bank

नेशनल इलेक्टॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (एनईसीएस), इलेक्ट्रोनिक क्लीयरिंग सर्विस (ईसीएस), आरटीजीएस, एनईएफटी तथा सीधे जमा आदि सेवाओं का प्रयोग कर रहा हैं.

निवेशक अपने मेंडेट बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट अर्थात कार्वी कम्प्यूटर शेयर प्रा. लि. के पास इस रिपोर्ट में दिए पते पर दर्ज करा सकते हैं.

14. प्रकटीकरण :

ए) यहां भौतिक रूप से किसी भी प्रकार का कोई महत्वपूर्ण पार्टी संव्यवहार नहीं होता है जिसका बड़े पैमाने पर बैंक के हितों के साथ कोई टकराव हो, इस सम्बंध में पार्टी सम्बंधी सभी संव्यवहारों का खुलासा भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों का अनुपालन करते हुए खातों के विवरणों में किया गया है.

बी) बैंक पर पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से सम्बद्ध किसी भी मामले में किसी भी विनियामक प्राधिकारी अर्थात स्टॉक एक्सचेंज और / अथवा सेबी द्वारा किसी नियम, निर्देशों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए न तो कोई दंड लगाया गया और न ही किसी प्रकार की कोई भर्त्सना की गई है.

सी) बैंक भारत सरकार के जनहित प्रकटीकरण एवं सूचना प्रदाता की सुरक्षा सम्बंधी संकल्प (पीआईडीपीआई) की सचेतक नीति का पालन करता है, इस (व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी) के दिशा निर्देश बैंक की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं. इस सम्बंध में किसी भी कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति से अलग नहीं किया गया है.

डी) हम सेबी द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस सूचीबद्ध नियमों की अनुसूची 5 के उपभाग (2) से (10) के अनुपालन की पुष्टि करते हैं.

ई) सभी निदेशकों द्वारा ये घोषणा की गई है कि 31 मार्च 2016 तक उनका परस्पर किसी भी प्रकार का कोई सम्बंध नहीं है.

एफ) बैंक ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कॉमोडिटी में व्यापार नहीं किया है, अतः ''कॉमोडिटी कीमत जोखिम एवं कॉमोडिटी बचाव गतिविधियां'' शून्य हैं:

जी) निम्नलिखित घोषणाएं सेबी (सूचीयन दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अनुसूची अर्थात सेबी सूचीयन करार के अनुसार है, जिसे शेयरधारकों द्वारा निम्नलिखित लिंक पर देखी / डाऊनलोड की जा सकती हैं - ''http://www.bankofbaroda.com/fin/SEBI.asp''

I. स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम की घोषणा

II. सचेतक नीति (व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी)

III. महत्वपूर्ण अनुषंगियों एवं पार्टी लेनदेन सम्बंधी पॉलिसी

15. अनिवार्य एवं गैर-अनिवार्य आवश्यकताएँ

बैंक द्वारा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) के विनियम, 2015 के तहत उपलब्ध कराई गई सभी लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है.

गैर अनिवार्य आवश्यकताओं के कार्यान्वयन का विवरण निम्नानुसार हैं:

is using the services of National Automated Clearing House (NACH), National Electronic Clearing Services (NECS), RTGS, NEFT & Direct Credit etc.

Investors may lodge their mandate with Bank's Registrar & Share Transfer Agent i.e. Karvy Computershare Pvt. Ltd., at the address given in this report.

14. DISCLOSURES

a) There is no materially significant Related Party Transaction that has potential conflict with interests of the Bank at large. The Related Party Transactions are disclosed in the Notes on Accounts in compliance with RBI Guidelines in this regard.

b) There is no non-compliance by the Bank in respect of Regulations/ Guidelines issued SEBI / Stock Exchanges / any Statutory Authority on any matter related to capital markets during the last 3 years and as such no penalties / strictures imposed on the Bank.

c) The Bank follows "Whistle Blower Policy Guidelines" of Govt. of India Resolution on Public Interest Disclosure & Protection of Informer (PIDPI). The said Policy Guidelines are available on the Bank's website. No personnel has been denied access to the audit committee.

d) We confirm the compliance of the requirement of Corporate Governance Report of sub-paras (2) to (10) of Schedule V of SEBI Listing Regulations.

e) All the Directors have disclosed that they have no relationship inter-se as on 31st March 2016.

f) The Bank has not traded in Commodities during the FY 2015-16 and hence the information on, ''Commodity Price Risks & Commodities Hedging Activities'' is Nil.

g) Following disclosures pursuant to Schedule V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 i.e. SEBI Listing Regulations, can be viewed / downloaded by the shareholders at the link: "http://www.bankofbaroda.com/fin/SEBI.asp"

i. Disclosures about familiarization programme for the Independent Directors

ii. Whistle Blower Policy.

iii. Policy on Related Party Transactions and Material Subsidiaries.

15. MANDATORY AND NON-MANDATORY REQUIREMENTS

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The extent of implementation of non-mandatory requirements is as under:

क्रम संख्या Sr. No.	गैर- अनिवार्य आवश्यकताएँ Non-mandatory requirements	कार्यान्वयन की स्थिति Status of Implementation
1	**बोर्ड** सूचीबद्ध कम्पनी के खर्च पर अध्यक्ष का कार्यभार सम्भालने के लिए गैर कार्यपालक अध्यक्ष अधिकृत किए जा सकते हैं और उनके ड्यूटी सम्बन्धी खर्च की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जा सकती है. **The Board** A non-executive chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	बैंक के निदेशक मंडल की सरंचना बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के माध्यम से नियंत्रित की जाती है जहाँ अधिनियम की धारा 9 (3) (i) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से चुने जाने वाले निदेशकों के अलावा सभी निदेशक भारत सरकार द्वार नियुक्त / नामित किए जाते हैं. भारत सरकार ने (रिपोर्ट के पैरा 2 (ए) देखें) श्री रवि वेंकटेसन की नियुक्ति बोर्ड के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में दिनांक 14.08.2015 से की है. The composition of the Board of Directors of the Bank is governed through "Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, where all the Directors are appointed / nominated by Government of India except Directors to be elected from amongst Shareholders other than Central Government u/s 9(3)(i) of the Act. The Government of India has appointed Shri Ravi Venkatesan as Non-Executive Chairman of the Board w.e.f.14.08.2015. (Ref Para 2(a) of the Report)
2	**शेयरधारकों के अधिकार** गत 6 माह के दौरान महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की छ:माही घोषणा प्रत्येक शेयरधारक को भेजी जाए. **Shareholder Rights** A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders	अनुपालन किया गया. Complied with. 30.09.2015, (वित्तीय वर्ष 2015-16) को समाप्त छ:माही के लिए बैंक ने गत 6 माह के दौरान महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्य निष्पादन के छमाही परिणाम प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पत्र के साथ डाक / ई-मेल से प्रत्येक शेयरधारक को भेज दिये हैं, इसके अतिरिक्त बैंक के वित्तीय परिणाम बैंक की वेबसाईट पर प्रस्तुत किए गए हैं. The Bank has already sent communication of MD & CEO along with the copy of half-yearly financial results for the half year ended 30.09.2015 (FY 2015-16) including summary of significant developments during last six months to each shareholder by post / e-mail. The financial results are also posted on Bank's website.
3	**लेखा परीक्षा अहर्ता** कम्पनी को अनक्वालिफाईड वित्तीय विवरणों की व्यवस्था को अपनाना चाहिए. **Audit Qualifications** Company may move towards a regime of unqualified financial statements.	बैंक की लेखा रिपोर्ट में इस सम्बंध में कोई अर्हता नहीं है. There is no qualification in Auditors report of the Bank.
4	**अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अलग अलग पद** सूचीबद्ध कम्पनी अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पदों पर अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है. **Separate posts of chairperson and chief executive officer** The listed entity may appoint separate persons to the post of chairperson and managing director or chief executive officer.	अनुपालन किया गया. Complied with. बैंक के निदेशक मंडल की सरंचना बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के माध्यम से नियंत्रित की जाती है. जैसा कि पैरा - 1 में कहा गया है, भारत सरकार द्वारा (रिपोर्ट के पैरा 2 (ए) देखें) दिनांक 14.08.2015 से श्री रवि वेंकटेसन, मंडल के गैर कार्यकारी अध्यक्ष तथा दिनांक 13.10.2015 से श्री पी एस जयकुमार, प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पूर्ण कालिक निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया है. The composition of the Board of Directors of the Bank is governed through "Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, as stated above at Sr.No.-1. The Government of India has appointed Shri Ravi Venkatesan as Non-Executive Chairman of the Board w.e.f.14.08.2015 and Shri P. S. Jayakumar as MD & CEO (Whole-time Director) w.e.f. 13.10.2015. (Ref Para 2(a) of the Report.

क्रम संख्या Sr. No.	गैर- अनिवार्य आवश्यकताएँ Non-mandatory requirements	कार्यान्वयन की स्थिति Status of Implementation
5	**आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टिंग** आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं. **Reporting of Internal Auditor** The Internal Auditor may report directly to the Audit Committee.	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की संरचना एवं इसकी संदर्भ शर्तें सदैव विनियामक अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गए निर्देशों / परिपत्रों के माध्यम से नियमित की जाती है, जिनका बैंक अनुपालन करता है. The composition & terms of reference of the Audit Committee of the Board inter-alia covering Internal Audit function is governed through the guidelines / circulars issued by the Regulator i.e. Reserve Bank of India, which the Bank comply.

16. कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकताओं के अनुपालन की घोषणा :

16. DISCLOSURE OF THE COMPLIANCE WITH CORPORATE GOVERNANCE REQUIREMENTS

नियम क्र. Regu No.	संक्षिप्त विवरण Title / Brief description	अनुपालन स्थिति Compliance Status
17	निदेशक मंडल Board of Directors	बैंक के निदेशक मंडल की सरंचना बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के अधीन है. यहां कम्पनी अधिनियम 1956/2013 में किया गया संशोधन इस सम्बंध में लागू नहीं होता है. शेयरधारकों द्वारा चयनित तीन निदेशकों के अतिरिक्त सभी निदेशकों की नियुक्ति / नामांकन, केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम में सेक्शन 9(3) में किए गए संशोधन के मुताबिक किया जाता है. बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित है. (सं. रिपोर्ट का पैरा 2(ए)) The Composition & terms of reference of Board of Directors of Bank of Baroda is governed through "Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970" i.e. the Act, meaning thereby the provision of the Companies Act, 1956/2013 in this regard are Not Applicable. All the Directors, except 3 directors elected amongst the Shareholders' other than Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act, are appointed / Nominated by Government of India pursuant to the provisions under Section 9(3) of the Act. The Bank is regulated by Reserve Bank of India.(Ref. para 2(a) of the Report)
18	लेखा समिति Audit Committee	बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति के गठन एवं इसके संदर्भ की शर्तें भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार अधिशासित होती हैं. जिनका अनुपालन किया गया है. (रिपोर्ट पैरा 3.1 देखें) The composition & terms of reference of the Audit Committee of the Board of Bank of Baroda is governed through RBI's directives / guidelines, which are complied with. (Ref. para 3.1 of the Report)
19	नामांकन एवं पारितोषिक समिति Nomination and remuneration committee	बैंक में दो अलग अलग समितियां नामांकन समिति एवं पारितोषिक समिति है, जिनकी सरंचना एवं संदर्भ की शर्तें क्रमशः भारत सरकार के निर्देशों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार अधिशासित होती है. (नामांकन समिति तथा पारितोषिक समिति के सम्बन्ध में रिपोर्ट का पैरा 3.3 तथा 3.2 देखें) The Bank has 2 separate committees namely Nomination Committee and Remuneration Committee, the composition and terms of reference of which are governed through RBI directives and GOI directives respectively. (Ref. para 3.3 and 3.2 of the Report for Nomination Committee and Remuneration Committee respectively)
20	हितधारक सम्बंध समिति Stakeholders Relationship Committee	अनुपालन किया गया है. Complied with
21	जोखिम प्रबंधन समिति Risk Management Committee	अनुपालन किया गया है. Complied with

नियम क्र. Regu No.	संक्षिप्त विवरण Title / Brief description	अनुपालन स्थिति Compliance Status
22	सतर्कता प्रणाली Vigil Mechanism	अनुपालन किया गया है. Complied with
23	सम्बंधित पार्टी लेनदेन Related party transactions	अनुपालन किया गया है. Complied with
24	सूचीबद्ध इकाइयों की सब्सिडी के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकता Corporate governance requirements with respect to subsidiary of listed entity	अनुपालन किया गया है. Complied with
25	स्वतंत्र निदेशकों के सम्बंध में कर्तव्य Obligations with respect to independent directors	विनियम 17 के अनुसार - यथा उपर्युक्त As per Regulation 17, as above.
26	निदेशक एवं वरिष्ठ प्रबंधन के सम्बंध में कर्तव्य Obligations with respect to directors and senior management	अनुपालन किया गया है. Complied with
27	अन्य कॉर्पोरेट गवर्नेंस आवश्यकताएं Other corporate governance requirements	अनुपालन किया गया है. Complied with
46 (2) (b)to(i)	वेबसाईट Website	अनुपालन किया गया है. Complied with

17. कार्पोरेट गवर्नेंस के तहत पर्यावरण उपाय

(ए) सभी शेयरधारकों जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं, से अनुरोध किया जाता है कि वे अपना ई-मेल आईडी हमारे पास या हमारे रजिस्ट्रार, जिसका पता इस रिपोर्ट में अन्यत्र दिया गया है, के पास पंजीकृत करवा दें ताकि हम दस्तावेज, नोटिस, सम्प्रेषण, वार्षिक रिपोर्ट आदि ई-मेल के माध्यम से भेज सकें.

(बी) वे शेयरधारक जिनके पास शेयर अभौतिक रूप में हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपने ई-मेल आईडी सम्बन्धित डिपोजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत करवा दें.

18. पारदर्शिता और अनुपालन अधिकारी

निम्नलिखित अतिरिक्त कार्य हमारे बैंक के कार्पोरेट मेकेनिज्म के अंतर्गत अधिक से अधिक प्रकटीकरण एवं अनुपालन के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को और भी व्यापक बनाते हैं:

18.1 पारदर्शिता अधिकारी

केन्द्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) के निर्देशों के अनुसार बैंक ने फरवरी 2011 से अपने एक वरिष्ठ अधिकारी को पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है. यह पारदर्शिता अधिकारी निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा:

➢ लोक प्राधिकारियों के ब्यौरे से सम्बद्ध सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की धारा 4 के क्रियान्वयन की स्थिति की संवीक्षा करना और उसमें हुई प्रगति से उच्च प्रबन्धन को अवगत कराना.

➢ आरटीआई अधिनियम के अनुपालन में प्रगति के विषय में सीआईसी के लिए इंटरफेस के रूप में कार्य करना.

17. GREEN INITIATIVE UNDER CORPORATE GOVERNANCE

a. The shareholders having shares in physical form are requested to register their e-mail ids with us or our Registrars, at the address given elsewhere in this report, to enable us to serve any document, notice, communication, annual reports etc. through e-mail.

b. The shareholders holding shares in Demat form are requested to register their e-mail ID with their respective Depository Participant for the above purpose.

18. TRANSPARENCY & COMPLIANCE OFFICER

Further following additional functions also enhance Bank's commitment to more & more disclosures and compliance under corporate Governance mechanism of the Bank.

18.1 Transparency Officer

As per the directions of Central Information Commissioner (CIC), Bank has appointed one of the Senior Officers as Transparency Officer since February 2011. The Transparency Officer is responsible for the following.

➢ To oversee the implementation of the Section 4 of Right to Information (RTI) Act detailing with obligations of public authorities and to apprise the top management of its progress.

➢ To be the interface for the CIC regarding the progress in implementation of RTI Act

➢ केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ), मान लिए गए केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) द्वारा आरटीआई अनुरोधों के सम्बन्ध में सकारात्मक और समय पर उत्तर देने हेतु अनुकूल परिस्थितियों को प्रोत्साहित करने के लिए सहयोग प्रदान करना.

➢ आरटीआई से सम्बद्ध सभी मामलों में जनता के लिए एक सम्पर्क बिन्दु होना.

बैंक के निर्देशानुसार निर्धारित प्रारूप में समस्त जानकारी वेबसाईट पर अपलोड की गई है और यह जानकारी समय समय पर अद्यतन की जाती है.

18.2 अनुपालन सम्बन्धी कार्य

बैंक की अनुपालन नीति को दर्शाते हुए बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक अनुपालना नीति बनाई है, जो बैंकों में अनुपालना संबंधी कार्यों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों पर आधारित है. यह नीति वह आधार है जिस पर बैंक के अनुपालना संबंधी सभी कार्य आधारित हैं. बैंक में सुदृढ़ अनुपालना संस्कृति द्वारा समर्थित अनुपालना जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया और आंतरिक नियंत्रण के साथ बैंक में अनुपालना संबंधी कार्य संचालन प्रणाली का महत्वपूर्ण कार्य है.

अनुपालना विभाग विभिन्न विधायी संस्थाओं जैसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम तथा धनशोधन निवारण अधिनियम आदि के विविध सांविधिक प्रावधानों का और विभिन्न विदेशी केन्द्रों, जहां बैंक के कार्यालय/ शाखाएं स्थित हैं. उनके नियामकों के नियमों का कड़ा अनुपालन सुनिश्चित करता है. यह बीसीएसबीआई (भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड), आईबीए (भारतीय बैंकिंग संघ), फेडाई (भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ), एफआईएमएमडीए (फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट डेरीइवेटिव्ज एसोसिएशन ऑफ इंडिया), द्वारा निर्धारित किए गए मानकों एवं संहिताओं का भी अनुपालन सुनिश्चित करता है.

19. कार्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग

बैंक ऑफ़ बड़ौदा सार्वजनिक क्षेत्र का पहला ऐसा बैंक है जिसे रेटिंग एजेंसी, आईसीआरए लि. द्वारा बैंक की कार्पोरेट गवर्नेंस कार्य पद्धति को रेटिंग प्रदान की गई है. आईसीआरए द्वारा पहली बार जुलाई 2004 में 'सीजीआर 2' रेटिंग प्रदान की गई. बैंक को यही रेटिंग अर्थात सीजीआर 2 रेटिंग पुनः क्रमशः फरवरी 2006, सितंबर 2007, अप्रैल 2010, मार्च 2011, अप्रैल 2013, मार्च 2014 और जून 2015 में भी प्रदान की गई और अभी लागू हैं. सीजीआर 1 से सीजीआर 6 के उक्त रेटिंग स्केल में सीजीआर 1 सर्वोच्च रेटिंग कहलाती है. सीजीआर 2 रेटिंग से अभिप्राय है कि रेटिंग एजेंसी आईसीआरए की राय में बैंक ने उन पद्धतियों, परंपराओं एवं संहिताओं को अपनाया है तथा उनका पालन कर रहा है जो बैंक के हितधारकों एवं जमाकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण कार्पोरेट गवर्नेंस का आश्वासन प्रदान करता है. यह रेटिंग बैंक की पारदर्शी स्वामित्व संरचना, सुव्यस्थित कार्यपालक प्रबंधन पद्धतियों, बोर्ड एवं वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्तियों में पारदर्शिता, विस्तृत एवं परिष्कृत लेखा कार्यविधि, जो निरीक्षण प्रभाग तथा स्वतंत्र लेखा फर्मों द्वारा अपनाई जाती है, को दर्शाती है.

➢ Help promote congenial conditions for positive and timely response to RTI-request by Central Public Information Officers (CPIOs), deemed-CPIOs.

➢ To be a contact point for the public in all RTI-related matters.

The Bank has uploaded all the information as directed in the specified format on its website and this information is updated from time to time.

18.2 Compliance Function

The Bank has put in place a board approved Compliance Policy outlining the compliance philosophy of the Bank based upon the directions of Reserve Bank of India on Compliance Function in Banks. The said Policy is the foundation on which all Compliance Function of the Bank is based. Compliance Function in the Bank is an integral part of governance along with internal control and compliance risk management process supported by a healthy compliance culture in the Bank.

Compliance Function ensures observance of statutory provisions contained in various legislations viz. Banking Regulation Act, Reserve Bank of India Act, Foreign Exchange Management Act, Securities and Exchange Board of India Act and Prevention of Money Laundering Act and also the regulations of the various Regulators where the Bank is having its Offices / Branches in overseas centres. It also ensures Standards and Codes prescribed by BCSBI (Banking Codes and Standard Board of India, IBA (Indian Banks Association), FEDAI (Foreign Exchange Dealers Association of India), FIMMDA (Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India).

19. CORPORATE GOVERNANCE RATING

Bank of Baroda is the first Public Sector Bank having been assigned a rating to its Corporate Governance Practices by ICRA Limited. The ICRA had assigned the rating of 'CGR2' (pronounced as CGR 2) on a rating scale of CGR1 to CGR6 where CGR1 denotes the highest rating, in July 2004, which has been reaffirmed in February 2006, September 2007, April 2010, March 2011, April 2013, March 2014 and June 2015 respectively and presently is in force. The CGR2 rating implies that in ICRA's current opinion, the Bank has adopted and follows such practices, convention and codes as would provide its financial stakeholders including the depositors, a high level of assurance on the quality of Corporate Governance. The rating reflects Bank's transparent ownership structure, well-defined executive management structure, satisfactory risk management practices, transparency in appointment and functioning of the Board and Senior Management and an elaborate audit function, carried out both by its Inspection Division and independent audit firms.

20. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान नियुक्त निदेशकों का परिचय

20.1 श्री रवि वेंकटेसन

20. PROFILE OF DIRECTORS APPOINTED DURING THE FINANCIAL YEAR 2015-16

20.1 Shri Ravi Venkatesan

नाम	श्री रवि वेंकटेसन	Name	Shri Ravi Venkatesan
पता	362 / ए 6 मेन रोड, पहला ब्लोक, कोरामंगला, विप्रो पार्क के पास, बैंगलोर - 560 034	Address	362/A, 6th Main Road, 1st Block, Koramangala Opp: Wipro Park, Bangalore – 560 034
जन्म तिथि	12 जनवरी, 1963	Date of Birth	12th January, 1963
आयु	53 वर्ष		53 Years
योग्यता	1. बीटेक (आईआईटी मुंबई) 2. एमएस (पूर्दू विश्वविद्यालय) 3. एमबीए (हार्वर्ड विश्वविद्यालय)	Qualifications	1. B.Tech (IIT Mumbai) 2. MS (Purdue University) 3. MBA (Harvard University)
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	केंद्र सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 / 1980 की धारा 9 (3)(एच) के तहत 14.08.2015 से 03 वर्षो या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए अंशकालिक गैर - शासकीय निदेशक तथा गैर - कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है.	Nature of appointment as Director	Appointed as a Part Time Non-official director as well as Non-Executive Chairman by the Central Government u/s 9(3)(h) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, w.e.f. 14.08.2015 for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier.
अनुभव	सोशल परोपकारी कार्यों के माध्यम से सामाजिक समस्याओं का निराकरण करने हेतु विख्यात राष्ट्र व्यापी जनहितकारी संगठन 'वेंचर पार्टनर्स इंडिया' के श्री रवि वेंकटेसन संस्थापक अध्यक्ष हैं. वे इम्पेक्ट इन्वेशटर यूनिटूस सीड फंड के वेंचर पार्टनर हैं तथा वे रॉकफेलर फाउंडेशन, इनफ़ोसिस लि. एवं स्ट्रैंड लाइफ सायन्स के लिए भी कार्य कर रहे हैं. वे हार्वड बिज़नेस रिव्यू द्वारा प्रकाशित उल्लेखनीय पुस्तक 'कोन्करिंग द केओस:विन इन इंडिया, विन एवरीव्हेयर' के लेखक भी हैं. इससे पूर्व, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष के रूप में 2004 से 2011 के दौरान, श्री रवि वेंकटेसन ने पूरे विश्व में माइक्रोसॉफ्ट की दूसरी सबसे बड़ी उपस्थिति दर्ज कराई. भारतवर्ष में माइक्रोसॉफ्ट की परियोजना 'शिक्षा', जो कंप्यूटर साक्षरता कार्यक्रम है, को तैयार करने में भी इन्होंने सहयोग किया है. उक्त परियोजना ने अभी तक भारतवर्ष में 40 मिलियन स्कूली बच्चों को प्रशिक्षित कर दिया है. माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ने से पूर्व श्री वेंकटेसन क्यूमिन्स इंडिया के प्रचार-प्रसार के अध्यक्ष थे तथा उन्होंने इसे भारत के अत्यधिक इंजन एवं विद्युत उत्पादन करनेवाले के रूप में बदला. इन्होंने पुणे में, भारत में महिलाओं के लिए प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज, क्यूमिन्स कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग स्थापित करने में सहायता प्रदान की.	Experience	Mr. Ravi Venkatesan is the founder Chairman of Social Venture Partners India, a national network of philanthropists addressing social problems through venture philanthropy. He is a Venture Partner at impact investor Unitus Seed Fund and serves on the boards of Rockefeller Foundation, Infosys Ltd, and Strand Lifesciences. He is the author of an acclaimed book "Conquering the Chaos: Win in India, Win Everywhere" published by Harvard Business Review. Prior to this, as Chairman of Microsoft India between 2004 and 2011, Mr. Ravi Venkatesan helped build India into Microsoft's second-largest presence in the world. He was instrumental in creating Microsoft India's Project Shiksha, a computer literacy program which has so far trained over 40 million school children in India. Prior to Microsoft, Mr. Ravi Venkatesan was the Chairman of publicly held Cummins India and led its transformation into India's leading provider of engines and power solutions. He helped establish the Cummins College of Engineering, India's first engineering college for women, in Pune.

	ये एक प्रख्यात विद्वान हैं. इन्हें मुंबई के भारतीय तकनीकी संस्थान से प्रख्यात अलमन्स पुरस्कार तथा पुर्दू विश्वविद्यालय से प्रसिद्ध इंजीनियरिंग अलमन्स पुरस्कार प्राप्त हुआ. इन्हें थिंकर्स50 द्वारा भारत के अच्छे प्रबंधन चिंतकों में से एक माना गया है.		He was a Baker Scholar. He is a recipient of the Indian Institute of Technology Bombay's Distinguished Alumnus Award and Purdue University's Distinguished Engineering Alumnus Award. He was voted as one of India's best management thinkers by Thinkers50.
अन्य कम्पनियों में निदेशक अथवा समिति पदों पर कार्य	1. इनफ़ोसिस लि. 2. स्ट्रैंड लाईफ साइंसेस प्रा.लि. 3. रॉकफैलर फाउंडेशन एनवाई 4. स्मार्ट पावर फ़ॉर रूरल डेवलपमेंट इंडिया फाउंडेशन 5. एसवीपी फिलनट्रोपी इंडिया फाउंडेशन - संस्थापक अध्यक्ष 6. यूनिट्स सीड फंड एडवायसरी एलएलपी	Directorship or Committee positions held in Companies	1. Infosys Ltd. 2. Strand Life Sciences Pvt Ltd. 3. Rockefeller Foundation NY. 4. Smart Power for Rural Development India Foundation. 5. SVP Philanthropy India Foundation – Founder Chairman. 6 Unitus Seed Fund Advisors LLP
बैंक ऑफ बड़ौदा में धारित शेयरों की संख्या 31.03.2016 को	शून्य	No. of shares of Bank of Baroda held as on 31.03.2016	- Nil

20.2 श्री पी. एस.जयकुमार

20.2 Shri P. S. Jayakumar

नाम	श्री पी.एस.जयकुमार	Name	Shri P. S. Jayakumar
पता	803 - बी, विवेरिया साने गुरूजी मार्ग, जैकोब सर्किल के पास, भायखला, मुंबई-400011	Address	803-B, Viveria, Sane Guruji Marg, Off Jacob Circle, Byculla, Mumbai-400 011
जन्म तिथि	08 अप्रैल 1962	Date of Birth	8th April, 1962
आयु	54 वर्ष	Age	54 Years
योग्यता	एम. कॉम, सीए, एमबीए (एक्सएलआरआई)	Qualifications	M.Com CA MBA (XLRI)
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	केंद्र सरकार द्वारा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3) (ए) के तहत 13.10.2015 से 3 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्ति की गई है.	Nature of appointment as Director	Appointed as Managing Director & CEO by the Central Government u/s 9(3)(a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, w.e.f. 13.10.2015 for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier.
अनुभव	श्री पी.एस.जयकुमार की शैक्षिणक योग्यता चाटर्ड एकाउंटेट है तथा साथ ही साथ इन्होंने एक्सएलआरआई जमशेदपुर से व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी किया है. लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनोमिक्स व पलिटिकल साइंस के माध्यम से इन्हें चेवेनिंग गुरूकुल विद्वान का विशेष सम्मान भी प्राप्त हुआ है.	Experience	Mr. P. S. Jayakumar, is a Chartered Accountant by qualification and additionally holds a Post Graduate Diploma in Business Management from XLRI Jamshedpur. He also has the distinction of being a Chevening Gurukool Scholar through the London School of Economics and Political Science.

	बैंक ऑफ़ बड़ौदा में एमडी एवं सीईओ के रूप में नियुक्ति से पूर्व वे, 2009 के बाद निम्न व माध्यम श्रेणी की आय वाले परिवारों के लिए हाऊसिंग के क्षेत्र में अग्रणी, वीबीएचसी वेल्यू होम्स प्रा. लि. सह - संस्थापक व सीईओ थे. वे होम फर्स्ट फाइनांस कंपनी, एनएचबी के द्वारा नियंत्रित हाउसिंग फाइनांस संस्था, जो ऐसे ग्राहकों को वित्तपोषित करने पर ध्यान देती है जो कि बैंकिग सेक्टर से मोर्गेज ऋण लेने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, के सह संस्थापक व प्रमोटर निदेशक रह चुके हैं. वे एक पेशेवर बैंकर हैं तथा इन्होंने सन 1986 से शुरूआत करके 23 वर्षों से अधिक का समय सिटी बैंक में भारत में तथा सिंगापुर में कार्य करके बिताया है. इन्होंने भारतवर्ष में रिटेल बैंकिंग के क्षेत्र में कई नवोन्मेषी कार्य किए हैं. इसके साथ ही साथ वे भारत में सन 1991 में हुए प्रथम आस्ति प्रतिभूतिकरण एवं सन 2006 में वित्तीय सेवाओं से वंचित लोगों हेतु जारी किए गए प्रथम बहु-भाषीय बायोमेट्रिक एटीएम की मुहीम से भी से जुड़े रहे. श्री जयकुमार ने सिटी बैंक में कार्य करने के दौरान विभिन्न पदों, जैसे खजांची, उपभोक्ता बैंक, व्यवसाय विकास प्रमुख के रूप में जमा कैनवास करना, व्यवसाय को बढ़ाना, आदि कार्यभार को संभाला. वे सिटी फाइनेंसियल लि. के प्रबंध निदेशक, एशिया मूल के देशों (जिनमें इंडोनेशिया, फिलीपिंस, आस्ट्रेलिया, थाईलैंड, हॉंग कॉंग और कोरिया शामिल हैं) के प्रबंध निदेशक व सिटी बैंक उपभोक्ता ऋण के प्रमुख, सिटी बैंक उपभोक्ता व्यवसाय के राष्ट्रीय प्रमुख और एशियाई देशों के तुलन - पत्र प्रबंधन के प्रमुख रह चुके हैं. श्री पी.एस.जयकुमार भारतवर्ष में सिटी बैंक की सहायक कंपनियों के बोर्ड सदस्य के रूप में भी कार्य कर चुके हैं.		Prior to his appointment as MD & CEO of Bank of Baroda, he was the Co-founder and CEO of VBHC Value Homes Pvt. Ltd., a leader in housing for low and moderate income household from 2009 onwards. He was also the Co-founder and Non-Executive Promoter Director for Home First Finance Company, a housing finance institution regulated by the NHB, focused on financing customers who are not able to access mortgage loans from the banking sector. He is a career banker and has spent over 23 years in Citibank in India and Singapore starting in 1986. He has contributed to several innovations in retail banking in India. In addition, he was associated with the first asset securitisation in India in 1991 and the first multi-lingual biometric ATM for the financially excluded in 2006. Mr. Jayakumar has held diverse assignments while at Citibank such as Treasurer - Consumer Bank, Business Development Head covering deposit and lending business, Managing Director for Citifinancial Ltd, Managing Director and Head of Citi bank Consumer Loan for Asia Pacific Countries (covering Indonesia, Philippines, Australia, Thailand, Hong Kong and Korea), Country Head - Citibank Consumer Business and Head of Balance Sheet Management - Asia Pacific. Mr. P. S. Jayakumar has also served as a Board Member in many of Citibank's subsidiaries in India.
अन्य कम्पनियों में निदेशक अथवा समिति पदों पर कार्य	शून्य	Directorship or Committee positions held in Companies	Nil
बैंक ऑफ बड़ौदा में धारित शेयरों की संख्या 31.03.2016 को	14500	No. of shares of Bank of Baroda held as on 31.03.2016	14500

20.3 सुश्री ऊषा ए नारायणन

20.3 Smt. Usha A. Narayanan

नाम	सुश्री ऊषा ए नारायणन	Name	Smt. Usha A. Narayanan
पता	''नारायणन'' 1006, 17 वां मुख्य, बीटीएम लेआऊट प्रथम स्टेज बैंगलोर - 560 029	Address	"Narayana"1006, 17th Main, BTM Layout, 1st Stage, Bangalore – 560 029
जन्म तिथि	03 जुलाई, 1959	Date of Birth	3rd July, 1959
आयु	57 वर्ष	Age	57 Years
योग्यता	बी. कॉम एफसीए	Qualifications	B.Com FCA
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (आई) के तहत 12.12.2015 से 11.12.2018 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित घोषित.	Nature of appointment as Director	Declared elected as Shareholder Director under Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act,1970, for a period of 3 years from 12.12.2015 to 11.12.2018.
अनुभव	सुश्री ऊषा ए नारायणन चार्टर्ड एकाऊंटेंट हैं, जिनके पास 1992 से 2013 तक प्राइस वाटर हाऊस के लेखा - परीक्षा के पार्टनर के रूप में लेखा - परीक्षा का कार्य करने का 21 वर्षों का अनुभव है. यह पहली महिला हैं, जिन्होंने 1997 में पार्टनरशिप को अपनाया और इन्होंने वृहद भारतीय सूचीबद्ध कंपनियों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सहायक कंपनियों में इन्होंने अग्रणी अनुबंध पार्टनर का कार्य पूरा किया. वे एक योग्य कंपनी सचिव भी हैं. उनके पास व्यवसाय जोखिम एवं नियत्रणों, कंपनी विधियों, लेख एवं लेखा परीक्षा मानकों तथा व्यवसाय में उन्हें लागू करने संबंधी गहन ज्ञान एवं समझ हैं. वे वर्ष 2009 से 2013 तक चार वर्षों के लिए पीडब्ल्यू इंडिया एश्योरेंस लीडरशिप टीम की एक सदस्य रहीं और एश्योरेंस प्रैक्टिस हेतु नेशनल ह्यूमन कैपिटल फंक्शन को नेतृत्व प्रदान किया. वे समाज-कार्य में भी सक्रिय रूप से जुड़ी रही हैं.	Experience	Ms. Usha A Narayanan is a Chartered Accountant with over 21 years of Audit experience as Audit Partner with PriceWaterhouse from 1992 to 2013. She was one of the first women to be admitted to Partnership in 1997 and has served as Lead Engagement Partner on large Indian listed companies and Indian subsidiaries of multinationals. She is also a qualified Company Secretary. She has deep knowledge and understanding on assessing business risks and controls, Company Law, Accounting and Auditing standards and their application to business. She was a member of PW India Assurance Leadership Team for four years from 2009 to 2013 and also led the National Human Capital Function for the Assurance practice. She is also actively involved in social service.
अन्य कम्पनियों में निदेशक अथवा समिति पदों पर कार्य	एसबीपी फिलैन्थ्रपी फाऊंडेशन	Directorship or Committee positions held in Companies	SVP Philanthropy Foundation
बैंक ऑफ बड़ौदा में धारित शेयरों की संख्या 31.03.2016 को	500	No. of shares of Bank of Baroda held as on 31.03.2016	500

20.4 श्री मयंक महेता

20.4 Shri Mayank K. Mehta

नाम	श्री मयंक के. महेता	Name	Shri Mayank K. Mehta
पता	21, पर्सीपोलिस अपार्टमेन्ट सोमानी मार्ग, कफ परेड मुंबई - 400 005	Address	21, Persipolis Apts., Somani Marg, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005
जन्म तिथि	12.09.1958	Date of Birth	12.09.1958
आयु	57 वर्ष	Age	57
योग्यता	बी.एस.सी, सीएआईआईबी	Qualifications	BSc., CAIIB
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3) (ए) के तहत 22.01.2016 से 30.09.2018 तक जो उनकी सेवानिवृत्ति की आयु तक या अगले आदेशों तक केंद्र सरकार के द्वारा कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.	Nature of appointment as Director	Appointed as Executive Director by the Central Government u/s 9(3)(a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, w.e.f. 22.01.2016 for a period upto 30.09.2018 i.e. the date of his attaining the age of superannuation or until further orders, whichever is earlier.
अनुभव	बैंक ऑफ़ बड़ौदा में कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त होने से पूर्व श्री मयंक के महेता युनियन बैंक ऑफ़ इंडिया में महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के रूप में कार्यरत थे. श्री महेता का जन्म 12 सितंबर, 1958 को हुआ था. श्री महेता ने विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की तथा भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान से प्रमाण-पत्र (सीएआईआईबी) प्राप्त किया. श्री मयंक के मेहता ने अपने कैरियर की शुरूआत सन 1977 में यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया से की तथा अक्टूबर 2012 में महाप्रबंधक के पद पर नियुक्त हुए. युनियन बैंक ऑफ़ इंडिया में महाप्रबंधक बनने से पूर्व विभिन्न स्तरों पर कई जिम्मेदारियां निभाईं. श्री मयंक के मेहता, जो अंतराष्ट्रीय बैंकिंग के विशेषज्ञ माने जाते हैं, बैंक के तकनीकी विकास और बैंक में कोर बैंकिंग सोल्यूशन को सफलतापूर्वक लागू करने में उनकी भूमिका रही. श्री मयंक के मेहता केबीसी आस्ति प्रबंधन कंपनी प्रा.लि.संघ, जो कि बैंक की ही सहायक कंपनी है, के बोर्ड के निदेशक भी रह चुके हैं. वे वर्ष 2010-12 के बीच केआईटीसीओ लि. (पूर्व में केरला औद्योगिक सलाहकार संस्थान लि.) के बोर्ड के भी निदेशक रह चुके हैं.	Experience	Shri Mayank K. Mehta was General Manager and Chief Financial Officer (CFO) at Union Bank of India prior to his elevation as Executive Director of Bank of Baroda. Born on 12th September, 1958, Shri Mayank K. Mehta holds a Bachelors degree in Science and is also a Certificated Associate of Indian Institute of Banking and Finance (CAIIB). Shri Mayank K. Mehta started his career in Union Bank of India in 1977 and rose to the position of General Manager in October 2012. He has held wide range of responsibilities in various capacities before his elevation as General Manager of Union Bank of India. Mr. Mayank K. Mehta, an expert in International Banking, has also been instrumental in technological development of the Bank and successful implementation of Core Banking Solution of the Bank. Mr. Mayank K. Mehta was a Director on the Board of Union KBC Asset Management Company Private Limited, the Bank's subsidiary. He was also a Director on the Board of KITCO Limited (formerly Kerala Industrial and Technical Consultancy Organisation Ltd.) between years 2010-12.
अन्य कम्पनियों में निदेशक अथवा समिति पदों पर कार्य	शून्य	Directorship or Committee positions held in Companies	Nil
बैंक ऑफ़ बड़ौदा में धारित शेयरों की संख्या 31.03.2016 को	शून्य	No. of shares of Bank of Baroda held as on 31.03.2016	Nil

घोषणा

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 की अनुसूची V - भाग (डी) के अनुसार प्रबंधक निदेशक एवं सीईओ का घोषणा-पत्र.

यह घोषित किया जाता है कि बोर्ड के सभी सदस्यों एवं बैंक के उच्च प्रबंधन कार्मिक, 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष हेतु सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के विनियम 26 (3) के अनुसार ''बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशकों एवं उच्च प्रबंधन कार्मिक हेतु निर्धारित आचार संहिता'' के अनुपालन हेतु वचनबद्ध हैं. यह आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है.

कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

पी.एस.जयकुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : मुंबई
दि. : 13 मई 2016

DECLARATION

Declaration of the Managing Director & CEO pursuant to Schedule V - Part (D) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

It is to declare that all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance of the "Bank of Baroda - Code of Conduct for Directors and Senior Management Personnel" for the Financial Year Ended on 31st March, 2016 in accordance with Regulation 26(3) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The said Code of conduct has been posted on the Bank's website.

For Bank of Baroda

P. S. Jayakumar
Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date: 13th May 2016

महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात
Key Financial Ratios

S. No.	विवरण (प्रतिशत में) Particulars (In Percentage)	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2016
1	ब्याज आय / औसत कार्यशील निधियां (एडब्ल्यूएफ) Interest Income / Average Working Funds (AWF)	7.58%	7.34%	6.76%	6.62%	6.31%
2	ब्याज व्यय / एडब्ल्यूएफ Interest expenses / AWF	4.95%	4.98%	4.69%	4.59%	4.49%
3	शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) Net Interest Margin (NIM)	2.97%	2.66%	2.36%	2.31%	2.05%
4	ब्याज विस्तार / एडब्ल्यूएफ Interest spread / AWF	2.64%	2.36%	2.08%	2.03%	1.83%
5	गैर-ब्याज आय / एडब्ल्यूएफ Non-Interest Income / AWF	0.87%	0.76%	0.78%	0.68%	0.72%
6	परिचालन व्यय / एडब्ल्यूएफ Operating expenses / AWF	1.32%	1.24%	1.24%	1.18%	1.28%
7	लागत-आय अनुपात Cost Income Ratio	37.55%	39.79%	43.44%	43.63%	50.30%
8	सकल (परिचालन) लाभ / एडब्ल्यूएफ Gross (Operating) profit / AWF	2.19%	1.88%	1.61%	1.53%	1.26%
9	शुद्ध लाभ / एडब्ल्यूएफ Net profit / AWF	1.28%	0.93%	0.79%	0.52%	-0.77%
10	शुद्ध मालियत पर प्रतिलाभ Return on Net Worth	19.11%	14.59%	13.00%	9.21%	-17.64%
11	आस्तियों पर प्रतिलाभ Return on Assets	1.12%	0.82%	0.69%	0.48%	-0.80%
12	औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ Return on Average Assets	1.24%	0.90%	0.75%	0.49%	-0.78%
13	अग्रिमों पर प्रतिफल Yield on Advances	9.39%	8.90%	8.32%	8.11%	7.35%
14	जमाराशियों की लागत Cost of Deposits	5.62%	5.80%	5.38%	5.18%	5.05%
15	लाभांश भुगतान अनुपात (कार्पोरेट लाभांश कर सहित) Dividend payout Ratio (including Corporate Dividend Tax)	16.22%	23.65%	23.86%	25.06%	0.00%
16	ऋण-जमा अनुपात Credit-Deposit Ratio	86.86%	82.03%	86.15%	84.82%	78.29%
17	ऋण + गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश (अनुषंगी इकाइयों में निवेश को छोड़कर) / जमा अनुपात Credit + Non SLR Investment (excluding Investments in Subsidiaries) /Deposit Ratio	90.36%	86.17%	90.00%	89.10%	80.82%
18	पूंजी पर्याप्तता अनुपात - बासेल II Capital Adequacy Ratio - BASEL II	14.67%	13.30%	12.88%	13.33%	14.20%
	टीयर - I Tier - I	10.83%	10.13%	9.54%	10.14%	11.21%
	टीयर - II Tier - II	3.84%	3.17%	3.34%	3.20%	2.99%
19	पूंजी पर्याप्तता अनुपात - बासेल III Capital Adequacy Ratio - BASEL III			12.28%	12.60%	13.17%
	टीयर - I Tier - I			9.28%	9.87%	10.79%
	टीयर - II Tier - II			3.00%	2.73%	2.38%

क्र.सं. S.No.	विवरण Particulars	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2016
1	कर्मचारी (संख्या) Employees (number)	42175	43108	46001	49378	52021
2	शाखाएं (संख्या) Branches (number)	3959	4336	4934	5250	5390
3	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (₹ करोड़ में) Business per employee (₹ in crore)	14.66	16.89	18.65	18.89	16.80
4	प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय (₹ करोड़ में) Average Business per employee (₹ in crore)	13.15	15.71	17.48	18.48	18.90
5	प्रति कर्मचारी सकल लाभ (₹ लाखों में) Gross Profit per employee (₹ in lakhs)	20.35	20.88	20.20	20.08	16.95
6	प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (₹ लाखों में) Net Profit per employee (₹ in lakhs)	11.87	10.39	9.87	6.88	-ve
7	प्रति शाखा व्यवसाय (₹ करोड़ में) Business per branch (₹ in crore)	169.80	184.98	195.76	199.17	177.70
8	प्रति शाखा सकल लाभ (₹ करोड़ में) Gross Profit per branch (₹ in crore)	2.17	2.08	1.88	1.89	1.64
9	प्रति शाखा शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में) Net Profit per branch (₹ in crore)	1.26	1.03	0.92	0.65	-ve
10	प्रति शेयर आय (₹) Earnings per share (₹)	127.84	108.84	107.38	15.83*	-ve
11	प्रति शेयर बहीमूल्य (₹) Book Value per share (₹)	637.37	729.11	813.50	166.83*	132.74*

स्रोत: विभिन्न वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट (जहां उपयुक्त लगा, पिछले वर्षों के आंकड़ों को पुनर्समूहीकृत / पुनःवर्गीकृत किया गया है)* @ ₹ 2/- प्रति शेयर के अंकित मूल्य पर.
Source: Annual Reports of various years. (previous year's figures are regrouped and reclassified, where appropriate) * @ face value of ₹ 2 per share

परिभाषाएं / Definitions

औसत कार्यशील निधियां (एडब्ल्यूएफ)	:	कुल आस्तियों का पाक्षिक औसत;	**Average Working Funds (AWF)**	:	Fortnightly / Daily Average of Total Assets
औसत जमाराशियां	:	कुल जमाराशियों का पाक्षिक औसत;	**Average Deposits**	:	Fortnightly / Daily Average of Total Deposits
औसत अग्रिम	:	कुल अग्रिमों का पाक्षिक औसत;	**Average Advances**	:	Fortnightly / Daily Average of Total Advances
औसत व्यवसाय	:	औसत जमाराशियों और औसत अग्रिमों का योग;	**Average Business**	:	Total of Average Deposits & Average Advances
औसत निवेश	:	कुल निवेशों का पाक्षिक औसत;	**Average Investments**	:	Fortnightly / Daily Average of Total Investments
ब्याज आय/(एडब्ल्यूएफ)	:	कुल ब्याज आय का औसत विभाजित करें कार्यशील निधियों से;	**Interest Income/AWF**	:	Total Interest Income Divided by AWF
ब्याज व्यय/एडब्ल्यूएफ	:	कुल ब्याज व्यय भाग दें एडब्ल्यूएफ;	**Interest Expenses/AWF**	:	Total Interest Expenses Divided by AWF
ब्याज विस्तार/एडब्ल्यूएफ	:	(कुल ब्याज आय घटाएं : कुल ब्याज व्यय) विभाजित करें एडब्यूएफ से;	**Interest Spread/AWF**	:	(Total Interest Income minus Total Interest Expenses) Divided by AWF
गैरब्याज आय/एडब्ल्यूएफ	:	कुल गैर ब्याज आय विभाजित करें औसत कार्यशील निधि से;	**Non-Interest Income/AWF**	:	Total Non-Interest Income Divided by AWF
परिचालन व्यय	:	कुल खर्च घटाएं ब्याज खर्च	**Operating Expenses**	:	Total Expenses minus Interest Expenses
परिचालन व्यय/एडब्ल्यूएफ	:	कुल परिचालन व्यय विभाजित करें औसत कार्यशील निधि से;	**Operating Expenses/AWF**	:	Operating Expenses Divided by AWF
लागत आय अनुपात	:	परिचालन व्यय विभाजित करें (गैरब्याज आय + ब्याज स्प्रेड) से;	**Cost Income Ratio**	:	Operating Expenses Divided by (Non Interest Income plus Interest Spread)
सकल (परिचालन) लाभ/एडब्ल्यूएफ	:	परिचालन लाभ विभाजित करें एडब्ल्यूएफ से;	**Gross (Operating) Profit/ AWF**	:	Operating Profit divided by AWF
शुद्ध लाभ/एडब्ल्यूएफ	:	शुद्ध लाभ विभाजित करें एडब्ल्यूएफ से;	**Net Profit/AWF**	:	Net Profit Divided by AWF
शुद्ध मालियत पर प्रतिलाभ	:	शुद्ध लाभ विभाजित करें शुद्ध मालियत से (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि को छेडकर);	**Return on Net Worth**	:	Net Profit Divided by Net Worth (excluding Revaluation Reserves, FCTR & Deferred Tax Assets)
आस्तियों पर प्रतिलाभ	:	शुद्ध लाभ विभाजित करें कुल आस्तियों से;	**Return on Assets**	:	Net Profit Divided by Total Assets
औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ	:	शुद्ध लाभ विभाजित करें औसत आस्तियों से;	**Return on Average Assets**	:	Net Profit Divided by Average Assets
अग्रिमों पर प्रतिफल	:	अग्रिमों पर अर्जित ब्याज विभाजित करें औसत अग्रिम से;	**Yield on Advances**	:	Interest Earned on Advances Divided by Average Advances
जमाराशियों की लागत	:	जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज विभाजित करें औसत जमाराशियों से;	**Cost of Deposits**	:	Interest paid on Deposits Divided by Average Deposits
लाभांश भुगतान अनुपात (कारपोरेट लाभांश कर सहित)	:	लाभांश, कार्पोरेट लाभांश कर सहित; विभाजित करें शुद्ध लाभ से;	**Dividend Payout Ratio (including Corporate Dividend Tax)**	:	Dividend including Corporate Dividend Tax Divided by Net Profit
ऋण जमा अनुपात	:	कुल अग्रिम विभाजित करें ग्राहकों की जमाराशियों से (अर्थात कुल जमाराशियां - घटायें अंतर बैंक जमा राशियां)	**Credit - Deposit Ratio**	:	Total Advances Divided by Customer Deposits (i.e., Total Deposits minus Inter Bank Deposits)
ऋण + गैर सांविधिक तरलता अनुपात निवेश (अनुषंगी इकाइयों में निवेश को छेडकर) - जमाराशि अनुपात;	:	(कुल अग्रिम + गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश - घटायें अनुषंगी इकाइयों में निवेश) विभाजित करें ग्राहकों की जमाओं से;	**Credit + Non SLR Investments (excluding Investments in Subsidiaries) - Deposit Ratio**	:	(Total Advances Plus Non-SLR Investments minus Investments in Subsidiaries) Divided by Customer Deposits
प्रति कर्मचारी व्यवसाय	:	समग्र जमाराशियां + कुल अग्रिम विभाजित करें, कर्मचारियों की कुल संख्या से	**Business Per Employee**	:	Core Deposits plus Total Advances Divided by Total No. of Employees
प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय	:	औसत जमाराशियां + औसत अग्रिम/विभाजित करें कर्मचारियों की कुल संख्या से	**Average Business Per Employee**	:	Average Deposits plus Average Advances divided by Total No. of Employees
प्रति कर्मचारी सकल लाभ	:	सकल लाभ को विभाजित करें, कर्मचारियों की कुल संख्या से;	**Gross Profit Per Employee**	:	Gross Profit Divided by Total No. of Employees
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ	:	शुद्ध लाभ को विभाजित करें कर्मचारियों की कुल संख्या से;	**Net Profit Per Employee**	:	Net Profit Divided by Total No. of Employees
प्रति शाखा कारोबार	:	कुल जमाराशियां + कुल अग्रिम को विभाजित करें शाखाओं की संख्या से;	**Business Per Branch**	:	Total Deposits plus Total Advances divided by No. of Branches
प्रति शाखा सकल लाभ	:	सकल लाभ को विभाजित करें शाखाओं की संख्या से;	**Gross Profit Per Branch**	:	Gross Profit Divided by No. of Branches
प्रति शाखा शुद्ध लाभ	:	शुद्ध लाभ विभाजित करें शाखाओं की संख्या से;	**Net Profit Per Branch**	:	Net Profit Divided by No. of Branches
प्रति शेयर आय	:	शुद्ध लाभ को विभाजित करें इक्विटी से गुणा करें दस से (वित्तीय वर्ष 15 एवं 16 के लिए 2 से गुणा करें);	**Earning Per Share**	:	Net Profit divided by Equity Multiplied by Ten (for FY15 &16 multiplied by two)
प्रति शेयर बही मूल्य	:	शुद्ध मालियत (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित राशि व एफसीटीआर (वित्तीय वर्ष 15 एवं 16 के लिए) विभाजित करें इक्विटी से गुणा करे दस से (वित्तीय वर्ष 15 एवं 16 के लिए दो से गुणा करें;	**Book Value Per Share**	:	Net Worth {excluding Revaluation Reserves + FCTR + DTA (for FY15 &16) divided by Equity Multiplied by Ten (for FY15 &16 multiplied by two)}

*Wherever daily average are mentioned relate to March 2016.

31 मार्च, 2016 का तुलन-पत्र
Balance Sheet as on 31st March, 2016

(₹ in 000's)

		अनुसूची SCHEDULE	31 मार्च 2016 को As on 31st March 2016	31 मार्च 2015 को As on 31st March 2015
पूंजी और देयताएं	CAPITAL & LIABILITIES			
पूंजी	Capital	1	**462,09,31**	443,56,04
प्रारक्षित निधियां और अधिशेष	Reserves and Surplus	2	**39736,89,22**	39391,78,72
जमाराशियां	Deposits	3	**574037,87,22**	617559,52,33
उधार ली गई राशियां	Borrowings	4	**33471,70,02**	35264,28,04
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities and Provisions	5	**23667,91,92**	22329,39,67
जोड़	TOTAL		**671376,47,69**	714988,54,80
आस्तियां	ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष रकम	Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**21672,41,54**	22488,59,70
बैंकों के पास शेष रकम तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	**112227,93,45**	125864,55,37
निवेश	Investments	8	**120450,52,10**	116812,23,54
अग्रिम	Advances	9	**383770,18,03**	428065,13,89
अचल आस्तियां	Fixed Assets	10	**6253,77,56**	2874,84,80
अन्य आस्तियां	Other Assets	11	**27001,65,01**	18883,17,50
जोड़	TOTAL		**671376,47,69**	714988,54,80
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	12	**228977,16,33**	246384,71,81
वसूली के लिए बिल	Bills for Collection		**32343,74,34**	37608,06,25
उल्लेखनीय लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	17		
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	18		

ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां तुलन-पत्र का एक अभिन्न भाग हैं.
The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

रवि वेंकटेसन
अध्यक्ष
पी एस जयकुमार
प्रबंधक निदेशक एवं मु.का.अ.
बी बी जोशी
कार्यपालक निदेशक
मयंक के मेहता
कार्यपालक निदेशक
वी एस नारंग
महाप्रबंधक
कार्पो. लेखा व कराधान एवं सीएफओ
अशोक डंगायच
उप महाप्रबंधक
कार्पो. लेखा एवं कराधान

स्थान: मुंबई
दिनांक: 13 मई, 2016

निदेशक

मो. मुस्तफा
सुरेखा मरांडी
प्रेम कुमार मक्कड़
प्रो. बिजू वर्क्की
डॉ. आर नारायणस्वामी
भरत कुमार डांगर
उषा ए नारायणन

लेखा परीक्षक

कृते खंडेलवाल जैन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 105049W

(शैलेष एस शाह)
भागीदार
एम नं. 033632

कृते एस आर गोयल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 001537C

(अजय कुमार अटोलिया)
भागीदार
एम नं. 077201

स्थान: मुंबई
दिनांक: 13 मई, 2016

कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002263N

(अनुज गुप्ता)
भागीदार
एम नं. 076560

कृते रोडी दबीर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 108846W

(सुधीर दबीर)
भागीदार
एम नं.039984

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा

Profit & Loss Account for the year ended 31st March, 2016

(₹ in 000's)

		अनुसूची SCHEDULE	31 मार्च 2016 को Year Ended 31st March 2016	31 मार्च 2015 को Year Ended 31st March 2015
I. आय	I. INCOME			
अर्जित ब्याज	Interest Earned	13	**44061,27,74**	42963,55,70
अन्य आय	Other Income	14	**4998,86,16**	4401,99,50
जोड़	TOTAL		**49060,13,90**	47365,55,20
II. व्यय	II. EXPENDITURE			
खर्च किया गया ब्याज	Interest Expended	15	**31321,42,57**	29776,32,41
परिचालन व्यय	Operating Expenses	16	**8923,13,71**	7674,12,73
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	Provisions and Contingencies		**14211,11,35**	6516,66,53
जोड़	TOTAL		**54455,67,63**	43967,11,67
III. लाभ	III. PROFIT / LOSS			
अवधि का शुद्ध लाभ	Net Profit / (Loss) for the period		**(5395,53,73)**	3398,43,53
विनियोजन हेतु उपलब्ध राशि	Available for Appropriation		**(5395,53,73)**	3398,43,53
विनियोजन	Appropriations / Transfers			
क) सांविधिक प्रारक्षित निधि	a) Statutory Reserve		**-**	849,60,88
ख) पूंजीगत प्रारक्षित निधि	b) Capital Reserve		**-**	108,20,60
ग) राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां	c) Revenue and Other Reserves			
I) सामान्य प्रारक्षित निधि	I) General Reserve		**(5395,53,73)**	364,56,82
II) आयकर अधिनियम 1960, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधि	II) Special Reserve u/s 36 (1) (viii) of the Income Tax Act, 1960 Income Tax Act, 1961		**-**	1093,90,21
III) निवेश प्रारक्षित निधि - खाता	III) Investment Reserve Account		**-**	130,46,31
IV) गत वर्ष के अतिरिक्त नियोजन से अन्तरण.	Iv) Transfer from Excess Appropriation of previous year		**7,78,84**	
घ) प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित)	d) Proposed Dividend (including Dividend Tax)		**-**	851,68,71
जोड़	TOTAL		**(5387,74,89)**	3398,43,53
प्रति शेयर मूल एवं न्यून अर्जन (₹) (सांकेतिक मूल्य प्रति शेयर ₹ 2)	Basic & Diluted Earnings per Share (₹) (Nominal value per share ₹ 2)		**(23.89)**	15.83
उल्लेखनीय लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	17		
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	18		
ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां लाभ व हानि लेखे का अभिन्न भाग हैं.	The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.			

Ravi Venkatesan
Chairman
P S Jayakumar
Managing Director & CEO
B B Joshi
Executive Director
Mayank K Mehta
Executive Director
V S Narang
General Manager
Corp. A/Cs & Taxation and CFO
Ashok Dangaich
Dy General Manager
Corp. A/Cs & Taxation

Place: Mumbai
Date: 13th May 2016

DIRECTORS
Mohd. Mustafa
Surekha Marandi
Prem Kumar Makkar
Prof. Biju Varkkey
Dr. R Narayanaswamy
Bharat Kumar Dangar
Usha A Narayanan

AUDITORS

For Khandelwal Jain & Co
Chartered Accountants
FRN : 105049W

(Shailesh S Shah)
Partner
M No.: 033632

For S R Goyal & Co
Chartered Accountants
FRN : 001537C

(Ajay Kumar Atolia)
Partner
M No.: 077201
Place: Mumbai
Date: 13th May 2016

For Wahi & Gupta
Chartered Accountants
FRN : 002263N

(Anuj Gupta)
Partner
M No. : 076560

For Rodi Dabir & Co.
Chartered Accountants
FRN : 108846W

(Sudhir Dabir)
Partner
M No.: 039984

तुलन पत्र की अनुसूचियां
Schedules to Balance Sheet

(₹ in 000's)

			31 मार्च 2016 को As on 31st March 2016		31 मार्च 2015 को As on 31st March 2015
अनुसूची -1 पूंजी	**SCHEDULE - 1 CAPITAL**				
प्राधिकृत पूंजी	AUTHORISED CAPITAL				
प्रति ₹ 2/- के 1500,00,00,000 शेयर	1500,00,00,000 Shares of ₹ 2/- each				
(पिछले वर्ष 1500,00,00,000/- प्रति शेयर ₹ 2/- के)	(previous year 1500,00,00,000/- shares of ₹. 2/- each)		3000,00,00		3000,00,00
निर्गमित तथा अभिदत्त पूंजी	ISSUED AND SUBSCRIBED CAPITAL				
प्रति ₹ 2/- के 231,78,27,098 इक्विटी शेयर	231,78,27,098 Equity Shares of ₹ 2/- each				
(पिछले वर्ष 222,51,63,406 इक्विटी शेयर प्रति ₹ 2/- के)	(previous year 222,51,63,406 shares of ₹. 2/- each)		463,56,54		445,03,27
मांगी गई पूंजी एवं प्रदत्त पूंजी	CALLED-UP & PAID-UP CAPITAL				
प्रति ₹ 2/- के 2230,41,59,598 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 221,14,95,906 शेयर) जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा धारित कुल ₹ 272.99 करोड़ राशि के 136,49,40,578 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 127,22,76,886 शेयर) शामिल हैं.	230,41,59,598 (previous year 221,14,95,906) Equity Shares of ₹ 2 each including 136,49,40,578 Equity Shares (previous year 127,22,76,886 Shares) amounting to ₹ 272.99 crores held by Central Government				
			460,83,19		442,29,92
जोड़ें : जब्त किए गए शेयर	Add : Forfeited Shares		1,26,12		1,26,12
जोड़	TOTAL		462,09,31		443,56,04
अनुसूची-2 प्रारक्षित निधियां और अधिशेष	**SCHEDULE - 2 RESERVES & SURPLUS**				
I सांविधिक प्रारक्षित निधियां	I Statutory Reserves				
प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	8968,97,29		8119,36,41	
अवधि के दौरान परिवर्धन	Additions during the period	-	8968,97,29	849,60,88	8968,97,29
II प्रारक्षित पूंजी	II Capital Reserves				
(₹ 4126.21 करोड़ की पुनर्मूल्यांकित प्रारक्षित निधि सहित (पिछले वर्ष ₹ 987.30 करोड़)	(including Revaluation Reserve of ₹ 4126.21 crores (previous years ₹ 987.30 crores)				
प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	1986,86,27		1943,96,87	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the period	3241,31,50		108,20,60	
अवधि के दौरान समायोजन	Adjustments during the period	(96,79)		(637,18)	
		5227,20,98		2045,80,29	
कटौतियां:	Deductions:				

(₹ in 000's)

			31 मार्च 2016 को As on 31st March 2016		31 मार्च 2015 को As on 31st March 2015
लाभ-हानि खाते में अंतरित पूनर्मूल्यांकित अचल आस्तियों पर मूल्य ह्रास	Depreciation on revalued fixed assets transferred to Profit & Loss account	(101,43,66)	5125,77,32	(58,94,02)	1986,86,27
III शेयर प्रीमियम	III Share Premium				
प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	8961,54,21		7714,42,62	
अवधि के दौरान परिवर्धन	Additions during the period	1767,46,72	10729,00,93	1247,11,59	8961,54,21
IV राजस्व और अन्य प्रारक्षित / निधियां	IV Revenue and other Reserves				
क) सांविधिक प्रारक्षित निधियां (विदेशी)	a) Statutory Reserve (Foreign)				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	106,39,92		106,39,92	
अवधि के दौरान समायोजन	Adjustments during the period	-		-	
		106,39,92		106,39,92	
ख) आयकर अधिनियम 1960 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधियां	b) Special Reserve u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961				
प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	4415,20,52		3321,30,31	
अवधि के दौरान परिवर्धन	Additions during the period	-		1093,90,21	
		4415,20,52		4415,20,52	
ग. विदेशी मुद्रा रुपान्तरित प्रारक्षित निधियां	c) Foreign Currency Translation Reserve				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	1952,80,04		1835,91,88	
अवधि के दौरान समायोजन	Adjustments during the period	285,74,97		116,88,16	
		2238,55,01		1952,80,04	
घ. निवेश प्रारक्षित लेखा	d) Investment Reserve Account				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	130,46,31		-	
अवधि के दौरान परिवर्धन	Additions during the period	-		130,46,31	
लाभ/हानि समायोजन खाते को अंतरित	Transferred to P&L Appropriation A/c				
		130,46,31		130,46,31	
च. अन्य प्रारक्षित निधियां	e) Other Reserves				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	12869,54,16		12513,61,87	
अवधि के दौरान परिवर्धन/ (कटौती)	Additions / (Deductions) during the period	(5395,53,73)		364,56,82	
अवधि के दौरान समायोजन	Adjustments during the period	548,51,49		(8,64,53)	
		8022,51,92		12869,54,16	
जोड़ - IV (क, ख, ग और घ)	TOTAL - IV (a, b, c, & d)		14913,13,68		19474,40,95
जोड़ (I से IV)	TOTAL (I toIV)		39736,89,22		39391,78,72

(₹ in 000's)

		31 मार्च 2016 को As on 31st March 2016		31 मार्च 2015 को As on 31st March 2015	
अनुसूची-3 जमाराशियां	**SCHEDULE - 3 DEPOSITS**				
क. I मांग-जमाराशियां	A. I Demand Deposits				
i) बैंकों से	i) From Banks	1374,23,13		2231,02,48	
ii) अन्य से	ii) From Others	33254,83,04	34629,06,17	50565,62,52	52796,65,00
II बचत बैंक जमाराशियां	II Savings Bank Deposits		116705,40,95		110172,20,36
III मीयादी जमाराशियां	III Term Deposits				
i) बैंकों से	i) From Banks	82455,97,87		110682,90,27	
ii) अन्य से	ii) From Others	340247,42,23	422703,40,10	343907,76,70	454590,66,97
जोड़ (I से III)	TOTAL (I to III)		574037,87,22		617559,52,33
ख. I भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां	B. I Deposits of branches in India	394843,96,82		414277,84,71	
II भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां	II Deposits of branches outside India	179193,90,40		203281,67,62	
जोड़ (I और II)	TOTAL (I & II)	574037,87,22		617559,52,33	
अनुसूची - 4 उधार ली गयी राशियां	**SCHEDULE - 4 BORROWINGS**				
I. भारत में उधार ली गयी राशियां	I Borrowings in India				
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	i) Reserve Bank of India	-		-	
ii) अन्य बैंक	ii) Other Banks	387,98,49		2426,44,20	
iii) अन्य संस्थान एवं एजेंसियां	iii) Other Institutions and Agencies	193,22,47		1,12,75	
iv) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई)	iv) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	1911,70,00		1911,70,00	
v) बांडों के रुप में जारी हाय ब्रिड ऋण पूंजी लिखत	v) Hybrid Debt Capital Instruments issued as bonds	5230,00,00		5000,00,00	
vi) गौण बांड	vi) Subordinated Bonds	4190,00,00		5190,00,00	
जोड़ (I to VI)	TOTAL (I to VI)		11912,90,96		14529,26,95
II. भारत के बाहर उधार ली गयीं राशियां (300 मिलियन यूएस डॉलर अर्थात ₹ 1987.65 करोड़ के एमटीएन बांड सहित) (पिछले वर्ष 300 मिलियन यूएस डॉलर अर्थात ₹ 1875 करोड़)	II Borrowings outside India (includes MTN Bonds of USD 300 mn, INR equivalent of ₹ 1987.65 crores (previous year USD 300mn ₹ 1875 crores))		21558,79,06		20735,01,09
जोड़-उधार ली गई राशियां (I एवं II)	Total - Borrowings (I & II)		33471,70,02		35264,28,04
उपरोक्त में शामिल जमानती उधार राशियां	Secured Borrowings included in above		1595,38,45		2684,83,75

(₹ in 000's)

		31 मार्च 2016 को As on 31st March 2016	31 मार्च 2015 को As on 31st March 2015
अनुसूची - 5 अन्य देयताएं और प्रावधान :	**SCHEDULE - 5 OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS**		
I देय बिल	I Bills Payable	1675,58,78	2133,88,12
II अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	II Inter Office Adjustments (Net)	393,84,59	755,40,70
III उपचित ब्याज	III Interest Accrued	3927,99,71	4644,52,46
IV मानक अग्रिमों की एवज में आकस्मिक प्रावधान	IV Contingent Provision against Standard Advances	2751,23,49	2963,73,86
V अन्य (प्रावधानों सहित)	V Others (including provisions)	14919,25,35	11831,84,53
जोड़ (I से V)	TOTAL (I to V)	23667,91,92	22329,39,67

		31 मार्च 2016 को As on 31st March 2016	31 मार्च 2015 को As on 31st March 2015
अनुसूची - 6 नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष	**SCHEDULE - 6 CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA**		
I हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	I Cash in hand (including foreign currency notes)	3756,44,51	3263,82,94
II भारतीय रिज़र्व बैंक के पास चालू खाते में शेष राशि	II Balances with Reserve Bank of India in Current Account	17915,97,03	19224,76,76
जोड़ (I और II)	TOTAL (I & II)	21672,41,54	22488,59,70

		31 मार्च 2016 को As on 31st March 2016		31 मार्च 2015 को As on 31st March 2015	
अनुसूची -7 बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	**SCHEDULE - 7 BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE**				
I भारत में	I In India				
i) बैंकों के पास शेष राशि	i) Balances with Banks				
क) चालू खातों में	a) in Current Accounts	2149,68,02		602,53,79	
ख) अन्य जमा खातों में	b) in Other Deposit Accounts	1910,52,18	4060,20,20	3465,08,79	4067,62,58
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	ii) Money at call and short notice with				
क) बैंकों के पास	a) Banks	600,00,00		-	
ख) अन्य संस्थानों के पास	b) Other institutions	-	600,00,00	-	-
जोड़ (i और ii)	TOTAL (i and ii)		4660,20,20		4067,62,58
II भारत से बाहर	II Outside India				
i) चालू खातों में	i) in Current Accounts	13388,57,06		33159,60,60	
ii) अन्य जमा खातों में	ii) in Other Deposit Accounts	59387,13,14		62392,07,73	
iii) बैंकों के पास मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	iii) Money at Call and Short Notice with Banks	34792,03,05		26245,24,46	
जोड़ (i, ii और iii)	TOTAL (i, ii and iii)		107567,73,25		121796,92,79
कुल जोड़ (I और II)	TOTAL (I and II)		112227,93,45		125864,55,37

(₹ in 000's)

		31 मार्च 2016 को As on 31st March 2016		31 मार्च 2015 को As on 31st March 2015	
अनुसूची-8 निवेश	SCHEDULE - 8 INVESTMENTS				
I भारत में निवेश (सकल)	I Investments in India (Gross)	111693,35,83		110138,87,49	
घटायें : मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	Less: Provision for Depreciation	808,18,79		519,22,59	
भारत में शुद्ध निवेश	Net Investments in India		110885,17,04		109619,64,90
अलग-अलग विवरण	B R E A K - U P				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	i) Government Securities	100428,36,43		96897,64,08	
(क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया में लॉज किए गए ₹ 626.70 करोड़ के अंकित मूल्य (पिछले वर्ष ₹ 667.82 करोड़) के ₹ 657.00 करोड़ सहित (पिछले वर्ष ₹ 650.00 करोड़) शामिल है	[Includes ₹ 626.70 crores (Previous year ₹ 667.82 crores) face value of ₹ 657.00 crores (Previous year ₹ 650.00 crores) lodged with Clg. Corp. of India]				
[एमसीएक्स के साथ लॉज किए गए ₹ 1.90 करोड़ के अंकित मूल्य (पिछले वर्ष ₹ 20.59 करोड़) के ₹ 2.00 करोड़ सहित (पिछले वर्ष ₹ 20.00 करोड़)]	[Includes ₹ 1.90 crores (Previous year ₹ 20.59 crores) face value of ₹ 2.00 crores (Previous year ₹ 20.00 crores) lodged with MCX]				
[एनएसई के पास लॉज किए गए ₹ 9.50 करोड़ अंकित मूल्य (पिछले वर्ष ₹ 102.97करोड़) के ₹ 10.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 100.00 करोड़)] शामिल है	[Includes ₹ 9.50 crores (Previous year ₹ 102.97 crores) face value of ₹ 10.00 crores (Previous year ₹ 100.00 crores) lodged with NSE]				
[बीएसई के पास लॉज किए गए ₹ 0.95 करोड़ अंकित मूल्य (पिछले वर्ष ₹ 102.97करोड़) के ₹ 1.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 100.00 करोड़)] शामिल है	[Includes ₹ 0.95 crores (Previous year ₹ 102.97 crores) face value of ₹ 1.00 crores (Previous year ₹ 100.00 crores) lodged with BSE]				
[यूएसई में जमा ₹ 0.00 करोड़ अंकित मूल्य (पिछले वर्ष ₹ 0.30 करोड़) के ₹ 0.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.30 करोड़)] शामिल है	[Includes ₹ 0.00 crores (Previous year ₹ 0.30 Crs) face value of ₹ 0.00 crores (Previous year ₹ 0.30 crs) lodged with USE]				
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other Approved Securities	1,28,00		1,28,00	
iii) शेयर	iii) Shares	1259,89,15		1286,36,09	

(₹ in 000's)

		31 मार्च 2016 को As on 31st March 2016		31 मार्च 2015 को As on 31st March 2015	
iv) डिबेंचर और बांड	iv) Debentures and Bonds	2558,59,53		3312,41,82	
v) अनुषंगी इकाइयां और / या संयुक्त उद्यम [इसमें बैंक का, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अग्रिम के रूप में शेयर पूंजी अंशदान पेंडिंग अलाटमैंट ₹ 159.91 करोड़) (पिछले वर्ष ₹ 159.91 करोड़) शामिल हैं.]	v) Subsidiaries and/ or Joint Ventures [includes Bank's share of contribution as advance of ₹ 159.91 crores (Previous year ₹ 159.91 crores) towards Share Capital of RRBs pending allotment]	901,11,37		839,76,75	
vi) अन्य निवेश (वाणिज्यिक पत्रों, यूटीआई व अन्य म्यूचुअल फंड़ की यूनिटें, पास-थ्रू प्रमाण पत्र आदि)	vi) Other Investments (Commercial Papers, Units of UTI & Other Mutual Funds, Pass Through Certificates etc.)	5735,92,56		7282,18,16	
		110885,17,04		109619,64,90	
II भारत के बाहर निवेश (सकल)	II Investments Outside India (Gross)	9892,22,39		7500,71,81	
घटायें : मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	Less: Provision for Depreciation	326,87,33		308,13,17	
भारत के बाहर शुद्ध निवेश	Net Investments Outside India		9565,35,06		7192,58,64
अलग-अलग विवरण	BREAK-UP				
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i) Government Securities (Including Local Authorities)	3223,43,08		1968,36,82	
ii) विदेशों में अनुषंगियां तथा / अथवा संयुक्त उद्यम	ii) Subsidiaries and/or joint ventures abroad	800,10,78		800,10,78	
iii) अन्य निवेश (डिबेंचर्स, बॉण्ड्स आदि)	iii) Other Investments (Debentures, Bonds etc.)	5541,81,20		4424,11,04	
		9565,35,06		7192,58,64	
जोड़ (I और II)	TOTAL (I and II)		120450,52,10		116812,23,54

(₹ in 000's)

		31 मार्च 2016 को As on 31st March 2016		31 मार्च 2015 को As on 31st March 2015	
अनुसूची-9 अग्रिम	**SCHEDULE - 9 ADVANCES**				
क. i) खरीदे और भुनाए गए बिल	A. i) Bills Purchased and Discounted	49979,88,52		57552,43,08	
ii) नकद ऋण, ओवर ड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans Repayable on Demand	167987,44,83		196077,87,97	
iii) मीयादी ऋण	iii) Term Loans	165802,84,68		174434,82,84	
जोड़ क (i से iii)	TOTAL A (i to iii)		383770,18,03		428065,13,89
ख. i) मूर्त आस्तियों से प्रतिभूतित (बही-ऋण की एवज में अग्रिमों सहित)	B. i) Secured by Tangible Assets (includes advances against Book Debts)	270152,65,07		291289,89,75	
ii) बैंक/सरकारी गारंटी से रक्षित	ii) Covered by Bank/ Government Guarantees	68401,47,15		83121,08,65	
iii) गैर-जमानती	iii) Unsecured	45216,05,81		53654,15,49	
जोड़ ख (i से iii)	TOTAL B (i to iii)		383770,18,03		428065,13,89
ग. I भारत में अग्रिम	C. I Advances in India				
i प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i Priority Sector	92178,01,69		95509,78,51	
ii सार्वजनिक क्षेत्र	ii Public Sector	16324,94,94		22481,26,41	
iii बैंक	iii Banks	5738,67,21		3387,53,63	
iv अन्य	iv Others	149026,74,48	263268,38,32	170491,63,45	291870,22,00
II भारत से बाहर अग्रिम	II Advances Outside India				
i बैंकों से प्राप्य	i Due from Banks	63346,54,91		71206,62,67	
ii अन्य से प्राप्य	ii Due from Others				
a) खरीदे और भुनाए गए बिल	a) Bills Purchased & Discounted	2823,71,96		5846,85,52	
b) सिंडीकेट ऋण	b) Syndicated Loans	20554,50,59		23598,22,06	
c) अन्य	c) Others	33777,02,25	120501,79,71	35543,21,64	136194,91,89
जोड़ ग (I और II)	TOTAL C (I & II)		383770,18,03		428065,13,89

(₹ in 000's)

		31 मार्च 2016 को As on 31st March 2016		31 मार्च 2015 को As on 31st March 2015	
अनुसूची-10 अचल आस्तियां	**SCHEDULE - 10 FIXED ASSETS**				
I परिसर	I Premises				
पिछले वर्ष के 31 मार्च की लागत पर	At cost as on 31st March of the preceding year	2887,52,35		2804,67,02	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Additions/adjustments during the year	3341,87,25		89,66,63	
(पुनर्मूल्यांकित राशि सहित)	(Includes revalued amount)	6229,39,60		2894,33,65	
वर्ष के दौरान कटौतियां/समायोजन	Deductions/adjustments during the year	-		6,81,30	
		6229,39,60		2887,52,35	
घटाएं - आज की तारीख तक मूल्यह्रास/परिशोधन	Less:- Depreciation/ Amortisation to date	1231,91,14	4997,48,46	1081,96,77	1805,55,58
II अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्सचर को मिलाकर)	II Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)				
पिछले वर्ष के 31 मार्च की लागत पर	At cost as on 31st March of the preceding year	3653,96,35		3253,40,25	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Additions/adjustments during the year	674,99,56		518,09,08	
		4328,95,91		3771,49,33	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां/समायोजन	Less:- Deductions/ adjustments during the year	63,58,73		117,52,98	
		4265,37,18		3653,96,35	
घटाएं : आज की तारीख तक मूल्यह्रास	Less:- Depreciation to date	3009,08,08	1256,29,10	2584,67,13	1069,29,22
जोड़ (I से II)	TOTAL (I to II)		6253,77,56		2874,84,80
अनुसूची -11 अन्य आस्तियां	**SCHEDULE - 11 OTHER ASSETS**				
I उपचित ब्याज	I Interest Accrued		5346,70,34		4282,79,68
II अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर कर कटौती (प्रावधानों का निवल)	II Tax paid in advance/tax deducted at source (net of provisions)		5360,76,75		5555,52,60
III लेखन सामग्री और स्टाम्प	III Stationery & Stamps		9,90,42		7,79,39
III अन्य	III Others		16284,27,50		9037,05,83
जोड़ (I से V)	TOTAL (I to IV)		27001,65,01		18883,17,50

(₹ in 000's)

		31 मार्च 2016 को As on 31st March 2016		31 मार्च 2015 को As on 31st March 2015	
अनुसूची -12 आकस्मिक देयताएं	**SCHEDULE - 12 CONTINGENT LIABILITIES**				
I बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें देनदारी नहीं माना गया	I Claims against the Bank not acknowledged as Debts		371,95,10		83,96,41
II आंशिक चुकता निवेशों के लिये देयता	II Liability for partly paid Investments		28,00		28,00
III बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	III Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts		142320,13,27		150655,98,80
IV संघटकों की ओर से दी गयी गारंटियां :	IV Guarantees given on behalf of Constituents :				
क) भारत में	a) In India	21006,79,67		17522,30,24	
ख) भारत से बाहर	b) Outside India	11530,68,05	32537,47,72	13323,99,51	30846,29,75
V स्वीकृतियां, परांकन एवं अन्य दायित्व	V Acceptances, Endorsements and Other Obligations		16679,37,90		20007,54,52
VI अन्य मदें, जिनके लिए बैंक की आकस्मिक देयता हैं,	VI Other items for which the Bank is Contingently liable		37067,94,34		44790,64,33
जोड़ (I से VI)	TOTAL (I to VI)		228977,16,33		246384,71,81

(₹ in 000's)

					31 मार्च 2016 को Year Ended 31st March 2016		31 मार्च 2015 को Year Ended 31st March 2015
अनुसूची-13 अर्जित ब्याज			**SCHEDULE - 13 INTEREST EARNED**				
I	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा	I	Interest / Discount on Advances / Bills		29796,23,23		30802,68,00
II	निवेशों पर आय	II	Income on Investments		10673,22,27		9430,99,35
III	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष रकम और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	III	Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds		1305,92,32		1549,79,45
IV	अन्य	IV	Others		2285,89,92		1180,08,90
	जोड़ (I से IV)		TOTAL (I to IV)		44061,27,74		42963,55,70

अनुसूची -14 अन्य आय			**SCHEDULE - 14 OTHER INCOME**				
I	कमीशन, विनिमय और दलाली	I	Commission, Exchange and Brokerage		1501,48,55		1482,04,36
II	निवेशों के विक्रय पर लाभ	II	Profit on sale of Investments	1202,78,80		1234,36,25	
	घटाएं : निवेशों की बिक्री पर हानि		Less: Loss on sale of Investments	23,92,85	1178,85,95	227,34,28	1007,01,97
III	भूमि, इमारतों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ	III	Profit on sale of Land, Buildings and Other Assets	4,38,69		2,97,79	
	घटाएं : भूमि, इमारतों और अन्य आस्तियों की बिक्री पर हानि		Less: Loss on sale of Land, Buildings and Other Assets	2,22,78	215,91	3,01,85	(4,06)
IV	विनिमय लेन-देन पर लाभ	IV	Profit on Exchange Transactions	1256,28,49		1021,30,12	
	घटाएं : विनिमय लेन-देन पर हानि		Less: Loss on Exchange Transactions	3,97,32	1252,31,17	15,36,64	1005,93,48
V	विदेशों/भारत में अनुषंगी इकाइयों कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय	V	Income Earned by way of Dividends etc. from Subsidiaries/Companies and/or Joint Ventures abroad/ in India		45,56,38		36,97,70
VI	विविध आय	VI	Miscellaneous Income		1018,48,20		870,06,05
	जोड़ (I से VI)		TOTAL (I to VI)		4998,86,16		4401,99,50

(₹ in 000's)

						31 मार्च 2016 को Year Ended 31st March 2016		31 मार्च 2015 को Year Ended 31st March 2015
अनुसूची-15 खर्च किया गया ब्याज			**SCHEDULE - 15 INTEREST EXPENDED**					
I	जमाराशियों पर ब्याज	I	Interest on Deposits			29200,11,00		27605,55,82
II	भारतीय रिज़र्व बैंक/ अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	II	Interest on Reserve Bank of India / Inter Bank Borrowings			345,02,56		394,13,16
III	अन्य	III	Others			1776,29,01		1776,63,43
	जोड़ (I से III)		TOTAL (I to III)			31321,42,57		29776,32,41

अनुसूची-16 परिचालन व्यय			**SCHEDULE - 16 OPERATING EXPENSES**				
I	कर्मचारियों को भुगतान और तत्संबंधी प्रावधान	I	Payments to and Provisions for Employees		4978,02,55		4261,34,65
II	किराया, कर और बिजली	II	Rent, Taxes and Lighting		862,02,31		695,74,24
III	छपाई और लेखन सामग्री	III	Printing and Stationery		81,91,65		78,82,28
IV	विज्ञापन एवं प्रचार	IV	Advertisement and Publicity		75,94,90		71,81,61
V	बैंक की सम्पत्ति पर मूल्यह्रास	V	Depreciation on Bank's Property	602,76,38		399,33,51	
	घटायें : अचल सम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के कारण प्रारक्षित पूंजी से समायोजित मूल्यह्रास		Less Depreciation adjusted from capital reserve on account of revaluation of immovable properties	101,43,66	501,32,72	58,94,02	340,39,49
VI	निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्च	VI	Directors' Fees, Allowances and Expenses		69,18		85,88
VII	लेखा परीक्षकों की फीस और खर्चे (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस एवं खर्चे सहित)	VII	Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors' Fees and Expenses)		57,69,92		51,84,39
VIII	विधि प्रभार	VIII	Law Charges		54,61,24		45,65,48
IX	डाक, तार और टेलीफोन आदि	IX	Postages, Telegrams, Telephones etc.		154,32,23		148,79,13
X	मरम्मत और रखरखाव	X	Repairs and Maintenance		539,77,94		471,30,70
XI	बीमा	XI	Insurance		490,08,58		451,04,44
XII	अन्य खर्चे	XII	Other Expenditure		1126,70,49		1056,50,44
	जोड़ (I से XII)		TOTAL (I to XII)		8923,13,71		7674,12,73

अनुसूची 17 - 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां
Schedule 17 - Significant Accounting Policies for the year ended March 31, 2016

1. तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण-पत्र, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो, परम्परागत लागत आधार पर तैयार किए गए हैं. ये भारत में सामान्यतया मान्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी)के अनुसार हैं जिनमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक/मार्गदर्शी नोट्स तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित कार्यप्रणाली समाविष्ट है. विदेशी कार्यालयों के संदर्भ में संबंधित देशों के प्रचलित सांविधिक प्रावधानों और कार्यप्रणालियों का अनुपालन किया गया है.

2. आकलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में वित्तीय विवरणों की तारीख को रिपोर्ट की गई आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्ट की गई अवधि की आय एवं व्यय संबंधी राशि को रिपोर्ट करने हेतु प्रबंधन को कतिपय अनुमानों और आकलनों की मदद लेनी पड़ती है. प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिए प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और उचित हैं. भावी परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं. लेखा अनुमानों में कोई भी परिवर्तन/संशोधन वर्तमान एवं भावी अवधि से मान्य होगा जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो.

3. निवेश

3.1 वर्गीकरण

बैंक के संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप निम्नानुसार किया गया है, जिसमें:

(क) ''परिपक्वता तक धारित'' (एचटीएम) में वे निवेश शामिल हैं जिन्हें परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है.

(ख) ''व्यापार हेतु धारित'' (एचएफटी) में वे निवेश शामिल हैं, जिन्हें व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है.

(ग) ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' (एएफसी) में वे निवेश शामिल हैं, जो उपरोक्त (क) तथा (ख) में शामिल नहीं हैं, अर्थात जो न तो व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं और न ही परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं.

3.2 अधिग्रहण लागत

निवेशों की अधिग्रहण लागत में प्रोत्साहनों, प्रारंभिक शुल्क एवं कमीशन राशि घटाकर है.

3.3 मूल्यांकन का आधार

''परिपक्वता तक धारित'' के रूप में वर्गीकृत निवेशों को भारित औसत अधिग्रहण लागत पर लिया गया है, बशर्ते वह अंकित मूल्य से अधिक हो, इस स्थिति में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक परिशोधित किया गया है.

''परिपक्वता तक धारित'' के रूप में वर्गीकृत निवेशों में डिबेंचर/बांड, जिन्हें स्वरूप/प्रकृति की दृष्टि से अग्रिम माना जाता है, शामिल हैं (जिनके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के आस्ति वर्गीकरण संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड तथा अग्रिमों पर लागू प्रावधान के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं).

1 BASIS OF PREPARATION

The financial statements have been prepared under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises statutory provisions, regulatory/ Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards/ guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

2 USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilites (including contingent liabilites) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognised prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

3 INVESTMENTS

3.1 Classification

The Investment portfolio of the Bank is classified, in accordance with the Reserve Bank of India guidelines, into:

a. “Held to Maturity” (HTM) comprising Investments acquired with the intention to hold them till maturity.

b. “Held for Trading” (HFT) comprising Investments acquired with the intention to trade.

c. “Available for Sale” (AFS) comprising Investments not covered by (a) and (b) above i.e. those which are acquired neither for trading purposes nor for being held till maturity.

3.2 Acquisition Cost

Cost of acquisition of Investments is net of incentives, front-end fees and commission.

3.3 Basis of Valuation

Investments classified as HTM are carried at weighted average acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity.

Investments classified as HTM includes debentures / bonds, which are deemed to be in the nature of / treated as advances (for which provision is made by applying the RBI prudential norms of assets classification and provisioning applicable to Advances).

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, ट्रेज़री बिलों, कमर्शियल पेपर्स और जमा प्रमाण-पत्रों पर किए गए निवेश शामिल हैं और जिनके मूल्य का निर्धारण रखाव लागत पर किया गया है.

संयुक्त उद्यमों तथा अनुषंगियों में (भारत तथा विदेश दोनों में), अस्थायी प्रकार के निवेशों को छोड़कर निवेशों का मूल्यांकन, ह्रास मूल्य को घटाकर अधिग्रहण लागत पर किया जाता है.

वीसीएफ इकाइयों में दिनांक 23.08.2006 के बाद किए गए बैंक निवेशों को प्रारंभिक तीन वर्ष की अवधि के लिए 'परिपक्वता तक धारित' संवर्ग में वर्गीकृत किया जाता है और लागत पर मूल्यांकित किया जाता है. संवितरण के तीन वर्ष पश्चात इसे 'बिक्री के लिए उपलब्ध' और मार्क्ड-टू-मार्केट में अंतरित किया जाएगा.

''व्यापार के लिए धारित'' एवं ''बिक्री के लिए उपलब्ध'' के रूप में वर्गीकृत निवेश, स्क्रिपवार बाजार के रूप में चिन्हित किये जाते हैं और तुलन पत्र में घोषित परिणामी शुद्ध मूल्यह्रास यदि कोई हो, को ''लाभ हानि खाते'' के हिसाब में लिया जाता है, जबकि यदि कोई मूल्य वृद्धि हो तो उसे छोड़ दिया जाता है. तथापि लिखतों पर रुपांतरण रुप में अधिग्रहित मुल्यह्रास चाहे वह मानक के रुप में या एनपीए के रुप में वर्गीकृत किया गया हो, उस एएफएस श्रेणी के अंतर्गत धारित किसी अन्य प्रतिभूति में मूल्यह्रास के पेटे ऑफसेट नहीं किया जाता है.

प्राथमिक डीलर के रूप में बैंक द्वारा व्यापार के लिए धारित संवर्ग के अन्तर्गत ट्रेजरी बिलों में निवेश का मूल्यांकन मूल्यों के अनुसार रखाव लागत पर किया जाता है.

''व्यापार के लिए धारित'' तथा ''बिक्री के लिए उपलब्ध'' श्रेणी के निवेशों के मूल्यांकन के लिए, बाज़ार स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत दरें, प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (पीडीएआई)/फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एंड डेरिवेंटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडीए)/फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (एफईडीएआई) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया गया है.

जिन निवेशों के लिए ऐसी दरें/उद्धृत दरें उपलब्ध नहीं हैं, उनका मूल्यन भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया गया है, जो निम्नानुसार हैं :

क)	सरकारी/अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	''परिपक्वता प्रतिफल'' के आधार पर
ख)	इक्विटी शेयर, पीएसयू और ट्रस्टी शेयर	-	अद्यतन तुलन-पत्र (12 माह से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार ब्रेक अप मूल्य पर अन्यथा ₹ 1/- प्रति कंपनी.
ग)	अधिमानी शेयर	-	समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप के साथ परिपक्वता के प्रतिफल के आधार पर
घ)	पीएसयू बांड	-	समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप के साथ परिपक्वता के प्रतिफल के आधार पर.
ड.)	म्यूचुअल फंड की यूनिटें		फंड द्वारा प्रत्येक स्कीम के संबंध में घोषित अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य/एन.ए.वी. पर
च)	उद्यम पूंजी		लेखापरीक्षित तुलनपत्र, जो कि 18 माह से ज्यादा पुरानी न हो, के अनुसार घोषित एनएवी या अलग-अलग एनएवी. यदि, लगातार 18 माह से अधिक के एनएवी या लेखापरीक्षित वित्तीय आंकडे उपलब्ध न हो तो प्रति वीसीएफ ₹ 1/-.
छ)	प्रतिभूति प्राप्तियां		भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी के दिशा निर्देशों के अनुरुप आस्ति पुननिर्माण कम्पनी द्वारा घोषित शुद्ध आस्ति मूल्य

Investments in Regional Rural Banks, Treasury Bills, Commercial Papers and Certificates of Deposit, have been valued at carrying cost.

Investments in subsidiaries and joint ventures (both in India and abroad) are valued at acquisition cost less diminution, other than temporary in nature.

Bank's investments in units of VCFs made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and are valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.

Investments classified as HFT and AFS are marked to market scrip-wise and the resultant net depreciation if any, in each category disclosed in the Balance Sheet, is recognized in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, is ignored. However, Depreciation on the Instruments acquired by way of conversion, whether classified as Standard or NPA, is not offset against the appreciation in any other securities held under the AFS category.

Investments made by the Bank as Primary Dealer in Treasury Bills under HFT category have been valued at carrying cost.

For the purpose of valuation of quoted investments in "Held for Trading" and "Available for Sale" categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) / Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA) / Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) are used.

Investments for which such rates / quotes are not available are valued as per norms laid down by RBI, which are as under:

a	Government/ Approved securities	-	on Yield to Maturity basis.
b	Equity Shares, PSU and Trustee shares	-	at break-up value as per the latest Balance Sheet (not more than 12 months old), otherwise Re. 1 per company.
c	Preference Shares	-	on Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up.
d	PSU Bonds	-	on Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up.
e	Units of Mutual Funds	-	at the latest repurchase price / NAV declared by the Fund in respect of each scheme.
f	Venture Capital	-	Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re. 1/- per VCF
g.	Security Receipts		Declared NAV by the Asset Reconstruction Company as per RBI / SEBI guidelines

3.4 निवेशों का निस्तारण

''परिपक्वता तक धारित'' के रूप में वर्गीकृत किए गए निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ/हानि को, निवेश से संबंधित भारित औसत लागत/बही मूल्य के आधार पर लाभ/हानि लेखे में लिया जाता है. तथा ''परिपक्वता तक धारित'' वर्गीकरण में निवेश की बिक्री पर समतुल्य लाभ के समान राशि पूंजीगत प्रारक्षित खाते में समायोजित की गई है.

'बिक्री के लिए उपलब्ध' और व्यापार के लिए धारित निवेशों की बिक्री से होने वाले लाभ/हानि को लाभ हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

3.5 निपटान तारीख आधार पर किए गए निवेशों के लिए बैंक एकरूप लेखांकन पद्धति अपनाता है.

3.6 विदेशी शाखाओं के संबंध में, भारतीय रिज़र्व बैंक के अथवा उस देश के दिशा-निर्देशों, जो भी ज्यादा सख्त हों, का पालन किया गया है. विदेशों में स्थित उन शाखाओं के मामले में जहां पर दिशा-निर्देश विनिर्दिष्ट नहीं हैं, वहां भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है.

3.7 इन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों के अंतरण की गणना, अंतरण की तारीख को उसकी अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाज़ार मूल्य में से जो भी कम हो, पर की जाती है और ऐसे अंतरण के फलस्वरूप कोई मूल्यह्रास, यदि होता है, के लिए प्रावधान किया जाता है.

3.8 गैर-निष्पादित प्रतिभूतियों के संबंध में आय को मान्यता नहीं दी गई है और इन प्रतिभूतियों के मूल्य में मूल्यह्रास के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार उपयुक्त प्रावधान किया गया है.

3.9 रेपो / रिवर्स रेपो

बैंक ने पुनः खरीद तथा प्रत्यावर्तित पुनः खरीद लेनदेनों को लेखांकित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बताई गई एक समान लेखा प्रणाली को अपनाया है. (भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत हुए लेनदेनों को छोड़कर). पुनः खरीद एवं प्रत्यावर्तित पुनः खरीद संव्यवहारों को संपार्श्विक उधार/उधार कार्य के अंतर्गत माना जाता है जिसमें सहमत शर्तों पर पुनःखरीद का करार किया जाता है. पुनः खरीद के अन्तर्गत बिक्री की प्रतिभूतियों को निवेश के अन्तर्गत दर्शाया जाता है और प्रत्यावर्तित पुनः खरीद प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाता. लागत एवं राजस्व को ऋण ब्याज व्यय/आय को यथास्थिति लेखाकृत किया जाता है.

भारतीय रिजर्व बैंक के पास चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियां, निवेश खाते में नामे/जमा की जाती हैं और संव्यवहार की परिपक्वता पर प्रत्यावर्तित की जाती हैं. उस पर खर्च किये ब्याज / अर्जित आय को व्यय/राजस्व के रूप में हिसाब में लिया जाता है.

3.10 डेरिवेटिव्स

बैंक वर्तमान में ब्याज दरों तथा मुद्रा डेरिवेटिव्स में डील करता है. बैंक द्वारा व्यवहारित ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज-दर स्वैप तथा फारवर्ड रेट एग्रीमेंट्स शामिल हैं. बैंक द्वारा व्यवहार में लाये जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स में ऑप्शन तथा मुद्रा स्वैप्स हैं.

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के आधार पर, डेरिवेटिव्स का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है :

व्यवस्था बचाव/गैर व्यवस्था बचाव (मार्केट मैकिंग) संव्यवहार अलग-अलग रिकार्ड किये जाते हैं. व्यवस्था बचाव डेरिवेटिव्स उपचय आधार पर लेखांकित किये जाते हैं. ट्रेडिंग डेरिवेटिव पोजिशन्स मार्क्ड-टू-मार्केट (एमटीएम) हैं तथा

3.4 Disposal of Investments

Profit/ loss on sale of Investments classified as HTM is recognized in the Profit and Loss Account based on the weighted average cost / book value of the related Investments and an amount equivalent of profit on sale of Investments in HTM classification is appropriated to Capital Reserve Account.

Profit/ loss on sale of Investment in AFS/ HFT category is recognized in Profit and Loss Account.

3.5 The Bank is following uniform methodology of accounting for investments on settlement date basis.

3.6 In respect of investments at overseas branches, RBI guidelines or those of the host countries, whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of the RBI are followed.

3.7 The transfer of a security between these categories is accounted for at the acquisition cost / book value / market value on the date of transfer, whichever is the least, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

3.8 In respect of non-performing securities, income is not recognised, and provision is made for depreciation in the value of such securities as per RBI guidelines.

3.9 REPO / Reverse REPO

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of market Repo and Reverse Repo transactions [other than the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI]. Repo and Reverse Repo Transactions are treated as Collateralised Borrowing / Lending Operations with an agreement to Repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investments. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

Securities purchased / sold under LAF with RBI are debited / credited to investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expended / earned thereon is accounted for as expenditure / revenue.

3.10 Derivatives

The Bank presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps and forward rate agreements. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options and Currency swaps.

Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

The hedge/ non-hedge(market making) transactions are recorded separately. Derivative contracts designated as hedges are not marked to market unless their underlying asset is marked to market. Trading derivative positions are

किसी भी प्रकार की हानि, यदि कोई हो लाभ-हानि खाते में दर्ज की जाती है. लाभ, यदि कोई हो, को दर्ज नहीं किया जाता. ब्याज दर स्वैप से संबंधित आय तथा व्यय समझौता तिथि को दर्ज होता है. ट्रेडिंग स्वैप्स की समाप्ति पर लाभ/ हानि को समाप्ति तिथि पर आय/व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है.

मूल्यांकन के लिए, कुल स्वैप के वास्तविक मूल्य की गणना तुलन-पत्र की तिथि को स्वैप करारों के कारोबार समाप्ति पर प्राप्य या देय राशि के आधार पर की जाती है, संबंधित हानियों, यदि हों, के लिए पूर्णतः प्रावधान किया जाता है, जबकि लाभों को छोड़ दिया जाता है.

तुलनपत्र की तिथि को 'फेडाई' द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के बंद भाव पर विदेशी मुद्रा में डेरिवेटिव संविदाओं को आकस्मिक देयताओं के अर्न्तगत वर्गीकृत किया जाता है.

4. अग्रिम

4.1 भारत में अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध या हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा इसके लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाता है. विदेशी शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार अथवा उस देश, जिसमें अग्रिम दिए गए हैं, में विद्यमान मानदंडों में से जो भी कड़े मानदंड हों, के अनुरूप वर्गीकृत किया जाता है.

4.2 अग्रिम, विनिर्दिष्ट ऋणों पर हानि के प्रावधानों, उचंत ब्याज, वादग्रस्त विविध जमा एवं प्राप्त दावा राशि के बाद का निवल है.

4.3 पुनर्निर्धारित/पुनर्गठित खातों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान विद्यमान मूल्य शर्तों पर आकलन करते हुए किया जाता है.

4.4 आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी) /प्रतिभूतिकरण (सिक्योरिटाइजेशन) कंपनी (एससी) को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में, बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन कर रहा हैं, वर्तमान में बैंक द्वारा अनुपालन किये जा रहे दिशानिर्देशों के अनुसार यदि बिक्री शुद्ध बही मूल्य से कम मूल्य पर की गई हो (अर्थात बही मूल्य में से प्रावधान घटा कर) तो हानि (कमी) को लाभ हानि खाते में नामे किया जाता है. यदि बिक्री मूल्य बही मूल्य से ज्यादा है तो जिस वर्ष के दौरान राशि प्राप्त होती हैं, अधिक्य प्रावधान राशि लाभ हानि खाते में प्रत्यावर्तित कर दी जाती हैं.

5. अचल आस्तियां

5.1 परिसर व अन्य अचल आस्तियां पुनर्मूल्यांकित परिसरों को छोड़कर, सामान्यतः परम्परागत मूल्य पर दर्शाई गयी हैं. पुनर्मूल्यांकन पर हुई मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, को पूंजीगत प्रारक्षित निधि में जमा किया गया है तथा इस पर मूल्यह्रास को इसमें से घटाया जाता है.

5.2 परिसरों में भूमि एवं निर्माणाधीन परिसरों को शामिल किया गया है.

6. प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष

राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में सम्बद्ध देशों के प्रचलित स्थानीय कानूनों के अनुसार विदेशी शाखाओं द्वारा निर्मित सांविधिक प्रारक्षित निधियों को शामिल किया गया है.

marked-to-market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account. Profit, if any, is ignored. Income and Expenditure relating to interest rate swaps are recognized on the settlement date. Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/ expenditure.

For the purpose of valuation, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the transactions of the swap agreements as on the Balance Sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for while the profits, if any, are ignored.

Contingent Liabilities on account of derivative contracts denominated in foreign currencies are reported at closing rates of exchange notified by FEDAI at the Balance Sheet date.

4 ADVANCES

4.1 Advances in India are classified as Standard, Sub-standard, Doubtful or Loss assets and provision for advances are made as per the Prudential Norms of the RBI. In respect of Advances made in overseas branches, Advances are classified in accordance with Prudential Norms prescribed by the RBI or local laws of the host country in which advances are made, whichever is more stringent.

4.2 Advances are net of specific loan loss provisions, interest suspense, amount received and held in suit-filed Sundry Deposits and Claims Received.

4.3 In respect of Rescheduled / Restructured accounts, Provision for dimunition in fair value of restructured advances is measured in net present value terms as per RBI guidelines.

4.4 In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC)/ Securitization Company (SC), the bank is following the guidelines issued by Reserve Bank of India. At present, the guideline followed by the Bank is that if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account spread over a period of two years. If the sale value is higher than the NBV, excess provision is reversed to profit & loss account in the year the amounts are received.

5 FIXED ASSETS

5.1 Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost except revalued premises which are stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Capital Reserve and the depreciation provided thereon is deducted therefrom.

5.2 Premises include land and building under construction..

6 RESERVES AND SURPLUS

Revenue and other Reserves include Statutory Reserves created by foreign branches as per applicable local laws of the respective countries.

7. राजस्व का निर्धारण

7.1 आय (पैराग्राफ 7.2 में दर्शाई गई मदों को छोड़कर) दर्शाई गई मदों को उपचय आधार पर जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो, लेखांकित किया गया है. विदेशी कार्यालयों के मामले में आय / व्यय की गणना उस देश के कानून के अनुसार की गई है, जहां पर विदेशी कार्यालय स्थित है.

7.2 सरकारी कारोबार, गारंटियों, साख पत्रों, विनिमय, दलाली आदि पर कमीशन, अग्रिम बिलों पर ब्याज तथा कर रिफंड पर अर्जित ब्याज को छोड़कर शुल्क, कमीशन के माध्यम से आय को वसूली आधार पर हिसाब में लिया जाता है. अनुषंगियों, संयुक्त उपक्रमों तथा सहयोगी कंपनियों के शेयरों पर लाभांश वास्तविक प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं.

7.3 गैर निष्पादित आस्तियों / निवेशों पर आय के संग्रह की अनिश्चितता की दृष्टि से, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ऐसी आय सिर्फ वसूल होने पर ही लेखांकित होती है.

7.4 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 19 (पट्टे) के अनुसार लीज शर्त पर लीज भुगतानों को, जिसमें परिचालन लीज पर ली गई आस्तियों की लागत वृद्धि शामिल है, लाभ/हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

8. कर्मचारियों को लाभ

8.1 भविष्य निधि

बैंक ऑफ़ बड़ौदा पीएफ नियमों के अनुसार भविष्य निधि अंशदान योजना एक सांविधिक दायित्व है और बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है. बैंक का दायित्व निश्चित अंशदान तक सीमित है. अंशदान को लाभ/हानि खाते में प्रभारित किया जाता है. निधियों का प्रबंधन बैंक ऑफ़ बड़ौदा भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है.

8.2 उपदान

बैंक ऑफ़ बड़ौदा उपदान निधि नियमों एवं विनियमों के अनुसार उपदान देयता एक सांविधिक दायित्व है और वर्ष के अंत में संचित मूल्य आधार पर इसका प्रावधान किया जाता है. बैंक द्वारा इस योजना के लिए राशि उपलब्ध करवायी जाती है और बैंक ऑफ़ बडौदा उपदान निधि न्यास इसका प्रबंधन करता है.

8.3 पेंशन

8.3.1 बैंक ऑफ़ बड़ौदा कर्मचारी पेंशन विनियम, 1995 के अंतर्गत पेंशन देयता बाध्यता के रूप में व्याख्या की गई है और वर्ष के अंत में संचित मूल्य आधार पर इसका प्रावधान किया जाता है. यह उन कर्मचारियों के लिए है, जिन्होने 31.3.2010 तक बैंक सेवा ग्रहण की और पेंशन का विकल्प लिया है. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन निधि न्यास द्वारा इस योजना के लिए राशि उपलब्ध करवायी जाती है.

8.3.2 जिन कर्मचारियो ने बैंक सेवा 1.4.2010 को या उसके बाद ग्रहण की है उनके लिए नई पेंशन योजना पारिभाषित अंशदान योजना पर लागू है. बैंक द्वारा पूर्व निर्धारित निश्चित अंशदान का भुगतान किया जाता है. बैंक का दायित्व ऐसे पूर्व निर्धारित अंशदान तक ही सीमित है. अंशदान को लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

8.4 प्रतिपूरक अनुपस्थिति

संचित प्रतिपूरक अनुपस्थिति यथा उपार्जित अवकाश (पीएल) और चिकित्सा अवकाश अप्रयुक्त आकस्मिक अवकाश का संचित मूल्य के आधार पर प्रावधान किया जाता है.

7 REVENUE RECOGNITION

7.1 Income (other than item referred in Paragraph 7.2)/ expenditure is generally recognised on accrual basis. In case of foreign offices, income/ expenditure is recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located.

7.2 Income by way of Fees, Commission other than on Government business, Commission on Guarantees, Letter of Credits, Exchange and Brokerage and Interest on Advance Biils are accounted for on realisation basis. Dividend on shares in Subsidiaries, joint ventures and associates is accounted on realisation basis.

7.3 In view of uncertainty of collection of income in cases of Non-performing Assets/Investments, such income is accounted for only on realisation in terms of the RBI guidelines.

7.4 Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognised in the Profit and Loss Account over the lease term in accordance with the AS 19 (Leases) issued by ICAI.

8 EMPLOYEE BENEFITS

8.1 PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation as per Bank of Baroda PF Rules as the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates.The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Bank of Baroda Provident Fund Trust.

8.2 GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation as per Bank of Baroda Gratuity Fund Rules and Regulations and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the bank and is managed by Bank of Baroda Gratuity Fund Trust.

8.3 PENSION

8.3.1 Pension liability is a defined benefit obligation under Bank of Baroda Employees Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the financial year, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension. The pension liability is funded by Bank of Baroda (Employees) Pension Fund Trust.

8.3.2 New Pension Scheme which is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme, Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

8.4 COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and unavailed sick leave are provided for based on actuarial valuation.

8.5 अन्य कर्मचारी लाभ

अन्य कर्मचारी लाभ यथा छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी यात्रा रियायत, अतिरिक्त सेवांत लाभ आदि के लिए संचित मूल्य के आधार पर प्रावधान किया जाता है.

विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के संदर्भ में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के लिए संबंधित देश में विद्यमान नियमों के अनुसार लाभों का आकलन किया जाता है.

9. मूल्यह्रास

9.1 भारत में अचल आस्तियों के लिए पुनर्मूल्यांकित आस्तियों को छोड़कर (निम्न वर्णित अनुछेद 9.3 व 9.4 के अलावा) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में उल्लिखित मूल्यह्रासित मूल्य पद्धति के अनुसार प्रावधान किया जाता है. इसमें पुनर्मूल्यांकित आस्तियों की अनुमानित उपयोग अवधि के आधार पर अधिक मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है.

9.2 भारत से बाहर अचल आस्तियों पर, (नीचे अनुछेद 9.3 में वर्णित को छोड़कर) मूल्यह्रास स्थानीय कानूनों या संबंधित देश में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है.

9.3 भारत और भारत के बाहर कंप्यूटरों व सॉफ्टवेयरों जो कि कंम्प्यूटर हार्डवेअर के अभिन्न अंग हैं पर मूल्यह्रास भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्ट्रेट लाइन विधि से 33.33% की दर से प्रदान किया गया है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कि हार्डवेयर का अनिवार्य अंग नहीं है, के पूर्ण मूल्यह्रास को सीधे ही लाभ एवं हानि खातें में प्रभारित किया जाता है.

9.4 एटीएम पर मूल्यह्रास का प्रावधान स्ट्रेट लाइन पद्धति से 20% प्रतिवर्ष की दर से किया जाता है.

9.5 परिवर्द्धनों पर मूल्यह्रास खरीद / उपयोग की तारीख से आनुपातिक आधार पर उपलब्ध कराया जाता है.

9.6 पट्टे पर धारित जमीन और पट्टे पर धारित जमीन पर किए गए विकास की लागत पट्टा अवधि में चुकता (एमोर्टाईज) की जाती है.

10. आस्तियों का ह्रास

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर ह्रासित हानियों (यदि कोई हो) को, आस्तियों के ह्रास के संबंध में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 28 (''आस्तियों का ह्रास'') के अनुसार किया जाता है तथा इसे लाभ हानि खाते को प्रभारित किया जाता है.

11. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

11.1 विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन (विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के परिवर्तन का प्रभाव) संबंधित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखामानक एएस 11 के अनुरुप किया जाता है.

11.2 लेखा मानक - एएस-11 के अनुसार बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को क) एकीकृत परिचालनों एवं ख) पृथक परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है. सभी विदेशी शाखाओं, ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों, विदेशी अनुषंगियों को पृथक परिचालन एवं विदेशी मुद्रा में घरेलू परिचालनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन के रूप में माना जाता है.

11.3 एकीकृत परिचालनों के संबंध में अंतरण :

(क) संव्यवहारों को प्राथमिक तौर पर फेडाई द्वारा सूचित की गई साप्ताहिक औसत दरों पर रिकार्ड किया जाता है.

8.5 OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Encashment, Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation.

In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

9 DEPRECIATION

9.1 Depreciation on Fixed Assets in India [other than those referred in Paragraph 9.3 and 9.4] is provided on the written down value method in accordance with Schedule II to the Companies Act, 2013, except in case of revalued assets, in respect of which higher depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets.

9.2 Depreciation on Fixed Assets outside India [other than those referred to in Para 9.3 below] is provided as per local laws or prevailing practices of the respective territories.

9.3 Depreciation on Computers and Software forming an integral part of Computer Hardware, in and outside India is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% p.a., as per the guidelines of RBI. Computer software not forming part of an intergral part of hardware is charged directly to Profit and Loss Account.

9.4 Depreciation on ATMs is provided on Straight Line Method at the rate of 20% p.a.

9.5 Depreciation on additions is provided proportionately from the date of purchase/put to use.

9.6 Cost of leasehold land and leasehold improvements are amortised over the period of lease.

10 IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised in accordance with AS 28 (Impairment of Assets) issued by the ICAI and charged off to Profit and Loss Account.

11 FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS:

11.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with AS 11, (The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates), issued by the ICAI.

11.2 As stipulated in AS 11, the foreign currency operations of the Bank are classified as a) Integral Operations and b) Non Integral Operations. All Overseas Branches, Offshore Banking Units, Overseas Subsidiaries are treated as Non Integral Operations and domestic operations in foreign exchange and Representative Offices are treated as Integral Operations.

11.3 Translation in respect of Integral Operations

a) The transactions are initially recorded on weekly average rate as advised by FEDAI.

(ख) विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई क्लोजिंग स्पॉट दरों पर अंतरित किया जाता है.

(ग) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना आय अथवा व्यय के रूप में की गई है तथा इन्हें तदनुसार लाभ हानि खाते में लेखांकित किया गया है. विदेशी मुद्रा आस्ति देयताओं संबंधी किसी भी भुगतान अथवा रिवर्सल को पिछले सप्ताह की औसत क्लोजिंग दरों के आधार पर किया जाता है तथा बकाया राशि एवं उस राशि, जिसके लिए भुगतान किया गया है/रिवर्सल किया गया है, के बीच के अंतर को लाभ हानि खाते में दर्शाया जाता है.

(घ) तुलन पत्र की तिथि पर बकाया और व्यापार हेतु धारित बकाया विदेशी मुद्रा हाज़िर एवं वायदा संविदाओं के द्वारा अधिसूचित क्रमशः बंद हाजिर एवं वायदा बाजार संविदा दरों एवं अन्तरिम परिपक्वता संविदाओं को 'इन्टरपोलेट' दरों पर बाजार को चिन्हित किया जाता है. इस प्रकार प्राप्त की गई एमएटीएम मूल्य को, एमटीएम के मौजूदा मूल्य पर भुनाया जाता है. इस एमटीएम का पीवी आधार पर हाजिर एवं वायदा संव्यवहारों के पुनर्मूल्यांकन हेतु उपयोग कियाजाता है. इसके फलस्वरूप वायदा मूल्यांकन लाभ अथवा हानि को लाभ-हानि खाते में शामिल किया जाता है।

11.4 गैर समाकलित परिचालनों के संबंध में अंतरण :

(क) आस्तियों एवं देयताओं को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में अधिसूचित की गई क्लोजिंग स्पाट दरों पर अंतरित किया गया है.

(ख) तुलनपत्र की तिथि को विदेशी मुद्रा हाजिर एवं वायदा आकस्मिक देयताओं को 'फेडाई' द्वारा अधिसूचित बंद हाजिर व वायदा दरों एवं अन्तरित परिपक्वता संविदाओं को 'इन्टरपोलेटड' दरों पर अंतरित किया जाता है.

(ग) आमदनी एवं खर्चों को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में अधिसूचित की गई औसत तिमाही दरों पर अंतरित किया जाता है.

(घ) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना उस अवधि के लिए आय अथवा व्यय के रूप में नहीं की जाती है तथा इसे सम्बद्ध विदेशी शाखाओं में शुद्ध निवेशों के निस्तारण होने तक अलग से एक खाते ''विदेशी मुद्रा अंतरण निधि'' में रखा जाता है.

11.5 वायदा विनिमय करार

लेखा मानक एएस 11 तथा भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) के दिशानिर्देशों के अनुसार तुलन पत्र की तिथि पर बकाया एवं व्यापार हेतु धारित विदेशी मुद्रा हाजिर (स्पॉट) एवं वायदा संविदाओं को फेडाई द्वारा अधिसूचित बंद हाजिर एवं वायदा बाजार संविदाओं एवं अन्तरिम परिपक्वता संविदाओं को इन्टरपोलेट दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया जाता है. इसके फलस्वरूप वायदा मूल्यांकन लाभ अथवा हानि को लाभ-हानि खाते में शामिल किया जाता है.

12. आय पर कर

इसमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के लेखांकन मानदंड 22 (आय पर करों का लेखांकन) के अनुसार निर्धारित (सम्बद्ध अवधि के लिए लेखा आय तथा कर योग्य आय के बीच भिन्नता से करों के प्रभाव को दर्शाते हुए) आयकर के लिए प्रावधान, आस्थगित कर अथवा क्रेडिट शामिल हैं. आस्थगित कर का आकलन आमदनी एवं खर्च की उन मदों के संबंध में, जो किसी एक अवधि में निर्धारित होती है और जो एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में प्रत्यावर्तन योग्य हैं, को ध्यान में रखकर किया जाता है. आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं पर कर की गणना अधिनियमित कर दरों पर उन

b) Foreign Currency Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

c) The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit and Loss Account. Any reversals / payment of foreign currency assets and liabilities is done at the weekly average closing rate of the preceding week and the difference between the outstanding figure and the amount for which reversal / payment is made, is reflected in Profit and Loss Account.

d) Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading, are marked to market at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. The MTM values thus obtained are discounted to arrive at present value of MTM. This MTM is used to revalue the spot and forward transactions on PV basis. The resulting Forward Valuation profit or loss is included in the Profit & Loss Account.

11.4 Translation in respect of Non Integral Operations

a) Assets and Liabilities are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

b) Foreign Exchange Spot and Forwards contingent liabilities outstanding as at the balance sheet date are translated at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities.

c) Income and Expense are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.

d) The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.

11.5 Forward Exchange Contracts

In accordance with the guidelines of FEDAI and the provisions of AS 11, Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading, are revalued at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. The resulting forward valuation profit or loss is included in the Profit and Loss Account.

12 TAXES ON INCOME

This comprise of provision for Income tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with AS 22 (Accounting for taxes on Income) issued by ICAI. Deferred tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and liabilities are measured

वर्षों की अपेक्षित दरों पर की जाती है जिन वर्षों में इनकी प्राप्ति, रिवर्सल अथवा निस्तारण की संभावना होती है. आस्थगित कर देयताओं एवं आस्तियों पर कर की दरों में परिवर्तन के प्रभाव को उस अवधि की आय विवरणी, जिसमें ऐसे परिवर्तन को अधिनियमित किया गया हो, में हिसाब में लिया जाता है.

13. प्रति शेयर अर्जन

बैंक, आधारभूत एवं डाइल्यूटेड प्रति इक्विटी शेयर अर्जन को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक (एएस) 20 (प्रति शेयर आय) के अनुसार रिपोर्ट करता है. आधारभूत प्रति शेयर अर्जन की गणना, शुद्ध आय को उस अवधि के लिए बकाया भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित कर की गई है. डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की गणना शुद्ध आय को उस अवधि के लिए बकाया भारित औसत इक्विटी शेयरों एवं उस अवधि के दौरान डाइल्यूटिव सम्भाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या के आधार पर की गई है.

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक 29 (आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान) के अनुसार बैंक द्वारा आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान केवल विगत में हुई किसी घटना के लिए उत्पन्न हुए वर्तमान दायित्व के लिए किया जाता है. यह संभव है कि इस दायित्व के निस्तारण के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता हो और तब दायित्व निर्वहन हेतु ऐसी राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है.

आर्थिक हित युक्त संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना के लगभग न होने की स्थिति तक आकस्मिक देयताओं को प्रकट किया जाता है.

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणियों में प्रभारित नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका परिणाम ऐसी आय के निर्धारण के रूप में निकल सकता है जिसकी कभी वसूली संभव न हो.

using enacted tax rates expected to apply to taxable income in the years in which the timing differences are expected to be reversed. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognised in the income statement in the period of enactment of the change.

13 EARNINGS PER SHARE

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the AS 20 (Earnings Per Share) issued by the ICAI. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share has been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

14 PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

अनुसूची-18 लेखों पर टिप्पणियां
Schedule - 18 Notes on Accounts

क. भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार प्रकटीकरण | A. Disclosure in terms of RBI requirements

क-1. पूंजी | A-1 Capital

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

	विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year		पिछला वर्ष Previous Year	
			बासल II BASEL II	बासल III BASEL III	बासल II BASEL II	बासल III BASEL III
i)	कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	Common Equity Tier 1 Capital Ratio (%)	10.66%	10.29%	9.59%	9.35%
ii)	टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	Tier 1 Capital Ratio (%)	11.21%	10.79%	10.14%	9.87%
iii)	टियर 2 पूंजी अनुपात (%)	Tier 2 Capital Ratio (%)	3.00%	2.39%	3.20%	2.74%
iv)	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%)	Total Capital Ratio (CRAR) (%)	14.20%	13.17%	13.33%	12.60%
v)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	Percentage of the shareholding of the Government of India		59.24%		57.53%
vi)	अर्जित इक्विटी पूंजी की राशि	Amount of Equity Capital Raised		1786.00		1260.00
vii)	अर्जित अतिरिक्त टियर 1 पूंजी की राशि जिसमें से	Amount of Additional Tier 1 capital raised, of which				
	पीएनसीपीएस	PNCPS		-		-
	पीडीआई	PDI		-		1000.00
viii)	अर्जित अतिरिक्त टियर 2 पूंजी की राशि जिसमें से	Amount of Additional Tier 2 capital raised, of which				
	ऋण पूंजी लिखत	Debt Capital Instrument		-		-
	अधिमान्य शेयर पूंजी लिखत	Preference Share Capital Instruments		-		-

क-2. निवेश | A-2 Investments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(1) निवेशों का मूल्य	(1) Value of Investments		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	(i) Gross Value of Investments		
(क) भारत में	(a) In India	111693.36	115646.36
(ख) भारत से बाहर	(b) Outside India	9892.23	7500.72
(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	(ii) Provisions for Depreciation		
(क) भारत में	(a) In India	808.19	519.23
(ख) भारत से बाहर	(b) Outside India	326.87	308.13
(iii) निवेशों का निवल मूल्य	(iii) Net Value of Investments		
(क) भारत में	(a) In India	110885.17	115127.13
(ख) भारत से बाहर	(b) Outside India	9565.36	7192.59
(2) निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों का संचलन	(2) Movement of provisions held towards depreciation on investments		
(i) प्रारम्भिक शेष	(i) Opening balance	824.23	1019.58
(ii) जोडें : प्रारंभिक शेष में समायोजन	(ii) Add: Adjustment in Opening Balance	3.13	
सुधारे गए प्रारंभिक शेष	Corrected Opening Balance	827.36	
(ii) जोडें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	(ii) Add: Provision made during the year	347.85	120.02
(iii) घटाएं : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टाकरण/पुनरांकन	(iii) Less: Write-back of excess provisions	40.15	315.37
(iv) अंतिम शेष	(iv) Closing balance	1135.06	824.23

A-2.1 रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य के संदर्भ में) / A-2.1 Repo Transactions: (in face value terms)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year	31 मार्च 2016 को बकाया शेष Outstanding as on March 31, 2016
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां	Securities sold under repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	i. Government securities	213	22823.04	3098.30	16924.96
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii. Corporate debt securities	1594.59	1626.83	1608.45	1594.59
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां	Securities purchased under reverse repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	i. Government securities	109	17554.95	2022.42	1248
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii. Corporate debt securities	NIL	NIL	NIL	NIL

क-2.2 गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो / A-2.2 Non-SLR Investment Portfolio

i) गैर-एसएलआर निवेशों के जारीकर्ता घटक / i) Issuer composition of Non SLR investments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

सं. नं. S. No.	जारीकर्ता	Issuer	राशि Amount	निजी प्लेसमेंट की सीमा Extent of Private Placement	'निवेश ग्रेड के नीचे' की प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' securities	'अनरेटेड प्रतिभूतियों' की सीमा Extent of 'Unrated' Securities	'असूचीबद्ध प्रतिभूतियों' की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	पीएसयू	PSUs	2159.01	1353.35	702.04	121.13	616.31
(ii)	एफआई	FIs	982.43	509.24	245.69	0	166.64
(iii)	बैंक	Banks	6770.73	566.18	207.11	116.77	114.38
(iv)	निजी कार्पोरेट	Private Corporate	1968.23	901.77	617.28	206.40	14.85
(v)	अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम	Subsidiaries/ Joint Ventures	1720.65	1720.65	0.00	0.00	0.00
(vi)	अन्य	Others	7554.91	4124.76	0.00	176.44	294.12
(vii)	मूल्यह्रास हेतु धारित प्रावधान	Provision held towards depreciation	-1135.06	0.00	-33.12	-89.54	0.00
	कुल	Total	20020.90	9175.95	1739.00	531.20	1206.30

ii) अनर्जक गैर-एसएलआर निवेश / ii) Non performing Non-SLR investments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
प्रारंभिक शेष	Opening balance	577.65	462.71
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	184.77	132.37
उपरोक्त अवधि के दौरान कटौतियां	Reductions during the year	27.07	17.43
अंतिम शेष	Closing balance	735.35	577.65
कुल धारित प्रावधान	Total provisions held	550.07	472.34

क-2.3 वर्ष के प्रारंभ में ''परिपक्वता तक धारित'' (एचटीएम) श्रेणी में रखे गए निवेशों के बही-मूल्य के 5% से अतिरिक्त के एचटीएम में रखे गए निवेशों की बिक्री एवं अंतरण

A-2.3 Sales and transfer of Investment held under Held to Maturity (HTM) Category in excess of 5% of the Book value of the investment held in HTM category at the beginning of the year

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

निवेश का आरंभिक शेष (एचटीएम) 01.04.15 Opening Bal. of investment (HTM) 01.04.15	वर्ष के दौरान बिक्री/अंतरण Sale/ transfer during the year	परिवर्द्धन Addition	निवेश (एचटीएम) का अंतिम शेष 31.03.2016 Closing Bal. of Investment (HTM) 31.03.16	निवेश (एचटीएम) श्रेणी का बाजार मूल्य 31.03.2016 Market value of investment (HTM) category 31.03.16
-	-	-	-	-

क-2.4 एसएलआर निवेश

A-2.4 SLR Investments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year		पिछला वर्ष Previous Year	
		बही मूल्य Book value	मार्केट मूल्य Market value	बही मूल्य Book value	मार्केट मूल्य Market value
सरकारी प्रतिभूतियां एसएलआर (सीजी, एसजी व टीबी)*	Govt. sec SLR(CG,SG,&TB) *	100428.36	100428.36**	96897.64	96897.64**
अनुमोदित प्रतिभूतियां - एसएलआर	Approved sec-SLR	1.28	1.28	1.28	1.28

* इसमें सीसीआईएल/एमसीएक्स/यूएसई/एनएसई के पास रखी एसएलआर प्रतिभूतियां शामिल हैं.
** एसएलआर की गणना के लिए बाजार मूल्य में वृद्धि को ध्यान में नहीं लिया गया है.

* incl. SLR Securities kept with CCIL/ MCX / USE / NSE
** Appreciation in market value is ignored for SLR calculation

क-2.5 एसजीएल फार्मों के लौटाए जाने पर लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

A-2.5 Disclosure on imposition of penalty for bouncing of SGL forms

समाप्त वर्ष Year ended	एसजीएल फॉर्म लौटाने की तारीख Date of bouncing SGL form	राशि Amount	टिप्पणी Remarks
2016	-	-	-
2015	-	-	-

क-2.6 डेरीवेटिव्स

A-2.6 Derivatives

क-2.6.1 फारवर्ड दर समझौते / ब्याज दर स्वैप

A-2.6.1 Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

	विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
i)	स्वैप समझौते की कल्पित मूल राशि	The notional principal of swap agreements	33201.14	38101.20
ii)	समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को काउंटर पार्टी द्वारा पूरा न करने पर होने वाली हानि	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	513.09	753.48
iii)	स्वैप में आने पर बैंक के लिए आवश्यक कोलैटरल	Collateral required by the bank upon entering into swaps	Nil	Nil
iv)	स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण	Concentration of credit risk arising from the swaps	862.20	1130.41
v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	The fair value of the swap book	350.49	576.29

क-2.6.2 एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स

A-2.6.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

सं. क्र. S. No.	विवरण	Particulars	राशि Amount
(i)	वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स की कल्पित मूल राशि (लिखतवार)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	
	क. ब्याज दर फ्यूचर (आईआरएफ)	A. Interest Rate Future (IRF)	30343.76
	ख. करेंसी फ्यूचर्स	B. Currency Futures	136721.41
(ii)	वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स की 31 मार्च, 2016 के अनुसार (लिखतवार) बकाया कल्पित मूल राशि	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2016 (instrument-wise)	
	क. ब्याज दर फ्यूचर (आईआरएफ)	A. Interest Rate Future (IRF)	25.00
	ख. करेंसी फ्यूचर्स	B. Currency Futures	0.00
(iii)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स की बकाया कल्पित मूल राशि तथा जो ''अत्यधिक प्रभावी'' न हो (लिखतवार)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NIL
(iv)	बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स का मार्क-टू-मार्केट मूल्य तथा जो ''अत्यधिक प्रभावी'' न हो (लिखतवार)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NIL

क-2.6.3 डेरीवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटीकरण

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक की ट्रेजरी नीति में डेरीवेटिव्स लेन देन के कार्यो के लिए सभी प्रकार की वित्तीय डेरीवेटिव्स लिखतों के प्रकार, विस्तार एवं उपयोग, अनुमोदन प्रक्रिया तथा ओपन पोजीशन लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट तथा काउन्टर पार्टी एक्सपोजर लिमिट जैसी सीमाएं निर्धारित की गई हैं. बैंक अपने तुलन पत्र में दर्शाए गए अथवा दर्शाए न गए जोखिमों की हेजिंग के लिए तथा बाज़ार आधार तैयार करने के लिए वित्तीय डेरीवेटिव्स लेन-देनों का उपयोग करता है. मूलतः ये उत्पाद, जोखिम के प्रति बचाव व्यवस्था, लागत कम करने तथा ऐसे लेन देनों में प्रतिफल बढ़ाने एवं प्रोपराइटरी ट्रेडिंग के लिए उपयोग में लाए जाते हैं.

बैंक में जिन जोखिमों की सम्भावना बनी रहती है, वे हैं : ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, देशीय जोखिम और परिचालन जोखिम. बैंक में जोखिम प्रबंधन नीतियां (बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित) हैं, जो एमटीएम, जोखिम पर कीमत (वीएआर) तथा पीवी01 के माध्यम से नियमित आधार पर व्यापार बही में लेन-देनों के वित्तीय जोखिमों के आंकलन तथा उचित जोखिम सीमाएं तय करने के लिए तैयार की गई हैं. इनको बैंक के जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा समय-समय पर विश्वसनीय एवं अद्यतन प्रबंधन सूचना प्रणालियों द्वारा मॉनीटर किया जाता है तथा इस बारे में बैंक के निदेशकों की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता वाली जोखिम प्रबंधन समिति को अवगत कराया जाता है.

लेन-देनों की काउंटर पार्टियां, बैंक तथा कार्पोरेट प्रतिष्ठान हैं. संव्यवहार अनुमोदित एक्सपोजर सीमाओं के अंतर्गत किए जाते हैं. डेरीवेटिव्स उत्पादों पर ऋण जोखिम आकलित करने के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मौजूदा एक्सपोजर पद्धति को अपनाया है, जिसके अनुसार बैंक कुल प्रतिस्थापन लागत का योग, (सभी संविदाओं के सकारात्मक मूल्य सहित मार्क-टु-मार्केट द्वारा प्राप्त करने अर्थात् जब बैंक को काउंटर पार्टी से धन

A-2.6.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

(i) Qualitative Disclosure

The Treasury Policy of the bank lays down the types of financial derivative instruments, scope of usages, approval procedures and the limits like open position limits, stop loss limits and counter party exposure limits for undertaking derivative transactions. The Bank uses financial derivative transactions for hedging; it's on or off balance sheet exposures as well as for market making. Basically, these products are used for hedging risk, reducing cost and increasing the yield in such transactions and for proprietary trading.

The types of risk to which the bank is exposed to are credit risk, market risk, country risk and operational risk, The Bank has risk management policies (approved by Board of Directors of the Bank), which is designed to measure the financial risks for transactions in the trading book on a regular basis, by way of MTM, Value at Risk (VaR) and PV01, and to set appropriate risk limits. These are monitored by means of reliable and up to date Management Information Systems by the Risk Management Department of the Bank from time to time who, in turn, appraises the risk profile to the Risk management Committee of Directors, which is presided over by the Bank's Chairman and Managing Director.

The counter parties to the transactions are banks and corporate entities. The deals are done under approved exposure limits. The bank has adopted the current exposure method prescribed by Reserve Bank of India for measuring Credit Exposure on Derivative products as per which the bank sums the total replacement cost (obtained by mark to market of all its contracts with positive value i.e. when the bank has to receive money from the counter party) and an amount for potential future changes in credit exposure calculated on the

प्राप्त करना है) तथा ऋण जोखिम में भविष्य में होने वाले संभाव्य परिवर्तनों की राशि, जिसकी गणना संविदा की कुल कल्पित मूल राशि का शेष परिपक्वता के अनुसार संबंधित ऋण रुपांतरण घटकों के साथ गुणा करके परिकलित की जाती है, निम्नानुसार है :-

कल्पित मूल राशि पर लागू किया जाने वाला रुपांतरण घटक

basis of the total notional principal amount of the contract multiplied by the relevant credit conversion factors according to the residual maturity as detailed herein under:-

Conversion factor to be applied on notional principal amount

अवशिष्ट परिपक्वता	Residual Maturity	ब्याज दर संविदा Interest Rate Contract	विनिमय दर संविदा Exchange Rate Contract
एक वर्ष से कम	Less than one year	0.50%	2.00%
एक वर्ष और अधिक	One year and above	1.00%	10.00%
पांच वर्ष से अधिक	Over five years	3.00%	15.00%

हेज तथा गैर-हेज (मार्केट मेकिंग) लेन-देनों को अलग से दर्ज किया जाता है. हैजिंग डेरिवेटिव्स उपचय आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं. ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स पोजिशन (एमटीएम) को मार्क की जाती है और परिणामस्वरुप लाभ-हानि खाते में यदि कोई हानि हो, हिसाब में ली जाती है. लाभ, यदि कोई हो, नहीं माना जाता है. ब्याज दर स्वैप्स से संबंधित आय और व्यय निपटान की तारीख पर हिसाब में लिए जाते हैं. ट्रेडिंग स्वैप के समाप्त होने पर लाभ / हानि समाप्ति की तारीख पर आय / व्यय के रूप में दर्ज किए जाते हैं.

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

The hedge/non-hedge (market making) transactions are recorded separately. Hedging derivatives are accounted for on an accrual basis. Trading derivative positions are marked-to-market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account. Profit, if any is not recognized. Income and Expenditure relating to interest rate swaps are recognized on the settlement date. Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/expenditure.

(ii) Quantitative Disclosures

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

सं. क्र. S. No.	विवरण	Particular	करेंसी डेरिवेटिव्स Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव्स Interest rate Derivatives
(i)	डेरिवेटिव्स (कल्पित मूल राशि)	Derivatives (Notional Principal Amount)	2096.94	32517.19
	क) हैजिंग के लिए	a) For hedging	708.95	22447.07
	ख) ट्रेडिंग के लिए	b) For trading	1387.99	10070.12
(ii)	मार्क्ड टू मार्केट पोजिशन	Marked to Market Positions	35.84	314.59
	क) आस्तियां (+)	a) Asset (+)	59.63	461.82
	ख) देयताएं (-)	b) Liability (-)	(23.79)	(147.23)
(iii)	ऋण जोखिम	Credit Exposure	162.98	725.96
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत होने वाले परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)		
	क) हैजिंग डेरिवेटिव्स पर	a) on hedging derivatives	23.21	314.89
	ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स पर	b) on trading derivatives	62.79	1.88
(v)	वर्ष के दौरान पाए गए न्यूनतम तथा अधिकतम 100*पीवी01	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year		253 & 0
	क) हैजिंग पर	a) on hedging	0.00	102.56 & -6.16
	ख) ट्रेडिंग पर	b) on trading	76.42 & 36.81	19.90 & 1.66

क-2.6.4 ऋण चूक स्वैप (सीडीएस)

सीडीएस पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 23.05.2011 के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंकों को अपनी सीडीएस संविदाओं के मूल्यांकन हेतु एफआईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित दैनिक सीडीएस कर्व अथवा इससे अधिक संरक्षित मूल्यांकन होने पर किसी अन्य स्वामित्व मॉडल का उपयोग करना आवश्यक है. अपनी सीडीएस स्थितियों के मूल्यांकन के लिए हमारा बैंक एफआईएमएमडीए कर्व का ही उपयोग करता है, सीडीएस मूल्यांकन के लिए बैंक किसी आंतरिक स्वामित्व मॉडल का उपयोग नहीं करता है.

A.2.6.4 Credit Default Swaps (CDS)

As per RBI guidelines on CDS dated 23rd May, 2011 the Banks are required to value their CDS contracts by using daily CDS curve published by FIMMDA or any other proprietary model if it results in a more conservative valuation. Our Bank uses the FIMMDA curve for valuing our CDS positions; Bank does not use any internal proprietary model for CDS valuation.

क-2.7 आस्ति गुणवत्ता / A-2.7 Asset Quality

क-2.7.1 गैर निष्पादक आस्तियां / A-2.7.1 Non Performing Assets

क. गैर निष्पादक आस्तियों का संचलन / A. Movement of NPAs

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	Current Year	Previous Year
सकल एनपीए (प्रारंभिक शेष)	Gross NPAs (Opening Balance)	16261.44	11875.90
वर्ष के दौरान जुड़े (नए एनपीए)	Additions (Fresh NPAs) during the year	27828.38	8515.34
उप जोड़ (क)	Sub-total (A) .	44089.82	20391.24
घटाएं :	Less:-		
(i) अपग्रेडेशन	(i) Up-gradations	533.91	1058.43
(ii) वसूलियां (अपग्रेड किए गए खातों से हुई वसूलियों को छोड़कर)	(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	1480.72	1492.81
(iii) बट्टे खाते में डाली गई राशि	(iii) Write-offs	1554.15	1578.56
उप जोड़ (ख)	Sub-total (B)	3568.78	4129.80
सकल एनपीए (अंतिम शेष) (क-ख)	Gross NPAs (Closing Balance) (A-B)	40521.04	16261.44

ख. गैर निष्पादक आस्तियां / B. Non-Performing Assets

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

	विवरण		Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(i)	शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए (%)		Net NPAs to Net Advances (%)	5.06	1.89
(ii)	एनपीए का संचलन (सकल)		Movement of NPAs (Gross)		
	(क) प्रारंभिक शेष	(a)	Opening balance	16261.44	11875.90
	(ख) वर्ष के दौरान जोड़े गए	(b)	Additions during the year	27828.38	8515.34
	(ग) वर्ष के दौरान घटाए गए	(c)	Reductions during the year	3568.78	4129.80
	(घ) अंतिम शेष	(d)	Closing balance	40521.04	16261.44
(iii)	शुद्ध एनपीए का संचलन		Movement of Net NPAs		
	(क) प्रारंभिक शेष	(a)	Opening balance	8069.49	6034.76
	(ख) वर्ष के दौरान जोड़े गए	(b)	Additions during the year	16372.75	4256.34
	(ग) वर्ष के दौरान घटाए गए	(c)	Reductions during the year	5035.78	2221.61
	(घ) अंतिम शेष	(d)	Closing balance	19406.46	8069.49
(iv)	एनपीए हेतु प्रावधान का संचलन (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर)		Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
	(क) प्रारंभिक शेष	(a)	Opening balance	8191.95	5841.14
	(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	(b)	Provisions made during the year	14483.15	4259.00
	(ग) तकनीकी/विवेक सम्मत अपलिखित	(c)	Technical / Prudential write offs	1560.52	1456.22
	(घ) अपलिखित राशि (उपरोक्त के अलावा)	(d)	Write off (Other than above)	0.00	451.97
	(घ) अंतिम शेष	(d)	Closing balance	21114.58	8191.95
	(v) तकनीकी अपलिखितों का संचलन	(v)	Movement of Technical Write offs		
	तकनीकी/विवेकसम्मत अपलिखित की गई राशियों का प्रारंभिक शेष		Opening Balance of Technical / Prudential written-off account	6790.81	5598.58
	जोड़े : वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकसम्मत अपलिखित राशि		Add : Technical / Prudential write-of during the year	1560.52	1402.48
	उप जोड़ (ए)		Sub Total (A)	8351.33	7001.06
	घटाएं : वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकसम्मत अपलिखित राशियों की वसूली (बी)		Less : Recoveries made from previously technical / prudential written off accounts during the year (B)	219.18	210.25
	अन्तिम शेष (ए-बी)		Closing Balance (A-B)	8132.15	6790.81

ग) क्षेत्रवार एनपीए

C. Sector-wise NPAs

क्रमांक S. No.	क्षेत्र	Sector	क्षेत्र में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत Percentage of NPAs to Total Advances in that sector	
			चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1	कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां	Agriculture & allied activities	10.74	5.30
2	उद्योग (माइक्रो एवं लघु, मध्यम एवं बड़े)	Industry (Micro & small, Medium and Large)	19.10	7.17
3	सेवाएं	Services	8.06	5.61
4	वैयक्तिक ऋण	Personal Loans	5.01	4.38

घ) विदेशी आस्तियां, एनपीए तथा राजस्व

D. Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
कुल आस्तियां	Total Assets	227495.36	250117.16
कुल एन पी ए	Total NPAs	8376.72	3567.17
कुल राजस्व	Total Revenue	5085.60	5511.51

क-2.7.2. सेक्टरवार अग्रिम
A-2.7.2. Sector-wise advances

(₹ करोड़ में / ₹ *in Crores*)

क्र. सं. Sl. No.	सेक्टर Sector	चालू वर्ष Current Year			पिछला वर्ष Previous Year		
		बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
क. A	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Priority Sector						
1	कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियां Agriculture and allied activities	33677.58	3617.16	10.74	32586.00	1727.80	5.30
2	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत उधार हेतु पात्र औद्योगिक क्षेत्र को अग्रिम Advances to industries sector eligible as priority sector lending	25965.12	3508.47	13.51	27465.15	2152.14	7.84
3	सेवाएं Services	22765.75	2856.88	12.55	23794.61	1501.07	6.31
4	वैयक्तिक ऋण Personal loans	14302.68	716.59	5.01	14168.96	383.09	2.70
	उपजोड़ (क) Sub – Total (A)	96711.13	10699.10	11.06	98014.72	5764.10	5.88
ख B	गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Non Priority Sector						
1	कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियां Agriculture and allied activities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	उद्योग Industry	68549.15	14544.85	21.22	78290.68	5435.39	6.94
3	सेवाएं Services	114441.61	8202.92	7.17	119314.53	2661.80	2.23
4	वैयक्तिक ऋण Personal loans	1213.58	61.38	5.06	4185.85	59.95	1.43
	उपजोड़ (ख) Sub – Total (B)	184204.34	22809.15	12.38	201791.06	8157.14	4.04
	कुल (क+ख) Total (A+B)	280915.47	33508.25	11.93	299805.78	13921.24	4.64

क-2.7.3 पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण-दि. 31.03.2016 को (वित्तीय वर्ष 2015-16) A-2.7.3 Disclosure of Restructured Accounts as on 31.03.2016 (F.Y. 2015-16)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

प्रम संख्या S. No.	पुनर्गठन का प्रकार Type of Restructuring		सी डी आर कार्यप्रणाली के अधीन Under CDR Mechanisam					एस एम ई ऋण पुनर्निधारण कार्यप्रणाली के अधीन Under SME Debt Restructuring Mechanism					अन्य Others					कुल Total				
	आस्ति वर्गीकरण Assets Classification																					
	ब्यौरा Details		मानक Standard	अवमानक Sub-standard	सन्दिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	सन्दिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	सन्दिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	सन्दिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
1	01 अप्रैल 2015 को पुनर्गठित खाते Restructred Accounts as on April 01, 2015	ऋणकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	65.00	4.00	17.00	0.00	86.00	2752.00	781.00	152.00	44.00	3729.00	37184.00	3682.00	7667.00	839.00	49372.00	40001.00	4467.00	7836.00	883.00	53187.00
		बकाया राशि Amount outstanding	6611.18	80.25	1631.59	0.00	8323.02	4180.85	623.99	802.76	19.67	5627.27	15015.58	211.30	2156.69	522.59	17906.16	25807.61	915.54	4591.04	542.26	31856.45
		उस पर प्रावधान Provision thereon	470.05	12.12	24.73	0.00	506.90	46.68	1.35	4.04	0.00	52.07	531.57	11.35	28.54	0.00	571.46	1048.30	24.82	57.31	0.00	1130.43
2	वर्ष के दौरान नवीन पुनर्गठन Fresh Restructuring during the year	ऋणकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	19.00	58.00	41.00	0.00	118.00	564.00	332.00	200.00	43.00	1139.00	583.00	391.00	242.00	43.00	1259.00
		बकाया राशि Amount outstanding	227.09	72.48	1031.50	0.00	1331.07	108.47	16.70	60.23	0.00	185.40	975.03	57.55	404.19	7.40	1444.17	1310.59	146.73	1495.92	7.40	2960.64
		उस पर प्रावधान Provision thereon	0.00	1.75	0.00	0.00	1.75	0.05	0.21	0.08	0.00	0.34	1.47	0.62	0.25	0.00	2.34	1.52	2.58	0.33	0.00	4.43
3	वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान पुनर्गठित मानक श्रेणी में अपग्रेडेशन Upgradation to restructured standard category during the FY 2015-16	ऋणकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	-17.00	-155.00	-3.00	0.00	573.00	-105.00	-419.00	-49.00	0.00	748.00	-126.00	-570.00	-52.00	0.00
		बकाया राशि Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.69	123.17	-142.78	-0.08	0.00	375.39	-3.68	-370.71	-1.00	0.00	395.08	-6.43	-387.57	-1.08	0.00
		उस पर प्रावधान Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	पुनर्गठित मानक अग्रिम जिन पर उच्च प्रावधानीकरण और/या वित्त वर्ष के अंत में अतिरिक्त जोखिम भार समापन और इसलिए उन्हें अगले वित्त वर्ष के प्रारम्भ में पुनर्गठित मानक अग्रिम के रुप में दिखाना आवश्यक नहीं है. Restructred standard advances which ceased to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	ऋणकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		बकाया राशि Amount outstanding	-1973.29	0.00	0.00	0.00	-1973.29	-490.54	0.00	0.00	0.00	-490.54	-2747.77	0.00	0.00	0.00	-2747.77	-5211.60	0.00	0.00	0.00	-5211.60
		उस पर प्रावधान Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान पुनर्गठित खातों का डाऊनग्रेडेशन Downgradation of restructured accounts during the FY 2015-16	ऋणकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	-22.00	1.00	19.00	2.00	0.00	-2739.00	56.00	2650.00	33.00	0.00	-12595.00	248.00	11168.00	1184.00	5.00	-15357.00	309.00	13829.00	1219.00	0.00
		बकाया राशि Amount outstanding	-2798.37	111.16	2587.65	99.56	0.00	-637.16	43.97	591.25	1.94	0.00	-5698.87	150.65	5064.23	565.54	81.55	-9163.40	427.23	8375.57	667.04	306.44
		उस पर प्रावधान Provision thereon	-88.78	0.00	88.78	0.00	0.00	-8.66	0.06	8.60	0.00	0.00	-51.75	-0.92	54.53	0.00	0.00	-154.31	1.45	152.86	0.00	0.00
6	वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान बट्टे खाते में डाले गए पुनर्गठित खाते Write off of restructured accounts during the FY 2015-16	ऋणकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	-5.00	-4.00	-4.00	0.00	-13.00	1516.00	-774.00	2097.00	-14.00	2825.00	-6323.00	-3616.00	-462.00	686.00	-9715.00	-4811.00	-4394.00	1635.00	672.00	-6898.00
		बकाया राशि Amount outstanding	1253.00	-80.25	-1350.45	0.00	-177.70	-2414.75	-619.50	-21.56	-13.07	-3068.88	1774.02	-185.36	1011.64	-234.44	2365.86	596.53	-885.11	-360.37	-247.51	-896.46
		उस पर प्रावधान Provision thereon	-175.67	-12.12	-17.78	0.00	-205.57	-17.01	-1.07	13.05	0.00	-5.03	-75.56	-8.40	48.18	0.00	-35.78	-268.24	-21.59	43.45	0.00	-246.38
7	31 मार्च 2016 को पुनर्गठित खाते Restructured accounts as on March 31, 2016	ऋणकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	38.00	2.00	33.00	2.00	75.00	1723.00	104.00	4785.00	60.00	6672.00	19403.00	541.00	18154.00	2703.00	40801.00	21164.00	647.00	22972.00	2765.00	47548.00
		बकाया राशि Amount outstanding	3319.61	183.64	3900.29	99.56	7503.10	750.47	188.33	1537.47	8.46	2484.73	9693.38	230.46	8266.04	860.09	19049.97	13734.81	597.96	13703.81	968.11	29004.69
		उस पर प्रावधान Provision thereon	205.60	1.75	95.73	0.00	303.08	21.06	0.55	25.77	0.00	47.38	405.83	2.65	131.50	0.00	539.98	632.49	4.95	253.00	0.00	890.44

ए-2.7.4. प्रतिभूतिकरण/पुनर्गठन कम्पनी अथवा आस्ति पुनर्गठन को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

A-2.7.4. Details of financial assets sold to Securitization/ Reconstruction Company or Asset Reconstruction.

(₹ करोड़ में / ₹ *in Crores)*

	विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(i)	खातों की संख्या	No. of accounts	-	1
(ii)	एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों का नेट)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	-	160.23
(iii)	कुल प्रतिफल	Aggregate consideration	-	201.60
(iv)	आरंभिक वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	-	0.00
(v)	शुद्ध बही मूल्य पर कुल लाभ / हानि	Aggregate gain/(loss) over net book value	-	41.37

ए-2.7.5. प्रतिभूति रसीदों में निवेशों के बही मूल्य का ब्यौरा

A-2.7.5. Details of Book Value of Investments in Security Receipts

(₹ करोड़ में / ₹ *in Crores)*

	विवरण		Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1.	अंतर्निहित बैंक द्वारा बिक्री किए गए एनपीए द्वारा समर्थित	i.	Backed by NPAs sold by the bank as underlying	709.53	709.77
2.	अंतर्निहित के रुप में अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बिक्री किए गए एनपीए द्वारा समर्थित	ii.	Backed by NPAs sold by other banks/financial institutions/ non-banking financial companies as underlying	-	-
	कुल		Total	709.53	709.77

ए-2.7.6. खरीदी गई / बेची गई गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

A-2.7.6. Details of non-performing financial assets purchased/sold

क. खरीदी गई गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा:

A. Details of non-performing financial assets purchased:

(₹ करोड़ में / ₹ *in Crores)*

		विवरण			Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1.	(क)	वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	1.	(a)	No. of accounts purchased during the year	-	-
	(ख)	समग्र बकाया		(b)	Aggregate outstanding	-	-
2.	(क)	इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या	2.	(a)	Of these, number of accounts restructured during the year	-	-
	(ख)	समग्र बकाया		(b)	Aggregate outstanding	-	-

ख. बेची गई गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों का विवरण :

B. Details of non-performing financial assets sold:

(₹ करोड़ में / ₹ *in Crores)*

	विवरण		Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1.	बेचे गए खातों की संख्या	1.	No. of accounts sold	-	-
2.	समग्र बकाया	2.	Aggregate outstanding	-	-
3.	समग्र प्राप्त प्रतिफल	3.	Aggregate consideration received	-	-

ग. प्रतिभूतिकरण कंपनियों को बेचे गये गैर निष्पादक खाते

C. Non Performing Accounts sold to Securitization Companies

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण Particulars	एनपीए के कारण बैंक द्वारा बिक्रय की गई अन्तर्निहित आस्तियां Backed by NPA sold by the Bank as underlying		एनपीए के कारण अन्य बैंकों / वित्तीय / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बिक्रय की गई अन्तर्निहित आस्तियां Backed by NPAs sold by Other banks/ financial / non-banking finaical companies underlying		कुल Total	
	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
प्रतिभूतियों में निवेश का बही मूल्य Book Value of Investment in Security Receipts	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL

ए-2.7.7. मानक आस्तियों पर प्रावधान

A-2.7.7. Provisions on Standard Assets

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
आरबीआई मानदण्डों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provisions towards Standard Assets as per RBI norms	2751.24	2963.74

ए-2.7.8. जमाओ, अग्रिमों, एक्सपोज़र तथा एनपीए का संकेन्द्रण

A-2.7.8. Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(क) जमाओं का संकेन्द्रण	(a) Concentration of Deposits		
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाएं	Total Deposits of twenty largest depositors	33815.47	49006.75
बैंक की कुल जमाओं में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाओं का प्रतिशत	Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank	5.89	7.94
(ख) अग्रिमों का संकेन्द्रण	(b) Concentration of Advances		
बीस सबसे बड़े ऋणियों को दिए गए कुल ऋण	Total Advances to twenty largest borrowers	38038.19	39461.16
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े ऋणियों को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	9.33%	9.00%
(ग) एक्सपोज़र का संकेन्द्रण	(c) Concentration of Exposures		
बीस सबसे बड़े ऋणियों / ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र	Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	52293.22	52961.39
बीस सबसे बड़े ऋणियों / ग्राहकों को बैंक के कुल एक्सपोज़र का प्रतिशत	Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	8.56%	7.55%
(घ) एनपीए का संकेन्द्रण	(d) Concentration of NPAs		
चार बड़े एनपीए खातों में कुल एक्सपोज़र	Total Exposure to top four NPA accounts	5642.70	1359.42
(ङ) प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)	(e) Provision Coverage Ratio (PCR)	60.09%	64.99%

ए-2.7.9. इंट्रा ग्रुप एक्स्पोजर / A-2.7.9. Intra Group Exposures

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	निधि आधारित Fund Based	निवेश आधारित Investment Based	कुल Total
इंट्रा ग्रुप एक्स्पोजर की कुल राशि	Total Amount of Intra Group Exposures	483.66	1129.69	1613.35
20 सर्वाधिक इंट्रा ग्रुप एक्स्पोजर वाले खाते	Total amount of Top 20 Intra Group Exposures	483.66	1129.69	1613.35
ऋण कर्ताओं/ग्राहकों को दिये गये बैंक के कुल एक्स्पोजर में इंट्रा ग्रुप एक्स्पोजर का प्रतिशत	Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers			
इंट्रा ग्रुप एक्स्पोजर की सीमाओं के उल्लंघन का विवरण तथा उसपर की गई विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो	Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	Nil	Nil	Nil

ए-2.8 व्यवसायिक अनुपात / A-2.8 Business Ratios

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	Interest Income as a percentage to Average Working Funds	6.31	6.62
औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय	Non-interest income as a Percentage to Average Working Funds	0.72	0.68
औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	Operating Profit as a percentage to Average Working Funds	1.26	1.53
आस्तियों पर प्रतिफल	Return on Assets	-0.78	0.49
प्रति कर्मचारी व्यवसाय (कोर जमा जोड़ अग्रिम) (₹ करोड़ में)	Business (Core Deposits plus advances) per employee (₹ in Crores)	16.80	18.89
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ में)	Profit per employee (₹ in Crores)	-0.10	0.07

A-2.9 आस्तियों और देयताओं का प्रबंधन आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता स्वरुप / A-2.9 Asset Liability Management Maturity pattern of certain items of assets and liabilities

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		1 दिन Day 1	2 से 7 दिनों 2 to 7 Days	8 से 14 दिनों 8 to 14 Days	15 से 30 दिनों 15-30 Days	31 दिनों-2 माह 31 Days - 2 Months	2 माह से अधिक - 3 माह Over 2 M - 3 Months	3 माह से अधिक - 6 माह Over 3 M - up to 6M	6 माह से अधिक - 12 माह Over 6 M - up to 12 M	1 वर्ष से अधिक - 3 वर्ष Over 1 Yr - up to 3 years	3 वर्ष से अधिक - 5 वर्ष Over 3 years - Upto 5 years	5 वर्षों से अधिक Over 5 years	कुल Total
जमा राशियां	Deposits	12411.44 (11750.79)	33924.15 (37370.27)	13281.78 (25651.23)	22275.39 (27665.94)	32673.17 (*)	29118.12 (72362.08)	72080.36 (58695.10)	123394.96 (119383.22)	117271.3 (145775.36)	17545.6 (28991.04)	100061.62 (89914.50)	574037.87 (617559.52)
अग्रिम	Advances	4822.64 (5226.85)	6283.94 (12343.90)	8605.81 (15037.74)	19864.15 (14764.58)	24496.75 (*)	37345.5 (72806.89)	36737.28 (41653.89)	28793.82 (30818.57)	143351.73 (163231.50)	36151.89 (36131.59)	37316.66 (36049.62)	383770.18 (428065.14)
निवेश	Investments	108.98 (503.21)	1806.91 (542.40)	701.4 (1245.71)	612.22 (1635.56)	1544.17 (*)	2890.78 (7232.47)	1505.3 (3194.28)	3206.12 (1003.28)	14899.71 (15115.89)	18147.32 (23339.48)	75027.6 (68507.45)	120450.52 (122319.72)
उधार	Borrowings	714.2 (1769.58)	891.71 (2451.11)	0.01 (218.75)	662.72 (1957.55)	1668.49 (*)	1431.08 (1639.78)	4961.68 (457.2)	1691.39 (3403.49)	4619.24 (4733.01)	14224.76 (10450.27)	2606.41 (8183.53)	33471.69 (35264.28)
विदेशी मुद्रा आस्तियां	Foreign Currency assets	25788.64 (40195.99)	11412.59 (9194.45)	9015.65 (12511.31)	16551.34 (16269.98)	29477.51 (*)	23579.28 (55009.91)	38240.34 (31957.89)	32268.26 (34145.73)	26883.24 (37544.77)	11429.67 (11081.96)	8047.17 (8201.71)	232693.69 (256113.71)
विदेशी मुद्रा देयताएं	Foreign Currency liabilities	10871.29 (10903.34)	29278.73 (25648.69)	7978.17 (15306.22)	16747.62 (20925.16)	19421.05 (*)	12998.72 (46824.65)	32861.74 (27190.54)	50660.59 (38904.63)	34643.28 (51825.81)	10877.73 (11345.75)	7448 (5730.47)	233786.92 (254605.27)

- कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की संख्याएं हैं.
  Figures in bracket denote previous year numbers
- आस्तियों एवं देयताओं का विभाजन ''समूह आस्ति देयता प्रबंधन एवं जोखिम नीति 2015'' के अनुसार किया गया है.
  The Distribution of Assets and Liabilities has been done as per the "Group Asset Liability Management Policy 2015" of the Bank
- शुद्ध अग्रिमों की गणना करते समय प्रावधानों एवं अन्य कटौतियों का विभाजन सकल मानक अग्रिमों के अनुपात में किया गया है.
  The Distribution of provisions and other deductions, while arriving at the net advances, has been done in proportion to the gross Standard Advances.
- 31 दिनों से 2 माह के बकेट में गत वर्ष का आंकड़े नहीं दर्शाए गए हैं. क्योंकि यह बकेटिंग भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 23 मार्च, 2016 के परिपत्र के अनुसार परिवर्तित किया गया है.
  Previous year's figures are not shown in 31 days to 2 months bucket as bucketing is changed as per RBI circular dated 23rd March 2016.

A-2.10 एक्सपोजर / A-2.10 Exposure

A-2.10.1 रियल एस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजर / A-2.10.1 Exposure to Real Estate Sector

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

श्रेणी	Category	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
क) प्रत्यक्ष एक्सपोजर	a) Direct exposure		
(i) आवासीय बंधक -	(i) Residential Mortgages –		
आवासीय संपत्ति, जो कर्जदार के स्वामित्व में है / होगी या किराए पर है, को बंधक रखते हुए पूर्ण सुरक्षित कर्ज,	Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented;	29698.11	25,789.62
इनमें से प्राथमिकता प्राप्त अग्रिमों में शामिल करने हेतु पात्र व्यक्तिगत आवास ऋण	Of which Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector	(13878.16)	(13,147.04)
(ii) वाणिज्यिक रियल एस्टेट -	(ii) Commercial Real Estate –	13414.86	13120.22
वाणिज्यिक रियल एस्टेट पर बंधक द्वारा प्रत्याभूत कर्ज (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहु-उद्देश्यी वाणिज्यिक परिसर, बहुपरिवार आवासीय भवन, बहु किराएदार कमर्शियल परिसर, औद्योगिक या वेयर हाउस स्पेस, होटल, जमीन अधिग्रहण, विकास तथा निर्माण कार्य आदि). एक्सपोज़र में गैर निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं शामिल हो सकती हैं.	Lending secured by mortgages on commercial real estate's (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;		
(iii) बंधक युक्त प्रतिभूतियों (एम बी एस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूतित एक्सपोजर	(iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures –		
क. आवासीय	a. Residential	0.00	0.00
ख. वाणिज्यिक रियल एस्टेट	b. Commercial Real Estate	0.00	0.00
ख. अप्रत्यक्ष एक्सोपजर	b. Indirect Exposure		
निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित एक्सपोजर	Fund based and non-fund based exposures		
(i) नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी)	(i) National Housing Bank (NHB)	0.00	16.37
(ii) आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी)	(ii) Housing Finance Companies (HFCs)	8836.16	9742.03
रियल एस्टेट क्षेत्र में कुल एक्सपोजर	Total Exposure to Real Estate Sector	51949.13	48668.24

A-2.10.2 पूंजी बाजार एक्सपोज़र / A-2.10.2 Exposure to Capital Market

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण		Particulars		Current Year	Previous Year
(i)	इक्विटी शेयर्स, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों, जिनके कॉरपस कार्पोरेट ऋण में अलग से निवेश नहीं किए गए हों, में प्रत्यक्ष निवेश.	(i)	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	1078.19	1061.62
(ii)	शेयरों/बांडों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की एवज़ में अग्रिम अथवा शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी), परिवर्तनशील बांडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों तथा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को निर्बंध आधार पर दिए गए अग्रिम.	(ii)	Advances against shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	7.38	7.41
(iii)	किन्हीं अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए अग्रिम जहां शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है.	(iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	4.53	0.00
(iv)	किन्हीं अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए उस सीमा तक अग्रिम, जोकि शेयरों, परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति से संरक्षित है; अर्थात जहां कि शेयरों/परिवर्तनीय बांडों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंडों के अलावा ली गयी प्राथमिक प्रतिभूति पूरी तरह से अग्रिमों को कवर नहीं कर पायी है.	(iv)	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	130.68	142.15
(v)	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती तथा गैर जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकर की ओर से जारी गारंटियां.	(v)	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	50.62	2.58
(vi)	कार्पोरेट को शेयरों/बांडों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों अथवा अपने संसाधनों के बढ़ने की प्रत्याशा में नयी कंपनियों की इक्विटी को प्रोमोटर के अंशदान के लिए निर्बंध आधार पर स्वीकृत किए गए अग्रिम.	(vi)	Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00
(vii)	संभावित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों की एवज में कंपनियों को पूरक (ब्रिज) ऋण.	(vii)	Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	12.97	0.29
(viii)	शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड के प्राथमिक मुद्दों के बारे में बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं.	(viii)	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
(ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त प्रदान करना.	(ix)	Financing to stockbrokers for margin trading;	0.25	2.92
(x)	उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत) (दोनों) समग्र का एक्सपोज़र.	(x)	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered) ;	797.38	823.77
पूंजी बाजार में कुल जोखिम		Total Exposure to Capital Market		2082.00	2040.74

पूंजी बाज़ार में ₹ 2,082.00 करोड़ का एक्सपोज़र ₹ 14,758.10 करोड़ की सीमा के अंतर्गत (अर्थात दिनांक 31.3.2015 को बैंक का ₹ 36,895.25 करोड़ की शुद्ध मालियत का 40%) है. पूंजी बाज़ार में प्रत्यक्ष एक्सपोज़र ₹ 1,883.20 करोड़ है और यह ₹ 7,379.05 करोड़ की सीमा के अंतर्गत अर्थात दि. 31.3.2015 को बैंक की ₹ 36,895.25 करोड़ की शुद्ध मालियत का 20% हैं.

The exposure to Capital Market of ₹ 2,082.00 Crores is within the limit of ₹ 14,758.10 Crores (i.e. 40% of Bank's Net worth of ₹ 36,895.25 Crores as on 31.03.2015). The direct exposure to Capital Market is ₹ 1,883.20 Crores and is within the limit of ₹ 7,379.05 crores i.e. 20% of the Bank's net worth of ₹ 36,895.25 crores as on 31.03.2015.

ए-2.10.3 जोखिम श्रेणीवार देशीय एक्सपोज़र

A-2.10.3 Risk Category wise Country Exposure

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

श्रेणी	Category	31 मार्च 2016 को एक्सपोज़र (शुद्ध) Exposure (net) as on 31st March 2016	31 मार्च 2016 को प्रावधान Provision held as on 31st March 2016	31 मार्च 2015 को एक्सपोज़र (शुद्ध) Exposure (net) as on 31st March 2015	31 मार्च 2015 को प्रावधान Provision held as on 31st March 2015
महत्वहीन	Insignificant	82776.42	68.24	113135.92	88.41
न्यून	Low	48874.14	37.06	52456.53	29.70
मध्य	Moderate	3292.46		2295.10	--
उच्च	High	1872.43		1512.14	--
अधिक उच्च	Very High	7.80		15.38	--
सीमित	Restricted	0.63		0.10	--
ऋण से इतर	Off-credit	0.16		0.26	--
अ-मूल्यांकित	Not Rated	347.65		313.92	--
कुल	Total	137171.69	105.30	169729.35	118.11

ए-2.10.4 बैंक द्वारा पार की गई एकल ऋणी सीमा (एसबीएल)/ समूह ऋणी सीमा (जीबीएल)

A-2.10.4 Single Borrower Limit (SBL)/ Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

वर्ष Year	ऋणी का नाम Name of Borrower	एकल कर्जदार एक्सपोज़र सीमा Single Borrower Exposure limit	कुल निर्धारित सीमा Total Limit Sanctioned	31 मार्च को शेष Balance as on 31st March
2015-16	-	-	-	-
2014-15	-	-	-	-

वर्ष Year	ऋणी का नाम Name of Group	समूह कर्जदार एक्सपोज़र सीमा Group Borrower Exposure limit	कुल निर्धारित सीमा Total Limit Sanctioned	31 मार्च को शेष Balance as on 31st March
2015-16	-	-	-	-
2014-15	-	-	-	-

ए-2.10.5 गैरजमानती अग्रिम राशि

ऐसे अग्रिमों की राशि जिनके लिए अधिकारों, लायसेंस, प्राधिकार आदि पर प्रभार जैसी अमूर्त प्रतिभूतियां के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक के दि. 1 जुलाई 2015, के परिपत्र संख्या डीबीआर.बीपी.बीसी संख्या 23/21.04.018/2015-16 के अनुसार ली गई मूर्त प्रतिभूतियां शून्य हैं.

ए-2.11 विविध

ए-2.11.1 वर्ष के दौरान कराधान हेतु किए गए प्रावधानों की राशि

A-2.10.5 Amount of Unsecured advances

The amount of advances, for which intangible securities, such as charge over the rights, licenses, authority etc. have been taken as tangible security is Nil as per RBI Circular No. DBR.BP.BC No.23/21.04.018/2015-16 dated 01st July 2015.

A-2.11 Miscellaneous

A-2.11.1 Amount of Provisions for Taxation during the year

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
संपत्ति कर एवं आस्थगित कर सहित करों हेतु प्रावधान	Provision for Tax including Wealth tax & deferred tax	-1146.18	2089.96
घटाएं - पिछले वर्षों से संबंधित कर प्रावधानों का रिवर्सल	Less : reversal of Tax Provisions relating to previous years	156.35	67.79
कर के लिए शुद्ध प्रावधान	Net provision for Tax	-1302.53	2022.17

ए-2.11.2 भारतीय रिज़र्व बैंक / विदेशी नियामकों द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेकेट में गंदे / जाली नोटों के लिए करंसी चेस्ट पर ₹ 8,38,337/- की पेनल्टी लगाई गई, बैकिंग लोकपाल द्वारा ₹ 2,89,350/- की पेनल्टी लगाई गई. इसके अतिरिक्त 'वित्तीय आसूचना इकाई-भारत' द्वारा संदिग्ध संव्यवहारों के प्रयास की रिपोर्टिंग में विफलता के लिए ₹ 3,00,000/- की पेनल्टी लगाई गई. विदेशी परिचालनों में, विभिन्न पेनल्टियां मिलाकर कुल ₹ 34.17 लाख सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान को युरो में बिल हेतु भुगतान किए गए. मास्टर विजा उन्नयन प्रोजेक्ट तथा जमा देने की शर्तों का उल्लंघन के लिए ₹ 0.17 लाख सरकारी विभाग यूएई का प्रस्तुत आवेदन का संम्बधित सरकारी विभाग को प्रत्युत्तर न देने की लिए, ₹ 0.10 लाख सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई का आईसीसीएस/डीडीएस/एफटीएस के लिए कट-ऑफ समय के बाद उत्तर देने हेतु तथा ₹ 0.72 लाख श्रम मंत्रालय, आरएके को एक कर्मचारी के श्रम-अनुबंध के निस्तारण में विलंब हेतु भुगतान किए गए.

A-2.11.2 Disclosure of penalties imposed by RBI / Overseas Regulators

During the year penalty of Rs 8,38,337/- was levied by Reserve Bank of India on Currency Chests for soiled/ forged notes in the packets, penalty of ₹ 2,89,350/- was levied by Banking Ombudsman. In addition to above, a penalty of ₹ 3,00,000/- was imposed by "Financial Intelligence Unit – India" for failure in reporting attempted suspicious transactions. In overseas Operations, various penalties aggregating to ₹ 34.17 lacs were paid to Central Bank of Oman for delay in Euro, Master Visa up-gradation project and for violating terms of giving credit, ₹ 0.17 lac to Govt. dept UAE for not responding to Govt. dept in respect of application submitted, ₹ 0.10 lacs to Central Bank of UAE for delay in response beyond cut off time for ICCS/DDS/FTS and Rs 0.72 lacs to Ministry of Labour, RAK for delayed cancellation of Labour contract of an employee.

ए-2.11.3 प्रायोजित तुलनपत्रोत्तर (ऑफ-बैलेंस शीट) एसपीवी (जिन्हें लेखा मानदंडों के अनुसार समेकित करना अपेक्षित है.)

A-2.11.3 Off-balance sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

प्रायोजित एसपीवी का नाम Name of the SPV sponsored	
घरेलू / Domestic	विदेशी / Overseas
शून्य / Nill	शून्य / Nill

ए-2.11.4 प्रतिभूतीकरण

A-2.11.4 Securitization

क्र. सं. S. No.	विवरण	Particulars	संख्या / राशि (₹ करोड़ में) No. / Amount (₹ in crores)
1.	प्रतिभूतीकरण संव्यवहार के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या	No. of SPVs sponsored by the bank for Securitization transaction	शुन्य NIL
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बही के अनुसार प्रतिभूतीकरण आस्तियों की कुल राशि	Total amount of Securitized assets as per books of the SPVs sponsored by the Bank	
3.	तुलनपत्र की तिथि को न्यूनतम धारण आवश्यकता (एमआरआर) के अनुपालन के लिए बैंक द्वारा प्रतिधारित जोखिम की कुल राशि	Total amount of exposures retained by the bank to comply with minimum retention requirement (MRR) as on the date of Balance Sheet	
	क) तुलनपत्रेतर जोखिम प्रथम हानि अन्य	a) Off-balance sheet exposures First Loss Others	
	ख) तुलनपत्र का जोखिम प्रथम हानि अन्य	b) On balance sheet exposures First Loss Others	
4.	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतीकरण अंतरण से जोखिम की राशि	Amount of Exposures to securitization transactions other than MRR	
	क) तुलनपत्रेतर जोखिम	a) Off-balance sheet exposures	
	i) अपने प्रतिभूतीकरण से जोखिम प्रथम हानि हानि/अन्य	i) Exposures to own securitizations First Loss Loss/Others	
	ii) तीसरे पक्ष के प्रतिभूतीकरण से जोखिम प्रथम हानि अन्य	ii) Exposures to third party securitizations First Loss Others	

क्र. सं. S. No.	विवरण	Particulars	संख्या / राशि (₹ करोड़ में) No. / Amount (₹ in crores)
ख)	तुलनपत्र का जोखिम	b) On–balance sheet exposures	
i)	अपने प्रतिभूतिकरण से जोखिम प्रथम हानि हानि/अन्य	i) Exposures to own securitizations First Loss Loss/Others	
ii)	तृतीय पक्ष प्रतिभूतिकरण से जोखिम प्रथम हानि अन्य	ii) Exposures to third party securitizations First Loss Others	

ए-3. प्रावधानों व आकस्मिकताओं का विश्लेषित विवरण

A-3 Break up of Provisions and Contingencies

ए-3.1 लाभ व हानि खाते में आने वाले प्रावधान व आकस्मिकताओं का विश्लेषित विवरण इस प्रकार है:

A-3.1 Break-up of provisions and contingencies appearing in Profit & Loss Account is as under:

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान (शुद्ध प्रलेखित तथा बट्टे खाते डाले गए सहित)	Provision for depreciation on investment (net of written back and including write off)	341.46	(149.35)
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों/एनपीए के लिए प्रावधान (शुद्ध प्रलेखित)	Bad debts written off / Provision made towards NPA (net of written back)	14007.73	3785.91
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	Provision for standard assets	-258.11	548.12
कर हेतु प्रावधान-आस्थगित करों, और संपदा कर सहित (प्रावधानों के प्रत्यावर्तन का शुद्ध)	Provision for taxes including deferred taxes, and Wealth tax (net of reversal of provisions)	-1302.53	2022.17
अन्य प्रावधान तथा आकस्मिकताएं	**Other Provision and Contingencies**		
पुनर्गठित मानक व अवमानक खातों में ब्याज के परित्याग हेतु प्रावधान	Provision towards sacrifice of interest in restructured standard and sub-standard accounts	-241.82	211.16
देशगत जोखिम प्रबंधन हेतु प्रावधान	Provision for Country Risk Management	-12.81	73.39
कर्मचारी कल्याण खर्च हेतु प्रावधान	Provision for staff welfare expenses	25.00	25.00
अन्य (इसमें धोखधडियों, बैंक के विरुद्ध दावों, उचन्त खातों आदि हेतु प्रावधान शामिल हैं).	Others (includes provision for fraud, claim against bank, sensitive accounts etc.)	1652.20	0.26
कुल	Total	14211.12	6516.66

ए-3.2 अस्थायी प्रावधान - व्यापक प्रकटीकरण

A-3.2 Floating Provisions – Comprehensive Disclosures

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

	विवरण		Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
क.	अस्थायी प्रावधान खाते में आरम्भिक शेष	a.	Opening balance in the floating provisions account	425.35	850.35
ख.	लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की राशि	b.	The quantum of floating provisions made in the accounting year	0.00	-
ग.	लेखा वर्ष के दौरान किए गए ड्रा डाउन की राशि	c.	Amount of draw down made during the accounting year	0.00	425.00
घ.	अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष	d.	Closing balance in the floating provisions account	425.35	425.35

ए-3.3 अरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम पर प्रावधान

A-3.3. Provision on Unhedged Foreign Currency Exposure–

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण		Particulars		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
क.	प्रारंभिक शेष प्रावधान खाता	a.	Opening balance provisions account	69.09	--
ख.	लेखा वर्ष में किये गये प्रावधानों की राशि	b.	The quantum of provisions made in the accounting year	9.93	69.09
ग.	लेखा वर्ष के दौरान रिवर्स की गई राशि	c.	Amount Reverse during the accounting year	--	--
घ.	प्रावधान खाते का अंतिम शेष	d.	Closing balance in the provisions account	79.02	69.09

बैंक ने करेन्सी इंड्यूस्ड क्रेडिट रिस्क की कोई नीति तैयार नहीं की है तथापि, बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन कर रहा है.

31.3.2016 के अरक्षित विदेशी मुद्रा उधारियों के एवज में बैंक द्वारा दिये गये ऋणों की राशि 80बीपीएस पर प्रावधान राशि पर ₹ 8,191.31 करोड़ थी. अतिरिक्त न्यूनतम पूंजी आवश्यकता राशि ₹ 165.77 करोड़ के एवज में अतिरिक्त आरडब्ल्यूए ₹ 1,722.24 करोड़ है.

ए-3.4 प्रारक्षित निधियों में गिरावट (ड्रा डाउन)

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्रारक्षित निधियों में कोई गिरावट (ड्रा डाउन) नहीं हुई है.

ए-4. शिकायतों का प्रकटीकरण

I. ग्राहक शिकायत (एटीएम की शिकायतें छोडकर)

The Bank has not prepared any policy with regard to Currency induced Credit Risk. However, the Bank is following regulatory guideline issued by the Reserve Bank of India.

As on 31.03.2016, the amount of bank's credit exposure against Unhedged Foreign Currency exposure of borrowers attracting 80 bps provisions was ₹ 8191.31 crores. The additional RWA on this exposure is ₹ 1722.24 crores against this additional minimum capital requirement is ₹ 165.77 crores.

A-3.4 Draw Down from Reserves

During the Financial Year 2015-16, there has been no draw down from the reserves.

A-4 Disclosure of complaints

I. Customer Complaints (Other than ATM)

विवरण		Particulars		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(क)	वर्ष के शुरू में लंबित शिकायतों की संख्या	a.	No. of complaints pending at the beginning of the year	94	132
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	b.	No. of complaints received during the year	25236	19254
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	c.	No. of complaints redressed during the year	25209	19292
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	d.	No. of complaints pending at the end of the year	121	94

* इनमें से 121 शिकायतें (गत वर्ष 94 शिकायतें) 30 दिनों से कम पुरानी हैं.

II. एटीएम संबंधी शिकायतें

* Out of these, all 121 nos. of complaints (Previous year 94 nos.) are pending for less than 30 days.

II. ATM Complaints

विवरण		Particulars		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(क)	वर्ष के शुरू में एटीएम से संबंधी लंबित शिकायतों की संख्या	a.	No. of ATMs complaints pending at the beginning of the year	5215	4830
(ख)	वर्ष के दौरान एटीएम से संबंधी प्राप्त शिकायतों की संख्या	b.	No. of ATMS complaints received during the year	280627	252939
(ग)	वर्ष के दौरान एटीएम से संबंधी निपटाई गई शिकायतों की संख्या	c.	No. of ATMs complaints redressed during the year	283504	252554
(घ)	वर्ष के अंत में एटीएम से संबंधी लंबित शिकायतों की संख्या	d.	No. of ATMs complaints pending at the end of the year	2338	5215

III. बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए निर्णय

III. Awards passed by the Banking Ombudsman

विवरण		Particulars		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(क)	वर्ष के शुरु में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	a.	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	0	1
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए निर्णयों की संख्या	b.	No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	6	11
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित निर्णयों की संख्या	c.	No. of Awards implemented during the year	6	12
(घ)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	d.	No. of unimplemented Awards at the end of the year	0	0

ए-5. चुकौती आश्वासन पत्र की स्थिति

(I) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)

बैंक ने चालू वर्ष के दौरान विदेशी/देशीय नियामकों द्वारा अपनी अनुषंगियों की स्थापना करने/शाखाओं को खोलने के लिए अपना अनुमोदन प्राप्त करते समय आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में कोई आश्वासन पत्र जारी नहीं किया.

(II) 31.03.2016 को बकाया चुकौती आश्वासन पत्रों की संचयी स्थिति

बैंक ने निम्नलिखित आश्वासन पत्र जारी किए हैं.

(i) वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान विदेशी/देशी विनियामकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अनुषंगियों की स्थापना / शाखाएं खोलने हेतु उनसे अनुमोदन प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड का उस देश में बैंक की अनुषंगी के लिए चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया गया था. दि.31.03.2016 के लेखा परीक्षित लेखों के अनुसार अनुषंगी की जमाएं ₹ 184.86 करोड़ एवं बाहरी देयताएं ₹ 3.00 करोड है. बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा जारी किया गया एलओसी ₹ 187.86 करोड़ की समस्त राशि अर्थात जमाराशि एवं बाहरी देयताओं को कवर करता है. तथापि 31.03.2016 को इस अनुषंगी की शुद्ध मालियत ₹ 207.70 करोड़ है, इसलिए यह संपूर्ण जमा राशि और बाहरी देयताओं को कवर करती है.

(ii) वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने संयुक्त उद्यम बैंक - इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी (आईआईबीएमबी) में बैंक की 40% शेयरधारिता की सीमा तक बैंक ऑफ़ नेगारा मलेशिया को आश्वासन पत्र जारी किया है. दिनांक 31.03.2016 को बैंक की कुल जमा राशि ₹ 215.96 करोड़ एवं अन्य देयताएं ₹ 4.98 करोड़ अर्थात कुल ₹ 220.94 करोड़ है. दिनांक 31.03.2016 को इस अनुषंगी की निवल मालियत ₹ 543.92 करोड़ है

A-5. Status of Letters of Comfort

I Letters of Comfort (LOC's) issued during the Current Financial Year

During the current financial year, the Bank has not issued any Letter of Comfort to meet the requirements of the overseas/domestic regulators while seeking their approval for establishing subsidiaries / opening of branches.

II Cumulative position of LOC's outstanding as on 31.03.2016

The Bank has issued the following Letter of Comforts

(i) During financial year 2008-09 to meet the requirements of the overseas/ domestic regulators while seeking their approval for establishing subsidiaries/ opening of branches, the Letter of Comfort was issued to Reserve Bank of New Zealand for the Bank's subsidiary in that country. As per audited accounts as on 31.03.2016, the deposits of the Subsidiary are ₹ 184.86 Crores and outside liabilities are ₹ 3.00 Crores. The LOC issued by Bank of Baroda covers this entire amount of Rs 187.86 Crores i.e. deposit and outside liabilities. However, the net worth of the Subsidiary as on 31.03.2016 is ₹ 207.70 Crores and therefore it covers the entire deposits and outside liabilities.

(ii) During financial year 2010-11, the Bank has issued Letter of comfort to the Bank Negara Malaysia to the extent of the Bank's 40% shareholding in the joint venture Bank – India International Bank (Malaysia) Bhd' (IIBMB). As on 31.03.2016, the deposits of the Bank are ₹ 215.96 Crores and other liabilities are ₹ 4.98 Crores i.e. total of ₹ 220.94 Crores. The net worth of the Subsidiary as on 31.03.2016 is ₹ 543.92 crores.

ए-6 तीसरी पार्टी के उत्पादों के विपणन से अर्जित आय / A-6 Income earned for marketing third party products

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Nature of Income	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
जीवन बीमा पालिसियों की बिक्री हेतु	For selling life insurance policies	18.75	19.18
गैर जीवन बीमा पालिसियों की बिक्री हेतु	For selling non life insurance policies	13.29	12.55
म्यूच्यूअल फंड प्रोजेक्टों की बिक्री हेतु	For selling mutual fund products	3.36	3.65
इक्विटी ब्रोकिंग उत्पाद	Equity broking product	0.30	0.42

ए-7 जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरुकता निधि (डीईएएफ) में अंतरण / A-7 Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
डीईएएफ को अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष	Opening balance of amount transferred to DEAF	268.10	0.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि	Add: Amount transferred to DEAF during the year	48.50	268.26
घटायें: डीईएएफ द्वारा दावों के पेटे प्रतिपूर्ति की गई राशि	Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	0.00	0.16
डीईएएफ को अंतरित राशि का अंतिम शेष	Closing Balance of amounts transferred to DEAF	316.60	268.10

ए-8. चलनिधि कवरेज अनुपात
A-8 Liquidity Coverage Ratio

क.8.1.मात्रात्मक प्रकटीकरण
A-8.1 Quantitative Disclosure

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) प्रकटीकरण - मार्च 2016
Liquidity Coverage Ratio (LCR) Disclosure - March 2016

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

	बैंक का नाम: बैंक ऑफ़ बड़ौदा Name of the Bank : Bank of Baroda		मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष का तिमाही औसत (एकल आधार पर) Quarterly Averages of Financial Year Ending - March 2016 (Solo Basis)		मार्च, 2016 को समाप्त चतुर्थ तिमाही के लिए मासिक औसत (एकल आधार पर) Monthly Averages of Q4 Ending - March 2016 (Solo Basis)		मार्च, 2016 को समाप्त चतुर्थ तिमाही के लिए मासिक औसत (समेकित आधार पर) Monthly Averages of Q4 Ending - March 2016 (Consolidated Basis)	
	चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) प्रकटीकरण		Total Unweighted Value	Total Weighted Value	Total Unweighted Value	Total Weighted	Total Unweighted Value	Total Weighted Value
	उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां	High Quality Liquid Assets						
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		72994.17		76609.30		77218.95
	नकदी बाह्य प्रवाह	Cash Outflows						
2	रिटेल जमा एवं छोटे व्यावसायिक ग्राहकों की जमाराशियां, जिनमें से:	Retail deposit and deposits from small business customers, of which:	342007.69	29468.28	359016.86	32722.15	369466.62	33583.14
(i)	स्थिर जमाराशियां	Stable Deposits	94649.83	4732.49	63590.81	3179.54	67270.35	3363.52
(ii)	घटाएं: स्थिर जमाराशियां	Less Stable Deposits	247357.86	24735.79	295426.05	29542.61	302196.27	30219.63
3	अप्रत्याभूत थोक वित्तीयन, जिनमें से	Unsecured wholesale funding, of which:	103725.87	77453.80	112562.79	79602.92	113227.96	80272.18
(i)	परिचालनगत जमाराशियां (सभी काउंटर पार्टियों की)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	गैर परिचालनगत जमाराशियां (सभी काउंटर पार्टियों की)	Non-operational deposits (all counterparties)	103725.87	77453.80	112562.79	79602.92	113227.96	80272.18
(iii)	अप्रत्याभूत ऋण	Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	प्रत्याभूत थोक वित्तीयन	Secured wholesale Funding		667.24		2318.14		2318.14
5	आंतरिक आवश्यकताएं	Additional requirements, of which	64862.27	21678.41	71388.40	18107.00	72500.59	18189.24
(i)	डेरीवेटिव एक्पोजर तथा अन्य संपर्श्विक आवश्कताओं से संबंधित बाह्य प्रवाह	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	208.15	208.15	141.40	141.40	141.40	141.40
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियों की हानि संबंधित बाह्य प्रवाह	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण एवं चलनिधि सुविधाएं	Credit and liquidity facilities	64654.12	21470.26	71247.00	17965.60	72359.19	18047.84
6	अन्य संविदागत निधियन संबंधी बाध्यताएं	Other contractual funding obligations	1726.26	1726.26	653.77	653.77	741.59	741.59
7	अन्य आकस्मिक निधियन संबंधी बाध्यताएं	Other contingent funding obligations	59776.51	2988.83	58203.88	2910.19	59091.34	2954.57
8	कुल नकदी बाह्य प्रवाह	TOTAL CASH OUTFLOWS		133982.82		136314.17		138058.85
	नकदी अंतर्प्रवाह	Cash Inflows						
9	प्रत्याभूत उधार देना (जैसे, रीवर्स रेपो)	Secured lending (e.g. reverse repos)	2560.51	495.39	1567.85	62.46	2415.87	256.38
10	पूर्णत: अर्जक एक्पोजर से अंतर्प्रवाह	Inflows from fully performing exposures	54379.52	46218.61	55410.01	47853.56	59383.41	50171.61
11	अन्य नकदी अंतर्प्रवाह	Other cash inflows	21656.88	14923.20	12689.80	11418.99	13071.38	11581.49
12	कुल नकदी अंतर्प्रवाह	TOTAL CASH INFLOWS	78596.91	61637.20	69667.65	59335.01	74870.65	62009.49
				Total Adjusted Value		Total Adjusted Value		Total Adjusted Value
13	कुल एचक्यूएलए	TOTAL HQLA		72994.17		76609.30		77218.95
14	कुल शुद्ध नकदी बाह्य प्रवाह	TOTAL NET CASH OUTFLOWS		72345.62		76979.16		76049.36
15	चलनिधि कवरेज अनुपात	LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)		100.90%		99.52%		101.54%

ए. 8.2.गुणात्मक प्रकटीकरण

01 जनवरी, 2015 से बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) संबंधी दिशा-निर्देशों को क्रियान्वित कर दिया गया है.

एलसीआर मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक भार-रहित एचक्यूएलए के पर्याप्त स्तर को बनाए रखे ताकि उसे अत्यधिक तरलता संबंधी तनाव की स्थिति में 30 कैलेंडर दिनों के लिए इसकी चलनिधि संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए नकदी परिवर्तित किया जा सके. एलसीआर तथा निगरानी संबंधी उपाय भारतीय बैंकों के लिए समग्रत: बैंक स्तर पर लागू है अर्थात शाखाओं के जरिए विदेशी परिचालन सहित स्टैंड अलोन आधार पर एलसीआर के दो घटक हैं

i तनावग्रस्त स्थिति में उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) के स्टॉक का मूल्य - द न्यूमरेटर

ii कुल शुद्ध नकदी बाह्य-प्रवाह : ''शुद्ध नकदी बाह्य-प्रवाह को कुल अनुमानित नकदी बाह्य-प्रवाह'' में से ''कुल अनुमानित नकदी अंतर-प्रवाह'' घटाने के बाद प्राप्त राशि के रूप में परिभाषित किया गया है. इसका उपयोग (तनावग्रस्त अवधि के बाद) अगले 30 दिनों के लिए किया जाता है. दि डिनोमिनेटर

एलसीआर = उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों का स्टॉक/अगले 30 दिनों में कुल शुद्ध नकदी बाह्य प्रभाव >= 100%
भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, एलसीआर चरणबद्ध रूप में लागू किया जाएगा जो 01 जनवरी 2015 से न्यूनतम 60% से आरंभ होकर 01 जनवरी 2019 तक न्यूनतम 100% तक होगा.

A-8.2 Qualitative Disclosure:

From 1st January 2015, the bank has implemented guidelines on Liquidity Coverage Ratio (LCR) of the Reserve Bank of India.

The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered HQLAs that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario. The LCR and monitoring tools are applicable for Indian banks at whole bank level only i.e. on a stand-alone basis including overseas operations through branches.

The LCR has two components:

(i) The value of the stock of high-quality liquid assets (HQLA) in stressed conditions –the numerator.

(ii) Total net cash outflows : The term "Total net cash outflows" is defined as "Total expected cash outflows" minus "Total expected cash inflows" in the specified stress scenario for the subsequent 30 calendar days (the stressed period).-the denominator.

LCR = Stock of High Quality Liquid Assets/Total Net Cash Outflows over the next 30 calendar days >=100%

According to RBI, the LCR will be introduced in a phased manner starting with a minimum requirement of 60% from January 1, 2015 and reaching minimum 100% on January 1, 2019.

	जनवरी 01, 2015 January 1 2015	जनवरी 01, 2016 January 1 2016	जनवरी 01, 2017 January 1 2017	जनवरी 01, 2018 January 1 2018	जनवरी 01, 2019 January 1 2019
न्यूनतम एलसीआर Minimum LCR	60%	70%	80%	90%	100%

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 31 मार्च, 2015 के दिशानिर्देशों के अनुसार हमने दिनांक 31 मार्च, 2016 का समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एकल आधार पर एलसीआर प्रकटीकरण किया है. मौजूदा दिशानिर्देशों के अधीन दिनांक 1 जनवरी, 2016 से भारतीय बैंकिंग प्रणाली पर समेकित आधार पर प्रकटीकरण लागू है. अत: हमने मार्च, 2016 का समाप्त चतुर्थ तिमाही के लिए समेकित प्रकटीकरण तैयार किया है.

एचक्यूएलए की संरचना

एसएलआर (सीमांत स्थायी सुविधा तथा एलसीआर के अंतर्गत तरलता का लाभ उठाने की सुविधा) की बाध्यकारी स्थिति के तहत ऋण सुविधा, एचक्यूएलए का सबसे बड़ा धारक है जो लगभग 43.63% है, जिसके बाद अतिरिक्त एसएलआर 30.59% पर है. स्तर-1 की आस्तियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनिवार्य की गई न्यूनतम 60% की एचक्यूएलए के समान 98.40% है. स्तर-2 की आस्तियां जोकि स्तर-1 की आस्तियों की तुलना में गुणवत्ता में निम्न है, वह 40% के अधिकतम अनिवार्य स्तर के सामने कुल एचक्यूएलए का 1.60% है.

As per the RBI guidelines dated 31st March 2015, we have made LCR disclosure on solo basis for the financial year ending March 2016. In terms of extant guideline disclosure on consolidated basis is applicable to Indian banking system from 1st January 2016 and onwards. We have therefore prepared consolidated disclosure for the fourth quarter ending March 2016.

Composition of HQLA

Borrowing facility within the mandatory portion of SLR (Marginal Standing facility and Facility to avail liquidity under LCR) is the largest component of HQLA constituting nearly 43.63% followed by excess SLR at 30.59%. Level 1 Assets constitute 98.40% of HQLA against minimum 60% mandated by the Reserve Bank Of India. Level 2 assets which are lower in quality as compared to level 1 asset as HQLA constitute 1.60% of total HQLA, against the maximum mandated level of 40%.

उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)	High Quality Liquid Assets (₹HQLAs)	एचक्यूएलए में औसत अंशदान प्रतिशत Average percentage contribution to HQLA
लेवल 1 आस्तियां	Level 1 Assets	
हाथ में नकदी	Cash in hand	7.23%
आधिक्य सीआरआर शेष	Excess CRR balance	13.85%
न्यूनतम एसएलआर आवश्यकता के अलावा सरकारी प्रतिभूतियां	Government Securities in excess of minimum SLR requirement	30.59%
एमएसएफ के द्वारा अनुमत सीमा तक अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता के तहत सरकारी प्रतिभूतियां (वर्तमान में एमएसएफ के लिए तथा अनुमत एनडीटीएल की 2 प्रतिशत सीमा तक)	Government securities within the mandatory SLR requirement, to the extent allowed by RBI under MSF (presently to the extent of 2 per cent of NDTL as allowed for MSF)	11.61%
बासेल II मानकीकृत एप्रोच के अंतर्गत 0% रिस्क रेटेड वाले विदेशी संप्रभुओं द्वारा जारी की गई अथवा प्रत्याभूत बाजार योग्य प्रतिभूतियां (मेमो क्र.सं. के अंतर्गत देशवार विवरण)	Marketable securities issued or guaranteed by foreign sovereigns having 0% risk-weight under Basel II Standardized Approach (country-wise details to be provided under memo item no.1)	3.10%
चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए तरलता हेतु सुविधा (वर्तमान में एमएसएफ के लिए यथा अनुमत एनडीटीएल की 8 प्रतिशत सीमा तक)	Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio(presently to the extent of 8 per cent of NDTL as allowed for MSF)	32.02%
कुल समायोजित लेवल आस्तियां	Total Adjusted Level 1 Assets	98.40%
कुल लेवल 2ए आस्तियां	Total Level 2A Assets	1.49%
कुल लेवल 2बी आस्तियां	Total Level 2B Assets	0.11%
एचक्यूएलए के कुल स्टॉक = लेवल 1 + लेवल 2ए+ लेवल 2बी -15% सीमा के समायोजन - 40% सीमा के समायोजन.	Total Stock of HQLAs = Level 1 + Level 2A + Level 2B – Adjustment for 15% cap – Adjustment for 40% cap	100.00%

अंतः अवधि परिवर्तन तथा समयोपरांत परिवर्तन

मार्च, 2016 माह में अतिरिक्त एसएलआर पूर्व के महीनों की तुलना में कम था. अतिरिक्त सीआरआर जनवरी, 2016 माह में पूर्व के महीनों की तुलना में अधिकतम रहा. एलसीआर अगस्त, 2015 में 145.36% के स्तर पर अधिकतम रहा और 30 सितंबर, 2015 को 83.27% के न्यूनतम स्तर पर रहा.

निधियन स्त्रोतों का संकेन्द्रण

निधियों के स्त्रोतों का कोई अनुचित संकेन्द्रण नहीं पाया गया और न ही निधियों के स्त्रोतों में जोखिम के संकेन्द्रण के परिप्रेक्ष्य में कोई काउंटर-पार्टियां महत्वपूर्ण रहीं. किसी भी कांऊटर पार्टी का हिस्सा बैंक की कुल देयताओं के 1% से अधिक न था. महत्वपूर्ण काउन्टर पार्टियों को एक एकल काउन्टर पार्टी या जुड़ी हुई सहबद्ध काउन्टर पार्टियों के समूह के रुप में परिभाषित किया गया है जिनका मिलाकर लेखा बैंक की कुल देयताओं के 1% से अधिक हैं.

उसी प्रकार कोई भी लिखत/उत्पाद बैंक की कुल देयताओं के 1% से अधिक का नहीं है. एक 'महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद' को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि - एक सिंगल लिखत/उत्पाद या वैसे ही लिखतों/उत्पादों का समूह, जिनकी सकल राशि बैंक की कुल देयताओं में 1% से अधिक है. निधिगत लिखत/उत्पादों का उदाहरण-हॉलसेल जमाराशियां जमाराशियों के प्रमाणपत्र, दीर्घावधि के आवधिक बॉंड इत्यादि. बैंक के एकल आधारित सर्वोच्च 10 जमाकर्ता का हिस्सा हमारी कुल जमाराशियों का 4.19% हैं.

Intra-period changes as well as changes over time:

The composition of excess SLR was less as on March 16 as compared to previous months. Excess CRR was higher in the month of January 2016 as compared to other months. The LCR was maximum at 145.36% as on August 2015 and minimum at 83.27% as on 30th September 2015.

Concentration of funding sources

There has been no undue concentration of funding sources and no counterparty is significant in terms of concentration risk in sources of funds. No counterparty contributes more than 1% of the bank's total liabilities. A significant counterparty is defined as a single counterparty or group of connected or affiliated counterparties accounting in aggregate for more than 1% of the bank's total liabilities.

Similarly no instrument/product constitutes more than 1% of the bank's total liabilities. A "significant instrument/product" is defined as a single instrument/product of group of similar instruments/products which in aggregate amount to more than 1% of the bank's total liabilities. Example of funding instruments/products - wholesale deposits, certificates of deposits, long term bonds, etc. Top 10 depositors of the bank on solo basis constitute 4.19 % of our total deposits.

डेरीवेटीव एक्सपोज़र एवं संभाव्य संपार्श्विक कॉल्स:

बैंक का डेरीवेटीव एक्सपोज़र निम्नानुसार है:

Derivative exposures and potential collateral calls:

The bank's derivative exposure is as under:

क्रम सं S.No.	विवरण	Description	(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)
1	डेरीवेटीव एक्सपोज़र की काल्पनिक राशि	Notional amount of Derivative exposure	142410.98
2	चालू एक्सपोज़र पद्धति के अनुसार एक्सपोज़र	Exposure as per Current Exposure method	4993.78
3	अगले 30 दिनों के लिए डेरीवेटीव एक्सपोज़र	Expected outflow for Derivative exposure for next 30 days	117.36

एलसीआर में मुद्रा-मिसमैच:

सभी महत्वपूर्ण मुद्राओं के लिए हम मुद्रा वार एलसीआर की गणना करते हैं. महत्वपूर्ण मुद्रा वह है जहां उस मुद्रा में सकल देयताओं की मूल्य-राशि बैंक की कुल देयताओं का 5% या अधिक हो, जैसे कि यूएस डोलर, यूरो, जीबीपी एवं अन्य.

इस विदेशी मुद्राओं के लिए एलसीआर निम्नानुसार है

Currency mismatch in the LCR:

We calculate currency wise LCR for all significant currencies. A significant currency is one where aggregate liabilities denominated in that currency amount to 5 per cent or more of the bank's total liabilities viz USD, EURO, GBP and others.

The LCR for the significant foreign currencies is as under:

क्रम सं /S.No.	मुद्रा / Currency	एलसीआर का स्तर / LCR level
1	यूएसडी / USD	34.68%
2	जीबीपी / GBP	63.23%
3.	ईयूआर / EUR	9.96%

चलनिधि प्रबंधन की केंद्रीयकरण की डिग्री का विवरण तथा समूह की इकाइयों के बीच पारस्परिक प्रभाव:

उद्यमवार आधार पर बैंक के लिए चलनिधि प्रबंधन की जिम्मेवारी निदेशक मंडल की है. निदेशक मंडल अपनी यह जिम्मेवारी निदेशक मंडल की समिति को जिसे 'जोखिम प्रबंधन पर निदेशक मंडल की समिति' कहा जाता है, सौंप देता है. यह समिति विभिन्न प्रकार के जोखिमों तथा चलनिधि पर इसके प्रभाव के बीच सहबद्धता परिवेक्षण के लिए उत्तरदाई है.

हमारे बैंक में ग्रूप एएलएम पॉलिसी है जो समूह के भीतर चल निधि एवं ब्याज दर जोखिम को संचालित करने के लिए बृहद दिशा निर्देश उपलब्ध कराती है. विदेशों में परिचालित बैंक की इकाइयां अपनी परिचालन चल निधि या अल्पावधि चल निधि लगातार आधार पर या स्वयं ही प्रबन्ध कर लेती है चलनिधि बैंक के विदेशी परिचालन की मॉनिटरिंग बैंक के जोखिम प्रबन्धन विभाग द्वारा की जाती है.

एएलएम समूह की पॉलिसी के संबंध में दिशा निर्देश, जब तक कि विशेष रूप से छूट प्राप्त न हो, विदेशी परिचालनों में भी लागू किए जाते हैं. बैंक की सभी वैधानिक संस्थाएं अर्थात अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम तथा सहयोगी लगातार अपने निजी प्रयासों से अपने व्यवसाय मॉडल तथा चल निधि आवश्यकता के अनुसार अपना प्रबन्ध करती हैं. वे अपनी निजी ए.एल.एम पॉलिसी रखते हैं. चूंकि वैधानिक संस्थाए बैंकिंग व्यवसाय करती हैं. वे उस देश के दिशा-निर्देशों साथ ही, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों - इनमें से जो ज्यादा कड़े हैं, उनके अनुसार कार्य करती हैं

बी. इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी एकाउंटिंग स्टैंडर्ड (एएस) के संबंध में प्रकटीकरण

बी-1 लेखामानक -5 अवधि के लिए अवधि मदों के पूर्व शुद्ध लाभ या हानि तथा लेखा पॉलिसीयों में परिवर्तन.

Description of the degree of centralization of liquidity management and interaction between the group's units:

The liquidity management for the Bank on enterprise wide basis is the responsibility of the Board of Directors. Board of Directors has delegated its responsibilities to a Committee of the Board called as the "Risk Management Committee of Board". The Committee is responsible for overseeing the inter linkages between different types of risk and its impact on liquidity.

We have a Group ALM Policy which provides the broad guidelines under which all the entities within the Group operate in terms of liquidity and interest rate risk. The bank's entities operating in foreign countries manage their operational liquidity or liquidity in the short-term on their own on an ongoing basis. The monitoring of liquidity and interest risk management of the overseas operations of the bank is being done by the Risk Management Department of the bank.

The guidelines of the Group ALM policy, unless otherwise specifically exempted, apply to overseas operations as well. All the legal entities of the bank i.e.-subsidiaries, joint ventures and associates manage their operational liquidity on an ongoing basis at their own according to their business models and liquidity requirement. As to the legal entities carrying out banking business, they have their own ALM Policy in line with the host country guidelines as well as RBI guidelines whichever is more stringent

B. Disclosure in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

B-1 AS-5 Net Profit or Loss for the period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies

बी-1.1 वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी रूपान्तरण के तरीके से अधिग्रहित लिखतों पर शुद्ध मूल्यह्रास प्रभारित करने की नीति की समीक्षा की है, चाहे वे लाभ-हानि खाते में एएफएस श्रेणी में मानक के रूप में वर्गीकृत हो या एनपीए के रूप में. परिणामस्वरुप अब ऐसी प्रतिभूतियों पर मूल्यह्रास को एफएस श्रेणी के अंतर्गत धारित अन्य किसी प्रतिभूति के विनियोजन के सामने सेट ऑफ नहीं किया जाता है. इसका प्रभाव गैर-उल्लेखनीय है.

बी-1.2 बैंक कर्मचारियों के लाभों के लिए आईसीआई द्वारा जारी लेखा मानक (एएस) -15 के अनुसार प्रावधान करता है. इसकी गणना बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है. बैंक ने वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से बीमांकिक गणना के लिए अनुमानों में से एक, मृत्यु दर टेबल को एलआईसीआई 1994-96 से आईएएलएम 2006-08 को अपनाने का निर्णय किया. इस परिवर्तन के कारण, मार्च 2016 समाप्त तिमाही के दौरान ₹ 1,563.70 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया.

बी-2. एएस-15 कर्मचारी लाभ

बी-2.1 बैंक ने 07.12.2006 से प्रभावी आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक (ए.एस.-15) को अपनाया है. यह मानक दिनांक 17.12.2007 को संशोधित एवं अधिसूचित किया गया.

बी-2.2 ग्रेच्युटी

बैंक अपने ऐसे कर्मचारियों को, जो कि बैंक सेवा से सेवानिवृत्त अथवा सेवात्याग करते हैं, ग्रेच्युटी का भुगतान करता है. बैंक प्रत्येक वर्ष भुगतान की जाने वाली इस ग्रेच्युटी की फंडिग के लिए एक आंतरिक न्यास को अंशदान राशि प्रदान करता है. ग्रेच्युटी निधि के नियमों के अनुरूप ब्याज दर, वेतन वृद्धि, मृत्यु दर और सेवा छोड़ने वाले स्टाफ का अनुमान लगाते हुए, परिलक्षित इकाई ऋण बीमांकिक पद्धति के आधार पर ग्रेच्युटी देयता के बीमांकिक मूल्य की गणना की जाती है . निधियों का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है .

भुगतान की जाने वाली ग्रेच्युटी की गणना तीन विभिन्न योजनाओं के तरीके से की जाती है तथा इसके लिए कर्मचारियों के लिए पात्रता जो कर्मचारियों के लिए अधिक लाभकारी हो, उसके आधार पर की जाती है.

बी-2.3 पेंशन

बी-2.3.1 बैंक ऑफ़ बड़ौदा अपने कर्मचारियों, जिन्होंने पेंशन का विकल्प चुना है और ऐसे कर्मचारियों को, जिन्होंने 29.09.1995 को या उसके बाद परंतु 01.04.2010 के पूर्व बैंक सेवा में कार्यभार संभाला है, उन्हें विनिर्दिष्ट लाभ तथा सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत पेंशन का भुगतान करता है. यह योजना कर्मचारियों को मासिक आधार पर बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 के अधीन उनके बैंक छोड़ने के पश्चात् पेंशन प्रदान करने की सुविधा प्रदान करती है. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 अंतर्गत शामिल कर्मचारी, भविष्य निधि में बैंक के अंशदान के लिए पात्र नहीं है.

बी-2.3.2 नई पेंशन योजना

पेंशन का दुबारा विकल्प देने के बारे में भारतीय बैंक संघ और कर्मचारी संगठनों के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट दिनांक 27.04.2010 के अनुसार दिनांक 01.04.2010 को या इसके पश्चात बैंक की सेवा में प्रवेश करने वाले कर्मचारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए पात्र हैं. जो कि बैंक ने संयुक्त नोट/समझौते

B-1.1 During the year, bank has reviewed its policy of charging the net depreciation on instruments acquired by way of conversion, whether classifies as Standard or NPA, in AFS category to Profit & Loss Account. Consequently, now the depreciation on such securities is not set off against the appreciation in any other securities held under the AFS category. Impact of same, is insignificant.

B-1.2 Bank is providing for employee benefits in accordance with the accounting standard (AS) -15 issued by ICAI. The same is calculated by actuarial valuation. The bank has during the year as a matter of prudence, decided to change one of the assumptions for actuarial calculation by shifting mortality rate table from LICI 1994-96 to IALM 2006-08. Due to this change, an additional provision of ₹ 1563.70 crore is provided during the quarter ended March 2016.

B-2 AS-15 Employee Benefits

B-2.1 The Bank has adopted the Accounting Standard (AS-15) issued by ICAI, effective from 07.12.2006. The standard has been revised and notified on 17.12.2007.

B-2.2 Gratuity

The Bank pays gratuity to employees who retire or resign from Bank's service, after initial service period of five years. Accordingly, the Bank makes contributions to an in-house trust, towards funding this gratuity, payable every year. In accordance with the rule of Gratuity Fund, actuarial valuation of gratuity liability is calculated based on certain assumptions regarding rate of interest, salary growth, mortality and staff attrition as per the Projected Unit credit actuarial method. The investment of the funds is made according to investment pattern prescribed by the Government of India.

The gratuity payable is worked out by way of three different schemes and the entitlement is based on what is most beneficial to employees.

B-2.3 Pension

B-2.3.1 Bank pays pension, a defined benefit plan covering the employees who have opted for pension and also to the employees joining the bank's service on or after 29.9.1995 but before 01.04.2010. The plan provides for a pension on a monthly basis to these employees on their cessation from service of the Bank in terms of Bank of Baroda (Employees') Pension Regulations, 1995. Employees covered under Bank of Baroda (Employees') Pension Regulations, 1995 are not eligible for Bank's contribution to Provident fund.

B-2.3.2 New Pension Scheme

In terms of Bipartite Settlement and Joint Note dated 27.04.2010 between IBA and Employees Organizations' on extending another option for pension, employees joining the services of the Bank on or after 01.04.2010 are eligible for the Defined Contributory Pension Scheme, which was introduced by the Bank in terms of the Joint Note / Settlement dated 27.04.2010, similar to the one governed by the provisions of New Pension Scheme

दिनांक 27.04.2010 के अनुसार शुरू की है. यह योजना दिनांक 01.01.2004 से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरूकी गई तथा समय-समय पर यथासंशोधित नई पेशन योजना के प्रावधानों से ही नियंत्रित होती है. अतः वे बैंक की भविष्य निधि योजना तथा पेंशन योजना का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं हैं. दिनांक 01.04.2010 को अथवा इसके पश्चात् बैंक सेवाओं में प्रवेश करने वाले बैंक के कर्मचारियों के संबंध में कुल परिलब्धियों से मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते की 10% की दर से नई पेंशन योजना के लिए कटौती और इसके समतुल्य ही बैंक द्वारा अंशदान किया जा रहा है.

बी-2.3.3 विवेकपूर्ण विनियामक पद्धति (पेंशन का पुनः विकल्प)

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने अपने ऐसे कुछ कर्मचारियों के लिए पेंशन का विकल्प पुनः दिया था, जिन्होंने पूर्व में पेंशन योजना का विकल्प न लिया हो. परिणामस्वरूप इस प्रक्रिया के माध्यम से 18,989 कर्मचारियों ने यह विकल्प चुना, जिससे बैंक के लिए ₹ 1,829.90 करोड़ की देयताएं उत्पन्न हुई.

एएस-15 कर्मचारी लाभ संबंधी मानक की अपेक्षाओं के अनुसार, ₹ 1829.90 करोड़ की पूर्ण राशि लाभ-हानि खाते को प्रभारित की जानी थी. तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि. 9 फरवरी, 2011 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को पेंशन विकल्प पुनः प्रदान करने तथा ग्रेज्युटी सीमाओं में वृद्धि विवेकपूर्ण नियामक पद्धति के संबंध में परिपत्र सं.डीबीओडी.बीपीबीसी.80/21.04.018/2010-11 जारी किया था, जिसके द्वारा ऐसे पेंशन की राशि को पांच वर्षों से अधिक की अवधि 2010-11 से 2014-15 तक परिशोधित किया जा सकता है. बैंक ने पेंशन विकल्प के पेटे कुल राशि ₹ 1829.90 करोड़ की पूरी देयताओं का लाभ-हानि खाते में प्रभारित की जा चुकी है. इस राशि में विमुक्त / सेवानिवृत्त किसी कर्मचारी की राशि शामिल नहीं है.

बी-2.4 भविष्य निधि

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के लिए अपने कर्मचारियों, जो 31.03.2010 को अथवा उससे पूर्व सेवा में आए हैं, के सेवा निवृत्ति लाभों के एक भाग के रूप में भविष्य निधि की देखरेख सांविधिक आवश्यकता है. इस निधि का प्रबंधन आंतरिक न्यासियों द्वारा किया जाता है. प्रत्येक कर्मचारी द्वारा उसके मूल वेतन एवं पात्र भत्तों का 10% अंशदान किया जाता है और बैंक ऑफ़ बड़ौदा उस राशि के बराबर राशि इस निधि में अंशदान करता है. इस निधि का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है.

बी-2.5 छुट्टी नकदीकरण

कर्मचारी अधिवर्षिता/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/मृत्यु के मामले में उसके खाते में जमा अर्जित अवकाश को, अधिकतम 240 दिनों के अधीन नकदीकरण के पात्र है.

तथापि, त्यागपत्र के मामले में कर्मचारी उसके खाते में जमा अर्जित छुट्टियों के 50% तक का, अधिकतम 120 दिनों के अधीन नकदीकरण के पात्र है.

बी-2.6 अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ

अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ योजना में यह प्रावधान है कि एक अधिकारी सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/मृत्यु के मामले में अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ पाने का पात्र होगा, बशर्ते अधिकारी बॉब अधिकारी

introduced for the employees of Central Government w.e.f. 01.01.2004 and as modified from time to time. Hence they are not eligible for becoming members of Bank's Provident Fund Scheme and Pension Scheme. In respect of the employees of the Bank, who have joined the services of the Bank on or after 01.04.2010, deduction towards New Pension Scheme at the rate of 10% of the basic pay and dearness allowance from the salary with a matching contribution by the Bank is being made.

B-2.3.3 Prudential Regulatory treatment (reopening of Pension)

During the financial year 2010-11, the Bank had reopened the Pension Option for such of its employees who had not opted for the Pension Scheme earlier. As a result of exercise of such option by 18989 numbers of employee, the Bank had incurred a liability of ₹ 1829.90 Crores.

In terms of the requirements of AS 15 - Employee Benefits, the entire amount of ₹ 1829.90 Crores was required to be charged to the Profit and Loss Account. However, the RBI had issued a circular no. DBOD.BP.BC.80/21.04.018/2010-11 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment, dated February 9, 2011, by which such pension amount can be amortized over a period of five year from FY 2010-11 to FY 2014-15. Bank has already charged the full liability of ₹ 1829.90 crores on account of Pension option to profit and loss account. This amount does not include any employee relating to separated/ retired employees.

B-2.4 Provident Fund

The Bank is statutorily required to maintain a provident fund as a part of its retirement benefits to its employees who joined Bank's service on or before 31.03.2010. This fund is administered by a trust managed by the Bank. Each employee contributes 10% of their basic salary and eligible allowances and the Bank contributes an equal amount to the fund. The investment of the fund is made according to investment pattern prescribed by the Government of India.

B-2.5 Leave Encashment

An employee is entitled to encash privilege leave standing to his/her credit subject to a maximum of 240 days on the date of superannuation/Voluntary Retirement/death.

However, on resignation, an employee is entitled to get encashment to the tune of 50% of the privilege leave standing to the credit subject to a maximum of 120 days.

B-2.6 Additional Retirement Benefit

The scheme for additional retirement benefit provides that an officer on Retirement/ Voluntary retirement/ Death shall be eligible for additional retirement benefit, provided the officers satisfy the conditions mentioned

सेवा विनियमों में दर्शाई गई शर्तों को पूरा करता हो.

उसी प्रकार अवार्ड स्टाफ सदस्य सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/मृत्यु के मामले में अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ पाने का पात्र होगा, बशर्ते उसने बैंक में 30 वर्षों की सेवाएँ पूरी की हों.

तथापि, बर्खास्तगी, सेवामुक्ति, सेवा-समाप्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति एवं त्यागपत्र के मामले में, अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ देय नहीं होंगे, चाहे सेवा के कितने ही वर्ष पूरे किए हों.

बी-2.7 प्रकटीकरण

मूल बीमांकिक अनुमान (भारित औसत के रूप में व्यक्त)

in BOB officer's service regulations.

In the same manner, award staff member on Retirement/ Voluntary Retirement/ Death shall be eligible for additional retirement benefit, provided the staff member had completed thirty-years of service in Bank.

However, in case of dismissal, discharge, termination, compulsory retirement and resignation, additional retirement benefit shall not be payable irrespective of any number of years of service.

B-2.7 Disclosures

Principal Actuarial Assumptions [Expressed as Weighted Average]

		योजना का स्वरूप /TYPE OF PLAN			
		पेंशन Pension	अवकाश नकदीकरण Leave encashment	ग्रेच्यूटी Gratuity	अति.सेवा लाभ ARB
डिस्काउंट दर	Discount rate	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
वेतन वृद्धि दर	Salary Escalation Rate	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
ह्रास दर	Attrition Rate	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिफल की दर	Expected Rate of Return on plan Assets	8.00%	N.A.	8.00%	N.A.

मृत्युदर : आईएएलएम (2006-2008)

नोट: भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र दि. 24 मार्च 2014 के अनुसार बैंक ने अधिवर्षिता योजनाओं के लिये प्रावधान किया है. प्रबंधन का विचार है कि उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पर्याप्त प्रावधान किया है.

देयताओं के आरंभिक और अंतिम शेष का मिलान

Mortality Rate : IALM (2006-2008)

Note: The bank has provided for superannuation schemes as per the RBI letter dated March 24, 2014. The management is of the view that they have made adequate provision as per the RBI letter based on the actuarial valuation.

Reconciliation of opening and closing balance of liability

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		योजना का स्वरूप /TYPE OF PLAN			
		पेंशन Pension	अवकाश नकदीकरण Leave encashment	ग्रेच्यूटी Gratuity	अति.सेवा लाभ ARB
1/4/2015 को पीवीओ	PVO as at 01.04.2015	8949.66	781.97	1491.36	369.87
जोड़ें: ब्याज की लागत	Add- Interest Cost	678.81	56.15	108.63	26.34
जोड़ें: चालू सेवा लागत	Add- Current Service Cost	1261.12	171.95	100.95	10.54
घटायें: प्रदत्त लाभ	Less- Benefits Paid	928.96	160.13	266.90	81.14
जोड़ें: दायित्वों पर बीमांकिक हानि/लाभ (-)	Add- Actuarial loss/gain(-) on obligation	1986.54	31.29	-87.49	50.35
31.03.2016 को पीवीओ	PVO as at 31.03.2016	11947.17	881.23	1346.55	375.96

नियोजित आस्तियों के समूचित मूल्य की प्रारंभिक एवं अंतिम शेष का मिलान / Reconciliation of opening & closing balance of fair value of plan assets

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		योजना का स्वरूप /TYPE OF PLAN	
		पेंशन Pension	ग्रेच्यूटी Gratuity
01.04.2015 को योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	Fair Value of plan assets as on 01-04-2015	8707.91	1450.60
जोड़ें: योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिफल	Add- Expected Return on Plan Assets	696.63	116.05
जोड़ें: अंशदान	Add- Contributions	350.76	40.75
घटायें: प्रदत्त लाभ	Less- Benefits Paid	928.96	266.90
जोड़ें: बीमांकिक लाभ / (-) हानि	Add- Actuarial gain/(-)loss	204.76	-14.51
31.03.2016 को योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets as on 31.03.2016	9031.10	1325.99

तुलन-पत्र में हिसाब में ली गई राशि / Amount recognized in the Balance Sheet

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		योजना का स्वरूप /TYPE OF PLAN			
		पेंशन Pension	अवकाश नकदीकरण Leave encashment	ग्रेच्यूटी Gratuity	अति.सेवा लाभ ARB
31.03.2016 को दायित्व का पीवी	PV of obligation as on 31.03.2016	11947.17	881.23	1346.55	375.96
योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	Fair value of plan assets	9031.10	--	1325.99	-
अन्तर	Difference	-2916.07	881.23	-20.56	375.96
अनिर्धारित मार्गस्थ देयता	Unrecognised transitional liability	0.00	--	0.00	-
तुलनपत्र में मान्य देयता	Liability Recognised in the BS	-2916.07	881.23*	-20.56	375.96*

(*पूर्ण राशि हेतु बही में प्रावधान) (* Provision made in books for full amount)

लाभ-हानि खाते में हिसाब में ली गई राशि / Amount recognized in the P & L Account

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

			योजना का स्वरूप /TYPE OF PLAN			
			पेंशन Pension	अवकाश नकदीकरण Leave encashment	ग्रेच्यूटी Gratuity	अति.सेवा लाभ ARB
चालू सेवा लागत	a)	Current Service Cost	1261.12	171.94	100.95	10.54
ब्याज लागत	b)	Interest Cost	678.81	56.15	108.63	26.34
योजनागत आस्ति पर संभावित प्रतिफल	c)	Expected Return on Plan Assets	696.63	0.00	116.05	0.00
शुध्द बीमांकिक हानि/लाभ	d)	Net Actuarial Loss/gain(-)	1781.78	31.28	-72.98	50.35
वर्ष के दौरान मार्गस्थ देयता	e)	Transitional liability recognized in the year	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ हानि खाते में निर्धारित खर्च		**Expenses Recognized in P&L**	**3025.08**	**259.37**	**20.56**	**87.23**

अगली अवधि (2016-17) के लिए संभावित अंशदान / Expected contribution for next period (2016-17)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण		पेंशन Pension	ग्रेच्यूटी Gratuity
संभावित अंशदान	Expected contribution	700	150

निवेश पैटर्न / Investment Pattern

(in %)

विवरण		पेंशन Pension	ग्रेच्यूटी Gratuity
केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां	Central Govt. Securities	16.28	22.00
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	State Government Securities	24.52	24.39
कार्पोरेट (पीएसयू)	Corporate (PSU)	13.91	18.61
कार्पोरेट (निजी)	Corporate (Private)	1.91	0.81
अन्य	Others	43.38	34.19
कुल	Total	100.00	100.00

बी-3. (एएस-17) सेगमेंट रिपोर्टिंग : / B-3 AS-17 Segment Reporting

भाग - क : व्यवसाय खंड / Part A – Business Segments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

कारोबार खंड	Business segment	ट्रेजरी Treasury		कार्पोरेट/होलसेल बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल Total	
विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
राजस्व	Revenue	15534.36	13905.38	21867.42	21465.60	10918.08	11932.16	740.26	62.41	49060.13	47365.55
परिणाम	Result	2553.75	3332.69	-5943.86	936.42	-1479.54	3005.45	569.38	49.54	-4300.28	7324.10
अनाबंटित खर्च	Unallocated Expense									2397.78	1903.49
परिचालनगत लाभ	Operating Profit									-6698.07	5420.61
आयकर	Income taxes									-1302.53	2022.18
विशिष्ट लाभ/हानि	Extra-Ordinary Profit/ Loss									--	--
शुद्ध लाभ	Net Profit									-5395.53	3398.44
अन्य सूचना	Other Information									--	--
सेगमेंट आस्तियां	Segment Assets	264123.07	271523.93	293537.37	336363.41	100901.13	99581.41	0.00	0.00	658561.57	707468.75
अनाबंटित आस्तियां	Unallocated Assets									12814.90	7519.80
कुल आस्तियां	Total Assets									671376.47	714988.55
सेगमेंट देयताएं	Segment Liabilities	248308.57	256396.06	275961.67	317623.03	94859.63	94033.27	0.00	0.00	619129.88	668052.37
अनाबंटित देयताएं	Unallocated Liabilities									12047.60	7100.84
कुल देयताएं	Total Liabilities									631177.49	675153.20
नियोजित पूंजी	Capital employed	15814.49	15127.87	17575.69	18740.38	6041.50	5548.15	0.00	0.00	39431.68	39416.39
अनाबंटित	Unallocated									767.30	418.96
कुल पूंजी	Total Capital									40198.99	39835.35

भाग - बी : भौगोलिक खंड

Part B – Geographic Segments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

सेगमेंट	Segments	घरेलू Domestic		अंतर्राष्ट्रीय International		कुल Total	
विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
राजस्व	Revenue	43974.54	41854.04	5085.60	5511.51	49060.14	47365.55
आस्तियां	Assets	443881.12	464871.39	227495.36	250117.16	671376.48	714988.55

बी-4. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एएस-18)

संबंधित पार्टियों के नाम एवं बैंक के साथ उनके संबंध

(क) अनुषंगियां

i) बॉब कैपिटल मार्केट लिमिटेड

ii) बॉब काड्र्स लिमिटेड

iii) नैनीताल बैंक लिमिटेड

iv) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्सवाना) लिमिटेड

v) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड

vi) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूगांडा) लिमिटेड

vii) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गयाना) आईएनसी.

viii) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड

ix) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड

x) बड़ौदा कैपिटल मार्केट्स (यूगांडा) लिमिटेड (बैंक ऑफ़ बड़ौदा यूगांडा लिमिटेड की अनुषंगी)

xi) बॉब त्रिनिदाद व टोबागो लि.

xii) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (घाना) लि.

xiii) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि.

(ख) सहयोगी इकाइयां

i) बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

ii) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

iii) बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक

iv) बड़ौदा पायोनियर एसेट मेनेजमेंट कं. लि.

v) इंडो जांबिया बैंक लिमिटेड

vi) बड़ौदा पायोनियर ट्रस्टी कं. प्रा. लि.

(ग) संयुक्त उद्यम

i) इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.

ii) इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी.

iii) इंडिया इंफ्राडेब्ट लि.

B-4 Related Party Disclosures (AS-18)

Names of the Related Parties and their relationship with the Bank:

(a) Subsidiaries

(i) BOB Capital Markets Limited

(ii) BOB Cards Limited

(iii) The Nainital Bank Limited

(iv) Bank of Baroda (Botswana) Limited

(v) Bank of Baroda (Kenya) Limited

(vi) Bank of Baroda (Uganda) Limited

(vii) Bank of Baroda (Guyana) Inc.

(viii) Bank of Baroda (UK) Limited

(ix) Bank of Baroda (Tanzania) Limited

(x) Baroda Capital Markets (Uganda) Limited. (Subsidiary of Bank of Baroda Uganda Ltd.)

(xi) BOB Trinidad & Tobago Ltd.

(xii) Bank of Baroda (Ghana) Ltd.

(xiii) Bank of Baroda (New Zealand) Ltd.

(b) Associates

(i) Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank

(ii) Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank

(iii) Baroda Gujarat Gramin Bank

(iv) Baroda Pioneer Asset Management Company Limited

(v) Indo Zambia Bank Limited

(vi) Baroda Pioneer Trustee Company Private Limited

(c) Joint Ventures

(i) India First Life Insurance Company Limited

(i) India International Bank (Malaysia) Bhd.

(ii) India Infradebt Limited

(घ) महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक / (d) Key Management Personnel

क्र. सं. S. NO	नाम NAME	पदनाम DESIGNATION	पारिश्रमिक REMUNERATION चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1	श्री पी एस जयकुमार Shri P S Jayakumar	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (13-10-2015 से) **MD & CEO** (w.e.f 13-10-2015)	11,11,975/-	-
2.	श्री रंजन धवन Shri Ranjan Dhawan	कार्यपालक निदेशक (30-09-2015 तक) Executive Director (up to 30-09-2015)	17,41,686/-	25,51,719/-
3.	श्री भुवनचंद्र बी. जोशी Shri Bhuwanchandra B. Joshi	कार्यपालक निदेशक Executive Director	20,70,397/-	22,62,427/-
4.	श्री के वेंकट राम मूर्ति Shri K Venkata Rama Moorthy	कार्यपालक निदेशक (28-08-2015 तक) Executive Director (up to 28-08-2015)	7,68,620/-	95,487/-
5.	श्री मयंक के मेहता Shri Mayank K Mehta	कार्यपालक निदेशक (22-01-2016 से प्रभावी) Executive Director (w.e.f 22-01-2016)	3,35,420/-	-
6	श्री एस. एस. मूंदड़ा Shri S.S. Mundra	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (30-07-2014 तक) Chairman & Managing Director (up to 30-07-2014)	-	19,08,979/-
7	श्री पी श्रीनिवास Shri P Srinivas	कार्यपालक निदेशक Executive Director	-	19,61,198/-

आईसीएआई द्वारा जारी संबंधित पार्टी प्रकटीकरण 18 के पैरा 9 के मद्देनजर अनुषंगियों एवं सहायक (एएस) बैंकों से संबंधित लेन-देनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है जिसमें अन्य सरकार नियंत्रित उद्यमों से संबंधित लेन-देनों से संबंधित प्रकटीकरण से छूट प्रदान की गयी है. अन्य उद्यमों हेतु, सभी संव्यवहार यथा मियादी जमा, उसपर ब्याज आदि सामान्य व्यवसाय के दौरान किए गए है, अतः प्रकटीकरण नहीं किया गया है.

Keeping in line with para 9 of the (AS) -18 Related Party Disclosures issued by ICAI of The transactions with the Subsidiaries and Associate Banks have not been disclosed in view of para 9 of the (AS) -18 Related Party Disclosures issued by ICAI, which exempts state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to transactions with other related state controlled enterprises. For other enterprises, no disclosure has been made as all the transactions are done in the ordinary course of business such as Fixed Deposits, interest thereon etc.

ख-5. एएस-20 प्रति शेयर आय / B-5 AS-20 Earning per Share

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
कर के बाद शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	Net profit after tax (₹ in Crores)	-5395.55	3398.43
शेयरों की संख्या (वेटेड)	Number of Shares (weighted)	2258462435	2147251929
प्रति शेयर मूल व डायल्यूटेड अर्जन	Basic & diluted earnings per share	-23.89	15.83
प्रति शेयर अंकित कीमत	Nominal value per share	Rs 2.00	Rs 2.00

9,26,63,692 अतिरिक्त शेयरों का निर्गमन दिनांक 29 सितंबर, 2015 को भारत सरकार को किया गया.

Additional 9,26,63,692 shares have been issued to Government of India on 29th September, 2015

ख-6. (एएस-22) आय पर करों का लेखांकन / B-6 AS-22 Accounting for Taxes on Income

बैंक ने आईसीएआई द्वारा जारी आय पर करों के लेखांकन पर एएस 22 की आवश्यकताओं को पूरा किया है तथा तद्नुसार आस्तियों एवं देयताओं का पुर्नमूल्यांकन @ 34.608% अर्थात वित्त बिल 2015 में किए गए प्रावधानों के अनुरुप किया है. 31 मार्च 2016 को आस्थगित कर देयता ₹ 3,248.71 करोड़ है जिसमें निम्नलिखित का समावेश है:

The Bank has complied with the requirements of AS 22 on Accounting for Taxes on Income issued by ICAI and has accordingly revalued assets and liabilities @ 34.608% i.e. the rate as per enacted Finance Bill 2015. The net balance of deferred tax Asset as on 31st March 2016 amounting to ₹ 3248.71 Crores consists of the following:

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	31.03.2016		31.03.2015	
क. देशीय	A. DOMESTIC	आस्ति Asset	देयता Liability	आस्ति Asset	देयता Liability
अचल आस्तियों पर आयकर अधिनियम के तहत बही मूल्यह्रास तथा मूल्यह्रास में अंतर	Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act on fixed assets	--	75.90	--	74.52
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अन्तर्गत कटौती	Deduction under section 36 (1) (viii) of the Income-Tax Act, 1961	--	1528.01	--	1528.01*
परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) प्रतिभूतियों पर मूल्यह्रास	Depreciation on HTM Securities	--	96.14	--	96.14
आयकर अधिनियम की धारा 40 (ए) (आईए) के अन्तर्गत गैर अनुमत राशि	Amount disallowed U/S 40 (a) (ia) of the IT Act	1.93	--	3.11	--
अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	Provision for leave encashment	270.63	--	254.61	--
संदिग्ध ऋणों तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान	Provision for doubtful debts and advances	3583.61	--	763.60	--
निवेश की खरीद पर परिशोधन बट्टा	Unamortized Discount on Purchase of Investment	39.49	--	--	--
विदेशी मुद्रा विनिमय प्रारक्षित	Foreign Currency Translation Reserve	194.80	--	--	--
कुल	Total:	4090.46	1700.05	1021.32	1698.67
शुद्ध आस्थगित कर आस्तियां/ (देयताएं)	Net Deferred Tax Assets /(Liability) (A)		2390.41		(677.35)
ख. वैश्विक	**B. GLOBAL**				
स्थायी आस्तियों पर बही मूल्य ह्रास एवं आयकर अधिनियम के तहत मूल्य ह्रास के बीच का अंतर.	Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act on fixed assets	--	75.90	3.80	74.52
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत कटौती.	Deduction under section 36 (1) (viii) of the Income-Tax Act, 1961	--	1528.01	--	1528.01*
एचटीएम प्रतिभूतियों पर मूल्यह्रास	Depreciation on HTM Securities	--	96.14	--	96.14
आयकर अधिनियम की धारा 40 (क) (iक) के तहत अस्वीकृत राशि.	Amount disallowed U/S 40 (a) (ia) of the IT Act	1.93	--	3.11	--
छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान.	Provision for leave encashment	270.63	--	254.61	--
संदिग्ध ऋणों एवं आग्रिमों के लिए प्रावधान	Provision for doubtful debts and advances	4477.91**	--	764.73	--
निवेश की खरीद पर परिशोधन बट्टा	Unamortized Discount on Purchase of Investment	39.49	--	--	--
विदेशी मुद्रा विनिमय प्रारक्षित	Foreign Currency Translation Reserve	194.80	--	--	--
कुलः	Total:	4948.76	1700.05	1026.25	1698.67
शुद्ध आस्थगित कर आस्तियां/ देयताएं.	Net Deferred Tax Assets /(Liability) (A)		3248.71		(672.42)

* पूर्व प्रारक्षित निधियों में से ₹ 818.90 करोड़ तथा शेष राशि लाभ में से.

** पूर्व प्रारक्षित निधियों में से ₹ 540.73 करोड़ तथा शेष राशि लाभ में से.

बी-7. एएस-24 परिचालन बंद करना

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने अपनी किसी भी शाखा को बंद करने संबंधी कार्यवाही नहीं की है, जिससे कि देयताओं को कम करके आस्तियों की वसूली की जा सके और संपूर्ण बैंक स्तर पर अपने परिचालन में किसी कार्यवाही की समाप्ति, जिससे उपरोक्त प्रभाव पड़े, संबंधी निर्णय नहीं लिया गया है.

बी-8. एएस-28 आस्तियों का अनर्जक बनना

लेखा मानक-28 ''आस्तियों का इंपेयरमेंट'' के खंड 5 से खंड 13 - के

* ₹ 818.90 crores out of past reserves and balance out of profit.

** ₹ 540.73 crores out of past reserves and balance out of profit.

B-7 AS-24 Discontinuing operations

During the financial year 2015-16 the Bank has not discontinued the operations of any of its branches, which resulted in shedding of liability and realization of the assets and no decision has been finalized to discontinue an operation in its entirety, which will have the above effect.

B-8 AS-28 Impairment of Assets

In view of the absence of indication of material impairment within the meaning of clause 5 to clause 13 of AS 28

अंतर्गत कोई महत्वपूर्ण उल्लेख न होने के फलस्वरूप चालू वित्तीय वर्ष में अचल संपत्ति का कोई भी इंपेयरमेंट जरूरी नहीं है.

Impairment of Assets, no impairment of fixed assets is required in respect of current financial year.

बी-9. एएस-29 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां

B-9 AS-29 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

ख-9.1 देयताओं के लिए प्रावधानों का संचालन (अन्य के लिए प्रावधानों को छोड़कर)

B-9.1 Movement of provisions for Liabilities (excluding provisions for others)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण विधिक मामले/आकस्मिकताएं	Particulars Legal Cases/Contingencies	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1 अप्रैल 2015 को शेष	Balance as on 1st April 2015	30.41	47.82
वर्ष के दौरान प्रावधान	Provided during the year	3.24	-17.41
31 मार्च 2016 को शेष	Balance as on 31st March 2016	33.65	30.41
आउटफ्लो/अनिश्चितताओं का समय	Timing of outflow/ uncertainties	निपटान/क्रिस्टलाइजेशन का आउटफ्लो Outflow on settlement crystallization	

बैंक की पॉलिसी के अनुसार ऐसे ऋणों हेतु जिन्हें दावों के रुप में स्वीकार नहीं किया है, उनके लिए प्रावधान किया गया है.

As per the policy of the Bank, provision for the claims not been acknowledged as debt, has been provided for.

बी-9.2 आकस्मिक देयताएं

तुलनपत्र के शेडयूल 12 की क्र.सं.(I) से (VI) में उद्दृत ऐसी देयताएं क्रमशः मांगी गई राशि, संविदा देयता शर्तें सम्बद्ध पार्टियों की मांग अदालत के निर्णय, पंच फैसले, अदालत के बाह्य निस्तारण, अपील का निपटारा पर निर्भर करती हैं. ऐसे मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है.

B-9.2 Contingent Liabilities

Such liabilities as mentioned at Serial No (I) to (VI) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the outcome of court judgement / arbitration awards / out of court settlement/disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, development and raising of demand by concerned parties respectively. No reimbursement is expected in such cases.

सी. लेखों पर अन्य टिप्पणियां

सी-1. बहियों का मिलान एवं समाधान

अंतर कार्यालय समायोजन के अंतर्गत लेखों के विभिन्न शीर्षों में नामे एवं जमा की बकाया प्रविष्टियों के प्रारंभिक मिलान का कार्य समाधान के प्रयोजन हेतु 31.03.2016 तक कर लिया गया है. इसमें उचित समाधान का कार्य प्रगति पर है.

सी-2. पूंजी

ख वर्ष के दौरान बैंक ने 9,26,63,692 इक्विटी शेयर अंकित मूल्य ₹ 2/- प्रत्येक को ₹ 190.74/- प्रति शेयर कैश प्रीमियम पर भारत सरकार को (कुल निर्गम मूल्य रु 192.74/- प्रतिशेयर) सेबी विनियम 76(1) के अधिमान आधार पर पूंजी निर्गम और घोषणा आवश्यकताओं के अनुरूप जारी किए गए. इस खाते में बैंक द्वारा कुल राशि ₹ 1,786.00/- करोड़ प्राप्त की गई. इस आशय का प्रस्ताव दिनांक 28 सितंबर, 2015 को असाधारण सामान्य बैठक में विधिवत पारित किया गया.

ग-3. पूंजीगत प्रारक्षित निधि

पूंजीगत प्रारक्षित निधि में अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप होने वाली मूल्यवृद्धि तथा लघु / मध्यम उद्योगों के लिए निर्यात विकास परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक की योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार की अंशदान राशि शामिल है.

C. Other Notes to Accounts

C-1 Balancing of Books and Reconciliation

Initial matching of debit and credit outstanding entries in various heads of accounts included in Inter office Adjustments has been completed up to 31.03.2016, the reconciliation of which is in progress.

C-2 Capital

During the year, the Bank has allotted 9,26,63,692 equity shares of ₹ 2/- each at a cash premium of ₹ 190.74 per share (total issue price of ₹ 192.74 per share) to Government of India as determined by the Board in accordance with regulation 76 (1) of SEBI Issue of Capital and Disclosures Requirements Regulation on preferential basis. The total amount of capital received by the Bank on this account is Rs 1786.00 Crores. The resolution in this regard was duly passed in Extra Ordinary General Meeting held on 28th September 2015.

C-3 Capital Reserves

Capital Reserve includes appreciation arising on revaluation of immovable properties and amount subscribed by Government of India under the World Bank's Scheme for Export Development Projects for small / medium scale industries.

सी-4. निवेश

सी-4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक ने ''बिक्री के लिए उपलब्ध'' श्रेणी में विद्यमान सरकारी प्रतिभूतियों (एसएलआर) के एक भाग को ''परिपक्वता तक धारित'' श्रेणी में अंतरित कर दिया है. ₹ 11.05 करोड़ (गत वर्ष ₹ 10.79 करोड़) के परिणामी मूल्यह्रास को लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित कर दिया गया है.

सी-4.2 ''परिपक्वता तक धारित'' श्रेणी के तहत रखे गये निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ राशि ₹ 296.25 करोड़ को आरंभ में लाभ व हानि खाते में जमा किया गया और उसके बाद का कर पश्चात की ₹ 193.72 करोड़ की सांविधिक प्रारंभिक निधि में अंतरित राशि को पूंजीगत प्रारक्षित निधि में समायोजित किया गया.

सी-4.3 एफसीएनआर (बी) आरबीआई के साथ स्वैप

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नयी एफसीएन (बी) जमाराशियां जो किसी भी अनुमत मुद्रा में संग्रहित की गयी हो उन्हें तीन वर्षों या उससे अधिक अवधि के लिए यूएस डॉलर-रुपए में रियायती दरों पर बदलने की शुरुआत की है.

बैंक ने संग्रहीत यूएस डॉलर 1710 मिलियन भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ संगामी अवधि के लिए स्वैप किया. चूंकि आरबीआई के साथ स्वैप वर्तमान 3.5% प्रतिशत तत्समय प्रवर्तमान दर 8% के सामने किया गया, इसके परिणाम स्वरुप प्रथम वर्ष और परिपक्वता तारीख पर लाभ प्रतिकूल हो सकता है. इस निहित प्रतिकूलता से बचाव एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारणों के अनुसार हमने स्वैप प्वाइंटस के अमोरटाइजेशन की पद्धति को स्वैप की पूरी अवधि के दौरान करने का निर्णय लिया है.

C-4 Investments

C-4.1 In terms of RBI Guidelines, the bank has transferred a portion of Government Securities (SLR) kept in "Available for Sale" category to "Held to Maturity" category during the year. The resultant depreciation of Rs 11.05 Crores (previous year ₹ 10.79 Crores) has been charged to the Profit & Loss Account.

C-4.2 Profit on sale of investment held under "Held to Maturity" category amounting to ₹ 296.25 Crores, which has been transferred to Profit and Loss account initially and thereafter an amount of Rs 193.72 Crores net of tax & transfer to statutory reserve has been appropriated to the Capital Reserve.

C-4.3 FCNR (B) Swap with RBI

RBI introduced a US Dollar-Rupee concessional swap window for fresh FCNR(B) funds mobilized in any permitted currency for a minimum tenor of three years and above.

Bank has swapped USD 1710 Million mobilized with RBI for the corresponding tenor. As the Swaps done with RBI were at 3.5 % against the then prevailing interest rate of 8 %, there would have been a distortion in profits on the first year as well as on maturity date. To avoid this inherent distortion, and as prescribed by RBI, we have adopted the method of amortization of swap points to even out expenses throughout the tenor of swaps

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण		31.03.2016	31.03.2015
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	538.11	148.35
जोड़ें- अवधि के दौरान अमोरटाइज्ड	Add: Amortized during the period	390.82	389.76
कुल	Total	928.93	538.11

सी-5. करों के लिए प्रावधान

सी-5.1 करों हेतु प्रावधान, अपीलीय प्राधिकारियों के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए व अधिवक्ता के परामर्श से किया गया है.

सी-5.2. ''अन्य आस्तियां'' शीर्षक के अंतर्गत दर्शायी अग्रिम कर अदायगी / स्रोत पर कर की कटौती राशि ₹ 5,360.77 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5,555.52 करोड़) है, जिसमें विवादास्पद कर मांगों के संबंध में बैंक द्वारा भुगतान की गई / विभाग द्वारा समायोजित राशि ₹ 3,616.78 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4,687.25 करोड़) शामिल है. आयकर की विवादास्पद मांगों के लिए न्यायिक निर्णयों और / या कानूनी परामर्श अधिकारी की राय को ध्यान में रखते हुए इस मद के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किये गये परिवर्तन / मनाही बनाये रखने लायक नहीं है.

C-5 Provision for Taxes

C-5.1 Provision for Taxes has been arrived at after due consideration of decisions of the appellate authorities and advice of counsels.

C-5.2 Tax paid in advance /tax deducted at source appearing under "Other Assets" amounting to ₹ 5360.77 Crores (previous year ₹ 5555.52 Crores) is inclusive of ₹ 3616.78 (previous year ₹ 4687.25 Crores) crores which represents amount adjusted by the Department / paid by the Bank in respect of disputed tax demands for various assessment years. No provision is considered necessary in respect of the said demands, as in the bank's view, duly supported by counsels opinion and / or judicial pronouncements, additions / disallowances made by the Assessing Officer are not sustainable.

सी-5.3 वर्ष के दौरान आईसीडीएस के अनुपालन में, बैंक के परिचालन विषयक अभिन्न मदों के रूप में इस वर्ष हेतु विदेशी मुद्रा विनिमय से अप्राप्त लाभ की राशि ₹ 562.89 करोड़, जिसे एफसीटीआर खाते में क्रेडिट किया गया, कर के लिए प्रस्तुत हुआ. जैसा की उचित समयान्तर के रूप में निश्चित रूप से विदेशी मुद्रा फंड की स्वदेश वापसी / विदेशी मुद्रा संचालन तथा भविष्य में पूर्ण रूप से वापसी संभव है, बैंक ने इस पर ₹ 194.80 करोड़ की आस्थगित कर आस्तियों का सृजन किया तथा इसे लेखा मानक-22 के अनुरूप लाभ व हानि खाते में जमा किया है.

सी.5.4 वर्ष के दौरान बैंक ने यूएई में प्रावधानों की आवश्यकता में विभिन्नता के कारण ₹ 848 करोड़ के डीटीए का सृजन किया, जो कि बैंक की राय में पूर्ण रूप से वापसी योग्य है. इसमें से ₹ 540.73 करोड़ विगत वर्ष से संबंधित है, जिसे पूर्व प्रारक्षितों में जमा किया गया था.

सी-6. परिसर

सी-6.1 बैंक की कुल ₹ 64.97 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 43.54 करोड़) की कुछ संपत्तियों के संबंध में हस्तांतरण विलेख का निष्पादन होना बाकी है.

सी-6.2 परिसर के अंतर्गत निर्माणाधीन / कब्जे में ली जानेवाली ₹ 336.09 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 98.73 करोड़) की संपत्तियां शामिल हैं.

सी-6.3 बैंक की कुछ संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकित राशि में उल्लेख किया गया है. वर्ष के अंत में परिसर शीर्ष के अंतर्गत कुल ₹ 5,015.08 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1,773.77 करोड़), विदेशी कार्यालयों को ₹ 27.34 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 32.85 करोड़ की राशि सहित पुनर्मूल्यांकित राशि को शामिल किया गया है. शुद्ध मूल्यह्रास के संबंध में पुनर्मूल्यांकित राशि को ₹ 4,098.87 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 987.30 करोड़) हैं.

बैंक अनुमोदित मूल्यनिर्धारकों की रिपोर्टों के आधार पर इन परिसरों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है तथा पुनर्मूल्यांकन से प्राप्त अतिरिक्त राशि ₹ 3,241.31 करोड़ को वर्तमान वर्ष के दौरान के ''पूनर्मूल्यांकन प्रारक्षितों'' के साथ जोड़ दिया गया है.

ग-7 वर्तमान वर्ष हेतु अन्य आय के रूप में ₹ 302.97 करोड़ विदेशी कार्यालयों से मुद्रा विनिमय लाभ के कारण फंड की वापसी के रूप में शामिल है.

ग-8 विद्युत वितरण कंपनियों (डीआईएससीओएमएस) का परिचालन एवं विद्युत पर वित्तीय व्यय हेतु विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की योजना ''उदय'' (यूडीएवाय) (उज्ज्वल डिसकॉम एश्युरेंश योजना) के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने राजस्थान सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के क्रमशः ₹ 1,976.66 करोड़ एवं ₹ 297.16 करोड़ के गैर एसएलआर बॉण्ड खरीदे हैं.

भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र संख्या डीबीआर.बीपीक्र.11657/21.04:132/2015-16 दिनांक 17 मार्च 2016 के अनुपालनार्थ बैंक ने निम्नानुसार प्रावधान किये हैं :

i) ₹ 810.86 करोड़ पर 15% की दर से वित्तीय वर्ष 2016-17 में वर्गीकरण् के संबंध में ₹ 121.63 करोड़ की एस.डी.एल. मे परिवर्तित होने की कल्पना नहीं की गई और इन्हें मानक आस्तियों में वर्गीकृत किया गया.

C-5.3 During the year in compliance of ICDS, the unrealized gain for the year on translation of foreign currency items of non integral operations of bank amounting to ₹ 562.89 Crores, credited to FCTR account, has been offered for tax. As this being a timing difference with reasonable certainty being repatriation of foreign currency funds / foreign currency movement and is capable of full reversal in future, the bank has created the Deferred tax Assets amounting to ₹ 194.80 Crores on the same and the same has been credited to profit and loss account as per Accounting Standard-22.

C-5.4 During the year the Bank has created DTA of Rs 848 crores on account of difference in provision requirement at UAE which in the opinion of the Bank is fully reversible. Out of this ₹ 540.73 crores pertains to earlier years, which was credited to past reserves.

C-6 Premises

C-6.1 Execution of conveyance deeds is pending in respect of certain properties amounting to ₹ 64.97 Crores (Previous Year ₹ 43.54 Crores).

C-6.2 Premises include assets under construction/ acquisition amounting to ₹ 336.09 Crores (Previous Year ₹ 98.73 Crores).

C-6.3 Certain properties of the Bank are stated at revalued amounts. The gross amount of revaluation included in cost of premises as at end of the year is ₹ 5015.08 Crores (previous year ₹ 1773.77 crores) including ₹ 27.34 Crores at overseas offices (previous year Rs 32.85 crores). The revalued amount net of depreciation is ₹ 4098.87 crores (Previous Year ₹ 987.30 Crores).

These premises are revalued based on the reports of bank's approved valuers and the surplus arising from revaluation amount to ₹ 3241.31 crore has been added to "Revaluation Reserve" during current year.

C-7 Other income for the current year includes ₹ 302.97 crores on account of exchange gain on repatriation of funds from foreign offices.

C-8 In accordance with UDAY (Ujwal Discom Assurance Yojna) Scheme of GOI, Ministry of Power for operational and financial turnaround of Power Distribution Companies (DISCOMs) during the FY 2015-16, the bank has subscribed to Non SLR SDL Bond of Government of Rajasthan (GoR) and Government of UP (GoUP) amounting to ₹ 1976.66 crores & ₹ 297.16 crores respectively.

In compliance to the RBI letter No. DBR. BP.NO.11657/21.04:132/2015-16 dated 17th March 2016 bank has made the provision as under:

i) ₹ 121.63 crores in respect of segment not envisaged to be converted into SDL in FY 2016-17 @15% on Rs 810.86 crores and classified as standard assets.

ii) डिस्कॉम बॉंड / ऋण के वास्तविक मूल्य में कमी के लिए ₹ 25.31 करोड़ दिए गए.

सी-9. भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र संख्या डीबीआर.बीपी क्र.13018/21.04.048/2015-16 दिनांक 12 अप्रैल 2016 के अनुपालनार्थ राज्य सरकार द्वारा उपयोग किए गए फूड क्रेडिट के तहत दिनांक 31.03.2016 तक बकाया 1,962.02 करोड़ की 15% राशि 289.45 करोड़ की राशि उपलब्ध करायी. भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार, उपरोक्त प्रावधान दो तिमाहियों क्रमशः 7.5%मार्च 2016 एवं 7.5 % जून 2016 में में किये जाने की आवश्यकता थी. इस प्रकार, बैंक ने मार्च 2016 तिमाही में आवश्यक प्रावधान एक साथ करने का निर्णय लिया.

सी-10. बॉब फिसकल सर्विसेज लिमिटेड (बॉब एफएसएल), पूर्व में पूर्ण रूप से बैंक ऑफ़ बड़ौदा की अनुषंगी द्वारा 24.09.1990 को कंपनी को स्वैच्छिक रूप से समाप्त करने का विशेष संकल्प पारित किया गया और उसके लिए एक परिसमापक की नियुक्ति कर दी गयी.

बॉब फिसकल सर्विसेज लिमिटेड ने बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ एक समझौता किया जिसके तहत दिनांक 28.02.1991 से बॉब एफएसएल की संपूर्ण आस्तियां एवं देयताएं उसके पूर्ण व्यवसाय के समापन के फलस्वरूप एक गोइंग कंसर्न/बिक्री के रूप में बैंक ऑफ़ बड़ौदा को स्थानांतरित कर दी गई. चूंकि कंपनी विचाराधीन कानूनी मामले के कारण पूर्ण रूप से परिसमाप्त नहीं की जा सकती थी, अतः दिनांक 30 मार्च 2007 को बॉब एफएसएल की वार्षिक सामान्य बैठक में बॉब एफएसएल को बैंक ऑफ़ बड़ौदा में शामिल करने का निर्णय लिया गया.

निदेशक मंडल द्वारा बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ मैसर्स बॉब फिसकल सर्विसेस लि. के समामेलन को बैंक की दिनांक 28.01.2009 को आयोजित बेठक में अनुमोदित किया गया और उच्च न्यायालय के सम्मुख बॉब के साथ बॉब एफएसएल समामेलन हेतु आवश्यक याचिका दर्ज करने के लिए प्रबंधन को प्राधिकृत किया.

सी-11 वर्ष के दौरान आरबीआई द्वारा की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा के एक भाग के रूप में बैंक को यह परामर्श दिया गया है कि वह दिसंबर 2015 एवं मार्च 2016 को समाप्त होने वाली दो तिमाहियों में कुछ अग्रिम खातों को पुनःवर्गीकृत करे / अतिरिक्त प्रावधान करे. तदनुसार, बैंक ने आरबीआई के दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन किया.

सी-12 बैंक ने जमानती अवमानक अग्रिमों के लिए 15% की विनियामक अपेक्षाओं की तुलना में @20% की दर से प्रावधान किया है. तथापि गैर जमानती अवमानक (सब स्टैंडर्ड) अग्रिमों के लिए बैंक ने विनियामक अपेक्षाओं के अनुरुप @25% की दर से प्रावधान किया है.

सी-13 वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति के अनुरूप, जहां कहीं आवश्यक समझा गया, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनःव्यवस्थित किया गया है.

ii) ₹ 25.31 crores for diminution in the fair value of loan / DISCOM bonds.

C-9 In compliance to the RBI letter no. DBR. NO.BP.13018/21.04.048/2015-16 dated 12.04.2016, Bank has provided a sum of Rs 289.45 crore being 15% of the existing outstanding of Rs 1962.02 Crore as on 31.03.2016 under food credit availed by a State Government. As per RBI's directives, said provision was required to be made in two quarters i.e 7.5% in March, 2016 and 7.5% in June, 2016. However bank has decided to make the full required provision in March 2016 quarter.

C-10 BOB Fiscal Services Limited (BOBFSL), erstwhile wholly owned subsidiary of Bank of Baroda (BOB), had passed a special resolution for voluntary winding up of the Company on 24.09.1990 and the Liquidator was appointed for the same.

BOBFSL had entered into an agreement with BOB pursuant to which entire assets and liabilities of BOBFSL were transferred to BOB as a going concern / as sale in liquidation of the entire business w.e.f. 28.2.1991. As the Company could not be liquidated due to pending legal cases, a decision to merge BOBFSL with BOB was taken in the Annual General Meeting of BOBFSL held on 30th March 2007.

The Board of Directors of BOB has approved the merger of BOBFSL with BOB in its Board meeting on 28.01.2009 and authorized the Management to file necessary petition for merger of BOBFSL with BOB before the Bombay High Court.

C-11 During the year, as a part of Asset Quality Review (AQR) conducted by RBI, the bank has been advised to reclassify / make additional provisions in respect of certain advance accounts over two quarters ending December 2015 and March 2016. The Bank has accordingly implemented the RBI direction.

C-12 The Bank has made provision @ 20% on the Secured Sub-standard Advance as against the Regulatory requirement of 15%. However on unsecured sub standard advances, the bank has made provision @25% as per regulatory requirement.

C-13 Figures of previous year have been regrouped/ rearranged wherever considered necessary to conform to current year's presentation.

31 मार्च 2016 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा का नकदी प्रवाह विवरण पत्र
Statement of Cash Flow for the year ended 31st March 2016

(₹ in 000's अनंकित omitted)

		31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2016	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2015
क. परिचालन कार्यकलापें से नकदी प्रवाह :	**A. Cash flow from operating activities:**		
कर से पूर्व शुद्ध लाभ	**Net Profit before taxes**	**(6698,07,10)**	**5420,61,02**
निम्नलिखित के लिए समायोजन :	Adjustments for:		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	Depreciation on fixed assets	501,32,72	340,39,49
निवेशों पर मूल्यह्रास (परिपक्व ऋणपत्रों सहित)	Depreciation on investments (including on Matured debentures)	341,46,54	(149,35,85)
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण / गैर निषादक आस्तियों के लिए प्रावधान	Bad debts written-off/Provision in respect of non-performing assets	13765,89,25	3997,08,22
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for Standard Assets	(258,10,53)	548,12,48
अन्य मदों के लिए प्रावधान (निवल)	Provision for Other items (Net)	1664,39,46	98,64,19
अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ/(हानि) (निवल)	Profit/(loss) on sale of fixed assets (Net)	(215,91)	4,06
गौण ऋणों पर ब्याज हेतु भुगतान/प्रावधान, (अलग से लिया गया)	Payment/provision for interest on subordinated debt (treated separately)	1174,31,77	1154,16,91
अनुषंगी इकाइयों/अन्य से प्राप्त लाभांश (अलग से लिया गया)	Dividend received from subsidiaries/ others (treated separately)	(45,46,38)	(36,97,70)
उप-जोड़	**Sub total**	10443,59,82	11372,72,82
निम्नलिखित के लिए समायोजन :	Adjustments for:		
निवेशों में (वृद्धि) /कमी	(Increase)/Decrease in investments	(3918,40,48)	(6021,45,70)
अग्रिमों में (वृद्धि) /कमी	(Increase)/Decrease in advances	30529,06,61	(35056,41,03)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) /कमी	(increase)/Decrease in other assets	(8313,23,36)	127,76,80
उधार राशियों में वृद्धि /(कमी)	Increase/(Decrease)in borrowings	(1416,85,52)	(2520,08,94)
जमा राशियों में वृद्धि / (कमी)	Increase/(Decrease) in deposits	(43521,65,11)	48665,13,48
अन्य देयताओं तथा प्रावधानों में वृद्धि /(कमी)	Increase/(Decrease) in other liabilities and provisions	4858,53,20	4204,98,31
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड की निवल राशि)	Direct taxes paid (Net of Refund)	1497,29,22	(2751,60,74)
परिचालन कार्यकलापों से शुद्ध नकदी (क)	**Net cash from operating activities (A)**	(9841,65,62)	18021,05,00

(₹ in 000's अनंकित omitted)

			31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2016	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2015
ख.	**निवेश संबंधी कार्यकलापें से नकदी प्रवाह**	**B. Cash flow from investing activities:**		
	अचल आस्तियों की खरीद / अंतरण	Purchase/ Transfer in of fixed assets	(4016,86,81)	(607,75,71)
	अचल आस्तियों की बिक्री / अंतरण	Sales/ Transfer out of fixed assets	37,33,58	67,65,60
	व्यापार संबंधी निवेशों में परिवर्तन (अनुषंगी एवं अन्य)	Changes in Trade related investments (Subsidiaries & others)	(61,34,62)	(36,24,27)
	अनुषंगी इकाइयों/अन्यों से प्राप्त लाभांश	Dividend received from subsidiaries/ others	45,46,38	36,97,70
	निवेश संबंधी कार्यकलापों से शुद्ध नकदी (ख)	**Net cash used in investing activities (B)**	**(3995,41,47)**	**(539,36,68)**
ग.	**वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह :**	**C. Cash flow from financing activities:**		
	शेयर पूँजी	Share Capital	18,53,27	12,88,41
	शेयर प्रीमियम	Share premium	1767,46,72	1247,11,59
	गैर जमानती गौण बांड	Unsecured Subordinated Bonds	(375,72,50)	971,40,10
	लाभांश कर सहित प्रदत्त लाभांश	Dividend paid including dividend tax	(851,68,71)	(1083,67,67)
	गैर जमानती गौण बांडों पर प्रदत्त / देय ब्याज	Interest paid / payable on unsecured subordinated bonds	(1174,31,77)	(1154,16,91)
	वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी (ग)	**Net cash from financing activities (C)**	**(615,72,99)**	**(6,44,48)**
	नकदी एवं नकदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि (क)+(ख)+(ग)	**Net increase in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)**	**(14452,80,08)**	**17475,23,84**
	वर्ष के प्रारंभ में नकदी व नकदी समतुल्य	Cash and cash equivalents as at the beginning of the year	148353,15,07	130877,91,23
	वर्ष के अंत में नकदी व नकदी समतुल्य	Cash and cash equivalents as at the end of the year	133900,34,99	148353,15,07

टिप्पणी: / **Notes:**

1. नकदी तथा नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी, भारतीय रिज़र्व बैंक एवं अन्य बैंक के पास बैलेन्स और मांग एवं अल्प सूचना पर धन समाविष्ट है।
1. Cash & Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other banks and Money at call and Short Notice.

2. **नकदी तथा नकदी समतुल्य के घटक** / **Components of Cash & Cash Equivalents**

		As on 31st March 2016	As on 31st March 2015
नकदी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बैलेंस	Cash & Balance with RBI	216724154	224885970
बैंकों के पास बैलेंस और मांग एवं अल्प सूचना पर धन	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	1122279345	1258645537
कुल	Total	1339003499	1483531507

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
Independent Auditor's Report

सेवा में,
बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारक
वित्तीय विवरण-पत्रों पर रिपोर्ट

1. हमने बैंक ऑफ़ बड़ौदा की 31 मार्च 2016 के वित्तीय विवरण-पत्रों जिनमें 31 मार्च 2016 का तुलन-पत्र तथा उसके साथ संलग्न उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखे, नकद प्रवाह विवरण और उल्लेखनीय लेखांकन नीतियों का सारांश शामिल है, की लेखा परीक्षा की है जिसमें हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित 20 शाखाएं, तथा एक विशिष्ट एकीकृत ट्रेजरी शाखा, लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित 2566 शाखाएं और स्थानीय लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा- परीक्षित 49 विदेशी शाखाओं की विवरणियां शामिल हैं. हमारे द्वारा और अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा की गई शाखाओं का चुनाव बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया है. तुलन पत्र तथा लाभ-हानि खाते में 2743 शाखाओं की विवरणियां भी शामिल की गई हैं, जो लेखा-परीक्षा के अधीन नहीं थी. ये अ-लेखापरीक्षित शाखाएं 4.63 प्रतिशत अग्रिम, 11.82 प्रतिशत जमाराशियां, 5.63 प्रतिशत ब्याज-आय और 10.58 प्रतिशत ब्याज-व्यय से संबंधित है.

वित्तीय विवरण-पत्रों के लिए प्रबंधन का दायित्व

2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा भारत में स्वीकार्य सामान्य लेखा परीक्षा मानदण्डों के अनुरूप इन वित्तीय विवरण-पत्रों को तैयार करने के लिए प्रबंधन जिम्मेदार है. इस दायित्व में वित्तीय विवरण-पत्रों को तैयार करने हेतु आंतरिक नियंत्रण, कार्यान्वयन एवं रखरखाव सम्मिलित है और इनमें, जालसाजी या भूल की वजह से कोई उल्लेखनीय गलती नहीं है.

लेखा परीक्षकों का दायित्व

3. हमारा दायित्व अपनी लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरण-पत्रों पर अपनी राय व्यक्त करना है. हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है. इन मानकों की अपेक्षा है कि हम नैतिकता का निर्वाह करते हुए लेखा परीक्षा कार्य सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित रूप में इस प्रकार सम्पन्न करें कि हमें यह तार्किक आश्वासन मिले कि ये वित्तीय विवरण-पत्र किसी भी प्रकार की उल्लेखनीय / प्रमुख गलतियों से मुक्त है.

4. लेखा परीक्षा में राशियों के साक्ष्यों एवं प्रकटीकरण की जांच हेतु वित्तीय विवरण-पत्रों में दी गई निष्पादन प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाही शामिल है. चयनित प्रक्रिया (विधि) लेखा परीक्षक के विवेक पर निर्भर है, इसमें वित्तीय विवरण-पत्रों में उल्लेखनीय गलतियों के जोखिम भले ही वह जालसाजी या भूल की वजह से हों, का मूल्यांकन / आकलन करना शामिल है. इन जोखिमों का मूल्यांकन करते समय लेखा परीक्षक इन वित्तीय विवरणियों की उपयुक्त

To
The Shareholder of Bank of Baroda
Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of Bank of Baroda as on 31st March, 2016, which comprise the Balance Sheet as on 31stMarch, 2016, and Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended,and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches and one Specialized Integrated Treasury Branch audited by us, 2566 branches audited by Statutory Branch Auditors and 49 foreign branches audited by local auditors in respective countries. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 2743 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 4.63 per cent of advances,11.82 per cent of deposits, 5.63 per cent of interest income and10.58 per cent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the Banking Regulation Act 1949, Reserve Bank of India guidelines from time to time and accounting standards generally accepted in India. This responsibility includes the design,implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in

प्रस्तुति हेतु इकाई के सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रणों का अवलोकन करता है लेकिन संस्था के आंतरिक नियंत्रण की सार्थकता पर राय देने के लिए नहीं, ताकि परिस्थिति अनुसार उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रिया निर्धारित की जा सके. लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमान तथा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति का आकलन सम्मिलित है.

5. हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है, वह हमारी लेखा परीक्षा राय प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त हैं.

6. **राय**

हमारी राय में, बैंक की बहियों में दर्शाए गए अनुसार तथा हमारी अधिकतम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

i नोट के साथ पठित यह तुलन-पत्र पूर्ण और सही है, जिसमें आवश्यक विवरण दिए गए हैं और इसे यथोचित ढंग से बनाया गया है, जिससे कि, भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के समरूप नोट के साथ पठित बैंक के 31 मार्च, 2016 के क्रियाकलापों का सही एवं यथायोग्य चित्र सामने आ सके.

ii लाभ-हानि लेखा, उनपर दी गई टिप्पणियों के साथ पठित भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के समरूप तथा खाते के वर्ष के लिए बैंक के सही हानि शेष को दर्शाता है; तथा

iii नकदी प्रवाह-विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह का सही एवं स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करता है.

अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

7. तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि लेखा, बैंककारी कंपनी अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के क्रमशः फॉर्म 'ए' और 'बी' में बनाए गए हैं.

8. उपरोक्त अनुच्छेद 1 से 5 में वर्णित लेखा परीक्षा सीमाओं और बैंककारी (कंपनी उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) 1970/1980 और इनके अन्तर्गत प्रकटीकरण की सीमाओं के अध्यधीन, हम सूचित करते हैं कि :

क. हमने अपने अधिकतम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार लेखा-परीक्षा हेतु आवश्यक सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं तथा उन्हें संतोषजनक पाया है;

ख. बैंक के संव्यवहारों की जो जानकारी हमारे सामने आयी है, वे बैंक के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही हैं.

ग. बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियां लेखा-परीक्षा हेतु सामान्यतः पर्याप्त पायी गयीं.

9. इसी क्रम में हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क़. इस रिपोर्ट से संलग्न तुलन पत्र और लाभ एवं हानि लेखा की बहियों तथा विवरणियों के अनुरुप हैं.

the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

6. **Opinion**

In our opinion, as shown by books of bank and to the best of our information and according to the explanations given to us:-

i. The Balance sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars,is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as on 31stMarch, 2016 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

ii. The Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of loss, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

iii. The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

7. The Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

8. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph1 to 5 above and as required by the Banking Companies(Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/ 1980 and subject also to the limitations of disclosure required therein,we report that;

a. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

b. The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank;

c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit;

9. We further report that:

a. The Balance Sheet and Profit and Loss account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns;

ख. बैंकिंग विनियमन अधिनियम1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के लेखों पर रिपोर्ट हमें भेजी गई हैं तथा इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमारे द्वारा उचित रूप से देखी गई हैं;

ग. हमारी राय में तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखे तथा नकदी प्रवाह विवरण मान्य लेखा मानकों के अनुरूप हैं.

b. The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;

c. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

कृते **खंडेलवाल जैन एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 105049 डब्ल्यू
शैलेश एस शाह
भागीदार
एम. नं.: 033632

कृते **एस आर गोयल एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 001537 सी
अजय कुमार अटोलिया
भागीदार
एम. नं.: 077201

दिनांक : 13 मई, 2016
स्थान: मुंबई

For **Khandelwal Jain & Co**
Chartered Accountants
FRN : 105049W
Shailesh S Shah
Partner
M.No: 033632

For **S R Goyal & Co**
Chartered Accountants
FRN: 001537C
Ajay Kumar Atolia
Partner
M.No: 077201

Date: 13th May 2016
Place: Mumbai

कृते **वाही एण्ड गुप्ता**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002263 एन
अनुज गुप्ता
भागीदार
एम. नं.: 076560

कृते **रोडी दबीर एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 108846 डब्ल्यू
सुधीर दबीर
भागीदार
एम. नं.: 039984

For **Wahi & Gupta**
Chartered Accountants
FRN: 002263N
Anuj Gupta
Partner
M.No: 076560

For **Rodi Dabir & Co**
Chartered Accountants
FRN: 108846W
Sudhir Dabir
Partner
M.No: 039984

फॉर्म ए FORM A

स्टॉक एक्सचेंज के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का पत्र (स्टैंडअलोन)
LETTER OF ANNUAL AUDIT REPORT TO BE FILED WITH STOCK EXCHANGES (STANDALONE)

• कंपनी का नाम • Name of the Company	**बैंक ऑफ़ बड़ौदा** **Bank of Baroda**
• समाप्त वर्ष को वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र • Annual Financial Statements for the year ended	31 मार्च 2016 31st March 2016
• लेखा परीक्षा अवलोकन का प्रकार • Type of Audit Observation	असंशोधित Un-modified
• अवलोकन की आवृत्ति • Frequency of observation	- -
• महत्त्वपूर्ण विषय पर प्रबंधन की टिप्पणी • Comments of the Management on the matter of emphasis	शून्य Nil

वी. एस. नारंग
महाप्रबंधक
(कार्पोरेट खाते एवं कराधान)
एवं सीएफओ

V. S. Narang
General Manager
(Corporate Accounts & Taxation) and CFO

डॉ. आर. नारायणस्वामी
अध्यक्ष
निदेशक मंडल लेखा परीक्षा समिति

Dr. R. Narayanaswamy
Chairman
Audit Committee of Board

पी. एस. जयकुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

P. S. Jayakumar
Managing Director & CEO

कृते **खंडेलवाल जैन एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 105049 डब्ल्यू

शैलेश एस शाह
भागीदार
एम. नं.: 033632

For **Khandelwal Jain & Co**
Chartered Accountants
FRN : 105049W

Shailesh S Shah
Partner
M.No: 033632

कृते **वाही एण्ड गुप्ता**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002263 एन

वाय के गुप्ता
भागीदार
एम. नं.: 016020

For **Wahi & Gupta**
Chartered Accountants
FRN: 002263N

Y K Gupta
Partner
M.No: 016020

कृते **एस आर गोयल एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 001537 सी

अजय कुमार अटोलिया
भागीदार
एम. नं.: 077201

For **S R Goyal & Co**
Chartered Accountants
FRN: 001537C

Ajay Kumar Atolia
Partner
M.No: 077201

कृते **रोडी दबीर एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 108846 डब्ल्यू

सुधीर दबीर
भागीदार
एम. नं.: 039984

For **Rodi Dabir & Co**
Chartered Accountants
FRN: 108846W

Sudhir Dabir
Partner
M.No: 039984

दिनांक : 13 मई, 2016
स्थान: मुंबई

Date: 13th May 2016
Place: Mumbai

बासेल III पिलर III प्रकटीकरण

Basel III Pillar III Disclosures

भारतीय रिजर्व बैंक के बासेल III दिशानिर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2016 को पिलर III प्रकटीकरण बैंक की वेबसाइट के होम पेज पर बासेल III के तहत प्रकटीकरण के अंतर्गत अलग से प्रकट किए गए हैं. इस खंड का लिंक है http://www.bankofbaroda.com/Disclosures.asp.

इस खंड में निम्नलिखित प्रकटीकरण दिए गए हैं:

1. 31मार्च, 2016 को गुणात्मक एवं मात्रात्मक प्रकटीकरण
   - एप्लीकेशन का स्कोप
   - पूंजी पर्याप्तता
   - ऋण जोखिम पर सामान्य प्रकटीकरण
   - ऋण जोखिम - पोर्टफोलियो मानकीकृत पद्धतिके अधीन
   - न्यून ऋण जोखिम
   - प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर
   - बाजार जोखिम
   - परिचालनगत जोखिम
   - बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)
   - तरलता जोखिम
   - काउंटरपार्टी जोखिम
2. पूंजी के संघटक
3. पूंजी के संघटक - समाधान आवश्यकताएं
4. विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं
5. विनियामक पूंजी लिखतों की संपूर्ण नियम एवं शर्तें
6. बैंकिंग बही स्थितियों के लिए इक्विटी प्रकटीकरण
7. लीवरेज अनुपात

Pillar III disclosures at March 31, 2016 as per Basel III guidelines of RBI have been disclosed separately on Bank's website under "Disclosure under Basel III" on the home page. The link to this section is http://www.bankofbaroda.com/Disclosures.asp

The section contains the following disclosures :

1. Qualitative and quantitative disclosures at march 31, 2016
   - Scope of Applications
   - Capital Adequacy
   - General disclosures on Credit Risk
   - Credit risk - Portfolio subject to standardised approach
   - Credit risk Mitigation
   - Securitisation exposures
   - Market risk
   - Operational Risk
   - Interest rate risk in the banking book (IRRBB)
   - Liquidity risk
   - Counterparty risk
2. Composition of capital
3. Composition of capital – reconciliation requirements
4. Main features of regulatory capital instruments
5. Full terms and conditions of regulatory capital instruments
6. Equities disclosures for banking book positions
7. Leverage ratio

सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण
CEO / CFO Certification

निदेशक मण्डल
बैंक ऑफ़ बड़ौदा
मुंबई

प्रिय महोदय,

विषय : 31 मार्च, 2016 को समाप्त तिमाही/पूरे वर्ष के लिए सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण) विनियम, 2015 की धारा 17(8) के साथ पठित धारा 33 की अनुपालना स्वरुप हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि

क. हमने 31 मार्च, 2016 को समाप्त तिमाही/पूरे वर्ष के वित्तीय विवरण-पत्रों की समीक्षा की है तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार:

 i. इन विवरण-पत्रों में कोई विषयगत अयथार्थ अभिकथन नहीं है अथवा कोई विषयगत तथ्य छिपाया नहीं गया है अथवा इनमें कोई भ्रामक अभिकथन शामिल नहीं किया गया है;

 ii. ये अभिकथन / विवरण बैंक के कार्यकलापों का सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा ये विद्यमान लेखा मानकों, लागू नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं.

ख. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कोई संव्यवहार नहीं किए गए जो धोखाधड़ी में लिप्त हो, गैर कानूनी हो अथवा बैंक की आचार संहिता के विरूद्ध हो.

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग से सम्बद्ध आन्तरिक नियत्रणों का पूर्ण दायित्व स्वीकार करते हैं. हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग की आन्तरिक नियत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन/आकलन किया है तथा हमने लेखा परीक्षकों और लेखा समिति को आन्तरिक नियत्रणों के परिचालन एवं स्वरूप से सम्बद्ध कमियों, यदि कोई है अथवा जो हमारे अभिज्ञान में हैं एवं हमने इन्हें दूर करने के लिए जो उपाय किए हैं या प्रस्तावित है, की जानकारी दे दी है.

घ) हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है.

 i. अवधि के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आन्तरिक नियंत्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन;

 ii. वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इनका उल्लेख वित्तीय विवरण-पत्रों के नोट्स में कर दिया गया है; और

 iii. हमारी जानकारी में आए धोखाधड़ी सम्बंधी विशिष्ट मामले तथा उनमें प्रबन्धन अथवा किसी कर्मचारी की संलिप्तता, जिसकी आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली संबंधी वित्तीय रिपोर्टिंग में अहम भूमिका हो.

वी. एस. नारंग
महाप्रबंधक
कार्पोरेट खाते एवं कराधान तथा सीएफओ

पी. एस. जयकुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

दिनांक : 13.05.2016
स्थान : मुंबई

CEO / CFO Certification

Board of Directors,
Bank of Baroda
Mumbai

Dear Sirs,

Re : CEO / CFO Certification for the quarter / full year ended 31st March 2016

Pursuant to Regulation 17(8) read with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulations, 2015, We hereby certify that:

a. We have reviewed financial statements for the quarter / full year ended 31st March 2016 and that to the best of our knowledge and belief:

   i. These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

   ii. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee.

   i. Significant changes in internal control over financial reporting during the period;

   ii. Significant changes in accounting policies during the period and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

   iii. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

V S NARANG
General Manager
(Corp. A/Cs & Taxation) and CFO

P S JAYAKUMAR
Managing Director & CEO

Date : 13.05.2016

Place : Mumbai

31 मार्च, 2016 का समेकित तुलन-पत्र
Consolidated Balance Sheet as on 31st March, 2016

(₹ in 000's)

		अनुसूची SCHEDULE	31 मार्च 2016 को As on 31st March 2016	31 मार्च 2015 को As on 31st March 2015
पूंजी और देयताएं	CAPITAL & LIABILITIES			
पूंजी	Capital	1	**462,09,31**	443,56,04
प्रारक्षित निधियां और अधिशेष	Reserves & Surplus	2	**42041,06,94**	41574,09,20
मायनोरिटी इन्टरेस्ट	Minority Interest	2A	**193,69,07**	186,71,56
जमाराशियां	Deposits	3	**586690,46,83**	629981,25,05
उधार ली गई राशियां	Borrowings	4	**33845,22,57**	35501,51,74
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities & Provisions	5	**27946,52,79**	26290,24,05
जोड़	TOTAL		**691179,07,51**	733977,37,64
आस्तियां	ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष रकम	Cash and balances with Reserve Bank of India	6	**22810,75,34**	23556,94,33
बैंकों के पास शेष रकम तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	**114188,30,05**	128074,24,65
निवेश	Investments	8	**128894,05,70**	124738,96,44
ऋण एवं अग्रिम	Loans & Advances	9	**391485,98,53**	435415,48,92
अचल आस्तियां	Fixed Assets	10	**6359,17,15**	2978,40,99
अन्य आस्तियां	Other Assets	11	**27440,80,74**	19213,32,31
जोड़	TOTAL		**691179,07,51**	733977,37,64
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	12	**229806,95,61**	247332,37,09
वसूली के लिए बिल	Bills for Collection		**32442,12,00**	37721,09,65
महत्वपूर्ण लेखा-नीतियां	Significant Accounting Policies	18		
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	19		

ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां तुलन-पत्र का एक अभिन्न भाग हैं.
The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

रवि वेंकटेसन
अध्यक्ष
पी एस जयकुमार
प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ.
बी बी जोशी
कार्यपालक निदेशक
मयंक के मेहता
कार्यपालक निदेशक
वी एस नारंग
महाप्रबंधक
कार्पो. लेखा व कराधान एवं सीएफओ
अशोक डंगायच
उप महाप्रबंधक
कार्पो. लेखा एवं कराधान

स्थान: मुंबई
दिनांक: 13 मई, 2016

निदेशक

मो. मुस्तफा
सुरेखा मरांडी
प्रेम कुमार मक्कड़
प्रो. बिजू वर्क्की
डॉ. आर नारायणस्वामी
भरत कुमार डांगर
उषा ए नारायणन

लेखा परीक्षक

कृते खंडेलवाल जैन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 105049W

(शैलेश एस शाह)
भागीदार
एम नं. 033632

कृते एस आर गोयल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 001537C

(अनुराग गोयल)
भागीदार
एम नं. 412538

कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002263N

(अनुज गुप्ता)
भागीदार
एम नं. 076560

कृते रोडी दबीर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 108846W

(सुधीर दबीर)
भागीदार
एम नं.039984

स्थान: मुंबई
दिनांक: 13 मई, 2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ व हानि लेखा

Consolidated Profit & Loss Account for the Year ended 31st March, 2016

(₹ in 000's)

		अनुसूची SCHEDULE	31 मार्च 2016 को Year Ended 31st March 2016	31 मार्च 2015 को Year Ended 31st March 2015
I. आय	I. INCOME			
अर्जित ब्याज	Interest Earned	13	**45798,99,02**	44914,96,66
अन्य आय	Other Income	14	**5992,17,52**	5449,26,98
जोड़	TOTAL		**51791,16,54**	50364,23,64
II. व्यय	II. EXPENDITURE			
ब्याज व्यय	Interest Expended	15	**32107,44,03**	30546,60,83
परिचालन व्यय	Operating Expenses	16	**9962,41,87**	8604,41,41
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	Provisions and Contingencies	19 (9)	**14774,39,39**	7380,52,26
जोड़	TOTAL		**56844,25,29**	46531,54,50
माइनोरिटी इन्टरेस्ट से पूर्व समेकित लाभ और सहयोगी इकाइयों में आय का अंश	Consolidated Profit before Minority Interest and share of earning in Associates		**(5053,08,75)**	3832,69,14
सहयोगी इकाइयों में आय का अंश	Share of earnings in Associates	17	**20,09,30**	117,73,23
माइनोरिटी इन्टरेस्ट राशि कम करने से पूर्व वर्ष के लिए समेकित शुद्ध लाभ	Consolidated Net Profit for the year before deducting Minority interest		**(5032,99,45)**	3950,42,37
घटाएं : माइनोरिटी इन्टरेस्ट	Less : Minority Interest		**34,68,77**	38,69,63
वर्ष के लिए समूह का समेकित लाभ	Consolidated Profit for the year attributable to the group		**(5067,68,22)**	3911,72,74
आगे लाई गई लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि	Balance in Profit and Loss A/c brought forward		**553,39,97**	415,85,41
विनियोग हेतु उपलब्ध राशि	Amount available for appropriation		**(4514,28,25)**	4327,58,15
III. विनियोग	III. Appropriations			
सांविधिक प्रारक्षित निधि में अन्तरण	Transfer to Statutory Reserve		**43,08,32**	897,62,50
पूंजी प्रारक्षित निधियों में अन्तरण	Transfer to Capital Reserve		**0**	108,20,60
धारा 36(1) (viii) के तहत विशेष आरक्षित निधि में अंतरण	Transfer to Special Reserve u/s 36 (1) (viii)		**2,16,30**	1096,96,76
राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में अंतरण	Transfer to Revenue & Other Reserves		**(5178,57,79)**	689,23,30
प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित)	Proposed Dividend (Including Dividend Tax)		**0**	851,68,71
समेकित बेलेंसशीट में आगे ले जाया गया शेष	Balance carried over to consolidated Balance Sheet		**619,04,92**	553,39,97
निवेश प्रारक्षित लेखा	Investment Reserve Account		**0**	130,46,31
जोड़	TOTAL		**(4514,28,25)**	4327,58,15
प्रतिशेयर आय (बेसिक व डायल्यूटेड) (₹) (सांकेतिक मूल्य प्रति शेयर ₹ 10)	Earnings per Share (Basic & Diluted) (₹) (Nominal value per share ₹ 2)	19 (10.5)	**(22.44)**	18.22
महत्वपूर्ण लेखा-नीतियां	Significant Accounting Policies	18		
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	19		

ऊपर दर्शाई गई अनूसूचियां तुलन पत्र का एक अभिन्न भाग हैं
The Schedules referred to above form an integral part of Balance sheet

Ravi Venkatesan
Chairman
P S Jayakumar
Managing Director & CEO
B B Joshi
Executive Director
Mayank K Mehta
Executive Director
V S Narang
General Manager
Corp. A/Cs & Taxation and CFO
Ashok Dangaich
Dy General Manager
Corp. A/Cs & Taxation

Place: Mumbai
Date: 13th May 2016

DIRECTORS
Mohd. Mustafa
Surekha Marandi
Prem Kumar Makkar
Prof. Biju Varkkey
Dr. R Narayanaswamy
Bharat Kumar Dangar
Usha A Narayanan

AUDITORS

For Khandelwal Jain & Co
Chartered Accountants
FRN : 105049W

(Shailesh S Shah)
Partner
M No.: 033632

For S R Goyal & Co
Chartered Accountants
FRN : 001537C

(Anurag Goyal)
Partner
M No.: 412538

Place: Mumbai
Date: 13th May 2016

For Wahi & Gupta
Chartered Accountants
FRN : 002263N

(Anuj Gupta)
Partner
M No. : 076560

For Rodi Dabir & Co.
Chartered Accountants
FRN : 108846W

(Sudhir Dabir)
Partner
M No.: 039984

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां
Schedules to Consolidated Balance Sheet

(₹ in 000's)

			31 मार्च 2016 को As on 31st March 2016		31 मार्च 2015 को As on 31st March 2015
अनुसूची -1 पूंजी	SCHEDULE - 1 CAPITAL				
प्राधिकृत पूंजी	AUTHORISED CAPITAL				
प्रति ₹ 2/- के 1500,00,00,000 शेयर	1500,00,00,000 Shares of ₹ 2/- each				
(पिछले वर्ष 1500,00,00,000/- प्रति शेयर ₹ 2/- के)	(previous year 1500,00,00,000/- shares of ₹. 2/- each)		3000,00,00		3000,00,00
निर्गमित तथा अभिदत्त पूंजी	ISSUED AND SUBSCRIBED CAPITAL				
प्रति ₹ 2/- के 231,78,27,098 इक्विटी शेयर	231,78,27,098 Equity Shares of ₹ 2/- each				
(पिछले वर्ष 222,51,63,406 इक्विटी शेयर प्रति ₹ 2/- के)	(previous year 222,51,63,406 shares of ₹. 2/- each)		463,56,54		445,03,27
मांगी गई पूंजी एवं प्रदत्त पूंजी	CALLED-UP & PAID-UP CAPITAL				
प्रति ₹ 2/- के 230,41,59,598 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 221,14,95,906 शेयर) जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा धारित कुल ₹ 272.99 करोड़ राशि के 136,49,40,578 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 127,22,76,886 शेयर) शामिल हैं.	230,41,59,598 (previous year 221,14,95,906) Equity Shares of ₹ 2 each including 136,49,40,578 Equity Shares (previous year 127,22,76,886 Shares) amounting to ₹ 272.99 crores held by Central Government		460,83,19		442,29,92
जोड़ें : जब्त किए गए शेयर	Add : Forfeited Shares		1,26,12		1,26,12
जोड़	TOTAL		462,09,31		443,56,04
अनुसूची-2 प्रारक्षित निधियां और अधिशेष	SCHEDULE - 2 RESERVES & SURPLUS				
I सांविधिक प्रारक्षित निधियां	I Statutory Reserves				
आरंभिक शेष	Opening Balance	9187,62,78		8291,39,87	
जोड़े/(घटाएं) : लाभ एवं हानि खाते से अंतरित	Add: Transfer from P&L Accounts	43,08,32		897,62,50	
जोड़ें/(घटाएं) : वर्ष के दौरान समायोजन	Add /(Less): Adjustments during the year	(2,57,80)	9228,13,30	(1,39,59)	9187,62,78
II क) पूंजीगत प्रारक्षित निधियां	II a) Capital Reserves				
(₹ 4137.86 करोड़ के पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को शामिल करते हुए (पिछले वर्ष ₹ 1008.38 करोड़)	(including Revaluation Reserve of ₹ 4137.86 crores (previous years ₹ 1008.38 crores)				
आरंभिक शेष	Opening Balance	1994,79,36		1936,87,67	

(₹ in 000's)

		31 मार्च 2016 को As on 31st March 2016		31 मार्च 2015 को As on 31st March 2015	
जोड़ें /(घटाएं) : लाभ एवं हानि खाते से अंतरित	Add: Transfer from P&L Accounts	-		108,20,60	
जोड़े/(घटाएं) : वर्ष के दौरान समायोजन	Add /(Less): Adjustments during the year	3113,61,30	5108,40,66	(50,28,91)	1994,79,36
ख) समेकन पर पूंजीगत प्रारक्षित निधियां	b) Capital Reserve on Consolidation				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	74,74,59		72,46,67	
जोड़ें : वर्ष के दौरान समायोजन	Add /(Less): Adjustments during the year	2,28,56	77,03,15	2,27,92	74,74,59
III शेयर प्रीमियम	III Share Premium				
आरंभिक शेष	Opening Balance	9018,74,21		7771,62,62	
जोड़ें/(घटाएं) : वर्ष के दौरान समायोजन	Add /(Less): Adjustments during the year	1767,46,72	10786,20,93	1247,11,59	9018,74,21
IV राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां	IV Revenue and other Reserves				
क. धारा 36 (1) (viii) के तहत विशेष प्रारक्षित निधियां	a) Special Reserves u/s 36 (1) (viii)				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	4432,20,63		3335,23,87	
जोड़ें/(घटाएं) : लाभ एवं हानि खाते से अंतरण	Add: Transfer from P&L Accounts	2,16,30	4434,36,93	1096,96,76	4432,20,63
ख) प्रारक्षित रुपांतरण	b) Translation Reserve		2136,35,74		1970,13,74
ग. निवेश प्रारक्षित	c) Investment Reserve Account				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	130,46,31		-	
लाभ व हानि समायोजन खाते से अंतरण	Transferred from P&L Appropriation A/c	-	130,46,31	130,46,31	130,46,31
घ. राजस्व निधियां	d) Revenue Reserves				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	14211,97,61		13579,46,57	
जोड़ें : लाभ और हानि खाते से अंतरण	Add: Transfer from P&L Accounts	(5178,57,79)		689,23,30	
जोड़ें/(घटाएं): वर्ष के दौरान किए गए समायोजन	Add: Additions/ Adjustments during the year	487,65,17	9521,04,99	(56,72,26)	14211,97,61
V लाभ एवं हानि खाते में शेष	V Balance in Profit & Loss Account		619,04,94		553,39,97
कुल प्रारक्षित निधियां और अधिशेष (i से v)	Total Reserves & Surplus (I to V)		42041,06,94		41574,09,20

(₹ in 000's)

		31 मार्च 2016 को As on 31st March 2016		31 मार्च 2015 को As on 31st March 2015	
अनुसूची - 2 ए- माइनोरिटी इन्टरेस्ट	**SCHEDULE - 2A- Minority Interest**				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	186,71,56		158,40,66	
जोड़ें / (घटाएं): वर्ष के दौरान किए गए समायोजन	Add /(Less): Adjustments during the year	6,97,51	193,69,07	28,30,90	186,71,56
कुल माइनोरिटी इन्टरेस्ट	Total Minority Interest		193,69,07		186,71,56
अनुसूची - 3 जमा राशियां	**SCHEDULE - 3 DEPOSITS**				
क. I मांग-जमाराशियां	A. I Demand Deposits				
i) बैंकों से	i) From Banks	1114,41,76		2001,87,36	
ii) अन्य से	ii) From Others	34429,71,70	35544,13,46	51707,60,25	53709,47,61
II बचत बैंक जमाराशियां	II Savings Bank Deposits		119459,30,04		112805,52,55
III मीयादी जमाराशियां	III Term Deposits				
i) बैंकों से	i) From Banks	82751,59,64		111124,20,80	
ii) अन्य से	ii) From Others	348935,43,69	431687,03,33	352342,04,09	463466,24,89
जोड़ (I से III)	TOTAL (I to III)		586690,46,83		629981,25,05
ख. I भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां	B. I Deposits of branches in India	399817,02,43		419188,80,78	
II भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां	II Deposits of branches outside India	186873,44,40		210792,44,27	
जोड़ (I और II)	TOTAL (I & II)	586690,46,83		629981,25,05	
अनुसूची - 4 उधार ली गयी राशियां	**SCHEDULE - 4 BORROWINGS**				
I. भारत में उधार ली गयी राशियां	I Borrowings in India				
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	i) Reserve Bank of India	-		-	
ii) अन्य बैंक	ii) Other Banks	395,91,13		2432,85,33	
iii) अन्य संस्थान और एजेंसियां	iii) Other Institutions and Agencies	844,34,01		214,27,53	
iv) आईपीडीआई	iv) IPDI	1911,70,00		1911,70,00	
v) बांडों के रूप में जारी हाईब्रिड ऋण पूंजी लिखत	v) Hybrid Debt Capital Instruments issued as bonds	5230,00,00		5000,00,00	
vi) गौण ऋण	vi) Subordinate debt	4190,00,00	12571,95,14	5190,00,00	14748,82,86
II. भारत के बाहर उधार ली गयीं राशियां (300 मिलियन यूएस डॉलर अर्थात ₹ 1987.65 करोड़ के एमटीएन बांड सहित) (पिछले वर्ष 300 मिलियन यूएस डॉलर अर्थात ₹ 1875 करोड़)	II Borrowings outside India (includes MTN Bonds of USD 300 mn, INR equivalent of ₹ 1987.65 crores (previous year USD 300 mn, ₹ 1875.00 crores))		21273,27,43		20752,68,88
जोड़े (I एवं II)	TOTAL (I & II)		33845,22,57		35501,51,74
ऊपर I एवं II में शामिल जमानती उधार राशियां	Secured Borrowings included in I & II above		2198,38,45		2849,83,75

(₹ in 000's)

अनुसूची - 5 अन्य देयताएं एवं प्रावधान / SCHEDULE - 5 OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

		31 मार्च 2016 को As on 31st March 2016		31 मार्च 2015 को As on 31st March 2015	
I देय बिल	I Bills Payable		1741,92,90		2190,88,05
II उपचित ब्याज	II Interest Accrued		3992,72,15		4781,06,40
III अन्त : कार्यालय समायोजन	III Inter office Adjustments		391,93,64		752,71,17
IV आस्थगित कर देयताएं	IV Deferred Tax Liabilities		6,09,85		675,85,37
V मानक अग्रिमों के पेटे आकस्मिक प्रावधान	V Contingent Provision against Standard Advances		2772,97,76		2981,80,35
VI अन्य (प्रावधानों सहित)	VI Others(including provisions)		19040,86,48		14907,92,71
जोड़ें (I एवं VI)	TOTAL (I to VI)		27946,52,79		26290,24,05

अनुसूची - 6 नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष / SCHEDULE - 6 CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

		31 मार्च 2016 को As on 31st March 2016		31 मार्च 2015 को As on 31st March 2015	
I हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	I Cash in hand (including foreign currency notes)		3857,14,15		3358,63,97
II भारतीय रिज़र्व बैंक/केन्द्रीय बैंक के पास चालू खाते में शेष राशि	II Balances with Reserve Bank of India/ Central Bank :				
i) चालू खाते में	i) in Current Account	18545,58,70		19853,05,30	
ii) अन्य खातों में	ii) in Other Accounts	408,02,49	18953,61,19	345,25,06	20198,30,36
जोड़ (I और II)	TOTAL (I & II)		22810,75,34		23556,94,33

अनुसूची -7 बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि / SCHEDULE - 7 BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

		31 मार्च 2016 को As on 31st March 2016		31 मार्च 2015 को As on 31st March 2015	
I भारत में	I In India				
i) बैंकों के पास शेष राशि	i) Balances with Banks				
क) चालू खातों में	a) in Current Accounts	2189,35,27		625,28,04	
ख) अन्य जमा खातों में	b) in Other Deposit Accounts	3293,48,03	5482,83,30	4920,67,58	5545,95,62
ii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	ii) Money at call and short notice				
क) बैंकों के पास	a) with Banks	600,00,00		-	
ख) अन्य संस्थानों के पास	b) with Other institutions	45,00,00	645,00,00	155,00,00	155,00,00
जोड़ (i और ii)	TOTAL (i and ii)		6127,83,30		5700,95,62
II भारत से बाहर	II Outside India				
i) चालू खातों में	i) in Current Accounts	13566,29,65		33392,04,57	
ii) अन्य जमा-राशि खातों में	ii) in Other Deposit Accounts	59530,30,19		62554,33,09	
iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	iii) Money at Call and Short Notice	34963,86,91		26426,91,37	
जोड़ (i, ii और iii)	TOTAL (i, ii and iii)		108060,46,75		122373,29,03
कुल जोड़ (I और II)	GRAND TOTAL (I and II)		114188,30,05		128074,24,65

(₹ in 000's)

		31 मार्च 2016 को As on 31st March 2016		31 मार्च 2015 को As on 31st March 2015	
अनुसूची-8 निवेश	**SCHEDULE - 8 INVESTMENTS**				
I भारत में निम्न में निवेश	I Investments in India in				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	i) Govt Securities	103090,09,11		99139,02,19	
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other Approved Securities	1607,52,80		1387,37,47	
iii) शेयर	iii) Shares	1882,80,33		2033,06,08	
iv) डिबेंचर एवं बांड	iv) Debentures and Bonds	3668,89,34		3947,50,12	
v) सहयोगी इकाइयों में निवेश	v) Investment in Associates	736,49,59		681,32,28	
vi) अन्य	vi) Others	5796,04,21		7462,64,42	
जोड़ (i से vi)	TOTAL (i to vi)		116781,85,38		114650,92,56
II भारत से बाहर निवेश	II Investments Outside India in				
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i) Govt Securities (incl. Local authorities)	6481,69,55		5535,37,21	
ii) सहयोगी इकाइयों में निवेश	ii) Investment in Associates	78,16,25		114,21,15	
iii) अन्य	iii) Others	5552,34,52		4438,45,52	
जोड़ (i से iii)	TOTAL (i to iii)		12112,20,32		10088,03,88
कुल जोड (I एवं II)	GRAND TOTAL (I & II)		128894,05,70		124738,96,44
III भारत में निवेश	III Investments in India				
निवेशों का सकल मूल्य	Gross value of Investments	117590,04,17		120678,71,84	
घटाएं: मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों का जोड़	Less : Aggregate of Provisions for Depreciation	808,18,79		520,30,86	
शुद्ध निवेश	Net Investments in India	116781,85,38		120158,40,98	
IV भारत से बाहर निवेश	IV Investments outside India				
निवेशों का सकल मूल्य	Gross value of Investments	12439,07,65		10396,17,05	
घटाएं: मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों का जोड़	Less : Aggregate of Provisions for Depreciation	326,87,33		308,13,17	
बाहर शुद्ध निवेश	Net Investments outside	12112,20,32	128894,05,70	10088,03,88	130246,44,86

(₹ in 000's)

				31 मार्च 2016 को As on 31st March 2016		31 मार्च 2015 को As on 31st March 2015
अनुसूची-9 अग्रिम	**SCHEDULE - 9 ADVANCES**					
क. i) खरीदे और भुनाए गए बिल	A. i) Bills Purchased and Discounted	50008,11,34		57603,93,20	
ii) नकद ऋण, ओवर ड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans Repayable on Demand	172186,59,00		200046,09,80	
iii) मीयादी ऋण	iii) Term Loans	169291,28,19		177765,45,92	
जोड़ (i से iii)	Total (i to iii)		391485,98,53		435415,48,92
ख. i) मूर्त आस्तियों द्वारा संरक्षित (बही ऋण की एवज में अग्रिमों सहित)	B. i) Secured by Tangible Assets(Includes advances against book debts)	277052,02,55		298146,25,17	
ii) बैंकों/सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित	ii) Covered by Bank/ Government Guarantees	68555,49,70		83267,06,96	
iii) गैर-जमानती	iii) Unsecured	45878,46,27		54002,16,79	
जोड़ (i से iii)	Total (i to iii)		391485,98,53		435415,48,92
ग. I भारत में अग्रिम	C. I Advances in India				
i प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i) Priority Sector	93768,22,50		96972,45,73	
ii सार्वजनिक क्षेत्र	ii) Public Sector	16325,12,18		22481,55,07	
iii बैंकों	iii) Banks	5739,32,88		3406,76,92	
iv अन्य	iv) Others	150225,21,09	266057,88,65	171647,59,03	294508,36,75
II भारत से बाहर अग्रिम	II Advances Outside India				
i बैंकों से प्राप्य	i) Due from Banks	63346,54,91		71206,62,67	
ii अन्यों से प्राप्य	ii) Due from Others				
क. खरीदे गए और भुनाए गए बिल	a) Bills purchased & Discounted	2844,78,29		5889,27,56	
ख. समूह ऋण	b) Syndicated Loans	20570,59,92		23617,00,25	
ग. अन्य	c) Others	38666,16,76	125428,09,88	40194,21,69	140907,12,17
जोड़ (ग I + ग II)	Total (C.I +C.II)		391485,98,53		435415,48,92

(₹ in 000's)

		31 मार्च 2016 को As on 31st March 2016		31 मार्च 2015 को As on 31st March 2015	
अनुसूची-10 अचल आस्तियां	**SCHEDULE - 10 FIXED ASSETS**				
I परिसर	I Premises				
विगत वर्ष के 31 मार्च की लागत पर	At cost as on 31st March of the preceding year	2946,55,07		2864,45,77	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	Additions/Adjustments during the year	3346,35,71		91,32,83	
		6292,90,78		2955,78,60	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां / समायोजन	Deductions/adjustments during the year	4,47,30		9,23,53	
(पुनर्मूल्यित राशि सहित)	(Includes revalued amount)	6288,43,48		2946,55,07	
अद्यतन तारीख को मूल्यह्रास	Depreciation to date	1254,74,46	5033,69,02	1104,38,89	1842,16,18
II अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्सचर सहित)	II Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures) :				
विगत वर्ष के 31 मार्च की लागत पर	At cost as on 31st March of the preceding year	3849,79,87		3445,35,20	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	Additions/Adjustments during the year	703,00,37		537,54,28	
		4552,80,24		3982,89,48	
वर्ष के दौरान कटौतियां	Deductions during the year	73,15,96		133,09,61	
		4479,64,28		3849,79,87	
अद्यतन तारीख तक मूल्यह्रास	Depreciation to date	3154,16,16	1325,48,12	2713,55,06	1136,24,81
जोड़ (I एवं II)	TOTAL (I and II)		6359,17,15		2978,40,99
अनुसूची -11 अन्य आस्तियां	**SCHEDULE - 11 OTHER ASSETS**				
I उपचित ब्याज	I Interest Accrued		5492,65,60		4409,84,79
II अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर कर कटौती (प्रावधानों का निवल)	II Tax paid in advance/tax deducted at source(net of Provisions)		5393,42,84		5584,58,01
III स्टेशनरी एवं स्टैम्प	III Stationery and Stamps		10,03,74		7,94,32
IV आस्थगित कर आस्तियां	IV Deferred Tax assets		3262,98,51		11,82,50
V अन्य	V Others		13281,70,05		9199,12,69
जोड़ (I से V)	TOTAL (I to V)		27440,80,74		19213,32,31

(₹ in 000's)

			31 मार्च 2016 को As on 31st March 2016		31 मार्च 2015 को As on 31st March 2015
अनुसूची -12 आकस्मिक देयताएं	**SCHEDULE - 12 CONTINGENT LIABILITIES**				
I दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया	I Claims not acknowledged as debts		389,31,10		100,32,70
II आंशिक चुकता निवेशों के लिए देयता	II Liability for partly paid Investments		28,00		28,00
III बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	III Liability on account of outstanding forward exchange contracts		142340,20,48		150684,45,91
IV संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां	IV Guarantees given on behalf of constituents :				
क) भारत में	a) In India	21033,84,14		17568,26,45	
ख) भारत से बाहर	b) Outside India	12049,71,85	33083,55,99	13822,47,57	31390,74,02
V स्वीकृतियां, परांकन और अन्य बाध्यता	V Acceptances, Endorsements and Other Obligations		16896,56,73		20337,88,56
VI आकस्मिक देयता की अन्य मदें	VI Other items of contingent liability		37097,03,31		44818,67,90
जोड़ (I से VI)	TOTAL (I to VI)		229806,95,61		247332,37,09

(₹ in 000's)

				31 मार्च 2016 को Year Ended 31st March 2016	31 मार्च 2016 को Year Ended 31st March 2015
अनुसूची-13 **अर्जित ब्याज**		**SCHEDULE - 13** **INTEREST EARNED**			
I	अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	I	Interest/Discount on Advances/Bills	30700,06,64	31669,35,61
II	निवेश पर आय	II	Income on Investments	11333,92,88	10333,46,51
III	भारतीय रिज़र्व बैंक शेष और अन्य अन्तर बैंक निधियों के शेष पर ब्याज	III	Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds	1469,87,76	1717,62,95
IV	अन्य	IV	Others	2295,11,74	1194,51,59
	जोड़ (I से IV)		TOTAL (I to IV)	45798,99,02	44914,96,66
अनुसूची -14 **अन्य आय**		**SCHEDULE - 14** **OTHER INCOME**			
I	कमीशन, विनिमय एवं दलाली	I	Commission, Exchange and Brokerage	1591,84,76	1564,80,48
II	भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ/(हानि) (शुद्ध)	II	Profit/(Loss) on sale of Land, Buildings and Other Assets (Net)	2,21,08	(3,50)
III	विनिमय लेन-देन पर लाभ (शुद्ध)	III	Profit on Exchange Transactions (Net)	1277,35,53	1030,78,94
IV	निवेशों की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	IV	Profit on sale of Investments(Net)	1189,56,54	1036,29,86
V	अर्जित प्रीमियम	V	Premium earned	852,31,62	889,93,07
VI	विविध आय	VI	Miscellaneous Income	1078,87,99	927,48,13
	जोड़ (I से VII)		TOTAL (I to VI)	5992,17,52	5449,26,98
अनुसूची-15 **खर्च किया गया ब्याज**		**SCHEDULE - 15** **INTEREST EXPENDED**			
I	जमा राशियों पर ब्याज	I	Interest on Deposits	29982,12,20	28384,42,94
II	भारतीय रिज़र्व बैंक/ अन्तर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	II	Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank Borrowings	340,34,18	397,36,06
III	अन्य	III	Others	1784,97,65	1764,81,83
	जोड़ (I से III)		TOTAL (I to III)	32107,44,03	30546,60,83

(₹ in 000's)

				31 मार्च 2016 को Year Ended 31st March 2016	31 मार्च 2016 को Year Ended 31st March 2015
अनुसूची-16 परिचालन व्यय		**SCHEDULE - 16 OPERATING EXPENSES**			
I	कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	I	Payments to and Provisions for Employees	5201,04,64	4476,97,43
II	किराया, कर एवं विद्युत	II	Rent, Taxes and Lighting	903,91,31	737,74,02
III	मुद्रण एवं स्टेशनरी	III	Printing and Stationery	86,27,68	83,19,55
IV	विज्ञापन एवं प्रचार	IV	Advertisement and Publicity	83,49,88	84,51,80
V	बैंक की संपत्तियों पर मूल्यह्रास	V	Depreciation on Bank's Property	525,10,86	368,25,53
VI	निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय	VI	Directors' Fees, Allowances and Expenses	2,64,64	2,58,69
VII	लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय (शाखा लेखा-परीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित)	VII	Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors' Fees and Expenses)	60,70,05	54,43,54
VIII	विधि प्रभार	VIII	Law Charges	58,29,71	50,05,86
IX	डाक व्यय, तार एवं दूरभाष आदि	IX	Postages, Telegrams, Telephones etc.	163,46,50	156,60,96
X	मरम्मत एवं रख रखाव	X	Repairs and Maintenance	550,74,24	481,40,75
XI	बीमा	XI	Insurance	503,16,51	462,73,27
XII	अन्य व्यय	XII	Other Expenditure	1823,55,85	1645,90,01
	जोड़ (I से XII)		TOTAL (I to XII)	9962,41,87	8604,41,41
अनुसूची - 17 सहयोगी इकाइयों में आय का अंश		**SCHEDULE - 17 SHARE OF EARNINGS IN ASSOCIATES**			
I	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों	I	RRB's	57,58,56	121,77,17
II	अन्य	II	Others	(37,49,26)	(4,03,94)
	जोड़ (I और II)		TOTAL (I & II)	20,09,30	117,73,23

अनुसूची 18 : 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

Schedule 18 : Significant Accounting Policies on the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March 2016

1. समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों को तैयार करने का आधार

1.1 तैयार करने का आधार

बैंक (मूल), इसकी अनुषंगियों संयुक्त उद्यमों और सहयोगी इकाइयों के समेकित वित्तीय विवरण-पत्र (सीएफएस) परम्परागत लागत के आधार पर बनाए गए हैं और सभी वास्तविक पहलुओं के संदर्भ में, भारत की शाखाओं/कार्यालयों के विषय में भारत में और विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के विषय में संबद्ध देश में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों एवं विधाओं के अनुरूप हैं, जब तक कि कोई अन्यथा उल्लेख न किया गया हो.

1.2 अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरण-पत्रों को तैयार करने में वित्तीय विवरण-पत्र की तारीख को रिपोर्ट की गई आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्ट की गई अवधि हेतु आय एवं व्यय संबंधी राशि को रिपोर्ट करने हेतु प्रबंधन को कुछ अनुमानों और आकलनों को आधार बनाना पड़ता है. प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरण-पत्रों को तैयार करने के लिए प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और उचित हैं.

2. समेकन प्रक्रिया

2.1 समूह के समेकित वित्तीय विवरण-पत्र (12 अनुषंगियां, 6 सहयोगी इकाइयों तथा 3 संयुक्त उद्यमों) का समावेश है, निम्नलिखित के आधार पर तैयार किए गए हैं :

क) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (मूल) के लेखा-परीक्षित खाते

ख) अनुषंगियों की आस्ति/देयता/आय/व्यय की प्रत्येक मद का मूल संस्था की संबंधित मद के साथ शब्दश: एकत्रीकरण तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस-21) समेकित वित्तीय विवरण पत्रक के अनुसार सभी इन्ट्रा ग्रुप शेषों/संव्यवहारों और वसूल न किए गए लाभ/हानि को कम करते हुए.

ग) सहयोगी संस्थाओं में निवेश का लेखांकन लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण-पत्रों के आधार पर आईसीएआई द्वारा जारी ए एस 23 ''अकाउंटिंग फॉर इनवेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कनसालिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स'' इक्विटी प्रणाली के अनुरुप किया गया है.

घ) संयुक्त उद्यमों में ब्याज को, आईसीएआई द्वारा जारी एएस-27 (फायनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इन्टरेस्ट इन ज्वाइंट वेंचर) में निर्धारित ''समानुपातिक समेकन आधार'' पर समेकित किया गया है.

2.2 लेखांकन नीतियों में अन्तर होने की स्थिति में अनुषंगियों, संयुक्त उद्यम एवं सहयोगी इकाइयों के वित्तीय विवरण-पत्रों को, जहां कहीं आवश्यक तथा व्यावहारिक हो, मूल की लेखा-नीतियों के अनुरुप समायोजित किया गया है.

2.3 समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों के माइनोरिटी इन्टरेस्ट में अनुषंगियों की शुद्ध इक्विटी/लाभ में माइनोरिटी शेयरधारकों के अंश समाहित हैं.

1. BASIS OF PREPARATION OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS:

1.1 BASIS OF PREPARATION:

Consolidated Financial Statements (CFS) of the Bank (Parent), its subsidiaries, joint ventures and associates are drawn up on historical cost basis and conform in all material aspects to statutory provisions and practices prevailing in India in respect of Indian offices / branches and respective foreign countries in respect of foreign offices / branches, unless otherwise stated.

1.2 USE OF ESTIMATES:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

2. CONSOLIDATION PROCEDURE:

2.1 CFS of the group (comprising of -12- Subsidiaries, -6- Associates and -3- Joint Ventures) have been prepared on the basis of :

a. Audited accounts of Bank of Baroda (Parent).

b. Line by line aggregation of each item of asset/liability/income/expense of the subsidiaries with the respective item of the Parent, and after eliminating all material intra-group balances / transactions, unrealised profit/loss as per AS 21 (Consolidated Financial Statements) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

c. Investments in Associates are accounted for under the Equity Method as per AS 23 (Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements) issued by ICAI based on the audited Financial Statements of the associates.

d. Interests in Joint Ventures are consolidated on 'Proportionate consolidation method' as prescribed in AS 27 (Financial Reporting of Interests in Joint Ventures) issued by ICAI.

2.2 In case of difference in Accounting Policies, the Financial Statements of Subsidiaries, Joint ventures and Associates are adjusted, wherever necessary and practicable, to conform to the Accounting Policies of the Parent.

2.3 Minority interest in the CFS consists of the share of the minority shareholders in the net equity / profit of the subsidiaries.

2.4 मूल संस्था द्वारा इसकी अनुषंगियों में किए गए निवेश की लागत और अनुषंगियों में इक्विटी में मूल संस्था के हिस्से की लागत अंतर को साख / प्रारक्षित पूंजी, जैसा भी मामला हो, के रूप में माना गया है.

3. निवेश

3.1 वर्गीकरण

मूल संस्था तथा इसकी घरेलू अनुषंगियों के निवेश पोर्टफोलियो को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

(क) ''परिपक्वता तक धारित'' एचटीएम निवेश राशियों में परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त निवेश शामिल हैं.

(ख) ''व्यापार हेतु धारित'' एचटीएम में वे निवेश शामिल हैं जिन्हें व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है.

(ग) ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' एएफएस में वे निवेश शामिल हैं जो उपरोक्त ''क'' तथा ''ख'' में शामिल नहीं हैं अर्थात् जो न तो व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं और न ही परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं.

3.2 अधिग्रहण लागत

निवेशों के अधिग्रहण की लागत-प्रोत्साहनों, फ्रंट एण्ड फीस एवं कमीशन का कुल योग है.

3.3 मूल्यांकन का आधार

एचटीएम के रूप में वर्गीकृत निवेशों को भारित औसत अर्जित लागत पर लिया गया है, जबतक कि वह अंकित मूल्य से अधिक नही हैं. विपरीत स्थिति में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक परिशोधित किया गया है.

एचटीएम के रूप में वर्गीकृत निवेशों में ऐसे डिबेंचर/बांड्स शामिल हैं जिन्हें स्वरूप/प्रकृति की दृष्टि से अग्रिम माना जाता है (जिनके लिए अग्रिमों पर लागू आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड लागू करते हुए प्रावधान किया गया है.)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, ट्रेज़री बिलों, कमर्शियल पेपर्स और जमा प्रमाण पत्र में किए गए निवेशों को रखाव लागत आधार पर मूल्यांकन किया गया है.

23.08.2006 के पश्चात् मूल द्वारा वीसीएफ की ईकाइयों में किए गए निवेश को आरम्भिक तीन वर्षों के लिए परिपक्वता तक एचटीएम के तहत श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है तथा कीमत के आधार पर मूल्यांकन किया गया है. संवितरण के तीन वर्षो के पश्चात् इन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार एएफएस तथा मार्केट-टू-मार्केट में अंतरित किया जाएगा.

''व्यापार के लिए धारित'' (एचएफटी) एवं ''बिक्री के लिए उपलब्ध'' (एएफएस) के रुप में वर्गीकृत निवेश बाजार स्क्रिपवार चिन्हीत किया गया है तथा तुलन पत्र में प्रत्येक श्रेणी में दर्शाए गए परिणामी शुद्ध मूल्यह्रास, यदि कोई है, को लाभ हानि खाते में स्थान दिया गया है. जब कि शुद्ध मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, को छोड़ दिया गया है. तथापि रुपांतरण के द्वारा प्राप्त किए गए निवेशों को भले ही वे मानक या एनपीए के रुप में वर्गीकृत किए हों, किसी अन्य प्रतिभूति जो एएफएस श्रेणी के अंतर्गत रखीं गई है किसी अधिमूल्यन के पेटे समायोजन नहीं किया गया है.

व्यापार के लिए धारित श्रेणी के तहत ट्रेजरी बिलों में प्राथमिक डीलर के रूप में मूल बैंक द्वारा किये गये निवेश का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया गया है.

''व्यापार के लिए धारित'' तथा ''बिक्री के लिए उपलब्ध'' श्रेणी के उद्धृत निवेशों के मूल्यांकन के लिए बाज़ार स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत दरों हेतु प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (पीडीएआई)/

2.4 The difference between cost to the Parent of its initial investment in the subsidiaries and the Parent's portion of the equity of the subsidiaries is recognized as goodwill/ capital reserve as the case may be.

3. INVESTMENTS:

3.1 Classification

The Investment portfolio of the Parent and its domestic subsidiaries is classified in accordance with Reserve Bank of India guidelines into:

(a) "Held to Maturity" (HTM) comprising investments acquired with the intention to hold them till maturity.

(b) "Held for Trading" (HFT) comprising investments acquired with the intention to trade.

(c) "Available for Sale" (AFS) comprising investments not covered by (a) and (b) above i.e. those which are acquired neither for trading purposes nor for being held till maturity.

3.2 Acquisition Cost

Cost of Acquisition of Investments is net of incentives, front-end fees and commission.

3.3 Basis of Valuation

Investments classified as HTM are carried at weighted average acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity.

Investments classified as HTM includes debentures / bonds which are deemed to be in the nature of / treated as advances (for which provision is made by applying the RBI prudential norms of assets classification and provisioning applicable to advances).

Investments in Regional Rural Banks, Treasury Bills, Commercial Papers and Certificates of Deposit which have been valued at carrying cost.

Parent's investment in units of VCFs made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and are valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.

Investments classified as HFT and AFS are marked to market, scrip-wise and the resultant net depreciation if any in each category disclosed in the Balance Sheet is recognized in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, is ignored. However, Depreciation on the Instruments acquired by way of conversion, whether classified as Standard or NPA, is not offset against the appreciation in any other securities held under the AFS category.

Investments made by the Parent as Primary Dealer in Treasury Bills under HFT category have been valued at carrying cost.

For the purpose of valuation of quoted investments in HFT and AFS categories, the market rates/quotes on the Stock exchanges, the rates declared by Primary

फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एण्ड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडीए) / विदेशी विनिमय डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (एफईडीएआई) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया गया है.

जिन निवेशों के लिए ऐसी दरें / उद्धृत दरें उपलब्ध नहीं हैं, उनका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया गया है जो निम्नानुसार हैं :-

क.	सरकारी/अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	परिपक्वता आधारित आय पर
ख.	इक्विटी शेयर, पीएसयू एवं ट्रस्टी शेयर	-	नवीनतम तुलनपत्र (12 माह से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार ब्रेक अप मूल्य पर अन्यथा ₹ 1 प्रति कंपनी
ग.	अधिमानी शेयर	-	परिपक्वता आधारित आय पर, समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप सहित
घ.	पीएसयू बॉन्ड	-	समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप के साथ परिपक्वता आधारित आय पर
ङ	म्युचुअल फंड की यूनिटें	-	फंड द्वारा प्रत्येक स्कीम के संबंध में घोषित अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य/शुद्ध आस्ति मूल्य / एनएवी पर
च.	उद्यम पूंजी	-	लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार घोषित एनएवी या ब्रेक अप एनएवी जोकि 18 माह से ज्यादा पुरानी न हो, यदि लगातार 18 माह से अधिक के एनएवी या लेखा परीक्षित वित्तीय आंकड़े उपलब्ध न हों तो ₹ 1/- प्रति वीसीएफ.
छ.	प्रतिभूति प्राप्तियां		भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार आस्ति पुनर्निमाण कंपनी द्वारा घोषित एनएवी

3.4 निवेशों का निस्तारण

''परिपक्वता तक धारित'' के रुप में वर्गीकृत निवेशों की बिक्री पर लाभ/हानि को संबंधित निवेशों की भारित औसत लागत/बही मूल्य के आधार पर लाभ एवं हानि खाते में अंकित किया गया है एवं ''परिपक्वता तक धारित'' वर्गीकरण में संबंधित निवेशों के बही मूल्य के समतुल्य लाभ को प्रारक्षित पूंजी खाते में विनियोजित किया गया है.

एएफएस/एचएफटी श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर हुए लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है.

3.5 बैंक के द्वारा निवेशों के लिए, निपटान तारीख आधार पर समरूप लेखा प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है.

3.6 विदेशी शाखाओं में निवेश के सम्बंध में भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा मेजबान देशों के दिशा-निर्देशों का, दोनों में से जो अधिक सख्त हों, का अनुपालन किया गया है. ऐसी शाखाओं के मामले में जो ऐसे देशों में स्थित है जहां कोई विशिष्ट दिशानिर्देश नहीं है, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया गया है.

3.7 इन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों के अंतरण की गणना, अंतरण की तारीख को उसकी अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/ बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, पर की गई है और ऐसे अंतरण के फलस्वरूप मूल्यह्रास, यदि कोई है, के लिए प्रावधान किया गया है.

Dealers Association of India (PDAI)/ Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA)/ Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) are used.

Investments for which such rates / quotes are not available are valued as per norms laid down by Reserve Bank of India, which are as under: -

a	Government / Approved securities	-	On Yield to Maturity basis.
b	Equity Shares, PSU and Trustee shares	-	At break up value as per the latest Balance Sheet (not more than 12 months old), otherwise ₹ 1 per company.
c	Preference Shares	-	On Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up.
d	PSU Bonds	-	On Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up.
e	Units of Mutual Funds	-	At the latest repurchase price / NAV declared by the Fund in respect of each scheme.
f	Venture Capital	-	Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at ₹ 1/- per VCF.
g	Security Receipts	-	Declared NAV by the Asset Reconstruction Company as per RBI / SEBI guidelines.

3.4 Disposal of Investment

Profit / loss on sale of investments classified as HTM is recognized in the Profit and Loss account based on the weighted average cost / book value of the related investments and an amount equivalent of profit on sale of investments in HTM classification is appropriated to Capital Reserve Account.

Profit /loss on sale of Investment in AFS/HFT category is recognized in Profit and Loss account.

3.5 The Parent is following uniform methodology of accounting for investments on settlement date basis.

3.6 In respect of Investments at Overseas Branches, Reserve Bank of India guidelines or those of the host countries, whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of the Reserve Bank of India are followed.

3.7 The transfer of a security between these categories is accounted for at the acquisition cost / book value / market value on the date of transfer, whichever is the least, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

3.8 देशी गैर-निष्पादक प्रतिभूतियों के संबंध में आय को नहीं लिया गया है, और इन प्रतिभूतियों के मूल्य में मूल्यह्रास के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार प्रावधान किया गया है.

3.9 रेपो / रिवर्स रेपो

बैंक ने पुनःखरीद तथा प्रत्यावर्तित पुनः खरीद लेनदेनों को लेखांकित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बताई गई एक समान लेखा प्रणाली को अपनाया है. रेपो / रिवर्स रेपो खाते में शेष राशि को निवेश खाते में शेष राशि की एवज में समायोजित किया गया है. (भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चल निधि समायोजन योजना (एलएएफ) के अंतर्गत हुए लेनदेनों को छोडकर). रेपो एवं रिवर्स रिपो लेनदेनों को, सहमत शर्तों पर पुनःखरीद करने के समझौते के साथ संपार्श्विक उधार/ऋण के रूप में लिया गया है. रेपो के अन्तर्गत बेची गई प्रतिभूतियां उन्हें रिवर्स रेपो के तहत निवेश व खरीदी गई प्रतिभूतियों के रूप में दर्शाया गया है, तथा उन्हें निवेशों में शामिल नहीं किया गया है. लागत तथा राजस्व की गणना ब्याज व्यय/आय जैसा भी मामला हो, के रूप में की गई है.

भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत खरीदी / बिक्री की गई प्रतिभूतियां निवेश खाते में नामे / जमा की गयी हैं तथा इन्हें संव्यवहार की परिपक्वता पर रिवर्स कर दिया गया है. इन पर व्यय / अर्जित किये गए ब्याज को व्यय / लागत के रूप में लेखांकित किया गया है.

3.10 डेरिवेटिव्स :

बैंक वर्तमान में ब्याज दरों तथा मुद्रा डेरिवेटिव्स में डील करता है. बैंक द्वारा व्यवहारित ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याजदर स्वैप तथा फारवर्ड रेट एग्रीमेंट्स शामिल हैं. बैंक द्वारा व्यवहार में लाये जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स में ऑप्शन तथा मुद्रा स्वैप हैं.

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर, डेरिवेटिव्स का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है :

व्यवस्था बचाव/गैर व्यवस्था बचाव (मार्केट मेकिंग) संव्यवहार अलग-अलग रिकार्ड किये जाते हैं. व्यवस्था बचाव डेरिवेटिव्स को उपचित आधार पर लेखांकित किये जाते हैं. ट्रेडिंग डेरिवेटिव पोजिशन्स को बाजार चिन्हित किया गया है तथा परिणामी हानि, यदि कोई हो, को लाभ-हानि खाते में दर्ज किया गया है. लाभ, यदि कोई हो, को छोड़ दिया गया है. ब्याज दर स्वैप से संबंधित आय तथा व्यय निपटान तारीख को लिया गया है. ट्रेडिंग स्वैप्स की समाप्ति पर हुए लाभ/हानि को समाप्ति तिथि पर आय/व्यय के रूप में दर्ज किया गया है.

मूल्यांकन के उद्देश्य से कुल स्वैप के उचित मूल्य की गणना उस राशि के आधार पर की गयी है जो कि तुलनपत्र की तारीख को स्वैप समझोतों से संबंधित लेन-देन की समाप्ति पर प्राप्य या देय होगा. इससे संबंधित हानि, यदि कोई हो, के लिए पूर्ण प्रावधान किए गए हैं जबकि लाभ, यदि कोई हो, को छोड़ दिया गया है.

विदेशी मुद्रा वाले डेरिवेटीव संविदाओं से संबंधित आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र की तारीख को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रिपोर्ट किया गया है.

4. अग्रिम

4.1 भारत में मूल संस्था तथा इसकी घरेलू सहयोगी संस्थाओं के अग्रिम मानक, अवमानक, संदिग्ध एवं हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं और इन पर हुई हानि के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा

3.8 In respect of domestic non-performing securities, income is not recognised, and provision is made for depreciation in the value of such securities as per RBI guidelines.

3.9 REPO / REVERSE REPO

The Parent has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of market Repo and Reverse Repo transactions [other than the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI]. Repo and Reverse Repo Transactions are treated as Collaterised Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under Investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in Investments. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

Securities purchased / sold under LAF with RBI are debited / credited to Investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expended / earned thereon is accounted for as expenditure / revenue.

3.10 DERIVATIVES

The Parent presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Parent are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps and forward rate agreements. Currency Derivatives dealt with by the Parent are Options and Currency swaps.

Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

The hedge / non-hedge (market making) transactions are recorded separately. Derivative contracts designated as hedges are not marked to market unless their underlying asset is marked to market. Trading derivative positions are marked-to-market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account. Profit, if any, is ignored. Income and Expenditure relating to interest rate swaps are recognized on the settlement date. Gains / losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income / expenditure.

For the purpose of valuation, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the transactions of the swap agreements as on the Balance Sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for while the profits, if any, are ignored.

Contingent Liabilities on account of derivative contracts denominated in foreign currencies are reported at closing rates of exchange notified by FEDAI at the Balance Sheet date.

4 ADVANCES:

4.1 Advances in India of the Parent and Subsidiaries are classified as Standard, Sub-standard, Doubtful or Loss assets and Provision for losses are made on

निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार प्रावधान किए गए हैं. विदेशी शाखाओं तथा अनुषंगियों द्वारा किए गए अग्रिम के संबंध में अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के अथवा मेजबान देश, जिसमें अग्रिम दिया गया है, द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडों में से जो भी अधिक सख्त हो, के अनुरूप किया गया है.

4.2 अग्रिम विशिष्ट ऋण हानि प्रावधानों, उचन्त ब्याज, वादग्रस्त विविध जमा खातों में प्राप्त एवं रखी गई राशि, प्राप्त दावों के लिए किए गए प्रावधान की शुद्ध राशि है.

4.3 पुनर्निर्धारित/पुनर्गठित खातों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार पुनर्गठित अग्रिमों के लिए मौजूदा मूल्य शर्तों पर आकलन करते हुए प्रावधान किया गया है.

4.4 आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान के प्रयोजन से, बॉब कार्ड को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी है, जो गैर बैंकिंग वित्तीय (जमा राशि स्वीकार/धारण न करने वाली) कंपनियों के विवेकपूर्ण मानदंड (भारतीय रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2007 के विस्तृत दिशा-निर्देशों के अंतर्गत शामिल है.

4.5 आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी) / प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को बेची गई आस्तियों के मामले में बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है. वर्तमान में बैंक द्वारा अनुसरण किए जा रहे दिशा निर्देश ये हैं कि यदि बिक्री शुद्ध बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात बही मूल्य घटाएं किया गया प्रावधान) से कम मूल्य पर हुई है तो कमी को दो वर्षों की अवधि के भीतर कीमत लागत अंतर की अवधि में लाभ हानि खाते में नामे किया जाए. यदि बिक्री मूल्य, शुद्ध बही मूल्य की अपेक्षा अधिक है तो जिस वर्ष में अधिक राशि प्राप्त हुई है उस राशि को लाभ हानि खाते में रिवर्स कर दिया जाता है.

5. अचल आस्तियां

5.1 पुनर्मूल्यांकित परिसरों को छोड़कर, परिसर व अन्य अचल आस्तियां सामान्यतः परम्परागत लागत पर दर्शाई गई हैं, पुनर्मूल्यांकन पर हुई वृद्धि को पूंजीगत प्रारक्षित निधि में जमा किया गया है. ऐसी बढ़ी हुई राशि पर मूल्यह्रास हेतु किए गए प्रावधान को इसमें से घटा दिया गया है.

5.2 ''परिसर'' में भूमि तथा निर्माणाधीन भवन का समावेश है.

6. प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष

राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में सम्बद्ध देशों में प्रचलित स्थानीय कानूनों के अनुसार विदेशी शाखाओं द्वारा निर्मित सांविधिक प्रारक्षित निधियों को शामिल किया गया है.

7. राजस्व का निर्धारण

1. आय (पैराग्राफ 7.2 में उल्लिखित मद से भिन्न) / व्यय का निर्धारण सामान्यतः उपचय आधार पर किया गया है. विदेशी कार्यालयों के मामले में सम्बद्ध देश जहां विदेशी कार्यालय स्थित है, स्थानीय नियमों के तहत आय का निर्धारण किया गया है.

2. शुल्कों के माध्यम से प्राप्त आय, सरकारी कारोबार को छोड़कर कमीशन, गारंटी, साखपत्र पर कमीशन, विनिमय, दलाली तथा अतिदेय बिलों/अग्रिम बिलों पर ब्याज को वास्तविक वसूली आधार पर हिसाब में लिया गया है. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी इकाइयों में शेयरों के लाभांश को वसूली आधार पर हिसाब में लिया गया है.

these assets as per Prudential Norms of Reserve Bank of India. In respect of Advances made in overseas branches and overseas subsidiaries, Advances are classified in accordance with stringent of the Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India or local laws of the host country in which advances are made, whichever is more stringent.

4.2 Advances are net of specific loan loss provisions, interest suspense; amount received and held in suit-filed Sundry Deposit and Claims Received.

4.3 In respect of Rescheduled / Restructured accounts, Provision for diminution in fair value of restructured advances is measured in present value terms as per RBI guidelines.

4.4 For the purpose of Assets Classification and provisioning, BOB Card, the wholly owned subsidiary of BOB, is governed under the broad guidelines of “Non Banking Financial (Non-Deposit, Accepting/ holding) Companies Prudential norms (Reserve Bank) Directions, 2007”.

4.5 In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC)/ Securitization Company (SC), the bank is following the guidelines issued by Reserve Bank of India. At present, the guideline followed by the Bank is that if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account spread over a period of two years. If the sale value is higher than the NBV, excess provision is reversed to profit & loss account in the year the amounts are received.

5. FIXED ASSETS:

5.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost except revalued premises which are stated at revalued amount. The appreciation on such revaluation is credited to Capital Reserve and the depreciation provided thereon is deducted there from.

5.2 Premises include Land and Building under construction.

6. RESERVES AND SURPLUS:

Revenue and other Reserves include Statutory Reserves created by foreign branches as per applicable local laws of the respective countries.

7. REVENUE RECOGNITION:

1. Income (other than item referred in Paragraph 7.2)/ expenditure is generally recognised on accrual basis. In case of foreign offices, income/ expenditure is recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located.

2. Income by way of Fees, Commission other than on Government business, Commission on Guarantees, Letter of Credits, Exchange, Brokerage and interest on Advance Bills are accounted for on realisation basis. Dividend on shares in subsidiaries, joint ventures and associates is accounted on realisation basis.

3. गैर निष्पादित अग्रिमों तथा निवेशों के मामलों में आय की वसूली की अनिश्चितता के कारण ऐसी आय भारतीय रिज़र्व बैंक मार्गनिर्देशों के अनुसार केवल वसूल होने पर ही लेखांकित की गई है.

4. परिचालन लीज पर ली गई आस्तियों के लिए लागत वृद्धि सहित लीज भुगतानों को आईसीएआई द्वारा जारी एएस 19 (लीज) के अनुसार लीज टर्म पर लाभ एवं हानि लेखा के हिसाब में लिया जाता है.

8. जीवन बीमा कम्पनी

1. प्रीमियम आय

देय होने पर प्रीमियम (सेवा कर का निवल) को आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है. सहवर्ती व्यवसाय के लिए जब सहयोगी इकाइयां सृजित की जाती हैं, प्रीमियम को गणना में लिया जाता है. टॉप-अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम के रूप में समझा जाता है.

व्यपगत पॉलिसियों पर प्रीमियम को तब आय के रूप में लिया जाता है जब ऐसी पॉलिसियां पुनः चालू की जाती हैं.

पुनर्बीमा होने पर प्राप्त कमीशन को उस अवधि में आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है जब पुनर्बीमा प्रीमियम प्राप्त होता है.

2. लिंक्ड निधियों से आय

लिंक्ड निधियों, जिसमें प्रीमियम आबंटन प्रभार, पालिसी प्रशासनिक प्रभार, मोर्टलिटी प्रभार, निधि प्रबंधन प्रभार इत्यादि शामिल हैं, से प्राप्त आय को जारी की गई पॉलिसी की शर्तों एवं नियमों के अनुसार लिंक्ड निधियों से वसूल किया जाता है.

3. पुनर्बीमा प्रीमियम

पुनर्बीमा की लागत को बीमाकर्ता के साथ की गई शर्त अथवा सिद्धांततः व्यवस्था के अनुसार प्रीमियम आय के निर्धारण के समय हिसाब में लिया जाता है. पुनर्बीमा पर लाभ कमीशन, पुनर्बीमा से प्राप्त प्रीमियम पर समायोजित किया जाता है.

4. प्रदत्त लाभ (दावों सहित)

प्रदत्त लाभों में पॉलिसी लाभ तथा दावा निपटान लागत, यदि कोई हो, शामिल हैं.

मृत्यु, अनुवृद्धि (राइडर) तथा अभ्यर्पण दावों को सूचना प्राप्त होने पर हिसाब में लिया जाता है.

उत्तरजीवी लाभ दावों तथा परिपक्वता दावों को देय होने पर गणना में लिया जाता है.

लिंक्ड पॉलिसियों के तहत आहरणों तथा अभ्यर्पणों को संबंधित योजनाओं में तब हिसाब में लिया जाता है, जब अनुषंगी इकाइयां निरस्त हो जाती हैं. दावों पर पुनर्बीमा वसूली को संबंधित दावों की उसी अवधि में हिसाब में लिया जाता है.

5. अधिग्रहण लागत

अधिग्रहण लागते ऐसी लागत हैं जो भिन्न-भिन्न होती हैं और प्राथमिक तथा बीमा संविदाओं के अधिग्रहण से समबद्ध होती हैं और उस अवधि में व्यय की जाती हैं, जिसमें ये उपगत होती हैं.

6. जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए देयता

कंपनी की बीमांकिक देयताओं की गणना बीमा अधिनियम 1938, बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण (आस्तियां, देयताएं तथा बीमाकर्ताओं

3. In view of uncertainty of collection of income in cases of Non-performing Assets / Investments, such income is accounted for only on realization in terms of the RBI guidelines.

4. Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognised in the Profit and Loss Account over the lease term in accordance with the AS 19 (Leases) issued by ICAI.

8 LIFE INSURANCE COMPANY:

1. Premium Income:

Premium (net of service tax) is recognised as income when due. For linked business, premium is recognised when the associated units are created. Top up premiums are considered as single premium.

Premium on lapsed policies is recognised as income when such policies are reinstated.

Commission received on reinsurance ceded is recognised as income in the period in which reinsurance premium is ceded.

2. Income from linked funds:

Income from linked funds which includes premium allocation charges, policy administrative charges, mortality charges, fund management charges etc. are recovered from the linked funds in accordance with the terms and conditions of policies issued.

3. Reinsurance Premium:

Cost of reinsurance ceded is accounted for at the time of recognition of premium income in accordance with the treaty or in-principle arrangement with the reinsurer. Profit commission on reinsurance ceded is netted off against premium ceded on reinsurance.

4. Benefits paid (including claims):

Benefits paid comprise of policy benefits & claim settlement costs, if any.

Death, rider & surrender claims are accounted for on receipt of intimation.

Survival benefit claims and maturity claims are accounted for when due.

Withdrawals & surrenders under linked policies are accounted for in the respective schemes when the associated units are cancelled. Reinsurance recoveries on claims are accounted for, in the same period as the related claims.

5. Acquisition Costs:

Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed in the period in which they are incurred.

6. Liability for life policies:

Actuarial liabilities of the company have been calculated in accordance with the requirements of insurance

के सोलवेंसी मार्जिन) विनियमन, 2000, भारतीय बीमांकिक संस्थान द्वारा जारी दिशा-निर्देश नोट तथा सामान्यतः स्थापित बीमांकिक पद्धतियों के अनुसार की जाती है.

7. निवेश

बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियमन, 2000, बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (निवेश) (संशोधन) विनियमन, 2001 तथा समय-समय पर आईआरडीए द्वारा जारी किए गए अन्य परिपत्रों / अधिसूचनाओं के अनुसार निवेश किए जाते हैं.

9. कर्मचारी लाभ

9.1 भविष्य निधि

बैंक ऑफ़ बड़ौदा पीएफ नियमों के अनुसार भविष्य निधि एक सांविधिक दायित्व है जिसके तहत बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है. बैंक की बाध्यता ऐसे निश्चित अंशदान तक ही सीमित है. अंशदानों को लाभ/हानि खाते में प्रभारित किया जाता है. निधियों का प्रबंधन बैंक ऑफ़ बड़ौदा भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है

9.2 ग्रेच्यूटी

बैंक ऑफ़ बड़ौदा ग्रेच्यूटी निधि नियमों एवं विनियमों के अनुसार ग्रेच्यूटी देयता एक सांविधिक दायित्व है और इसके संबंध वर्ष की समाप्ति में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किये जाते है. बैंक द्वारा ग्रैचुटी के लिए निधि उपलब्ध करायी जाती है एवं इसका प्रबंधन बैंक ऑफ़ बड़ौदा ग्रेच्यूटी निधि ट्रस्ट द्वारा किया जाता है.

9.3 पेंशन

9.3.1 बैंक ऑफ़ बड़ौदा कर्मचारी पेंशन विनियम 1995 के अंतर्गत पेंशन देयता एक निश्चित हितबाध्यता है और इसके संबंध वित्तीय वर्ष की समाप्ति में संचित मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किये जाते हैं. यह उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने 31.3.2010 तक बैंक सेवा ग्रहण की और पेंशन का विकल्प लिया. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन निधि न्यास द्वारा योजना के लिए निधि उपलब्ध करायी जाती है.

9.3.2 नई पेंशन योजना, जो कि बैंक में 1.4.2010 को अथवा इसके पश्चात सेवा में आने वाले कर्मचारियों पर लागू होती है, एक परिभाषित अंशदायी योजना है. बैंक पूर्व निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है. बैंक का दायित्व केवल निर्धारित अंशदान तक ही सीमित है. अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

9.4 क्षतिपूरित अनुपस्थिति

संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति जैसे कि अर्जित अवकाश (पीएल) तथा लिए न गए रुग्ण अवकाश का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है.

9.5 अन्य कर्मचारी लाभ

अन्य कर्मचारी लाभ जैसे कि छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी रियायत किराया (एलएफसी), और सेवानिवृति पर अतिरिक्त सेवानिवृति लाभ इत्यादि को बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है.

विदेशी शाखाओं एवं कार्यालयों के संबंध में कर्मचारियों से संबंधित लाभों को, प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों को छोड़कर, संबंद्ध देश में लागू कानून के आधार पर मूल्यांकित तथा लेखाकृत किया जाता है.

Act.1938, Insurance Regulatory and Development Authority (Assets, Liabilities, and Solvency Margin of Insurers) Regulations, 2000, Guidance Notes issued by Institute of Actuaries of India and generally established actuarial practices.

7. Investments:

Investments are made in accordance with the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, the insurance regulatory and Development Authority (investment) (Amendment) Regulations, 2001 and various other circulars / notifications issued by the IRDA in this context from time to time.

9 EMPLOYEES BENEFITS:

9.1 PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation as per Bank of Baroda PF Rules as the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Bank of Baroda Provident Fund Trust.

9.2 GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation as per Bank of Baroda Gratuity Fund Rules and Regulations and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the bank and is managed by Bank of Baroda Gratuity Fund Trust.

9.3 PENSION

9.3.1 Pension liability is a defined benefit obligation under Bank of Baroda Employees Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the financial year, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension. The pension liability is funded by Bank of Baroda (Employees) Pension Fund Trust.

9.3.2 New Pension Scheme which is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme, Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

9.4 COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and Unavailed Sick Leave are provided for based on actuarial valuation.

9.5 OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Encashment, Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation.

In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

10. मूल्यह्रास

10.1 भारत में अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास (नीचे दिए गए पैरा 10.3 एवं 10.4 में संदर्भित को छोड़) कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार मूल्यह्रासित बही मूल्य पद्धति के आधार पर, पुनर्मूल्यित आस्ति को छोड़ - जिसके संबंध में इन पुनर्मूल्यित आस्तियों की अनुमानित उपयोगिता अवधि के आधार पर ज्यादा मूल्यह्रास किया जाता है, प्रदान किया गया है.

10.2 भारत से बाहर अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास (नीचे दिए गए पैरा 9.3 में संदर्भित को छोड़) स्थानीय कानून अथवा संबद्ध देश में प्रचलित परंपराओं के अनुसार प्रदान किया जाता है.

10.3 कम्प्यूटरों तथा साफ्टवेयर जो भारत और भारत से बाहर कंम्प्यूटर हार्डवेयर का अनिवार्य अंग हैं, उन पर मूल्यह्रास भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार स्ट्रेट लाइन विधि से 33.33% प्रतिवर्ष की दर से प्रदान किया गया है. कंप्यूटर साफ्टवेयर जो हार्डवेयर का अनिवार्य अंग नहीं है उसे लाभ-हानि खाते से सीधे प्रभारित कर दिया गया है.

10.4 एटीएम पर मूल्यह्रास 20% प्रतिवर्ष की दर से सरल पद्धति (स्ट्रेट लाइन) से प्रदान किया जाता है.

10.5 परिवर्द्धनों पर मूल्यह्रास खरीद / उपयोग शुरु करने की तारीख से आनुपातिक आधार पर प्रावधान किया गया है.

10.6 पट्टाकृत भूमि एवं पट्टाकृत परिसर संबंधी सुधारों की लागत का पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधन किया गया है.

11. आस्तियों की क्षति

अचल आस्तियों की क्षति, (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) यदि कोई हो, का निर्धारण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक 28 (आस्तियों की क्षति) के अनुसार किया जाता है और लाभ हानि खाते को प्रभारित किया जाता है.

12. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

12.1 विदेशी मुद्रा से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा पर जारी लेखा मानक 11 (विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तनों के प्रभाव) के अनुरूप किया गया है.

12.2 लेखा मानक एएस-11 के प्रयोजन के लिए बैंक के मूल एवं अनुषंगी विदेशी मुद्रा परिचालनों को (क) एकीकृत परिचालन एवं (ख) असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है. मूल संस्था की सभी विदेशी शाखाओं, ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों, विदेशी अनुषंगियों को असमाकलित परिचालन एवं विदेशी मुद्रा के घरेलू परिचालनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन के रूप में माना गया है.

12.3 एकीकृत परिचालनों के संबंध में रुपांतरण

(क) रुपांतरण को प्राथमिक तौर पर फेडाई द्वारा सूचित की गई औसत साप्ताहिक दरों पर रिकार्ड किया गया है.

(ख) विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई क्लोजिंग स्पाट दरों पर रुपांतरित किया गया है.

(ग) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना आय अथवा व्यय के रूप में की गई है तथा इन्हें तदनुसार लाभ हानि खाते में लेखांकन किया गया है. विदेशी मुद्रा आस्ति देयताओं संबंधी किसी भी

10. DEPRECIATION:

10.1 Depreciation on Fixed Assets in India [other than those referred in Paragraph 10.3 and 10.4] is provided on the written down value method in accordance with Schedule II to the Companies Act, 2013, except in case of revalued assets, in respect of which higher depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets.

10.2 Depreciation on Fixed Assets outside India [other than those referred to in Para 9.3 below] is provided as per local laws or prevailing practices of the respective territories.

10.3 Depreciation on Computers and Software forming an integral part of Computer Hardware, in and outside India is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% p.a., as per the guidelines of RBI. Computer software not forming part of an integral part of hardware is charged directly to Profit and Loss Account.

10.4 Depreciation on ATMs is provided on Straight Line Method at the rate of 20% p.a.

10.5 Depreciation on additions is provided proportionately from the date of purchase/put to use.

10.6 Cost of leasehold land & leasehold improvements are amortised over the period of lease.

11. IMPAIRMENT OF ASSETS:

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognized in accordance with the AS 28 (Impairment of Assets) issued by ICAI and charged off to Profit and Loss Account.

12. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS:

12.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with AS 11, (The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates), issued by ICAI.

12.2 As stipulated in AS-11, the foreign currency operations of the Parent and its Subsidiaries are classified as a) Integral Operations and b) Non Integral Operations. All Overseas Branches, Offshore Banking Units, Overseas Subsidiaries of Parent are treated as Non Integral Operations; and Domestic Operations in Foreign Exchange and Representative Offices are treated as Integral Operations.

12.3 Translation in respect of Integral Operations:

a. The transactions are initially recorded on weekly average rate as advised by FEDAI.

b. Foreign Currency Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

c. The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit and Loss Account. Any reversals / payment of foreign currency assets &

भुगतान अथवा रिवर्सल को पिछले सप्ताह की औसत क्लोजिंग दरों के आधार पर किया गया है तथा बकाया राशि एवं उस राशि जिसके लिए भुगतान किया गया है/रिवर्सल किया गया है, के बीच के अंतर को लाभ हानि खाते में दर्शाया गया है.

(घ) तुलनपत्र की तारीख को बकाया एवं ट्रेडिंग के लिए धारित विदेशी मुद्रा स्पॉट एवं वायदा संविदाओं को क्रमशः एफईडीएआई द्वारा आधिसूचित अंतिम स्पॉट एवं वायदा दरों पर तथा अंतरिम परिपक्वता वाली संविदाओं को इंटरपोलैटेड दरों पर पुनर्मूल्यित किया गया है. एमटीएम के वर्तमान मूल्य को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार प्राप्त एमटीएम मूल्य का डिस्काऊंट किया गया है. इस एमटीएम का प्रयोग पीवी आधारित स्पॉट एवं वायदा संव्यवहारों के पुनर्मूल्यांकन के लिए किया गया है. परिणाम स्वरुप, अग्र मूल्यांकन लाभ या हानि को लाभ एवं हानि खाते में शामिल किया गया है.

12.4 असमाकलित परिचालनों के संबंध में रुपांतरण

(क) आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को एफईडीएआई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई अंतिम स्पॉट दरों पर रुपांतरित किया गया है.

(ख) तुलनपत्र की तारीख को बकाया एवं ट्रेडिंग के लिए धारित विदेशी मुद्रा स्पॉट एवं वायदा सापेक्ष देयताओं को क्रमशः एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम स्पॉट एवं वायदा दरों पर तथा अंतरिम परिपक्वता वाली संविदाओं को इंटरपोलैटेड दरों पर रुपांतरित किया गया है.

(ग) आय एवं व्ययों को एफईडीएआई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई औसत तिमाही दरों पर रुपांतरित किया गया है.

(घ) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना उस अवधि के लिए आय अथवा व्यय के रूप में नहीं की गई है तथा इसे शुद्ध निवेशों के निस्तारण होने तक अलग से एक खाते ''विदेशी मुद्रा रुपांतरण प्रारक्षित निधि'' में रखा गया है.

12.5 वायदा विनिमय संविदा

लेखा मानक एएस 11 तथा भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) के दिशानिर्देशों के अनुसार व्यापार हेतु धारित बकाया विदेशी मुद्रा हाजिर (स्पॉट) एवं वायदा संविदाओं को तुलन पत्र की तिथि को फेडाई द्वारा अधिसूचित बंद हाजिर एवं वायदा बाजार संविदाओं एवं अन्तरिम परिपक्वता संविदाओं को इन्टरपोलेट दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया जाता है. इसके परिणामस्वरुप वायदा मूल्यांकन लाभ अथवा हानि को लाभ-हानि खाते में शामिल किया जाता है.

13. आय पर कर

इसमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) के लेखांकन मानदंड 22 के अनुसार निर्धारित (सम्बद्ध अवधि के लिए लेखा आय तथा करयोग्य आय के बीच अन्तर से करों के प्रभाव को दर्शाते हुए) आयकर के लिए प्रावधान, आस्थगित कर अथवा क्रेडिट शामिल हैं. आस्थगित कर को, आय एवं व्यय की उन मदों के संबंध में जो किसी एक समय बिंदु पर निर्धारित होती है और जो एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में प्रत्यावर्तन योग्य हैं, विवेकपूर्ण नीति के अध्यधीन हिसाब में लिया जाता है. आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं की गणना अधिनियमित कर दरों पर, उन वर्षों की अपेक्षित दरों पर की

liabilities is done at the weekly average closing rate of the preceding week and the difference between the outstanding figure and the amount for which reversal / payment is made, is reflected in Profit and Loss Account.

d. Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading, are marked to market at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. The MTM values thus obtained are discounted to arrive at present value of MTM. This MTM is used to revalue the spot and forward transactions on PV basis. The resulting Forward Valuation profit or loss is included in the Profit & Loss Account.

12.4 Translation in respect of Non Integral Operations:

a. Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

b. Foreign Exchange Spot and Forward contingent liabilities outstanding as at the balance sheet date are translated at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities.

c. Income and Expense are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.

d. The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.

12.5 Forward Exchange Contracts

In accordance with the guidelines of FEDAI and the provisions of AS 11, Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading, are revalued at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. The resulting forward valuation profit or loss is included in the Profit and Loss Account.

13 TAXES ON INCOME:

This comprises of provision for Income tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with AS 22 (Accounting for taxes on Income) issued by ICAI. Deferred tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and liabilities are measured using enacted tax rates expected to apply to taxable income in the

जाती है जिन वर्षों में समय अंतरालों के रिवर्स करने की संभावना होती है. आस्थगित कर देयताओं एवं आस्तियों पर कर की दरों में परिवर्तन हुए प्रभाव को उस अवधि की आय विवरण-पत्र, जिसमें ऐसे परिवर्तन को लागू किया गया है, के आधार पर हिसाब में लिया जाता है.

14. प्रति शेयर अर्जन

बैंक द्वारा अपने बेसिक एवं डाइल्यूटेड प्रति ईक्विटी शेयर अर्जन को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के इस संबंध में जारी लेखा मानक 20 (प्रति शेयर अर्जन) के अनुसार रिपोर्ट किया गया है. बेसिक प्रति शेयर अर्जन की गणना शुद्ध आय को अवधि के लिए बकाया भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित कर ली गई है. डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की गणना शुद्ध आय को उस अवधि के लिए बकाया भारित इक्विटी शेयरों एवं इस अवधि के दौरान डायल्यूटेड ईक्विटी शेयरों की संख्या में गणना की गई है.

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के इस संबंध में जारी लेखा मानक 29 (आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान) के अनुसार बैंक द्वारा आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान विगत में हुई किसी घटना से उत्पन्न हुए वर्तमान दायित्व के लिए किया गया है. यह संभव है कि इस दायित्व के निस्तारण के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता हो और तब इस दायित्व हेतु राशि का विश्वसनीय मूल्यांकन किया जा सके.

जब तक आर्थिक लाभ के संसाधनों के आउटफ्लो की संभावना अप्रत्यक्ष न हो तब तक आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण किया जाता है.

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरण-पत्र में नहीं माना गया है. क्योंकि यह ऐसी आय के निर्धारण के फलस्वरूप हो सकता है, जिसकी वसूली नहीं हो सकती है.

years in which the timing differences are expected to be reversed. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognised in the income statement in the period of enactment of the change.

14 EARNINGS PER SHARE:

The Parent reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the AS 20 (Earnings per Share) issued by the ICAI. Basic earning per equity share has been computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earning per equity share has been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

15 PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS:

As per the AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by ICAI, the Parent recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

अनुसूची - 19 : 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष की समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों पर टिप्पणियां

Schedule - 19 - Notes on the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March 2016

1. समूह के समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों (सीएफएस) में बैंक ऑफ़ बड़ौदा (मूल संस्था) तथा निम्नलिखित अनुषंगियों/सहयोगी इकाइयों/संयुक्त उद्यमों के परिणाम शामिल हैं.

1. The Consolidated Financial Statements (CFS) of the Group comprise the results of the Bank of Baroda (Parent) and the following Subsidiaries/Associates/ Joint Ventures:

1.1	अनुषंगियां				Subsidiaries			देश, जहां विद्यमान है Country of Incorporation	स्वामित्व का प्रतिशत Percentage of Ownership as on 31.03.16	31.03.15
1.1.1	देशीय अनुषंगियां				Domestic Subsidiaries					
	क)	बैंकिंग			a)	Banking:				
		i)	द नैनीताल बैंक लि.			i)	The Nainital Bank Ltd.	भारत / India	98.57	98.57
	ख)	गैर बैंकिंग			b)	Non Banking:				
		i)	बॉब कैपिटल मार्केट लि.			i)	BOB Capital Markets Ltd.	भारत / India	100.00	100.00
		ii)	बॉब कार्डस लि.			ii)	BOB Cards Ltd.	भारत / India	100.00	100.00
1.1.2	विदेशी अनुषंगियां				Overseas Subsidiaries:					
	क)	बैंकिंग			a)	Banking:				
		i)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्सवाना) लि.			i)	Bank of Baroda (Botswana) Ltd.	बोत्सवाना / Botswana	100.00	100.00
		ii)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लि.			ii)	Bank of Baroda (Kenya) Ltd.	केन्या / Kenya	86.70	86.70
		iii)	बैंकऑफ़बड़ौदा(यूगांडा)लि.			iii)	Bank of Baroda (Uganda) Ltd.	यूगांडा / Uganda	80.00	80.00
		iv)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गयाना) आइएनसी			iv)	Bank of Baroda (Guyana) Inc.	गयाना / Guyana	100.00	100.00
		v)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लि.			v)	Bank of Baroda (Tanzania) Ltd.	तंजानिया / Tanzania	100.00	100.00
		vi)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा त्रिनिदाद एवं टोबेगो लिमिटेड			vi)	Bank of Baroda Trinidad &Tobago Ltd.	त्रिनिदाद एवं टोबेगो Trinidad & Tobago	100.00	100.00
		vii)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (घाना) लि.			vii)	Bank of Baroda (Ghana) Ltd.	घाना / Ghana	100.00	100.00
		viii)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैन्ड) लि.			viii)	Bank of Baroda (New Zealand) Ltd.	न्यूजीलैन्ड / New Zealand	100.00	100.00
	ख)	गैर बैंकिंग			b)	Non Banking:				
		i)	बॉब (यू के) लि.			i)	BOB (UK) Ltd.	यूनाइटेड किंगडम / United Kingdom	100.00	100.00

1.2 सहयोगी इकाइयां

समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों (सीएफएस) में समाहित सहयोगी इकाइयों के विवरण निम्नलिखित हैं :

1.2 Associates:

The particulars of Associates considered in the CFS are as under:

नाम		Name		देश, जहां विद्यमान है Country of Incorporation	मूल संस्था का हिस्सा (%) Parent's ownership Interest (%) as on 31.03.16	31.03.15
(क)	इन्डो जाम्बिया बैंक लिमिटेड	a)	Indo Zambia Bank Limited	जाम्बिया / Zambia	20	20

नाम		Name		देश, जहां विद्यमान है Country of Incorporation	मूल संस्था का हिस्सा (%) Parent's ownership Interest (%) as on 31.03.16	31.03.15
(ख)	बड़ौदा पायोनियर असेट मेनेजमेन्ट कंपनी लि.	b)	Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd.	भारत / India	49	49
(ग)	बड़ौदा पायोनियर ट्रस्टी कंपनी प्राईवेट लि.	c)	Baroda Pioneer Trustee Company Private Limited	भारत / India	49	49
(घ)	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक:-	d)	Regional Rural Banks			
	i) बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक		i) Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank	भारत / India	35	35
	ii) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (पहले का बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक)		ii) Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank (Erstwhile Baroda Rajasthan Gramin Bank)	भारत / India	35	35
	iii) बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक		iii) Baroda Gujarat Gramin Bank	भारत / India	35	35

1.3 संयुक्त उद्यम
1.3 Joint Ventures:

	नाम / Name	देश जहां विद्यमान है Country of Incorporation	मूल संस्था का हिस्सा Percentage of Ownership as on 31.03.16	31.03.15
a)	इण्डिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लि. India First Life Insurance Company Ltd.	भारत / India	44	44
b)	इण्डिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशियां) बीएचडी. India International Bank (Malaysia) Bhd.	मलेशिया / Malaysia	40	40
c)	इण्डिया इंफ्राडेब्ट लि. India Infradebt Ltd.	भारत / India	30	30

2. सहयोगी इकाइयों में निवेश का विवरण
2. Particulars of the Investment in Associates:

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

सं. नं.	विवरण	Sr. No.	Particulars	31.03.2016 को As on 31.03.2016	31.03.2015 को As on 31.03.2015
(क)	सहयोगी इकाइयों में निवेश की लागत	a.	Cost of Investment in Associates	257.49	259.86
(ख)	उपरोक्त (क) में शामिल अधिग्रहण पर साख	b.	Goodwill on acquisition included in (a) above	-	-
(ग)	उपरोक्त (क) में अधिग्रहण पर प्रारक्षित पूंजी	c.	Capital reserve on acquisition included in (a) above	25.27	25.27
(घ)	पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि एवं विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि के कारण परिवर्धन	d.	Additions on account of Revaluation reserve & Foreign Currency Translation reserve	2.46	3.43
(ङ)	अधिग्रहण उपरान्त साख / आरक्षित पूंजी के लाभ (शुद्ध) का अंश	e.	Share of post acquisition profits (Net) of Goodwill/ Capital Reserve	579.98	557.51
(च)	31 मार्च को निवेश (क-ख-ग + घ + ङ)	f.	Investment as at 31st March (a -b-c+d+e)	814.66	795.53
(छ)	भारत में निवेश	g.	Investment in India	736.50	681.32
(ज)	भारत के बाहर निवेश	h.	Investment outside India	78.16	114.21
(झ)	कुल (छ + ज)	i.	Total (g + h)	814.66	795.53

3. अनुषंगियों /सहयोगी इकाइयों के वित्तीय विवरण-पत्र

3.1. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगी इकाइयों के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण-पत्र उसी रिपोर्टिंग तारीख के लिए, अर्थात 31 मार्च,

3. Financial Statements of Subsidiaries / Associates:

3.1 The audited financial statements of the Subsidiaries, Joint Venture's and Associates have been drawn up to the same reporting date as that of the Parent i.e. 31st

2016 के लिए तैयार किए गए हैं, जिस तारीख के मूल संस्था के लिए तैयार किए गए हैं, सिवाय इनके बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूगांडा) लि. (इसकी संपूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी बैंक ऑफ़ बड़ौदा कैपिटल मार्केट (यूगांडा) लि. को शामिल करते हुए), बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लि., बैंक ऑफ़ बड़ौदा (घाना) लि., बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लि., इंडिया इन्टरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी, (आईआईबीएमबी) तथा इंडो जांबिया बैंक लि. को छोड़कर, जिनके विवरण पत्र 31 दिसंबर, 2015 की स्थिति के अनुरुप तैयार किए गए हैं. प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित 1 जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2016 के बीच समायोजन योग्य ऐसे कोई उल्लेखनीय संव्यवहार अथवा अन्य कार्य नहीं हुए हैं.

3.2 बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, के अलेखापरीक्षित वित्तीय परीणामों पर समेकन के उद्देश्य से विचार किया गया.

3.3 31.03.2016 को समाप्त वर्ष हेतु निम्नलिखित देशीय अनुषंगियों के खाते कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के अध्यधीन हैं :

1) बॉब कैपिटल मार्केट्स लि.

2) बॉब कार्ड्स लि.

4. पूंजीगत प्रारक्षित निधि

पूंजीगत प्रारक्षित निधि में अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप होने वाली मूल्यवृद्धि से एचटीएम प्रतिभूति बिक्री पर लाभ (कर एवं सांविधिक प्रारक्षित निधि में अंतरण के पश्चात्) तथा निर्यात विकास परियोजनाओं, लघु / मध्यम उद्योगों के लिए / औद्योगिक निर्यात परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक की योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार की अंशदान राशि शामिल हैं.

5. करों के लिए प्रावधान

5.1 आयकर का प्रावधान, अपीलीय प्राधिकारियों के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए तथा परामर्शदाता के परामर्श से किया गया है.

5.2 अग्रिम रूप से भुगतान किया गया कर/स्रोत पर काटा गया कर, प्रावधान के उपरांत है एवं यह 'अन्य आस्तियों' के तहत ₹ 5360.77 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5555.52 करोड) रखा गया है. इसमें मूल का ₹ 3616.78 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4687.25 करोड) शामिल है जो विभिन्न वर्षों के दौरान बैंक द्वारा भुगतान किए गए विवादित कर मांगों के भुगतान से संबंधित समायोजित राशि है. उक्त मांगों के संबंध में बैंक द्वारा किसी प्रकार का प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि बैंक की राय तथा उसके काउंसिलों की राय और/अथवा न्यायिक घोषणाओं के अनुसार निर्धारण कर्ता अधिकारी द्वारा किए गए परिवर्धन/अस्वीकृति अनियत है.

5.3 वर्ष के दौरान बैंक ने युएई में प्रावधान आवश्यकताओं में अंतर के कारण ₹ 848 करोड़ का डीटीए किया है, जो बैंक की राय में पूरी तरह उलटने योग्य है. इसमें से ₹ 540.73 करोड़ पूर्ववर्ती वर्षों के हैं, जिन्हें पिछले समय उलटकर जमा कर दिया गया था.

6. बैंक की कुछ संपत्तियां पुनर्मूल्यित राशि के आधार पर दर्शायी गयी हैं. परिसर की लागत सहित वर्ष के अंत तक सकल पुनर्मूल्यन राशि ₹ 5015.08 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1773.77 करोड) जिसमें विदेशी कार्यालयों के ₹ 27.34 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 32.85 करोड) शामिल है मूल्यह्रास के उपरांत पुनर्मूल्यन राशि ₹ 4098.87 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 987.30 करोड़) है.

बैंक के अनुमोदित मूल्यनिर्धारकों की रिपोर्टों के आधार पर इन परिसरों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है तथा पुनर्मूल्यांकन से प्राप्त अतिरिक्त राशि ₹ 3241.31 करोड़ को वर्तमान वर्ष के दौरान ''पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षितों'' के साथ जोड़ दिया गया है.

March, 2016 except for Bank of Baroda (Uganda) Ltd, (including its wholly-owned subsidiary Baroda Capital Markets (Uganda) Ltd.), Bank of Baroda (Kenya) Ltd., Bank of Baroda (Ghana) Ltd., Bank of Baroda (Tanzania) Ltd., India International Bank (Malaysia) Bhd. (IIBMB) and Indo Zambia Bank Ltd. which have been drawn up to 31st December, 2015. As certified by the Management, there are no significant transactions or other events during 1st January, 2016 to 31st March, 2016 requiring adjustment therein.

3.2 The Unaudited Financial Results of Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank, Baroda Gujarat Gramin Bank, Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank are considered for Consolidation purpose.

3.3 The accounts of the following domestic subsidiaries for the year ended 31st March, 2016 are subject to the comments of Comptroller & Auditor General of India under Section 143(6) of the Companies Act, 2013:

1) BOB Capital Markets Ltd.

2) BOB Cards Ltd.

4. Capital Reserves

Capital Reserve includes appreciation arising on revaluation of immovable properties, profit on sale of HTM securities (net of tax and transfer to Statutory Reserve) and amount subscribed by Government of India under the World Bank's Scheme for Export Development Projects / Industrial Export Projects for small / medium scale industries.

5. Provision for Taxes

5.1 Provision for taxes are arrived at after due consideration of decisions of appellate authorities and advice of Consultant.

5.2 Tax paid in advance /tax deducted at source appearing under "Other Assets" amounting to ₹ 5360.77 Crores (previous year ₹ 5555.52 Crores) is inclusive of ₹ 3616.78 Crores (previous year ₹ 4687.25 Crores) which represents amount adjusted by the Department / paid by the Bank in respect of disputed tax demands for various assessment years. No provision is considered necessary in respect of the said demands, as in the bank's view, duly supported by counsels opinion and / or judicial pronouncements, additions / disallowances made by the Assessing Officer are not sustainable.

5.3 During the year the Bank has created DTA of ₹ 848 crores on account of difference in provision requirement at UAE which in the opinion of the Bank is fully reversible. Out of this ₹ 540.73 crores pertains to earlier years, which was credited to past reserves.

6. Certain properties of the Bank are stated at revalued amounts. The gross amount of revaluation included in cost of premises as at end of the year is ₹ 5015.08 Crores (previous year ₹ 1773.77 crores) including ₹ 27.34 Crores at overseas offices (previous year ₹ 32.85 crores). The revalued amount net of depreciation is ₹ 4098.87 crores (Previous Year ₹ 987.30 Crores).

These premises are revalued based on the reports of bank's approved valuers and the surplus arising from revaluation amount to ₹ 3241.31 crore has been added to "Revaluation Reserve" during current year.

7. प्रारक्षितों से पूर्व आहरण

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्रारक्षितों से कोई आहरण नहीं किया गया था.

7 Draw Down from Reserves

During the Financial Year 2015-16, there has been no draw down from the reserves.

8. अस्थायी प्रावधान

8. Floating Provision

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
क. अस्थाई प्रावधान खातों में प्रारंभिक शेष	a. Opening balance in the floating provisions account	466.12	887.37
ख. लेखा वर्ष में किए गए अस्थाई प्रावधानों का परिमाण	b. The quantum of floating provisions made in the accounting year	0.00	3.75
ग. लेखा वर्ष के दौरान आहरित राशि	c. Amount of draw down made during the accounting year	0.00	425.00
घ. अस्थाई प्रावधान खातों में अंतिम शेष	d. Closing balance in the floating provisions account	466.12	466.12

9. प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का अलग-अलग विवरण

लाभ एवं हानि खाते में दर्शाए गए प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का अलग अलग विवरण निम्नानुसार है :

9. Break up of Provisions and Contingencies

The break-up of provisions and contingencies appearing in Profit & Loss Account is as under:

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
बट्टेखाते डाले गए ऋणों/एनपीए के लिए प्रावधान	Bad debts written off / Provision made towards NPA	14089.37	3841.83
पुनर्गठित मानक व अवमानक खातों में ब्याज छोड़ देने हेतु प्रावधान	Provision towards sacrifice of interest in Restructured standard and sub-standard accounts	-241.82	213.20
देशगत जोखिम प्रबंधन हेतु प्रावधान	Provision for Country Risk Management	-12.81	73.39
करों के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	Provision for taxes (including deferred Taxes)	-1179.58	2150.54
निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	Provision for depreciation on investment	340.38	(151.99)
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	Provision for standard assets	-255.04	549.42
कर्मचारी कल्याण व्यय हेतु प्रावधान	Provision for staff welfare expenses	25.00	25.00
अन्य	Others	2008.90	679.13
कुल	**Total**	14774.40	7380.52

10. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों (एएस) की शर्तों के अनुसार प्रकटीकरण

10.1 एएस-5 पूर्व की अवधि के लिए शुद्ध लाभ एवं हानि की मदों तथा लेखानीतियों में परिवर्तन

10.1.1 वर्ष के दौरान, मूल बैंक ने रुपांतरण के माध्यम से अर्जित लिखतों पर शुद्ध मूल्यह्रास प्रभारित करने की अपनी नीति की समीक्षा की है, चाहे लाभ एवं हानि खातों में एएफएस श्रेणी का उसे मानक या एनपीए के रुप में वर्गीकृत किया गया हो. परिणामस्वरुप अब ऐसी प्रतिभूतियोंपर मूल्यह्रास को एएफएस श्रेणी के अंतर्गत रखी गई किसी अन्य प्रतिभूति को विनियोजन के पेटे सेटऑफ नहीं किया जाना हैं. इसका प्रभाव महत्वहीन है.

10. Disclosure in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

10.1 AS-5 Net Profit or Loss for the period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies

10.1.1 During the year, parent bank has reviewed its policy of charging the net depreciation on instruments acquired by way of conversion, whether classifies as Standard or NPA, in AFS category to Profit & Loss Account. Consequently, now the depreciation on such securities is not set off against the appreciation in any other securities held under the AFS category. Impact of same, is insignificant.

10.1.2 मूल बैंक कर्मचारियों के लाभ हेतू आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक (एएस)-15 के अनुसरण में प्रावधान करता रहा है. इसकी गणना बीमांकन मूल्यांकन द्वारा की जाती है. बैंक ने वर्ष के दौरान सूझ-बूझ से मृत्युदर रेट एलआईसीआई 1994-96 के स्थान पर आईएएलएम 2006-08 द्वारा बीमांकन गणना हेतू अनुमानों में से सबको बदलने का निर्णय किया. इस बदलाव के कारण मार्च, 2016 को समाप्त तिमाही के दौरान ₹ 1563.70 करोड़ का अतिरिक्त बोझ हेतु प्रावधान किया गया.

10.2 ए एस-15 - कर्मचारी लाभ (मूल)

प्रकटीकरण -

मूल बीमांकिक धारणा (भारित औसत के रूप में व्यक्त)

10.1.2 Parent bank has been providing for employee benefits in accordance with the accounting standard (AS) -15 issued by ICAI. The same is calculated by actuarial valuation. The bank has during the year as a matter of prudence, decided to change one of the assumptions for actuarial calculation by shifting mortality rate table from LICI 1994-96 to IALM 2006-08. Due to this change, an additional burden of ₹ 1563.70 Crore is provided during the quarter ended March 2016.

10.2 AS-15 Employee Benefits [Parent]

Disclosures

Principal Actuarial Assumptions [Expressed as Weighted Average]

		योजना का स्वरूप / TYPE OF PLAN			
		पेंशन Pension	अवकाश नकदीकरण Leave encashment	उपदान Gratuity	अति.सेवा लाभ ARB
डिस्काउंट दर	Discount rate	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
वेतन वृद्धि दर	Salary Escalation Rate	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
ह्रास दर	Attrition Rate	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ दर	Expected Rate of Return on plan Assets	8.00%	N.A.	8.00%	N.A.

मोर्टिलिटी रेट : आईएएलएम (2006-2008)

टिप्पणी : बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र दिनांक 24 मार्च, 2014 के अनुसार अधिवार्षिता योजना उपलब्ध कराई है.

देयताओं के आरंभिक और अंतिम शेष का समाधान

Mortality Rate : IALM (2006-2008)

Note: The bank has provided for superannuation schemes as per the RBI letter dated March 24, 2014.

Reconciliation of opening and closing balance of liability

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		योजना का स्वरूप / TYPE OF PLAN			
		पेंशन Pension	अवकाश नकदीकरण Leave encashment	उपदान Gratuity	अति.सेवा लाभ ARB
1/4/2015 को पीवीओ	PVO as at 01.04.2015	8949.66	781.97	1491.36	369.87
जोड़ें-ब्याज की लागत	Add- Interest Cost	678.81	56.15	108.63	26.34
जोड़ें-चालू सेवा लागत	Add- Current Service Cost	1261.12	171.95	100.95	10.54
घटायें-प्रदत्त लाभ	Less- Benefits Paid	928.96	160.13	266.90	81.14
जोड़ें-दायित्व पर बीमांकिक हानि/ लाभ(-)	Add- Actuarial loss/gain(-) on obligation	1986.54	31.29	-87.49	50.35
31.03.2016 को पीवीओ	PVO as at 31.03.2016	11947.17	881.23	1346.55	375.96

योजना आस्तियों के उचित मूल्य के आरंभिक शेष एवं अंतिम शेष का समाधान

Reconciliation of opening & closing balance of fair value of plan assets

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		योजना का स्वरूप / TYPE OF PLAN	
		पेंशन Pension	उपदान Gratuity
1/4/2015 को योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	Fair Value of plan assets as on 01-04-2015	8707.91	1450.60
जोड़ें- योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	Add- Expected Return on Plan Assets	696.63	116.05
जोड़ें- अंशदान	Add- Contributions	350.76	40.75
घटायें- प्रदत्त लाभ	Less- Benefits Paid	928.96	266.90
जोड़ें- बीमांकिक लाभ / (-) हानि	Add- Actuarial gain/(-)loss	204.76	-14.51
31.03.2016 को योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets as on 31.03.2016	9031.10	1325.99

तुलन-पत्र में मान्य राशि

Amount recognized in the Balance Sheet

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

				योजना का स्वरूप / TYPE OF PLAN			
				पेंशन Pension	अवकाश नकदीकरण Leave encashment	उपदान Gratuity	अति.सेवा लाभ ARB
क)	31.03.2016 को दायित्व का पीवी	a)	PV of obligation as on 31.03.2016	11947.17	881.23	1346.55	375.96
ख)	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	b)	Fair value of plan assets	9031.10	--	1325.99	-
ग)	अन्तर	c)	Difference	-2916.07	881.23	-20.56	375.96
घ)	अनिर्धारित संक्रमणशील देयता	d)	Unrecognised transitional liability	0.00	--	0.00	-
ङ)	तुलनपत्र में मान्य देयता	e)	Liability Recognised in the BS	-2916.07	881.23*	-20.56	375.96*

(* पूर्ण राशि हेतु बही में किया गया प्रावधान)

(* Provision made in books for full amount)

लाभ-हानि खाते में निर्धारित राशि

Amount recognized in the P & L Account

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

				योजना का स्वरूप / TYPE OF PLAN			
				पेंशन Pension	अवकाश नकदीकरण Leave encashment	उपदान Gratuity	अति.सेवा लाभ ARB
क)	चालू सेवा लागत	a)	Current Service Cost	1261.12	171.94	100.95	10.54
ख)	ब्याज लागत	b)	Interest Cost	678.81	56.15	108.63	26.34
ग)	योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	c)	Expected Return on Plan Assets	696.63	0.00	116.05	0.00
घ)	शुद्ध बीमांकिक हानि/लाभ (-)	d)	Net Actuarial Loss/ gain(-)	1781.78	31.28	-72.98	50.35
ङ)	वर्ष के दौरान निर्धारित संक्रमणीय देयता	e)	Transitional liability recognized in the year	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित खर्च		Expenses Recognized in P&L		3025.08	259.37	20.56	87.23

अगली अवधि (2016-17) के लिए संभावित अंशदान | Expected contribution for next period (2016-17)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	योजना का स्वरूप / TYPE OF PLAN	
		पेंशन Pension	उपदान Gratuity
संभावित अंशदान	Expected contribution	700	150

निवेश पैटर्न | Investment Pattern

(% में / in %)

विवरण	Particulars	योजना का स्वरूप / TYPE OF PLAN	
		पेंशन Pension	उपदान Gratuity
केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां	Central Govt. Securities	16.28	22.00
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	State Government Securities	24.52	24.39
कार्पोरेट (पीएसयू)	Corporate (PSU)	13.91	18.61
कार्पोरेट (निजी)	Corporate (Private)	1.91	0.81
अन्य	Others	43.38	34.19
कुल	Total	100.00	100.00

10.3 सेगमेंट रिपोर्टिंग (एएस 17) | 10.3 Segment Reporting (AS – 17)

लेखा मानक 17 - सेगमेंट रिपोर्टिंग के तहत प्रकटीकरण -

भाग क: व्यवसाय सेगमेंट

Accounting Standard 17 - Disclosure under Segment Reporting

Part A: Business Segments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

व्यवसाय सेगमेंट	Business Segments	ट्रेजरी Treasury		कार्पोरेट/होलसेल बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		बैंकिंग एवं अन्य परिचालन Banking & Other Operations		कुल Total	
		2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
राजस्व	Revenue	16175.99	14562.86	22377.82	22025.24	11546.18	12488.89	1691.18	1287.25	51791.17	50364.24
परिणाम	Result	2706.92	3563.83	-5748.45	1120.41	-1331.31	3144.22	562.36	173.26	-3810.49	8001.72
अनाबंटित खर्च	Unallocated Expense									2436.78	1939.45
परिचालनगत लाभ	Operating Profit									-6247.27	6062.27
आयकर	Income taxes									-1179.58	2150.54
विशिष्ट लाभ /हानि	Extra-ordinary Profit/loss									--	--
शुद्ध लाभ	Net Profit									-5067.68	3911.73
अन्य सूचना	Other Information										
सेगमेंट आस्तियां	Segment Assets	272218.52	280105.27	297735.00	340384.69	105505.11	103714.76	2887.60	2223.91	678346.23	726428.63
अनाबंटित आस्तियां	Unallocated Assets									12832.85	7548.75
कुल आस्तियां	Total Assets									691179.08	733977.38
सेगमेंट देयताएं	Segment Liabilities	255478.79	264070.21	279426.17	320898.85	99017.21	97777.45	2710.03	2096.60	636632.20	684843.12

व्यवसाय सेगमेंट	Business Segments	ट्रेजरी Treasury		कार्पोरेट/होलसेल बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		बैंकिंग एवं अन्य परिचालन Banking & Other Operations		कुल Total	
		2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
अनाबंटित देयताएं	Unallocated Liabilities									12043.71	7116.61
कुल देयताएं	Total Liabilities									648675.92	691959.73
नियोजित पूंजी	Capital Employed	16739.73	16035.05	18308.83	19485.84	6487.90	5937.31	177.57	127.31	41714.02	41585.51
अनाबंटित	Unallocated									789.14	432.14
कुल नियोजित पूंजी	Total Capital Employed									42503.16	42017.65

भाग-ख : भौगोलिक सेगमेंट

Part B: Geographical Segments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	देशीय परिचालन Domestic Operations		अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन International Operations		कुल Total	
		2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
राजस्व	Revenue	45643.85	43794.36	6147.32	6569.87	51791.17	50364.24
आस्तियां	Assets	453678.00	473707.41	237501.08	260269.97	691179.08	733977.38

टिप्पणी :

1. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशो के अनुरुप लेखांकन मानकों के अनुपालन में बैंक ने ट्रेजरी ऑपरेशन, होलसेल, रिटेल और अन्य बैंकिंग परिचालनों को प्राथमिक कारोबार सेगमेंट और देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय को गौण / भौगोलिक सेगमेंट के रूप में अपनाया है.
2. बैंकिंग एवं अन्य परिचालनों में अन्य बैंकिंग तथा गैर बैंकिंग परिचालन शामिल हैं.
3. सेगमेंट राजस्व, बाह्य ग्राहकों से प्राप्त राजस्व को दर्शाता है.
4. प्रत्येक सेगमेंट के लिए नियोजित पूंजी को सेगमेंट की आस्तियों के आनुपातिक तौर पर आबंटित किया गया है.

Notes :

1. As per guidelines of RBI on compliance with Accounting Standards, parent bank has adopted Treasury Operations, Wholesale, Retail and other Banking Operations as Primary business segments and Domestic and International as Secondary / Geographic segments.
2. Banking & Other operations includes other banking operations and non-banking operations
3. Segment revenue represents revenue from external customers.
4. Capital Employed for each Segment has been allocated proportionate to the assets of the Segment.

10.4 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एएस-18)

10.4 Related Party Disclosures (AS-18)

S. No	नाम Name	पदनाम Designation	पारिश्रमिक Remuneration (₹)	
			चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1	श्री पी एस जयकुमार Shri P S Jayakumar	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (13-10-2015 से) MD & CEO (w.e.f 13-10-2015)	11,11,975/-	-
2.	श्री रंजन धवन Shri Ranjan Dhawan	कार्यपालक निदेशक (30-09-2015 तक) Executive Director (up to 30-09-2015)	17,41,686/-	25,51,719/-
3.	श्री भुवनचंद्र बी जोशी Shri Bhuwanchandra B Joshi	कार्यपालक निदेशक Executive Director	20,70,397/-	22,62,427/-
4.	श्री के वेंकट रामा मूर्ती Shri K Venkata Rama Moorthy	कार्यपालक निदेशक (28-08-2015 तक) Executive Director (up to 28-08-2015)	7,68,620/-	95,487/-
5.	श्री मयंक मेहता Shri Mayank Mehta	कार्यपालक निदेशक (22-01-2016 से) Executive Director (w.e.f 22-01-2016)	3,35,420/-	-
6	श्री एस एस मुंदड़ा Shri S S Mundra	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (30-07-2014 तक) Chairman & Managing Director (upto 30-07-2014)	-	19,08,979/-
7	श्री पी श्रीनिवास Shri P Srinivas	कार्यपालक निदेशक Executive Director	-	19,61,198/-

10.5 प्रति शेयर अर्जन (एएस-20) / 10.5 Earnings per Share (AS-20)

	विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
i.	इक्विटी शेयर धारकों हेतु कर के बाद उपलब्ध शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	Net Profit after tax available for Equity shareholders (₹ in crores)	-5067.68	3911.73
ii.	इक्विटी शेयरों की संख्या (भारित)	Number of Equity Shares (Weighted)	225,84,62,435	214,72,51929
iii.	₹10 प्रत्येक के प्रति शेयर मूल व डायल्यूटेड अर्जन	Basic and diluted earnings per share of ₹10/- each (₹)	-22.44	18.22
iv.	प्रति इक्विटी अंकित शेयर मूल्य	Nominal Value per Equity Share	₹ 2	₹ 2

10.6 आय पर कर गणना (एएस-22) / 10.6 Accounting for Taxes on Income (AS-22)

क. आस्थगित कर आस्ति (निवल) / a. Deferred Tax Assets (Net)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	31.03.2016		31.03.2015	
		आस्तियां Asset	देयता Liability	आस्तियां Asset	देयता Liability
आयकर अधिनियम के तहत बही मूल्यह्रास तथा मूल्यह्रास के बीच अंतर	Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act	12.16		6.88	-
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत कटौतियां	Deduction under section 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961				
अन्य	Others	0.66		-	-
संदिग्ध ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	Provision for doubtful debts and advances	4439.48		0.95	-
एचटीएम प्रतिभूतियो पर मूल्यह्रास	Depreciation on HTM Securities				
आयकर अधिनियम की धारा 40(ए) (आई ए) के तहत अमान्य राशि	Amount Disallowable U/S 40(a)(ia) of the IT Act	1.93		-	-
छुट्टी नकदीकरण एवं वेतन संशोधन हेतु प्रावधान	Provision for leave encashment & Wage Revision	276.71		3.99	-
विदेशी मुद्रा संव्यवहार प्रारक्षित	Foreign Currency Translation Reserve	194.8			
निवेश की खरीद पर अपरिशोधित बट्टा	Unamortized discount on purchase of Investment	39.49			
कुल	Total:	4965.23		11.82	-
शुद्ध आस्थगित कर देयता / आस्तियां	Net Deferred tax Liabilities / Asset	4965.23		11.82	

ख. आस्थगित कर देयता (निवल) / b. Deferred Tax Liabilities (Net)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	31.03.2016		31.03.2015	
		आस्तियां Asset	देयता Liability	आस्तियां Asset	देयता Liability
आयकर अधिनियम के तहत बही मूल्यह्रास तथा मूल्यह्रास के बीच अंतर	Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act		75.90	0.89	72.87
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत कटौतियां	Deduction under section 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961		1534.52		1533.79
एचटीएम प्रतिभूतियों पर मूल्यह्रास	Depreciation on HTM Securities		96.14		96.14

विवरण	Particulars	31.03.2016		31.03.2015	
		आस्तियां Asset	देयता Liability	आस्तियां Asset	देयता Liability
अन्य	Others		1.79		1.60
संदिग्ध ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	Provision for doubtful debts and advances			764.91	
आयकर अधिनियम की धारा 40(ए) (आई ए) के तहत अमान्य राशि	Amount Disallowable U/S 40(a)(ia) of the IT Act			3.11	
छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	Provision for leave encashment			259.63	
विदेशी मुद्रा संव्यवहार प्रारक्षित	Foreign Currency Translation Reserve				
निवेश की खरीद पर अपरिशोधित बट्टा	Unamortized discount on purchase of Investment				
कुलः	Total:		1708.35	1028.54	1704.40
शुद्ध आस्थगित कर देयता / आस्तियां	Net Deferred tax Liability /Asset	3256.88			675.86

10.7 एएस-24 परिचालन बंद करना

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने अपनी किसी भी शाखा के परिचालन को बंद करने संबंधी कार्यवाही नहीं की है, फलस्वरूप देयताओं को कम करके आस्तियों की वसूली की जा सकी है और संपूर्ण बैंक स्तर पर अपने परिचालन में किसी कार्यवाही की समाप्ति, जिससे उपरोक्त प्रभाव पड़े, संबंधी निर्णय नहीं लिया गया है.

10.8. एएस-28 आस्तियों का अनर्जक बनना

लेखा मानक-28 ''आस्तियों का अनर्जक बनना'' के खंड 5 से एएस 28 के खंड 13 के अंतर्गत कोई महत्वपूर्ण उल्लेख न होने के फलस्वरूप चालू वित्तीय वर्ष में अचल आस्तियों की कोई भी क्षति अपेक्षित नहीं है.

10.9 एएस-29 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां

देयताओं के लिए प्रावधानों का संचालन (अन्य के लिए प्रावधानों को छोड़कर)

10.7 AS-24 Discontinuing operations

During the financial year 2015-16 the Group has not discontinued the operations of any of its branches, which resulted in shedding of liability and realization of the assets and no decision has been finalized to discontinue an operation in its entirety, which will have the above effect.

10.8 AS-28 Impairment of Assets

In view of the absence of indication of material impairment within the meaning of clause 5 to clause 13 of AS 28 Impairment of Assets, no impairment of fixed assets is required in respect of current financial year.

10.9 AS-29 – Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

Movement of provisions (excluding provisions for others)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	मुकदमें / आकस्मिकताएं Legal Cases / Contingencies	
		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1 अप्रैल 2015 को शेष	Balance as on 1st April 2015	30.72	48.25
वर्ष के दौरान प्रावधान किए गए	Provided during the year	3.44	--
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	Amount used during the year	0.03	17.53
31 मार्च 2016 को शेष	Balance as at 31st March 2016	34.13	30.72
बहिर्गमन / अनिश्चितताओं का समय	Timing of Outflow / uncertainties	निपटान / क्रिस्टलीकरण Outflow on settlement / crystallization	

11. आकस्मिक देयताएं

तुलनपत्र की अनुसूची 12 के क्र. सं. (I) से (VI) में उद्धृत देयताएं अदालत के निर्णय / मध्यस्थ के फैसले / अदालत के बाह्य निस्तारण/ अपील के निपटारे पर निर्भर करती हैं. संबद्ध पार्टियों द्वारा संविदात्मक दायित्वों, विकास, मांग किए जाने की शर्तानुसार मांगी गई राशि. ऐसे मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है.

12. नियामक द्वारा लगाया गया जुर्माना

वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पैकेट में गंदे / जाली नोटों के लिए करंसी चेस्ट पर ₹ 8,38,337/- की पेनल्टी लगाई गई, बैंकिंग लोकपाल द्वारा ₹ 2,89,350/- की पेनल्टी लगाई गई. इसके अतिरिक्त 'वित्तीय गुप्तचर ईकाइ-इंडिया' द्वारा संदिग्ध संव्यवहारों के प्रयास की रिपोर्टिंग में विफलता के लिए ₹ 3,00,000/- की पेनल्टी लगाई गई. विदेशी परिचालनों में, विभिन्न पेनल्टियां मिलाकर कुल ₹ 34.17 लाख सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान को युरो में बिल हेतु भुगतान किए गए. मास्टर विजा उन्नयन प्रोजेक्ट तथा जमा देने की शर्तों के उल्लंघन के लिए ₹ 0.17 लाख सरकारी विभाग यूएई को प्रस्तुत आवेदन का संम्बधित सरकारी विभाग को प्रत्युत्तर न देने की लिए, ₹ 0.10 लाख सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई का आईसीसीएस/डीडीएस/एफटीएस के लिए कट-ऑफ समय के बाद उत्तर देने हेतु तथा ₹ 0.72 लाख श्रम मंत्रालय, आरएके का एक कर्मचारी के श्रम-अनुबंध के निस्तारण में विलंब हेतु भुगतान किए गए.

13. अतिरिक्त प्रकटीकरण

मूल बैंक एवं अनुषंगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरण-पत्रों में प्रकट की गई अतिरिक्त सूचना का सीएफएस के सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण से संबंध नहीं है और साथ ही ऐसी मदों से संबंधित सूचना को, जो महत्वपूर्ण नहीं है, सीएफएस में प्रकट नहीं किया गया है.

13-1 प्रतिभूतिकरण / पुनर्निमाण कंपनी / अथवा आस्ति पुनर्निमाण को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण.

वर्ष के दौरान मूल बैंक ने निष्पादक वित्तीय आस्तियों को बेच दिया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

11. Contingent Liabilities

Such liabilities as mentioned at Serial No (I) to (VI) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the outcome of court judgement / arbitration awards / out of court settlement / disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, development and raising of demand by concerned parties respectively. No reimbursement is expected in such cases.

12. Penalty Imposed by Regulators

During the year penalty of ₹ 8,38,337/- was levied by Reserve Bank of India on Currency Chests for soiled/ forged notes in the packets, penalty of ₹ 2,89,350/- was levied by Banking Ombudsman. In addition to above, a penalty of ₹ 3,00,000/- was imposed on parent bank by "Financial Intelligence Unit – India" for failure in reporting attempted suspicious transactions. In overseas Operations, various penalties aggregating to ₹ 34.17 lacs were paid to Central Bank of Oman for delay in Euro, Master Visa up-gradation project and for violating terms of giving credit, ₹ 0.17 lac to Govt. dept UAE for not responding to Govt. dept in respect of application submitted, ₹ 0.10 lacs to Central Bank of UAE for delay in response beyond cut off time for ICCS/DDS/FTS and ₹ 0.72 lacs to Ministry of Labour, RAK for delayed cancellation of Labour contract of an employee

13. Additional Disclosures:

Additional information disclosed in the separate financial statements of the Parent and the Subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the CFS and also the information pertaining to the items which are not material, have not been disclosed in the CFS.

13-1 Details of financial assets sold to Securitization/ Reconstruction Company or Asset Reconstruction.

During the year, the parent bank has sold Performing financial assets, the detail of which is as under:

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण		Particulars		चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
(i)	खातों की संख्या	(i)	No. of accounts	-	1
(ii)	एससी/आरसी को बेचे गये खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों को घटाकर)	(i)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	-	160.23
(iii)	कुल स्वीकृति	(iii)	Aggregate consideration	-	201.60
(iv)	पिछले वर्षों में स्थांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त स्वीकृति	(iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	-	0.00
(v)	शुद्ध बही मूल्य का कुल लाभ / (हानि)	(v)	Aggregate gain/(loss) over net book value	-	41.37

13-2 वर्ष के दौरान आरबीआई द्वारा की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा के एक भाग के रूप में बैंक को यह परामर्श दिया गया है कि वह दिसंबर 2015 एवं मार्च 2016 को समाप्त होने वाली दो तिमाहियों में कुछ अग्रिम खातोंको पुनःवर्गीकृत करे / अतिरिक्त प्रावधान करे. तदनुसार, बैंक ने आरबीआई के दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन किया.

13-3 भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र संख्या डीबीआर.बीपी क्र.13018/21.04.048/2015-16 दिनांक 12 अप्रैल 2016 के अनुपालनार्थ राज्य सरकार द्वारा उपयोग किए गए फूड क्रेडिट के तहत दिनांक 31.03.2016 तक बकाया 1962.02 करोड़ के 15% राशि 289.45 करोड़ की राशि उपलब्ध करायी. भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार, उपरोक्त प्रावधान दो तिमाहियों क्रमशः मार्च 2016 में 7.5% एवं जून 2016 में 7.5% में किये जाने की आवश्यकता थी. इस प्रकार, बैंक ने मार्च 2016 तिमाही में आवश्यक प्रावधान एक साथ करने का निर्णय लिया.

13-4 विद्युत वितरण कंपनियों (डीआईएससीओएमएस) का परिचालन एवं विद्युत पर वित्तीय व्यय हेतु विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की योजना ''उदय'' (यूडीएवाय) (उज्ज्वल डिसकॉम एश्युरेंश योजना) के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने राजस्थान सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के क्रमशः ₹ 1976.66 करोड़ एवं ₹ 297.16 करोड़ के गैर एसएलआर एसडीएल बॉण्ड खरीदे हैं.

भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र संख्या डीबीआर.बीपीक्र.11657/21.04:132/2015-16 दिनांक 17 मार्च 2016 के अनुपालनार्थ मूल बैंक ने निम्नानुसार प्रावधान किये हैं :

i) ₹ 810 करोड़ पर 15% की दर से वित्तीय वर्ष 2016-17 में वर्गीकरण् के संबंध में ₹ 121.63 करोड़ की एस.डी.एल. मे परिवर्तित होने की कल्पना नहीं की गई और इन्हें मानक आस्तियों में वर्गीकृत किया गया.

ii) डिस्कॉम बॉंड / ऋण के वास्तविक मूल्य में कमी के लिए ₹ 25.31 करोड़ दिए गए.

13-5 वर्तमान वर्ष हेतु अन्य आय के रूप में ₹ 302.97 करोड़ विदेशी कार्यालयों से मुद्रा विनिमय लाभ के कारण फंड की वापसी के रूप में शामिल है.

13-6 वर्ष के दौरान आईसीडीएस के अनुपालन में, बैंक के परिचालन विषयक अभिन्न मदों के रूप में इस वर्ष हेतु विदेशी मुद्रा विनिमय से अप्राप्त लाभ की राशि ₹ 562.89 करोड़, जिसे एफसीटीआर खाते में क्रेडिट किया गया, कर के लिए प्रस्तुत किया गया. जैसा की उचित समयान्तर के रूप में निश्चित रूप से विदेशी मुद्रा फंड की स्वदेश वापसी/ विदेशी मुद्रा संचालन तथा भविष्य में पूर्ण रूप से वापसी संभव है, बैंक ने इसपर ₹ 194.80 करोड़ का आस्थगित कर आस्तियों का सृजन किया तथा इसे लेखा मानक-22 के अनुरूप लाभ व हानि खाते में क्रेडिट किया है.

13-7 मूल संस्था ने जमानती अवमानक अग्रिमों के लिए 15% की विनियामक अपेक्षाओं की तुलना में @20% की दर से प्रावधान किया है. तथापि गैर जमानती अवमानक (सब स्टँडर्ड) अग्रिमों के लिए बैंक ने विनियामक अपेक्षाओं के अनुरुप @25% की दर से प्रावधान किया है.

13-8 वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति के अनुरूप, जहां कहीं आवश्यक समझा गया, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःव्यवस्थित / पुनःप्रस्तुत / पुनःव्यवस्थित किया गया है.

13-2 During the year, as a part of Asset Quality Review (AQR) conducted by RBI, the parent bank has been advised to reclassify / make additional provisions in respect of certain advance accounts over two quarters ending December 2015 and March 2016. Parent bank has accordingly implemented the RBI direction.

13-3 In compliance to the RBI letter no. DBR.NO.BP.13018/21.04.048/2015-16 dated 12.04.2016, parent bank has provided a sum of ₹ 289.45 crore being 15% of the existing outstanding of ₹ 1962.02 Crore as on 31.03.2016 under food credit availed by a State Government. As per RBI's directives, said provision was required to be made in two quarters i.e 7.5% in March, 2016 and 7.5% in June, 2016. However, parent bank has decided to make the full required provision in March 2016 quarter.

13-4 In accordance with UDAY (Ujwal Discom Assurance Yojna) Scheme of GOI, Ministry of Power for operational and financial turnaround of Power Distribution Companies (DISCOMs) during the FY 2015-16, the parent bank has subscribed to Non SLR SDL Bond of Government of Rajasthan (GoR) and Government of UP (GoUP) amounting to ₹ 1976.66 crores & ₹ 297.16 crores respectively.

In compliance to the RBI letter No. DBR.BP.NO.11657/21.04:132/2015-16 dated 17th March 2016 parent bank has made the provision as under:

i) ₹ 121.63 crores in respect of segment not envisaged to be converted into SDL in FY 2016-17 @15% on ₹ 810.86 crores and classified as standard assets

ii) ₹ 25.31 crores for diminution in the fair value of loan / DISCOM bonds.

13-5 Other income for the current year of parent bank includes ₹ 302.97 crores on account of exchange gain on repatriation of funds from foreign offices.

13-6 During the year in compliance of ICDS, the unrealized gain for the year on translation of foreign currency items of non integral operations of parent bank amounting to ₹ 562.89 Crores, credited to FCTR account, has been offered for tax. As this being timing difference with reasonable certainty being repatriation of foreign currency funds / foreign currency movement and is capable of full reversal in future, the parent bank has created the deferred tax Assets amounting to ₹ 194.80 Crores on the same and the same has been credited to profit and loss account as per Accounting Standard-22

13-7 The Parent has made provision @ 20% on the Secured Sub-standard Advance as against the Regulatory requirement of 15%. However on unsecured sub standard advances, the bank has made provision @25% as per regulatory requirement

13-8 Previous year figures of the group entities have been rearranged / recast / regrouped wherever considered necessary to conform current year's presentation.

31 मार्च 2016 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा का समेकित नकदी प्रवाह विवरण पत्र
Statement of Consolidated Cash Flow for the year ended 31st March, 2016

(₹ in 000's)

				31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2016	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2015
क.	परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह :	A.	Cash flow from operating activities:		
	कर से पूर्व शुद्ध लाभ		Net Profit before taxes	**(6247,26,62)**	6062,27,23
	निम्नलिखित के लिए समायोजन		Adjustments for:		
	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		Depreciation on fixed assets	**525,10,86**	368,25,53
	निवेशों पर मूल्य ह्रास (परिपक्व ऋणपत्रों सहित)		Depreciation on investments (including on Matured debentures)	**340,38,27**	-1519995
	बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण/ गैर निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान		Bad debts written-off/Provision in respect of non-performing assets	**13847,55,42**	4055,04,18
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान		Provision for Standard Assets	**(255,03,67)**	549,42,06
	अन्य मदों के लिए प्रावधान		Provision for Other items	**2021,07,77**	777,51,48
	अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ /(हानि)		(Profit)/loss on sale of fixed assets	**(2,21,08)**	,3,50
	गौण ऋणों पर ब्याज लाभ/प्रावधान, (अलग से लिया गया)		Payment/provision for interest on subordinated debt(treated separately)	**1174,31,77**	1154,16,91
	उप जोड़		Sub total	**11403,92,72**	12814,70,94
	निम्नलिखित के लिए समायोजन :		Adjustments for:		
	निवेशों में (वृद्धि) / कमी		(Increase)/Decrease in investments	**(4495,47,53)**	(7981,58,52)
	अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी		(Increase)/Decrease in advances	**30081,94,97**	(35755,15,83)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी		(increase)/Decrease in other assets	**(8418,63,60)**	110,16,76
	उधार राशियों में वृद्धि / (कमी)		Increase/(Decrease)in borrowings	**(1280,56,67)**	(2446,18,43)
	जमा राशियों में वृद्धि / (कमी)		Increase/(Decrease) in deposits	**(43290,78,22)**	49984,19,45
	अन्य देयताओं तथा प्रावधानों में वृद्धि /(कमी)		Increase/(Decrease) in other liabilities and provisions	**4617,53,76**	3997,81,36
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड का शुद्ध)		Direct taxes paid (Net of Refund)	**1370,73,57**	(2885,64,80)
	परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी (क)		Net cash from operating activities (A)	**(10011,31,00)**	17838,30,93
ख.	निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह :	B.	Cash flow from investing activities:		
	अचल आस्तियों की खरीद		Purchase of fixed assets	**(4049,36,08)**	(628,87,11)
	अचल आस्तियों की बिक्री		Sale of fixed assets	**44,26,48**	72,52,84
	निवेश संबंधी कार्यकलापों से शुद्ध नकदी (ख)		Net cash from investing activities (B)	**(4005,09,60)**	(556,34,27)

(₹ in 000's)

				31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2016	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2015
ग.	वित्तीय प्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	C.	Cash flow from financing activities:		
	शेयर पूंजी		Share Capital	**18,53,27**	12,88,41
	शेयर प्रीमियम		Share premium	**1767,46,72**	1247,11,59
	गैर जमानती गौण बांड		Unsecured Subordinated Bonds	**(375,72,50)**	971,40,10
	लाभांश		Dividend	**(851,68,71)**	(1083,67,67)
	गैर जमानती प्रतिदेय बांडों पर प्रदत्त /देय ब्याज		Interest paid / payable on unsecured redeemable bonds	**(1174,31,77)**	(1154,16,91)
	वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी (ग)		**Net cash from financing activities (C)**	**(615,72,99)**	(6,44,48)
	नकदी एवं नकदी समतुल्य (क)+(ख)+(ग) में शुद्ध वृद्धि		**Net increase in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)**	**(14632,13,59)**	17275,52,18
	वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य		Cash and cash equivalents as at the beginning of the year	**151631,18,98**	134355,66,80
	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		Cash and cash equivalents as at the end of the year	**136999,05,39**	151631,18,98

टिप्पणी		**Notes:**			
1	**नकदी तथा नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी, भा.रि.बैं. तथा अन्य बैंकों के पास शेष और मांग तथा अल्पावधि नोटिस पर मुद्रा शामिल हैं.**	1	**Cash & Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other banks and Money at call and Short Notice.**		
2	**नकदी तथा नकदी समतुल्य के घटक**	2	**Components of Cash & Cash Equivalents**	**As on 31st March 2016**	As on 31st March 2015
	भा.रि.बैं. के पास नकदी एवं शेष		Cash & Balance with RBI	**22810,75,34**	19444,73,16
	बैंकों के साथ शेष तथा मांग एवं अल्पावधि नोटिस पर मुद्रा		Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	**114188,30,05**	114910,93,64
	जोड़		**Total**	**136999,05,39**	134355,66,80

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

Auditors' Report on Consolidated Financial Statements of Bank of Baroda

सेवा में,

निदेशक मंडल,

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

1. हमने बैंक ऑफ़ बड़ौदा ('द ग्रुप') के 31 मार्च, 2016 के संलग्न समेकित तुलन पत्र और उसके साथ संलग्न उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ-हानि विवरण और उक्त तारीख को समेकित नकदी प्रवाह विवरण की लेखा परीक्षा की है. इनमें निम्नलिखित के खाते शामिल किए गये हैं:

    i. हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 13 मई 2016 के अनुसार हमारे द्वारा लेखा परीक्षित बैंक ऑफ़ बड़ौदा (द बैंक) के लेखा परीक्षित खाते,

    ii. अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 12 अनुषंगियों तथा 3 सहयोगी इकाइयों, 3 संयुक्त उद्यमों के लेखा परीक्षित खाते,

    iii. 3 सहयोगी इकाइयों के अलेखापरीक्षित खाते.

वित्तीय विवरण-पत्रों हेतु प्रबंधन का दायित्व

समेकित वित्तीय विवरण-पत्र बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी है तथा इन्हें प्रबंधन द्वारा अनुषंगियों एवं सहयोगी इकाइयों तथा संयुक्त उद्यमों के अलग वित्तीय विवरण-पत्रों तथा अन्य वित्तीय सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है. हमारी जिम्मेदारी समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों के बारे में हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर हमारी राय व्यक्त करना है.

2. बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों को लेखा मानक एएस-21 (समेकित वित्तीय विवरण-पत्र) और लेखा मानक एएस-23 (समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों में अनुषंगियों में निवेश हेतु लेखांकन) तथा लेखा मानक एएस-27 (संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग) के आधार पर इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेन्टस ऑफ इंडिया तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार किया गया है.

लेखा परीक्षकों का दायित्व

3. हमने समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों की लेखा परीक्षा, भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की है. इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम लेखा परीक्षा इस प्रकार सुनियोजित और संपन्न करें कि हमें यह तर्क संगत आश्वासन मिले कि ये वित्तीय विवरण-पत्र निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग के फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार किए गए हैं, तथा सभी प्रकार की महत्वपूर्ण गलतियों से मुक्त हैं. लेखा परीक्षा में, जांच आधार पर परीक्षण, राशियों और वित्तीय विवरण-पत्रों के प्रकटीकरण के समर्थन में साक्ष्य शामिल हैं. लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा, प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों का निर्धारण और महत्वपूर्ण आकलन भी शामिल हैं. इसमें समग्र वित्तीय विवरण-पत्रों का प्रस्तुतीकरण मूल्यांकन भी शामिल है. हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा हमारी राय का तर्क संगत आधार उपलब्ध कराती है.

To

The Board of Directors,

Bank of Baroda

1 We have audited the attached Consolidated Balance Sheet of Bank of Baroda (the "Group") as at March 31, 2016, the Consolidated Statement of Profit and Loss for the year ended on that date and the Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date, annexed thereto, in which are incorporated:

    i) Audited Accounts of the Bank of Baroda (The Bank), audited by us, vide our audit report dated May 13, 2016;

    ii) Audited Accounts of 12 Subsidiaries, 3 Associates and 3 Joint Ventures, audited by other Auditors;

    iii) Unaudited accounts of 3 associates.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Consolidated Financial Statements are the responsibility of the Bank's management and have been prepared by the management on the basis of separate financial statements and other financial information regarding subsidiaries, associates & joint ventures. Our responsibility is to express our opinion on these Consolidated Financial Statements based on our audit.

2 These Consolidated Financial Statements have been prepared by the Bank in accordance with the requirements of AS 21 (Consolidated Financial Statements), AS 23 (Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements) and AS 27 (Financial Reporting of Interest in Joint Ventures) issued by the ICAI and the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditor's Responsibility

3 We conducted our audit of the Consolidated Financial Statements in accordance with the Auditing Standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the Financial Statements are prepared, in all material respects, in accordance with an identified financial reporting framework and are free of material misstatements. An audit includes, examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों में निम्नलिखित शामिल है.

क) 9 विदेशी अनुषंगियों एवं 1 विदेशी संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरण-पत्र, जिनकी हमने लेखा परीक्षा नहीं की है. इनके वित्तीय विवरण-पत्रों में 31 मार्च 2016 को कुल आस्तियां ₹ 10566.88 करोड़ का उल्लेख है और वर्ष के अन्त में ₹ 1066.01 करोड़ का कुल राजस्व तथा ₹ 259.54 करोड़ का नकदी प्रवाह है. इनमें से 4 विदेशी अनुषंगियां एवं 1 संयुक्त उद्यम जिनके लेखे 31 दिसंबर 2015 तक के तैयार किए गए है और जिन्हें समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों में शामिल किया गया है, प्रबंधन ने यह प्रमाणित किया है कि 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2016 की अवधि के दौरान कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नही हुई हैं. उक्त अनुषंगियों तथा संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण-पत्रों तथा वित्तीय सूचना की स्थानीय रूप से सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) की आवश्यकताओं के अनुसार दूसरे लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गयी है. प्रबंधन द्वारा भारतीय जीएएपी की अपेक्षाओं के अनुसार इन वित्तीय विवरण-पत्रों को रूपांतरित किया गया है और इनकी स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है और हमारे विचार से उक्त अनुषंगियों के बारे में जहां तक समाविष्ट राशियों का संबंध है, ये मूलतः उन लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर तथा भारतीय जीएएपी में रूपांतरण के आधार पर है जैसा कि ऊपर बताया गया है.

ख) 3 घरेलू अनुषंगियों तथा 2 घरेलू संयुक्त उद्यमों के आंकड़े, जिनकी दूसरे लेखा परीक्षकों ने लेखा परीक्षा की है. इनके वित्तीय विवरण-पत्रों में 31 मार्च 2015 को कुल आस्तियां 11361.02 करोड़ रुपये तथा वर्ष के अन्त में ₹ 1836.23 करोड़ का राजस्व तथा कुल आय एवं नकदी प्रवाह के रूप में ₹ (242.59) करोड़ का उल्लेख है. 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय परिणामों में समूह के शेयरों का ₹ (37.49) करोड़ का शुद्ध लाभ भी शामिल है और यह समेकित वित्तीय परिणामों में दर्शाया गया है. सहयोगी संस्थाओं के संबंध में जिनके वित्तीय विवरण-पत्र अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किए गए है व जिनकी रिपोर्ट हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई है एवं उनके समेकित वित्तीय परिणामों के बारे में हमारी अब तक की राय के अनुसार इन घरेलू अनुषंगियों, संयुत्त उद्यमों एवं सहयोगियों से संबंधित राशियां और प्रकटीकरण केवल दूसरे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है.

ग) समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों में उन 3 सहयोगी संस्थाओं के संबंध में, जिनके वित्तीय विवरण हमारे द्वारा लेखापरीक्षित नहीं हैं उनके समेकित वित्तीय परिणामों में 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समूह के शेयरों का ₹ 57.59 करोड़ का शुद्ध लाभ भी शामिल है और इसे समेकित वित्तीय परिणाम में दर्शाया गया है. यह वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं और विवरण हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं और उनके समेकित वित्तीय परिणामों के बारे में हमारी अब तक की राय के अनुसार इन सहयोगियों से संबंधित राशियां और प्रकटीकरण केवल ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है. हमारी राय और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं विवरणों के अनुसार यह वित्तीय परिणाम समूह से संबंधित नही हैं.

4 Incorporated in the Consolidated Financial Statements are:

a) Financial statements of 9 overseas subsidiaries and 1 overseas Joint Venture which have not been audited by us, whose financial statements reflect total assets of ₹ 10566.88 crores as at 31st March, 2016 and total revenue of ₹ 1066.01 crores and cash flows amounting to ₹ 259.54 crores for the year then ended. Out of which, 4(four) overseas subsidiaries and 1(one) joint venture whose accounts has been drawn up to 31st Dec., 2015 and included in the consolidated financial statements, the management has certified that no significant changes have taken place during the period from 1st January, 2016 to 31st March, 2016. The financial statements and other financial information of said subsidiaries have been audited by other auditors as per the requirement of respective local Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). These financial statements have been converted as per the requirements of Indian GAAP by the management and audited by local auditors and our opinion, in so far it relates to the amounts included in respect of those subsidiaries is based solely on the reports of those auditors and its conversion into Indian GAAP as stated above.

b) Figures of 3 domestic subsidiaries and 2 domestic joint ventures which have been audited by other auditors, whose financial statements reflect total assets of ₹ 11361.02 crores as at March 31, 2016 and total revenue of ₹ 1836.23 crores and cash flows amounting to ₹ (242.59) crores for the year then ended. The consolidated financial statements also include the group's share of net profit of ₹ (37.49) crores for the year ended 31st March 2016 as considered in the consolidated financial statements in respect of 3 associates, whose financial statement have been audited by other auditors whose report have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these domestic subsidiaries, joint ventures and associates, is based solely on the reports of the other auditors.

c) The consolidated financial statements also include the group's share of net profit of ₹ 57.59 crores for the year ended 31st March 2016 as considered in the consolidated financial statements in respect of 3 associates, whose financial statement have not been audited by us. These financial statement are unaudited and have been furnished to us by the management and our opinion on the consolidated financial statements in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these associates, is based solely on such unaudited financial statements. In our opinion and according to the information and explanation given to us by the management, these financial statements are not material to the Group.

5 राय

हमारी लेखा परीक्षा एवं अन्य लेखा परीक्षकों के अलग वित्तीय विवरण-पत्रों, लेखा परीक्षा न किए गए वित्तीय विवरण-पत्रों और घटकों की अन्य वित्तीय सूचना तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और उपर्युक्त पैराग्राफ 3 तथा 4 के साथ पठित हमें दिए गये स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी यह राय है कि संलग्न समेकित वित्तीय विवरण-पत्र भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वास्तविक एवं सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं:

(i) 31 मार्च 2016 को बैंक, बैंक की अनुषंगियों के कार्य व्यवहारों तथा बैंक की सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों (समूह) में हित से संबंधित समेकित तुलन पत्र के संबंध में;

(ii) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 'ग्रुप' के समेकित लाभ संबंधी समेकित लाभ हानि खाते के संबंध में, और

(iii) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 'ग्रुप' के नकदी प्रवाह संबंधी समेकित नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में.

5 Opinion

Based on our audit, consideration of reports of other auditors on separate financial statements, consideration of unaudited financial statements and on the other financial information of the components, and to the best of our information and according to the explanations given to us read with paragraphs 3 and 4 above, we are of the opinion that the attached consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

(i) In the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Bank, its Subsidiaries and interests in its Associates/ Joint ventures (Group) as on 31st March 2016;

(ii) In the case of the Consolidated Statement of Profit & Loss, of the consolidated Loss of the "Group" for the year ended on that date, and

(iii) In the case of Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows of the "Group" for the year ended on that date.

कृते **खंडेलवाल जैन एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 105049 डब्ल्यू
शैलेश एस शाह
भागीदार
एम. नं.: 033632

For **Khandelwal Jain & Co**
Chartered Accountants
FRN : 105049W
Shailesh S Shah
Partner
M.No: 033632

कृते **वही एण्ड गुप्ता**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002263 एन
अनुज गुप्ता
भागीदार
एम. नं.: 076560

For **Wahi & Gupta**
Chartered Accountants
FRN: 002263N
Anuj Gupta
Partner
M.No: 076560

कृते एस आर गोयल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 001537 सी
अनुराग गोयल
भागीदार
एम. नं.: 412538

For **S R Goyal & Co**
Chartered Accountants
FRN: 001537C
Anurag Goyal
Partner
M.No: 412538

कृते **रोडी दबीर एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 108846 डब्ल्यू
सुधीर दबीर
भागीदार
एम. नं.: 039984

For **Rodi Dabir & Co**
Chartered Accountants
FRN: 108846W
Sudhir Dabir
Partner
M.No: 039984

दिनांक / Date: 13th May 2016
स्थान / Place: मुंबई / Mumbai

फॉर्म ए FORM A

स्टॉक एक्सचेंज के साथ प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का पत्र (समेकित)
LETTER OF ANNUAL AUDIT REPORT TO BE FILED WITH STOCK EXCHANGES (CONSOLIDATED)

• कंपनी का नाम • Name of the Company	**बैंक ऑफ़ बड़ौदा** **Bank of Baroda**
• समाप्त वर्ष को वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र • Annual Financial Statements for the year ended	31 मार्च 2016 31st March 2016
• लेखा परीक्षा अवलोकन का प्रकार • Type of Audit Observation	असंशोधित Un-modified
• अवलोकन की आवृत्ति • Frequency of observation	- -
• महत्त्वपूर्ण विषय पर प्रबंधन की टिप्पणी • Comments of the Management on the matter of emphasis	शून्य Nil

वी. एस. नारंग
महाप्रबंधक
(कार्पोरेट खाते एवं कराधान)
एवं सीएफओ

V. S. Narang
General Manager
(Corporate Accounts &
Taxation) and CFO

डॉ. आर. नारायणस्वामी
अध्यक्ष
निदेशक मंडल लेखा परीक्षा समिति

Dr. R. Narayanaswamy
Chairman
Audit Committee of Board

पी. एस. जयकुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

P. S. Jayakumar
Managing Director & CEO

कृते **खंडेलवाल जैन एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 105049 डब्ल्यू

शैलेश एस शाह
भागीदार
एम. नं.: 033632

For **Khandelwal Jain & Co**
Chartered Accountants
FRN : 105049W

Shailesh S Shah
Partner
M.No: 033632

कृते **वाही एण्ड गुप्ता**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002263 एन

वाय के गुप्ता
भागीदार
एम. नं.: 016020

For **Wahi & Gupta**
Chartered Accountants
FRN: 002263N

Y K Gupta
Partner
M.No: 016020

कृते **एस आर गोयल एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 001537 सी

अजय कुमार अटोलिया
भागीदार
एम. नं.: 077201

For **S R Goyal & Co**
Chartered Accountants
FRN: 001537C

Ajay Kumar Atolia
Partner
M.No: 077201

कृते **रोडी दबीर एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 108846 डब्ल्यू

सुधीर दबीर
भागीदार
एम. नं.: 039984

For **Rodi Dabir & Co**
Chartered Accountants
FRN: 108846W

Sudhir Dabir
Partner
M.No: 039984

दिनांक : 13 मई, 2016
स्थान: मुंबई

Date: 13th May 2016
Place: Mumbai

सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण
CEO / CFO Certification

निदेशक मण्डल
बैंक ऑफ़ बड़ौदा
मुंबई

प्रिय महोदय,

विषय : वर्ष 2015-16 के लिए सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण - समेकित

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण) विनियम (समेकित), 2015 की धारा 17(8) के साथ पठित धारा 33 की अनुपालना स्वरुप हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते है किः

क. हमने वर्ष 2015-16 के (समेकित) वित्तीय विवरण-पत्रों एवं नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसारः

i. इन विवरण-पत्रों में कोई विषयगत अयथार्थ अभिकथन नहीं है अथवा कोई विषयगत तथ्य छिपाया नहीं गया है अथवा इनमें कोई भ्रामक अभिकथन शामिल नहीं किया गया है;

ii. ये विवरण मिलकर बैंक के कार्यकलापों का सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा ये विद्यमान लेखा मानकों, लागू नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं.

ख. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कोई संव्यवहार नहीं किए गए जो धोखाधड़ी में लिप्त हो, गैर कानूनी हो अथवा बैंक की आचार संहिता के विरुद्ध हों.

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग से सम्बद्ध आन्तरिक नियंत्रणों का पूर्ण दायित्व स्वीकार करते हैं. हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग की आन्तरिक नियत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन/आकलन किया है तथा हमने लेखा परीक्षकों और लेखा समिति को आन्तरिक नियंत्रणों के परिचालन एवं स्वरूप से सम्बद्ध कमियों, यदि कोई है अथवा जो हमारे अभिज्ञान में हैं एवं हमने इन्हें दूर करने के लिए जो उपाय किए हैं या प्रस्तावित है, की जानकारी दे दी है.

घ) हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है.

i. अवधि के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आन्तरिक नियत्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन

ii. वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इनका उल्लेख वित्तीय विवरण-पत्रों के नोट्स में कर दिया गया है

iii. हमारी जानकारी में आए धोखाधड़ी सम्बंधी विशिष्ट मामले तथा उनमें प्रबन्धन अथवा किसी कर्मचारी की संलिप्तता, जिसकी आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली संबंधी वित्तीय रिपोर्टिंग में अहम भूमिका हो.

पी. एस. जयकुमार

वी. एस. नारंग
महाप्रबंधक
कार्पोरेट खाते एवं कराधान तथा सीएफओ

पी. एस. जयकुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

दिनांक : 13.05.2016
स्थान : मुंबई

CEO / CFO Certification

Board of Directors,
Bank of Baroda
Mumbai

Dear Sirs,

Re : CEO/CFO Certification for the year 2015-16 - Consolidated

Pursuant to Regulation 17(8) read with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulations, 2015, we hereby certify that:

a. We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year 2015-16 (Consolidated) and that to the best of our knowledge and belief:

   i. These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading:

   ii. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee.

   i. Significant changes in internal control over financial reporting during the year.

   ii. Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements and

   iii. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

V S NARANG General Manager (Corp. A/Cs & Taxation) and CFO	P S JAYAKUMAR Managing Director & CEO

Date : 13.05.2016

Place : Mumbai

नोटिस / NOTICE

बैंक ऑफ़ बड़ौदा BANK OF BARODA
(प्रधान कार्यालय - मांडवी, बड़ौदा)
(H.O.: Mandvi, Baroda)
कार्पोरेट कार्यालय : बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर,
सी-26, ''जी'' ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स
बान्द्रा (पूर्व), मुंबई 400051
वेबसाइट - www.bankofbaroda.co.in
Corporate Office: Baroda Corporate Centre,
C-26, "G" Block, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East), MUMBAI 400 051
(website: www.bankofbaroda.co.in)

एतद् द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि निम्नलिखित कार्यों का संचालन करने के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की 20वीं वार्षिक सामान्य बैठक **शुक्रवार, 24 जून, 2016 को दोपहर 12.00 बजे सर सयाजीराव नगरगृह, वडोदरा महानगर सेवासदन, टी.पी.-1, एफ.पी. 549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा - 390 020 में सम्पन्न होगी:**

1. बैंक के 31 मार्च, 2016 के तुलनपत्र, 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखा, लेखों में समाहित अवधि के कार्य निष्पादन तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श, अनुमोदन व इन्हें स्वीकार करना.

कृते बैंक ऑफ बड़ौदा

पी. एस. जयकुमार

(पी.एस. जयकुमार)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थानः मुंबई
दिनांक : 13 मई, 2016

नोट :

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति :

बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए पात्र शेयरधारक बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए अपने स्थान पर प्रॉक्सी नियुक्त कर सकेगा/ सकेगी (बैंक के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के अलावा अन्य को) और यह आवश्यक नहीं होगा कि नियुक्त प्रॉक्सी बैंक का शेयरधारक हो. प्रॉक्सी का कोई भी विलेख तब तक वैध नहीं माना जाएगा, जब तक कि वह इस सूचना के साथ संलग्न अथवा बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध फार्म ''बी'' में भरा नहीं गया हो. उक्त प्रॉक्सी तभी प्रभावी मानी जाएगी यदि वह बैठक की तारीख से कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात् शनिवार, 18 जून, 2016 को शाम 5.00 बजे तक या उससे पूर्व बैंक ऑफ़ बड़ौदा, केवायसी एवं एएमएल विभाग, 8वां तल, सूरज प्लाजा-I, सयाजीगंज, बड़ौदा - 390 005 स्थित प्रधान कार्यालय में प्राप्त हो जाएगी और इसके साथ मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार पत्र की प्रति जो कि नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित हो, उक्त मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार पत्र यदि पूर्व में बैंक में जमा और पंजीकृत न किया गया हो, को भी साथ में भेजा जाएगा.

NOTICE is hereby given that the 20th Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of Baroda will be held on **Friday, 24th June 2016 at 12.00 Noon at Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, T. P. – 1, F. P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020**, to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2016, Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2016, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

FOR, BANK OF BARODA

P. S. Jayakumar

Place: Mumbai
Date: 13th May 2016

P. S. Jayakumar
Managing Director & CEO

NOTES:

1. Appointment of Proxy:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY (OTHER THAN AN OFFICER OR AN EMPLOYEE OF THE BANK) TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND THE PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form "B" as annexed to this Notice and also available on Bank's website. The Proxy, in order to be effective, must be received at Head Office of the Bank situated at Bank of Baroda, KYC & AML Department, 08th Floor, Suraj Plaza – I, Sayajiganj, Vadodara 390 005 not less than four days before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on Saturday, 18th June 2016 together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.

2. प्रतिनिधि की नियुक्ति :

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी के विधिवत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने अथवा वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे एक यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने संबंधी संकल्प की एक प्रति, जिसे उस बैठक, जिसमें यह पारित किया गया था, के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में अभिप्रमाणित न किया गया हो, बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात **शनिवार, 18 जून, 2016** को बैंक का कार्य समय समाप्त होने अर्थात् सायं 5.00 बजे तक या इससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में उपरोक्त पते पर जमा न कर दिया गया हो.

3. मताधिकार :

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 की उपधारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सरकार से भिन्न संबद्ध नये बैंक का कोई भी शेयरधारक स्वयंधारित शेयरों के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के **दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार प्रयुक्त करने का पात्र नहीं होगा.**

बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयरों एवं बैठकें) विनियमन,1998, यथा संशोधित, के विनियम 10 के अनुसार, यदि शेयर दो या उससे अधिक व्यक्तियों के नाम पर हैं तो मतदान के लिए रजिस्टर में अंकित प्रथम व्यक्ति को उन शेयरों का एकल धारक समझा जायेगा. अतः यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं तो प्रथम व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने का पात्र है और केवल वह ही दूरस्थ ई-वोटिंग अथवा बैठक में वोटिंग, यदि वोटिंग के अधिकार का प्रयोग दूरस्थ ई-वोटिंग के द्वारा नहीं किया जाता है, कार्यसूची पर मत देने का पात्र होगा.

4. उपस्थिति-पर्ची सह प्रवेश पत्र-सह मत-पत्रक (उपस्थिति-पर्ची):

शेयरधारकों की सुविधा के लिए, इस नोटिस के साथ दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए लॉग-इन आईडी एवं पासवर्ड के आवश्यक विवरण सहित उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र-सह-मतपत्रक संलग्न है. शेयरधारकों के पास दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा से मत देने का विकल्प है. जो दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा का लाभ नहीं उठाना चाहते वे वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख को बैठक स्थल पर अपना वोट दे सकते हैं. ऐसे सभी शेयरधारकों/ प्रॉक्सी धारकों /प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची में प्रिंट किए गए विवरण को जांच लें और यदि कोई खाली स्थान हो तो उसे भरें, उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और उसे बैठक के स्थान पर सुपुर्द कर दें. प्रॉक्सी /शेयरधारक के अधिकृत प्रतिनिधि, उपस्थिति पर्ची - सह प्रवेश पत्र में स्पष्ट करें कि वह ''प्रॉक्सी'' है या ''प्राधिकृत प्रतिनिधि'' के रूप में है, जो भी लागू हो. मतपत्रक पास/एंट्री पास को चुनाव के समय मतपत्रक प्राप्त करने के लिए सुपुर्द करना होगा.

ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा पहले से ही अपने मत का प्रयोग कर लिया है, बैठक में भाग ले सकते हैं परंतु अपना वोट पुनः नहीं दे सकेंगे.

5. दूरस्थ ई-वोटिंग तथा वार्षिक सामान्य बैठक में वोट के लिए निर्दिष्ट तारीख - शेयरधारकों के रजिस्टर का बंद होना :

बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयरों एवं बैठकें) विनियमन, 1998, यथा संशोधित, के विनियम 12 के साथ पठित सेबी (सूचीयन करार एवं प्रकटीकरण की

2. Appointment of Representative:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company/entity unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank at the address given above, not later than four days before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on Saturday, 18th June 2016.

3. Voting Rights:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.**

As per Regulation 10 of the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998, as amended, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and vote on the Agenda either through remote e-voting or voting at the meeting, if voting right is not exercised through remote e-voting.

4. Attendance Slip-Cum Entry Pass Cum Voting Paper Pass (The Attendance Slip):

For the convenience of the Shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass-cum-Voting Paper Pass is attached with this Notice, with requisite details pre-printed with the remote e-voting log-in id and password. Shareholders have an option to cast their votes by using remote e-voting platform. Those who do not exercise remote e-voting facility can cast their vote at the voting to be conducted at the venue of the meeting on the date of the AGM. Such Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to verify the details printed on the Attendance Slip and fill-in blanks, if any and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy / Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance-Slip as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be. The portion of Voting Paper Pass/ Entry Passe shall be surrendered to obtain Voting Paper at the time of Voting.

Shareholders, who have already exercised their vote through remote e-voting, can attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

5. Cut-Off Date For remote e-voting and voting at the AGM- Closure of Register of Shareholders:

Pursuant to Regulation No. 12 of Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998, as amended,

आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियम संख्या 42 तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसरण में, बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बहिया **शनिवार, 18 जून 2016 से 24 जून 2016 तक (दोनों दिन सहित)** 20वीं वार्षिक सामान्य बैठक के उद्देश्य से बंद रहेगा. शेयरधारक जिनके पास **शुक्रवार, 17 जून, 2016** को बैंक के शेयर हैं, दूरस्थ ई-वोटिंग अथवा बैठक में वोटिंग के माध्यम से बैठक में भाग लेने तथा बैठक की कार्यसूची पर मत देने के लिए प्राधिकृत होंगे.

6. दूरस्थ ई-वोटिंग

सेबी (सूचीयन करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, आपके बैंक को, बैठक के नोटिस में उल्लेखित मदों पर शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है. इस विषय में शेयरधारकों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है:

क. बैंक ने ई-वोटिंग प्लैटफार्म उपलब्ध कराने हेतु **कार्वी कंप्यूटरशेयर्स प्रा. लि. को दूरस्थ ई-वोटिंग एजेंसी** के रूप में नियुक्त किया है.

ख. **दूरस्थ ई-वोटिंग हेतु पोर्टल मंगलवार, 21 जून, 2016 को सुबह 9 बजे से गुरुवार, 23 जून, 2016 को शाम 5 बजे तक खुला रहेगा (दोनों दिन सहित).**

ग. **दूरस्थ ई-वोटिंग वैकल्पिक है.** इस **निर्दिष्ट तारीख** अर्थात **शुक्रवार, 17 जून, 2016** को मूर्त या अमूर्त (डिमैटेरिलाइज्ड) रूप में बैंक के शेयर धारित करने वाले शेयरधारक इलेक्ट्रानिक रूप से अपना वोट दे सकेंगे.

घ. ई-वोटिंग से संबंधित अनुदेश निम्नानुसार हैं :-

i. जो शेयरधारक उपर्युक्त कट-ऑफ़-डेट को वोट देने हेतु पात्र हैं, ई-वोटिंग के लिए मंगलवार, 21 जून, 2016 को सुबह 9 बजे पोर्टल खुलने पर निम्नलिखित यूआरएल का उपयोग करें : https://evoting.karvy.com

ii. लॉग-इन क्रेडेंसियल की अर्थात् नोटिस से संलग्न उपस्थिति पर्ची में उल्लिखित यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्रविष्ट करें.

iii. उपयुक्त रूप से ब्यौरा दर्ज करने के बाद लॉग-इन पर क्लिक करें.

iv. आप 'पासवर्ड बदलें' मेनू में पहुंचेंगे, जहां आपको अनिवार्यतः अपना पासवर्ड बदलना होगा. नये पासवर्ड में एक 'अपर केस' (A से Z), एक लॉअर केस (a से z), एक अंक (0-9) तथा एक विशेष कैरेक्टर सहित न्यूनतम 8 कैरेक्टर होंगे. सिस्टम आपको पहली बार लॉगिन करते समय पासवर्ड बदलने हेतु तथा मोबाइल नं., लॉग-इन, ई- मेल जैसे संपर्क के ब्यौरे में कोई अद्यतन जानकारी देनी हो तो उसे दर्ज करने हेतु कहेगा. आप यदि अपना पासवर्ड भूल गये हैं, तो उसे पुनः प्राप्त करने हेतु अपनी पसंद के गोपनीय प्रश्न और उत्तर की प्रविष्टि भी कर सकते हैं. यह दृढतापूर्वक सिफारिश की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य को न बताएं और इसे गोपनीय रखने हेतु अत्यंत सावधानी बरतें.

read with Regulations No.42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 and Rule No. 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Saturday, 18th June 2016 to 24th June 2016 (both days inclusive)** for the purpose of 20th Annual General Meeting. Shareholders holding Bank's Shares as on **Friday, 17th June 2016** will be authorized to attend and vote for the Agenda of the meeting either through remote e-voting or voting at the meeting.

6. Remote E-Voting

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, your Bank is pleased to provide remote e-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice of the meeting. Shareholders are informed as under in this regard:

a) The Bank has appointed **Karvy Computershare Private Limited as the remote e-voting agency** to provide the e-voting platform.

b) **The Portal will remain open for remote e-voting from 9.00 a.m. on Tuesday, 21st June 2016 up to 5.00 p.m. on Thursday, 23rd June 2016 (both days inclusive).**

c) **Remote e-voting is optional**. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the **Cut – off Date** i.e. **Friday, 17th June 2016,** may cast their vote electronically.

d) The **instructions for remote e-voting** are as under:

i. The Shareholders eligible to vote as on the aforesaid Cut-Off Date, to use the following URL for e-voting: https://evoting.karvy.com on opening of the same on Tuesday, 21st June, 2016 at 9.00 a.m.

ii. Enter the login credentials i.e., user id and password mentioned in the Attendance Slip annexed on this Notice.

iii. After entering the details appropriately, click on LOGIN.

iv. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

v. आपको नये क्रेडेंसियल से पुनः लॉग-इन करना होगा.

vi. सफलतापूर्वक लॉग-इन के बाद, सिस्टम आपको इवेन अर्थात **बैंक ऑफ़ बड़ौदा** का चयन करने हेतु कहेगा. वोटिंग पृष्ठ पर, **निर्दिष्ट तारीख** (17 जून 2016) पर शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या प्रदर्शित होगी. आप **सहमति** अथवा **असहमति,** जैसा भी मामला हो, पर क्लिक कर सकते हैं. पुष्टि करने हेतु 'OK' पर क्लिक करें, अन्यथा परिवर्तन करने हेतु 'CANCEL' पर क्लिक करें. **एक बार पुष्टि करने के बाद आप वोट में परिवर्तन नहीं कर सकते. वोटिंग अवधि के दौरान, शेयरधारक संकल्प पर वोट देने तक कितनी भी बार लॉग-इन कर सकता है.**

vii. एक से अधिक फोलियो/डिमैट खाता रखने वाले शेयर धारकों को प्रत्येक फोलियो /डिमैट खाते के लिए अलग से वोटिंग प्रक्रिया करनी होगा. **तथापि, शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के अधीन, भारत सरकार के अतिरिक्त अन्य किसी शेयरधारक को, बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक के लिए वोट करने की अनुमति नहीं होगी.**

viii. उपर्युक्त अनुरूप पोर्टल बंद हो जाएगा एवं बंद होने पर यह सुविधा तत्काल समाप्त हो जाएगी.

ix. बैंक ने श्री एस.एन. अनंतसुब्रमणयन एवं इनकी अनुपस्थिति में मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमणयन एंड कं., प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव की भागीदार, सुश्री मालती कुमार को दूरस्थ ई-वोटिंग प्रक्रिया का उचित एवं पारदर्शी तरीके से संचालित करने हेतु संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है.

x. संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अतिरिक्त) जो वोट देने हेतु प्राधिकृत हों, उन्हें विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरियों के अभिप्रमाणित हस्ताक्षरों सहित संबद्ध बोर्ड संकल्प/प्राधिकार-पत्र की स्कैंड (पीडीएफ/जेपीजी) प्रति scrutinizer@snaco.net पर ई-मेल के माध्यम से संवीक्षक को भेजनी अपेक्षित है.

xi. ऐसे शेयरधारक, जो नोटिस एवं संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट प्रेषण हेतु कट-ऑफ़-डेट तथा आंतरिक ई-वोटिंग हेतु कट-ऑफ़-डेट के बीच शेयर प्राप्त करते हैं तथा अपना ई-मेल आईडी रजिस्टर करते हैं, उन्हें इस संदर्भ में मेसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लि. अर्थात हमारे आरटीए के माध्यम से सूचना दी जाएगी. विवरण प्राप्त करने हेतु ऐसे अन्य शेयरधारक आटीए की वेबसाइट अर्थात http://evoting.karvy.com को देखें.

xii. आपका यदि कोई प्रश्न हो तो आप https://evoting.karvy.com पर डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैन्यूअल संबंधी प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) का अवलोकन कर सकते हैं, अथवा मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि., कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, गचिबावली, फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद - 500 032 के श्री एस वी राजू (यूनिट : बैंक ऑफ़ बड़ौदा) से दूरभाष संख्या 040 6716 2222 या 1800 345 4001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं.

v. You need to login again with the new credentials.

vi. On successful login, the system will prompt you to select the EVEN i.e., **Bank of Baroda.** On the voting page, the number of shares as held by the shareholder as on the **Cut-off Date** (17th June 2016) will appear. You may click on the ASSENT or DISSENT as the case may be. Click OK to confirm else CANCEL to modify. **Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on the resolution.**

vii. Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folio / demat account. **However, Shareholders may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no Shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.**

viii. The portal will close as aforesaid and the facility will be disabled immediately on the closure.

ix. The Bank has Mr. S N Ananthasubramanian, or failing him Ms. Malati Kumar, Partners, M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

x. Institutional Shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/ JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory (ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail : scrutinizer@snaco.net

xi. Shareholders acquiring Shares between the internal Cut –Off Date for dispatch of the Notice and Abridged Annual Report and the Cut-Off Date for remote E-voting and registered their e-mail IDs, shall be sent communication by M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd. i.e. our RTA in this regard. Such other Shareholders may visit RTA's website i.e. http://evoting.karvy.com to get the details.

xii. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for Shareholders available at the download section of https://evoting.karvy.com. or contact Mr. S.V. Raju (Unit : Bank of Baroda) of Karvy Computershare Pvt. Ltd Karvy Selenium Tower B, Plot No 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500 032 at phone no. 040 6716 2222 OR at 1800 345 4001 (toll free).

xiii. दृढतापूर्वक यह सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य को न बताएं और इसे गोपनीय रखने हेतु अत्यंत सावधानी बरतें.

7. वार्षिक सामान्य बैठक में चुनावी प्रक्रिया

सिर्फ कार्यसूची की मदों पर वोटिंग, दूरस्थ ई-वोटिंग तथा बैठक में वोटिंग के माध्यम से होगी. जो दूरस्थ ई-वोटिंग विकल्प का प्रयोग नहीं करते वे बैठक की तारीख को वार्षिक सामान्य बैठक के स्थल पर आयोजित किए जाने वाले वोटिंग में अपना वोट देने के पात्र होंगे. बैठक के अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में घोषणा किए जाने के तुरंत बाद वोटिंग पेपर दिए जाएंगे और अंतिम शेयरधारक के उपस्थित होकर वोट देने तक जारी रहेगा. इस प्रयोजन से नोटिस के साथ भेजे गए अथवा पंजीकरण के समय जारी किए गए वोटिंग पेपर पास को वापिस जमा करने के बाद शेयरधारकों / प्रॉक्सी धारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों को वोटिंग पेपर काउंटर पर जारी किए जाएंगे. वार्षिक सामान्य बैठक हेतु सिर्फ कार्यसूची की मदों के संबंध में वोटों की संख्या उनके द्वारा निर्दिष्ट तारीख अर्थात् 17 जून 2016 को धारित शेयरों की संख्या के समान होगी.

8. ई-वोटिंग तथा मतदान का परिणाम

वार्षिक सामान्य बैठक में दूरस्थ ई-वोटिंग तथा मतदान के समेकित परिणाम की घोषणा दो दिनों के भीतर या बैठक के अंत में की जाएगी तथा इसे बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और कार्वी की वेबसाइट पर भी डाला जाएगा.

9. चुनाव का संवीक्षक

श्री एस.एन. अनंतसुब्रमणयन, एवं इनकी अनुपस्थिति में मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमणयन एंड कं., प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव की भागीदार सुश्री मालती कुमार बैठक की सिर्फ कार्यसूची की मदों के संदर्भ में संवीक्षक के रूप में कार्य करेगे. वे बैठक के दौरान आयोजित होने वाली वोटिंग में अन्य शेयरधारकों के साथ संवीक्षक के रूप में भी कार्य करेंगे. अध्यक्ष किसी अन्य शेयरधारक की सहमति से, जो उपस्थित है तथा मत देने के लिए पात्र है, के नाम की घोषणा द्वितीय संवीक्षक के रूप में कार्य करने हेतु कर सकते हैं.

बैठक में वोटिंग प्रक्रिया की निगरानी केन्द्रीय सरकार के नामिति/प्रतिनिधि द्वारा की जाएगी, जो पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेंगे.

10. पते में परिवर्तन

क. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि उनके पते में यदि कोई परिवर्तन हो तो इसकी सूचना तत्काल बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट अर्थात मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि.हैदराबाद को दें. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को अपने पते में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना अवश्य ही अपने संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी को देनी चाहिए. बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है.

xiii. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.

7. VOTING PROCESS AT THE AGM

The voting on the only agenda item shall be done by remote e-voting as well as by voting at the meeting. Those who do not exercise the option of remote e-voting shall be entitled to participate in the voting to be conducted at the venue of the AGM on the date of the meeting. Voting paper will be issued immediately after an announcement in this regard is made by the Chairman of the meeting and will continue till the last Shareholder present to cast his vote. Voting paper shall be issued at the Counters set up for this purpose to the Shareholders / Proxy holders/ Authorized Representatives on surrender of Voting Paper Pass dispatched along with the Notice or issued at the time of registration. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on the Cut-Off Date i.e., 17th June 2016 in respect of the only items of the Agenda for the AGM.

8. RESULTS OF EVOTING AND POLL

The consolidated results of remote e-voting and voting at the AGM will be announced within two days or at the end of the Meeting and also hosted on the websites of the Bank, Stock Exchanges and Karvy.

9. SCRUTINIZERS AT POLL

Shri S.N. Ananthasubramanian or failing him Ms. Malati Kumar, Partners, M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Practicing Company Secretaries, shall act as Scrutinizer in respect of the only agenda item of the meeting. They shall also act as Scrutinizer along with another shareholder at the meeting for the voting to be conducted at the Meeting. The Chairman may announce the name of any other shareholder present and entitled to vote to act as second scrutinizer subject to his consent.

The voting process at the meeting would be overseen by the Central Government Nominee/Representative who will act as an Observer.

10. Change of Address:

a) Members holding shares in physical form are requested to advise any change of address if any, along with a valid documentary evidence and formal request application duly signed immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e. Karvy Computershare Private Limited, Hyderabad. Members holding shares in electronic form must send the advice about change in address to their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

ख. सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट के साथ किसी भी प्रकार के पत्र-व्यवहार में अपने संबंधित फोलियो नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर भौतिक रूप में है) और अपना डीपी आईडी/ग्राहक आईडी नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं) का उल्लेख अवश्य करें.

11. फोलियो का समेकन

जिन शेयरधारकों के पास एक से अधिक खाते में अपने समरूप नाम से भौतिक शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट को शेयर प्रमाण-पत्रों के साथ ऐसे खातों के लिए लेजर फोलियो की सूचना दें ताकि बैंक एक खाते में सभी धारित शेयरों का समेकन कर सके. पृष्ठांकन संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद सदस्यों को शेयर प्रमाण पत्र यथासमय लौटा दिए जाएंगे.

12. भौतिक रूप में शेयरधारिता का अभौतिकीकरण

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक अपनी शेयर धारिता का अभौतिकीकरण कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें अपने उस संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी से संपर्क करना चाहिए जहां उनका अपना डीमेट खाता है.

13. अंतरणों के लिए प्रस्तुतीकरण

शेयर प्रमाण-पत्र/पत्रों को अंतरण विलेख/विलेखों के साथ बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (अर्थात आरटीए) के पास निम्नलिखित पते पर भेजा जाना चाहिए-

कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. (यूनिट- बैंक ऑफ़ बड़ौदा)
कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32,
गचिबावली, फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट,
नानाक्रमगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल,
हैदराबाद - 500 032
फोन नं. 040 6716 2222, फैक्स नं. 040 2342 0814
एवं टोल फ्री :1800 345 4001
ई-मेल : einward.ris@karvy.com

14. दावा न किए गए/भुगतान न किए गए लाभांश, पिछले वर्ष का, यदि कोई हो

शेयरधारक कृपया नोट कर लें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम,1970 में संशोधन के फलस्वरूप बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के मद्देनज़र सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे उक्त अधिनियम लागू होने के फलस्वरुप भुगतान हेतु /दावा हेतु शेष लाभांश की राशि तथा उक्त अधिनियम लागू होने के बाद घोषित लाभांश *''अदत्त लाभांश खाते''* में अंतरित करें.

''अदत्त लाभांश खाते'' में अंतरित राशि और अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि में अदावाकृत /अदत्त राशि को कंपनी अधिनियम, 1956 की

b) Members are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

11. Consolidation of Folios:

The Members holding shares in physical form in identical order of names in more than one account are requested to intimate to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable them to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the members after making necessary endorsement in due course.

12. Dematerialization of Physical Holdings:

The Shareholders who are holding shares in physical mode may convert their holdings in dematerialized form, for which they may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective de-mat account.

13. Lodgments for Transfers:

Share Certificate/s along with transfer deed/s should be forwarded to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent (i.e. RTA) at the following address.

Karvy Computershare Pvt. Ltd
(Unit :- BANK OF BARODA)
Karvy Selenium Tower B, Plot No 31 & 32
Gachibowli, Financial District,
Nanakramguda, Serilingampally Mandal,
Hyderabad – 500 032
Phone No. 040 6716 2222, Fax No. 040 2342 0814 and Toll Free : 1800 345 4001
E- mail : einward.ris@karvy.com,

14. Unclaimed/Unpaid Dividend, if any of previous years:

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide "The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) And Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/unclaimed in dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also dividend declared after the commencement of the said Act, to "Unpaid Dividend Account".

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Accounts" and remaining unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be

धारा 205 (सी) (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना अपेक्षित है और उसके पश्चात इस संबंध में भुगतान के लिए कोई दावा बैंक को या निधि को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा.बैंक ने वित्तीय वर्ष 2007-08 तक घोषित किए गए अदत्त लाभांश को पहले ही आईईपीएफ को अंतरित कर दिया है. वित्तीय वर्ष 2008-09 से आगे के अदत्त लाभांश के विवरण के लिए शेयरधारक बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.co.in देख सकते हैं.

जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2008-09 के बाद से (अभी तक आईईपीएफ को अंतरित नहीं हुआ है) अपने लाभांश पत्रों का नकदीकरण न कराया हो अथवा लाभांश पत्र उन्हें प्राप्त न हुए हों, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे बैंक के रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट हैदराबाद से उपरोक्त पते पर (पैरा 13) अथवा बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग, मुंबई से निम्नलिखित पते पर सीधे संपर्क करें:

निवेशक सेवाएं विभाग

बैंक ऑफ़ बड़ौदा, तीसरी मंजिल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051.
ई-मेल - investorservices@bankofbaroda.com

15. सदस्यों से अनुरोध

कृपया नोट करें कि संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट 2015-16 की प्रतियां, जिन शेयरधारकों ने बैंक में अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं कराई है उन्हें मूर्त रूप में भारतीय डाक द्वारा और जिन शेयरधारकों ने अपनी ई-मेल आईडी संबंधित डिपोजीटरी/आरटीए/बैंक के साथ पंजीकृत करवा रखी हैं उन्हें ई-मेल द्वारा पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट सॉफ्ट कापी के रूप में **भेज दी गई हैं.** वार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट अर्थात www.bankofbaroda.co.in पर भी उपलब्ध है. वार्षिक सामान्य बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वितरित नहीं की जाएंगी, अतः सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठक में अपनी प्रति साथ लेकर आएं.

विशेष ध्यानकर्षण हेतु अनुरोध

भारत सरकार द्वारा इस दिशा में की गई हरित पहल को सफल बनाने हेतु उन सभी शेयरधारकों, जिन्होंने संबंधित डिपोजीटरी /आरटीए/बैंक के साथ अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं करवाया है, से अनुरोध है कि ई-मेल द्वारा वार्षिक रिपोर्ट एवं अन्य पत्र प्राप्त करने हेतु इस नोटिस में उल्लिखित अनुच्छेद 13 एवं 14 के अंतर्गत दिए गए पते/ ई-मेल आईडी पर ई-मेल भेजकर/लिखित रू प में अनुरोध कर संबंधित डिपोजीटरी में अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत करवाएं.

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

स्थानः मुंबई
दिनांक : 13 मई, 2016

पी.एस. जयकुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established under Section 205 (C) of the Companies Act, 1956 (Section 125 of Companies Act, 2013) and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank or the Fund. The Bank has already transferred unpaid dividend declared up to FY 2007-08 to IEPF. For the details of unpaid dividend from FY 2008-09 onwards, the Shareholders may visit Bank's website "www.bankofbaroda.co.in"

The Shareholders who have not encashed their dividend warrants for the previous years i.e. from FY 2008-09 onwards (not yet transferred to IEPF) are advised to approach the Bank's Registrar and Share Transfer Agent at aforesaid address (para 13) or at Bank's Investors' Services Department at Mumbai on the following address :

Investors' Services Department
Bank of Baroda, 3rd Floor, Baroda Corporate Centre,
C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai - 400 051.
E-mail - investorservices@bankofbaroda.com

15. Request to Members:

Please note that copies of the Abridged Annual Report- 2015-16 in physical form have been **dispatched separately** using the services of Indian Post to those Shareholders who have not registered their email IDs with the Bank and Full Annual Report 2015-16 in soft copy by emails to those Shareholders who have registered their email ids with the respective Depository/ RTA/Bank. The Annual Report is also hosted on the Bank's website i.e. " www.bankofbaroda.co.in" The Annual Report will not be distributed at the Annual General Meeting and hence members are requested to bring their copy at the meeting.

SPECIAL ATTENTION REQUESTED:

In order to support the green initiatives by Government of India, Shareholders who have not registered their email IDs with their respective Depositories/RTA/Bank, are requested to do so with their respective Depositories or by sending emails/request in writing to the RTA/ Bank at the address/email ID stated at para 13 and 14 in this Notice in order to receive Annual Report and other communications over mail.

By Order of the Board of Directors
For, BANK OF BARODA

Place: Mumbai
Date: 13 May, 2016

P. S. Jayakumar
Managing Director & CEO

हरित पहल - शेयर धारकों से अपील

नोटिस / वार्षिक रिपोर्टें तथा
अन्य पत्राचार ई-मेल के माध्यम से प्राप्त करना.

डिमेट खातो में शेयर रखनेवाले शेयर धारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिमेट खाते में ई-मेल आईडी दर्ज करें.

भौतिक रूप से शेयर रखनेवाले शेयर धारकों से अनुरोध है कि -

इस पत्र के नीचे दिये गये भाग को भरकर तथा उस पर हस्ताक्षर करके उसे हमारे रजिस्ट्रार के पास नीचे लिखे पते पर भिजवा दें -

मै. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लि. (यूनिट : बैंक ऑफ़ बड़ौदा)
कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लाट क्र. 31 व 32,
गोचीबॉवली, फाइनांसियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रामगुडा,
सैरीलिंगम्पल्ली मंडल, हैदराबाद - 500 032.
फोन नं. 040-6716 2222
फैक्स नं. 040 - 2342 0814
ई मेल : einward.ris@karvy.com

GREEN INITIATIVE-APPEAL TO SHAREHOLDERS

TO GET NOTICES / ANNUAL REPORTS & OTHER COMMUNICATION THROUGH E-MAIL

Shareholders holding Shares in Demat accounts are requested to: register an email ID in their Demat A/cs.

Shareholders holding Shares in Physical form are requested to:

send their consent by filling up and signing the perforated portion of this communication to our Registrars at their address given hereunder :

M/S Karvy Computershare Private Ltd.,
(Unit: Bank of Baroda),
Karvy Selenium Tower B, Plot No.-31&32, Gochibowli,
Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal,
Hyderabad - 500 032,
Phone No. 040 – 6716 2222
Fax No. 040 – 2342 0814
E-mail : einward.ris@karvy.com

बैंक ऑफ़ बड़ौदा की हरित पहल

दिनांक

मै. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लि.
(यूनिट : बैंक ऑफ़ बड़ौदा)
कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लाट क्र. 31 व 32,
गोचीबॉवली, फाइनांसियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रामगुडा,
सैरीलिंगम्पल्ली मंडल, हैदराबाद - 500 032.

प्रिय महोदय,

मैं / हम ________________________________ बैंक ऑफ़ बड़ौदा कार्पोरेट गवर्नेंस के पर्यावरण सुरक्षा (हरित पहल) उपायों के एक प्रयास के रूप में बैंक ऑफ़ बड़ौदा से सभी संदेश अपने नीचे दिए गए ई मेल आइडी के माध्यम से प्राप्त करना चाहता हूं / चाहते हैं. मेरे / हमारे पास बैंक के ______________ शेयर भौतिक रूप में हैं.

फोलियो नम्बर : ________

ई मेल आइडी : ______________________

मैं / हम इस आशय का वचन देता हूं / देते हैं कि मेरे / हमारे ई मेल के माध्यम से प्राप्त संदेश को सही, विधिक तथा बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा हमें भेजे गए दस्तावेजों की समुचित एवं पर्याप्त सुपुर्दगी माना जाएगा. मैं / हम यह भी वचन देता हूं / देते हैं कि यदि किसी तकनीकी / अन्य कारणों से मेरा / हमारा ई मेल हमें सही रूप में प्राप्त न होने के कारण संदेश प्राप्त नहीं हो पाता है तो हम बैंक ऑफ़ बड़ौदा, इसके किसी कर्मचारी, रजिस्ट्रार अथवा इसके कर्मचारियों को उत्तरदायी नहीं ठहरायेंगे.

____

प्रथम धारक के हस्ताक्षर

GREEN INITIATIVE OF BANK OF BARODA

Date:

M/S Karvy Computershare Private Ltd.,
(Unit: Bank of Baroda),

Karvy Selenium Tower B, Plot No.-31&32,
Gochibowli, Financial District, Nanakramguda,
Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500 032

Dear Sir,

I/ We ____________________________ holding ________ shares of Bank of Baroda in physical form, intend to receive all communication from Bank of Baroda through our email ID given hereunder, as a part of Green Initiative under Corporate Governance of Bank of Baroda.

Folio Number: ______________

Email ID: _____________________________

I/ We also undertake that the communication received through my/ our email ID will be treated as proper, legal and sufficient delivery of documents sent to us by Bank of Baroda. I/ We further undertake that we would not hold Bank of Baroda, any of its employees, Registrars or its employees, responsible in case the communication is not properly received at my/ our email ID due to any technical/ other failures.

____

Signature of First Holder

प्रभावी व तत्काल सेवाओं के लिये शेयरधारकों से अपील

1. **कृपया अपने भौतिक शेयर को डीमैट करें**
2. **कृपया लाभांश इलैक्ट्रॉनिक / सीधे अपने बैंक खाते में जमा करने के लिये अपना मैनडेट रजिस्टर करें**
3. **कृपया ई- मेल के माध्यम से सन्देश पाने के लिये अपना ई-मेल आईडी रजिस्टर करें**

अभौतिकीकरण (डीमैटेरियलाइजेशन) के लाभ

1. शेयर सर्टिफिकेट के खोने का कोई डर नहीं
2. शेयर स्थानांतरण शुल्क अथवा स्टॅम्प शुल्क खर्च नहीं
3. सरल / परेशानी रहित स्थानांतरण/ संचरण
4. नामांकन सम्भव
5. लाभांश सीधे आपके बैंक खाते में जमा
6. अस्बा (एएसबीए) / आईपीओ आवेदन सम्भव

इलैक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लाभांश भुगतान के लिए मैनडेट पंजीकृत कराने के लाभ

1. लाभांश भुगतान की तारीख को ही लाभांश प्रत्यक्ष जमा होना
2. लभांश वारंट में देरी/ अप्राप्ति / पुनर्वेधता की कोई समस्या नहीं

ई- मेल आईडी पंजीकृत कराने के लाभ

1. भारत सरकार की हरित पहल का हिस्सा बनें
2. कारपोरेट सूचनाएं तत्काल प्राप्त करना जिसमें एजीएम व ईजीएम/ वार्षिक रिपोर्ट / छमाही सूचना इत्यादि की तत्काल प्राप्ति भी शामिल है

Appeal to Shareholders for Efficient & Prompt Services

1. **Please Demat your Physical Shares**
2. **Please register your Mandate for Electronic / direct credit of Dividend amount in your Bank A/c**
3. **Please register your E-mail ID for receiving communications through E-mail**

Benefits of Dematerialization

1. No threat of loss of Share Certificate
2. No Share Transfer Fees or Stamp Duty Expenses
3. Easy / hassle free Transfer / Transmission
4. Nomination possible
5. Dividend directly credited to your Bank A/c
6. ASBA/IPO Application possible

Benefits of Registering Mandate for payment of Dividend through Electronic Mode

1. Direct credit of dividend on Dividend payment date itself
2. No problem of late / non-receipt / revalidation of Dividend Warrants

Benefits of Registering E-mail ID

1. Be a part of Green Initiative of Government of India (GOI)
2. Immediate receipt of Corporate communication including Notice of AGM & EGM / Annual Reports / Half Yearly communication, etc

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय - मांडवी, बड़ौदा 390 006

फार्म बी

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षर किया जाए)

पंजीकृत फोलियो नंबर		डीपी आईडी नं.	
		ग्राहक आई. डी नं.	
(यदि शेयर अभौतिक रूप से न हो)		(यदि शेयर अभौतिक रूप में हो)	
शेयरों की संख्या			

मैं/हम ______________________________ निवासी ______________ जिला ______________

राज्य ____________ बैंक ऑफ़ बड़ौदा का/के शेयरधारक होने के नाते एतदद्वारा श्री/श्रीमती. ______________________

निवासी ____________________जिला ______________ राज्य ________________ को या उनके न होने पर

श्री/श्रीमती____निवासी________________________

जिला _________________________ राज्य _______________________ को **शुक्रवार, 24 जून, 2016 को दोपहर 12.00 बजे** सर सयाजीराव नगरगृह, वड़ोदरा महानगर सेवा सदन, टी.पी.-1, एफ.पी.549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा - 390 020 में या इसकी किसी स्थगित तारीख को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की होने वाली **वार्षिक सामान्य बैठक** में मेरी /हमारी ओर से बैठक में भाग लेने और वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता/करती हूं/करते हैं..

दिनांक _____________ माह __________ 2016 को हस्ताक्षरित

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर ____________________________

नाम ____________________________

पता ____________________________

____

रसीदी
टिकट
यहाँ चिपकाएं

प्रथम नाम /एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने एवं जमा करने संबंधी अनुदेश

1. प्रॉक्सी का लिखत निम्नानुसार होने पर वैध माना जाएगा -

   क़. एकल शेयरधारक व्यक्ति के मामले में, शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा

   ख. संयुक्त धारकों के मामले में, यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा

   ग. निकाय कार्पोरेट के मामले में, लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत इसके अधिकारी अथवा अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो.

   प्रॉक्सी लिखत शेयरधारक द्वारा उपयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए परंतु यदि किसी कारण से वह अपना नाम लिखने में असमर्थ है और उसके अंगूठे का निशान लगाया गया है, तब यह तभी वैध माना जायेगा जब इसे किसी न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार ऑफ़ एश्योरेन्सेस या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ़ बड़ौदा के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो.

2. विधिवत स्टांपित होने एवं मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत हस्ताक्षर किए गये हैं अथवा उस मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार की प्रति जो कि किसी नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित तथा पूर्व में बैंक के पास जमा की गयी हो एवं बैंक / बैंक के रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांस्फर एजेन्ट से पंजीकृत हो, प्रधान कार्यालय में केवायसी एवं एएमएल विभाग, बैंक ऑफ बडौदा,आठवां तल, सूरज प्लाजा - I , सयाजीगंज, वड़ोदरा-390 005 के पास वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात 18 जून 2016 को कार्य समाप्ति के पूर्व सायं 5.00 बजे से पहले जमा किए जाने पर ही प्रॉक्सी को वैध माना जाएगा. यदी पहले से पंजीकृत हों, तो पंजीयन संख्या एवं तारीख का उल्लेख करें.

3. प्रॉक्सी का लिखत फार्म ''बी'' में होने पर ही वैध माना जाएगा.

4. बैंक के पास जमा किया गया प्रॉक्सी - लिखत अपरिवर्तनीय और अंतिम होगा.

5. विकल्प के तौर पर दो गारंटियों के पक्ष में दिए गए प्रॉक्सी-लिखत के मामले में,एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा.

6. प्रॉक्सी-लिखत निष्पादित करने वाला शेयरधारक वार्षिक सामान्य बैठक में व्यक्तिगत रूप में मतदान का हकदार नहीं होगा.

7. किसी भी व्यक्ति को, जो बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी है, ऐसा विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा.

8. प्रॉक्सी धारक प्रत्येक संकल्प के 'पक्ष' अथवा 'विपक्ष' में वोट कर सकते हैं.

9. प्रॉक्सी फार्म में किए गए सभी परिवर्तन विधिवत रूप से अधिप्रमाणित किए जाने चाहिए.

Bank of Baroda

Head Office: Mandvi, Baroda - 390 006.

FORM "B"

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholders)

Regd. Folio No.		DP ID	
		Client ID	
(If shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	
No. of Shares			

I / We ______________ resident/s of ______________ in the district of ______________ in the State of ______________ being a shareholder / shareholders of the Bank of Baroda, hereby appoint Shri/Smt ______________ resident of ______________ in the district of ______________ in the State of ______________ or failing him / her, Shri / Smt ______________ resident of ______________ in the district of ______________ in the State of ______________ as my / our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the **Annual General Meeting** of the Shareholders of the **Bank of Baroda** to be held on **Friday, 24th June 2016 at 12.00 Noon** at Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, T. P. – 1, F. P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020, and at any adjournment thereof.

Signed this ______________ day of ______________ 2016

Signature of Proxy ______________

Name ______________

Address ______________

____

Please affix Revenue Stamp

Signature of first named / Sole shareholder

Instructions for signing and lodging the Proxy Form

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
   a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney, duly authorized in writing, or
   b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/ her attorney, duly authorized in writing, or
   c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorized in writing.

   Provided that an instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark/thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge or Magistrate or Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of Baroda.
2. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and is deposited at the Head Office of the Bank at Bank of Baroda, KYC & AML Department, 8th Floor, Suraj Plaza-1, Sayajiganj, Vadodara- 390 005, not less than **FOUR DAYS** before the date fixed for the Annual General Meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on 18th June 2016 together with the Power of Attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank/its Registrar and Share Transfer Agent. If already registered, the Registration No. and Date be provided.
3. No instrument of the proxy shall be valid unless it is in Form "B"
4. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
5. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one Form shall be executed.
6. The granter of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
7. No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Bank of Baroda.
8. The proxy holder may vote either "FOR" or "AGAINST" the each resolution.
9. All alterations in the Proxy Form should be duly authenticated.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
प्रधान कार्यालय : मांडवी, वडोदरा - 390 006
Head Office: Mandvi, Vadodara - 390 006

20वीं वार्षिक सामान्य बैठक के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र-सह-मत पत्र पास

ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS-CUM-VOTING PAPER PASS FOR 20TH ANNUAL GENERAL MEETING

दिनांक : शुक्रवार, 24 जून, 2016 समय : दोपहर 12.00 बजे स्थान : सर सयाजीराव नगर गृह, वडोदरा महानगर सेवा सदन, टी.पी.-1, एफ.पी. 549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, अकोटा, वडोदरा - 390 020	Date : Friday, 24th June, 2016 Time : 12.00 Noon Place : Sir Sayaji Rao Nagargriha, Vadodra Mahanagar Seva Sadan, T. P. - 1, F. P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020

उपस्थिति-पर्ची ATTENDANCE SLIP

(प्रवेश के समय स्थान पर जमा किया जाएं To be surrendered at the time of entry to the Venue)

नाम स्पष्ट अक्षरों में NAME IN BLOCK LETTERS (सदस्य Member / प्रॉक्सी Proxy / प्रतिनिधि AR)	फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं. FOLIO/DPID/CLIENT ID NO.	शेयरों की सं. No. of Shares

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर Signature of the Shareholder / Proxy/ Representative present X________________________

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

प्रवेश पत्र ENTRY PASS

(पूरी बैठक के दौरान अपने पास रखें To be retained throughout the meeting)

वार्षिक सामान्य बैठक : शुक्रवार, 24 जून, 2016 समय : दोपहर 12.00 बजे ANNUAL GENERAL MEETING : FRIDAY, 24TH JUNE, 2016. TIME : 12.00 Noon

नाम स्पष्ट अक्षरों में NAME IN BLOCK LETTERS (सदस्य Member / प्रॉक्सी Proxy / प्रतिनिधि AR)	फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं. FOLIO/DPID/CLIENT ID NO.	शेयरों की सं. No. of Shares

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर Signature of the Shareholder / Proxy/ Representative present X________________________

शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि बैठक हॉल में प्रवेश हेतु प्रवेश पत्र के साथ इस उपस्थिति पर्ची को बैंक के पास दर्ज नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप विधिवत हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करें. प्रवेश का अधिकार सत्यापन/जाँच, जैसा भी आवश्यक समझा जाए, के अध्यधीन होगा. किसी भी स्थिति में बैठक हॉल के प्रवेश द्वार पर डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा.

Shareholders / proxy holders / authorized representative are requested to produce the above Attendance Slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, along with the entry pass, for admission to the venue. The admission may, however, be subject to verifications / checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance Slip-Cum-Entry Pass will be issued at the entrance to the meeting hall.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

मतपत्र पास VOTING PAPERS PASS

(मतपत्र प्राप्त करने के लिए मतदान काउंटरों पर सौंप दें To be surrendered to the Voting counters for issue of Voting paper)

वार्षिक सामान्य बैठक : शुक्रवार, 24 जून, 2016 समय : दोपहर 12.00 बजे ANNUAL GENERAL MEETING : FRIDAY, 24TH JUNE, 2016. TIME : 12.00 Noon

नाम स्पष्ट अक्षरों में NAME IN BLOCK LETTERS (सदस्य Member / प्रॉक्सी Proxy / प्रतिनिधि AR)	फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं. FOLIO/DPID/CLIENT ID NO.	शेयरों की सं. No. of Shares

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर Signature of the Shareholder / Proxy/ Representative present X________________________

कृपया बैठक में संलग्न नोटिस की प्रति अपने साथ लाएं.
Please bring a copy of the enclosed Notice for the Meeting.

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग विवरण ELECTRONIC VOTING PARTICULARS

EVEN (ई-वोटिंग ईवेंट नंबर E-Voting Event Number)	यूजर आईडी USER ID	पासवर्ड PASSWORD

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

इक्विटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान के लिए अधिदेश
(इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से)

1. प्रथम शेयरधारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :

2. पता :

3. शेयरधारक की फोलियो संख्या (भौतिक रूप में शेयरधारकों के लिए) :

   डी. पी. आईडी / ग्राहक आईडी संख्या (इलेक्ट्रॉनिक शेयरधारकों के लिए)

4. बैंक खाते का विवरण :

   क. बैंक का नाम :

   ख. शाखा का नाम एवं शहर का पिन कोड :

   ग. खाता संख्या (जैसा कि चेक बुक में दिया गया है) :

   घ. खाता प्रकार (कृपया टिक करें) : बचत बैंक ☐ चालू ☐ नकद उधार ☐
   (बचत बैंक खाता/चालू खाता या नकद-उधार खाता)

   ड. आईएफएससी कोड :

   च. बैंक द्वारा जारी माइकर चेक में मुद्रित बैंक और शाखा की 9 अंकीय कोड सं. : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

5. कृपया पहचान के प्रमाण स्वरूप अपने पैन कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित फोटो प्रति तथा कोड संख्या की सत्यता की जांच के लिए अपने उपर्युक्त खाते से संबंधित, आपके बैंक द्वारा जारी चेक के पन्ने की फोटो कापी / कोरा रद्द किया गया चेक संलग्न करें.

घोषणा

मैं एतद्वारा यह घोषित करता/ती हूं कि उपर्युक्त विवरण सही व पूर्ण हैं. यदि अपूर्ण जानकारी के कारणों से लेनदेन में देरी होती है या यह प्रभावी नहीं होता है तो मैं बैंक ऑफ़ बड़ौदा को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/गी.

स्थान : प्रथम धारक के हस्ताक्षर

दिनांक :

टिप्पणी :

1. **यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए हैं :** कृपया फार्म पूर्णतया भर कर इस पर हस्ताक्षर करें तथा इसे अद्यतन करने हेतु अपेक्षित दस्तावेजों सहित अपने प्रतिभागी डिपॉजिटरी को प्रस्तुत करें.
2. **यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं :** कृपया फार्म पूर्णतया भर कर इस पर हस्ताक्षर करें तथा इसे अपेक्षित दस्तावेजों सहित रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) अर्थात मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि., कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 व 32, गोची बॉवली, फाइनान्सियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रामगुडा, सेरीलिंगम्पल्ली मंडल, हैदराबाद-500 032 अथवा बैंक ऑफ़ बड़ौदा, निवेशक सेवाएं विभाग, तीसरा तल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400 051 के पते पर भेज दें.

BANK OF BARODA

Mandate for Payment of Dividend on Equity Shares
(Through Electronic Mode)

1.		First Shareholder's Name (in Block Letters)	:
2.		Address	:
3.		Shareholder's Folio number (for holding in physical form) D. P. ID / Client ID number (for holding in electronic form)	:
4.		Particulars of Bank Account	:
	A.	Bank Name	:
	B.	Branch Name & City Pin Code	:
	C.	Account No. (as appearing on the cheque book)	:
	D.	Account Type (please Tick) : (SB Account / Current A/c. or Cash Credit A/c)	: SB ☐ Current ☐ Cash Credit ☐
	E.	IFSC Code	:
	F.	9 Digit Code No. of the Bank Branch appearing on the MICR Cheque issued by the Bank	: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

5. Please attach a self-attested photocopy of your PANCARD as Proof of Identity alongwith a photocopy of a Cheque leaf / blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above account for verifying the accuracy of the Code numbers

DECLARATION

I, hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not affected at all for reasons of incomplete information, I would not hold Bank of Baroda responsible.

Place: Signature of the First Holder

Date:

Note:

1. **If the shares are held in electronic mode:** Please complete the form, sign and submit alongwith the required documents to your Depository Participant for necessary updation.
2. **If the shares are held in physical mode:** Please complete the form, sign and mail alongwith the required documents at the address of Registrar and Transfer Agent (RTA), i.e. M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd, Karvy Selenium Tower B, Plot No.-31&32, Gochibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500 032 OR at Bank of Baroda, Investors' Services Dept. 3rd Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051.

टिप्पणी / NOTES

टिप्पणी / NOTES

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर, श्री एस. एस. मूंदड़ा, फोर्ट, मुंबई में बैंक की पहली स्पेशलाइज़्ड मार्टगेज स्टोर (एसएमएस) का उद्घाटन करते हुए.

Shri S. S. Mundra, Dy. Governor, RBI, inaugurating first Specialized Mortgage Store (SMS) at Fort, Mumbai

बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने अपने अधिकृत यू-ट्यूब चैनल की शुरुआत की. इसका शुभारंभ श्री पी. एस. जयकुमार (प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी), श्री बी.बी. जोशी और श्री मयंक मेहता (कार्यपालक निदेशक-द्वय) द्वारा किया गया.

Bank of Baroda launched its Official YouTube Channel. It was inaugurated by Shri P. S. Jayakumar - MD & CEO, Shri B. B. Joshi and Shri Mayank Mehta, Executive Directors.

बैंक ऑफ बड़ौदा ने महाराजा सयाजी राव गायकवाड-III की 154वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बड़ौदा में संगीत समारोह का आयोजन किया. पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई.

Bank of Baroda celebrated 154th Birth Anniversary of Maharaja Sayajirao Gaekwad-III, by organising a musical concert at Baroda. Padma Vibhushan Pandit Hariprasad Chaurasiya graced the occasion.

Call toll free no. | 1800 22 33 44
6 am - 10 pm | 1800 102 44 55
Web Chat-24X7
www.bankofbaroda.co.in
Follow us on

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank